राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–2 दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का सताइसवां दिवस संख्या–17

सोमवार,

21 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

फलौदी (जोधपुर) के ग्रामों की पेयजल व्यवस्था

448. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या फलौदी तहसील जिला जोधपुर के ग्राम रोहिणा, अजासर, मानवेड़ा, केलनसर, चाखू, लूणा, मयोकोरिया, उदट, जैसला आदि ग्राम मरुस्थलीय टीबों के बीच में आये हुये हैं और इनमें भू-जल कड़वा व पीने योग्य नहीं है ?

(2) क्या इन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आस-पास के गांवों से नलों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं निर्मित की गयी थीं ? यदि हां, तो इन योजनाओं से पेयजल नहीं पहुंचाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार इन गांवों को व इनके आस-पास के गांवों को इन्दिरा गांधी नहर से जुड़ी बाप क्षेत्रीय जल योजना से जोड़ कर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) : (1) जी, हां । ग्राम चाखू के अतिरिक्त शेष उल्लिखित ग्रामों में भू-जल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण पानी पीने योग्य नहीं है ।

(2) तहसील फलौदी के ग्राम उदट में विभाग की पेयजल योजना क्रियान्वित नहीं की गयी है । क्षेत्रीय योजना चाड़ी चौतीना में पेयजल उत्पादन में कमी के कारण इस योजना से जुड़े अंतिम छोर के ग्राम रोहिणा में अभी सप्ताह में दो बार जलापूर्ति सम्भव हो रही है । क्षेत्रीय योजना बैंगटी-बावड़ी में पेयजल उत्पादन की कमी के कारण ग्राम मयाकोरिया में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है । इसी प्रकार क्षेत्रीय जल योजना नोखड़ा चारणान में पेयजल उत्पादन की कमी के कारण अंतिम छोर पर स्थित ग्राम केलनसर में जलापूर्ति संभव नहीं हो पा रही है । शेष ग्रामों में जलापूर्ति सामान्य है ।

(3) ग्राम उदट की क्षेत्रीय योजना चीनू-बाप से लाभान्वित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है । शेष अन्य ग्रामों हेतु वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उदट गांव को यदि आप बाप से पानी देने की योजना बनाते हैं तो वहां से जो इस प्रश्न में मैंने गांव उल्लिखित किये हैं वह नजदीक ही पड़ते हैं और उन गांवों में सिवाय राजस्थान नहर के अन्य कोई सोर्स से पानी देना असम्भव है। आप चाहे, साथ दौरा कर लीजिये, आपके इंजीनियरों को ले लीजिये. पिछले पन्द्रह सालों के अनुभव के आधार पर आप राजस्थान नहर से जोड़ें, बिलकुल नजदीक ही पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : सीधा-सा सवाल पूछा है, इसके साथ जाकर आप एक्जामिन कर लीजिये और देख कर कर लीजिये।

श्री जसवन्तसिंह विश्नोई : जी, साथ में जाकर देख लेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

बारानी व वन भूमि के कब्जों का नियमितीकरण

449. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने बारानी व वन भूमि के ऊपर आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के कब्जों को नियमित करने की कोई नीति निर्धारण की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार नीति निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसकी कटऑफ तारीख कौन सी होगी?

(2) इस सम्बन्ध में योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक, चरागाह, वन भूमि, गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर दिनांक 1-7-75 तक आवास गृह या बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को निर्धारित निबन्धनों/शर्तों पर नियमित करने के आदेश जारी किये हुए हैं।

राजकीय सिवाय चक, गैर मुमकिन कृषि भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये कृषि प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों, जो दिनांक 15 जुलाई, 1984 या इससे पूर्व के किये गये हैं, को निर्धारित निबन्धनों/शर्तों पर नियमित करने के आदेश हैं।

वन भूमि पर भूमिहीन आदिवासियों द्वारा दिनांक 1-7-80 से पूर्व किये गये अतिक्रमणों को निर्धारित शर्तों पर नियमित करने का वन विभाग का आदेश दिनांक 27-4-91 दिया हुआ है।

(2) आदेश दिनांक 23-4-77 व 1-4-91 तथा वन विभाग के आदेश दिनांक 27-4-91 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 1-4-90 के बाद अजमेर जिले में इन निर्देशों के मुताबिक कितने केसों का नियमन किया गया है? दूसरा, मैं मंत्री महोदय से यह जानना

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

चाहूंगा, अजमेर जिले में मेरे को इससे पहले इसी सत्र में सूचना दी गयी है कि करीब 41 हजार केस भू-संशोधन के विषय में नियमितीकरण के लिए पेंडिग पड़े हुए हैं उन 41 हजार केसों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यह बताने की कृपा करें ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले की अलग से मेरे पास सूचना इस वक्त नहीं है। माननीय सदस्य ने तो नीति सम्बन्धी कुछ बात पूछी थी वह मैंने आपको अर्ज कर दी है। वैसे अजमेर जिले में सैटलमेंट का जो मामला वर्षों से विचाराधीन था, सरकार ने पिछली बार उस पर निर्णय ले लिया और निर्णय लेकर कुछ निर्धारित शर्तें उसमें दी जाकर विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है और जिला कलक्टर को भेज दी गयी थी। उसको भी आज करीब डेढ़ साल हो गया। उसके बाद में क्या कार्यवाही हुई है इतनी जानकारी तो इस वक्त नहीं है मेरे पास।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल में एक भी केस पर उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और चालीस-इकतालीस हजार परिवार उससे पीड़ित हैं और कई सालों से यह केस चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब उसका मंत्रीजी देख लेंगे। अब आप इसको देख लीजिये कि क्या हुआ उसमें, कितना हुआ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी गयी है उस सूची के तहत मैं आपका ध्यान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह सबसे बड़ी बाधा अजमेर के केसेज में है, जो नियम 4 है इसके तहत की पैरिफेरी में जो गांव हैं, पांच लाख से ज्यादा की आबादी है उनमें दो किलोमीटर तक और दो लाख व उससे ज्यादा की आबादी है उसमें एक किलोमीटर के अन्दर जो गांव आ रहे हैं उनका नियमितीकरण इस कानून के तहत आप नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर के जो यह गांव हैं जिनमें यह बाधा पैदा हुई है, यह गांव 1976 के बाद म्युनिसिपैलिटी में आये हैं, उससे पहले यह गांव म्युनिसिपैलिटी में नहीं थे और इनका जो कब्जा है वह 1941 या 40 की जो जमाबंदी है उस 40 की जमाबंदी के समय से चलता आ रहा है। यह लोग बहुत परेशान हैं। इनके लिए अगर आप कोई विशेष व्यवस्था कर सकें तो अवश्य करें। डेढ साल में एक भी केस नहीं हुआ। एक मीटिंग हुई उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। आपने जो निर्णय किया उसके उपरान्त कमिश्नर ने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ और यह सारे केस यथावत, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। 41 हजार परिवार इससे पीड़ित हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन केसों के निपटारे के लिए कोई विशेष तिथि बताकर और एक टीम बनाकर कार्यवाही करवायें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो अजमेर सैटलमेंट के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था, राष्ट्रपति शासन में उसकी तामील पर रोक लगा दी

(श्री गंगाराम चौधरी)

गयी थी और मुझे लगता है कि वह रोक राष्ट्रपति शासन तक ही लागू थी। अब उस पर कार्यवाही हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अभी शुरू नहीं की गयी है तो हम दुबारा से आदेश देकर राज्य सरकार के उन पुराने आदेशों की अनुपालना के लिए निर्देश जारी कर देंगे। अब प्रश्न उठता है नगर परिषद की सीमा के, पेरिफेरी के अन्दर नियमन के बारे में। इस सम्बन्ध में उस सक्यूलर में जो भी निर्णय लिये गये हैं, माननीय सदस्यों और अन्य जन-प्रतिनिधियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारी, अजमेर जिले के अधिकारी, सब ने मिलकर नीति निर्धारित की थी, उसके अनुसार लिये गये हैं। अब उसमें भी यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य राज्य सरकार के सामने कोई प्रस्ताव रखें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, कोई समयबद्ध कार्यक्रम, निपटारे का बता दें।

मुख्यमंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से नगरपालिका क्षेत्र के नजदीक जो गांव वाले थे उन्होंने नगरपालिका क्षेत्र में आने के लिए सब जगह अपने आवेदन पत्र दिये और पूर्व सरकारों ने उन आवेदन पत्रों की सुनवाई करने के पश्चात् उन गांवों को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर लिया। ज्यों ही नगरपालिका क्षेत्र में यह गांव शामिल हुए उसके साथ-साथ भूमि का मूल्य बढ़ गया और भूमि का मूल्य बढ़ गया तो नगरपालिका क्षेत्र में आने के कारण से कई प्रकार की पाबंदियां उन पर लग गयी। अब वही गांव इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको नगरपालिका क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। कई स्थानों पर इस प्रकार के विवाद भी खड़े हो रहे हैं और कई जगह लोग इस प्रकार का आवेदन भी कर रहे हैं। तो सामूहिक रूप से इन पर निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या व्यवस्था हो सकती है। सरकार अभी तक यही समझती है कि ग्राम पंचायतें जो शामिल हो गयी हैं उनको दुबारा अब अलग ग्राम पंचायत के रूप में शामिल नहीं किया जाए। लोगों का कहना यह है कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार हैं और नगरपालिका को अधिकार कम हैं। ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना, बाकी की योजनाएं सब चलती हैं इसलिए उस आधार पर हमें गांवों के विकास के लिए स्वतन्त्र किया जाए।

जहां तक यह सैटलमेंट का प्रश्न है, राज्यपाल महोदय के शासन में इस कार्यवाही को रोका गया था। माननीय मंत्रीजी ने भी देखा और मैंने भी देखा है उसमें उस समय की परिस्थिति में राज्यपाल महोदय ने रोका। तो उसके कारणों की हम जानकारी कर रहे हैं कि किस कारण से इस सारी व्यवस्था को रोका था। यदि कारण वजनदार हैं तो उन पर विचार करना पड़ेगा और अकारण ही रोका है क्योंकि पूर्व सरकार का यह निर्णय था इसलिए इसको रोकना जरूरी है तो जैसा मंत्री महोदय ने कहा है, इसको तुरन्त लागू कर दिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 450

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

श्री तैयब हुसैन ।

मंदिर श्री गोविन्ददेव जी वृन्दारानी कामां (भरतपुर) के पुजारी की हत्या का प्रकरण

451. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री गोविन्द देवजी वृन्दारानी, कामां (भरतपुर) के पुजारी उद्धवदास की हत्या वर्ष 1990 में हुई थी और मुकदमा संख्या 6/90 थाना कामां में दर्ज हुआ था ?

(2) क्या उक्त मुकदमे में सारे मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । मुकदमा हाजा में मुलजिमान की काफी तलाश एवं पतारसी के बावजूद पता नहीं चलने पर अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 35 दिनांक 25.5.90 बसींगे अदम पता मुलजिमान में दिया गया है ।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि महन्त जी का कतल मन्दिर के बीच में हुआ और मुकदमा नम्बर 6/90 दर्ज हुआ । इसमें तो पुलिस ने बहुत चुस्ती दिखायी कि मई में अदम पता में इस मुकदमे को कर दिया है, कुल चार-पांच महीने में कह दिया कि इसका पता नहीं लग सकता । क्या यह सही नहीं है कि वहां पुलिस ने जान बूझ कर कुछ लोग जो इसमें इन्वाल्व थे उनके उससे मुकदमे को अदम पता में किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आपको कोई सुराग मालूम हो तो बता दीजिये ।

श्री तैयब हुसैन : मैं अर्ज कर रहा हूं ना । क्योंकि मसला मन्दिर की जायदाद का है और उस जायदाद की वजह से वह नहीं चाहते कि किसी का भी वहां रहे । तो उसमें कुछ मौजूदा लोग हैं, मौजूदा महन्त को भी उन्होंने तरह-तरह की धमकियां दी हैं कि आप अगर इस तरह की बात करेंगे तो पहले महन्त का जो हश्र हुआ, आपका भी वही हश्र होने वाला है । तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे । यह यकीनन पुलिस के ऊपर रिफ्लेक्शन है कि कोई मुकदमे में पता न चले और यहां बजाय पता लगाने के तीन-चार महीनों में ही अदम पता में कर दिया गया । तो दुबारा से इसकी इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह तो हमेशा ओपन रहता है । आपने सुराग दे दिया छानबीन शुरू कर दी ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रात्रि को जो मृतक महन्त जी हैं उनकी खुद की लंगोटी से गला घोट कर हत्या की गयी थी । सारा मुंह जो है उसी लंगोट से बंधा हुआ था । यह इत्तला होने के बाद ही इसमें उप निरीक्षक से तफ्तीश

(6)

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रारम्भ हुई, फिर उसमें निरीक्षक को और जोड़ दिया गया। तीन पुलिस अधिकारियों ने लगातार इसमें जितनी भी पासिबल थ्योरीज हो सकती थीं उन पासिबल थ्योरीज पर तफ्तीश की है। मैंने सारी तफ्तीश की फाइल पढ़ी है। और यह मेरी भी चिन्ता का विषय है और माननीय सदस्य की चिन्ता से भी मैं सहमत हूं कि मर्डर हो जाए और मर्डरर अगर नहीं पकड़े जाएं तो हम सबके लिये चिन्ता का विषय है। लेकिन यह जिस तरह का ब्लाइंड मर्डर है, इसमें विशेष तौर से मुखबिर भी नियुक्त किये गये थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैंने सारी पत्रावली देखी है और एक निवेदन और कर दूं, यह भी सही है जो आपने कहा कि मन्दिर की सम्पत्ति का झगड़ा लम्बे समय से चला आ रहा था, मां और बेटे के बीच में भी झगड़ा था और मां 70 साल के उम्र की है। तो जिस महन्तजी की हत्या की गयी है उनकी मां और उनके बीच में भी झगड़ा सम्पत्ति का ही था, और 70-75 साल की मां है उनसे भी पूरी तरह से पूछताछ कर ली गयी हैं। अगर वर्तमान महन्त जी को किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं तो मैं इस बात का नोट लेता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनको किसी तरह की असुरक्षा नहीं रहे, पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जायेगी। इस तरह के जो केस होते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अदम पता मुलजिमान में दिये जाते हैं, वह तकनीकी दृष्टि से तो एफ. आर. दे दी गयी है लेकिन जब कभी भी इसमें कोई सुराग हाथ में लगेगा, वह एफ. आर. कभी भी विद्ड्रा हो सकती है, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य से मैं निवेदन करता हूं कि अगर उनके पास कोई सुराग हो तो मुझे व्यक्तिशः बता दें, मैं उस आधार पर इस तफ्तीश को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा।

श्री तैयब हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इसका तो मैं धन्यवाद करता हूं कि मौजूदा महन्त है, उसके प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं जो जानकारी मेरे पास है और जो मुझे दी गयी है उसे भी मैं दूंगा। इसकी आप दुबारा इन्क्वायरी करवा लें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क। आप अपने महन्त जी का पूछेंगे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

फव्वारा सिंचाई के लिए अनुदान

452. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा काश्तकारों को फव्वारा सिंचाई के लिये अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कितना ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि काश्तकारों को अनुदान प्राप्त करने के लिए ऋण लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार खुद के साधनों से फव्वारा सैट क्रय करने पर अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञान सिंह चौधरी) : (1) जी हां। वित्तीय वर्ष 1993-94 में फव्वारा संयंत्र खरीदने के लिए भूमि विकास बैंक या वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने पर ही अनुदान देय है, लेकिन जिन क्षेत्रों में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त नहीं मिलने से बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिये जाते हैं, वहां खुद के साधन से नकद पर फव्वारा संयंत्र खरीदने के लिए जिला समिति की स्वीकृति पर ही विभाग अनुदान देता है।

मॉडल अनुसार अनुदान की दरों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं। इस सम्बन्धी राज्य सरकार के आदेशों की प्रति परिशिष्ट 'ब' तथा 'स' पर संलग्न है।

(2) जी हां, जिन क्षेत्रों में फव्वारा संयंत्र के लिए भूमि विकास बैंक/वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उन क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त करने के लिए ऋण लेना आवश्यक है। लेकिन जहां ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में कृषकों द्वारा नकद पर फव्वारा सन्यन्त्र खरीदने पर भी उप निदेशक, कृषि के संयोजन में प्राथमिक भूमि विकास बैंक के सचिव, वाणिज्यिक बैंक के व्यवस्थापक, सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय बैंक समिति के संयोजक की सदस्यता वाली जिला समिति की सिफारिश पर अनुदान दिया जाता है।

जिन क्षेत्रों में कृषकों को बैंक से ऋण सुविधा उपलब्ध है, वहां पर खुद के साधन से फव्वारा संयंत्र खरीदने पर अनुदान के दुरुपयोग की सम्भावनाओं को देखते हुए अनुदान दिया जाना उचित नहीं है।

(विवरण एवं आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग दो में यह बताया है कि नकद भुगतान पर जो फव्वारा सैट खरीदे उनको अनुदान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका दुरुपयोग होने की सम्भावना रहती है। तो क्या आपने यह जांच की है कि जो ऋण से फव्वारा खरीदते हैं उनकी और नकद खरीदते हैं उनकी अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

दूसरा, आपने यह कहा है कि जिन क्षेत्रों में बैंक ऋण की सुविधा नहीं है वहां नकद भुगतान पर भी अनुदान देते हैं। एक कमेटी का हवाला दिया। वह कमेटी तो सारे राजस्थान में भी हो सकती है। तो जहां पर आप नकद भुगतान नहीं देकर बैंकों के माध्यम से देते हैं, उससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है। यह जितना आप अनुदान देते हैं, वह तो उनको ऋण के पीछे-पीछे घूमने में लग जाता है।

तीसरा सवाल यह है कि क्या यह प्रश्न आने के बाद आपने यह जांच की है कि जिन बैंकों द्वारा आप काश्तकारों को लाभान्वित करना चाहते हैं उन बैंकों के पास कितने प्रार्थना-पत्र पड़े हैं? कहीं आपका अनुदान नहीं पहुंचा तो वह ऋण स्वीकार नहीं करते हैं और जहां आपका अनुदान पड़ा है वहां कोई लेने वाला नहीं है। यह भी आपका कोई तालमेल नहीं है जिसके अभाव में कई काश्तकार इस लाभ से

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वंचित रह रहे हैं ? तो मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि नकद भुगतान पर यह जो आपने प्रतिबन्ध 'लगा रखा है इसको आप समाप्त करें।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्य महोदय ने फरमाया कि नकद भुगतान पर जो प्रतिबन्ध है उसको हटाया जाना चाहिये। वैसे तो सही मायने में प्रतिबन्ध इसलिए नहीं है कि जहां बैंक से हमें ऋण की सुविधा मिलती है उस क्षेत्र में तो बैंक ऋण देते ही हैं और जहां बैंक की ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होती वहां पर एक कमेटी बनी हुई है डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट पर हम अनुदान देते हैं और वह नकद भुगतान से उसमें खरीद सकता है। हम इस बात से सहमत हैं, कि यह ऋण की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसको कैसे सरलीकृत बनाया जाए इस पर विभाग विचार-विमर्श कर रहा है और हम अगले साल से यह भी कोशिश कर रहे है कि अगले साल सारा का सारा क्षेत्र जो नाबार्ड में नहीं है, जहां ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं है सारा का सारा क्षेत्र नाबार्ड योजना में आये, जिससे गरीब काश्तकारों को बैंक से सुविधा मिल सके। जहां तक नकद देने वाला विषय है, वह परम्परा पहले चालू थी लेकिन हमारे सीकर जिले में कई तरह की काफी गम्भीर शिकायतें आयीं। नकद जब हम भुगतान नहीं करते तो उसमें दोहरी व्यवस्था रहती है, एक तो बैंक उसका सत्यापन करता हैं, दूसरा विभाग सत्यापन करता है इसलिए दोहरी व्यवस्था से हम जब बैंक के ऋण के जरिये देते हैं, तो बहुत कम उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश होती है। हमारा तो यह भी प्रयास रहेगा, इसकी जो रिपोर्ट आ रही है उसको देखने के बाद मैं निर्णय करूंगा कि नकद भुगतान की प्रक्रिया को कैसे चालू रखा जाए, काश्तकारों को कैसे सीधा फायदा दे सकें। इसमें अगर नियमों में संशोधन करना पड़ेगा तो करेंगे इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, यह विचाराधीन है। इसको प्रयोग के तौर पर अगर चाहें तो अगले साल हम यह व्यवस्था भी चालू कर सकते हैं कि नकद रूप से लोगों द्वारा जो खरीदे जाएं उस पर भी अनुदान दिया जा सके।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि दो साल पहले यह व्यवस्था की थी कि नकद भुगतान में जो लेना चाहे, उनको भी अनुदान दिया जाता था ? उस पीरियड में काश्तकारों की काफी समस्याओं का समाधान हुआ था। दूसरा, आप ऋण की सुविधा उपलब्ध करायें वह तो ठीक है, जिसको ऋण लेना हो, वह ले। सारे ही एरिये को आप नाबार्ड के अन्तर्गत लायें, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन जो अपने पास से पैसा देकर फव्वारा सैट खरीदें, उसको ऋण देने के लिए आप कोई चैकिंग की अलग से व्यवस्था करना चाहें, वह कर लीजिये और जो बैंक वाले करते हैं उसी हिसाब से आप भी चैक कर सकते हैं। दूसरा जो कमेटी का आपने हवाला दिया, यह तो पूरे राज्य में हर जिले में आपने डिप्टी डायरेक्टर बैठा रखा है, तो एक कमेटी सारे राज्य में काम कर सकती हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए आपको यह घोषणा करनी चाहिये कि नकद से लेने वाले को भी अनुदान मिलेगा।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आप उसकी चैकिंग की जो भी व्यवस्था करना चाहें वह करें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बैंकों की मार्फत काश्तकारों को पम्पिंग सैट और दूसरे सिंचाई के साधन बैंक दिलवाते हैं उनमें बहुत बड़ा घपला है । दूध की रखवाली के लिए जितने चौकीदार रखे गये दूध उतना ही पतला होता गया, पानी उसके अन्दर मिलता गया । पहले कहते हैं कि हमने इन्तजाम् किया एक की जगह दो बैठाये । उतना ही काश्तकार के पास जो आने वाला पैसा है उसमें लीकेज और बढ़े । हल्के किस्म के तो आइटम देते हैं । हल्के इंजन, हल्के फव्वारे जो देते हैं वही फव्वारे, वही इंजन मार्केट में सस्ते मिलेंगे और इनको महंगे मिलेंगे । सब्सिडी के पैसे खा जाते हैं और कहते हैं कि नकद इसलिए नहीं देंगे कि सीकर में और झुन्झुनूं में गड़बड़ हुई है ।सीकर में और झुन्झुनूं में बैंकों के मार्फत देने के बाद ज्यादा गड़बड़ हुई तो जांच करवा लीजिए आप । बैंकों की मोनोपोली कर दी । बिना बैंक के काश्तकार खरीद ही नहीं सकता । काश्तकार को बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है । आपके तो उधर है नहीं, हमारे कुएं और फव्वारे हैं । वहां उनके जो एजेंट हैं....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने एक समस्या बताई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं उसी पर आ रहा हूं, मान्यवर । आपके यूटिलाइजेशन का खतरा है कि यूटिलाइज नहीं होंगे । इसका रास्ता निकाला जा सकता है । आप सारे रुपये एक साथ मत दीजिये, 25-30 पर्सेण्ट रख लीजिये, आधा रख लीजिये । आधा तो नकद दे दीजिये आधा बाद में भुगतान कर दीजिये । यह क्या हुआ कि सारा ही बैंक में दे दिया, बैंक ही कागज बनवा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो बिराजिये ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा रामनारायण जी ने और हरजीराम जी ने कहा, मैं भी इससे सहमत हूं कि जो ऋण लेना नहीं चाहे उन पर ऋण का कम्पलशन नहीं होना चाहिये और मैंने इस प्रोग्राम को बन्द नहीं किया है लेकिन कुछ गम्भीर शिकायतों की वजह से इसको स्थगित किया है और नियमों में सरलीकरण अगले 15-20 दिन में मैं करने जा रहा हूं । नकद की व्यवस्था और बैंक की व्यवस्था दोनों अगले साल से चालू रहेंगी इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस तरह की चल रही है कि सत्यापन बहुत करवायेंगे या बैंकों से देंगे, नहीं देंगे । इस विषय में मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है पंचायत समिति थानागाजी ग्राम बाछड़ी में स्प्रिंकलर लगाने की बात है....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, नहीं मिलेगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : एक स्प्रिंकलर लगाने की बात है। जवाब नहीं आये पर बात तो ध्यान में आ जाए।

श्री अध्यक्ष : पर्टिकूलर नहीं है। वह चीज बाद में बता देंगे। वह नीति बता दी उन्होंने।

नैक्स्ट, श्री गोपीराम जाट।

ग्राम पंचायत कालवाड़ व दुर्जनियावास में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पन्न कार्य

453. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कालवाड़ एवं दुर्जनियावास पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर के पूर्व सरपंच क्रमशः श्री शंकरलाल बालोटिया एवं सुरज्ञान पूनिया के कार्यकाल में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य हुए थे उनमें भारी अनियमितताएं हुई हैं? इनके कार्यकाल में किस-किस योजनान्तर्गत कौन-कौन से निर्माण कार्य हुए? पंचायतवार सूची मय लागत राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री बालोटिया एवं पूनिया द्वारा जो निर्माण कार्य करवाये गये हैं उनमें अनियमितताएं पायी गयी हैं एवं इनकी जांच भी सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो शिकायतों के उपरान्त जांच अभी तक क्यों नहीं की गयी है?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत दुर्जनियावास एवं कालवाड़ में जो निर्माण कार्य हुए हैं उन पर खर्च की गयी राशि एवं निर्माण कार्यों की माप अनुसार लागत कम आंकी गयी है जबकि राशि सरपंच द्वारा ज्यादा खर्च की गयी है? यदि हां, तो राशि वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री नाथू-सिंह) : (1) जी हां। पंचायतवार निर्माण कार्यों की सूची मय लागत सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। श्री शंकरलाल बालोटिया पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कालवाड़ के विरुद्ध राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 21 (3) के अन्तर्गत एस. डी. ओ. जयपुर की जांच रिपोर्ट पूर्ण होकर प्राप्त हो चुकी है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है। श्री सुरज्ञान सिंह पूनिया के विरुद्ध विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची एवं जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री गोपीराम जाट : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि शंकर बालोटिया के विरुद्ध जांच होकर प्राप्त हो चुकी है और उसके खिलाफ आज तक उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गयी उसका क्या कारण है? दूसरा, ग्राम पंचायत

(श्री गोपीराम जाट)

कालवाड़ में निर्माण कार्यों का मूल्यांकन आज तक नहीं हुआ। यह मूल्यांकन नहीं होने का क्या कारण है? तीसरा, आपने कहा है कि सुरज्ञान पूनिया के खिलाफ दुर्जनियावास में जांच कार्य जारी है। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जिला कलक्टर जयपुर के पत्र 1899, 10.9.92 के द्वारा यह कहा गया है कि इनके निर्माण के कार्यों में 56 हजार की वसूली बकाया है और उसको वसूल किया जाए और इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। यह सारे तथ्य सामने होते हुए विभागीय अधिकारियों के दबाव में आकर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और क्या यह बात भी सही है कि एक वरिष्ठ आई.ए.एस. ने कालवाड़ में पेड़ लगाने के लिए जमीन ले रखी है उनकी वजह से शंकर बालोटिया के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है? कृपया मंत्री महोदय बतायें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकरणों की मैंने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। इसमें यह सही है कि जितना कार्यकाल था उसमें मैंने एक-एक चीज को देखा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसमें कोई मिलीभगत से हुआ होगा लेकिन यह निश्चित रूप से सही है कि इसमें नेग्लीजेंस तो है ही। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि दोनों मामलों की मैं जांच करा कर के इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने रिपोर्ट रखी है उसमें नौ आरोप लगाये हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 व 9 पूर्णतः और आरोप नम्बर 7 आंशिक रूप से स्थापित होता है। यह तो स्थापित हैं।

श्री नाथूसिंह : हां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही क्यों नहीं हुई, पैसा वसूली क्यों नहीं हुई इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, यह सही है कि एक के विरुद्ध तो, अध्यक्ष महोदय, सरपंच का मूल्यांकन जब जे. ईएन. करने जाते हैं, बी.डी.ओ. को दो बार आदेश दिया गया....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, इसके खिलाफ कार्यवाही कर दी कि कर रहे हैं?

श्री नाथूसिंह : मैं बता रहा हूं। अब कार्यवाही चल रही है लेकिन यह बीच के पीरियड में कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसमें किसकी नेग्लीजेंस रही है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं जांच कराकर निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। पूरी जांच कराऊंगा और जांच कराकर जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि रिपोर्ट 1.5.92 को आ गयी थी आपके पास और अभी चल रहा है 94, 1.5.92 को यह रिपोर्ट आ गयी थी जिसमें सरपंच के खिलाफ 9 में से 8 आरोप साबित बताये गये और एक आरोप आंशिक साबित बताया गया। तो 92 से लेकर अब तक क्या हुआ? यह बताइये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बीच में प्रेसीडेंट रूल भी था। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में देरी क्यों हुई, एफ. आई आर. क्यों नहीं दर्ज

(श्री नाथूसिंह)

कराई गयी। उसके बाद 17(4) में हमारे पास फाइल भेजी गयी है। तो इस नेग्लीजेंस के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है मुझे जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और करके जांच कराकर मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनके खिलाफ तो करना ही है लेकिन इसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हो ?

श्री नाथूसिंह : इसके खिलाफ कार्यवाही जारी है, 17(4) में कन्वर्ट करके इसमें कार्यवाही चालू है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना और माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं, मैंने सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया था कि जितने भी सरपंचों के खिलाफ पैण्डिग मामले हैं, 28 फरवरी तक जांच करके हमारे पास रिपोर्ट भेजें। अब हम जांच करवा रहे हैं कि कितने मामलों में जांच हुई है, कितने मामलों की उस समय तक पूर्ण जांच हो चुकी। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे मामले हैं, हजारों मामले हैं....

श्री अध्यक्ष : मामला एक है आप सारे राजस्थान की बात मत करिये। इस मामले में क्या कर रहे हैं ? कर रहा हूं, कर रहा हूं क्या है यह ? सीधी-सीधी बात है सरपंच के खिलाफ इमीजिएटली एक्शन लीजिये, जिन्होंने देरी की है उनकी जांच करके एक्शन लीजिये। इतनी सी तो बात है।

श्री नाथूसिंह : एक्शन ले रहा हूं। मैंने कहा है आपसे कि मैं इसके विरुद्ध एक्शन ले रहा हूं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आपका सम्बन्ध है इससे ?

श्री भीमसेन चौधरी : नीतिगत प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नीतिगत नहीं है। पर्टिकूलर सवाल है सरपंच की जांच का, कोई नीतिगत नहीं है। आप इस सरपंच के अलावा किसी का प्रश्न नहीं पूछेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : जो काम सरपंच ने करवाये हैं उसमें यू.सी. और सी.सी. जारी होने के बाद जांच करवा रहे हैं या पहले ? यू.सी. और सी.सी. जारी हुई है तब जांच करवा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या है यू. सी. और सी. सी. यह तो समझा दीजिये।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले मूल्यांकन होता है। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं। एक मामले में तो मूल्यांकन हो गया, दूसरे में सरपंच मौजूद नहीं मिला। अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि बार-बार मैंने सरपंच से कहा, सरपंच मौजूद नहीं मिला, मूल्यांकन नहीं हुआ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात पूछी है।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : यह उपयोगिता प्रमाण पत्र और सी.सी. मिल गया उसके पहले जांच करवा रहे हैं या बाद में जांच करवा रहे हैं यह बता दें ?

श्री नाथूसिंह : बाद में जांच करवा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपयोगिता प्रमाण पत्र उस सरपंच को मिल गया, क्या आपके बी.डी.ओ. द्वारा.... (व्यवधान) आप तैयार होकर तो आते नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, अगर यह बाद में जांच करा रहे हैं तो सरपंच अकेला कैसे आएगा, जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया है उनकी भी जांच कराइये आप। वह भी उतना ही दोषी है।

श्री अध्यक्ष : सबकी कर रहे हैं, यह सबकी कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : सबकी कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सारे मामलों की जांच कर रहा हूं।

प्रश्न संख्या 454

श्री अध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल बडगूजर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 455

श्री महेन्द्र मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 456

श्री लक्ष्मण सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रामनारायण।

चरागाह भूमि का काश्त हेतु नियमन

457. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पुराने कब्जे काश्त के आधार पर चरागाह भूमि का काश्त हेतु नियमन किया जाता है? यदि हां, तो इस बाबत जारी आदेश/परिपत्र सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दिनांक 8.11.1977 को पत्रावली संख्या 50/नियमन/77 के जरिये ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवां की भूमि का नियमन कैम्प समीधी पर किया गया था? यदि हां, तो नियमन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त व्यक्ति भूमि पर काबिज काश्त है? यदि हां, तो भूमि कब तक राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी जावेगी?

(4) क्या अनुसूचित जाति के उक्त व्यक्ति के पक्ष में किये गये भूमि नियमन आदेश को जिला कलक्टर बूंदी द्वारा निरस्त किये जाने बाबत आदेश पारित किये गये हैं? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार जिला कलक्टर के उक्त आदेश को निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, परिपत्र क्रमांक पं. 6(21) राज/ग्रुप–4/83/5 दि. 2 फरवरी, 1983 की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। नियमन आदेश दिनांक 8.11.77 की प्रति संलग्न है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(3) जी हां। राजस्व अभिलेख में अंकन कर दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने के कारण उसे निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो जमीन अलाट हुई है, शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को 11.4.77 को, इतने वर्षों तक राजस्व रिकार्ड में जो अंकन नहीं किया गया उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

दूसरा, आप इस बात को कहेंगे कि चूंकि पंचायत ने उस पर वह नहीं दी, आपको पता होगा, मंत्री महोदय, जो अलाटमेंट आर्डर है, चूंकि आपका टाइम नहीं लूं इसलिये कहना चाहूंगा, 8.11.77 का जो आपने पेश किया है, हस्बराय कमेटी खसरा नम्बर 15, साढ़े छः बीघा चरागाह से बिला नाम बारानी तीन में परिवर्तन कर 2022 से कब्जा होने से नियमित की जाती है। मेरा साथ ही यह भी निवेदन है कि इस बाबत उसने जो दरख्वास्तें पेश की हैं, क्या आपने उनको भी देखा है और उसके आधार पर कोई कार्यवाही की गयी है और नहीं की गयी है तो उसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? इतने पीरियड़ में जो यह करता रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, चरागाह के नाजायज कब्जों को रेगूलराइज करने के आदेश तो राज्य सरकार ने पारित कर दिये थे और उसके अनुसार कथित व्यक्ति, योग्य था, नियमन का कमेटी ने निर्णय ले लिया। लेकिन भूमि चरागाह में दर्ज थी और राजस्थान टिनेंसी एक्ट के सरकारी नियमों के नियम (7) के अन्तर्गत उस वक्त जिला कलक्टर को यह अधिकार नहीं था कि चरागाह से वह बारानी भूमि कन्वर्ट कर सके। पंचायत से राय ले करके वह कर सकता था इस कारण यह भूमि चरागाह से सिवाय चक नहीं हो पायी। पिछली सरकार ने इन नियमों में संशोधन सजेस्ट किया था और वह संशोधन पारित हो गया और संशोधन होने के पश्चात् अब 14.3.94 को उन संशोधनों के अन्तर्गत जिला कलक्टर को अधिकार दे दिये गये चार हैक्टेयर तक के। जिला कलक्टर ने उन संशोधनों के अन्तर्गत अपना अधिकार प्रयोग करते हुए इस भूमि को बारानी कर दिया और तब यह नियमन हो गया और राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया। इसलिए इसमें किसी अधिकारी का दोष हो ऐसा मैं नहीं कह सकता। नियमों में कुछ खामियां थीं जिसकी पूर्ति कर दी गयी।

श्री रामनारायण : आपने जो डाकूमेंट पेश किया है, माननीय मंत्री जी आपने शायद उसका अवलोकन नहीं किया आपको अधिकारियों ने जो जवाब दिया वही है। 2 जुलाई, 1971 का आपने अपना परिपत्र क्रमांक सं. 4-6 (20) पेश किया है उसके पेज नं. 2 का आप मुलाहिजा कीजियेगा। पेज नं.-2 में जो सातवां पैरा है उसको देखिये, मैं पढ़ कर सुना दूं।

(श्री रामनारायण)

आप तो रेवेन्यू के जानकार हैं। संक्षेप में उक्त वर्णित सीमाओं के बाहर स्थित भूमि के सम्बन्ध में अतिक्रमण के मार्फत भी नियमानुसार विनियमन किये जाएं। इसके साथ ही साथ चरागाह भूमि पर किये गये ऐसे अतिक्रमण के मामले जिसमें अतिक्रमणकारी 1966 से पूर्व काश्त कर रहा है एवं ऊपर वर्णित सीमाओं से बाहर है तो भूमि को नियमानुसार चरागाह से निकालने के पश्चात्, जिसके लिये जिलाधीश एवं उप जिलाधीश सक्षम है, नियमानुसार कार्यवाही की जाए। तो मेरा निवेदन यह है कि आप जो जवाब दे रहे हैं वह अधिकारियों को बचाने के लिए दे रहे हैं। इस परिपत्र की पालना नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि यह मामला मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था। गये टाइम पर भी, और 1966 का मामला है....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया ना। बिराजिये।

श्री रामनारायण : मेरा यही निवेदन करना है कि आपने नहीं किये तो आप कर रहे हैं क्या। बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप जो कहेंगे, सभी सीरियस हैं। नान सीरियस यहां कुछ भी नहीं है। माननीय मंत्री जी। पहले इनको संतुष्ट हो जाने दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, विज्ञप्ति में तो यह बात लिखी थी कि इसको चरागाह से अलग किया जाये। लेकिन टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत टिनेन्सी रूल्स के अन्तर्गत जो प्रावधान थे....उसके कारण कर नहीं पाया था।

श्री अध्यक्ष : मैं समझा देता हूं उनको ऐसा है कि आपने जवाब में यह स्पष्ट कहा कि उस समय जो आदेश दिये गये थे, वह आप जो बता रहे हैं वह सही है। लेकिन चूंकि टिनेन्सी एक्ट में संशोधन नहीं हुआ था इसलिए कलक्टर पंचायत की राय से कर सकता था अपने आप नहीं कर सकता था। अब इन्होंने संशोधन कर दिया है। और कलक्टर्स को अधिकार दे दिये हैं कि वह नियमन स्वयं कलक्टर ही कर सकते हैं अब कोई अधिकारी उसमें नहीं आता। वह केवल लीगल काम्प्लीकेशन की वजह से रूका है।

श्री रामनारायण : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस बीच में उसका नामान्तरकरण खोला गया था उसी टाइम पर, उस नामान्तरकरण को रिजेक्ट भी किया गया है उस पर कार्यवाही भी नहीं हुई है, क्या यह आपकी जानकारी में है ? और नहीं है तो जानकारी ले करके फिर भी कोई दोषी पाया जाए तो आप आश्वासन दे दीजियेगा। मामला जिस ढंग का है उसके बारे में कह दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री खेतसिंह राठौड़।

कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापक

458. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(1) राजस्थान में कितनी कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां हैं ? इनमें कितने व्यवस्थापक कार्यरत हैं ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के चयन, नियुक्ति एवं सेवा नियम 1967, 1969 एवं 1977 में बनाये गये थे तथा हजारों व्यक्तियों को इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति भी दी गयी थीं, किन्तु अब इन व्यवस्थापकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ?

(3) वर्तमान में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की क्या सेवा शर्तें हैं, इनको कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है तथा वेतन किस प्रकार भुगतान किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि कैडर अथारिटी जो 1977 में गठित की गयी थी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने के पश्चात् व्यवस्थापकों का भविष्य पूर्णत: अंधकारमय हो गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजानसिह यादव) : (1) राजस्थान में 5292 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां कार्यरत हैं। इनमें चयनित 4126 व्यवस्थापक कार्यरत हैं। बैंकवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, किन्तु यह सही नहीं है कि अब इन व्यवस्थापकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। क्योंकि व्यवस्थापकों के लिए व्यवस्थापकीय वेतन कोष हेतु संशोधित नियम 1991 तथा कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के संशोधित सेवा नियम, 1991 जारी किये जा चुके हैं जिनमें इनके वेतन भुगतान तथा सेवा शर्तों के बारे में उल्लेख है।

(3) वर्तमान में कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के व्यवस्थापको की सेवा शर्तें सेवा नियम 1991 के अधीन हैं। व्यवस्थापकों को निर्धारित वेतन श्रृंखला 470–10–550–15–640–20–720 एवं वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 500–10–550–15–640–20–860 में वेतन तथा इस पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। व्यवस्थापकों के वेतन का भुगतान सामान्यतया केन्द्रीय सहकारी बैंकों में व्यवस्थापकीय वेतन कोष से किया जा रहा है। परन्तु वेतन कोष में राशि न होने की स्थिति में समिति के नाम ऋण लिखकर व्यवस्थापक को वेतन भुगतान किया जा रहा है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड 4 में आपने कहा है, जी नहीं। मेरा आपसे निवेदन है कि कैडर मुकर्रर की गयी थी और कैडर अथारिटी में अपेक्स बैंक का एक नोमिनी होता था, एक को-आपरेटिव यूनियन का नोमिनी हुआ करता था, और एक रजिस्ट्रार का नोमिनी होता था, इन तीनों ने बैठ करके

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इनका सलेक्शन किया ग्रौर सलेक्शन करने के बाद में विभिन्न बैंकों में व्यवस्थापकों को भेजा, वहां पर जा करके इन्होंने जोइन किया। वर्षों तक ग्राप इस कैडर आथोरिटी के मार्फत ग्रौर अपेक्स बैंक के मार्फत कुछ शेयर देते थे और कुछ को-ग्रापरेटिव बैंक शेयर देता था इससे इनको भुगतान होता था। आपने कह दिया, जी नहीं। यह कहां से लाये ग्राप, जी नहीं? यह परम्परा थी और इस तरह से हुए हैं।

दूसरा यह बताइये, ग्रापने यह कह दिग्रा कि 4126 व्यवस्थापक कार्यरत है। अब इनको कोई सैलरी नहीं दे रहा है। सैलरी इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ग्रपेक्स बैंक ने कह दिया कि अब यह हमारे एम्प्लाई नहीं, सेण्ट्रल को-ग्रापरेटिव बैंक ने कह दिया हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जहां यह लगे हुए हैं यह उस गांव के नहीं। कोई भरतपुर का है ग्रौर लगा हुग्रा है शेरगढ़ में, या किसी गांव में, कोई कहां का है ग्रौर लगा हुआ है शेरगढ़ के उन गांवों में। अब इनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली इसलिए इन्होंने जो वहां पर शक्कर बेची है, गेहूं बेचा है उसका जो पैसा ग्राया है वह ज्यों का त्यों ले करके चले गये। सात केसेज तो मेरी एक कांस्टीट्यूएन्सी में हैं ग्रौर ग्रापने पता नहीं लगाया है। श्रीमान् राजवी साहब, आप चित्तौड़गढ़ में मालूम कर लेना, आपके भी ऐसे के ऐसे कई घोटाले मिलेंगे कि व्यवस्थापकों के पास जब सैलरी नहीं ग्राती है तो वह पैसा खा करके उस ग्राम सेवा सहकारी समिति का, चाहे गेहूं बिकने से ग्राया है चाहे शक्कर बिकने से आया है, भाग रहे हैं ग्रौर ग्राप इसके लिए बिलकुल गम्भीर नहीं हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी (चितौड़गढ़) : ग्राप पिछले दस वर्षों की इसमें जांच कराना चाहते हैं?

श्री सुजानसिंह यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खण्ड चार में यह फरमाया है कि उनका ग्रस्तित्व समाप्त हो जाने के पश्चात् व्यवस्थापकों का भविष्य पूर्णत: ग्रंधकारमय हो गया है, इस सम्बन्ध में, जी नहीं, कहा है मैंने। ग्रंधकारमय नहीं हुग्रा है, तनख्वाह मिल रही है उनको।....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मिल कहां से रही है?

श्री सुजानसिंह यादव : इसलिए ग्रंधकारमय तो है नहीं....(व्यवधान)....बता रहा हूं। इनका एक कोष, सन् 1977 में सेवा नियम बनाये गये थे उसमें 10 मैम्बर थे। ग्राप कहे तो नाम पढ़ कर सुना दू।....

श्री ग्रध्यक्ष : नहीं, वह तो बता दिया उन्होंने।

श्री सुजानसिंह यादव : उसके ग्रन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि 65 पर्सेन्ट राज्य सरकार ने दिया था ग्रौर 20 पर्सेन्ट दिया था ग्रपेक्स बैंक ने और 10 पर्सेन्ट वहां की ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दिया था ग्रौर एक रुपया 80 पैसे और, इस तरह से मिला कर इनका एक कोष बनाया गया था। कैडर अथारिटी इस बात पर बनी थी। इस कैडर ग्रथारिटी के ग्रन्तर्गत कतिपय जो व्यवस्थापक थे वह हाई कोर्ट में चले गये कि हमको यह मंजूर

(श्री सुजानसिंह यादव)

नहीं है, या तो हमको बैंक का एम्प्लाई बनाओ या राज्य सरकार का एम्प्लाई बनाओ। इसके आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि ऐसी कैडर अथारिटी बनी है यह गलत बनी है और इनके सेवा नियम बने हैं यह भी गलत बने हैं। उसके उपरान्त व्यवस्थापकों ने हड़ताल की। हड़ताल के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि आपके लिए हमने व्यवस्था कर दी, आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए और मिल रही है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिफारिश से, बैंक के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी तरफ से लगा दिये, वह चयनित नहीं हैं। अब वह इस बात से विरोध पैदा कर रहे हैं कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो बैंक कहता है कि हमारे तो एम्प्लाई हैं नहीं, राज्य सरकार कहती है हमारे एम्प्लाई नहीं हैं। ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुछ सिफारिशी लोग लग गये वह इस बात पर आन्दोलन कर रहे हैं। उसके उपरान्त कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में चले गये और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आज तक वह मामला विचाराधीन है। उस पर कोई विचार नहीं हुआ है और न कोई फैसला हुआ है। मैंने दो बार मेरे अधिकारियों को एक मीटिंग के रूप में बुलाया कि इनका कुछ फैसला करना है। तो सरकार कहती है कि इन 4200 आदमियों की तनख्वाह कैसे दें, इससे भार पड़ेगा.... (व्यवधान)....हम कहते हैं कि यह बैंक के एम्प्लाई होने चाहिए। बैंक कहती है कि हमारी स्थिति वैसे ही खराब हो गयी, हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। केवल इस बात के लिए तय किया कि जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था कायम रहे और उसी के अनुसार आपको तनख्वाह मिलती रहेगी। मामला सबजुडिस है, अभी तक फैसला नहीं हुआ है। हमने एक-दो व्यवस्थापकों से यह भी कहा कि आप अपना केस वापस ले लो और हम बैठ कर तय करेंगे कि आपका भविष्य कैसे निर्धारित किया जाए। यह व्यवस्था है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या आप सैटिसफाइड हैं इससे ?

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं, सैटिसफाइड तो आप भी हैं और मैं भी हूं, दोनों ही हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कैसे हैं ?

श्री सुजानसिंह यादव : नहीं, प्रश्न के रूप में आप पूछ रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं प्रश्न के रूप में ही पूछ रहा हूं। आप कहते हैं कि वह नियम हैं वह भी हाई कोर्ट ने नहीं माने और उनके....(व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : खेतसिंहजी, एक मिनट, मेरे से पूछे, मैं बता देता हूं। आपने जो चिन्ता व्यक्त की है। यही चिन्ता इन्होंने व्यक्त की है। यह बात सही है कि व्यवस्थापकों को नियमित रूप से वेतन मिलना चाहिए, उनकी सर्विस कहीं न कहीं नियमित होनी चाहिए। यह बिलकुल सही बात है। आपकी यह जो मांग है, सरकार भी इस बात को मानती है। अब सरकार ने जब इसके बारे में जांच की तो उनको पता लगा कि कुछ व्यवस्थापक जिनको बैंक मैनेजर ने बिना किसी नियम-कानून के अपनी मर्जी से रख लिया था उनके अलावा बाकी सबको नियमित रूप से तनख्वाह

(श्री अध्यक्ष)

मिले इसके लिए पहले की जो व्यवस्था थी कि इतना प्रतिशत बैंक देगा, इतना गवर्नमेंट देगी, वह चल रही थी। मगर उसमें विघ्न आ गया। विघ्न आया तब इन्होंने मीटिंग बुलायी कि इसमें हम कोई परमानेण्ट व्यवस्था करें। जब यह व्यवस्था करने का सवाल पैदा हुआ तो कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट ने भी यह माना कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है जो अभी चल रही है कि आपने एक कैडर अथारिटी बना दी हैं और कैडर अथारिटी कोई मतलब नहीं रखती है और उसके कोई नौकर नहीं हैं या तो बैंक के नौकर हों या सरकार के हों। इसी को साल्व करने के लिए जब यह बैठे तो इस बीच में कुछ लोग चले गये सुप्रीम कोर्ट में। तो अब यह कैडर अथारिटी के बारे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वह फैसला ही रहे तब तो इनको बैठकर तय करना पड़ेगा ही कि व्यवस्थापकों को कहां से तनख्वाह मिलेगी, परमानेण्ट उनकी सर्विसेज होनी चाहिए, परमानेण्ट उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार उसकी व्यवस्था करे, चाहे जैसे भी करे। अब यह सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है, इन्होंने यह भी कहा कि आप विथड्रा कर लो सुप्रीम कोर्ट की अपील, ताकि हम बैठकर इसका निर्णय करें अन्यथा जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं हाई कोर्ट का कैडर अथारिटी का फैसला वह बहाल कर दे या और कोई निर्णय दे सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए इनकी प्राब्लम यह हो रही है कि या तो उनसे विथड्रा करवा लीजिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट में गये हैं तो गवर्नमेंट बैठ करके once for all, it will be decided कि कहीं न कहीं इनकी नौकरी स्थायी होनी चाहिए और उनके वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं यह प्राब्लम भी सही है कि जब तनख्वाह नहीं मिलती है तो एम्बेजलमेंट कर रहे हैं और सरकार के भी ध्यान में है। यानि दोनों की चिन्ता एक ही है, इसमें कोई दो-राय नहीं है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपील पैंडिंग है वह अड़चन बनी हुई है। तो या तो वह विथड्रा कर लें....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक-दो आदमी ने की है तो वह उसको विथड्रा करें कि नहीं करें....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, अब एक जाए या दो जाए, लेकिन सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चिन्ता करनी पड़ेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ इण्टरिम रिलीफ तो दिलायें दूसरों को, चार हजार का मामला है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है। आप ऐसा करिये, देखिये, यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है इसमें बहस की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद जानता हूं बड़ा एजिटेशन हुआ है। अब यह जो तनख्वाहें आपने दी हैं यह एल.डी.सी. की नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्थापक को जो आप बता रहे हैं, they are below L.D.C. इनका अन्तिम प्रमोशन जाकर एल.डी.सी. में होता है।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुजानसिंह यादव)

एक और दो श्रेणी के कर्मचारी माना गया है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो ऐसा कीजिए।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं मानता हूं व्यवस्थापक इन संस्थाओं की रीढ की हड्डी हैं। यदि व्यवस्थापक सही हैं तो बैंक सही हैं, बैंक सही हैं तो अपेक्स बैंक सही हैं, अपेक्स बैंक सही हैं तो सहकारी समितियां और सहकारी विभाग सही है। मैं इसको मानता हूं कि यह रीढ़ की हड्डी हैं और इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करके ही हम सहकारिता में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सोच रहे हैं कि इनकी व्यवस्था कैसे की जाए....(व्यवधान)।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हड्डी तो टूट रही है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप जल्दी से जल्दी इसका मार्ग निकालिये।....(व्यवधान) अब आप बैठिये न। जल्दी से जल्दी इन व्यवस्थापकों को तनख्वाह मिलती रहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आये इण्टरिम व्यवस्था करिये कि इनको तब तक तनख्वाह मिलती रहे।

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था इस बात की है कि जो अनआर्थोराइज्ड हैं, जिनको कि न तो बैंकों ने लगाया है....

श्री अध्यक्ष : आप उनकी छोड़िये, जो नियमित हैं उनकी तो करिये आप।

श्री सुजानसिंह यादव : उनको तनख्वाह मिल रही है।

श्री अध्यक्ष : हां, उनकी करिए आप.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो अनियमित हैं उनको... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके अलग केस हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अनियमित अपाइण्टमेंट हो जाते हैं उनको सरकार को या किसी भी संस्था को भूखे मारने का अधिकार नहीं है.... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि आप देखिये, नियमित या अनियमित नहीं है वह एक-एक इंडिविजुअल का सेपरेट केस होगा.... (व्यवधान)....अब इसके बारे में जनरल कुछ नहीं कहा जा सकता। जनरल तो यही है कि जो नियमित हैं उनको तनख्वाह बराबर मिले, this is very important. और गवर्नमेंट को यह कह दिया गया है। मैं समझता हूं इसमें अब चर्चा की जरूरत नहीं है ज्यादा।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :.... अब बैंक ने जो भर्ती किये थे....

प्रश्न संख्या 459

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द मीणा।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री रतनलाल ताम्बी : उनकी तनख्वाह के बारे में नीति स्पष्ट हो सकती है।.... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए एक मिनट को।

श्री अध्यक्ष : आज सारे ही अनुपस्थित हैं क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण मसला है, उनको तनख्वाह कब तक दे दी जाएगी। इस बात की तो घोषणा कराने....

श्री अध्यक्ष : बैठिये न आप। मैं नेक्स्ट को बुला रहा हूं, आप बाद में मंत्रीजी से कह देना।

प्रश्न संख्या 460

श्री अर्जुन दास मदान।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी, 1994)

राजस्व अभियान

75. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में गत 5 वर्षों में कब-कब राजस्व अभियानों का आयोजन किया गया ?

(2) इन राजस्व अभियानों में प्रत्येक जिले में कितने-कितने मामलों का निपटारा किया गया ? अजमेर जिले की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन राजस्व अभियानों में निपटाये गये मामलों का कोई विवरण रखा गया है ? यदि हां, तो उसके अनुसार क्या प्रत्येक निपटाये गये मामले का अमल-दरामद राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत मामलों में ? जिनमें नहीं किया गया, उनके क्या कारण हैं ? अजमेर जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन राजस्व अभियानों को कोई मानीटरिंग व इवेल्यूवेशन किया गया ? यदि हां, तो किस प्रकार ? अजमेर जिले के परिणामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) इन राजस्व अभियानों में कितने प्रतिशत केसेज का रिवीजन/अपील हुई ? प्रत्येक अभियान का पृथक से अजमेर जिले का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) इन अभियानों में कितने मामले जिला कलक्टर को, कितने मामले कलक्टर से राज्य सरकार को निपटारे हेतु प्रस्तावित किए गये व उनमें से कितनों का निस्तारण कलक्टर व राज्य सरकार द्वारा किया गया ? वर्षवार/जिलेवार विवरण अजमेर जिले का सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, (1) गत पांच वर्षों में निम्नानुसार राजस्व अभियानों का आयोजन किया गया है :–

1. दिनांक 15-5-89 से 30-6-89 (प्रशासन गांवों की ओर अभियान)।

2. दिनांक 1-5-90 से 31-7-90

(श्री गंगाराम चौधरी)

3. दिनांक 18-5-92 से 30-6-92 (समस्या समाधान शिविर–1992)

4. दिनांक 3-5-93 से 30-6-93 (ग्रामीण विकास शिविर–1993)

(2) यह सूचना बहुत विस्तृत है। सभी जिलों की सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होते ही यह सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। वर्ष 1992 एवं 1993 में निपटाये गये मामलों की सूची परिशिष्ट "क" पर है।

अजमेर जिले में निपटाये गये राजस्व सम्बन्धी मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

15.5.89 से 30.6.89 को निपटाये गये मामले	16080
18.5.92 से 30.6.92	67915
3.5.93 से 30.6.93	19718

(3) जी, हां। इन अभियानों में निपटाये गये मामलों का विवरण रखा गया है। अधिकांश जिलों में इनका अमल-दरामद लगभग शत-प्रतिशत किया गया है।

अजमेर जिले में निपटाये गये समस्त मामलों का शत-प्रतिशत अमल-दरामद राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया है। कोई मामला राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करना शेष नहीं रहा है। अजमेर जिले का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) जी, हां। राजस्व अभियानों का तहसीलवार मानीटरिंग व इवेल्यूवेशन करने के लिए प्रत्येक अभियान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त कर नियुक्त किया गया था।

अजमेर जिले में भी अभियानों में सम्पादित कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण रखा गया एवं उनका इवेल्यूवेशन किया गया। अभियान अवधि में जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित किये गये। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण व सुचारु रूप से सम्पन्न करने के प्रयोजन से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को (राजस्व अपील अधिकारी को छोड़कर) उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्य के निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया था। इसी प्रकार तहसीलदारों की शक्तियां नायब तहसीलदार को प्रदत्त की गयीं। अजमेर जिले का विवरण परिशिष्ट "ख" पर है।

(5) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति आबंटन/नियमन से अप्रसन्न होकर सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अजमेर जिले में प्रथम दृष्टया आबंटन एवं नामान्तरण के मामलों में निम्न अपीलें की गयीं, जो निम्न प्रकार हैं :–

समस्या समाधान शिविर–1992
18.6.92 से 30.6.92

आबंटन अपील	5
नामान्तरण अपील	1

ग्रामीण विकास शिविर–1993
3.5.93 से 30.6.93

आबंटन अपील	4
नामान्तर अपील	1

(श्री गंगाराम चौधरी)

(6) अजमेर जिले में इन अभियानों में अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा चरागाह भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग के मामले ही जिला कलक्टर को प्रेषित किये गये थे एवं जिला कलक्टर द्वारा कोई प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया गया। जिले की भू-संशोधन समस्या से सम्बन्धित वे मामले जो तत्सम्बन्धी नियमों की परिधि में नहीं आते थे उनमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पालना की गयी एवं निस्तारित किये गये।

अजमेर जिले में इन अभियानों में अधिनस्थ अधिकारियों द्वारा चरागाह भूमि होने से व सार्वजनिक उपयोग के प्राप्त एवं निपटाये गये मामलों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष 1989	20
वर्ष 1992	158
वर्ष 1993	62

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष : आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप प्रश्न पूछें तो कृपया इस तरह की सूचनाएं पूरे राजस्थान की पांच साल की आपने मांगी हैं यह उचित नहीं है। आप केवल अजमेर का मांगते तो ठीक था। यानि जहां बहुत आवश्यक हो कि आपको पूरे राजस्थान की चाहिए वहां मांगें। इसमें इन सारी सूचनाओं को इकट्ठा करने में सरकार का एक लाख रुपया खर्च होगा, 60 हजार पेज की प्रतियां बनेंगी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, अभी तो दी ही नहीं आपने।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैंने ही बताया था कि नहीं प्राप्त हुई है वह मत करिये लेकिन इसमें अनावश्यक खर्च करने से क्या फायदा? न तो आप पढ़ सकते हैं 60 हजार पेज और न उसका कोई मतलब है। इसलिए हम जब प्रश्न करें तो इस बात को अवोइड करें कि इसमें अनावश्यक सूचनाएं हम मांगें कि जिससे लम्बा चौड़ा काम फैल जाए और कुछ मतलब भी नहीं निकले। आपका अजमेर से सम्बन्धित था वह सारा वो दे दिया इन्होंने।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इससे यह पता चलेगा कि इस अभियान की कितनी सफलता रही।

श्री अध्यक्ष : अब वह ऊपर का सारा आ गया लेकिन पूरे जिले में कहां-कहां किस किसका हुआ यह बड़ा अजीब लगता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि करीब-करीब सभी मामलों में शत प्रतिशत अजमेर में अमल दरामद हो चुका है। मेरी खुद की निजी जानकारी है कि पंचायत समिति श्रीनगर के ग्राम लोहरवाड़ा में जो निर्णय लिये गये थे नियमित करने के, आवंटन करने के उनका अमल दरामद नहीं हुआ। 89 वाले का भी हुआ, 90 वाले का भी नहीं और 92 वाले का भी नहीं हुआ। और इसलिए नहीं हुआ कि जो निर्णय अभियान के समय लिये गये थे उन निर्णयों को लागू करने के लिए पटवारी

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

को अधिकार दे दिया। तो पटवारी लोग उस काम को अमल दरामद करने के लिए पैसे मांगते हैं, जो गांव वाले पैसे नहीं देते उनका अमल दरामद नहीं करते हैं। इसलिये जो आपको यह सूचना दी गई है कि सब मामलों में अमल दरामद कर दिया गया, अजमेर के मामले में, यह अपूर्ण है। बहुत से मामलों में अभी भी अगर आप जानकारी करना चाहेंगे तो मैं आपको और भी मामले लाकर दे दूंगा।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, आपने कहा है कि कलक्टर ने कोई मामला राज्य सरकार को रेफर नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मामले इन अभियानों में हुए थे जैसे कि आबादी भूमि को बढ़ाने का प्रस्ताव था। आबादी भूमि वर्तमान में जो है वह बहुत कम है, सीमित है और यह निर्णय उस अभियान में लिया गया लेकिन वह आबादी भूमि आज तक नहीं बढ़ाई गई है, वह वैसी की वैसी है।

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि चरागाह की जो भूमि है कलक्टर को केवल 5 बीघा तक इस सम्बन्ध में नियमित करने का अधिकार है लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी भूमियां थीं जो 5 बीघा से भी ज्यादा है जो राज्य सरकार को रेफर होने चाहिए थे, नहीं रेफर होने के कारण यह मामले अभियान में तो तय हो गये कि हम इसको कर देंगे लेकिन वे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति श्रीनगर के कुछ गांवों की बात बतायी है यहां पर कि अमल दरामद नहीं हुआ। मैं जानकारी कर लूंगा और अजमेर में और भी कहीं अमल दरामद नहीं हुआ तो जिला कलक्टर से जानकारी कर उनका अमल दरामद जल्दी करवायेंगे, ऐसी कोशिश करूंगा।

दूसरी बात, इन्होंने इसके साथ ही कही है कि अमल दरामद क्योंकि पटवारी के जिम्मे होता है। लेकिन जैसा ऊपर बताया था प्रश्न के उत्तर में इसकी मानीटरिंग और निगरानी होती है। फिर भी इसमें कुछ कमी रही है तो इन्स्ट्रक्शंस दे दूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी तामिल किया जाय। राज्य सरकार को आबादी बढ़ाने हेतु मामले अगर कुछ भेजे हैं तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : चरागाह भूमि के बारे में भेजने चाहिये, 5 बीघा से ज्यादा का अधिकार कलक्टर को नहीं है वह आपके पास है। इसलिए बहुत सारे मामले हैं जिनमें आबादी भूमि, चरागाह भूमि को बढ़ाने के लिये लोगों ने प्रस्ताव किया था। चरागाह भूमि में जो कब्जे थे उनको नियमित करने के प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में आपको भेजने चाहिये थे लेकिन नहीं भेजे इसलिए वह वहीं के वहीं पड़े हुए हैं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : आप चाहते हैं कि चरागाह भूमि में अतिक्रमण कर लिया उसको नियमित किया जाए। आप चाहते हैं क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसीलिए तो अभियान लगाया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यही चाहते हैं क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : इसीलिए अभियान लगाया था आपने ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अभियान इस बात का नहीं है, चरागाह के लिये भेजा था ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नहीं, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर इसमें आपने दिया है । 1.4.90 को मैंने आदेश दे दिये हैं कि इन-इन कैटेगिरी के लोगों, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिये हैं, का नियमितीकरण कर दिया जाए । उसके तहत करने के लिए हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : नहीं, राज्य सरकार ने एक सर्क्यूलर इस तरह का जारी किया है कि चरागाह भूमि अमुक तारीख तक नाजायज कब्जा है उसको नियमित की जाए, उसकी अनुपालना की बात का सवाल है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था चरागाह के नियमन के सम्बन्ध में 1.1.75 या 1.7.75

श्री रतनलाल ताम्बी : 1.7.75

श्री गंगाराम चौधरी : उससे पहले के जो नाजायज कब्जे हैं उनके नियमन के सम्बन्ध में एक सर्क्यूलर जारी कर दिया गया था 1980 में, उसकी अनुपालना की गई है और कृषि प्रयोजनार्थ हैं वे 70 के पहले कब्जों के नियमन के सम्बन्ध में है उसके अलग नियम हैं। चरागाह की भूमि को आबादी में कन्वर्ट करने के प्रस्ताव जरूर कलक्टर राज्य सरकार को भेजा करता है और ऐसे प्रस्ताव अगर अजमेर जिले के सम्बन्ध में कुछ किये हैं तो जल्दी ही उनका निपटारा कर लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह । नैक्स्ट क्वेश्चन । एक सवाल और ले लीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मुख्य मंत्री जी के....

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल भी महत्वपूर्ण है । आप नहीं चाहते हैं क्या, रामनारायण जी, कि शिवनाथ जी का सवाल आये ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : तो बैठिये प्लीज, इनका सवाल आये, एक मिनट बैठिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप उनको तुड़वा रहे हो । आप उसको तुड़वा रहे हो, लोगों ने अपने अतिक्रमण कर लिये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(12.00)

आप नहीं चाहते कि और कोई माननीय सदस्य अपना अधिकार काम में ले । ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं है । प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री शिवनाथ सिंह : जब आपने दे दिया ।

श्री अध्यक्ष : I am helpless मैंने

(श्री अध्यक्ष)

मौका दिया, मगर चौधरी सहाब नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। मुझें माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि....

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्या करूं ? टाइम से जो बंधा हुआ हूं। पूछें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कृपा कर दो। आप दानवीर बनो, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप करिये कृपा। मैंने तो की थी, आपने नहीं की।

श्री रामनारायण चौधरी : चलो मैं बैठता हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आप बैठिये। मगर यह तो तरीका नहीं है। श्री शिवनाथ सिंह।

पंचायत समिति क्षेत्र उदयपुरवाटी के विद्यालय

461. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी प्राथमिक शालाएं हैं और उनमें अध्यापकों की संख्या कितनी है तथा कुल छात्र संख्या क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की सख्या को देखते हुए इस पंचायत समिति में अध्यापकों के स्वीकृत पद बहुत कम हैं ? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथूसिंह) : (1) झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में 126 प्राथमिक शालाएं हैं तथा अध्यापकों की संख्या 314 है। कुल छात्र संख्या 14070 है।

(2) जी हां। छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों के 13 पद कम स्वीकृत हैं इसके लिए अतिरिक्त पदों की मांग 1994–95 के बजट में की गयी है।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, सरकार ने जो क्राइटेरिया तय कर रखा है 40 लड़कों के पीछे एक अध्यापक होगा, उसके हिसाब से भी 38 अध्यापक कम पड़ते हैं। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनूं जिले में जो शिक्षा का प्रसार है, उसके हिसाब से इस रेश्यो को थोड़ा कम किया जाए और क्लासवाइज भी उसका ध्यान रखा जाए।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुल 338 पद स्वीकृत हैं लेकिन 40 छात्रों पर एक अध्यापक के जो नार्म्स हैं उसके हिसाब से 351 पद कुल होते हैं। इस तरह से 13 तो इसमें कम हैं और 24 वहां कम थे। उसमें से 6 का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जिला स्थापना समिति द्वारा 15–2–94 को पदस्थापित कर दिया गया है। कुल करीब 31 अध्यापकों की कमी है। पूरे राजस्थान में लगभग 2200 की कमी है, आगे आने वाले सत्र में उस कमी को हम पूरा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दी उदयपुर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर द्वारा ऋण वसूली

450. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दी उदयपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर द्वारा 25 जून, 1992 से 30 जून, 1993 तक कितनी ऋण वसूली की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 30 जून, 1993 तक कृषि सम्बन्धी ऋण पर कितना ब्याज बाकी रहा ? क्या उस बकाया ब्याज से बैंक की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा ? ब्याज बाकी रहने के क्या कारण हैं ? दिनांक 25-6-1993 से 10-7-1993 तक बैंक ने कृषि ऋण कितना दिया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दी उदयपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. उदयपुर द्वारा दिनांक 25-6-92 से 30-6-93 तक हुई की अवधि में 820.13 लाख रुपये की वसूली है, जिसका शाखावार विवरण परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) 30 जून, 1993 का वसूली योग्य ब्याज 60.23 लाख रहा है। यह सही है कि बकाया ब्याज से बैंक की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ब्याज बकाया रहने के कारण अधिकांश समितियों में वसूली कम होना, बन्द व निष्क्रिय समितियों से वसूली नहीं होना और इमबैलेन्स आदि का होना रहा है। दिनांक 25-6-93 से 10-7-93 तक की अवधि में वितरित कृषि ऋण की राशि 171.18 लाख है, जिसका शाखावार विवरण परिशिष्ट-2 में सदन के पटल पर रख दिया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

केकड़ी क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

454. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किन-किन सहकारी समितियों के एवं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से कब-कब से राशन वितरण किया जा रहा है ? ब्यौरा मय संस्था का नाम व क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वितरण व्यवस्था संतोषप्रद है ?

(3) क्या किन्हीं संस्थाओं के विरुद्ध जांच भी चल रही है ?

उत्तर

(1) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जिन-जिन सहकारी समितियों एवं अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से जब-जब से राशन वितरण किया जा रहा है, उसका ब्यौरा मय संस्था के नाम व क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां।

(3) 8 डीलर्स के विरुद्ध जांच, विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

राज्य सेवा के अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि सीमा

455. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सेवा का कोई अधिकारी चार वर्ष से अधिक किसी निगम में प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता व इस नियम के बावजूद निगम में जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर पिछले 7 वर्षों से एक ही अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं ली जा रही है? इसके औचित्य सहित विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

जी हां। किन्तु परिवहन निगम में पिछले तीन वर्षों से निरन्तर निगम संवर्ग का अधिकारी ही जन सम्पर्क कार्यों को देख रहे हैं एवं इन कार्यों हेतु किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया गया है।

देवगढ़ (राजसमन्द) कस्बे की स्वीकृत जल प्रदाय योजना

456. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व राजसमन्द जिले के देवगढ़ कस्बे के लिए करीब 16 लाख रुपये की जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कब-कब कराये गये?

(3) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत जिस पाइप लाइन व टंकी का निर्माण हुआ था, उसे काम में लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार देवगढ़ कस्बे की जनता की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई दूसरी योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1989 में स्वीकृत एक संवर्धन जलप्रदाय योजना का वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" में उपलब्ध है।

(3) जी नहीं, संवर्धन योजना के अन्तर्गत डाली गई पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य अभी प्रगति में है। इस संवर्धन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

योजना के अन्तर्गत किसी उच्च जलाशय के निर्माण का प्रावधान नहीं था। इस संवर्धन योजना में वर्णित कार्यों से अतिरिक्त पहले से ही बनी टंकी के क्षतिग्रस्त होने के कारण इसका उपयोग वर्तमान योजना हेतु नहीं किया जा सकता है।

(4) देवगढ़ कस्बे की समस्या के आंशिक समाधान हेतु ग्रीष्म संवर्धन योजना 1994 में 3.35 लाख रु. राशि का प्रावधान है। योजना अन्तर्गत सोपरी बांध के कुओं को जल वितरण प्रणाली से जोड़ने का कार्य प्रगति में है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

तारांकित प्रश्न संख्या 459

(स्थगित)

चम्बल दाईं मुख्य नहर के कार्य

460. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में कोटा जिले में चम्बल दाईं मुख्य नहर खण्ड प्रथम में पब्लिक यूटिलिटी फण्ड के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा कितने कार्य स्वीकृति के बाद पूर्ण किये गये ?

(2) इस काल में इस क्षेत्र में कितनी नहरों की सफाई हुई तथा कितनों की खुदाई हुई ?

(3) इस हेतु कितने कार्यों के लिए टेण्डर जारी किये गये तथा कितने टेण्डर निरस्त किये गये ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चम्बल परियोजना हेतु कोई पब्लिक यूटिलिटी फण्ड का मद नहीं है। गत पांच वर्षों में कोटा जिले की चम्बल दाईं मुख्य नहर खण्ड प्रथम में पब्लिक यूटिलिटी कार्यों के अन्तर्गत 85 कार्य स्वीकृत किये गये तथा इनमें से 83 कार्य 25.30 लाख रुपये व्यय कर पूर्ण किये जा चुके है।

(2) इस काल में इस क्षेत्र में 197 माइनर्स, सब माइनर्स इत्यादि की सफाई की गई एवं इतनी ही की खुदाई के कार्य भी करवाये गये थे।

(3) इस हेतु इस काल में 203 कार्यों के टेण्डर जारी किये गये थे जिनमें से 6 टेण्डर धनाभाव के कारण निरस्त कर दिये गये। वर्षवार विवरण परिशिष्ट '[illegible]' में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के गांवों में खेल केन्द्र की स्थापना

649. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में खेल केन्द्र स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीप धनखड़)

(2) किन-किन गांवों में नये खेल केन्द्र खोलने की योजना है ?

(3) गांवों में खेल केन्द्र स्थापित करने के क्या मानदण्ड है ?

उत्तर

(1) किशनगढ़ पंचायत समिति के सिलोरा गांव में खेलकूद केन्द्र स्थापित है।

(2) योजनानुसार एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक ही खेल केन्द्र खोलने की योजना है।

(3) गांवों में खेल केन्द्र स्थापित करने के मापदण्ड योजनानुसार प्रत्येक पंचायत समिति में उस स्थान पर केन्द्र खोला जावे जहां कि प्रचलित खेलों जैसे – एथलेटिक्स, बास्केटबाल, वालीबाल, हैण्डबाल, कबड्डी, कुश्ती, फुटबाल में नियमित रूप से खिलाड़ी (बालक/बालिका) अभ्यास हेतु आ सके।

केन्द्र संचालन हेतु स्थानीय पुरुष/महिला जो कि जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हो तथा आयु 20 से 40 वर्ष के मध्य हो (अच्छे खिलाड़ियों को न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी) नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं और बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रभारी को अंशकालीन रूप से प्रतिनियुक्ति दी जावेगी।

आदिवासी छात्रों एवं युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहन

650. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले आदिवासी छात्रों एवं युवाओं को खेलकूद में प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जनजाति योजना क्षेत्र के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को आगे लाकर समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करने के लिए जनजाति क्षेत्र के पांच जिलों में विभिन्न खेलों में पंचायत, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है।

इसी तरह प्रतिवर्ष विख्यात बेणेश्वर मेला, गोटी अम्बा मेला आदि में भी परिषद् प्रतियोगिताएं आयोजित करती है एवं प्रथम चार को नकद ईनाम की राशि दी जाती है।

प्रतिवर्ष जनजाति क्षेत्र के चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस शिविर में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को निःशुल्क भोजन, आवास, जूते, मौजे, टी-शर्टस, नियमानुसार अनुषांगिक व्यय एवं चयनित खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिये जाते हैं। इस शिविर में जनजाति क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी जनजाति के खिलाड़ी ही भाग ले सकते हैं।

एकलव्य खेल छात्रावास में नट, सांसी,

(खेलकूद मंत्री)

कंजर एवं जनजाति के चयनित खिलाड़ियों को वर्ष पर्यन्त एक जगह रख कर उन्हें उनके खेल की तकनीकी शिक्षा, निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल पोशाक एवं खेल उपकरण आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्तमान में यह खेल छात्रावास सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य भवन की प्रथम मंजिल पर परिषद् द्वारा संचालित किया जाता है।

कोटा शहर की सफाई व्यवस्था

651. **श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा), **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) एवं **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुराने कोटा शहर (परकोटे के अन्दर) की सफाई की नगर परिषद् द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुराने कोटा शहर की गलियों व नालियों की प्रतिदिन सफाई करवायी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या कोटा शहर के रामपुरा, नया कटला में प्रतिदिन नालियों व सड़क की सफाई नहीं होने से वहां पर कचरे का ढेर पड़ा रहता है ? यदि हां, तो क्या विभाग इसके स्थायी हल का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) पुराने कोटा शहर (परकोटे के अन्दर) सफाई की व्यवस्था हेतु नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को लगा रखा है जो निर्धारित बीट के अनुसार कार्य करते हैं। इसके साथ ही गाड़ियां, उपकरण जैसे व्हील बेरोज, लोडर, डम्पर, फावड़े आदि की व्यवस्था की हुई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रतिदिन सफाई करवाई जाती है।

(3) यह सही नहीं है। अपितु कोटा शहर के रामपुरा नया कटला प्रतिदिन नियमित रूप से नालियों एवं सड़कों की सफाई होती है तथा कचरा नियत स्थान पर एकत्रित कर उसे प्रतिदिन उठवा दिया जाता है. यदि किसी दिन किसी विशेष कारण से उस दिन नहीं उठाया जाता है तो अगले दिन प्राथमिकता के आधार पर उठवा दिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

रामनगर, नन्दपुरी व गोविन्दपुरी (सोडाला) में गृह कर की वसूली

652. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा सोडाला स्थित रामनगर, नन्दपुरी व गोविन्दपुरी के गृह स्वामियों से गृह कर की वसूली की गई है ? यदि हां, तो किस-किस प्लाट के किस-किस गृह स्वामी से कितनी-कितनी राशि गृहकर के रूप में ली गई ? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

(2) क्या यह सही है कि नन्दपुरी व गोविन्दपुरी में पानी के निकास हेतु नालियां बनी हुई हैं एवं उन में मिट्टी भर गई हैं जिसके कारण पानी ओवर फ्लो होकर नाली से बाहर निकलकर गोविन्दपुरी "डी" ब्लाक में जाकर जमा हो रहा है और वहां के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या नगर निगम उसकी सफाई कर पानी का उचित निकास करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त पानी भरने से वहां प्रदूषण व भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका हो गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । विगत 5 वर्षों में जिस गृह स्वामी से प्लाट का गृह कर वसूल किया गया है। उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां । नालियों में मिट्टी भर जाती है उसकी प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। गोविन्दपुरी "डी" ब्लाक में से आगे पानी का निकास कराया जाता है। स्थायी समाधान हेतु कार्यवाही विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं । प्रतिदिन सफाई होने से कोई बीमारी फैलने की संभावना नहीं प्रतीत होती हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

मेजर शैतानसिंह कालोनी, शास्त्री नगर जयपुर में किये गये कार्य

653. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मेजर शैतान सिंह कालोनी, शास्त्री नगर, जयपुर में राष्ट्रपति शासन के दौरान नाली-टू-नाली डामर रोड़ मरम्मत हेतु टेण्डर स्वीकृत हुए? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त सम्पूर्ण कालोनी में टेण्डर के अनुसार सड़क की मरम्मत कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त कालोनी की दो-तीन गलियों में सड़क की मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं एवं उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

(4) क्या उक्त सड़क मरम्मत का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब व क्यों ?

(5) अब कब तक उक्त अधूरी मरम्मत योग्य छोड़ी गई सड़क का डामरीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । शास्त्री नगर की हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेक्टर एक में सड़क मरम्मत हेतु टेण्डर स्वीकृत किया गया था।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

इस कार्य में शेष बचत राशि से ही मेजर शैतान सिंह कालोनी की दो सड़कों के अतिरिक्त शेष सभी सड़कों की मरम्मत कराई गई। मरम्मत से शेष रही सड़कों पर यातायात का दबाव कम होने के कारण निगम अधिकारियों द्वारा इन पर मरम्मत कराने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई।

(3) इसका उत्तर प्रश्न के भाग 2 में शामिल हैं?

(4) जी हां। किये गये कार्य का भुगतान किया जा चुका है।

(5) इसका उत्तर भी प्रश्न के भाग 2 में सम्मिलित है।

ब्यावर शहर में अवैध मांस की दुकानें

654. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में अवैध खुले मांस की दुकानें हैं? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार इन दुकानों को हटाने का विचार रखती है?

(2) क्या यह भी सही है कि मांस की दुकानों हेतु छावनी रेल्वे फाटक के बाहर नगर परिषद ने दुकानें बनाई थी? यदि हां, तो इन दुकानों का उस जगह स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि इन दुकानों को हटाने के लिए यहां के नागरिकों ने कई बार सरकार को ज्ञापन दिये हैं व आन्दोलन भी किये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी नहीं। अवैध खुले मांस की दुकानें नहीं हैं?

(2) नगर परिषद द्वारा छावनी रेल्वे फाटक के बाहर दुकानें 14 बनाई थीं। इन दुकानों में मांस विक्रेताओं द्वारा आपत्ति किये जाने से उपखण्ड अधिकारी एवं प्रशासक नगर परिषद, ब्यावर की अध्यक्षता में दिनांक 6.4.88 को बैठक में लिये निर्णयानुसार इन दुकानों में स्थानान्तरण नहीं किया गया।

(3) यह सही है कि दुकानें हटाकर छावनी रेल्वे फाटक के बाहर निर्मित दुकानों में स्थानान्तरित किये जाने हेतु सेन्ट्रल सिंधी पंचायत एवं नागरिकों के ज्ञापन पत्र प्राप्त हुए। इस सन्दर्भ में मांस विक्रेताओं एवं सिंधी सेन्ट्रल पंचायत ब्यावर के प्रतिनिधियों के साथ उपखण्ड अधिकारी एवं प्रशासक नगर परिषद की अध्यक्षता में बैठक 6.4 88 को हुई जिसमें मांस विक्रेताओं द्वारा आपत्ति किये जाने पर निर्णय लिया गया कि मछली मार्केट में दुकानें बनाकर दी जाय, तब तक शहर में यथावत कार्य करते रहेंगे, चूंकि परिषद की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने से मछली मार्केट में अभी दुकानों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

जोधपुर शहर में सोडियम लाइटें

655. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम ने 1-3-1990 से 30-11-1993 व 11-12-1993 से फरवरी 1994 तक सोडियम लाइटें लगाई हैं ? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में 1–3–1990 से फरवरी 1994 तक वल्ब व फिक्सर भी लगाये गये थे ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 274 सोडियम लाइटें लगाई हैं। लगाने की संख्या व स्थान की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में 1-3-1990 से फरवरी 1994 तक कुल 18672 वल्ब व 317 नये ट्यूब फिक्चर लगाये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर पालिका नैनवा द्वारा आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्डों का बेचान

656. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, नैनवा द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1990 से 31 जनवरी, 1994 की अवधि में जिलाधीश, बूंदी के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्ड बेचान किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका के वार्ड मेम्बर्स के पति या पत्नी को भी उक्त भू-खण्डों में से भू-खण्ड बेचान किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार बेचान किये गये भू-खण्डों की आज की प्रचलित बाजार दर बेचान राशि से अधिक होने बाबत जांच करवाई जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस बाबत दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, यदि हां, तो उक्त कार्यवाही का निस्तारण कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 38 भू-खण्ड नीलाम किये गये थे।

(2) जी हां। श्रीमती नाथी बाई को जो कि श्री प्रेम बाबू साहू वार्ड मेम्बर न. पा. नैनवा की पत्नी है।

(3) जांच की जा चुकी है।

(4) जी हां। शीघ्र ही।

उम्मेदपुर (जोधपुर) में सीवरेज लाइनें

657. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(1) जोधपुर में रातानाड़ा क्षेत्र के उम्मेदपुरा मोहल्ले में सीवरेज लाइन किस-किस साइज की कब-कब बिछायी गई तथा उक्त लाइन से किन-किन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से उक्त लाइन के अवरुद्ध होने पर पानी, उक्त मोहल्ले के घरों में घुस जाता है तथा गटर का पानी इकट्ठा हो जाने पर यह पानी पीने के पाइपों में रिस जाता है, जिससे मोहल्ले के काफी परिवार पीलिया रोग से विगत 2 वर्षों से पीड़ित हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त गटर लाइन को स्पेसिफिकेशन के अनुसार ठीक कराने का विचार रखती है और बारिश के पानी निकासी की शीघ्र उचित व्यवस्था करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जोधपुर में रातानाडा क्षेत्र के उम्मेदपुरा मोहल्ले में 5" से 9" व्यास की सीवरेज लाइन जोधपुर स्टेट के समय की है। इस क्षेत्र की तीन बन्द गलियों के मकानों में स्थित सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने के लिए 6" व्यास की सीवर लाइन सन् 1978 में पूर्व नगर परिषद, जोधपुर द्वारा बिछायी गई थी। जिन उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये हुए हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। गटर के पानी के इकट्ठा हो जाने पर पीने के पानी में रिस कर पीलिया रोग होने संबंधी कोई शिकायत नगर निगम या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। यह सही है कि ढलान के कारण, भारी बरसात होने पर पानी भर जाता है, जो स्वतः ही निकल जाता है।

(3) उक्त सीवरेज लाइन पचास शौचालयों के मापदण्ड के आधार पर 6" व्यास की डाली हुई है जो आवश्यकतानुसार सही है। कभी भारी वर्षा होने पर ढलान के कारण वर्षा का पानी भर जाता है, जो स्वतः ही निकल जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

जयपुर की कच्ची बस्तियों का नियमितिकरण

658. श्री अजय (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के वर्ष 1989 तक के कब्जे/मकानों को नियमित करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन आदेशों की कहां तक पालना हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा वर्ष 1971 के बाद कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ बस्तियों, विशेषतया ब्रह्मपुरी, कागदीवाड़ा, छीपीवाड़ा व गुर्जरघाटी में वर्ष 1980 से

(श्री अजय)

1985 तक के कई मकान वहां के नागरिकों एवं विकास समितियों के बार-बार अनुरोध पर भी नगर निगम/जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अभी तक नियमित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त मकानों को अब कब तक नियमित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अभी तक वर्ष 1981 के बाद कच्ची बस्तियों के लिए कोई सर्वे नहीं कराया गया । सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) जी हां । दिनांक 1.1.81 के पश्चात् कब्जे धारियों को नियमित करनें के राजकीय आदेश नहीं हुए हैं । शेष के लिए नगर निगम जयपुर द्वारा नियमानुसार नियमन की कार्यवाही जारी है ।

(3) राजकीय नियमानुसार नियमन योग्य कब्जों के शीघ्र नियमन की कार्यवाही नगर निगम जयपुर द्वारा की जा रही है । दिनांक 1.1.81 के बाद के कब्जेधारियों का नियमन नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

बेघर परिवारों हेतु रैन बसेरा

659. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कितने बेघर परिवार ऐसे हैं जिनके लिये रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है ?

(2) क्या बेघर परिवार के लोगों के लिये पक्के रैन बसेरे का निर्माण कराये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना का विवरण व मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त रैन बसेरों में निःशुल्क आवास व्यवस्था किये जाने में क्या व्यवधान है ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचनानुसार लगभग 1987 बेघर परिवार के लोग अभी ऐसे हैं जिनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है ।

(2) सभी बेघर परिवार के लोगों के लिए पक्के रैन बसेरे निर्माण कराये जाने की अभी कोई योजना नहीं है । अपितु जयपुर में 2 रैन बसेरों तथा जोधपुर में 1 रैन बसेरा निर्मित है ।

(3) जी, नहीं ।

तहसील लाडनूं की जल प्रदाय योजनायें

660. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम देवरा, तीलोकपुरा व बगडीयों की ढाणी, तहसील लाडनूं के लिये विभाग द्वारा कोई जल प्रदाय योजनायें बनाई गई थीं ? यदि हां,

(श्री हरजीराम बुरडक)

तो यह योजना कब बनाई गई, व इन पर कितनी-कितनी लागत प्रस्तावित थी ये कब स्वीकृत हुई तथा उनका कार्य कब से प्रारम्भ हुआ तथा वर्तमान में उनकी प्रगति क्या है ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

ग्राम देवरा हेतु 12.41 रु. की एक योजना फरवरी, 1994 में एवं ग्राम तीलोकपुरा व बगडियों की ढाणी हेतु 7.84 लाख रु. की एक योजना मार्च 1994 में ही प्रस्तुत की गई है एवं इनकी स्वीकृति हेतु कार्यवाही जारी है । योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात ही क्रियान्वयन प्रारम्भ हो सकेगा ।

विद्याधर नगर (जयपुर) के हैण्ड पम्प

661. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) न्यू विद्याधर नगर जयपुर एवं इससे सटी हुई कालोनीज यथा एल. एस. नगर, राजीव नगर, जैम्स कालोनी व सभी 10 सैक्टरों में कितने हैण्डपम्प किस-किस स्थान पर लगे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि सभी हैण्ड पम्प चालू हालत में नहीं है ? यदि हां, तो खराब पड़े हैण्डपम्पों को कब तक सुधारने का सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आबादी के हिसाब से सभी सैक्टरों व कालोनीज में हैण्ड पम्प लगे हुए नहीं है ? यदि हां, तो जिन-जिन स्थानों पर हैण्ड पम्प नहीं है वहां हैण्ड पम्प कब तक लगाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित स्थानों पर स्थापित कुल 18 हैण्ड पम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "क' पर संलग्न है ।

(2) सभी 18 हैण्ड पम्प वर्तमान में कार्यरत हैं ।

(3) उल्लेखित स्थानों पर पाइप लाइनों द्वारा पेयजल व्यवस्था है । हैण्ड पम्पों को अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में एवं सार्वजनिक स्थानों पर जल सुविधा हेतु लगाया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें ।)

खिरजा खास (शेरगढ़) की पेयजल योजना

662. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या शेरगढ़ क्षेत्र के गांव खिरजा खास में पीने के पानी की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सरकार इस पर निर्णय ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां के बेरे पर मशीन लगा कर समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम सोंलेकियांतला में साबूसिंह की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

ढाणियों में करीब 15 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पानी की व्यवस्था हेतु साबूसिंह के बेरे पर मशीन लगा कर समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित ग्राम हेतु 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संवर्धन योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। ग्राम खिरजा खास के बेरे पर अभी पम्प लगा हुआ है, जिसके द्वारा ग्राम वासियों को जल वितरित किया जा रहा है।

(2) क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम सोलंकियां-तला में साबूसिंह की ढाणी में स्थित टांके में वर्षा का संग्रहित जल कुछ माहों तक उपलब्ध रहता है व ढाणियों के निवासी टांके का पानी समाप्त होने पर लगभग 12 किलोमीटर की दूरी से पानी प्राप्त करते हैं। साबूसिंह के बेरे का पानी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पीने योग्य नहीं है, अतः बेरे पर पम्प लगाकर चालू करने का वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दूदू की पेयजल व्यवस्था

663. श्री बाबूलाल (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं, कितने गांव व ढाणियां ऐसी हैं जहां पर एक भी हैण्डपम्प नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन हैण्डपम्प्स में से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने खराब हैं ? कितनों में पानी उपलब्ध नहीं है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के 100 की जनसंख्या वाले ऐसे कितने ग्राम हैं जहां स्वच्छ परियोजना के अन्तर्गत सरकार हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ग्रामीण इलाकों में सरकार सार्वजनिक कुओं तथा निजी कुओं को गहरे करवाकर तथा अधूरे पड़े कुओं को गहरे करवाकर पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधान सभा क्षेत्र में कुल 829 हैण्डपम्प स्थापित हैं। क्षेत्र में 6 ढाणियां अर्थात् मालियों की ढाणी (ग्राम साखून), रेवाडियों की ढाणी (ग्राम सांवरदा) बंजारों की ढाणी (ग्राम जडावता), जाटों की ढाणी (ग्राम मीरामपुरा) एवं बागरियों की ढाणी (ग्राम गंगातीकलां) ऐसी हैं जहां अभी हैण्डपम्प स्थापित नहीं है।

(2) वर्तमान में प्रगतिरत हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अन्तर्गत अभी तक 285 हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण किया गया है इनमें से 120 हैण्डपम्प खराब पाये गये हैं एवं 13 सूखे है। खराब एवं सूखे हैण्डपम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) इस क्षेत्र में "स्वच्छ" परियोजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के अन्तर्गत किसी भी ग्राम में हैण्डपम्प लगाया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उक्त परियोजना, इस क्षेत्र में लागू नहीं है।

(4) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध होने पर तथा तकनीकी रूप से उचित होने पर सभी सम्भावित स्रोतों का उपयोग किये जाने की नीति है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास की पेयजल योजना

664. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पुनेता, गादोता, देवता, हरसोती, अलुदा, मालद काला, सुन्दरपुर, वड, फुलवाड़ा, जीवदगी झोपड़ी, बिनजारी, रामसिंह, सुन्दरी भंवर में पीने के पानी की भारी किल्लत है ? यदि हां, तो सरकार इन ग्रामों को किस योजना के अन्तर्गत पीने का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है तथा कब तक ?

(2) ए. ईएन., वाटर वर्क्स, पीपलाई को वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि दी गई है और किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित ग्रामों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कुल 56 हैण्डपम्पों की आवश्यकता के विरुद्ध कुल 57 हैण्ड-पम्प स्थापित है। परन्तु ग्राम अलूदा, गांलवकला एवं सुन्दरपुरा में 50 प्रतिशत हैण्डपम्प ही कार्यरत होने के कारण वर्तमान में समस्या है। इन ग्रामों में और हैण्डपम्प धन उपलब्धता के अनुसार ही लगाये जा सकेंगे।

(2) उपखण्ड पीपलाई को उल्लेखित तीन वर्षों में आवंटित एवं योजनावार व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। विभाग द्वारा योजनावार धनराशि आवंटित नहीं की गई।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 665

(स्थगित)

प्रदेश की पेयजल योजना

666. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि हैण्ड-पम्पों की स्कीम लगभग फैल हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए कोई स्थाई समाधान निकाल रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना पर

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आधारित राज्य के कुल 37889 आबाद ग्रामों में से 36394 ग्रामों को दिसम्बर, 1993 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है। शेष ग्रामों में से चालू वर्ष के अन्त तक 2195 ग्रामों (1230 आंशिक से पूर्ण सहित), 2000 अनु. जाति जनजाति की बस्तियों व 500 ढाणी मजरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपातकालीन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 608 हैण्डपम्प तथा 59 नलकूप बनाने का कार्य प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त ग्रामों की संवर्धन पेयजल योजनाओं के कार्य भी प्रगति पर है। राज्य के सभी 222 शहर पूर्व में ही पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। परन्तु जनसंख्या वृद्धि एवं पेयजल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से 52 शहरों में संवर्धन योजनाओं पर कार्य चल रहा है। साथ ही आगामी ग्रीष्म काल हेतु आपातकालीन प्रस्तावों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों को 2089 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तथा 655 लाख रु. शहरी क्षेत्रों के लिए आवंटित किये गए हैं। इस राशि से विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी सम्बन्धित विधायकों के परामर्श से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लेंगे। पहली बार प्राथमिकताएं राज्य स्तर पर निर्णित करने के बजाय जिला स्तर पर तय की जायेगी।

(2) जी नहीं। राज्य में स्थापित लगभग 1,20,000 से अधिक हैण्डपम्पों से जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। निरन्तर गिरते हुए जल स्तर से कई स्थानों पर हैण्डपम्प असफल हो जाते हैं फिर भी हैण्डपम्प का इस समस्या के निराकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जनता जल योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न गांवों में मौजूदा कुओं में यदि सार्वजनिक पेयजल की व्यवस्था पंचायत अथवा कोई स्वयंसेवी संस्था करती है तो इसके बिजली के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा। मोटर के रख रखाव की भी व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी। यदि कुए का बोरिंग करवाना हुआ तो वह भी विभाग करेगा। इन योजनाओं को उक्त संस्थाओं द्वारा चलाना होगा।

इसके अतिरिक्त अभी तक विभाग मुख्य रूप से भूजल का दोहन कर रहा था परन्तु अब यह प्रयत्न किया जावेगा कि अधिक से अधिक योजनाएं सतही पानी पर आधारित हो। जोधपुर, बीसलपुर व चूरू की जर्मन सरकार की योजनाएं इसका उदाहरण है। नागौर जिले का भी आई. जी. एन. पी. से पानी लाने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है।

ग्राम जसौता (दौसा) की पेयजल व्यवस्था

667. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा जिला दौसा के ग्राम पंचायत जसौता में विभाग द्वारा पानी की मेन लाइन गांव

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में डाल दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा घरों में कनेक्शन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार उक्त निवासियों से कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसौता में छात्रों को पीने के पानी के लिए एक-एक सार्वजनिक नल का कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार गांव की जनसंख्या को देखते हुए मौहल्लेवार सार्वजनिक नल लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संदर्भित ग्राम में सार्वजनिक नलों के लगाने हेतु वर्ष 1993-94 में पाइप लाइनें डाली गई हैं।

(2) जी हां। क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में घरों में कनेक्शन दिये जाने हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(3) जी नहीं। उपरोक्त (2) पर वर्णित कारणों से घरों में कनेक्शन दिये जाने का विचार वर्तमान में नहीं हैं।

(4) ग्राम जसौता के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास एक सार्वजनिक नल लगाने का प्रावधान रखा गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के विभागीय पाईप लाईन के दूर होने के कारण सार्वजनिक नल लगाया जाना सम्भव नहीं है। प्राथमिक विद्यालय के पास मार्च 94 में एक सार्वजनिक नल लगा दिया जावेगा।

(5) जी हां। ग्राम की वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए विभागीय मापदण्डों के आधार पर ग्राम में कुल सात सार्वजनिक नल लगाना प्रस्तावित है।

बीसलपुर परियोजना के एक्सक्लेशन

668. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर परियोजना में कार्यरत मैसर्स इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी, बम्बई, मैसर्स कोयना रोकला पाइप्स लि. कम्पनी सतारा एवं मैसर्स फैरो कन्करीट कम्पनी, इन्दौर को परियोजना शुरू होने से आज तक कितने-कितने रुपये के प्राइस एक्सक्लेशन का भुगतान किया गया ?

(2) क्या उपरोक्त प्राइस एक्सक्लेशन का भुगतान एग्रीमेन्ट में निर्धारित फार्मूले के अनुसार किया गया है ?

(3) भुगतान निर्धारित फार्मूले के अनुसार नहीं किया गया तो फार्मूले में किस अधिकारी द्वारा परिवर्तन किया गया? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर पेयजल परियोजना में

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्यरत तीन फर्मों को निम्नानुसार प्राइस एक्सक्लेशन का कुल भुगतान किया गया है :–

(क) मैसर्स इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी को 6656896.00 रुपये ।

(ख) मैसर्स कोयना रोला पाइप कम्पनी लि. को 9493353.00 रुपये ।

(ग) मैसर्स फैरोकंक्रीट कस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) इण्दौर को 1800368.86 रुपये ।

(2) जी हां ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की जल प्रदाय योजनायें

669. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार ऐसे गांव जो जलप्रदाय योजनाओं से जुड़े हुए हैं परन्तु जल संकट है, वहां स्थानीय स्रोतों को शुरू कर के पेयजल संकट को दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सारणों की ढाणी (रतकुड़िया) सरगिया खुर्द, ब्राह्मणों की ढाणी (मलार) खेडी सालवा, खेडी चारबा, रामडावास खुर्द, रामडावास कला, कूड़, खोखरिया, सियारा, जाटियावास, बांकलिया, झाक, भागासनी, बीजवाडिया में पेयजल संकट को देखते हुए स्थानीय पेयजल स्रोतों को कब तक शुरू करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

स्थानीय स्रोतों के उपखण्ड पेयजल निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने के कारण ही ऐसे समस्याग्रस्त ग्रामों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जोड़ा गया है, परन्तु जिन ग्रामों में इन योजनाओं से पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है उनमें वैकल्पिक स्रोतों के लिए सीमित धन संसाधनों के परिपेक्ष्य में तात्कालिक समाधान से स्थानीय स्रोतों से जल उपलब्ध कराये जाने की नीति है। सारणों की ढाणी में स्थानीय स्रोत को चालू करने का कार्य प्रगति पर है। सरगिया खुर्द, ब्राह्मणों की ढाणी, सियारा, जाटियावास एवं बिजवाडिया के स्थानीय स्रोतों को चालू कर पेयजल आपूर्ति के प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम झाक एवं बांकलिया में पेयजल समस्या नहीं है। शेष ग्रामों व ढाणियों में ग्रामवासियों द्वारा स्थानीय स्रोतों को चालू कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

जल प्रदाय हेतु कास्ट आइरन या गेलेवेनाइज्ड स्टील पाईप का उपयोग

670. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आम तौर पर जल प्रदाय हेतु कास्ट आइरन या गेलेवेनाइज्ड स्टील के पाइप ही काम में लिये जाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पीने का पानी लाने हेतु रणसी गांव से जोधपुर तक

(श्री माधवसिंह दीवान)

विशेष प्रकार की माइल्ड स्टील की पाइप लाइनें लगाई गई हैं ? यदि हां तो कितनी लम्बाई में एवं कितने डाइमीटर की पाइप लाइन लगी हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि पानी खराब न होने के लिए माइल्ड स्टील की पाइप के अन्दर व बाहर कोई पेन्ट या कोटिंग की जाती है ? यदि हां, तो क्या विधि अपनाई गई व उस पर कितना खर्च आया ? यदि दोनों में से कोई विधि नहीं अपनाई गई तो क्या पूरी पाइप लाइन ही कुछ समय बाद खराब नहीं हो जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे दुरुस्त कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। रणसी ग्राम से जोधपुर तक लगभग 77 किलोमीटर लम्बी, 500 मिली-मीटर व्यास की माइल्ड स्टील की पाइप लाइन लगायी गयी है।

(3) जी नहीं, माईल्ड स्टील पाईप लाइन को जंग लगने से बचाने की दृष्टि से पाइप की भीतरी एवं बाहरी सतह पर विशेष प्रकार का पेन्ट किया गया है। उपरोक्त लाइन की सम्पूर्ण लम्बाई में भीतरी सतह पर तथा कुछ लम्बाई में जो जमीन के नीचे डाली जानी थी वहां बाहरी सतह पर पेन्ट कराया गया है। उक्त कार्य पर लगभग 84 लाख रुपये की राशि व्यय हुई। पाइप लाइन खराब न हो इसी हेतु पेंटिंग का कार्य कराया गया था।

सिविल लाइन्स जयपुर की विभिन्न कालोनीज में रोड लाइट्स

671. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सिविल लाइन्स स्थित हरि मार्ग से रूपनगर एवं तारानगर, अजमेर रोड को जोड़ने वाली सड़क पर रोड लाइट्स नहीं लगी हुई हैं ? यदि हां, तो अब कब तक इन पर प्रकाश व्यवस्था कर दी जावेगी।

(2) क्या यह सही है कि हरि मार्ग से रूप नगर एवं तारा नगर को जाने वाली सड़क पर उच्च अधिकारियों के निजी आवासों तक ही मर्करी, सोडियम लाइटें लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस मार्ग के अन्य स्थानों पर भी मर्करी लाइटें लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। कुछ क्षेत्र में रोड़ लाइट्स काफी समय से ही लगी हुई है। यह मार्ग कॉ-आपरेटिव सोइसाटी की कोलोनियों के अन्तर्गत आता है तथा विकास शुल्क एवं पेरा फेरी शुल्क जमा कराने पर ही शेष स्थानों पर विकास कार्य कराना सम्भव होगा।

(2) यह सही है, किन्तु लाइटें राज भवन के कारण आस पास के क्षेत्र में लगाई गई हैं।

(3) यह मार्ग कॉ-आपरेटिव सोसा-

(नकरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

इटी के अन्तर्गत आता है। विकास शुल्क जमा होने के बाद लाइटें लगाने पर विचार किया जावेगा।

नगर विकास न्यास, अजमेर की विचाराधीन योजनायें

672. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा गत तीन वर्षों में कौन-कौन सी योजनाएं हाथ में ली गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाएं किस-किस तिथि से प्रारम्भ होनी थी तथा कब-कब पूरी होनी थी तथा ये योजनाएं किस-किस तिथि को प्रारम्भ हुई और कब-कब पूर्ण हुई।

(3) उपरोक्त प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या थी और वास्तव में उन्हें पूरी करने में कितनी राशि व्यय हुई? यदि अनुमानित राशि से अधिक व्यय हुई है, तो उसके कारण क्या रहे ?

(4) क्या नगर विकास न्यास, अजमेर की वर्तमान में कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी हैं तथा वे किस-किस तिथि को प्रारम्भ हुई तथा योजनानुसार वे किस-किस तिथि को पूरी होनी है और यदि इनके पूरा होने में विलम्ब हो रहा है तो उसके क्या कारण रहे हैं ?

(5) इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या थी और वास्तविक लागत कितनी राशि की अनुमानित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर गत तीन वर्षों में ट्रान्सपोर्ट नगर द्वितीय योजना राज्य सरकार द्वारा धारा 32(1) के तहत दिनांक 7.4.93 को अधिसूचित हुई है। तदनुसार हाथ में ली गई है तथा धारा 33 की कार्यवाही जारी है। नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा प्रारम्भ की गई योजना की सूचना से वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट सं. 1 पर उपलब्ध है।

(2) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा प्रारम्भ की गई योजनाओं की अनुमानित लागत एवं इन पर दिनांक 31.12.93 तक किये गये वास्तविक व्यय की सूचना का विवरण योजनावार परिशिष्ट संख्या-2 संलग्न हैं। वर्तमान में उक्त योजनाओं की क्रियान्विति जारी है तथा संलग्न परिशिष्ट सं. 2 के अनुसार अजय नगर योजना के अतिरिक्त अन्य किसी योजना में अनुमानित लागत से अधिक व्यय नहीं हुआ है जहां तक अजय नगर योजना का प्रश्न है इसमें अनुमानित लागत से जो अधिक व्यय हुआ है उसका एक मात्र कारण मूल्य वृद्धि है।

(3) न्यास द्वारा हाथ में ली गई समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें बचे हुये एवं रख-रखाव के कार्य समय-समय पर क्रियान्विति किये जाते रहते हैं लेकिन विशेष तौर पर न्यास की तीन नवीन योजनाओं जैसे हरिभाऊ

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

उपाध्याय नगर विस्तार योजना, आना-सागर सरक्यूलर रोड योजना का भाग एवं पंचशील नगर योजना वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही है। इनके विकास कार्य प्रगति पर हैं योजनाओं के प्रारम्भ होने व अन्य विवरण संलग्न परिशिष्ट संख्या–1 पर संलग्न हैं।

(4) इन योजनाओं के विलम्ब के कारणों का विवरण संलग्न परिशिष्ट–3 में प्रत्येक योजना के समक्ष अंकित है। न्यास की कमजोर वित्तीय स्थिति व साधनों के अभाव में भी कतिपय योजनाओं में विलम्ब का कारण रहा है।

(5) योजनाओं की प्रारम्भिक अनुमानित लागत का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 में योजनाओं के समक्ष अंकित है। जहां तक वास्तविक अनुमानित लागत होने का प्रश्न है उसका वर्तमान में अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि विकास कार्यों का अलग-अलग समय पर उपलब्ध साधनों के आधार पर बजट प्रावधानों के अनुरूप कराया जाता है। वर्तमान में न्यास की वित्तीय स्थिति सुदृढ नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर रोड़ जयपुर की बस्तियों में विद्युत व्यवस्था

673. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोविन्द नगर, डी. सी. एम, हीरानगर, अजमेर रोड़, जयपुर में सड़क, नाली, विद्युत् की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो किस वर्ष में कितनी राशि? कौन-कौन सा कार्य किस-किस कॉलोनी में कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. के पास हीरा नगर से वाया गोविन्द नगर वैशाली नगर तक सड़क तथा कॉलोनी का विद्युत् संबंधी कार्य किया गया है? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण गोविन्द नगर में सड़कों का निर्माण हो गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक उक्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992-93 में सिर्फ एक सड़क एवं नाली हीरा नगर से महादेव नगर की स्वीकृत हुई थी जिसकी लागत 3.63 लाख है और कार्य पूर्ण हो चुका है। डी.सी.एम. कोई स्वीकृत कॉलोनी नहीं है। डी.सी. एम. एक क्षेत्र का नाम है जो इस रोड़ पर नहीं है। विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी नहीं, सड़क कार्य हीरा नगर से महादेव नगर तक ही हुआ है जो वाया गोविन्द नगर होती हुई बनाई गई है। विद्युत सम्बंन्धित कार्य नहीं किया गया गोविन्द नगर कच्ची बस्ती है एवं सड़कों का कार्य नहीं हुआ गोविन्द नगर अनुमोदित बस्ती नहीं है। अतः कार्य सम्भव नहीं है।

कागज क्रय हेतु निर्धारित मानदण्ड

674. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) एवं **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के विभिन्न विभागों में उपयोग के लिये वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 में विभिन्न कम्पनी/उद्योग का कितने-कितने रुपयों का कागज खरीद किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा कागज खरीद करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार कागज खरीद की निम्न प्रक्रिया निर्धारित है :–

1– खुली निविदाओं के माध्यम से।

2– डी.जी.एस. एण्ड डी. के माध्यम से।

तथा राज्य सरकार की स्वीकृति से भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से, कागज क्रय किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

पुलिस थाना नैनवा में दर्ज प्रकरण संख्या 47/92

675. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना नैनवा में दर्ज मुकदमा संख्या 47 सन् 1992 का अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है? यदि हां, तो अब चालान कब तक पेश कर दिया जावेगा? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमे का चालान न्यायालय में पेश करने में हो रहे विलम्ब के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है तथा चालान शीघ्र पेश करवाने के लिए क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभियोग संख्या 47/92 थाना नैनवा में अन्वेषण जारी है जो पूर्ण होने पर ही नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति साथ संलग्न (परिशिष्ट "अ") है।

(2) उक्त अभियोग के अन्वेषण में वांछित मूल दस्तावेजात न्यायालय ए.सी.जे.एम. नैनवा के समक्ष विचाराधीन अन्य सिविल विवाद में परिवादी द्वारा पेश किये हुए थे, अब उक्त दस्तावेज अभियोग के अन्वेषण हेतु दिनांक 2.2.94 को न्यायालय से प्राप्त हुए हैं, जिन पर अन्वेषण जारी है विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

पुलिस थाना धौलपुर में दर्ज प्रकरण

676. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 27.5.1993 को पुलिस थाना सदर धौलपुर में मैसी फार्ग्यूसन ट्रेक्टर चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में मुस्तैदी से कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार शिथिलता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 27.5.93 को श्री बृज मोहन पुत्र श्री नन्दलाल ब्राह्मण निवासी ओडेला ने थाना सदर धौलपुर पर अपने ट्रेक्टर मैसी फरग्यूसन आर.एन.टी. 1960 को चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ड्राइवर को बांध कर जबरदस्ती ले जाने की रिपोर्ट दी जिस पर मुकदमा नं. 80/93 अन्तर्गत धारा 382 भा.द.स. दि. 27.5 93 को दर्ज किया जाकर तफतीश व तलाश माल मुलजिमान की गई व अदम पतारसी रहने पर नतीजा अंतिम प्रतिवेदन अदम पता माल मुलजिमान में दि. 31.10.93 को दिया गया। तलाश माल मुलजिमान अब भी जारी है।

(2) यह सही नहीं है अपितु पुलिस ने मुस्तैदी से कार्यवाही कर माल व मुलजिमान की तलाश हेतु नाकाबन्दी की व तत्परता से तलाश की। दीगर मुकदमात के साथ अब भी तलाश जारी है।

तहसील मावली (उदयपुर) के थाना भवन का निर्माण

677. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मावली तहसील जिला उदयपुर में कितने थाने हैं व इन थानों की इमारतें कितनी पुरानी है ?

(2) क्या सरकार का इन जीर्ण-शीर्ण इमारतों को नये ढंग से सुधार कर बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) मावली तहसील जिला उदयपुर में कुल तीन थाने मावली, डबोक व फतेहनगर स्थित हैं। इन थानों की इमारतें सन् 1947 से पूर्व की रियासतों के समय की हैं।

(2) जी हां। महानिदेशक पुलिस से नवीन भवनों के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें इन तीन थानों के भवन भी सम्मिलित किये गए हैं। राशि की उपलब्धता के अनुसार इन पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जावेगा।

जिला बारां के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

678. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(1) बारां जिले में ऐसे कितने पुलिसकर्मी है जिन पर फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं ? वह किस-किस थाने में कार्यरत हैं, सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं ? विभाग द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बारां जिले में 9 पुलिसकर्मियों पर फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं । इनमें से दो पुलिसकर्मी थानों में तैनात हैं, सूची (परिशिष्ट "अ") संलग्न है ।

(2) जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे लम्बित हैं उनमें से 6 के विरुद्ध राजस्थान असैनिक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 195 के नियम 16 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन हैं । एक पुलिसकर्मी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाकर दण्डित किया जा चुका है । दो पुलिसकर्मियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्णय तक विभागीय कार्यवाही स्थगित रखी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें ।)

पुलिस कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति

679. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में पुलिसकर्मी अथवा अधिकारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को सेवा में नियुक्ति देने सम्बन्धी कितने प्रकरण लम्बित हैं ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में कार्यरत पुलिसकर्मी श्री रोशन लाल भाट की मृत्यु सेवाकाल में हो गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त मृतक पुलिस कर्मी की विधवा श्रीमती मोहनी ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया है ?

(3) श्रीमती मोहनी देवी ने आवेदन कब किया और अब तक उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी ? अब आश्रित को कब तक नियुक्ति मिल जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में पुलिस विभाग के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में कुल 454 मामले विचाराधीन है ।

(2) जी हां । श्री रोशनलाल भाट की मृत्यु सेवाकाल में हुई थी और उसकी पत्नि ने नियुक्ति हेतु आवेदन किया है ।

(3) श्रीमती मोहिनी देवी बेवा स्वर्गीय श्री रोशनलाल का प्रकरण (आवेदन) अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के माध्यम से दिनांक 5.5.93 को पुलिस मुख्यालय पर प्राप्त हुआ था । प्रकरण में कमी पायी जाने पर पूर्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पुलिस मुख्यालय के पत्र सं न-5(11) पु.फो./कानि/91 दिनांक 29.5.93 द्वारा भेजा गया था । पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने उनके पत्र क्रमांक 5427–28 दिनांक 5.7.93 द्वारा पूर्ति कर पुलिस मुख्यालय

(गृह मन्त्री)

पर भेजा। परन्तु प्रकरण में पी.आर.डी. फार्म (पुलिस विभाग के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रपत्र) नहीं होने से पुनः पूर्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पुलिस मुख्यालय से दिनांक 24.2.94 को भेजा। पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने पी. आर.डी. फार्म की पूर्ति कर जरिये पत्र क्रमांक 2614 दिनांक 9.3.94 के पुलिस मुख्यालय में भेजा। पुलिस मुख्यालय में दिनांक 15.3.94 को उक्त फार्म प्राप्त हुआ। पुलिस मुख्यालय ने अपने पत्र क्रमांक प-5(3)पु.फो./का.नि./93 दि. 16.3.94 द्वारा प्रकरण कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय को मृतक कर्मचारियों के आश्रिता (पत्नि) श्रीमती मोहनी देवी को च.श्रे.क. के पद पर नियमानुसार नियुक्ति दिलवाने के लिए प्रकरण प्रेषित किया है। कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा निर्णय लिये जाने पर शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा की जावेगी।

पुलिस विभाग में कम्प्यूटरीकरण

680. श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस विभाग में कम्प्यूटर कब व किस उद्देश्य से कितनी संख्या में कहां कहां लगाये गये हैं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्प्यूटर पर किस-किस स्तर के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कम्प्यूटर की खरीद और रख-रखाव पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई ?

(4) अब तक कम्प्यूटर से कितने अपराध पकड़े गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस विभाग में कम्प्यूटर लगाये जाने का उद्देश्य एवं लगाये गये कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित कर संलग्न है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(4) कम्प्यूटर द्वारा अब तक 8594 प्रकरणों में सुझाव दिये गये हैं। किन्तु केवल जयपुर शहर के 4 अपराधों में कामयाबी प्राप्त हुई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आयुर्वेद विभाग उदयपुर का लापता श्रमिक

681. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जन अभियोग निराकरण विभाग की पत्रावली संख्या 2/110 आर.पी.जी./ प.ब. पी.एम./बी./89 द्वारा केशु लाल,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

श्रमिक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान के लापता होने के मामले में की जा रही जांच में जांच कब-कब और किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ? जांच के अब तक क्या तथ्य प्राप्त हुए, उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) रंग निवास चौकी थाना सूरजपोल उदयपुर (जिला उदयपुर) के एक हैड कांस्टेबिल द्वारा भी श्री केशुलाल, श्रमिक आयुर्वेद विभाग राजस्थान के लापता होने की जांच की गई उसमें क्या तथ्य खोजे, उन पर क्या कार्यवाही की गई ? इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 16681 दि. 23.8.1985 द्वारा एक जांच प्रतिवेदन डी.आई.जी. (सी.आई.डी.) सी.बी. एवं रेल्वेज, राजस्थान जयपुर को भी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इतने लम्बे समय बाद श्री केशुलाल श्रमिक को मरा हुआ घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जन अभियोग निराकरण विभाग के पत्रांक 2/110/जअनि/प्र.मं./प.ब./बी./89 283 दि. 9.1.90 के कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सतर्कता जयपुर में प्राप्त होने पर श्री केशूलाल श्रमिक के लापता होने की जांच के निर्देश पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर एवं कोटा को दिये गये । पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने केशूलाल के लापता होने की जांच वृताधिकारी वृत गिर्वा उदयपुर से तथा पुलिस अधीक्षक, कोटा ने इसकी जांच विशेष अनुसंधान दल कोटा द्वारा करवाई । जांच के तथ्य एवं की गई कार्यवाही बाबत रिपोर्ट (परिशिष्ट "क") संलग्न है ।

(2) जी नहीं । इस प्रकरण की जांच रंग निवास चौकी, थाना सूरजपोल, उदयपुर के मुख्य आरक्षी द्वारा करवायी जाना सही नहीं है । पुलिस अधीक्षक, उदयपुर का इस सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 16681 दिनांक 23.8.85 कार्यालय सतर्कता राज. जयपुर में प्राप्त होना भी नहीं पाया गया है ।

(3) राज्य सेवा में नियुक्त कर्मचारी को मृत घोषित करने का सम्बन्ध आयुर्वेद विभाग से है ।

(जांच रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें ।)

चारागाह भूमि की शास्ती राशि का हस्तान्तरण

682. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चारागाह पैनेल्टी की राशि तहसील द्वारा वसूल की जाकर पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जाती है एवं पंचायत समितियां इन्हें ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करती है ?

(2) जयपुर जिले में वर्ष 1985–86 से अब तक कौनसी ग्राम पंचायत क्षेत्र से

(श्री गोपीराम जाट)

कितनी-कितनी राशि (पैनेल्टी) वसूली की गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या वसूली गई पैनेल्टी राशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करदी गई है ? यदि हां, तो वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें । यदि हस्तान्तरित नहीं की गई है, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि चारागाह भूमि का अन्य विभागों को आवंटन करने पर प्रीमियम की राशि का भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को किया जाता है ? यदि हां, तो अब तक जयपुर जिले में वर्ष 1990–91 से अब तक कितनी-कितनी राशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की गई ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि चारागाह पैनेल्टी की राशि तहसील द्वारा वसूल की जाकर सम्बन्धित पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित होती है ।

(2) जयपुर जिले में वर्ष 1985-86 से अब तक ग्राम पंचायत क्षेत्र से वसूल की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(3) जी हां । वसूली गई पैनेल्टी राशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जाती रही है जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न प्रस्तुत है ।

(4) जी नहीं । चारागाह भूमि का अन्य विभागों को आवंटन करने पर प्रीमियम की राशि राज्य सरकार को देय होती है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

बगरू (जयपुर) में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

683. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार सांगानेर तहसील के तहत बगरू को उप तहसील बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विती करने में कितना समय लगेगा एवं इस उप तहसील के कार्य क्षेत्र में कौन-कौन से गांव आयेंगे ?

उत्तर

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

तहसील खैरवाड़ा (उदयपुर) को भूमि का प्रकरण

684. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम विरोटी और डेयावाड़ा में लक्ष्मीनारायण मन्दिर के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि जागीरदार

(श्री दयाराम परमार)

पहाड़ा के वक्त यह फैसला हुआ था कि उक्त गांवों की भूमि काश्तकारों के नाम दर्ज कर दी जाय, जिसका फैसला आज भी उपलब्ध है ? यदि हां, तो फिर वक्त सेटलमेंट उन काश्तकारों को खातेदारी हक क्यों नहीं दिये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों की भूमि 1958 में मन्दिर के नाम से हटकर काश्तकारों के नाम पर दर्ज हो गई और सन् 1981 में पुनः मन्दिर के नाम पर दर्ज हो गई ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि सेटलमेंट विभाग ने काश्तकारों की सुनवाई किये बिना एक तरफा नियम विरुद्ध फैसला कर दिया?

(5) क्या यह भी सही है कि लक्ष्मीनारायणजी का मन्दिर देवस्थान विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और इसलिये मन्दिर की भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी जो नियम है वह उक्त मन्दिर पर लागू नहीं होते हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के काश्तकारों को सहकाश्तकार का अधिकार था वह भी समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या सरकार उक्त गांवों के काश्तकारों को खातेदारी हक दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्वत् 2011 से इन गांवों में लक्ष्मीनारायण जी स्थान बरोटी भोक्ता दर्ज है।

(2) जागीरदार पहाड़ा के वक्त का फैसला उपलब्ध नहीं हो पाया है।

(3) जी हां। इस गांव की जमाबंदी स. 2035 से 2038 में काश्तकारों के नाम दर्ज है और यह भी सही है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28.7.81 की अनुपालना में यह भूमि वापस मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायणजी के नाम दर्ज की गई। उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर ने भी 29.7.83 को यह भूमि मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम खाते करने की डिक्री जारी की है।

(4) जी नहीं। सैटलमेंट विभाग ने भूमि को मन्दिर के नाम राज्य सरकार के आदेशों की पालना में अंकित किया है।

(5) मन्दिर देवस्थान विभाग के अधिकार में हो अथवा नहीं, मन्दिर की भूमि को मन्दिर की खातेदारी में दर्ज किया जाता है।

(6) राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के निर्देश क्रमांक प. 2 (4) राज/4/90/37 दिनांक 13.12.91 के अनुसार यदि खातेदारी मन्दिर की है तो उस खातेदारी के कालम में अन्य किसी भी व्यक्ति को भोक्ता या पुजारी के रूप में खाते में अंकित नहीं किया जा सकता है। खातेदारी केवल मूर्ति के नाम रहती है। अतः सही-काश्तकारों को दर्ज करने का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकरण का परीक्षण किया जायेगा कि कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप सं. 2011 में दर्ज कृषकों को किस सीमा तक राहत

(राजस्व मंत्री)

दी जा सकती है। पूरे प्रकरण का परीक्षण करने के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा।

भूमि अवाप्ति प्रकरण

685. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1977-80 में लैण्ड सीलिंग एक्ट, 1973 के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि सीलिंग के मामलों में तहसीलदार, एस.डी.ओ. आदि के स्तर पर सही तहकीकात नहीं हो पाई है, अतः उनमें लिए गये निर्णय सही नहीं है इसलिए सरकार को उन मामलों को री-ओपन करने का अधिकार है और ऐसे मामलों को री-ओपन करने के अधिकार राजस्व मंत्री को दिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग के कई मामलों को उक्त अवधि के दौरान री-ओपन किया गया था और परिणामस्वरूप सम्बन्धित पार्टियों द्वारा री-ओपन करने के निर्णयों के विरुद्ध रेवेन्यू एपीलेट आथोरिटी और रेवेन्यू बोर्ड में अपीलें दायर की गई थी और ऐसी अपीलों में कई निर्णय भी किये गए थे ?

(3) क्या यह सही है कि 1991 के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो मामले 1973 से री-ओपन किये गये हैं उन्हें बन्द कर दिया जाय तथा जिलाधीश द्वारा पूर्व में लिये गए निर्णयों को कायम रखा जाये ?

(4) क्या यह सही है कि विधि विभाग ने राजस्व मंत्री द्वारा री-ओपन किये गये केसेज को बन्द करने के आदेश को कानून की दृष्टि से अवैध करार दिया तथा विधि विभाग की इस राय के अनुसरण में राजस्व सचिव ने जिला कलक्टरों को री-ओपन के मामलों में पुनः जांच कर निर्णय लेने का आदेश दिया था ?

(5) वर्तमान में री-ओपन किये गए केसेज के मामलों की स्थिति क्या है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) अस्पष्ट है (Vague) अतः जवाब देना सम्भव नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) राज्य सरकार द्वारा एक बार री-ओपन किये गए मामलों में रिव्यू करके कार्यवाही समाप्त की जा सकती है अथवा नहीं ? इस बाबत विधि विभाग से राय ली गई थी। अतः राजस्व सचिव ने दिनांक 22.6.93 को आदेश पारित किये थे कि री-ओपन से सम्बन्धित सीलिंग कार्यवाही समाप्त किए जाने के तत्कालीन राजस्व मंत्री के आदेश जो विधि विभाग की राय की परिधि में आते हैं, की क्रियान्विति को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जावे एवं उक्त आदेश के अनुसरण में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जावे तथा यदि अमल में लाई गई है तो उसे निरस्त मानते हुए अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावे। इन मामलों में विधिवत सुनवाई कर निर्णय जारी करने की कार्यवाही अलग से चलाई जा रही है।

(54)

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरण

686. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार राज्य में चरागाह भूमि से नाजायज कब्जों को हटाने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश प्रसारित कर चुकी है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन आदेशों की पालना में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों द्वारा नाजायज कब्जे हटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो ग्राम भूखा, तहसील बौली, जिला सवाई माधोपुर में स्थित चरागाह भूमि पर बने पक्के मकान, कुएं एवं अन्य नाजायज कब्जों को अतिरिक्त तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति का कब्जा किस-किस तारीख को हटाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम भूखा की आम जनता तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं अत्याचार विरोधी सामाजिक संस्था द्वारा इन नाजायज कब्जों को हटाने बाबत सरकार को प्रार्थना पत्र दिये गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आदेश दिनांक 22.2.91 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । आदेश की पालना में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । ग्राम भूखा तह. बौली जिला सवाई माधोपुर में स्थित चारागाह भूमि पर खरीफ सम्वत 2050 में किये गये जिन नाजायज कब्जों को अतिरिक्त तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा बेदखली की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) ऐसा कोई प्रार्थना पत्र जानकारी में नहीं है । तथापि पटवारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही पीठासीन अधिकारी द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(आदेशों की प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें ।)

ग्राम ज्ञानगढ़ (भीलवाड़ा) की वन एवं राजस्व भूमि

687. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91 व 1991–92 के दौरान भीलवाड़ा जिले की माण्डल तहसील के ग्राम ज्ञानगढ़ की वन विभाग की भूमि को वन विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिल कर बिना अधिकार के राजस्व रेकार्ड में वन विभाग से हटाकर बिला नाम सरकारी भूमि गैर कानूनी दर्ज कर दिया ?

(2) क्या उक्त गैर कानूनी परिवर्तन के कारण राजस्व विभाग व वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत

(श्री कालूलाल गूजर)

सरकार को की गई ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त भूमि को पुनः वन विभाग से खारिज कर बिला नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है ? क्या सरकार को इसे वन क्षेत्र मुक्त करने की सिफारिश राजस्व और वन अधिकारियों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । ये तथ्य माह फरवरी, 1994 में ही राज्य सरकार के ध्यान में लाये गये हैं, जांच करवा कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(3) वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के एक भाग पर 63 काश्तकारों का पुराना कब्जा होने से इसके लिए वन विभाग से भूमि पुनः राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राजस्व वन भूमि के अतिक्रमण का नियमन

688. **श्री फूलचन्द** (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन जाति उप योजना क्षेत्र में राजस्व वन भूमि पर आदिवासियों के कब्जों का विवाद लम्बे समय से चल रहा है ?

(2) यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने आदिवासी काश्तकारों को भूमि का आवंटन खातेदारी अधिकार दिलवाया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें । शेष मामलों में कब तक कार्यवाही सरकार का किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) अभी तक किसी भूमिहीन आदिवासी काश्तकार को वन भूमि का आवंटन/खातेदारी अधिकार नहीं दिलाया गया है । जनजाति उप योजना क्षेत्र में भूमिहीन आदिवासियों द्वारा दिनांक 1.7.80 से पूर्व किये गये अतिक्रमणों के नियमन हेतु वन विभाग के द्वारा दिनांक 27.4.91 को परिपत्र जारी किया गया है । जिसके तहत तहसील स्तरीय समिति के द्वारा नियमन योग्य प्रकरणों की जांच पूरी करने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर नियमन सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी ।

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की काबिल काश्त भूमि

689. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ से ऐसी कितनी जमीन है जो काबिल काश्त है ? सूची पटवार सर्किल वार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि काबिल काश्त जमीन पर भूमिहीनों का कई वर्षों से कब्जा है ? यदि हां, तो कितने लोग का ? सूची

(श्री फतेहसिंह)

व्यक्ति वार व ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ में ऐसी कितनी जमीन है जो सिवाय चक है व कब्जे हैं? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार काबिल काश्त भूमि के कब्जे धारियों के नाम अभिलेख में दर्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ (जो सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र है) में 2167.77 एकड़ काबिल काश्त जमीन है। पटवार/सर्किलवार सूची सदन की मेज पर रख दी है। (परिशिष्ट–क)

(2) जी हां। 202 व्यक्तियों के अतिक्रमण हैं व्यक्तिवार व ग्रामवार सूची (परिशिष्ट–ख) सदन की मेज पर रखदी है।

(3) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 2615 एकड़ काबिल काश्त एवं अन्य राजकीय भूमि कब्जे में है। ग्रामवार सूची (परिशिष्ट–ग) सदन की मेज पर रखदी है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की परिधि में आने वाले अवैध कब्जों को ही नियमन करने का प्रावधान है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

इन्दिरा गांधी नहर की भूमि का आवंटन

690. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के द्वितीय चरण में सरकारी भूमि के आवंटन पर गंगानगर जिले के भूमिहीन किसानों पर आवंटन की रोक लगा दी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) वर्तमान में इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में कितना ऐसा कमान्ड व अनकमान्ड रकबा खाली पड़ा है जिसे भूमि आवंटन किया जाना है?

(3) विशेष आवंटन द्वारा भूमि नीलाम करने के पीछे राज्य सरकार की नीति क्या है? क्या इससे खेती का उत्पादन शीघ्र शुरू हो सकेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र के द्वितीय चरण में निर्मित/निर्माणाधीन खालों के 1056 चकों में माह जनवरी, 94 के अन्त में 47,023 हैक्टेयर कमाण्ड तथा 42,229 हैक्टेयर अनकमाण्ड, कुल 89,252 हैक्टेयर भूमि आवंटन से शेष है।

(3) विशेष आवंटन के पीछे सरकार की नीति इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के नियम 7(1) में आवंटन के लिए निर्धारित प्राथमिकता अनुसार विशेष विज्ञप्ति मूल्य

(उपनिवेशन मंत्री)

पर भूमि आवंटन की है। प्राथमिकता वाले आवंटी यदि उपलब्ध न हों तो राजस्थान के सदभावी नागरिकों को निश्चित कीमत पर भूमि उपलब्ध कराने की नीति है। भूमि आवंटन के पीछे जहां खेती का उत्पादन बढ़ाने का उद्देश्य है वहीं स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देना भी है।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की भूमि अवाप्ति हेतु समिति का गठन

691. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लिये भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध से जारी किये गये अवार्ड से वंचित सम्पत्तियों की पहचान करके परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु तत्कालीन जिला कलक्टर, बीकानेर ने एक समिति नियुक्त की थी? यदि हां, तो उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। समिति प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतिवेदन की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला अलवर की सवाय चक एवं कस्टोडियन भूमि

692. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर की विभिन्न तहसीलों में कहां-कहां पर सवाय चक एवं कस्टोडियन भूमि उपलब्ध है?

(2) क्या सरकार इस भूमि को नियमानुसार जरूरतमन्द लोगों को आवंटन करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) अलवर जिले की विभिन्न तहसीलों में जिन-जिन गांवों में सिवाय चक भूमि उपलब्ध है; उसकी सूची परिशिष्ट "क" एवं जहां-जहां कस्टोडियन भूमि उपलब्ध है उसकी सूची परिशिष्ट–"ख' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

तालाब एवं बांधों की पेटा काश्त भूमि का आवंटन

693. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

तालाब व बांधों के पेटा में आई हुई भूमि के आवंटन करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या आदेश/मानदण्ड जारी किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तालाब एवं बांधों के पेटा में आई हुई भूमि का आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (तालाब पेटा भूमि का काश्त प्रयोजनार्थ

(राजस्व मंत्री)

आवंटन) नियम, 1961 के अधीन 3 वर्ष के लिए गैर खातेदारी पर किये जाने का प्रावधान है। जिनका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 14-12-61 को किया गया है। भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 22-1-1987 की प्रति संलग्न है।

(परिपत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर व अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत पद

694. श्री गुलाबसिंह (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) 1 जनवरी, 1964 को जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर व अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, आमेर मुख्यावास-जयपुर/तहसील कार्यालय आमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या उसके समक्ष पद सुतर सवार/जलधारी इत्यादि के कितने स्वीकृत पद थे ? उक्त पदों पर कार्यरत (पदस्थापित/प्रतिनियुक्ति) कर्मचारियों की सूची उनके माह जनवरी, 1964 से अप्रेल, 1964 तक के चार माह के वेतन बिल व हस्ताक्षर पंजिकाओं की छाया प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 1964 से अप्रेल, 1964 तक के समय में जिला कलक्टर व उसके अधीनस्थ इन दोनों कार्यालयों में किन-किन कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न क्रम 2 में मृत कर्मचारियों में से किस-किस की विधवा/आश्रित को पेन्शन दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) च. श्रे. कर्मचारी एवं उनके समकक्ष स्वीकृत पदों की संख्या

1– जिला कलक्टर कार्यालय, जयपुर 18
2– उपखण्ड अधिकारी आमेर मुख्यावास, जयपुर 3
3– तहसील आमेर 37

उक्त पदों पर कार्यरत (पदस्थापित/प्रतिनियुक्ति) कर्मचारियों की सूची एवं उनके माह जनवरी, 1964 से अप्रेल 1964 तक के चार माह के वेतन बिल की सूचियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट "अ" व "ब") हस्ताक्षर पंजिकाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर माह जनवरी, 1964 से अप्रेल, 1964 तक किसी की मृत्यु होना नहीं पाया जाता है।

(3) उक्त अवधि में मृत्यु होना नहीं पाया जाता है। अतः विधवा/आश्रित को पेन्शन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

ग्राम सेवा सरकारी समिति लि., भानपुरा (जयपुर) में गबन घोटाले की जांच

695. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री गोपीराम जाट)

(1) क्या यह सही है कि जमवा रामगढ़ तहसील के अन्तर्गत, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. मानपुर कला में वर्ष 1981 में गबन हुआ था ? यदि हां, तो गबन किसके द्वारा किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस समिति द्वारा गबन एवं राशि के दुरुपयोग की जांच सहायक रजिस्ट्रार द्वारा कर निर्णय दिया गया था जिसमें श्री रामसहाय कांकरोलिया एवं नृसिंह प्रसाद तथा रघुनाथ प्रसाद को दोषी करार दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में अपीलान्ट आथोरिटी के यहां इनके विरुद्ध अपील की गई है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब एवं क्या हुआ ?

(4) क्या जिन व्यक्तियों ने गबन किया उनसे मूल एवं ब्याज राशि की वसूली की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि जमवा रामगढ़ तहसील के अन्तर्गत ग्रामसेवा सहकारी समिति लि., मानपुर कलां में वर्ष 1981 में गबन हुआ था । वस्तु स्थिति यह है कि वर्ष 1970 से 1977 की अवधि में इस समिति में गबन हुआ, जिसकी जानकारी सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर के निरीक्षण दिनांक 30-10-77 से हुई । निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार गबन श्री रामसहाय कांकरोलिया भूतपूर्व मंत्री, स. स. श्री नृसिंह प्रसाद, भूतपूर्व व्यवस्थापक एवं श्री रघुनाथ प्रसाद भूतपूर्व कोषाध्यक्ष द्वारा किया गया ।

(2) जी हां ।

(3) यह सही है कि उपरोक्त वर्णित दोषी व्यक्तियों में से श्री रामसहाय कांकरोलिया एवं श्री नृसिंहप्रसाद द्वारा अपीलान्ट आथोरिटी के यहां सहायक रजिस्ट्रार के निर्णय दिनांक 24-2-81 के विरुद्ध अपील की गई है, जो अभी विचाराधीन है ।

(4) जी नहीं । दोषी व्यक्तियों में से श्री रामसहाय कांकरोलिया के पक्ष में स्थगन आदेश होने के कारण वसूली नहीं हो सकी । श्री रघुनाथ प्रसाद के मामले में दिनांक 10-5-93 को कुर्की की जाकर, नीलामी की तिथि दिनांक 10-6-93 निश्चित की गई थी, किन्तु मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर में उसके विरुद्ध दायर एक वाद में दिनांक 5-6-93 को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिये जाने के कारण वसूली नहीं हो सकी है ।

जहां तक नृसिंह प्रसाद से वसूली का प्रश्न है, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के स्तर पर कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके लिये प्रबन्ध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक को जांच के पश्चात् दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा श्री नृसिंह प्रसाद से वसूली करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर एवं चूरू के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

696. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री किशनाराम नाई)

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू तथा जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंकों में माह सितम्बर, 1992 से आज तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? यदि-हां, तो किन-किन कर्मचारियों को कहां-कहां से कहां-कहां और कब-कब स्थानान्तरण किया गया ?

(2) उक्त स्थानान्तरणों में से किन-किन के कब-कब और कहां-कहां से स्थानान्तरण रद्द किये गये ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में सितम्बर, 92 से जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं का विवरण क्रमशः परि-1-अ व 1-ब में संलग्न है।

(2) जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण रद्द किये गये हैं का विवरण भी परि.-1-अ व 1-ब में दे दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सहकारी बैंकों का आडिट

697. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहकारी बैंकों के खातों में कुल "इमबैलेन्स" दिनांक 31-12-93 तक कितने करोड़ रुपयों का है ? जिलेवार/बैंक वार सूची सदन की मेज पर रखें। इसे कम करने हेतु, क्या उपाय किये गये हैं ?

(2) सहकारी बैंकों में आडिट रिपोर्ट व अन्य केसेज के आधार पर गबन/मिस अप्रोप्रियेशन कितने करोड़ रुपयों का है ? इसमें से कितना धन वसूल किया गया ? सूची सदन की मेज पर बैंकवार रखें।

(3) सहकारी बैंकों में आडिट आब्जेक्सन्स में कितनी धनराशि का इनवाल्वमेन्ट है तथा आडिट एतराजात के कितने मामले कितनी धनराशि के गत तीन वर्ष में दिनांक 31-12-93 तक निबटाये गये ? सूची बैंक वार/जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में दिनांक 31-3-93 को 39.65 करोड़ रुपये का इमबेलेन्स था। बैंक वार सूचना परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दी गई है। चूंकि बैंक का वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से 31 मार्च होता है अतः चाही गई सूचना 31 मार्च 93 की ही देना सम्भव हो सकी है। इसे कम करने हेतु राज्य सरकार ने अभी एक योजना स्वीकृत की है जिसके अन्तर्गत समितियों को सहायता दी जावेगी इसमें 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत शीर्ष बैंक द्वारा, 30 प्रतिशत सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वहन की जावेगी।

(2) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में आडिट रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1990–91 से 1992-93 तक कुल 22.36 लाख के गबन एवं मिस अप्रोप्रियेशन के मामले पाये गये हैं। बैंकवार सूचना परिशिष्ट "ख" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सहकारिता मंत्री)

इस प्रकार की राशि की वसूली की सूचना विभाग में अलग से संधारित नहीं की जाती।

(3) केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वर्ष 90–91 से 92–93 तक की आडिट रिपोर्ट के अनुसार 54.17 लाख रुपये की राशि के आडिट आक्षेप पाये गये हैं। बैंकवार सूचना परिशिष्ट "ग" में सदन की मेज पर रख दी गई है। आडिट आक्षेपों सम्बन्धी राशि की सूचना विभाग में संधारित नहीं की जाती।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर में रूपनगर सोसायटी द्वारा भू–खण्डों का आवंटन

698. श्री रामस्वरूप (टोड़ाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर स्थित रूपनगर सोसायटी किस गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा बनाई गई है ?

(2) उक्त सोसायटी द्वारा भू–खण्ड किस खसरा नम्बर की भूमि पर काटे गए हैं ? काटे गये प्रत्येक भू-खण्ड का नक्शा मय पट्टे व साइट प्लान की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में इस नाम से कोई गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत नहीं है।

(2) उपरोक्त कारण से उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

राजफैड ग्राउन्डनर प्रोसेसिंग प्लांट फतेह नगर के लेखों का आडिट

699. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजफैड ग्राउन्डनर प्रोसेसिंग प्लान्ट, फतेहनगर का तेल बाजार में प्रचलित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के प्रकरण वर्ष 1981 से 1990 तक प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

(2) क्या उक्त अवधि की ऑडिट रिपोर्ट्स में भी इस बाबत् ऑडिट आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981-82 से 1989-90 तक की आडिट रिपोर्ट्स में तेल बिक्री की दिनांक को प्रचलित भाव से कम में बेचने का 9200.00 रुपये का एक मामला वर्ष 1984-85 की आडिट रिपोर्ट से जानकारी में आया है। फलतः प्रकरण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74(1) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया किन्तु जांच के उपरान्त प्रकरण समाप्त कर दिया गया।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। इस बाबत् वर्ष 1984-85 की आडिट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। आडिट रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन महाप्रबन्धक ग्राउन्डनर प्रोसेसिंग प्लान्ट, फतेहनगर के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74(1) के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया किन्तु जांच के दौरान उन्हें दोषी नहीं पाये जाने पर मामला समाप्त किया गया। किसी को दोषी नहीं पाये जाने पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई।

राजकीय हरीबक्स कांवटिया अस्पताल, शास्त्रीनगर में उपभोक्ता संघ की दुकान :

700. **श्री बाबूलाल** (दूदू) एवं **श्री विश्वेन्द्र सिंह** (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजकीय हरीबक्स कावंटिया अस्पताल, शास्त्रीनगर जयपुर में ऐलोपैथिक औषधियों के लिए राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की कोई दुकान नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस औषधालय परिसर में दुकान प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। राजकीय हरीबक्स कांवटिया अस्पताल, शास्त्रीनगर, जयपुर में उपभोक्ता संघ द्वारा जे.डी.ए. (जयपुर विकास प्राधिकरण) की दुकान संख्या-10 दिनांक 7.12.93 को ले ली गई है। शीघ्र ही बिक्री केन्द्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही उपभोक्ता संघ द्वारा की जा रही है।

बैंक संचालक मण्डल के चुनाव में सदस्य समितियां द्वारा मतदान

701. **श्री नारायण सिंह** (दातारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बैंक सीकर व जयपुर में कुछ ऐसी समितियां भी बैंक की सदस्य हैं जिनका बैंक से कोई ऋण आदि का लेन देन नहीं होता है ?

(2) क्या यह सही है कि इन समितियों के बैंक संचालक मण्डल के चुनाव में भाग लेने के अलावा कोई औचित्य नहीं है ?

(3) क्या इनको संचालक मण्डल के चुनाव में भाग लेने से वंचित किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। (2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर में पंचायत समिति की स्थापना

702. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर में अलग से पंचायत समिति बनाना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

63

ग्राम पंचायत मेजा (भीलवाड़ा) द्वारा सार्वजनिक भूमि का आवंटन

703. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मेजा, तहसील माण्डल द्वारा रास्ते की भूमि का आवंटन श्री प्रतापसिंह पुत्र दुलेसिंह को आवंटन पत्र संख्या 19 दिनांक 27-12-89 को किया गया था ? यदि हां, तो पंचायत के निर्णय की प्रति, रास्ते के दोनों तरफ के अवरोधों के फोटो चित्र, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति माण्डल के उक्त रास्ते को खाली करवाने हेतु दर्ज अपील पर समिति द्वारा कराई जांच के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा में उपरोक्त रास्ते को खाली करवाने हेतु दर्ज निगरानी संख्या 323/91 पर किस स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें। नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या दोनों जांच अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता एवं अन्य प्रभावित लोगों के मौके पर जाकर बयान दर्ज किये गये ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों तथा जांच किस आधार पर की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार कलक्टर, भीलवाड़ा के अवैधानिक निगरानी के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उच्च स्तर से पत्रावली तलब कर जनहित में रास्ते को पुनः कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत मेजा रास्ते की भूमि का आवंटन श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री दुलेसिंह को जरिये मिसल संख्या 71/89-90 के निर्णय दिनांक 17. 3. 90 से किया गया है। पंचायत के निर्णय की प्रतिलिपि व रास्ते के दोनों तरफ के अवरोधों की फोटू प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति माण्डल द्वारा कराई गई मौके की जांच रिपोर्ट व टिप्पणी की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला कलक्टर, न्यायालय में दर्ज निगरानी संख्या 323/91 में जांच का प्रावधान नहीं होने के कारण कोई जांच नहीं कराई गई। अतः जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) दोनों जांच अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता एवं प्रभावित लोगों के मौके पर जाकर बयान दर्ज नहीं किये गये। पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा जांच मौके की स्थिति और पत्रावली के आधार पर की गई। पंचायत प्रसार अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(पंचायतीराज राज्य मंत्री)

(5) राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 27 ए के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अन्तिम शक्ति राज्य सरकार को माना गया है। राज्य सरकार ने धारा 70 के अन्तर्गत यह निगरानी की शक्ति जिला कलक्टर को प्रत्यायोजित कर दी। जिसके अनुसार इस प्रकरण पर न्यायिक क्षेत्र के अतिरिक्त पुर्नविचार के प्रावधान शेष नहीं रहते हैं।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम पाटन (सिकराय) में ग्राम पंचायत की स्थापना

704. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पिछले समय पंचायतों के पुनर्गठन में सबसे बड़ी जनसंख्या के गांव को ही पंचायत मुख्यालय बनाने का मापदण्ड तय किया गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तय किये गये मापदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दौसा जिले की पंचायत समिति सिकराय में पाटन गांव की जनसंख्या ज्यादा होते हुए भी वहां की जनता की मांग को नहीं मानकर जयसिहपुरा को पंचायत मुख्यालय का दर्जा दिया गया है? यदि हां, तो उक्त मामले में निर्धारित निर्देशों की पालना क्यों नहीं की गयी?

(3) क्या सरकार ग्राम पाटन की ग्राम जनता की भावनाओं को देखते हुए जयसिहपुरा से पंचायत मुख्यालय हटाकर पाटन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ग्राम जयसिहपुरा पंचायत के अन्य ग्रामों के मध्य होने एवं सुविधा की दृष्टि से पंचायत मुख्यालय रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों की पालना नहीं की गई है, यह गलत है।

(3) जी नहीं। पंचायत अधिनियम में निर्णय को पुनरीक्षण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देंखे।)

विभाग के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

705. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, में कार्यरत कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उस पर आश्रित व्यक्ति को नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है?

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) क्या यह भी सही है कि एक वर्ष पूर्व तक इस प्रकार की नियुक्ति नियमित वेतन श्रृंखला में की जाती रही है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री डूंगरसिंह लखावत पदेन ग्रुप सचिव पंचायत समिति रानी (पाली) की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह लखावत को नियुक्ति देने का मामला जिला परिषद् पाली में कब से लम्बित है ? यदि हां, तो नियुक्ति कब तक दे दी जायेगी ? प्रार्थना पत्र लम्बित रहने का क्या कारण है ?

(4) क्या मृतक के आश्रित श्री राजेन्द्र सिंह ने जिला परिषद पाली में नियुक्ति हेतु कोई आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब ? प्रार्थना पत्र मय उस पर की गयी कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (सेवा के सदस्यों के आश्रितों को भर्ती) नियम 1978 बने हुये है । जिसके अन्तर्गत मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दी जाती है ।

(2) जी हां । नियुक्ति नियमित वेतन श्रृंखला में ही दी जाती है ।

(3) श्री राजेन्द्र सिंह लखावत का मामला दिनांक 24-10-91 से कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त नहीं होने के कारण लम्बित रहा है श्री लखावत द्वारा अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पुनः आवेदन किया गया । अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर नियुक्ति के निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं ।

(4) हां । मृतक के आश्रित श्री राजेन्द्रसिंह का आवेदन पत्र दिनांक 24-10-91 को विकास अधिकारी, रानी से प्राप्त हुआ था । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें ।)

पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में विकास अधिकारी का रिक्त पद

706. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के अन्तर्गत पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में विकास अधिकारी के पद काफी समय से रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक भर दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार दोनों पंचायत समितियों में सहरिक्त विकास परियोजना की सफल क्रियान्विति हेतु आर. ए. एस. को विकास अधिकारी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आर. ए. एस. अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे है। पंचायत समिति किशनगंज में विकास अधिकारी का पदस्थापन कर दिया गया है। अप्रेल, 1994 में विशेष चयन प्रक्रिया द्वारा नए विकास अधिकारी भर्ती होने के बाद या अन्यत्र स्थान उपलब्ध होने पर ही पंचायत समिति, शाहबाद का रिक्त पद भरा जा सकेगा।

(2) जी नहीं। आर. ए. एस. अधिकारी विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिये उपलब्ध नहीं हैं।

जिला टोंक में पंचायत सचिवों के रिक्त पद

707. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में पंचायत सचिवों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सहायक सचिवों के पद पर अस्थायी (दैनिक वेतन भोगी) कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से तथा कहां-कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त सचिव, पंचायतों के पद पर उन दैनिक सहायक सचिव, पंचायत को लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति टोंक में ग्राम सेवकों व पदेन सचिव के 2 पद रिक्त हैं किन्तु अन्य पंचायत समितियों में स्वीकृत पदों से बारह ग्राम-सेवक व पदेन सचिव अधिक कार्यरत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें।)

मावली एवं फतेहनगर (उदयपुर) में बस स्टैण्ड का निर्माण

708. **श्री शान्तिलाल चपलोत** (मावली) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर चित्तौड़ रूट पर मावली व फतहनगर बड़े कस्बे होते हुए भी वहां पर पथ परिवहन निगम की बसों के लिए उपयुक्त बस स्टैण्ड का अभाव है ?

(2) क्या सरकार निगम की बसों के लिए उक्त दोनों जगह बस स्टैण्ड बनाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मावली में ग्राम पंचायत द्वारा दो कमरे बनवाकर बुकिंग कार्य हेतु निगम को किराये पर उपलब्ध कराये हुये हैं, लेकिन यात्रियों को बैठने के लिए बेन्चों एवं यात्री प्रतिक्षालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

फतेहनगर कस्बे में स्थानीय नगरपालिका द्वारा बस स्टैण्ड का निर्माण कराकर निगम को उपलब्ध कराया हुआ है, जो पर्याप्त है, किन्तु अनाधिकृत निजी वाहनों द्वारा बस स्टैण्ड पर अतिक्रमण कर लेने से बस स्टैण्ड हेतु स्थान छोटा पड़ता है।

(2) परिवहन निगम राज्य के विभिन्न कस्बों/गांवों में भूमि क्रय कर उस पर बस स्टैण्ड का निर्माण कराने में वित्तीय रूप से समर्थ नहीं है। यदि स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे स्थानों पर निगम के माप दण्डों के अनुसार यात्री सुविधाओं से युक्त बस स्टैण्ड का निर्माण कराकर निगम को उपयोग हेतु उपलब्ध करा दें तो निगम निर्धारित दर के अनुसार किराया भुगतान करने को सहमत है।

पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं एवं विकलांगों का आरक्षण

709. श्री मंगल (कठूमर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं एवं विकलांगों की भी कुछ सीटें रिजर्व (आरक्षित) रहती हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आरक्षित सीटों पर अन्य व्यक्ति बैठ जाते हैं तथा महिला/विकलांगों के अनुरोध पर भी खाली नहीं करते? यदि हां, तो क्या सरकार बस के कण्डेक्टर/ड्राइवरों को बस में महिला/विकलांग आने पर उन्हें उक्त सीटों को खाली कराकर दिलाये जाने के निर्देश देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) निगम की बसों में उक्त आरक्षण व्यवस्था को पुख्ता करने बाबत सरकार कब तक क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। निगम वाहनों में महिलाओं के लिये 6 सीटें एवं विकलांगों के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं।

(2) ऐसी आरक्षित सीटों के पीछे "महिलाओं के लिये आरक्षित तथा विकलांगों के लिए आरक्षित" शब्द लिखे हुये हैं और यदि इन आरक्षित सीटों पर कभी अन्य व्यक्ति बैठ जाते हैं तो वाहन के परिचालक द्वारा समझाने पर उक्त आरक्षित सीटें खाली कर दी जाती हैं। यह भी निर्देश हैं कि महिला यात्री या विकलांग यात्री न होने की स्थिति में ही ऐसी सीट सामान्य यात्रियों को आवंटित की जायें।

(3) इस सम्बन्ध में यात्रियों में यह

(यातायात राज्य मंत्री)

चेतना जागृत करने के प्रयास किये जाते हैं कि महिलाओं तथा विकलांगों के लिये आरक्षित सीटों पर नहीं बैठें ।

ग्राम चौसला (नागौर) में द्रुतगामी बसों का ठहराव

710. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चौसला तहसील नावां जिला नागौर में सभी द्रुतगामी बस सेवाओं का ठहराव स्थल, परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/2/संचा / 91 / 510 दिनांक 6–5–1991 द्वारा घोषित किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश की पालना में जयपुर आगार से संचालित द्रुतगामी सेवायें जयपुर डीडवाना जाने व आने वाली सुबह व शाम दोनों समय की बसों को ग्राम चौसला में निगम के चालक परिचालक नहीं ठहराते जबकि मुख्य प्रबन्धक, परिवहन निगम, जयपुर आगार को क्षेत्र की जनता की तरफ से बार-बार मांग प्रस्तुत की जाती रही है ?

(3) क्या परिवहन निगम के मुख्यालय आदेशों की आगार के मुख्य प्रबन्धक को पालना करनी चाहिये अथवा नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार परिवहन मुख्यालय के आदेशों की लगातार करीब तीन वर्ष तक जानबूझ कर अवहेलना करने वाले मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि सिरोही जिले के शिवगंज नगर के पुराने बस स्टेण्ड पर सभी रात्रि बसें ले जाने के निगम के आदेश हैं ?

(5) यदि हां, तो क्या निगम के आदेशों की उपरोक्त मांग पर चलने वाले चालक तथा परिचालक पालना कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । उक्त आदेश की पालना में जयपुर आगार द्वारा संचालित सभी द्रुतगामी सेवायें (जयपुर–डीडवाना मार्ग की द्रुतगामी सेवाओं सहित) ग्राम चौसला पर रुकती हैं । इस सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार को जनता की तरफ से मांग प्राप्त होने पर उनके द्वारा आदेश संख्या 1948, दिनांक 19-6-92, 6842, दिनांक 19-12-92 एवं 284 दिनांक 5-2-93 द्वारा आदेशों की कठोरता से पालना किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

(3) मुख्यालय के आदेशों की मुख्य प्रबन्धक जयपुर आगार द्वारा पालना की जा रही है । अतः अवहेलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(4) जी हां ।

(5) जी हां । आदेशों की कठोरता से

(यातायात राज्य मंत्री)

पालना हेतु सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धकों को पुनः पाबन्द कर दिया गया है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के गांवों में भूमि की मेडबन्दी

711. **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के किन-किन गांवों में भू-संरक्षण कार्य चालू है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार किन-किन गांवों में मेडबन्दी करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के ग्राम कालीमीत, लसाड़िया, भरेव(द्वितीय) में भू-संरक्षण के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में विभाग द्वारा पुराने तरीके से मेड़बन्दी का कार्य नहीं करवाया जाता है, लेकिन नई तकनीक के अनुसार जलग्रहण क्षेत्रों में समोच्च-वानस्पतिक अवरोध स्थापित किये जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के ग्राम कालीमीत, लसाड़िया एवं भरेव (द्वितीय) में कार्य किया जा रहा है।

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के आय-व्ययक लेखे

712. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की पिछले तीन वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधायें देने के तहत माल मंडी तक लाने के लिए सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त मण्डी समिति की कुल आय में से कितने प्रतिशत राशि सड़कों पर खर्च करने का विचार है ?

(3) कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर द्वारा सड़कें बनाने के कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें। उनकी लम्बाई कितनी है तथा उन पर कितना रुपया खर्च किया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की पिछले तीन वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है। सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। मण्डी समिति को उपलब्ध संसाधनों में से प्रशासनिक व्यय निकालने के बाद उपलब्ध धनराशि में से 60 प्रतिशत मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु व्यय किया जाता है।

(3) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति उदयपुर से प्राप्त प्रस्ताव की सूची सड़क की लम्बाई व उसकी लागत राशि परिशिष्ट "ब" पर है, जो सदन की मेज पर रख दी है।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–23 देखें।)

जिला पाली में भू-संरक्षण कार्य

713. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से अब तक भू-संरक्षण विभाग द्वारा पाली जिले में किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से कितनी कितनी राशि के कार्य करवाये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा करवाये गये कार्यों की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी द्वारा कितने-कितने प्रतिशत कार्यों की जांच की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से फरवरी, 1994 तक पाली जिले में विभाग द्वारा करवाये गये एवं करवाये जा रहे विधान सभा क्षेत्रवार कार्यों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। निरीक्षण की रिपोर्ट सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति का रिक्त पद

714. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा की स्थापना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की भावी परियोजना के बारे में विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भावी परियोजना जो राजस्थान से सम्बन्धित है, की प्रगति के बारे में पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा की स्थापना हेतु राज्य सरकार ने कृषि भूमि तो आवंटित कर दी है, परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने से इस केन्द्र पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

(कृषि राज्य मंत्री)।

(3) विधान सभा क्षेत्र वस्सी में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कोई प्रसार कार्यक्रम वर्तमान में नहीं है।

(4) परिशिष्ट "अ" पर सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति सूरतगढ़ द्वारा निर्माण कार्य

715. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सूरतगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 1992-93 की आय कितनी थी ?

(2) वर्ष 1993-94 में सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के निर्माण कार्यों के उक्त मण्डी समिति द्वारा कितने प्रस्ताव सरकार को भेजे गये ? प्रस्तावों व निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993-94 में निर्माण करवाये जाने हेतु भेजे गये कितने प्रस्ताव सरकार द्वारा मन्जूर किये गये तथा इन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सूरतगढ़ की वर्ष 1992-93 में मण्डी शुल्क से आय 55.09 लाख रुपये थी।

(2) वर्ष 1993-94 में कृषि उपज मण्डी समिति, सूरतगढ़ द्वारा निर्माण कार्यों के लिये 7 प्रस्ताव भेजे गये। प्रस्तावों की सूची व निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 1993-94 में निर्माण कार्यों के 6 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं। इन निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें।)

जिला कोटा की कृषि उपज मण्डियां

716. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में कोटा कृषि उपज मण्डी की वार्षिक आय कितनी हुई तथा उसको किस प्रकार किन-किन योजनाओं में कहां-कहां खर्च किया गया ? मौजूदा व पिछले वर्ष के खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सब क्षेत्रीय या जिला मण्डियों की आमदनी सम्मिलित करते हुए सारे जिले में जहां जितनी आवश्यकता हो खर्च करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में कोटा जिले में कितनी कृषि उपज मण्डियां हैं और उनकी अलग-अलग कितनी आमदनी है ?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष माह जनवरी, 1994 तक की आय-व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। एक जिला मण्डी कोष स्थापित कर, सारे जिले में आवश्यकतानुसार व्यय करने की एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में कोटा जिले में चार कृषि उपज मण्डियां हैं जिनकी आमदनी निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	नाम मण्डी	वर्ष (राशि लाखों में)	
		1991-92	1992-93
1.	कोटा	250.00	381.00
2.	रामगंजमण्डी	79.96	118.00
3.	सांगोद	12.31	8.79
4.	ईटावा	25.32	34.83

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें।)

जिला गंगानगर एवं सीकर की कृषि उपज मण्डियों द्वारा सड़कों का निर्माण

717. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर व सीकर की कृषि उपज मण्डियों द्वारा भेजे गये सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव गत दो वर्षों से सरकार के पास विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि गत दो वर्षों में सड़कों की निर्माण लागत बढ़ने से करोड़ों रुपया व्यर्थ हो गया जिसका कारण प्रस्तावों का विचाराधीन रहना है।

(3) इस समय गंगानगर, सीकर जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों में कितना रुपया जमा पड़ा है?

(4) गंगानगर एवं सीकर जिले की उन प्रस्तावित सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव विचाराधीन होने के कारण प्रस्तावों का अपूर्ण होना व मण्डी समितियों के पास धन की कमी इत्यादि है।

(2) यह सही नहीं है कि प्रस्तावों के विचाराधीन रहने के कारण निर्माण लागत बढ़ने से करोड़ों रुपया व्यर्थ हो गया।

(3) श्री गंगानगर व सीकर जिले की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में जमा राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(4) श्री गंगानगर जिले की प्रस्तावित सड़कों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। सीकर जिले की कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण व सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये।)

तहसील शाहपुरा एवं जहाजपुर (भीलवाड़ा) में जल संरक्षण कार्य

718. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में जल संरक्षण के कार्य चलाये जा रहे है ? यदि हां, तो शाहपुरा तथा जहाजपुर तहसील में कौन-कौन से कार्य तथा कितनी राशि उन पर अब तक व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या वर्ष 1994–95 में जिले के और भी क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित किये जायेंगे ? यदि हां, तो किन-किन पंचायत समितियों के कौन-कौन से ग्राम ?

(3) क्या जल संरक्षण कार्यों में भारी अनियमितताएं हो रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां की शिकायत आई ? जांच के क्या परिणाम निकले ?

उत्तर

(1) जी हां । भीलवाड़ा जिले के तहसील शाहपुरा एवं जहाजपुर में विभाग द्वारा जो कार्य चलाये जा रहे हैं एवं अब तक व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–1 पर सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां । समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना के तहत तहसील शाहपुरा एवं तहसील कोटड़ी के क्षेत्र लिया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें।)

इटावा ई.बी.सी. टेल पीपल्दा की नहरों की सफाई एवं नवीनीकरण

719. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पीपल्दा तहसील की इटावा ई.बी.सी. की टेल तक जो जमीन सिंचाई के लिये निर्धारित है उसमें पूर्ण सिंचाई हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में पानी नहीं पहुंच पाने से सिंचाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो नहरों की सफाई व रिमोडलिंग करवाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । नहरों के रिमोडलिंग करवाने का अभी कोई विचार नहीं है । नहरों की सफाई क्रमवार एवं आवश्यकतानुसार कराई जाती है ।

औंकारपुरा ड्रेनेज की अवाप्ति भूमि का मुआवजा

720. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में औंकारपुरा ड्रेनेज जोन

(श्री रामनारायण)

नम्बर 8 की केरियर ड्रेन नम्बर 5 के लिए अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि अभी तक अदा नहीं की गई है ? यदि हां, तो अब कब तक अदा कर दी जावेगी ?

(2) क्या मुआवजे एवं अवार्ड जारी करने की कार्यवाही में देरी करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार बून्दी को इस प्रकरण के शीघ्र निपटारे हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

(2) जी हां, प्रकरण में देरी होने की जांच की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के पेट्रोल एवं डीजल के बैरलपॉइन्ट अनुज्ञापत्र धारी

721. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में बिना पेट्रोल पम्प के ड्रमों में पेट्रोल एवं डीजल रखकर बेचने के लिये सरकार द्वारा लाइसेन्स जारी किया जाता है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से ? इस सम्बन्ध में बने हुये नियमों व जारी किये गये आदेशों की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) पूर्व में जो लाइसेन्स होल्डर थे उनके लाइसेन्सों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में बिना पैट्रोल पम्प के ड्रमों में डीजल रख कर बेचने के लिए लाइसेन्स जारी करने हेतु राजस्थान पैट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाइसेंसिग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1990 में राज्य सरकार द्वारा दि. 22.11.93 से संशोधन किया गया है। तद्नुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किलोमीटर की परिधि में यदि कोई अधिकृत डीजल आउटलेट नहीं हो तो ऐसे क्षेत्रों में बैरल पॉइन्ट डीलर्स द्वारा राज्य सरकार/जिला कलक्टर के निर्देशानुसार डीजल विक्रय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बने नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग एक में उल्लेखित आदेश में बैरल पाइन्ट डीलर्स को पूर्व में लाइसेन्स जारी करने के प्रावधान ही नहीं थे। अतः उनके नवीनीकरण का प्रश्न ही नहीं है।

(नियमों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

तहसील दूदू (जयपुर) की उचित मूल्य की दुकानें

722. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दूदू तहसील जिला जयपुर में सरकार द्वारा कितनी उचित मूल्य की दुकानें खोली हुई हैं और क्या इन पर अनाज

(श्री बाबूलाल)

का वितरण भी किया जाता है ? यदि हां, तो प्रति यूनिट कितना ? दुकानों की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार चीनी एवं गेहूं का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी करवाती है ? यदि हां, तो किस-किस सहकारी समिति से ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम सावली तहसील दूदू में भी वहां पर स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से ही सरकार उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण करवाती है ? यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का वितरण 1992 से अब तक किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दूदू तहसील, जिला जयपुर में 51 उचित मूल्य की दुकानें खोली हुई हैं । इन पर उपभोक्ताओं की मांग होने पर 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अनाज (गेहूं) का वितरण किया जाता है । दुकानों की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । जिन सहकारी समितियों से चीनी एवं गेहूं का वितरण कराया जाता है, उनकी सूची संलग्न है ।

(3) जी हां । जिन-जिन वस्तुओं का वितरण 1992 से अब तक किया गया है, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं ।)

जनजाति क्षेत्र उदयपुर में उचित मूल्य की दुकानों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

723. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र में गत दो वर्ष से उचित मूल्य की दूकान खोलने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये और कितने स्वीकृत किये गये ? क्या विभाग आवेदनकर्ताओं में जनजाति के आशार्थियों को प्राथमिकता देने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार राशन कार्डों के अनुपात में केरोसिन आवंटित करती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राशन कार्डों के अनुपात में केरोसीन का आवंटन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र में गत दो वर्षों में उचित मूल्य की दुकानें खोलने हेतु 287 आवेदन पत्र प्राप्त हुये इनमें से 92 आवेदकों को उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत की गई है, जिनमें 39 व्यक्ति अनु. जनजाति के हैं । विभाग द्वारा उचित मूल्य की दुकान आवंटन के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों में अनुसूचित जाति

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को प्राथमिकता दी हुई है। दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(2) कैरोसीन का आवंटन क्षेत्र की मांग एवं उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। प्रत्येक राशन कार्ड पर अधिकतम 10 लीटर कैरोसीन प्रतिमाह उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है।

(3) प्रश्न के भाग (2) में वस्तुस्थिति अंकित है।

(दिशा-निर्देशों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

स्थगित प्रश्न

(सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1994)

बुनकर सहकारी संघ में पंजीकृत सहकारी समितियां

104. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में पंजीकृत सहकारी समितियों की कितनी संख्या है? इनमें से कितनी सहकारी समितियों को नियमित कार्य दिया जा रहा है? इनके अध्यक्षों, मंत्रियों एवं सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 5 वर्षों में इन समितियों को कितना सूत वितरण किया गया तथा कितना बुनाई भुगतान किया गया? प्रत्येक समिति का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 5 वर्षों में कौन-कौन सी समितियों से कितना-कितना तथा कितनी राशि का माल खरीदा गया? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। क्या इन समितियों से खरीदा गया माल संघ ने बिक्री कर दिया? यदि नहीं, तो कितनी राशि का माल स्टॉक में है जिसकी कीमत क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में संघ से पंजीकृत कितनी समितियों को कर्घा घर निर्माण हेतु अनुदान दिया गया? कितने कर्घा घर निर्माण पूर्ण हुए तथा कितने शेष हैं? इन कर्घा घर का निरीक्षण किस स्तर के अधिकारी द्वारा किया गया? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या 445 है। इन समितियों में से वर्तमान में लगभग 190 समितियों को संघ द्वारा नियमित कार्य दिया जा रहा है। 445 समितियों के अध्यक्षों, मंत्रियों व सदस्यों की सूचना बहुत विस्तृत है जिसे एकत्रित करने में समय लगेगा। सूचना एकत्रित होते ही भेज दी जायेगी।

(2) गत 5 वर्षों में इन समितियों को सूत वितरण तथा बुनाई भुगतान की स्थिति निम्न प्रकार है :–

(सहकारिता मंत्री)

(राशि लाखों में)

वर्ष	सूत वितरण (राशि में)	बुनाई भुगतान (राशि)
1987–89 (21 माह)	171.01	56.46
1989–90	54.54	53.93
1990–91	309.07	125.21
1991–92	241.28	94.60
1992–93	262.99	62.20

प्रत्येक समितिवार उपरोक्त ब्यौरा एकत्रित करने में समय लगेगा क्योंकि सूत वितरण व बुनाई भुगतान की कार्यवाही संघ के विभिन्न स्थानों पर स्थापित उत्पादन एवं बिक्री केन्द्रों से की जाती है। सूचना एकत्रित होते ही भेज दी जायेगी।

(3) गत पांच वर्षों में प्रत्येक समिति से खरीदे गये माल की सूचना एकत्रित की जा रही है। एकत्रित होते ही भेज दी जायेगी।

जहां तक इन समितियों से खरीदे गये माल की संघ द्वारा बिक्री करने अथवा माल के स्टाक में रहने की सूचना का प्रश्न है, समितिवार विक्रय की सूचना बुनकर संघ में संधारित नहीं की जाती, किन्तु कुल बिक्री की सूचना, जिसमें संघ द्वारा स्वयं के स्तर से उत्पादन कराये गये माल की बिक्री भी सम्मिलित हैं, की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	राशि (लाखों में)
1987–89 (21 माह)	896.97
1989–90	711.14
1990–91	1161.14
1991–92	1247.81
1992–93	1032.22

(4) संघ में पंजीकृत 34 समितियों को कर्घाघर निर्माण हेतु अनुदान दिया गया। कुल 248 स्थानों पर कर्घाघर पूर्ण हुये हैं तथा 51 कर्घाघर शेष हैं। इन कर्घाघर का निरीक्षण संघ के उत्पादन एवं बिक्री केन्द्रों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया गया है। वर्षवार किये गये निरीक्षणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

1991–92	214
1992–93	291
1993–94 (जनवरी 94 तक)	29

(बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1994)

राजस्थान पथ परिवहन निगम में परिचालकों के रिक्त पद

199. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमू) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य पथ परिवहन निगम में वर्तमान में परिचालकों के कितने पद रिक्त हैं? कितने पद स्थाई नियुक्तियों से भरे हुए हैं तथा कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी या प्रोबेशनर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं?

(श्री रामेश्वर लाल भाटी)

(2) पिछले तीन साल में कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी किया गया? कितनों को हटाया गया? हटाने के खिलाफ कितने लोग न्यायालय में गये व उनको प्रति वर्ष कितने रुपये चुकाने पड़े?

(3) क्या यह सही है कि निगम की 240 दिन की सेवा पूरी करने के बाद भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवहेलना नहीं है?

(4) पिछले तीन साल में निगम के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों द्वारा कितने फैसले हुये तथा कितनों में अपील की गई? फैसले के फलस्वरूप कितनी धनराशि कर्मचारियों को दी गई तथा कितने मामलों में कर्मचारियों को वापिस लिया गया?

उत्तर

(1) परिवहन निगम में वर्तमान में परिचालकों के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

वर्तमान में परिचालकों के 5839 पद स्थायी/नियमित नियुक्तियों से भरे हुये हैं तथा 782 कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी तथा परीवीक्षा पर कार्यरत हैं।

(2) गत तीन वर्षों में (वर्ष 1991-92 से 1993-94, जनवरी, 94 तक) 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई किया गया तथा 328 को विभागीय जांचोंपरान्त दोषी पाये जाने पर निगम सेवा से हटाया गया है। इन हटाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से 12 व्यक्तियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर किये गये हैं जिनमें से 11 वाद अभी विचाराधीन है तथा 1 मामले में न्यायालय के निर्णयानुसार कर्मचारी को ड्यूटी पर ले लिया गया है। भुगतान का प्रकरण विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमानुसार जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर ही निगम सेवा से हटाया जाता है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है।

(4) गत तीन वर्षों में (1991-92 से 1993-94, जनवरी, 94 तक) निगम के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों द्वारा कुल 1162 मामलों में फैसले हुये जिनमें से 759 मामलों में निगम द्वारा अपील की गई है।

न्यायालयों के निर्णय के फलस्वरूप 76,83,240.34 रुपये की धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को किया गया है तथा 194 कर्मचारियों को वापिस निगम सेवा में लिया गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में

(श्री अध्यक्ष)

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित मंडीत्या (जखाना) में रायथल सड़क निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में बरती जा रही शिथिलता के कारण जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से इस आशय की जानकारी प्राप्त हुई है :–

(2) श्री किशन मोटवानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में मिट्टी के तेल का कृत्रिम अभाव पैदा कर काला बाजारी को बढ़ावा देने से उपभोक्ताओं में व्याप्त भयंकर असन्तोष के संबंध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि माह मार्च, 1994 में दिनांक 17.3.1994 तक अजमेर शहर में 335.8 के. एल. कैरोसिन का वितरण किया जा चुका है। अजमेर शहर में कुल 224 राशन की दुकानें हैं। अजमेर शहर में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर माह में दो बार कैरोसिन का वितरण किया जाता है। इस माह भी समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर प्रथम राउण्ड का कैरोसिन वितरित किया जा चुका है एवं द्वितीय राउण्ड में कैरोसिन थोक विक्रेताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। सामान्यतया प्रथम राउण्ड में उचित मूल्य की दुकानों पर कैरोसिन की अधिक मांग होती है एवं द्वितीय राउण्ड में अपेक्षाकृत कम मांग होती है, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता प्रथम राउण्ड में ही कैरोसिन लेने आते हैं। इसलिए हर माह प्रथम पक्ष में कैरोसिन की अधिक मांग प्रतीत होती है एवं बाद में द्वितीय राउण्ड में मांग अपेक्षाकृत कम हो जाती है। वर्तमान में अजमेर शहर में कैरोसिन का कोई अभाव नहीं है एवं वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। दुकानों पर कैरोसिन उपलब्ध है। कैरोसिन वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियन्त्रण रखने एवं कालाबाजारी रोकने हेतु रसद अधिकारी, सहायक जिला रसद अधिकारी एवं समस्त प्रवर्तन स्टाफ को निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ ताप बिजली घर के प्रथम चरण में बीरधवाल रेल्वे स्टेशन से नेशनल हाईवे नम्बर 15 को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर सड़क निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से बेगूं पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौलतपुरा के ग्राम खरड़ी के पास धानड़ा बन्धे का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कतिपय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से उप वन संरक्षक मरुस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास, चूरू के आदेशों द्वारा वन मण्डल के अधीन किसानों, स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं से तैयार पौधों का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अर्जुनदास मदान, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाड़ौती अंचल की लश्करी नामक पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की अनुसूची में जुड़वाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामेश्वर भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव भींवसर निवासी श्री मघाराम के लापता होने की एफ. आई. आर. दर्ज न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बस्सी विधान सभा क्षेत्र की कतिपय ग्राम पंचायतों का सर्वे करवाकर उन्हें अकालग्रस्त घोषित कर राहत कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति को सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीन कार्यालयों में बांटे जाने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने के मापदण्ड सन् 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री फूलचन्द, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर संभाग के वनवासी क्षेत्रों में आबकारी विभाग की कथित मिलीभगत से अवैध शराब का निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कतिपय गांवों में पेयजल का संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री एमादुद्दीन अहमद खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बस्सी के ग्राम कानोता स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की लगी प्रतिमा को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के इटावा में डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में।

(14) श्री पराक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के अप्रशिक्षित पंचायत अध्यापकों को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास शून्यकाल के लिए काफी पत्र आये हैं इसलिए मैं समझता हूं बहुत ही संक्षेप में आप अपनी बात कहें तो सबका नम्बर आ जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 295 की सूचना मैंने भी दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर आएगा तब आ जाएगा। नम्बर से आएगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : मैंने शून्यकाल में आपसे जो समय लिया है, उसका मुख्य कारण है कि 31 दिसम्बर, 1993 को मैंने जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री भंवरलालजी शर्मा से, निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र में खटकड़ गांव है, सबसे महत्वपूर्ण कस्बा है, इतनी बसें आती हैं, इतना बड़ा हाट लगता है कि बूंदी जिले में इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं, मैंने नवीं विधान सभा के समय में जब मैं विधायक था तब भी वहां वाटर स्कीम लागू करने के लिए कहा था, मैंने 1990 में अकाल राहत के तहत वहां ट्यूबवैल खुदवा दिया उसके बाद से रिपीटेडली इनको कह रहा हूं इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा दुबारा कि उस खटकड़ में, जब भी मैं जाता हूं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, उस जगह पर सरकार प्राथमिकता दे। मेरे क्षेत्र में किसी दूसरे काम को इतनी प्राथमिकता नहीं दे, जितना उस काम को दे क्योंकि प्राब्लमेटिक मामला है पानी का। गरमी के दिनों में बहुत ज्यादा पैसा उनको खर्च करना पड़ता है पानी मंगाने के लिए। नदी का पानी दूषित हो जाता है। क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बनायी जाए और प्राथमिकता से इसको लागू किया जाए। सरकार इस मामले में बहरी-गूंगी नहीं बने। मुख्य मंत्रीजी भी इस मामले को प्राथमिकता से देखें। मैं आशा करता हूं, इस मामले में पूरा ध्यान देगी सरकार।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : मैं आज जो सूचना दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको कहीं कुछ साम्प्रदायिक दृष्टि से या उस पैमाने से नहीं देखें क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इस प्रदेश के दो सीमान्त जिले जैसलमेर और बाड़मेर की सम्पूर्ण पट्टी पर दो साल से मदरसों की बाढ़ आयी हुई है। यह मदरसे अगर शिक्षा प्रसार के माध्यम बनते जब तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी इस सूचना को देने की भी। लेकिन इन मदरसों की जो कमान है वह तस्करी में लिप्त जो मुस्लिम संगठन हैं उनके मौलवियों के हाथ में है। अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के दोनों जिलों के अन्दर तबलीक-ए-जमात, गतिविधियां बहुत तीव्र हैं। वह कट्टरता की शिक्षा उन मदरसों के माध्यम से देने की जो सोच रहे हैं या कार्यवाही कर रहे हैं। अध्यक्ष

(श्री टीकमचन्द कान्त)

महोदय, वह मदरसे अवैध धन्धों के अन्दर लिप्त और तस्करी के अन्दर लिप्त लोगों की शरणस्थली बनते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पीर-पगारों जो पाकिस्तान के अन्दर धर्मगुरू हैं, के द्वारा शिक्षा का प्रसार जिस प्रकार हो रहा है उसके यह माध्यम बन रहे हैं। यह जो संगठन हैं, पीर-पगारों के जो भी एजेण्ट इन दिनों जिलों के अन्दर हैं वह, अध्यक्ष महोदय, इस पाकिस्तान से लगती जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर बसे हुये सीमायी मुसलमान को इनके अन्दर ला रहे हैं। साथ ही साथ 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय जैसलमेर और बाड़मेर के जो लोग या मुस्लिम बंधु पाकिस्तान में चले गये, उनको कहीं मौलवी वगैरह बनाकर इन मदरसों में लाया जा रहा है।

इस प्रकार से इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक प्रकार का खतरा साबित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बरेली और देऊबंद के संगठनों के हाथ में भी यहां के मदरसों हैं, कुछ मदरसें जो उन्होंने खोले हैं। उनके अन्दर उत्तर प्रदेश से जो मौलवी यहां आकर कार्य कर रहे हैं उनकी गतिविधियां भी कुछ संदिग्ध हैं। बम्बई से कुछ मुस्लिम संगठन के युवक दौरा कर रहे हैं। इस सीमा पर इन मदरसों के माध्यम से वहां शिक्षा भी देते हैं और दौरा कर रहे हैं वह भी संदिग्ध मामला है। अध्यक्ष महोदय, बी.एस.एफ. ने भी एक रपट जारी की है इन मदरसों के मामले को लेकर के। इसलिए आवश्यकता यह है कि राजस्थान सरकार इन मदरसों के मामले को देखें। प्रत्येक जगह 5 घर हैं, 6 घर हैं वहां भी मदरसें खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसको देखना बहुत आवश्यक है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ज्यादा आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, मेरे यहां गुढ़ा-गोदली में 132 की लाइन है, जी. एस. एस. है उस पर साढ़े बारह एम. वी. ए. का एक ट्रान्सफार्मर है जिस पर लोड अधिक है और जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई पूरी नहीं होती। अध्यक्ष जी, मैं सरकार का और माननीय पावर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस स्टेशन पर साढ़े बारह की बजाय दस एम. वी. ए. का ट्रान्सफार्मर और लगाया जाए या इसको बदल कर 20 एम. वी. ए. का कर दिया जाए। क्योंकि आज पानी की कमी है फसल के लिए जितना पानी चाहिए और खास तौर से लड़कों के पढ़ने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे ही लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसलिए इस घटना को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि साढ़े बारह के बजाय 20 एम. वी. ए. का ट्रांसफार्मर रख दिया जाए जिससे कि लोगों को शांति मिले।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर नगर निगम की आपके माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहती हूं। जोधपुर नगर निगम के अधिकारियों ने जोधपुर की सम्पत्ति को एक दूसरे डिपार्टमेण्ट में ट्रांसफर कर दी। निगम का भवन, स्टोर गैराज, कुत्तों का

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बाड़ा, कैटल बाड़ा यह सब सम्पत्ति इन्होंने सार्वजनिक विभाग को हस्तान्तरित कर दी है। तो यह कौन से नियम के तहत की गयी इन भवनों को उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया जबकि यह सारी सम्पत्ति स्टेट के टाइम की उन्हीं को दी हुई थी। तो यह कौन से नियम के तहत की गयी? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाह रही हूं कि यह कौन से नियम में कैसे दी? माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम द्वारा स्टेशन रोड के पास रेस्ट हाउस बना हुआ था उसको रेलवे अधिकारियों ने ले लिया और अब वहां पर एक एस. टी. डी. बूथ भी लगा दिया है। तो यह भी कौन से नियम के तहत किया गया है, कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगी कि यह किस तरह से, कैसे किया गया? इसकी जानकारी मुझे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले 15 दिनों में एक ही आदमी की 250 से ज्यादा भेड़ें मर गई। आज राजस्थान पत्रिका में है कि भेड़ों में कोई फड़किया रोग होने से भेड़ें मर रही है। नैनवां तहसील में यह घटना हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, कल मैं मेरे क्षेत्र में गई तो हमारे वहां के तलेटा गांव का एक रेबारी, जिसके पास कुल 300 भेड़ें थीं। फूट-फूट कर रोया। उसकी 250 से ऊपर भेड़ें मर गयीं। उसका गांव है झाड़ोली पंचायत के क्षेत्र में है पहाड़ी क्षेत्र में है। जब भेड़ें मरने लगी तो वह नीचे आया और जहां-जहां भी जा सका, डाक्टरों के लिए घूमा, कम्पाउण्डर के लिए घूमा। अध्यक्ष महोदय एक तो गरीब, अनपढ़ और अनजान। सिरोही जिले में 17 पोस्ट पिछले लम्बे समय से पशु चिकित्सकों की खाली पड़ी हुई हैं और कम्पाउण्डर की भी खाली पड़ी हुई है। उन 17 गांवों के मैं आपको नाम बताना चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप नाम मत दीजिये। आप सवाल उठाया है पशुओं में बीमारी का, उसी पर बोलिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक तरफ तो हम पशु संवर्द्धन चाहते हैं और दूसरी तरफ पशुओं की बीमारी के इलाज का कोई साधन नहीं है। सारे आदिवासी क्षेत्र में, रेवदर क्षेत्र, सिरोही क्षेत्र....

श्री अध्यक्ष : आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहीं हैं कि बीमारी फैल रही है एक्शन लें कुछ न कुछ।

श्रीमती तारा भण्डारी : 17 चिकित्सकों के पद खाली हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5-6 साल से एक भी नया पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया, कम्पाउण्डर की पोस्ट खोली नहीं हैं। तो अब यह गरीब कहां जाएँ, कैसे इलाज करवायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामस्वरूप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वही बोल रही हैं, आप तो उसी पर बोल रही हैं ।....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : बीच में बोलें, उनकी मर्जी आये बोलें, मेरी बात मैं पूरी करूंगी। अध्यक्ष महोदय, यह लक्ष्मण रेबारी कल मेरे पास आया था आप देखते तो दया आ जाती । ....(व्यवधान) नहीं, यह क्या बात हुई । हमें अपनी बात क्यों नहीं कहने देते हों। अध्यक्ष महोदय, इतना गरीब है पैरों में पगड़ी रख कर फूट-फूट कर रोया । उसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई आजीवका का साधन नहीं है, ऊपर से अकाल और 300 में से 270 करीब भेड़ें मर गयीं ।

श्री टीकमचन्द कान्त : अभी तो आप 250 बता रही थीं यह अब 270 कैसे हो गयीं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : पक्की बात है । बीच में (व्यवधान) मत डालें ।

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने 250 से ऊपर कहा है । इनको सुनने की भी फुरसत नहीं है । अध्यक्ष महोदय, गरीब की कोई सुनता भी नहीं है । वह गरीब है, अनपढ़ है, और आजीविका का कोई साधन नहीं है । अज्ञान आदमी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हो, मजाक उड़ाते हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : टीकमचन्द जी प्लीज । **Please keep silence. Don't provoke her** वैसे ही टाइम ज्यादा लगा रही हैं और आप प्रोवोक कर रहे हैं बैठे-बैठे ।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह क्या +++ कर रहे हैं । मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि इस गरीब, जिसके पास न जमीन है, न आजीविका का साधन है, के लिए सरकार सहानुभूति से सोचें और उसको कोई मुआवजा दिलाये । मैं मुआवजा की बात करना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । अब आपकी बात हो गयी ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी यहां राजस्थान में जानवरों की बीमारी के बारे में चर्चा हो रही है । मैंने भी प्रश्न लगाया था । मेरे जिले सवाई माधोपुर में जानवर मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं जिससे लोग काफी परेशान हैं । गरीब की हालत खराब होती जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले के सारे लोग मेरे से मिले थे, उन्होंने यह हुक्म दिया था कि आप अपने क्षेत्र की बात ज्यादा करते हो आप जिले की बात नहीं करते हो । आप एम. पी. के चुनावों में चन्द वोटों से हार गये तो क्या आप हमारे जिले की बात नहीं करेंगे, हमारे जानवर मर रहे हैं, इंसान की बात सब करते हैं लेकिन कोई उन मूक जानवरों की बात नहीं करता । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जिला सवाई माधोपुर में पिछले आठ दिनों से लगातार जानवरों के अन्दर बहुत बड़ा रोग

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री रामस्वरूप)

फैल रहा है। जानवरों का एकदम मुंह सूज जाता है उसके बाद में चक्कर आते हैं और वह जानवर घूम-घूम- कर सात चक्कर लगाता है और तुरन्त पृथ्वी पर गिर जाता है और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसकी सूचना सरकार को दी, अधिकारियों को जिला लेवल पर दी। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई दवा नहीं है, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, आप जाइये, ऊपर पुकारिये। यह जवाब उन अधिकारियों का मिलता है। कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अस्पतालों में जानवरों के लिए लिख देते हैं एक ही दिन में 100-100 और 50-50 रुपये की दवाएं। तो वह गरीब कहां से लायेगा? भैंसें मर रही है, दस-दस हजार की दूध देने वाली। इस प्रकार से वहां पर हालत खराब हो रही हैं। अगर इस स्थिति को तुरन्त नही रोका गया तो सारे किसान बरबाद हो जाएंगे। सारे पशु, जानवर खतम हो जाएंगे और हालत खराब हो जाएंगी। यही मेरा निवेदन है आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि जिला सवाई माधोपुर में तुरन्त जानवरों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रताप कासनिया

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गंगानगर और बीकानेर जिले की फसल सिंचाई के पानी के बिना नष्ट हो रहा है उस सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। वर्तमान में पानी की कमी के कारण 50 पर्सेन्ट फसल तो नष्ट हो गयी है और अब गेहूं की फसल बची है, अध्यक्ष महोदय, अगर मार्च महीने के अन्दर गेहूं की फसल को दो पानी नहीं मिला तो गेहूं की फसल पूरी की पूरी नष्ट होने का संदेह है और काश्तकार बरबाद हो जाएंगे क्योंकि काश्तकार ने अपनी फसल पर पूरा खर्च कर दिया है। पेस्टीसाइड्स, खाद, बीज, डीजल पर जो भी खर्चा होना था वह हो गया है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरह से मार्च के अन्दर काश्तकारों को गेहूं की फसल बचाने के लिए पानी की व्यवस्था हो जाए तो गेहूं की फसल बच सकती है। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, किसान तबाह हो जायेगा। इसके अलावा मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अप्रेल माह के अन्दर जो पानी किसान को दिया जाना है, अगर वह पानी काटकर किसान को गेहूं की फसल बचाने के लिए मार्च माह में दे दिया जाए तो इसमें भी किसानों को कोई एतराज नहीं हैं ताकि किसानों का जो नुकसान हो रहा है उससे किसानों को बचाया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में सरकार नाम की चीज बची नहीं है, कल मैंने सीकर जिले के कल्याण अस्पताल में देखा है कि पूरा अस्पताल बदबू मार रहा है और केवल वार्ड की नहीं आपरेशन थियेटर, जहां आपरेशन होता है, बदबू दे रहा है। ऐसी स्थिति में जो पेशेण्ट हैं, उनको केवल मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहां एक भी सफाई कर्मचारी आज के दिन नहीं है। निश्चित रूप से उन मरीजों के साथ सबसे बड़ा

(श्री अमराराम)

धोखा और उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार या तो उन कर्मचारियों के साथ समझौता करें, उनकी न्यायिक मांगों को माने, नहीं तो कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। क्योंकि आज अस्पताल में जितने भी मरीज पहले से मौजूद थे। उनमें से बहुत से छोड़कर चले गये लेकिन जो उनकी सही तरीके से व्यवस्था करें और जो जाते हैं वह प्राइवेट क्लिनिक में जाने के लिए मजबूर हैं। वहां किसी तरह की जगह नहीं है। सीकर अस्पताल में गन्दगी का आलम है। इसलिये विशेष तौर से सरकार इस ओर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्बा लूणकरणसर में कई दिनों से अनफिल्टर्ड वाटर सप्लाई किया जा रहा है इससे बीमारी फैलने का अंदेशा है, इसके सम्बन्ध में सरकार तत्काल माकूल व्यवस्था करें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल धाकड़।

धानड़ा बन्धे का निर्माण

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत दौलतपुरा के ग्राम खरड़ी के पास धानड़ा बन्धे का निर्माण बाबत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बेगूं के पास एक पुराना राजगढ़ तालाब है जिसका रपट से एवं धानड़ा नाली का पानी बहकर बरसात के दिनों में गांव खरड़ी के घरों में भर जाता है जिसके कारण किसानों के अनाज के कोठे गल जाते हैं। अनाज भीग जाता है, जनजीवन एवं पशुधन जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। खेतों में सीधा बहने से उपजाऊ मिट्टी को नाले में बहा ले जाता है।

(12.23)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

फसलें मिट्टी कट जाने से नष्ट हो जाती है। भारी नुकसान होता है। हर वह बरसात में ग्रामीणों में भय बना रहता है कि कब नाले का पानी एवं राजगढ़ तालाब की रपट से पानी उनके घरों में घुस जाए। रात-रात भर चौकन्ना रहना पड़ता है। अतः मेरा सुझाव है कि इस नाले को, जिसका नाम धानड़ा बन्धा है, अगर बांध दिया जाता है तो एक तो गांव बाढ़ मुक्त हो जायेगा, दूसरा बन्धे में पानी रहने से जल स्तर बढ़ेगा जिसका फायदा गांव खरडी धाबाई का खेड़ा एवं सेमलिया के काश्तकारों को मिलेगा। इस पर बहुत अधिक व्यय भी आने वाला नहीं है। करीबन 8–10 लाख का ही काम है। जिसको अवश्य बांधा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र चौधरी। (अनुपस्थित) श्री किशनाराम नाई।

पौधों का भुगतान

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री किशनाराम नाई)

जिला चूरू की तहसील सुजानगढ़ के ग्राम साण्डवा के सर्वश्री मोहनलाल, राजाराम जैन, सन्तोष कुमार जैन, जयप्रकाश बगड़ा तथा श्रीमती प्रेमलता को कार्यालय उप वन संरक्षक मरुस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास चूरू के आदेश क्रमशः 361, 363, 365, 367 दिनांक 16-1-87 तथा 2465 दिनांक 6-4-87 के द्वारा वन मण्डल के अधीन किसानों, स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पौधशालाओं में पौधे तैयार करने की स्वीकृति दी गयी थी।

महोदय, उक्त प्राथियों द्वारा जो पौधे निर्धारित दरों पर दिये गये थे उन पर आदेश तो दे दिये गये परन्तु आज तक इनकी बकाया राशि नहीं दी गयी है जिससे इनकी आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन लोगों द्वारा विभाग में बार-बार मांग करने के बावजूद तथा वकीलों द्वारा बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी आज तक इनको बकाया राशि नहीं दी गयी है। अतः जल्दी से जल्दी इन प्रकरणों को निष्पादित किया जावे। आज तक की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त रसीदों तथा प्रार्थना पत्रों की प्रतियां इस प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं।

सभापति महोदय, इनके बारे में जो नोटिस है, यह प्रति है, मैं सदन की मेज पर रखता हूं। यह बकाया इन नर्सरियों की 1 लाख 7224 है, जो मय ब्याज, निपटारा किया जाए और मुझे सदन की मेज पर रखने की इजाजत दी जाये।

श्री सभापति : रखिये। श्री अर्जुनदास मदान। (अनुपस्थित) श्री रामेश्वर भाटी।

मींवसर निवासी श्री मघाराम के लापता होने की एफ. आई. आर.

श्री रामेश्वर भाटी (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मघाराम, गांव मींवसर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू अपने पुत्र श्री कल्याण मैसर्स गोगिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी में ट्रक ड्राइवर की सर्विस करते हुए लापता हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 5 नवम्बर, 1993 को जवाहर नगर थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने गया लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो इस सम्बन्ध में श्री मघाराम ने दिनांक नवम्बर, 93 को पंजीकृत डाक द्वारा पुलिस उप अधीक्षक, आदर्श नगर वृत्त, जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया लेकिन अभी तक पुलिस थाना आदर्श नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है।

श्री कल्याण पुत्र श्री मघाराम, गोगिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी, बी–6 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर में ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। इस ट्रांसपोर्ट कम्पनी का मालिक श्री, प्रधान सिंह गोगिया है। श्री कल्याण ट्रक नं. आर आर. बी. 4145 लेकर दिनांक 12-9-93 को मकराना से मार्बल भरकर जयपुर पहुंचा तथा इसी ट्रक से दिनांक 14-9-93 को कलीनर श्री बिसराम पुत्र श्री धन्नाराम के साथ कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया।

मैसर्स गोगिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री प्रधान सिंह ने दिनांक

(श्री रामेश्वर भाटी)

30-10-93 को राजस्थान पत्रिका में गुमशुदा उक्त ट्रक ड्राइवर एवं क्लीनर के सम्बन्ध में एक ग्राम सूचना निकाली थी। श्री कल्याण के पिता को उनके परिचितों ने इस प्रकाशित सूचना के सम्बन्ध दिनांक 1–11–93 को अवगत करवाया। तत्पश्चात् श्री कल्याण ड्राइवर के पिता श्री मघाराम ने दिनांक 2–11–93 को मैसर्स गोगिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री प्रधान सिंह से उनकी कम्पनी में जाकर सम्पर्क किया तो श्री प्रधान सिंह ने बताया कि कल्याण ड्राइवर, क्लीनर एवं गाड़ी के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है। श्री प्रधान सिंह से दिनांक 2 से 4 नवम्बर, 93 तक लगातार सम्पर्क करने पर उसने बताया कि गाड़ी नं. ग्रार. आर. बी. 4145 शेर घाटी, पुलिस थाना बिहार में माल से भरी पड़ी है तथा ड्राइवर व क्लीनर का मुझे पता नहीं है।

कल्याण के पिताजी ने जब उससे कहा कि 40-50 दिनों की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आपने हमें सूचित नहीं किया तो श्री प्रधान सिंह गुस्से से बोला कि "मेरी गाड़ी व माल सुरक्षित है, ड्राइवर व क्लीनर मरते खपते हैं" तथा कहा कि आप अपने स्तर पर ही खोज करवाओ।

इस प्रकरण में श्री प्रधान सिंह व उनके लड़कों के व्यवहार से मुझे शक है कि इन्होंने श्री कल्याण ड्राइवर को या तो कोई गैर-कानूनी कार्य करने के लिए बाध्य किया और उसके मना करने पर उसकी हत्या करवा दी या कहीं अवैध कार्य करवाने के लिए बन्धक बनवाये हुए हैं।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस प्रकरण के सम्बन्ध में मेरे विधान सभा क्षेत्र के मूल निवासी श्री मघाराम के पुत्र श्री कल्याण के लापता होने एवं अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण आकर्षित करते हुए आग्रह करता हूं कि सरकार अविलम्ब कार्यवाही करवा कर दोषी के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करें।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा। (अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता का क्षेत्राधिकार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : माननीय सभापतिजी, झुंझुनूं जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय है तथा उनके अधीन विभिन्न सहायक तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यालय हैं। पंचायत समिति उदयपुरवाटी क्षेत्र को तीन-चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। पंचायत समिति क्षेत्र का आधा भाग सहायक अभियन्ता नवलगढ़ के अधिकार क्षेत्र में तथा आधा भाग सहायक अभियन्ता, खेतड़ी के क्षेत्र में हैं तथा इस क्षेत्र को कनिष्ठ अभियन्ता जसरापुर के अन्तर्गत रखा गया हैं। परिणाम यह हो गया कि एक ही गांव का आधा भाग सहायक अभियन्ता, नवलगढ़ तथा आधा भाग सहायक अभियन्ता खेतड़ी के नीचे आ रहा है व आधा भाग कनिष्ठ

(श्री शिवनाथ सिंह)

अभियन्ता गुढ़ा तथा आधा भाग कनिष्ठ अभियन्ता, जसरापुर के क्षेत्र में आ रहा है।

नतीजा यह हो गया है कि खेतड़ी तथा जसरापुर के क्षेत्राधिकारों में आने वाली सड़कों की भी दयनीय स्थिति हो गयी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उदयपुरवाटी का पूरा क्षेत्र सहायक अभियन्ता, नवलगढ़ के अधिकार में रखा जावे। कनिष्ठ अभियन्ता जसरापुर क्षेत्र में आने वाला उदयपुरवाटी पंचायत समिति का सम्पूर्ण क्षेत्र कनिष्ठ अभियन्ता गुढ़ा तथा उदयपुरवाटी के नीचे रखा जावे। जसरापुर व खेतड़ी से उदयपुरवाटी पंचायत समिति का क्षेत्र बहुत ही दूर पड़ता है। कोई सम्पर्क उन स्थानों से नहीं हैं। यही कारण है कि पंचायत समिति उदयपुरवाटी का आधा भाग पूर्व रूप से उपेक्षित हो रहा है।

अतः उदयपुरवाटी का सम्पूर्ण क्षेत्र सहायक अभियन्ता नवलगढ़ तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं गुढ़ा व उदयपुरवाटी के क्षेत्राधिकार में रखा जावे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षण किया है, मैं और वह, दोनों अधिकारियों के साथ बैठकर इस विषय में जल्दी ही निर्णय कर लेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत मेहरबानी होगी, साहब।

श्री सभापति : मैं पहले बोल दूं, उसके बाद आप बोलना। श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले के पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने बाबत

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : मान्यवर, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिरोही जिले के पंचायत मुख्यालयों को 1971 की जनसंख्या को आधार मान कर सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं।

सिरोही जिले की अनेक ऐसी पंचायतें हैं जो कि सड़कों से जुड़ी हुई नहीं हैं या जोड़ी भी गयी हैं तो अकाल राहत के अन्तर्गत ग्रेवल रोड बनाकर जोड़ी गयी थीं। इन सड़कों के बनने के बाद रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होने से टूट-फूट गयी हैं तथा सड़कों के बीच में पड़ने वाले नालों पर रपट (कॉजवे) या पुल नहीं होने से बरसात में आवागमन पूर्णतः बन्द हो जाता है। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 1985 तक सभी पंचायत मुख्यालय पक्की सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे परन्तु यह घोषणा आज दिन तक पूरी नहीं हुई। अब हमारी सरकार ने सन् 1971 की हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का मापदण्ड तय कर दिया है। तो, मान्यवर, इस प्रकार के मापदण्ड तय करने से तो हमारे गांवों का नम्बर तो कभी आएगा ही नहीं।

सिरोही जिला लगभग सारा ही पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए वहां आबादी का घनत्व तो है ही नहीं, साथ ही जिले में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

आजीविका के साधन नहीं होने से हमारे जिले के अधिकतम लोग मजदूरी एवं व्यापार की दृष्टि से गुजरात, दक्षिण भारत आदि स्थानों पर चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जिले में आबादी का घनत्व दबाव तो बनता ही नहीं है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जब तक सरकार मार्गों के बीच पड़ने वाले नदी नालों पर रपटें एवं पुल बनाने का निर्णय नहीं लेगी तब तक सड़क बनाना, नहीं बनाना बराबर है। साथ ही मेरे क्षेत्र में शिवगंज तहसील की ग्राम पंचायत रोबाड़ा, आल्पा, चूली, रूखाड़ा, ग्रोहा, ग्राम दानी अखापुरा, खारल तथा सिरोही तहसील के पंचायत एवं ग्रामदानी मुख्यालय नतारा, रताम्बल, फुंगली, गोकरोडा वाडेली, तेलपीखेड़ा आदि गांवों में पक्की सड़क तथा इनके बीच में पड़ने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए कृपया आबादी के नियमों में ढील देकर सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें।

श्री सभापति : श्री फूलचन्दजी।

उदयपुर के वनवासी क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण

श्री फूलचन्द (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, मैं, प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी सम्भाग उदयपुर के क्षेत्रों में जो कच्ची शराब आबकारी विभाग और धंधा करने वाले लोगों द्वारा निकाली जा रही है; उसमें रासायनिक....

श्री सभापति : आप पढ़िये। माननीय सदस्य आप पढ़िये।

श्री फूलचन्द : निकाली जा रही है और लोगों को....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने इस बारे में जो लिखित में दिया है उसको पढ़िये।

श्री फूलचन्द : लोकहित के प्रस्ताव के जरिये सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि उदयपुर समाज के वनवासी क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मिली भगत से, आबकारी प्रशासन की मासिक सांठगांठ के कारण लाखों आदिवासियों का जीवन घोर अंधकार में हो गया है। सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक विकृति हो रही है। इन सबके पीछे स्थानीय शराब के अड्डों का कारण है। स्थानीय शराब भट्टियों के चलने से उक्त मुसीबतें, परेशानियां बनीं हैं और आज आदमी की औसत आयु कम हो गयी है। इन सबके पीछे जो मूलभूत कारण रहे हैं, वे सब शराब के स्थानीय अवैध व्यापारियों द्वारा जो शराब निकालकर बेचते हैं, उससे बने हैं। यह समाज कंटक इन क्षेत्रों में जो शराब बनाते हैं, यह सीधे तौर पर जानलेवा है। यह शराब महुवे व गुड़ में नोसादर, यूरिया खाद, एसिड और अन्य खतरनाक रासायनिक पदार्थ मिलाकर बनाते हैं और यह धड़ल्ले से इन क्षेत्रों में अवैध रूप से बेची जा रही है। पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रशासनिक एवं निजी तौर पर

(श्री फूलचन्द)

जानकारी रहती है लेकिन जो कार्यवाही की जाती है वह इन्हीं गरीब, बेसहारा, असहाय आदिवासियों को फंसाकर ठोस कार्यवाही का नाटक कर योजना को ही फेल कर दिया जाता है। सरकार को प्रशासन अपनी मजबूरी बता देता है। इस के पीछे भी मूलतः समाजकंटक, अवैध शराब के धन्धों में लिप्त लोगों व प्रशासन की मिली-भगत रहती है। इसलिए उस ओर भी सावचेत होकर योजनाबद्ध तरीके से इस विकृत प्रवृत्ति को रोका जावे अन्यथा आदिवासियों की बरबादी हम सबके लिए विकट समस्या हो जाएगी।

मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इस महामारी से बचाने के आवश्यक उपाय कर कठोरता से लागू करायें अन्यथा जनजाति योजना में सरकार और हमारा समुचित विकास का उद्देश्य ही असफल होगा। अतः लोक महत्व के प्रस्ताव के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि योजना बना कर भयंकर खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने की चेष्टा करें।

श्री समापति : श्री हीरालाल मीणा।

बामनवास के गांवों में पेयजल संकट

श्री हीरालाल (बामनवास) : आदरणीय समापति जी, मैं, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये विधान सभा क्षेत्र बामनवास जल-प्रदाय योजना के तहत ग्राम बिछोछ, माण्डल रामसिंहपुरा, बरनावा, फलवाड़ा; तहसील बामनवास एवं तहसील बौली के ग्राम मलुदा, पुनेता, गादोता, देवला, हरसोली, काडेपाई को पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

उक्त विषय में वास्तविकता यह है कि अब गर्मी के दिनों में उक्त ग्रामों में पानी का संकट बहुत विकट पैदा हो गया है जबकि पानी मुहैया करने हेतु उपरोक्त ग्रामों में स्वीकृत योजनाओं का कार्य बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिछोछ पनघट योजना के दूसरे स्रोत से पानी लाने का वह इरादा रखती है या नहीं।

अतः उक्त ग्रामों के गरीब परिवार पीने के पानी के बिना दुःखी हैं और जैसे-जैसे गर्मी के दिन आते जा रहे हैं वैसे-वैसे पीने के पानी की किल्लत होती जा रही है। मैं विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि उपरोक्त ग्रामों की कोई भी योजना बनाकर या हैण्डपम्प के जरिये पीने के पानी का स्थायी उपाय कर पीने का पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री समापति : श्री एमादुद्दीन अहमद खान। (अनुपस्थित) श्री रामगोपाल बैरवा।

इटावा में डिग्री कालेज

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इटावा क्षेत्र जिला कोटा में बहुत बड़ा क्षेत्र है। इटावा क्षेत्र में 13 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं। खातोली कोटा से 100 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। पीपल्दा कोटा से 103 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है। इस प्रकार इस पिछड़े क्षेत्र, जहां

(श्री रामगोपाल बैरवा)

आवागमन का साधन नहीं है, जो कोटा से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के छात्रों को कोटा कालेज में पढ़ने के लिए काफी धन व्यय करना पड़ता है। इस समस्या से 80 प्रतिशत छात्र कालेज के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इस क्षेत्र में 25 के लगभग उच्च प्राथमिक पाठशाला संचालित हैं। इस क्षेत्र में 13 सीनियर पाठशाला में 10400 व इटावा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में वर्तमान में 1150 छात्र अध्ययनरत हैं व कन्या शाला में 600 छात्राएं अध्ययनरत हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए इटावा में डिग्री कालेज होना अत्यावश्यक हो जाता है जिससे 80 प्रतिशत छात्रों को भी कालेज का लाभ प्राप्त हो सके। अतः अविलम्ब इटावा में डिग्री कालेज खोला जाए।

श्री सभापति : श्री पराक्रम सिंह।

अप्रशिक्षित पंचायत अध्यापकों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : सभापति महोदय, मैं सन् 1984 से 1989 तक पंचायत समितियों में अप्रशिक्षित (मानदेय प्राप्त) अध्यापक के रूप में कार्य कर चुके शिक्षकों को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान शिक्षक संघ एवं राज्य सरकार के बीच समझौतानुसार ऐसे सभी अप्रशिक्षित अध्यापक जो पंचायत समितियों में कार्यरत थे उन्हें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की मंशानुसार कार्यवाही नहीं करने से भीलवाड़ा व अन्य जिले के कई आशार्थी इस प्रशिक्षण से वंचित हैं तथा उनका भविष्य अंधकार में है।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि 16.12.89 से पूर्व यानी 1984 से 1989 के बीच के उन सभी आशार्थियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को की जानी है।

ऐसे कई आशार्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं कि उनके जूनियर या बाद के या पहले के यानि बिना किसी क्रमानुसार यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इससे भीलवाड़ा एवं अन्य कई जिलों के आशार्थी प्रशिक्षण से वंचित हैं। ऐसे कई आशार्थियों की वांछित आयु सीमा भी निकली जा रही है जिसको बढ़ाया जाना अति आवश्यक है जिसे कम से कम 38 वर्ष की जानी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार के आदेशानुसार तीन वर्ष में सभी को प्रशिक्षण दिया जाना है।

वर्तमान में राज्य सरकार ने आयु सीमा 33 वर्ष कर रखी है जिससे कई आशार्थी इस आयु सीमा को पार करने की स्थिति में हैं। यदि ऐसी अवस्था में आयु सीमा 33 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी जाए तो कई आशार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

(श्री पराक्रम सिंह)

ऐसे कई आशार्थियों ने बकाया वेतन के लिए सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की शरण ली है तथा उन आशार्थियों को भुगतान के आदेश जारी हो चुके हैं व जिन आशार्थियों ने न्यायालय की शरण नहीं ली है उन आशार्थियों के भी बकाया वेतन दिलाने के आदेश जारी करावें। कई आशार्थी दूरदराज गांवों में रहने के कारण सूचना के अभाव में प्रशिक्षण के लिए फार्म भरने से वंचित रह गये थे। अतः सभी आशार्थियों को प्रशिक्षित कराने के लिए शिक्षा मंत्री आदेश करावें तथा ऐसे अप्रशिक्षितों को राहत प्रदान करायें।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल मीणा।

बस्सी के अकालग्रस्त गांवों में राहत कार्य

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सभापति महोदय, मैं नियम 295 के जरिये सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत रिपोर्ट देने के कारण शेष रही 6 ग्राम पंचायतों की मौका रिपोर्ट पुनः करवा कर अकाल ग्रस्त घोषित कर राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कि अधिकारियों की गलत रिपोर्ट के कारण भयंकर अकाल से पीड़ित गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं हो सके जिसके कारण इन ग्राम पंचायतों की अकालग्रस्त गरीब जनता को अपना पेट पालने के लिए यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर जहां राहत कार्य चल रहे हैं, जाना पड़ रहा है।

महोदय, इन पंचायतों में अकाल की भयावह स्थिति का अन्दाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इनमें ना तो कोई एनीकट है और जो कुएं थे वह भी सूख चुके हैं, साथ ही हैण्डपम्पों का पानी भी इतना गहरा चला गया है कि एक-दो घंटे चलाने के बाद मिट्टी मिला पानी आता है और कहीं-कहीं पर तो वह भी नसीब नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय अकाल राहत मंत्री जी से कि ग्राम पंचायत बड़वा, पड़ासोली, टेटड़ा, बैनाड़ा, कानोता, बांसखों के सभी गांवों, जिनमें कि अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीब बेरोजगार लोग रहते हैं, का सर्वे करवाकर अकालग्रस्त घोषित कर यहां अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाकर इस भयंकर अकाल की त्रासदी में वहां के लोगों को राहत पहुंचाने की कृपा करें। साथ ही इन पंचायतों के नांगल बोहरा, पेईपुरा, बाबूपुरा, हंसमहल, गढोली में पीने के पानी की भयंकर समस्या को मद्देनजर रखते हुए यहां के लोगों और मवेशियों का जीवन बचाने के लिए कुछ समय के लिए टैंकरों से पानी सप्लाई की व्यवस्था करावें।

आशा है आप उपरोक्त दोनों गम्भीर मामलों पर विचार कर इन समस्याओं के निराकरण हेतु तुरन्त विभाग को निर्देश देने की कृपा करेंगे।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्री मोहन मेघवाल, सदस्य को दिनांक 19 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 17 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जनगणना कर्मचारियों को सेवामुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत जनगणना कर्मचारियों को सेवामुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निदेशानुसार निवेदन है कि निदेशालय, जनगणना विभाग, द्वारा जनगणना, 1991 का कार्य सुचारू रूप से सम्पादन के लिए विभिन्न क्षेत्रीय सारणीयन कार्यालयों में समेकित वेतन पर अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की गयी थी। उक्त नियुक्ति जनगणना 1991 के आंकड़ों का संकलन का कार्य पूर्ण करने हेतु अस्थायी रूप से प्रदान की गयी थी। इन अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं इस कार्य के सम्पादन के साथ ही समाप्त कर दी गयी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान ने इन हटाये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया कि जिस प्रकार वर्ष 1971 व 1981 में छंटनीशुदा जनगणना के कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गयी थीं, उसी प्रकार वर्ष 1991 के छंटनीशुदा कर्मचारियों का भी राजकीय विभागों/उपक्रमों/स्थानीय निकायों में संविलियन किया जाना चाहिए। उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कार्मिक विभाग को सम्बन्धित नियमों में संशोधन कर एक विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित कर इन कर्मचारियों को समायोजित किये जाने के लिए प्रस्ताव भिजवाया गया जैसा कि 1981 के जनगणना विभाग के कर्मचारियो के लिए किया गया था। कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव पर विचार कर यह निर्णय ले लिया है कि जिस प्रकार वर्ष 1981 में जनगणना विभाग के छंटनीशुदा कर्मचारियों को राजकीय कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष भर्ती परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की गयी थी, उसी प्रकार वर्ष 1991 के छंटनीशुदा कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पदों पर समायोजित करने के लिए विशेष भर्ती परीक्षा आयोजित करने का

(श्री अनंग कुमार जैन)

प्रावधान राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक स्टाफ नियम, 1957 में किया जावे। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करती हूं।

श्री सभापति : आपका काम तो हो गया, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन मेरा काम अधूरा है। मैं कहना चाहूंगी कि वह काम पूरा कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। इनमें से जो कर्मचारी लिए गये थे, जिन्हें छंटनी करके हटाये जाने की योजना थी, जिन्हें समायोजित करने की बात कही गयी है उनकी आयु सीमा में छूट नहीं की गयी तो यह काम पूरा नहीं होगा। इनमें से अधिकांश तो आयु सीमा के अन्दर हैं लेकिन जितना मुझे ज्ञात है लगभग 300 कर्मचारी ऐसे हैं, जिनमें महिला कर्मचारी 147 हैं। 9 विधवा, एक तलाकशुदा, एक सैपरेटेड और 14 अनुसूचित जाति–जनजाति की हैं। 171 की सूची मेरे पास है जो आयु सीमा पार कर चुके हैं। जब तक आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय मुझे आश्वस्त करें। आपने जो आदेश प्रसारित किये हैं उनकी पूर्ति तभी हो पायेगी जब आयु सीमा में छूट होगी। क्या आप कर पायेंगे?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, मुझे तो सरकार और मन्त्री महोदय का धन्यवाद ही करना है कि जनगणना के कर्मचारियों के बारे में सरकार बहुत ही संवेदनशील है।

श्री सभापति : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं रहा, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : सरकार सजग है, संवेदनशील है, सहृदय है, इसके लिए धन्यवाद कर रही हूं। परन्तु एक बात और कहना चाहूंगी कि सेवा नियमों में छूट के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, तत्पर होकर जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूर्ण करें आयु सीमा में छूट देकर इन कर्मचारियों को समायोजित करें।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यह विचार भी कर रही है कि जिन व्यक्तियों को काण्ट्रेक्ट बेसिस पर लिया गया था, जिस दिन लिया गया था यदि उस दिन वे आयु सीमा के अन्दर हैं तो अब यदि उन्होंने आयु सीमा पार भी कर ली है तो भी उनके ऊपर विचार कर उनको नियुक्ति दे दी जाएगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। आपका काम हो गया।

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्रीमती कमला जी ने जो पूछा था उसको पोस्टपोन किया जाता है।

तीसरा, श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा वित्त एवं आबकारी राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

दरीबा तहसील में आबकारी विभाग द्वारा बनाये गये मुकदमों से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत ग्राम दरीबा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर आबकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनाये गये मुकदमों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय आबकारी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, आबकारी) : माननीय सभापति महोदय, आबकारी निरीक्षक, नीमकाथाना द्वारा अभियोग संख्या 56 दिनांक 28.2.1994 विरुद्ध श्री मालीराम पुत्र श्री जीवणराम आयु 60 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी दरीबा थाना नीमकाथाना अभियोग अन्तर्गत 8/20 नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोटोपिक सब्स्टेंसेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

माननीय सदस्य ने यह आक्षेप किया है, उक्त अभियोग प्रहराधिकारी श्री मदनलाल द्वारा शराब के ठेकेदार एवं बनवारी लाल, आबकारी निरीक्षक, आबकारी विभाग, नीमकाथाना द्वारा मिलीभगत एवं राजनैतिक द्वेष से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस क्रम में निवेदन है कि श्री मालीराम अग्रवाल के व्यक्तिगत आधिपत्य से 80 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। श्री मालीराम के विरुद्ध विभाग के कर्मचारी ने मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया तथा उन्हें सक्षम न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया।

श्री मालीराम के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का यह आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने राजनैतिक द्वेष से उनके आधिपत्य से बरामदगी नहीं होते हुए भी जबरन उनकी जेब में गांजा डालकर बरामदगी बतायी है। विभाग में प्राप्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह तथ्य स्पष्ट है कि श्री मालीराम अग्रवाल के कब्जे से 80 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। माननीय सदस्य का आरोप प्राप्त सूचना के अनुसार आधारहीन है। इस सम्बन्ध में जब मामला न्यायालय को सुपुर्द किया जा चुका है तो न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसके पश्चात् ही वास्तविक तथ्यों का पता लग सकेगा। इस परिस्थिति में किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं है।

जहां तक प्रहराधिकारी द्वारा सर्च वारण्ट न्यायालय से प्राप्त करने का सम्बन्ध है, श्री मालीराम के कब्जे से बरामद हुई मात्रा एवं उस पर उसका व्यक्तिगत आधिपत्य दर्शाता है कि न्यायालय से वारण्ट प्राप्त किया जाता और उसमें जो समय लगता, उससे मुमकिन है अभियुक्त लाभ उठाकर इस मात्रा को आसानी से खुर्द-बुर्द कर सकता था। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिना वारण्ट के तलाशी ली जा सकती है।

एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों के

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने आधिपत्य में किसी भी मात्रा में गांजा नहीं रख सकता है। विभाग के अधिकारियों ने श्री अग्रवाल के आधिपत्य से 80 ग्राम गांजा बरामद करना बताया है, इससे यह स्पष्ट है कि मालीराम के कब्जे से बरामद गांजा अवैधानिक तौर से प्राप्त किया गया था तथा उसे अपने आधिपत्य में रखने के लिए श्री मालीराम किसी भी तरह से अधिकृत नहीं थे।

माननीय सदस्य द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं, उनकी प्रशासनिक जांच अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर से करवायी जा रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब वहां से लिखकर आया, वैसा का वैसा सदन को बता दिया। सभापति महोदय, किसी भी राह चलते हुए आदमी को चाहे जिस तरीके से, द्वेष के हिसाब से गिरफ्तार कर उसकी इज्जत पर हमला करें, यह कहां तक शोभनीय है? वे कहते हैं कि सर्च वारण्ट हम लाते तो समय लगता और उसके अन्दर बहुत बड़ी तादाद में जो गांजा है उसको खुर्द-बुर्द कर देता। यह पैट्रोलिंग अफसर श्रीमाधोपुर रहता है, वह श्रीमाधोपुर से नीमकाथाना आया और नीमकाथाना से ये, सी.आई. और शराब के ठेकेदार का एक आदमी हजारी सिंह, ये लोग टोडा आये दरीबा क्रास करके। दरीबा से छह किलोमीटर आगे टोडा है, वहां गये वहां इन्होंने कमेटी करके आकर इस व्यक्ति को, चबूतरे पर बैठे हुए व्यक्ति को बुलाकर उसकी बरामदगी दिखा दी। जबकि वह दुकान जिस पर ये बताते हैं, उस स्वयं की है नहीं, वह दुकान करता नहीं। वह महेश जनरल स्टोर नाम से दुकान है।

यह इस तरह की कार्यवाही की है कि मेरे यहां के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी निराशा फैली है। आज यह वातावरण बना रखा है वहां पर इन लोगों ने कि अब फलां आदमी का नम्बर आएगा। इस तरह की बहुत-सी कार्यवाही हैं। इसी तरह भावसिंह की ढाणी में एक बलाई था, वह मण्डी में आया था रोहतक जाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। रोहतक जा रहा था उसको इन्हीं ठेकेदार के आदमियों ने पकड़ कर जबरदस्ती ले जाकर 14 बोतलें शराब की उसके जिम्मे बरामदगी दिखा कर उसको पीटा-कूटा। चालान कर दिया वहां ले जाकर। उसने इनके खिलाफ केस भी दायर किया है। इस तरह का वातावरण वहां पैदा हो रहा है। मेरे को भी धमकियां आ रही हैं इसके अन्दर।

सभापति महोदय, मैं आपसे बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसा माफिया ग्रुप वहां पर कायम हो रहा है इन अधिकारियों से मिल कर। ये अधिकारी तो उनके चेले हैं, इनके इशारे पर चलते हैं, इतना पैसा इनको मिलता है। कोई भी चले जाएं, कई केस चल रहे हैं, जांच करने के लिए पुलिस जाती है वह कुछ नहीं करती। इनका जो डी.ई.ओ. है, नीचे से ऊपर तक एक ऐसा लिंक बना हुआ है कि कोई अधिकारी सही जांच नहीं करता। जैसे वह ठेकेदार वहां चाहता है उसी तरीके से कार्यवाही होती है।

मन्त्री महोदय, नीमकाथाना को इस माफिया ग्रुप के सुपुर्द मत करो। इन दोनों

(श्री मोहनलाल मोदी)

अधिकारियों को तुरन्त सस्पैण्ड करके निष्पक्ष जांच कराओ। आपका यहां से अधिकारी भेज दिया, उसको वहां नीचे के अधिकारी जैसा चलायेंगे वैसे चलेंगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि पूरी सख्ती से कार्यवाही करें। आपसे यह आशा करता हूं, आप इस वक्त उत्तर में यह कहेंगे कि उनको निश्चित रूप से सस्पैण्ड करके हम उसकी जांच करेंगे। यह बहुत बड़ा जुल्म हैं, बहुत बड़ा अन्याय है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : सभापति जी, मोहनलाल जी ने काफी विस्तार से इस सदन को सारे मामले की जानकारी दी। मैं इस सारे जवाब और जो घटना घटी है, उस मामले में मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि कोई भी नारकोटिक चीज–चाहे गांजा हो, अफीम हो, चलते रास्ते विभाग वालों को कैसे पता लग जाता है कि मेरी जेब में क्या है ?

(1.00)

या तो कोई मुखबिर हो, या कोई धन्धा करने वाला आदमी हो जिसे पता हो कि यह भी इस मामले में धन्धा करता है। इस व्यक्ति को अचानक चबूतरे से ले गये। उनको कैसे सपना आया कि इसकी जेब में गांजा है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि यह इम्प्लांटेड मामला है। गांजा उसकी जेब में डाला गया है और उसको बेवजह मुलजिम बनाया गया हैं। जब मुखबिर कोई खबर देता है तो काफी टाइम मिलता है कि फलां आदमी गांजे का काम करता है तो सर्च वारंट लेने में क्या है ? लेकिन यह इतना ड्रेकोनियन लॉ है कि इसमें इतनी छूट है। डिपार्टमेंट वालों को कि चाहे जिस शरीफ आदमी की इज्जत बाजार में खराब कर दे। यह उन्हीं में से एक मामला है।

इसलिए इस केस को साधारण तौर से न लेकर के असाधारण तौर पर लें और इसकी जांच करवायी जाए और जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके फिलहाल आप सस्पैंशन की बात कहे। इसी सदन में आबकारी का मामला चला था तो क्या हुआ था कि चोरों को तो छोड़ा गया था, महावीर जी इस साजिश में शामिल थे और साहूकारों को सजा दी गयी थी। इस केस में मैं यह चाहूंगा कि जिन्होंने बदमाशी की है, उनको तो सजा दी जाये और जो साहूकार पकड़े हैं, उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : डा. साहब मेरे लिये क्या कहा आपने ?

श्री सभापति: श्रीशांतिकुमार धारीवाल।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : ठेकेदारों की पैरवी की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि हर बार ये शराब के ठेकेदारों के बारे में ही आप क्यों बोलते हो, बाकी समय आप सदन में नहीं आते, यह क्या बात है ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : ये शराब विरोधी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विरोध में नहीं हैं, सम्बन्ध हैं इनके ।

श्री रतनलाल ताम्बी : ये शराबबन्दी में शामिल थे ।

एक माननीय सदस्य : अच्छा, यह पीते नहीं थे....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पीने पीलाने के सम्बन्ध में चर्चा नहीं होगी ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं. वह तो मेरा नाम लिया इसलिये पूछ रहा था कि क्या बात हुई ।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमार धारीवाल । मामला गांजे का है पीने-पिलाने का नहीं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इस प्रकार की बातों पर चर्चा सदन में नहीं हो ।

श्री सभापति : मुझे इस बारे में तथ्यों की पूरी जानकारी, डाक्टर साहब, नहीं है कि कौन-कौन सी पीयी जाती है और कौन-कौनसी खायी जाती है । कृपया आसन का थोड़ा इस पर मार्गदर्शन करें ।

श्री धारीवाल साहब ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदय, मोदी साहब के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो जवाब दिया है उसमें यह लिखा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है किन्तु वह एफ. आई. आर. की प्रति नहीं मिली । जब तक एफ. आई. आर. नहीं देखेंगे तब तक यह कैसे पता लगेगा कि कितने बजे यह वाकया बताया गया, किसकी सूचना पर आबकारी अधिकारी, पैट्रोलिंग ऑफिसर उनके वहां पर, मौके पर पहुंचे, गिरफ्तारी किसके कहने से हुई कितनी मात्रा की सूचना थी, कितनी मात्रा निकली, मालीराम के पास से जो यह गांजा निकाला गया, जब्त किया गया, यह कहां से आया, क्या मालीराम के परिवार वाले गांजे के नशे के आदी हैं ? इन सब बातों की जब तक आपको इत्तला नहीं होगी, सिर्फ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जवाब के लिये आबकारी विभाग को भेज दिया और वहां से एक चीज जो लिखी आ गयी, अगर, मंत्री महोदय, आप इसी पर स्टिक करेंगे, यही जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इसी को सत्य माना जाएगा तो कभी किसी बेगुनाह आदमी के साथ आप न्याय नहीं कर पायेंगे।

मंत्री महोदय, जरा ध्यान से सुनें । आपने आखिर में इसमें यह लिखा है कि माननीय सदस्य द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं, उनकी प्रशासनिक जांच अतिरिक्त आयुक्त, जयपुर से कारवाई जा रही है । एक तरफ तो इस मामले को न्यायालय में दे दिया गया और दूसरी तरफ इसकी प्रशासनिक जांच आपने चालू कर दी । आपने जिन कारणों से इसकी प्रशासनिक जांच चालू की है वह बताने का कष्ट करें कि आखिर वे क्या कारण है कि इस मामले की प्रशासनिक जांच बड़े आफिसर से चालू कराई । माननीय सदस्य का यह आरोप है कि पैट्रोलिंग आफिसर और आबकारी अधिकारी, इन दोनों ने जो यह षडयंत्र किया है, वह एक रमेश नाम के ठेकेदार के कारण किया है, उससे मिलकर के षड्‌यंत्र किया है । रमेश एक पालिटिकल आदमी

100

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है और वह एक राजनीतिक दल को हमेशा से लाखों रुपये चन्दा देता आया है। पिछली बार भी इस सदन में रमेश का नाम बहुत उछाला गया। एक मंत्री की को चन्दा दिये जाने की रसीदें यहां पर पेश गयी। ऐसे गम्भीर मामले में, जबकि इतने बड़े चन्दा देने वाले धनवान व्यक्ति पर माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है इसमें आरोप लगाया है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले की सत्यता पर गम्भीरता से दुबारा विचार करने की कोशिश करेगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं, जब राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि इस प्रकार का कोई केस बनाया गया है और इसमें कुछ एतराज आपके द्वारा उठाये गये हैं तो उनके आधार पर राज्य सरकार ने तुरन्त एडीशनल कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त किया और उनको इस बात के निर्देश दिये कि इस मामले की पूरी जांच करके सही तथ्य सरकार के सामने प्रस्तुत करें। यह जांच विचाराधीन है। उस जांच के आने पर यदि उस जांच में पैट्रोलिंग ऑफिसर और इंस्पेक्टर दोषी पाये गये तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी। जांच के आधार पर जो भी दोष उनके विरुद्ध पाया जायेगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, इसमें एक बात बताइये, आपने जांच के आदेश कब किये और उन्होंने चालान कब पेश किया।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, यह 28.2.94 का केस है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। 28.2.94 के बाद जैसे ही राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया माननीय सदस्य के द्वारा, इस प्रकार के तथ्य आप लाये थे कि गलत तरीके से उसकी जेब में गांजा डाल कर के बरामद किया, ये सारे तथ्य जब ध्यान में लाये गये तो तत्काल उसके बाद आदेश दिये। अब 28.2.94 को आज कितना कम समय हुआ है। तत्काल आदेश दिये और एडीशनल कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया।

श्री सभापति : जांच के आदेश के बाद चालान पेश किया क्या ?

श्री अनंग कुमार जैन : नहीं, चालान तो अभी, माननीय सभापति महोदय, इसमें पेश ही नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, इसमें क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के तहत कार्यवाही चलती है, उसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जैसे ही केस रजिस्टर होता है 24 घण्टे के अन्दर उस केस की एफ. आई. आर. सम्बन्धित न्यायालय में भेजी जाती है। तो एफ. आई. आर. चार्ज करके, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घण्टे के अन्दर उस न्यायालय में पेश किया, जहां से उनकी जमानत हुई और एफ. आई.आर. की कापी वहां भेज दी जाती है। केस में अभी इन्वेस्टीगेशन चल रहा है और इन्वेस्टीगेशन के दौरान जो भी सही स्थिति आयेगी, वह ही रिकार्ड पर ली जायेगी

(श्री अनंग कुमार जैन)

और उसके आधार पर ही चालान प्रस्तुत किया जायेगा, नम्बर एक। तो यह था.... (व्यवधान)....मेरा जवाब सुन लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन जब शिकायत आयी....

श्री सभापति : पहले मन्त्री जी की सुन लें।

श्री अनंगकुमार जैन : एक तो यह इन्वेस्टीगेशन की पोजिशन चल रही है, माननीय सभापति महोदय। दूसरा जब माननीय सदस्यों के द्वारा यह तथ्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि इसमें गलत केस दर्ज किया गया है तो सरकार ने इतनी सजगता बरती और तत्काल एडीशनल कमिश्नर को यह निर्देश दिये कि इसकी सम्पूर्ण जांच करके शीघ्रातिशीघ्र सरकार के सामने प्रस्तुत करें ताकि सारे तथ्य सामने आ सकें। यदि उसके अन्दर कोई दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : उनके वहां रहते हुए जांच वाजिब है क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दोनों अधिकारी वहां रहेंगे तो क्या जांच पर इसका असर नहीं पड़ेगा ? दूसरी बात यह है कि यह अतिरिक्त आयुक्त के द्वारा प्रशासनिक जांच करवायी जा रही है, लेकिन तफ्तीश किनके द्वारा करवाई जा रही है, वह तफ्तीश कुनिन्दा है कौन ?

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, तफ्तीश कुनिन्दा होता है इंस्पेक्टर वह तफ्तीश करता है लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने एतराज किया तो जो एडीशनल कमिश्नर और इंस्पेक्टर है उसके बीच में चार स्टेजेज होती हैं इंस्पेक्टर, ए. ई. ओ. डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और फिर एडीशनल कमिश्नर। तो सरकार ने तो इतनी सजगता बरती कि एडीशनल कमिश्नर के स्तर के व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त किया कि वह सारी जांच करके प्रस्तुत करें। इन्वेस्टीगेशन का पार्ट अपना एक अलग है और यह जांच का पार्ट अपना अलग है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : उनके वहां रहते हुये सही, निष्पक्ष जांच हो जायेगी ?

श्री सभापति : जांच तो वह नहीं कर रहे हैं न।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : वे वहां रहेंगे तो सही जांच कहां हो पायेगी ? वे तो परदा डालेंगे उसके ऊपर। जैसा आपको जवाब दिया, वैसे ही उनको कर देंगे। जांच तो प्रभावित होगी उससे।

श्री अनंगकुमार जैन : जांच में जो भी तथ्य यदि आप रिकार्ड पर लाना चाहें, वह एडीशनल कमिश्नर को आप बताइये। आप चाहें तो एडीशनल कमिशनर आपकी मौजूदगी में जांच कर लेंगे और आप जो भी तथ्य कहेंगे वह रिकार्ड पर आ ही जाएंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : जांच का ऐसा गम्भीर मामला है। उन्होंने मैनीपुलेशन करके ऐसा मामला बनाया। अब जांच वहां कोई भी करने जायेगा तो क्या वह सही जांच हो पायेगी ? इसलिये मेरा

(श्री मोहनलाल मोदी)

निवेदन है कि जब भी कोई जांच करने जाए उन दोनों को वहां से हटाया जाए और उसके बाद जांच कराई जाए।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, उत्तर तो आने दें।

डा. हरिसिंह : जवाब तो दिलवायें, साहब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप भी न्याय की बात करके (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, क्या कह रहे हैं ?

डा. हरिसिंह : उनको वहां से हटाकर जांच करवायी जानी चाहिए। वापस लगा दें, अगर वह निर्दोष हों तो डबल जोर से वापस लगा देना।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अगर दोषी नहीं पाये जायें तो आप उनको वापस लगा देना।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जांच वहां से बदल दी गयी है।

श्री हरजीराम बुरड़क : हटाना कोई सजा नहीं है।

श्री सभापति : जांच वहां से बदल दी गयी है इसलिए जांच तो प्रभावित कर नहीं सकते हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : प्रभावित करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री मोहन लाल मोदी : सभापति महोदय, जांच तो वहीं करेंगे, उस समय वह वहीं तो रहेंगे और वे ही फिर मैनीपुलेशन कर देंगे, चाहे जैसी गवाहियां भेज देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : सुनिये, सुनिये, मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, वह जांच में नहीं रहेंगे। जांच तो अतिरिक्त आयुक्त स्तर के व्यक्ति करेंगे, वे जयपुर से जाएंगे और सारे तथ्यों की जांच करेंगे। मैंने इतना तक आश्वस्त कर दिया कि माननीय सदस्य स्वयं यदि जाना चाहें तो आपकी मौजूदगी में भी वह जांच कर लेंगे और आप जो भी तथ्य रिकार्ड पर लाना चाहेंगे तो रिकार्ड पर लायेंगे। यदि आप कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, कोई सबूत पेश करना चाहते हैं, कोई एडीशनल रिकार्ड पेश करना चाहते हैं, वह सारी चीजें अतिरिक्त आयुक्त, जो जांच कर रहे हैं, रिकार्ड पर लायेंगे और उनके आधार पर निष्कर्ष लिया जाएगा।

श्री मोहन लाल मोदी : वह तो वहीं हैं।

डा. हरिसिंह : नहीं, आपको हटाने में क्या परेशानी है ?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) **:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो झगड़ा हो रहा है, क्या वह दो ठेकेदारों, पुराने और नये ठेकेदारों में आपस का कोई झगड़ा है या अन्य कोई बात है ? इसको भी आप मद्देनजर रखें।

श्री सभापति : अलग से प्रश्न है। चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जांच अधिकारी जब वहां जाएं तो उस वक्त आप उनको वहां नहीं रहने दें। इतना तो कम से कम आप आश्वासन दे दीजिये। उनको आप दूसरी जगह रखवा दीजिये। मैं नहीं चाहता कि आप उनको वहां से ट्रांसफर करें पर मैं इतना चाहता हूं कि वह उस समय वहां पर नहीं रहें, इतनी सी बात है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इतना कर देता हूं कि जांच अधिकारी आपको साथ लेकर जाएगा।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं, साहब, अगर वह रहेंगे तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रहेंगे या नहीं रहेंगे, पर आप साथ होंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है, चले जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां आप कहेंगे, वहीं से चालू करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुत बढ़िया है।

श्री सभापति : पर्याप्त है। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां), सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वार्षिक (1991-92) प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90

श्री सभापति : श्री श्रीकिशन सोनगरा, खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1987-88,

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

1988-89 एवं 1989-90 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापन। श्री राजेन्द्र गहलोत।

याचिकाओं का उपस्थापन

मथानिया से गांव उजलिया सोधियों की ढाणी तक सड़क निर्माण

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति महोदय,

(1) मैं कृषि मण्डी द्वारा मथानिया से गांव उजलिया सोधियों की ढाणी तक प्रस्थावित सड़क निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

मथानिया ग्राम में 132 के.वी.जी.एस.एस. निर्माण हेतु

(2) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा ग्राम मथानिया, जिला जोधपुर में 132 के. वी. जी. एस. एस. के निर्माण बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : आय-व्ययक (बजट) 1994-95 द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगें विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

मांग संख्या 46, श्री कैलाश मेघवाल।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या–46, सिंचाई एवं मांग संख्या–12, अन्य कर की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, राज्यपाल महोदय को रुपये 8,62,29,76,000/–(आठ अरब बासठ करोड़ उनतीस लाख छिहत्तर हजार रु.) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

श्री सभापति : श्री रोहिताश्व।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री सभापति : पहले इन मांगों का उपस्थापन हो जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : पेश तो हो गयी ना।

श्री सभापति : श्री रोहिताश्व।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-12, अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,19,71,000 (सत्तरह करोड़ उन्नीस लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. बजट में झुन्झुनू जिले के लिए सिंचाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

2. झुन्झुनू जिले में सिंचाई हेतु यमुना नदी का जल लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

3. अन्तर्राज्यीय जल विवादों का हल राज्य के हित में कराये जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

4. इन्दिरा गांधी नहर की पूरी सिंचाई क्षमता का उपयोग न होने तथा इन्दिरा गांधी नहर से जल रिसाव से हुई समस्याओं पर चर्चा के लिये।

5. अजमेर जिले की लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

6. जवाहर सागर बांध की भराव क्षमता में कमी होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

7. राज्य के विभिन्न सिंचाई बांधों की सुरक्षा के समुचित उपाय न होने पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :

8. ग्राम नालवड़ी, छोटी गोल प्रतापसिंह शरह सुथारान, शरह जाटान, ब्राह्मणान आदि गांवों को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की आर. डी. 745 से निकलने वाली गजनेर लिफ्ट योजना से सिंचित होने वाले गांवों में सम्मिलित करवाकर सिंचाई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. कंवरसेन नहर से सर्वे किये गये क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार हेतु मेघना वितरिका बांये किनार की आर. डी. 110 के खाले का विस्तार चारणवाला वितरिका व माइनर से फाल हटाकर 4000 बीघा भूमि को सिंचित करने खारी, लाडेरा वितरिका हुसंगसर–माइनर में दिये फाल हटाकर इसको आगे बढ़ाकर अन्य क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा देकर इस अकाल संभाव्य क्षेत्र को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसेन लिफ्ट नहर से आर. डी. 151 आर. आर. डी. 356 (एल) से क्रमशः मेघाना वितरिका, खारी माइनर व लाडरा माइनर की स्वीकृति में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये।

11. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर, शाखाओं, वितरिकाओं तथा माइनर्स के पश्चिमी किनारों पर स्थित काश्तकारों को नहरों की मिट्टी से रक्षा हेतु साईफन लगाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर के बांये किनारे की आर. डी. 0487 एवं आर. डी. 654 से सर्वे कराके सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

13. विभागीय अनियमितताओं के संम्बन्ध में पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) :

14. पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई की सुव्यवस्था एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

15. राज्य की अधूरी तथा लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता न देने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) एवं

डा. जितेन्द्रसिंह (खेतड़ी) :

16. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती में पांचना बांध का पानी ग्राम कैमला, कूजेला, रोसी, खेड़ला, खेड़ली, होदाहेली, सोप शहर गुडली, बागौर तथा बामोरी आदि ग्रामों में न पहुंचने के कारण व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) :

17. विरालपुर बांध के केचमेन्ट के नाम पर माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की योजनाएं स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

18. झुन्झुनूं जिले में विभाग द्वारा कराये जा रहे सिंचाई के निर्माण कार्यों में शिथिलता बरती जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) :

19. तहसील सांगानेर में सिंचाई के साधन यथा बूलर का बन्ध, रामचन्द्रपुरा का बन्धा, नेवटा का बन्धा एवं चन्दलम्बई का बन्धा आदि सब बेकार एवं खस्ता हालत में है अतः इनकी तुरन्त मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

20. जहां-जहां जल स्रोत है वहां से लिफ्ट सिंचाई योजना द्वारा पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) :

21. कुशलगढ़ क्षेत्र में अनास नदी व हिरन नदी पर लिफ्ट लगाकर राहत दिलाने में सिंचाई के साधन जुटाने में राज्य सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

22. बांसवाड़ा जिले में बरसात का पानी रोकने चेक डेम व ऐनीकट बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द (दानपुर) :

23. बांसवाड़ा जिले में माही कमान्ड क्षेत्र में नहरों का विस्तार पूर्ण करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

24. दानपुर क्षेत्र में नादिया, नापला प्रथम, द्वितीय लिफ्ट योजना 1991 में पूर्ण हो जाने पर भी विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन दिलाने में कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

25. बांसवाड़ा जिले में बरसात का

(श्री दलीचन्द)

पानी रोकने व चैक डेम बनाने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

26. बांसवाड़ा जिले में लिफ्टों के सिंचाई साधनों पर विद्युत कनेक्शन दिलाने में विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

27. राज्य सरकार विधान सभा क्षेत्र में माही बांध की मुख्य बांये व दांये नहरों के किनारे लिफ्ट लगाकर सिंचाई के साधन जुटाने में छोटे काश्तकारों को राहत देने में असमर्थ रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :

28. विद्युत संकट को देखते हुए सिंचाई के उपलब्ध साधनों के विकास के लिए अधिक धन के दिए जाने के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर):

29. छोटी नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. गंगनहर (बीकानेर नहर) को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. लगभग 892 मोघे ऊंचे-नीचे करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. गंगनहर लिंक चैनल में पानी छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) :

33. मोरेल बांध की नहरों की सफाई नहीं होने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिये।

34. लालसोट नगर पालिका क्षेत्र में पहाड़ों से बहकर जाने वाले पानी को रोक कर बांध बनाकर लालसोट के किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. लालसोट के दक्षिणी सागर की नहरों का पक्का निर्माण कार्य करवाकर किशोरपुरा, महारिया गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

36. लालसोट के दक्षिणी सागर का सरप्लस पानी को रोककर सूरतपुरा गांव को बाढ़ से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

37. विधान सभा क्षेत्र महुवा के बांध कोट, जगरामपुरा, बौंल एवं फतेहसागर के फीडर की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र महुवा के बांधों एवं नहरों की मरम्मत एवं रख-रखाव पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) :

39. जवाई नदी में अधिक पानी आने पर ओवरफ्लो को सनवाड़ा के पास से सुनियोजित तरीके से दिशा बदल कर मीठड़ी तथा आसपास के गांवों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(108)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

40. भेटाला (पंचायत समिति जालौर) के क्षतिग्रस्त बांध को पुनः बनवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. जवाई बांध का पानी जवाई नदी में कम से कम एक माह प्रति वर्ष तक लगातार बहता रहे ऐसी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली) :

42. प्रदूषण से खराब जमीन वाले 24 गांवों में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खां (तिजारा) :

43. तिजारा विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न बांधों की मरम्मत एवं उचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) :

44. श्रीमाधोपुर क्षेत्र में सिंचाई हेतु बांधों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

45. हरिश्चन्द्र सागर से पर्याप्त सिंचाई नहीं होने बाबत तथा बांध का निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. हरिश्चन्द्र सागर व भीम सागर नहरों में पानी छोड़ने से पहले नहरों की सफाई नहीं करवाने तथा पानी से होने वाले रिसाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. हाड़ौती संभाग में नदी-नालों के पानी का पर्याप्त उपयोग नहीं होने से व पानी व्यर्थ बह जाने पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

48. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की विकृत ठेका पद्धति से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिये।

49. सिंचाई सम्बन्धी कार्यों में बढ़ती हुई वर्कचार्ज की संख्या पर रोक लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : एवं

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) :

50. क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई और छोटे बांधों को प्राथमिकता देकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) :

51. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पंचायत समिति पिपल खूंट में लघु सिंचाई योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

52. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के टूटे बांधों तथा नहर व चैनलों की मरम्मत कराए जाने की आश्वयकता पर चर्चा के लिए।

53. भरतपुर जिले में गम्भीर नदी

(श्री हरिसिंह)

का पानी सवाईमाधोपुर जिले में रोकने के पश्चात् सप्लाई करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. कुम्हेर व भरतपुर तहसीलों के खाली बांधों में सिंचाई हेतु पानी लाने की योजनाऐं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. भरतपुर जिले में सिंचाई के लिए रियासत काल में बने बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

56. छोटे बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र दांता रामगढ़ (सीकर) के ग्राम चैनपुरा के अधूरे बांध को पूरा करवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

58. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के कारण उसकी लागत में हो रही वृद्धि पर चर्चा के लिये।

59. छोटी सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा के लिये।

60. इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल जो सुजानगढ़, लाडनूं तक पानी पहुंचाना था उसे बदलकर योजना में कटौती किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) :

61. सिधमुख नहर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सिधमुख तहसील राजगढ़ (चूरू) में बनी चार दिवारी एवं अन्य मकान में लगी घटिया सामग्री के बारे में चर्चा के लिये।

62. सिधमुख नहर परियोजना से तहसील राजगढ़ (चूरू) के गांवों को वंचित किया है को वापिस जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. नोहर-साहबा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर धीमी गति से कार्य चलाए जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

64. नोहर-साहबा लिफ्ट सिंचाई योजना में घटिया किस्म की सामग्री लगाई जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) :

65. केशवराय पाटन (बून्दी) क्षेत्र की प्रस्तावित 'मेज परियोजना' की स्वीकृति दी जाने से क्षेत्र के 32 गांवों के 9 हजार हैक्टेयर को सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से राहत देने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार) :

66. चम्बल, बनास व गालब नदियों से सिंचाई हेतु लिफ्ट योजनाऐं चालू करवाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) :

67. डग विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सिंचाई के स्रोतों के होते हुए भी योज-

110

(श्री बाबूलाल वर्मा)

नाएं लागू न करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना):

68. नीमकाथाना तहसील में टपकेश्वर बांध बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. नीमकाथाना व खेतड़ी तहसील के किसानों के हित के लिये घाट का बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. नीमकाथाना तहसील में झालरा-फतेपुरा-नानगवास के अधूरे बांधों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई):

71. जयसिंहपुरा, माधोलाव व हालोलाव तहसील निवाई जिला टोंक में बीसलपुर बांध तथा दौलत सागर की नहरों के पुख्ता निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

72. धौलपुर में उर्मिला सागर की नहर को पक्का बनाने से टेल एण्ड तक सुविधापूर्वक पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगराज चौधरी (आहोर):

73. जालौर जिले स्थित जवाई बांध की जोड़ा माईनर नहर व गोगरा नहर को कमान्ड क्षेत्र के अन्तिम छोर तक बनाने, चौड़ा करने, सुधार कर पक्का करने सम्बन्धी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जालौर जिले की आहोर तहसील स्थित बीकली बांध के कमान्ड क्षेत्र की नहरों व खालों को पक्का करने एवं मरम्मत करने एवं पेटे में मिट्टी जमा हो जाने के कारण जल भराव क्षमता को बढ़ाने के लिए बंधे की पाल को तीन फुट ऊंचा करने बाबत चर्चा के लिये।

75. जवाई बांध में जोधपुर शहर को पीने के लिये दिये जाने वाले पानी की सप्लाई बंद करने की स्थिति में बचे हुए बांध के पानी को सिंचाई हेतु जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्रामों में देने के लिये चर्चा के लिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर):

76. चम्बल नदी पर इन्द्रा लिफ्ट योजना को शीघ्र क्रियान्वित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. चूली बांध गंगापुर को लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत लेते हुये शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाने के क्रम में चर्चा के लिये।

78. मुख्य नहर पांचना पर लिफ्ट लगाकर ग्राम वजीरपुर, स्यारोली, सेवा, मीना बड़ोदा, बड़ोली आदि ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी दिलवाने के क्रम में चर्चा के लिये।

79. पांचना नहर का आवश्यकतानुसार ग्राम मोहचा, फुलवाड़ा, बगलाई

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

खण्डिप, खेरली में सब-नहर बनाने की चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) :

80. झुंझुनू जिले के धनावता ग्राम में बांध निर्माण की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

81. झुंझुनू जिले के मण्डावरा ग्राम के हालेडा बांध की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

82. झुंझुनू जिले के सरायहरीपुरा गांवों की सीव पर, काटली नदी पर, कोलियां नाम स्थान पर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. झुंझुनू जिले में गिरावड़ी ग्राम में बांध बंधवाने पर चर्चा के लिये।

84. झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे के पास कोट की नदी पर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :

85. कोटा-बांरा जिले में लिफ्ट ईरीगेशन की योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. हिन्डोली तहसील के सलावल्या में जाड़ा चुरा का बांध-किसनपुरा बांध तथा बांड का खाल योजना की मंजूरी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. हिन्डौली तहसील के अधूरे पड़े पगारा-गुरजानिया बांध तथा कालाभाटा बांधों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) :

88. सांवत खेड़ा बांध (झालावाड़) की काफी क्षतिग्रस्त नहर की रिपेयर कराई जावे तथा साथ ही एक नहर का और निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. पिपलाद (झालावाड़) मध्यम सिंचाई योजना की स्वीकृति दी जाकर इसी वित्तीय वर्ष में क्रियान्विति प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. पिड़ावा (झालावाड़) क्षेत्र में डार्क जोन घोषित है वहां बहने वाली आहू नदी एवं रीछड़ नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) :

91. बणसोली (बून्दी) बांध निर्माण के कारण गाडरिया के झोपड़ों से गणेशपुरा-देई की तरफ जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण की जाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

92. गलवा बांध सिंचाई योजना क्षेत्र को बीसलपुर योजना में सम्मिलित करने के बावजूद ऊंचाई अधिक करने एवं आधुनिकीकरण के नाम पर विदेशी कर्ज की राशि के भार को बढ़ाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

93. ग्राम सबलपुरा (जिला-बून्दी) के

(श्री रामनारायण मीणा)

पास आलाभाटा स्थान पर फीडर का कार्य करने वाले बांध निर्माण हेतु सर्वे करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

94. ग्राम गुजरिया खेड़ा (तहसील-नैनवां) में घोरण नामक नाले पर लघु सिंचाई योजना हेतु बांध सर्वेक्षण की कार्यवाही करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

95. राज्य में अधूरी सिंचाई योजनाओं को वर्षों से लम्बित रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) :

96. पंचायत समिति कोटपूतली के बांध बुचारा को गहरा करवाकर नहरें निकलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. पंचायत समिति कोटपूतली के बांधों की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :

98. उदयपुर जिले की मावली तहसील के ग्राम बड़गांव बांध एवं उसकी टूटी-फूटी नहरों को मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) :

99. नर्मदा प्रोजेक्ट से राजस्थान की सांचौर तहसील में शीघ्र पानी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. सांचौर तहसील में लूनी व सूकड़ी के क्षतिग्रस्त बांध की 1990 से हाल तक पुनः रिपेयरिंग अभी तक न करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद) :

101. इन्दिरा गांधी नहर का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) :

102. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट योजनाओं पर धीमी गति से काम किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

103. पंचायत समिति बालोतरा में सिंचाई विभाग द्वारा जो अधूरे बाढ़ बचाव कार्य हैं उन्हें शीघ्र पूरा करवाने व नये बाढ़ बचाव कार्य प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

104. इन्दिरा गांधी नहर का सर्वे नाचना से फलसूड, हीरा की ढाणी, गिड़ा और दूधवा तक करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) :

105. राणा प्रताप सागर बांध की डूब के गांवों देवपुरा,, पतलोई तथा कुआखेड़ा की जमीन की सिंचाई लिफ्टें लगाकर की जानें की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

106. बेगूं पंचायत समिति में ओराई-डेम की नहरों को पक्की करने एवं उनकी सफाई करने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) :

107. बिलाड़ा (जोधपुर) विधान सभा क्षेत्र में चौकड़ी बांध के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) :

108. चूरू जिले में इन्दिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया)

109 रावत बोर सिंचाई योजना को अविलम्ब आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. सोम कमला आम्या परियोजना की हाई नहर का कार्य आरम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. जाखम परियोजना की बांई मुख्य नहर की नहरों व नहर प्रणाली को रेजींग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. जाखम परियोजना के नहर व बांध खण्ड द्वारा किये गये निविदाओं के अन्तर की सूची वर्ष 1990, 1991, 1992, 1993 तक पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) :

113. चम्बल की मुख्य नहर के माइनर रीफल से टेल पर स्थित मेन्नलपुर, मोरड़ी के ग्रामों की सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

114. किशनगंज तहसील के डेम बिलासी के माइनर नम्बर दो से टेल तक सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) :

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) :

115. सोमकागदा बांध की नहरें ठीक नहीं होने से ग्राम अमरपुरा के काश्तकारों को टेल पर पानी नहीं मिलने से उत्पन्न परेशानी पर चर्चा के लिये।

116. सोम कागदा बांध से ग्राम बिछीवाड़ा की जनता को पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र के परेड़ा बांध की नहरों का कार्य पूर्ण नहीं होने से काश्तकारों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र के लोडदा बांध की राइट केनाल का कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र में ठीकवास दो नदी पर बांध का सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) :

120. मारगिया महुड़ा बांध के रिसाव से विभिन्न गांवों के खेतों में जलाशय बन जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री भीखा भाई)

121. डूंगरपुर जिले की जीवन समिति रेखा 'सागवाड़ा नहर' जो कि तीन पंचायत समिति से होकर गुजरती है का खुदाई एवं निर्माण कार्य हाथ में नहीं लेने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

122. सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के मारगिया महुडा में कानाका तथा लोडीसर बांधों से रिसाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 12 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक अन्य कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए,

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

1. यातायात विभाग द्वारा कच्चे रूट्स तथा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली बसों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं होने पर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :

2. अन्य राज्यों से खरीद कर राज्य में लाई गई मारुती कारों की एन्ट्री टैक्स की वसूली न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

3. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन से राज्य को होने वाली कर हानि पर चर्चा के लिये।

4. वाहनों से होने वाली वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम की विभाग द्वारा कोई कारगर व्यवस्था नहीं किए जाने पर चर्चा के लिये।

5. निजी वाहन मालिकों द्वारा बसों, मिनी बसों, टैम्पों आदि में क्षमता से अधिक संख्या में सवारियां भरे जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कारगर कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

6. जोधपुर–पोकरण व जोधपुर–फलस्टन्ड सड़क पर बिना परमिट की बसें व मिनी बसें चलने से राज्य सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :

7. सड़क सुरक्षा योजनाओं को कारगर बनाकर राजस्थान में रोजाना बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :

8. अलवर से कस्बा नौगांवां तक शटल बस चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) :

9. ट्रैक्टर ट्रोली टैक्स सम्पूर्ण रूप से समाप्त किए जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) :

10. सड़क सुरक्षा योजना को कारगर ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

11. गैर कानूनी ढंग से वाहनों के संचालन द्वारा होने वाली राजस्व हानि की रोकथाम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर) :

12. वर्षा ऋतु में सांगोद से कोटा के बीच में बसें नहीं चलने से उत्पन्न समस्या के निवारण हेतु विभाग द्वारा कोई पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

13. कोटा से बारां मुख्य मार्ग पर अवैध वाहनों के चलने से हो रही कर हानि पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

14. राजस्थान में वाहन कर तथा विशेष पथकर की दरें अत्यधिक होने से यातायात व्यवसाय प्रभावित होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (मकराना) :

15. मकराना में हजारों मजदूरों के रोजाना आने जाने के लिये यातायात व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतीकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

16. ट्रेक्टर व दुपहिया वाहनों के निर्धारित वाहनों के निर्धारित वाहन कर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :

17. आटो रिक्शे मीटर के आधार पर चलाने में विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण जयपुर शहर के यातायात में पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

18. विभागीय लापरवाही के कारण आबादी क्षेत्र से दूर वाहन खड़े करके चैकिंग के नाम पर आवागमन में पैदा किए जा रहे अवरोध से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

19. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु कम्प्यूटर खरीदने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

20. टैक्सी जीपों के लिए स्वीकृत सवारियों की संख्या में समानता रखने सम्बन्धी आदेश जारी करने में सरकारी विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) :

21. अन्य राज्यों से खरीद कर राज्य में लाये जाने वाले वाहनों पर एन्ट्री टैक्स की वसूली न होने पर चर्चा के लिये।

22. राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन से राज्य को हो रही कर की हानि पर चर्चा के लिये।

23. निजी वाहन मालिकों द्वारा वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने एवं निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाने से दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं?

व्यवस्था का प्रश्न

शिक्षकों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सम्बन्धी नियमों का प्रारुप बनाने हेतु गठित समिति की सदनेतर घोषणा

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, विधान सभा का सत्र चल रहा है और सत्र के चलते हुए राजस्थान सरकार नीति सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उसकी क्रियान्विति करें और विधान सभा को अंधेरे में रखे, यह अनुचित है । कल हमने रेडियो पर सुना और आज अखबारों में आया, कल मेरे पास झुन्झुनूं से टेलीफोन आया उस समय भी उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मैंने तो रेडियो पर ही सुना है मुझे उससे अधिक जानकारी नहीं है ।

मान्यवर, 'शिक्षकों के तबादला नियम बनाने सम्बन्धी समिति'–राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके शिक्षकों की समस्याओं के निदान एवं उनके स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में मार्गदर्शक नियम बनाने के लिए लोक जुम्बिश परिषद् के अध्यक्ष अनिल बोर्दिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है ।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस समिति के सदस्य सचिव, चतरसिंह मेहता होंगे तथा विकास आयुक्त, शिक्षा आयुक्त, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान नयी दिल्ली, निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर सदस्य मनोनीत किये गये हैं ।

इनके अतिरिक्त शिवकिशोर सनाढ्य, बिशनसिंह शेखावत, राजकुमार विलियम, वासुदेव शास्त्री, रामकृष्ण अग्रवाल, सियाराम शर्मा, श्रीमती यशोधरा दशोरा, सुश्री स्नेहलता शर्मा तथा ललितकिशोर लोहमी को समिति का सदस्य बनाया गया है ।

यह समिति सम्बन्धित संगठनों, संस्थानों, तथा व्यक्तियों से विचार विमर्श कर राज्य सरकार को शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदस्थापन सम्बन्धी नियमों का प्रारूप प्रस्तुत करेगी । इस समिति का कार्यकाल तीन माह होगा ।

सभापति महोदय, यह कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन, मान्यवर, जब सदन चल रहा है और सदन चल रहा हो तो सदन को सूचना नहीं दी जाए और सदन के सदस्यों को रेडियो और अखबारों से पता चले और हमारे से सूचना पूछी जाए कि आप विधान सभा में थे, इस सम्बन्ध में किस-किस को लिया गया है, क्या-क्या टर्म्स आफ रेफरेंस हैं, यह क्या-क्या करेगी । मेरे पास रात्रि को 9 बजे झुन्झुनूं से टेलिफोन आया तो मैंने कहा कि मैंने तो स्वयं रेडियो पर सुना है और चलते हुए से नाम सुनाई दिये कि कमेटी बनी है और उसके अनिल बोर्दिया चेयरमैन हैं । कमेटी बड़ी महत्वपूर्ण है, सदन चल रहा था और यह सूचना पहले सदन में दी जा सकती थी और दी जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में, मान्यवर, महत्वपूर्ण निर्णय पहले भी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट सुनिये। आप बिराजें। आपने जो प्रश्न उठाया है, व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाया है। व्यवस्था का प्रश्न सदन में आज जो बिजनेस चल रहा है, उसकी कार्य विधि पर ही उठाया जा सकता है। आपका यह प्रश्न महत्वपूर्ण है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह नहीं आता है, इसको आप अन्य किसी माध्यम से यदि उठाना चाहते हैं तो उठायें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बताइये कौनसा तरीका है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इस समय तो आप सबसे ज्यादा जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, इस समय आपसे अधिक ज्ञान किसी को नहीं है।

श्री सभापति : मैं इस समय तो नियम नहीं बता सकता हूं लेकिन प्रक्रिया के नियमों में इसका प्रावधान है, कोई विशेष सूचना जो पहले सदन में दी जानी चाहिए थी, उस माध्यम से आप उठायें। यह व्यवस्था के प्रश्न में नहीं आता है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न मैं निरस्त करता हूं।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : It is a question of privilege

श्री सभापति : यह आप उनको बतायें।

माननीय सदस्य, चर्चा प्रारम्भ करते हैं। श्री हरिसिंहजी कुम्हेर।

माननीय सदस्य, एक मिनट। आप सब की राय हो तो साथ-साथ चर्चा चालू रहे ?

अनेक माननीय सदस्य : हां, साथ-साथ रहे।

श्री रामनारायण चौधरी : साथ-साथ ही।

श्री सभापति : दोनों पर चर्चा साथ-साथ चलेगी। कटौती प्रस्ताव सब प्रस्तुत किये हुये माने जाएंगे। श्री हरिसिंहजी (कुम्हेर)।

मांग संख्या 46 एवं 12 पर विचार

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापतिजी, राजस्थान सरकार ने सिंचाई एवं अन्य करों के सम्बन्ध में अपनी मांग प्रस्तुत की हैं। मैं अपनी बात कृषि के सम्बन्ध में इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले यह बात प्रचलित थी कि-agriculture is gambling in rain. खेती एक जुआ है जो निर्भर करती है वर्षा के ऊपर। श्रीमन्, आज भी राजस्थान के अन्दर यह बात पूर्णतः सत्य है।

श्री सभापति : यह क्या शाश्वत सत्य होने जा रही है ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : यह शाश्वत सी बात मुझे नजर आती है, क्योंकि आज

(श्री हरिसिंह)

भी जब किसान खेती पर जाता है तो ऊपर भगवान की तरफ देखता है तो सोचता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो दो दानें बच्चों के लिए पैदा हो जाएंगे। अन्यथा जो सरकार का प्रबन्ध है सिंचाई के सम्बन्ध में, सिंचाई के सम्बन्ध में आपकी पार्टी ने भी बहुत नारे लगाये और हमारी पार्टी ने भी लगाये हैं कि हर हाथ को रोजगार दीजिये, हर खेत को पानी दीजिये।....(व्यवधान).... सभापतिजी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, स्पीकर साहब बिलोंग नहीं करते हैं वह बात दूसरी है लेकिन सभापति जी पार्टी विशेष से ही हैं। जब तक आसन पर बैठे है तब तक पार्टी से ऊपर हैं।

श्री सभापति : जब तक ऊपर बैठा हूं तब तक ऊपर हूं।

श्री हरिसिंह : जहां तक प्रश्न आसन का है, तब तक वे ऊपर हैं। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, वर्तमान सरकार जब से आयी है शासन में, तब से इस सरकार ने इरिगेशन के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है। आप कहेंगे कैसे कम कर दिया है? मैं यह बात आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं। श्रीमन्, जब से यह सरकार आयी है शासन में, पहले इरिगेशन पर जो खर्च होता था उसका अब एक चौथाई हिस्सा भी खर्चा नहीं रहा है। आप मुलाहिजा करें, श्रीमन्, इन्होंने जो आय-व्ययक का अध्ययन पेश किया है उसके पृष्ठ संख्या 42 पर। 1990–91 में इरिगेशन पर 626 करोड़ रुपया खर्च होता था, 1991–92 में 147 करोड़ रुपया रह गया, 1992–93 में 124 करोड़ रुपया रह गया, 1993-94 में 143 करोड़ रुपया रह गया, इस साल 1994–95 के बजट में 131 करोड़ रुपया रह गया। यानी पिछले साल 143 करोड़ रुपया था, अब 131 करोड़ रुपया रह गया। ये कुछ आंकड़े मैंने इसलिए नहीं पेश किये कि मैं सदन को आंकड़ों में ले जाना चाहता हूं, मैंने इसलिए बताये हैं कि जब से यह वर्तमान सरकार आयी है तब से सिंचाई पर कम ध्यान दिया है। सिंचाई किसानों की एक मैन, मुख्य बात है, जीवन है, जीवन-धारा है क्योंकि भारतवर्ष में 70 प्रतिशत किसान रहते हैं उन पर दिन-प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है और इसी का नतीजा है कि राजस्थान में परकेपिटा आमदनी गिर रही है। वह कैसे गिर रही है, मैं आपको बताऊं, श्रीमन् 1992–93 में परकेपिटा आमदनी प्रति व्यक्ति आय थी 1897 रुपये। उसके बाद अगले साल रह गयी 1728 रुपये। यानि 169 रुपये प्रति व्यक्ति आय कम हो गयी और पैदावार भी गिर रही है। मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, आपकी सरकार की नीति इरिगेशन के सम्बन्ध में है। कम पैसा खर्च करने की इस पर कम ध्यान देने की। इसका नतीजा यह हो रहा है, श्रीमन्, 1992–93 में फूडग्रेन्स की पैदावार, खाद्यान्न की पैदावार 113.95 लाख टन थी और उसके बाद जो तुरन्त एस्टीमेट लगे हैं 1993–94 के, उसमें 83.33 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार रह गयी और यही हाल दालों का है। दालों की आमद 1992–93 में 14.58 लाख टन थी और 1993–94 में रह गयी 13.79 लाख टन तो श्रीमन्, वर्तमान सरकार ने कृषि पर, सिंचाई की नीति पर....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अधिकारियों को तो बुला लो, सिंचाई मंत्रीजी। कहां है अधिकारी आपके ? आप टेम्प्रेरी मंत्री बने हैं क्या ? (व्यवधान)।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : **He is the most competent man.**

श्री परसादी लाल मीणा : अधिकारी भी टेम्प्रेरी हैं आपके, इनको देखेगा कौन ? फोर्स की बात नहीं है, मंत्रीजी। मेरा निवेदन सुनिये आप। न तो वे विभाग में रहते हैं कल और न इनके अधिकारी जो यहां बैठे हैं। आखिर सिंचाई विभाग का क्या होगा ? आप भी मेरी जगह होते तो यही कहते और आपने कई बार कहा है इसीलिए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि क्या होगा सिंचाई विभाग का ? न इसका कोई परमानेंट मिनिस्टर है....

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी....

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं नहीं, सभापति महोदय, गम्भीर मामला है। न तो कोई सिंचाई मंत्री हैं, न कोई चीफ इंजीनियर है, न कोई सैक्रेटरी है, न कोई डिप्टी सैक्रेटरी है, न एक्स. ईएन. है, न एस. ई. है। इनको कौन गाठेंगा ? जवाब देकर ये घर चले जाएंगे। इनका कितना शोषण किया जा रहा है ? (व्यवधान) कितना शोषण किया जा रहा है ? आखिर इनका शोषण क्यों ? एस. सी. वालों का शोषण ? मतलब एस. सी., एस. टी. का इस तरह से शोषण का नमूना देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप इनको शोषण से मुक्त कराना चाहते हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इनकी शादी करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलें आप। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने परसों कहा था कि मंत्री पूर्णतः जिम्मेदार हैं।

हां, हरिसिंहजी बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री कौन है, चतुर्वेदी जी भी जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापति : संयुक्त जिम्मेदारी है। मंत्रीजी जो बोल रहे हैं वह है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक ही आदमी का शोषण क्यों ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : दोनों विभाग के मंत्री बैठे हैं। आपको बात करनी है तो करें और बात नहीं करनी है तो बैठ जाइये।

श्री सभापति : आप इनको शोषण से मुक्त कराने का प्रयत्न करें। शोषण से पूर्णतः मुक्त कराइये।

माननीय हरिसिंह जी, बोलिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ठीक ही तो कह रहे हैं कि मैं अपनी ब्रेथ वेस्ट कर रहा हूं। मैं अपना निवेदन कर रहा हूं, मैं अपना समय दे रहा हूं, मैं अध्ययन करते के पश्चात् निवेदन करना चाहता हूं। और कौन सज्जन, कौन मंत्री सुनेंगे और किस स्टेज पर बात होगी ? वास्तव में पूरी

(120)

(श्री हरिसिंह)

गैलरी खाली पड़ी है। यह तो आप व्यवस्था दीजिये, आप इनको आदेश दीजिये, हम किसको सुनायेंगे ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : सिंचाई विभाग का एक अधिकारी यहां है, बाकी सब अधिकारी यहां पहुंचने वाले हैं। मैं नहीं सोचता था कि 3-3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इतनी जल्दी खतम हो जाएंगे डेढ बजे से पहले। अधिकारी सब आने वाले हैं, कुछ चैम्बर में बैठे हैं, कुछ से मैंने जानकारी चाही है आपको जवाब देने के लिए कटौती प्रस्ताव पहले आ चुके हैं, जो कटौती प्रस्ताव मैंने देखे उसमें कुछ और जानकारी चाहिए वे चैम्बर में जानकारी तैयार कर रहे हैं और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी आपके द्वारा विषय उठाये जाएंगे उसका जवाब मैं दूंगा। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, कुछ अस्वस्थ हो गये कल क्रिकेट खेलते हुए जब वे अस्वस्थ हो गये तो मंत्रिमण्डल की संयुक्त जिम्मेदारी है और मैं राज्य सरकार की ओर से आपके सारे वाद-विवाद पर नोट ले रहा हूं, उसके अनुसार आपको उत्तर भी दूंगा सारे कटौती प्रस्तावों के जवाब लिखित में आप तक पहुचेंगे।

श्री सभापति : बिराजिये मंत्री जी। उसके बाद में....

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्री जी, आप नोट ले रहे हैं, इन नोटों का क्या करोगे कल फिर ? क्या करोगे आप इनका ?

श्री सभापति : डाक से आपके यहां भेज देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : आप तो शाम को फ्री हो जाओगे, इन नोट्स का क्या होगा, आप ध्यान दीजिये। बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। सम्बन्धित मंत्री यहां हो तो बहुत अच्छी बात है। कल हम किससे जाकर बात करेंगे हमारी समस्याओं के बारे में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, परसादी लाल जी ने....

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी, बिराजिये। अपने सदन में यह परम्परा रही है। (व्यवधान) सदन के समय का सदुपयोग करें, माननीय सदस्य। अपने यहां परम्परा रही है कि मंत्रिमण्डल का कोई भी सदस्य जवाब दे सकता है। जवाब दे रहे हैं।

हरिसिंहजी, आप बोलिये। कैलाश जी स्वयं समर्थ हैं, ये जवाब देंगे आपको पूरी अच्छी तरह से।

श्री परसादी लाल मीणा : चतुर्वेदी जी से दिला दो जवाब।

श्री कैलाश मेघवाल : वे भी दे सकते हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : धन्यवाद लेकिन मैंने जो अपनी व्यथा थी वह आपको निवेदन किया और इस गम्भीर विषय को सरकार कितनी आसानी से ले रही है, कितना वाटर डाउन कर रहे हैं इस विषय के लिए....

श्री सभापति : आपकी बात को आसन भी गम्भीरता से ले रहा है, सर-

(श्री सभापति)

कार भी ले रही है और उन्होंने बता दिया है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, श्रीमन्, वर्तमान सरकार जब से आसीन हुई है तब से सिंचाई पर इसका ध्यान बहुत कम होने लगा है, उस पर चर्चा भी कम होने लगा है और यही नहीं, इस सरकार का डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में नान-डवलपमेंट का एक्सपेण्डीचर बढ़ रहा है। मैं इसीलिए आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1993-94 में हमारा डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर इन्डेक्स 805 था और 1994-95 में यह बढ़कर 886 हो गया, मतलब यह बढ़ा 94 से और नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर का इन्डेक्स 93-94 में था 964 और 94-95 में यह होने जा रहा है 1099, यह बढ़ा 135, यह उस समय बढ़ा हुआ है जिस समय सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो वृद्धि होने जा रही है, उसको बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद यह 135 बढ़ रहा है और यह 94 से बढ़ रहा है। डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर का इन्डेक्स कम हो रहा है, नान-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर का इन्डेक्स ज्यादा हो रहा है। जनरल सर्विसेज के ऊपर खर्च आप ज्यादा करते चले जा रहे हैं और इकानामिक सर्विसेज, जिसमें इरिगेशन भी आता है, पर आपका इन्डेक्स कम होता जा रहा है। इकानामिक सर्विसेज का इन्डेक्स 90-91 में 404 था और वह 94-95 में 870 हुआ, पिछले साल 816 था, अब 870 होने से केवल 54 बढ़ा और जो जनरल सर्विसेज का इन्डेक्स है वह 93-94 में था 964 और इस वर्ष 1090 हुआ है, इसमें 126 की बढ़ोतरी हुई। मेरा कहने का सारांश यह था कि इरिगेशन सर्विसेज पर खर्चा कम हो रहा है, इकानामिक सर्विसेज पर खर्च कम हो रहा है और आपकी जनरल सर्विसेज पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि राजस्थान की परकेपिटा इनकम गिर रही है, राजस्थान का सकल उत्पाद गिर रहा है। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है।

अब मैं सिंचाई के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। इस समय आप सिर्फ 39.95 प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित कर रहे हैं। इसमें कुओं से केवल 0.22 प्रतिशत करते हैं, नहरों से 35.2 को और तालाबों से 4.53 प्रतिशत को। ये आंकड़े मैंने इसलिए दिये हैं कि मैं आपका और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान यमुना नदी की तरफ ले जाना चाहता हूं क्योंकि राजस्थान के अन्दर कुओं से सिंचाई की सुविधा बढ़ ही नहीं सकती। राजस्थान में जहां तक नहरों का सम्बन्ध है, उनमें पानी लाने के लिए आपको बाहर की नदियों से पानी लाना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान में निरन्तर बहने वाली नदी है कहां? चम्बल से कितना पानी लेंगे आप? दूसरा जो पानी का स्रोत हो सकता है वह यमुना नदी का स्रोत हो सकता है।

मैं इसलिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान के लिए यदि कोई जीवन

(श्री हरिसिंह)

देने वाला हो सकता है तो वह यमुना नदी का राजस्थान के लिए मिलने वाला समझौता हो सकता है और यह विषय पिछले 50 साल से पड़ा हुआ है। इसके सम्बन्ध में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, मैं दोनों से यह निवेदन करना चाहता हूं, खासकर आज तो उसको कहना पड़ेगा जो सत्ता में है वह अपनी जिम्मेदारी से यह कह कर बच नहीं सकते कि पहले समझौता नहीं हुआ। यह सरकार इस यमुना नदी के समझौते को सौतेला बेटा मानकर चलती है और क्यों सौतेला मानकर चलती है, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। जो बजट स्पीच है इसमें छोटी छोटी बातों की चर्चा तो है इरिगेशन के बारे में, लेकिन यमुना नदी के समझौते के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। यमुना नदी के समझौते के बारे में इसलिए नहीं लिखा गया है, आपके मन में कोई तीव्रता होती, कोई लगन होती, कोई इम्पोर्टेंस होती कि हम आने वाले समय में यमुना नदी का समझौता करना चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में आप लिखते, आपने लिखा ही नहीं, आप तो पता नहीं कितने साल में करना चाहते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि यमुना नदी के समझौते के बारे में आप एक सौतेला रूप लेकर चलना चाहते हैं और इसलिए शायद समझौता नहीं करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश हमारा कोई प्रतिनिधि राजस्थान की वर्तमान सरकार में नहीं है और पहले भी प्रतिनिधियों की कमी रही होगी इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया है। लेकिन, सिचाई मंत्री महोदय, वर्तमान सिचाई मंत्री महोदय या आज के सिचाई मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यमुना का पानी राजस्थान को नहीं मिलता है तो राजस्थान की बहुत बड़ी सम्पत्ति को, हक को, अधिकार को आप दूसरों को दिये हुए बैठे हैं। इसमें आपको सीरियसनैस लाने की बहुत आवश्यकता है।

जैसा 2-3 दिन पहले मुख्य मन्त्री महोदय कह रहे थे 1.119 बी.सी.एम. पानी का हक राजस्थान का यमुना के वाटर्स में निश्चित हो गया है। समझौता तो नहीं हुआ, एक अण्डरस्टेंडिग हुई है, एक मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग संभवतः तैयार हुआ है या कोई मिनट्स इस सम्बन्ध में लिखी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करके चलाना चाहता हूं कि राजस्थान को जो और स्टेट्स पानी देना चाह रहे हैं, अधिकार देना चाह रहे हैं, वे राजस्थान को केवल स्टोरेज वाटर में देना चाहते हैं। उस पानी में देना चाहते हैं जो स्टोर होगा, बांधों के अन्दर बनेगा और अभी बांधों के बनने की तैयारी नहीं है। कब बांध बनेंगे ? वो कहते हैं कब किसाऊ का बांध बनेगा, कब रेणुका में बांध बनेगा, कब हथिनीकुण्ड में बांध बनेगा और उसके पानी में से हमको हमारा हिस्सा मिलना है 1.11। मैं समझता हूं हमारे जीवनकाल में तो यह पानी हमको मिलने वाला है नहीं। जब तक राजस्थान को फ्लो वाटर से पानी नहीं मिले....

श्री कैलाश मेघवाल : इसी पर अड़े हुए हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : इसी पर तो 40 साल से अड़ रहे हैं। इसी पर तो हम

(श्री हरिसिंह)

(13.30)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन ।)

इतने सालों से भ्रड़ रहे हैं और जब तक भ्रड़कर, आगे बढ़ करके इसमें से अपना शेयर नहीं लेंगे तब तक मिलने वाला नहीं है । आप तो पहले कहा करते थे, आप तो कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों को कहा करते थे कि आप घुटना टेक देते हैं केन्द्रीय सरकार के सामने, आप तो बकरी की तरह वहां मैं-मैं करने लग जाते हैं । अब राजस्थान का.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री मुलायमसिंह जी यहां आये थे और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई विवाद नहीं है, यह कहा, यह आसानी से सुलझा लिया जाएगा । यह आप लोगों को ठण्डा करने के लिए है ।

श्री हरिसिंह : मैं यही आपसे निवेदन कर रहा था कि राजस्थान इससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है । हमारे पूर्वी राजस्थान का, अलवर का, भरतपुर का एक-एक व्यक्ति का जीवन, किसान का जीवन जो है इसमें सुधार की आशा की कोई किरण है तो वह यमुना नदी का पानी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । क्यों नहीं है, श्रीमन् ? आपको ध्यान होगा, भरतपुर में पहले फ्लड आते थे । इतने फ्लड्स आया करते थे कि मुझे खुद को याद है कि एक व्यक्ति जोधपुर साइड से पानी देखने के लिए गये थे, मैं भी उस समय साथ था, सुखाड़िया साहब मुख्य मंत्री थे, वह कह रहे थे कि यह सब पानी बह रहा है वह मीठा पानी है क्या ? वह हैरतअंगेज होता था कि इतना मीठा पानी इधर बह सकता है । चारों तरफ पानी ही पानी हुआ करता था । आज उस भरतपुर के अन्दर पीने को पानी नहीं है । जहां 42 फीट में पानी निकलकर आया करता था आज 90 फीट पर पानी पहुंच चुका है । आज हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं । आज दिन-प्रतिदिन पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है । खारा पानी पीने के लिए उपलब्ध होता है । मैं परसों पेयजल की बहस के समय अपनी बात नहीं कह सका था । हमारे यहां अगर सुबह 6 बजे कोई स्त्री आकर कुए से पानी ले आती है तो पानी मिल जाता है और 6 से 7 बज गये तो कुआं सूख जाएगा, पानी नहीं मिलेगा । पूरे दिन भर उसको अपने पड़ौसियों से पानी मांगना पड़ेगा पीने के लिए । आज भरतपुर के अन्दर यह स्तर हो चुका है । उस स्तर को ठीक करने के लिए मैं, सिंचाई मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यमुना नदी के समझौते को जितना शीघ्र कर देंगे तो बहुत बड़ा अहसान होगा पूर्वी अंचल के लिए । उसमें आप यह ध्यान रखें जो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपको फ्लो वाटर में हिस्सा लेना चाहिए ।

नम्बर दो, जो अनप्रोटेक्टेड वाटर्स हैं, हिमाचल ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने किस तरह से चालाकी की है कि बगैर आयोग की स्वीकृति के कई योजना बना लीं जिनमें वे यमुना नदी के पानी का उपयोग करते हैं और वे आयोग की बिना स्वीकृति के उस पानी का उपयोग करते हुए उसको अपना हिस्सा मानने लगे हैं । ऐसा कर नहीं सकते । अनप्रोटेक्टेड वाटर

(श्री हरिसिंह)

के रूप में उसका भी एक पूल बने क्योंकि बगैर स्वीकृति के पानी का उपयोग अपनी योजनाओं में कर रहे हैं। उस पूल में से भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो डैम बनाये जा रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान पर इतने खर्चे का भार डाल दो कि राजस्थान जैसा इकानामिकली बैंकवर्ड स्टेट उस खर्चे के भार को सहन नहीं कर सके और सहन नहीं कर सके तो यमुना नदी में से उसका पानी का शेयर चला जाए। हरियाणा और अन्य तो पैसे वाले स्टेट हैं वे तो पैसा बरदाश्त कर सकेंगे लेकिन राजस्थान उतने पैसे को संभवतः बरदाश्त नहीं कर पाये और वह कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिग में कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक हमको शेयर नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें और बात चल रही है। उसमें उन्होंने यह लिखना है जैसा कि चेन्ना रेड्डी के समय वह प्रश्न चला था जिस पर उन्होंने दस्तखत करने से इंकार कर दिया था कि जब तक राजस्थान अपने पानी लेने की क्षमता को ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक 0.25 बी.सी.एम. पानी हरियाणा को मिलेगा। क्या बात हुई? हरियाणा में पानी की पहले ही कमी नहीं है और बैक डोर से कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान जो एक सूखा प्रान्त है उसके हिस्से में से भी लेना चाहते हैं 0.25 बी.सी.एम. पानी। अन्दाज लगाइये कितना पानी होता है। और क्यों? क्योंकि राजस्थान अपना शेयर लेने के लिए अपनी क्षमता नहीं रखता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी भरतपुर फीडर जो यमुना से निकलती है जिसके लिए आज 300 क्यूसेक पानी लेने की बात है, वह भी एक अण्डरस्टेंडिग सी ही है, उसका भी समझौता नहीं है। कितना पैसा खर्च हुआ निकालने के लिये और क्या अण्डरस्टेंडिग है? कि बरसात के दिनों में जब यू.पी. के पास सरप्लस पानी होगा तब तीन सौ क्यूसेक पानी तीस दिन तक देंगे। **Entirely on their mercy** अगर इस भरतपुर फीडर को आप गहरी कर देते हैं, लम्बा कर देते हैं, उसको और आगे तक ले जाते हैं तो काफी पानी लेने की आपमें क्षमता हो जाएगी राजस्थान के लिए। हरियाणा जो लेना चाहता है 0.25 बी.सी.एम. पानी, आप भरतपुर फीडर को बढ़ा दीजिये, आप गुड़गांवा कैनाल को सक्षम कर दीजिए, जो कामां वगैरह को पानी देती है, ले सकेंगे हम। उसमें कितना खर्चा होगा? खर्चा होगा तो बरदाश्त कर सकते हैं आप। यहां से नहीं कर सकते, कहीं और जगह से कर्जा ले सकते हैं उस काम के लिए। वर्ल्ड बैंक से ले सकते है या और कहीं से ले सकते हैं। बजट स्पीच में लिखा है कि आप जर्मनी से लेने जा रहे हैं। कही से भी आप लीजिए। तो मेरा आपसे संक्षेप में यह निवेदन है कि भरतपुर में सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए यमुना के....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप संक्षेप पर तो आ ही गये थे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैंने तो अपना एक विषय लिया था यमुना नदी का। मैं आपका अहसान मानूंगा थोड़ी देर टाइम और दे देंगे तो।

(श्री हरिसिंह)

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था यमुना नदी के पानी के लिए, एक बात। दूसरा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमन्, कि हमारे यहां पर कुल तीन नदियां आती थीं जिनसे फ्लड आता था गम्भीरी, रूपारेल और बाणगंगा। अब देखिये, हमारी बदकिस्मती आपको निवेदन करना चाहते हैं कि गम्भीरी को तो रोक दिया गया पांचना पर सवाईमाधोपुर में। उस समय हम भी पुकारे थे, काफी कहा था हमने। हमको यह बताया गया था उस समय कि पांचना के अन्दर तो आपके फ्लड वाटर को कंट्रोल करने के लिए हम पांचना बांध बना रहे हैं। पानी जो एक्सेस आता है उसको केवल रोकने के लिए। सिंचाई के लिए पांचना बांध नहीं बनाया गया था। **That was a scheme for controling the floud.** लेकिन आज तो वह पानी को बिलकुल रोक देते हैं। फ्लड वाली बात छोड़ दीजिये आप। पहला जो फर्स्ट फ्लो आना चाहिए भरतपुर के अन्दर, उसको भी रोक देते हैं। सूखी पड़ी रहती है गम्भीरी नदी, पांचना में पानी रोक दिया जाता है। वह नदी हमारी खतम कर दी, सुखा दी। बाणगंगा पर जयपुर से लेकर भरतपुर तक तमाम छोटे-छोटे बांध बना दिये गये। बाणगंगा में पानी आता नहीं। रूपारेल का काफी झगड़ा चला था टोडाना पर रोकने का। तो जो नदियां पानी लाती थीं, उनको रोक दिया गया, श्रीमन्। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई मंत्री महोदय, कि कम से कम गम्भीरी के अन्दर तो फर्स्ट फ्लो तो बरसात का आना चाहिए जिससे कि वहां पर सिंचाई हो। बाणगंगा का पानी वहां पर आना चाहिए। यह जो पचास साल पुराना सिस्टम है भरतपुर का, जो आज टूटा पड़ा है जिसकी वजह से भरतपुर सरसब्ज हुआ करता था, भरतपुर में कभी अकाल नहीं पड़ा करता था। भरतपुर के अन्दर अगर पानी आता था, एक-एक बूंद पानी को रोका करते थे। सीरिज में बंधे बने हुए है। पहले एक बांध भरेगा, दूसरे में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, फिर चौथे में आएगा और एक्सेस होगा तो यू.पी. के अन्दर जाएगा, आज वह बंधे भी टूटे हुए पड़े हैं, उनकी नहरें सब की सब चूंकि कच्ची हैं न वह तो, पक्की थोड़े ही हैं, उसके अन्दर सिल्ट हो गया है कि वह पानी नहीं ले जा सकती। मेरे कुम्हेर के अन्दर तो कोई बीस-तीस बंधे हैं, मैंने सवाल भी पूछा था, कम से कम तीस बंधों में बिलकुल ही पानी नहीं आया भरतपुर और कुम्हेर के अन्दर। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, श्रीमन्, कि भरतपुर के पुराने सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए, उसको फिर पुरानी स्थिति में लाने के लिए, जो पचास साल पहले स्थिति थी उसकी, मैं नयी बात नहीं कर रहा, पचास साल पहले की स्थिति में लाने के लिए उस पर पैसा खर्च करें। जितनी भी पुरानी हमारी कैनाल हैं जो भरी हुई हैं मिट्टी से, उन्हें खुदवाइये, टूटे हुए बांधों की पूरी मरम्मत करवा दें और मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक होम्स कैनाल है, आप नोट कर लें, होम्स कैनाल के अन्दर पानी आता है, उस पानी को हम रोक सकते हैं, उस पर कहीं बीच में कट्टा डालकर रोक सकते हैं, उससे आप सिंचाई का प्रबन्ध कर सकते हैं। इस पर कोई ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है, इतना

(श्री हरिसिंह)

खर्चा आप बरदाश्त कर सकते हैं। इन सब छोटे-छोटे कामों के लिए, श्रीमन्, आप पैसे की व्यवस्था करेंगे तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आपने एक हमारा पुराना सिस्टम रिजुविनेट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे देवीसिंह जी भाटी आज हैं नहीं, उन्होंने वादा कर रखा है कि वह भरतपुर आएंगे, भरतपुर आकर मौके को देखेंगे वह....

श्री रामनारायण चौधरी : कहां गये? भाटी साहब कहां गये?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं तो आपको ही देखता हूं, आप से ही उनकी मूर्ति देख रहा हूं मैं और सिंचाई मंत्री हैं, याद दिलाना चाहता हूं कि अगर वह नहीं आ सकें, आप आ जाइये और आकर देखें उस सब सिस्टम के लिए।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : आज शाम तक सिर्फ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह स्टेपनी कहीं ही फिट कर लो।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : और जो जरूरत है वह काम करने के लिए आप करेंगे तो मैं आपका बहुत-बहुत अहसान मानूंगा।

ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे आसन पर आरूढ़ माननीय सभापति महोदया और बोलना चाहती हैं। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि एक ललता मूंडिया कैनाल है वह कुछ दिन पहले रोक दी गयी थी। वह मिट्टी डालने से बन्द हो गयी। उस ललता मूंडिया को फिर से आप चालू कर दें। पुरानी चलती हुई कैनाल है, फ्लड आता था तब लोग हाय-तौबा करते थे इसीलिए उसको बन्द कर दिया गया। उसके दरवाजों पर मिट्टी डल गयी, बन्द हो गयी। उस कैनाल को आप चालू कर देंगे तो हमारे कुम्हेर में, सेवर में पानी आ जायेगा। बाणगंगा में जितना भी पानी आएगा उसका सदुपयोग हम करना चाहता हैं। हम यह नहीं चाहते कि आपने जो कहीं बांध बनाये हैं उनको तोड़ दीजिये।

तो इन्हीं शब्दों के साथ कि पुराना जो सिस्टम है उसको पुनः चालू करें आप, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार होऊंगा।

श्री सभापति : श्री खंगार सिंहजी।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के समय सम्बन्धित विभाग के मंत्री की सदन में अनुपस्थिति की सूचना

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, पाइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्यों ने, हमने पहले भी जिक्र किया था, इस सदन की परम्पराएं रही हैं, आज सदन के नेता किसी जमाने में विपक्ष में बैठते थे और विपक्ष के नेता होते थे, उस जमाने में आप दूसरे मंत्री को सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि को भी रखने की इजाजत नहीं देते थे और आज, सभापति महोदया, सिंचाई मंत्री....

श्री कैलाश मेघवाल : बीमार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : बीमारी की कोई सूचना नहीं है सदन को, हमारे पास कोई सूचना नहीं है और मैं आपको यहां की....

श्री सभापति : आप नहीं थे, सूचना दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था मैं बता रहा हूं। व्यवस्था सुनिये, सभापति महोदया। व्यवस्था है, सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में कार्य-सूची में जिस मंत्री का नाम है यदि वह सदन में उपस्थित नहीं हो सके तो अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जानी चाहिए तथा उसके स्थान पर जो मंत्री कार्य करे, उसका नाम भी बताया जाना चाहिए।

श्री सभापति : बताया था न।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये, श्रीमन्। वित्त विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखी जाने के लिए अध्यक्ष ने वित्त मंत्री, श्री मथुरादास माथुर का नाम पुकारा, वे सदन में उपस्थित नहीं थे। उनके स्थान पर उप मंत्री, श्री बृजप्रकाश गोयल खड़े हुए। श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर कहा कि अभी सैण्ट्रल पार्लियामेंट में व्यवस्था दी गयी है कि जिस मंत्री का नाम पुकारा जाए वह अगर अनुपस्थित हैं तो वह अध्यक्ष को लिखकर सूचना दें कि उनके कार्य को फलां-फलां अंजाम देगा। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा यह परिपाटी माननीय सदस्य ने बतायी है वह ठीक है। यदि कोई मंत्री महोदय नहीं आ सकते हैं तो अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जानी चाहिए और भविष्य में इस परिपाटी का अनुपालन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया, यह तो सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि के सम्बन्ध में व्यवस्था है और आज अरबों रुपये की अनुदान की मांगें हैं, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जो परमानेंटली अपाइंटेड हैं राज्यपाल महोदय के द्वारा, जिन्होंने शपथ उठायी है, वह जयपुर में रहते हुए बिना वजह विधान सभा की उपेक्षा कर रहे हैं, आना नहीं चाहते हैं।

श्री सभापति : ऐसी बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : विधान सभा को फेस नहीं करना चाहते हैं वह। सिंचाई के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या प्रोग्राम हैं, किस प्रकार से पहले खर्चा हुआ है, कैसे आगे खर्चा होगा, कैसे मुकाबला किया जायेगा, कौन बता सकेगा ? माननीय कैलाशजी, बहुत काबिल हैं, होम मिनिस्टर हैं, हम उनका आदर करते हैं....

श्री सभापति : सिंचाई मंत्री रहे हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सिंचाई मंत्री भी रहे हैं यह। हां रहे हुए हैं, हमें मालूम है। आज नहीं है, आज होम मिनिस्टर की हैसियत से आज हम उनका आदर करते हैं और वह सक्षम हैं लेकिन यह सिंचाई मंत्री नहीं हैं। सिंचाई का सारा बजट उनके पास है, यह कैसे जवाब दे सकेंगे ? इनके पास कोई ऐसी आई थोड़े ही है। सदन को कोई जानकारी नहीं है। यह सदन का सरासर अपमान है, सभापति महोदया। बिना सदन की, बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई भी मंत्री, जिसका बिजनेस हाउस के अन्दर एनलिस्टेड हो, सदन से गैरहाजिर नहीं हो सकता और जयपुर

(श्री रामनारायण चौधरी)

में बैठे हुए हैं, अपने घर पर हैं तो यह सदन का सीधा अपमान है । इसकी आप पहले व्यवस्था दीजिये और बुलाइये मंत्री महोदय को । मंत्री महोदय को नहीं बुलायेंगे तब तक सदन की कार्यवाही का सन्तोषजनक ढंग से संचालन नहीं हो सकेगा । आप उनको बुलाइये, आदमी भेजिये उनके यहां ।

श्री सभापति : आप व्यवस्था चाहते हैं न । माननीय सदस्य, आपकी चिंता तो है वाजिब, परन्तु हमारे सिंचाई मंत्रीजी बीमार हैं, अध्यक्षजी की आज्ञा से वह घर पर हैं और उनका जो सिंचाई विभाग का प्रभार है, माननीय होम मिनिस्टर कैलाश जी मेघवाल को दिया हुआ है, यह सक्षम हैं । आपकी चिंता भी वाजिब है लेकिन आपकी चिंता दूर की जाएगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : इसकी घोषणा कराओ इस सदन में । सदन को कोई जानकारी नहीं है । सदन में कहां घोषणा हुई है ?

श्री सभापति : अध्यक्षजी से इजाजत ली हुई है ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : सरकार गम्भीर नहीं है इस मामले के अन्दर, सभापति महोदया ।

श्री सभापति : तो अब तो जानकारी हुई न, अध्यक्षजी से इजाजत लेकर वह चिकित्सा में हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : तो सदन को अवगत क्यों नहीं कराया ?

श्री सभापति : कराया है पहले, आप नहीं थे ।

श्री शंकरलाल अहारी : सदन को जब तक अवगत नहीं कराया जाता तब तक हम नहीं मानते हैं कि....

श्री सभापति : पहले भी एतराज आये हैं तब यह बात हो चुकी है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, यह तो आप कह रही हैं । बाकी ज्यों ही अवकाश लिया, अध्यक्ष महोदय के द्वारा ज्यों ही स्वीकृति दी गयी, यहां घोषणा होनी चाहिए, एक बात । दूसरा, कौन प्रभारी मंत्री इसका जवाब वगैरह देंगे और तीसरा बजट का सवाल है । यह सक्षम हैं क्या ? बजट पूरा खर्च कर देंगे इसके लिए ? घोषणा कर सकते हैं कोई ? हमारी कई समस्याएं पैदा होंगी ।

श्री सभापति : सारे ही सवालों में एक सवाल है कि सिंचाई मंत्रीजी बीमार है, वह अनुपस्थित रहने की आज्ञा ले चुके हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसके लिए सदन में कायदे से पहले आपको बताना चाहिए था ।

श्री सभापति : अभी जानकारी कर लेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : छुट्टी के लिए, माननीय सभापति महोदया, सदन से अनुमति लेनी पड़ती है, अगर मंत्री महोदय बीमार हैं, छुट्टी पर हैं । तो सदन में कोई आवेदन-पत्र नहीं आया है, अध्यक्ष महोदय ने पढ़कर नहीं सुनाया है । (व्यवधान)

श्री अमराराम : हैं, तो कब तक हैं ?

श्री सभापति : आप तो समस्याएं बताइये, सुझाव दें और आप जो बजट के प्रति....(व्यवधान)

श्री अमराराम : माननीय सभापति महोदया, क्या आप यह बता सकती हैं कि सिंचाई मंत्री कितने दिन की छुट्टी पर हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी । आप बताइये, सुझाव दें किसको । जब सिंचाई मंत्री ही नहीं हैं, सरकार नहीं है ...

श्री सभापति : जो मंत्री....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमें क्या मालूम । कहां घोषणा हुई ? आप घोषणा बताइये ।

श्री सभापति : मैंने बताया, मैं आपको अभी....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : साहब, यह तो ऐसी स्टेपनी है, कहीं भी लगा दो । ऐसे काम थोड़े चलेगा । वह बीमार हो करके.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : यह सक्षम हैं, हम मानते हैं, कृषि विभाग के काम का तो जवाब दे देंगे पर वह इसका तरीका नहीं होता ।

श्री सभापति : देखिये, सरकार जिम्मेदार है, वह जिनको भी जिम्मेदारी सौंपती हैं उसमें किसी प्रकार की कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, सरकार कहां है ? सरकार खाली पड़ी है । सब खाली पड़ी है । सरकार नजर नहीं आ रही । ऐसे मामले में न सरकार है, न सिंचाई मंत्रीजी है । (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : किसानों के सम्बन्ध में जो सिंचाई की डिमाण्ड है और उनके प्रभारी मंत्रीजी न हो करके दूसरे जो प्रभारी मंत्रीजी हैं, वह नोटिस लेंगे परन्तु

(13.50)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

क्या प्रोजेक्ट है, क्या सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार का राजस्थान को प्रोजेक्ट देना है, यह जब तक सिंचाई मंत्री महोदय यहां पर नहीं रहेंगे, माननीय सदस्यों की भावना का उनको कैसे पता लगेगा ?

श्री अध्यक्ष : क्या आप बोल रहे हैं ?

श्री रामनारायण डूडी : नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बोल कौन रहे हैं ?

श्री रामनारायण डूडी : पाइण्ट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये । व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : स्पीकर साहब, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदन के नेता जब विपक्ष में बैठते थे तब सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रों के सम्बन्ध में उन्होंने आपत्ति उठायी थी और उनकी आपत्ति को सुना गया था और आसन से इसका निर्णय दिया गया था। आज वैसी ही गम्भीर स्थिति है, मान्यवर, कि सिंचाई मंत्री जो आज की मांगों को रखने वाले थे उन मांगों को रखवा दिया और अब मांगों के बारे में विचार हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई सिंचाई मंत्री नहीं है। कौन उसको सुन रहा है और कौन इसका जवाब देगा, इसकी सदन को कोई जानकारी नहीं है। सिंचाई मंत्री जयपुर में होते हुए सदन में आने से कतरा रहे हैं, वह सदन का जानबूझकर अपमान करना चाहते हैं। वह इस सदन को फेस नहीं करना चाहते। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे जानना चाहता हूं कि जयपुर में रहते हुए, सदन में आते नहीं हैं, डिमाण्ड जो अरबों रुपयों की है, वह पेश नहीं करना चाहते हैं, उस पर उठने वाले प्रश्नों का वह जवाब नहीं देना चाहते हैं। मैंने आपके द्वारा पहले दी हुई व्यवस्था सदन के अन्दर पढ़कर सुनाई है, जो सिर्फ पत्रादि सदन की मेज पर रखे जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा दी हुई है, आप उसका भी मुलाहिजा फरमाइये, आज के लिए व्यवस्था कर दीजिए कि किस प्रकार से सिंचाई मंत्री महोदय अपनी मांगों के समर्थन में यहां उपस्थित नहीं हैं। मांग यहां पर पेश नहीं की और उसके सम्बन्ध में क्या व्यवस्था होगी, सदन इस मामले में बिल्कुल अपरिचित है, अनभिज्ञ है और अपना अपमान महसूस कर रहा है कि यहां होते हुए भी वह आ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। इस सम्बन्ध में पहले भी एक सवाल खड़ा हुआ था। मंत्रीमण्डल की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी नियमों में और पालियामेन्टरी प्रेक्टिस में यह व्यवस्था है कि कोई भी मंत्री किसी भी विभाग की मांग के बारे में उस मंत्री के कहने पर जवाब दे सकता है। यह तो व्यवस्था है।

जहां तक सिंचाई मंत्रीजी का सवाल है, उन्होंने आज सुबह ही मेरे से परमीशन मांग ली थी, लिख कर दे दिया था कि मेरी ओर से कैलाशजी जवाब देंगे। तो वह जो फार्मेलिटिज थीं मुझे लिखित में देने की, वह उन्होंने कर ली। मेरे से परमिशन भी मांग ली और इस प्रकार की बहुत व्यवस्थाएं हुई हैं और लिखित में भी आ गया।

अपने यहां की यह व्यवस्था है, यह 20–7–1967 की है, सरकार की ओर से कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है, केवल विभागीय मंत्री को ही उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहां की यह व्यवस्था है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जीपों तथा अन्य मशीनरी की खरीददारी से सम्बन्धित मामलों पर थोड़े समय की चर्चा का उत्तर देने के लिए जब वित्त मंत्री, श्री मथुरादास माथुर खड़े हुए तो श्री नत्थी सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर कहा कि विवाद का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से है, सूचना भी उन्हीं के

(श्री अध्यक्ष)

नाम से दी हुई है, अतः वित्त मंत्रीजी द्वारा उत्तर दिया जाना अनुचित है।

इस पर उपाध्यक्ष ने कहा, नियमों में ऐसी बाधा नहीं आती जिसके अनुसार एक मंत्री के विभाग के बारे में दूसरे मंत्री जवाब नहीं दे सकते।

अन्य सदस्यों द्वारा भी आपत्ति किये जाने पर श्री उपाध्यक्ष ने पुनः कहा, वित्त मंत्री इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अगर सरकारी पक्ष से उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आसन उनको बाध्य नहीं कर सकता।

तो जहां तक फोर्मेलिटीज का सवाल है कि उनको परमिशन मांगनी चाहिए थी, उन्होंने मांग ली, लिखित में दे दिया और वह काम कैलाशजी को दिया। इसकी मैंने उनको स्वीकृति भी दे दी और वह देने का उनको अधिकार है। इसलिए इसमें विवाद का कोई विषय ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने उठाया था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो सकता है कि जो बात मुझे मालूम है, वह उस समय जो सभापतिजी बैठे थे उनको पता नहीं होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : एक और.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पता नहीं। खैर, मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया।

खंगारसिंहजी।

मांग संख्या 46 एवं 12 पर विचार

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : आदरणीय अध्यक्ष जी, सिंचाई का विषय चल रहा है और मैं मेरे पाली जिले की तरफ आपकी मार्फत मंत्रीजी को अवगत करना चाहता हूं। पाली जिला कुओं से सिंचित एरिया है। वहां पर नहरें, बांध कम हैं। अगर एक बांध है भी जवाई बांध, तो उसका पानी पाली और जोधपुर के लिए पीने के काम में लिया जाता है। पाली जिले की जमीन का एरिया तीन भागों में बंटा हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी एरिया है और रेतीला भी है। इसमें तीन तरह की जमीनें अलग-अलग हैं, कुछ क्षारीय है, लवणीय है और पथरीली भी है। सिंचाई के साधन वहां पर ज्यादातर कुओं से हैं और कुओं का लेवल दिनोंदिन नीचे चला गया है। कुओं का खारा पानी जमीन में थोड़ा ऊपर है जहां मीठे पानी के स्रोत के कुएं थे उनका भी पानी खारा होने लग गया है। नदियों के किनारे जहां गांव बसे हुए हैं और नदियां जो पाट से चलती हैं, उस समय काफी दूर का पानी मीठा होता है नहीं तो अकाल के समय दूर वाले गांवों का और कुओं का पानी बिलकुल खारा पड़ जाता हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्षारीय और लवणीय भूमि सुधार के लिए एक तो जिप्सम का उपयोग लघु, सीमान्त की सीमा बांध कर करने दिया जाता है, इस सीमा को हटाया जाए और सिंचित क्षेत्र में जहां भी कृषक, चाहे, चाहे वह बड़ा हो, चाहे छोटा, सबको यह सुविधा जिप्सम वाली मिलनी चाहिये। लघु सिंचाई योजना के तहत राजस्थान के कुछ जिलों में यह छूट

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

है कि लघु सिंचाई के लिए काश्तकार अगर कुआं बनाये तो पाइप लाइन द्वारा अपने खेत की पिलाई में सक्षम तरीके से पानी ले जा करके कर सकता है। इसलिए मैं यह भी निवेदन करता हूं जहां नदियों के किनारे अच्छे स्रोत हैं, पानी है उस पानी को दो किलोमीटर, एक किलोमीटर जहां उसकी जमीन है, जहां क्षारीय जमीन है वहां

(14.00)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

ले जाकर वह सिचाई करना चाहे तो उसको लघु सिंचाई में लेकर के उनको अनुदान, सब्सिड़ी दी जा करके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे मीठे पानी का यूज खेती में कर सके।

इसी प्रकार हमारे यहां सिंचाई के साधन कम हैं क्योंकि बारह मास बहने वाली कोई नदी नहीं है अरावली पहाड़ सूखा है और बरसात में नदियां चलती हैं, जिससे जल स्तर हमारे कुओं का ऊपर नहीं आता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां-जहां नदियां है, उन पर बेसफ्लो बनाये जाएं। बेसफ्लो से जमीन में पानी का लेवल ऊपर आएगा और पानी का लेवल ऊपर आने से कुओं का जल स्तर भी ठीक तरह से रहेगा। पहाड़ के अन्दर, जहां-जहां भी ऐसी जगह है कि एनीकट बनाए जा सकते हैं तो वह बनायें। एनीकट बनाने से जमीन में पानी रिसेगा वो कुओं का लेवल ऊपर आएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज से चार-पांच साल पहले तीन-चार जगह नदियों पर बेसफ्लो का उपयोग किया गया था और बेसफ्लो के उपयोग से जो साइड में कुएं थे उनका पानी काफी ऊंचा आया बरसात होने पर और वह टिकाऊ भी रहा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं जहां-जहां यह नदियों के स्रोत हैं उन पर बेसफ्लो बनाया जाए और बेसफ्लो के हिसाब से कुओं का पानी वहां सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है। और भी हमारे यहां कई एक समस्याएं खेती के लिए हैं जिनको दूर किया जाए। पानी कम है, वर्षा कम होती है।

हम अपने पशु वगैरह को पालने के लिए गर्मियों में खेती के समय रात दिन एक करते हैं और एक करने के बावजूद यह आपकी नील गायें रोज हमारी फसल को नष्ट कर देती हैं। इस साल अकाल है अगर हम हरा चारा, रिजका पैदा करना भी चाहें तो यह रिजका पैदा हम इस गर्मी के मौसम में नहीं कर सकेंगे। जिसका कारण है थोड़ा बहुत क्षारीय और लवणीय भूमि में खारे पानी में यह रबी की फसल होती है तो उसमें भी रोज वगैरह लग जाते हैं। अब मीठे पानी के सिवाय रिजका पैदा नहीं हो सकता और रिजका को यह रोज वगैरह हमारा नुकसान करेंगे। फसल के लिए कई समय यह समस्या यहां विधान सभा में उठ चुकी है परन्तु इसका कोई भी समाधान काश्तकारों के हित में सरकार ने नहीं किया है। मैं चाहता हूं, जिस प्रकार से अभी किसी भी मालिक का मवेशी किसी खेत में जाता है तो उसके लिए फाटक का इन्तजाम होता है,

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

अगर इस सरकारी धन को आप रखना चाहते हैं, इन रोजों को पनपाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ न कुछ इन्तजाम करना पड़ेगा नहीं तो आने वाले समय में यह इतने बढ़ गये हैं कि झुण्ड के झुण्ड फैल गये हैं और काश्तकार रात के समय और दिन के समय सुख की नींद नहीं ले सकता। जिसकी बारह महीने की कमाई है वह एक घण्टे में साफ कर जाते हैं। इस तरह से इस समय काश्तकार दुखी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार कोई न कोई व्यवस्था करे नहीं तो गोली चलाने का आदेश दे। 'अगर हमारी जमीन में, हमारी खातेदारी में वह आते हैं तो उनके लिए गोली का आदेश होना चाहिए नहीं तो इसके लिए मजबूरन आन्दोलन भी करना पड़ेगा। हमारी फसलों को बचाने के लिए हमें व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इनको रखना है तो आप इनका इन्तजाम करिये इनके रखने के लिए। अगर हमारी जमीन में आते हैं तो हमारी फसल का नुकसान हम नहीं होने देंगे। इसलिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

अब मैं यातायात पर भी कुछ बोलना चाहता हूं। यातायात मन्त्री जी यहां बिराजमान हैं। हमारे खारची क्षेत्र के अन्दर न तो तहसील हैड क्वार्टर परिवहन से जुड़ा हुआ है और न ही जिला हैडक्वार्टर जुड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी केन्द्र के बजट के अन्दर जयपुर के मारवाड़ जंक्शन की बड़ी लाइन डालने का प्रावधान है और इस प्रावधान से बसों के द्वारा यातायात का साधन होगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि नेशनल हाइवे रोड से अगर सोजत हो करके मारवाड़ जंक्शन बस से जाएंगे तो काफी समय नष्ट होगा इसलिए सांडिया गांव से बगरी होते हुए सोजत रोड होते हुए भैंसाना होकर दुडोद होकर मारवाड़ जंक्शन यह सीधा रास्ता है और वहां करीब-करीब 6 या 8 महीने तक बसों द्वारा ट्रेफिक चलेगा इसलिए सोजत रोड से भैंसाणा तक करीब 8–10 किलोमीटर गिट्टी की सड़क बनी हुई है उसको डामर कर दिया जाए तो पैसे का भी फायदा होगा, समय की भी बचत होगी, यह सुझाव परिवहन मन्त्री जी को देना चाहता हूं। हमारे सिंचाई मन्त्री जी बिराजे हैं। इसके अन्दर यह करना बहुत जरूरी होगा। करीब-करीब एक घण्टे का फायदा होगा और चालीस किलोमीटर का अन्तर पड़ेगा। इसलिए इसको बहुत ढंग से किया जाए तो समय का भी बचाव होगा और पैसे का भी बचाव होगा।

आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदया, मांग संख्या 46 और 26 के ऊपर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदया, आज के सदन के नेता जब प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे तो अक्सर अखबारों में छपता था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के मुख्य मन्त्री और मन्त्री केन्द्रीय सरकार के सामने, पंजाब की सरकार के सामने, हरियाणा की सरकार के

(श्री जुबेर खान)

सामने घुटने टेकते रहते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूंगा कि सन् 1977 से 1980 तक, 1990 से 1992 तक और अब तीसरी टर्म में मुख्य मंत्री जी, जो उस समय प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, कार्यरत हैं। आज कहीं से यह सुनाई नहीं देता कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कहीं ऊंची जबान में या अपनी कोई शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या कोई व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश को वितरण के आधार पर, जो कि इन्टर स्टेट के एग्रीमेंट्स हैं, मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग हैं उनके आधार पर पानी मिल जाए। रावी सतलज और व्यास नदियों में पचास प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा है और किसी किसी में तो 60 प्रतिशत तक का हिस्सा हमारे राजस्थान का है। सभापति महोदया, मैं आज जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और सिंचाई मन्त्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता के लिए कितना पानी लाने में सक्षम है?

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं कि इसी पवित्र सदन में बार-बार मांग उठाई जाती थी कि कन्ट्रोलिंग अथोरिटी हमारी होनी चाहिए जो भी इन नदियों का पानी भाखड़ा नांगल में जमा होता है और भी कहीं जमा होता है वहां पर जब तक राजस्थान की कन्ट्रोलिंग अथोरिटी में कोई साझेदारी नहीं होगी तब तक हमें पानी नहीं मिल सकता है। यह बात सत्य है लेकिन आज वह कन्ट्रोलिंग अथोरिटी कहां जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कन्ट्रोलिंग अथोरिटी कहां जा रही है? मन्दिर मस्जिद बनाने और तोड़ने में ही कन्ट्रोलिंग अथोरिटी कोई चलेगी या राजस्थान, जहां अकाल पड़ता है, पानी नहीं मिलता है, कि गरीब जनता के लिए भी कुछ अथोरिटी दिखाने की कोशिश की जाएगी।

सभापति महोदया, इसी तरह साबी नदी का पानी बेस्टेज जाता था। सन् 1977–78 में एक योजना बनी कि केन्द्र सरकार उसमें हिस्सा देगी पचास प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत राजस्थान सरकार देगी और 25 प्रतिशत हरियाणा सरकार देगी। इस भा.ज.पा. की सरकार में माननीय मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में वह ऐसी परियोजना बनी कि हमारे राजस्थान की जनता का पैसा तो चला गया, सभापति महोदया, आप तो जाती होंगी दारूहेड़ा से पहले राइट साइड में एक बांध आता है, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, उसमें स्थिति यह बना दी उस समय के माननीय मुख्य मन्त्री जी ने दूरदृष्टि नहीं दिखाते हुए और वहां की सरकारों के सामने घुटना टेकते हुए कि सारा कैचमेंट एरिया तो राजस्थान का, राजस्थान के गांवों की जमीन तो कैचमेंट में और सिंचाई होगी सारी हरियाणा में। आप नजर दौड़ाइये, जितनी भी नहरें निकलेंगी हरियाणा में जाएंगी, रेवाड़ी और गुड़गांवा जिले में जाएंगी और हमारे सामने यह भी समस्या आएगी, पैसा हमने बराबर दिया है अपने हिस्से का, कि अब कैचमेंट में अगर हम छोटे बांध भी बनाना चाहें या एनीकट भी बनाना चाहें तो हमें परमिशन नहीं मिलेगी सिंचाई विभाग से क्योंकि आगे यह साबी की बड़ी परियोजना

(श्री जुबेर खान)

बनी हुई है। इससे हमारे प्रान्त का यह नुकसान हुआ है।

सभापति महोदया, क्योंकि आप घंटी बजा देंगी इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस बार के बजट में या पिछली बार के बजट में जितना विश्वासघात और जितना पक्षपात, दुर्व्यवहार पूर्वी राजस्थान के साथ आपकी सरकार ने किया है ऐसा कभी नहीं किया। आप देखिये जितने भी राजा-महाराजाओं के समय में बांध बनवाये गये हैं, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, आज उनका रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। राजस्थान सरकार बता दें कि एक पांचना बांध को छोड़ कर पूर्वी राजस्थान में, चाहे अबकी सरकार हो, चाहे पहले की सरकार रही हो, कौनसी सरकार ने सिंचाई के लिए कोई योजना बनायी है या बांध बनाये हैं। आज स्थिति यह हो रही है कि बांध टूट गये, जो 1980 की बाढ़ आयी थी। आज बांधों की मरम्मत नहीं की जा रही है और जब हम जाते हैं सिंचाई विभाग के पास तो कहते हैं कि हमारे तो रिकार्ड में ही नहीं है यह बांध। हम कहते हैं कि बांध तो हैं, राजा-महाराजाओं ने बनवाये थे और रिकार्ड में नहीं है तो आप अपने रिकार्ड में चढ़ा लीजिये। यहां आपके सामने भौतिक रूप में बांध मौजूद है लोगों की भलाई के लिए फिर क्यों नहीं चढ़ाते। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिए कि जो कोई ऐसे बांध हैं जो जन उपयोगी हैं, जो छोटी-छोटी सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं उनको आपका विभाग अपने अण्डर में ले क्योंकि पंचायतों वगैरह के पास इतना पैसा नहीं होता कि जन सहयोग से उनकी मरम्मत करायी जा सके। उनको अपने अधीन लें और प्रस्ताव बनाकर आपके पास भेजें और उनकी मरम्मत करवायें। कहते हैं कि हमें तो मरम्मत का पैसा ही नहीं मिलता। आज चाहे सिलीसेड का बांध हो, चाहे जयसमंद का बांध हो, चाहे विजय मन्दिर का बांध हो, चाहे अकरिया बांध हो, कोई भी बांध हो, सबकी नहरों की स्थिति यह है कि टूट गयीं तो उनको मरम्मत कराने का नाम कभी आपका सिंचाई विभाग लेता नहीं है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आपके सिलीसेड बांध से पूरी सिंचाई होती थी अलवर तक, अलवर के कम्पनी बाग में अलवर के स्टेट के टाइम पर जितने भी बड़े-बड़े बंगले और बागान थे सब में वहां सिंचाई होते हुए नहर जाती थी। आज सिलीसेड बांध का जो सिंचाई क्षेत्र है वह काफी कम हो गया है क्योंकि आबादी बढ़ गयी है, कॉलोनियां बन गयी हैं। कॉलोनियां भी आपकी यू.आई.टी. ने काट दी हैं। लेकिन आप उसके पानी से दूसरी जमीन की सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आज आपकी नहरों पर अतिक्रमण हो गया, रोक दी गयी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सर्वे करवाइये। जयसमंद हो, सिलीसेड हो चाहे विजयमन्दिर हो, चाहे कडोती का बांध हो, चाहे टिपरोली मेवखेड़ा का बांध हो, जितने भी ऐसे बांध हैं जो राजा-महाराजाओं के टाइम पर बनाये गये थे और उनसे सिंचाइयां होती हैं उनकी नहरें जोत दी गयी हैं, उन पर अतिक्रमण कर दिया गया है आगे टेल एण्ड तक पानी नहीं जाता है, उनका आप सर्वे कराइये

(श्री जुबेर खान)

क्योंकि सिचाई विभाग के रिकार्ड में है, राजस्व रिकार्ड में यह नहरें दर्ज हैं। आज सहारा लीजिये सरकार का और प्रशासन का और उन पर से अतिक्रमण हटवाइये और नहरों की मरम्मत करवाइये ताकि गरीब जनता को थोड़ी बहुत सिंचाई का पानी मिल सके।

मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि रामगढ़ तहसील में एक खोह बांध है जिससे कम से कम चार-पांच सौ बीघा की सिंचाई होती थी, आज वह टूटा पड़ा है, आप इसकी मरम्मत करवाने की कृपा करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग ने अरबों रुपये लिए हैं, मेहरबानी करके इसमें कुछ समायोजन करिये कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर पूर्वी राजस्थान का कोई उद्धार कर सकें। जहां तक गुडगांवा नहर का सवाल है आप भरतपुर को तो दीजिये लेकिन आप अलवर के लिए भी इसकी व्यवस्था करिये क्योंकि जिस तरह से कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है जमीन में, आप पेट के की आस तो कर रहे हैं, मुख्य मंत्री महोदय लेकिन गोद के की आस भी करिये, कहीं गोद वाला बीमार होकर ना मर जाए क्योंकि अलवर, भरतपुर में आप यह कह कर कि कुओं से सिंचाई होती है, बरसात अच्छी होती है आप कोई प्रावधान नहीं रखना चाहते बजट में। आज स्थिति यह हो रही है कि ज्यादातर कुएं सूख गये हैं और वो ही एक मात्र सिचाई का साधन है। ज्यादातर सिंचाई कुओं से होती है, नलकूपों से होती है। आप छोटे-छोटे एनीकट बनवाइये जो भी साइड सूटेबल हो ताकि पानी का स्तर बढ़ सके क्योंकि पानी बह कर आगे चला जाता है। आप कहते हैं लिफ्ट योजनायें खूब चला रखी हैं आपने। आप पूर्वी राजस्थान का भी उद्धार करिये। क्यों नहीं करते? चम्बल से लिफ्ट योजना क्यों नहीं बनाते? बार-बार इस सदन में भी मांग उठी है, माननीय सदस्यों ने भी आपको बार-बार मांग पत्र दिये हैं, आपको मेमोरेण्डम दिये हैं। आपने कहा है कि विचार करेंगे। आप उस क्षेत्र का सोचिये और चम्बल से लिफ्ट योजना बनाइये और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और सवाईमाधोपुर के हिस्सों को पानी दीजिये ताकि कुछ इस क्षेत्र का भी विकास हो सके और यहां के किसान को भी राहत मिल सके।

सभापति महोदया, मैं यातायात के ऊपर भी कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। माननीय यातायात मंत्रीजी बैठे हैं। यातायात मंत्री नये बन कर आये तो बड़े उत्साह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। हम जाते हैं तो सुनते भी हैं। ईमानदारी से काम करते हैं। सबको सुनते हैं लेकिन तकलीफ यह है, सभापति महोदया, या तो यह बहुत ज्यादा उदारवादी हैं। यह तो कर देते हैं, इनका कहना निगम नहीं मानता या फिर इन्होंने कह रखा है कि मैं तो सबका ही करूंगा अधिकारियों, आप मत करना। मुख्य मंत्रीजी जो निर्देश देते हैं उनके आधे से ज्यादा निर्देशों की पालना नहीं होती। माननीय यातायात

(श्री जुबेर खान)

मंत्रीजी, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अच्छी छवि है, ईमानदारी की छवि है, काम करने वाले की छवि है, आप अधिकारियों के चक्कर में आकर अगर कर देते हैं और आपके आदेश का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जैसा आपके कर्मचारियों ने, आपके अलवर डिपो मैनेजर, ने गांव के लोग आये और कह दिया कि मालपुरा के लिए बस का बसंत पंचमी पर उद्घाटन करने आ जायेंगे, आज तक वहां नहीं गये, इससे अधिकारियों का कुछ नहीं होगा, लोग सोचेंगे कि मंत्री की कोई कमी नहीं है जो काम नहीं हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है आप तो जिला अलवर से ही आते हैं, अलवर के अगल-बगल में 25 कि. मी. की परिधि में जो कस्बे हैं, चाहे रामगढ़ तहसील हो, नौगांवा हो, गोविन्दगढ़ हो, चाहे माला खेड़ा हो, चाहे और छोटे-मोटे जो कस्बे हैं, सबके ए. सी. एम. हैडक्वार्टर, डी. एस. पी. हैडक्वार्टर, एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर, कृषि उपज मण्डी सब कुछ अलवर में लगती है, आप अलवर के चारों तरफ 25 कि. मी. की परिधि में जो भी कस्बे आते हैं वहां कोई शटल बसों की व्यवस्था करिये ताकि लोगों को आपकी जो प्राइवेट और अनआथोराइज्ड गाड़ियां चलती हैं उनकी छतों पर बैठ कर आना पड़ता है, आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, मौतें होती रहती हैं, उनको आप रोक सकें। क्योंकि एक तरफ तो आपकी सरकार मांग करती है कि अनधिकृत बसों को रोकिये, जीपों को रोकिये, चालान भी खूब करते हैं, कभी-कभी तो आपके अधिकारी, ट्रेक्टर ट्रालियों में लोग बैठ कर आते हैं उनको भी रोक देते हैं, जब आपकी सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सकती तो आपको क्या अधिकार है कि लोगों को अपने कामों से आने जाने से रोकें। जब आपके पास साधन नहीं हैं तो आप प्राइवेट बसों को परमिट दीजिये, प्राइवेट जीपों को परमिट दीजिये। उससे आपकी आय होगी और जनता को सुविधा भी मिलेगी। आप तो चाहते हैं कि कोई बस नहीं चले, कोई जीप नहीं चले और आप जनता को सुविधा मुहैया नहीं कराना चाहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये। या तो सब जगह बस चलवायें। नयी-नयी सड़कें बन रही हैं, नये-नये गांव जोड़ रहे हैं तो वहां के लोग कैसे आएंगे, जाएंगे। या तो लकड़बग्गा का सहारा लेंगे। आपने देखा होगा हरियाणा में चलता है, लकड़बग्गा प्राइवेट है। उसमें 10-20 गांव से लोग शहर में बैठ कर आ जाते हैं, सामान ले जाते हैं। डीजल का पम्पसैट होता है कुएं का, उसके आधार पर बनाते हैं। कोई दरवाजा नहीं होता, बैलगाड़ी की तरह होता है। आपके विभाग के और पुलिस के लोग उनको भी थाने में खड़ा कर लेते हैं। या तो उनको मन्थली दीजिये नहीं तो खड़ा कर लेंगे। तो लोग जायें कैसे, समस्या यह है। मेरा आपसे निवेदन है कि किसान लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप निर्देश दीजिये अपने विभाग को कि कम से कम लकड़बग्गे जो गांव में चलते हैं, एक कहावत है, अखबार में भी आया, चालान पेश करने गये, आपके अधिकारियों से पूछा कि इस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या है, इसका नाम

(श्री जुबेर खान)

गया है । आपके अधिकारी बोलते हैं पुलिस वाले कि इसका नाम तो जुगाड़ है । तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि जुगाड़ तो कोई व्हीकल है नहीं इसलिए गलत ले आये, छोड़ो कोई चालान नहीं होगा । तो इस तरह की हकीकत है । जब कोर्ट यह कहता है तो आप इसकी व्यवस्था करिये क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ है....(व्यवधान) अगर आपकी सरकार ऐसे ही काम करती रही तो....(व्यवधान) उधर बैठने का अगली बार मौका मिल जाएगा आप चिन्ता मत कीजिये ।

श्री सभापति : श्री रमाकान्तजी ।

श्री जुबेर खान : आप तो, सभापति महोदया, हममें से ही एक हो, मंत्रिमण्डल का हिस्सा थोड़े ही हैं ।

धन्यवाद ।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : सभापति महोदया, मैं नहीं समझता कि यातायात मंत्रीजी से यह निवेदन करूं कि बड़े-बड़े गांव जैसे मालताना, गड़वसी, दुहार, पीपलाई, बलदेवगढ़, गोवर्धनपुरा, जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर भी है, हजारों की वहां आबादी है और वहां बस नहीं जाती हैं । मेरे उनके बड़े अच्छे सम्बन्ध हैं और मेरे पडौस से आते हैं, यह तो हो जाएगा क्योंकि वैसे भी यह बहुत एफीशियेंट हैं, उत्साही हैं, स्मार्ट हैं, डायनेमिक हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी । परन्तु मैं तो कुछ आधारभूत बातों पर आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं । (व्यवधान) खैर, इनकी बात सुनी जा रही है, सुनी जाएगी और आपका भी काम करवा देंगे, मैं सिफारिश कर दूंगा ।

सभापति महोदया, मैं यातायात मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यातायात मंत्री की कैपेसिटी के अन्दर केवल स्थापना का काम देखा जाए, व्यवस्था का काम देखा जाए या कर इकट्ठा करने पर ध्यान दिया जाए, इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यदि उन बातों पर बैठ कर ध्यान यदि नहीं दिया जाए तो किसी भी देश के लिए यातायात और कम्यूनिकेशन, संचार व्यवस्था यह जो दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं, जो सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था से सम्बन्ध रखती हैं, इन मामलों के अन्दर हम रुटीन के अन्दर फसें रहें तो, मैं समझता हूं, हम जो आर्थिक विकास करने वाले हैं वह विकास सही दृष्टि से हो नहीं सकेगा । क्योंकि इस यातायात का आर्थिक विकास के अन्दर सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है । इसी पर सारा का सारा दारोमदार है कि प्राइसेज क्या होंगी, बाजार के अन्दर किस प्रकार से मूवमेंट होगा, फ्लो कैपीटल किस तरह से मूव करेगी । यह सारा का सारा यातायात और संचार व्यवस्था पर मुनस्सर करता है । इसी पर देश की कानून-व्यवस्था, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, सब-कुछ मुनस्सर करता है ।

सभापति महोदया, किसी भी देश के अन्दर किस प्रकार वहां की व्यवस्था चल रही है, कानून और व्यवस्था कैसी चल रही है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चल रही है, यह आपको तत्काल देखना हो तो उस देश के किसी शहर में पांच मिनट खड़े हो कर ट्रैफिक को देख लीजिये । जिस

(श्री रमाकान्त)

प्रकार का ट्रैफिक होगा एक सचत होगा, अनुशासित होगा और फास्ट होगा उसी प्रकार से उस देश का सचिवालय चल रहा होगा, उसी प्रकार से उस देश की कानून व्यवस्था चल रही होगी, उसी प्रकार से उस देश की सामाजिक व्यवस्था चल रही होगी और उसी प्रकार से उस देश की सारी की सारी आर्थिक गतिविधियां चल रही होंगी। यहां तक कि घर के अन्दर भी लोग बाग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यह भी आप पांच मिनट खड़े होकर ट्रैफिक को देखें तो उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं किसी भी देश का। अब आप हमारे देश के अन्दर खड़े होइये, 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी एक साथ सड़क पर चल रही है। अब उस 16वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक जो चीजें चल रही हैं उसके अन्दर हाथ ठेले भी चल रहे हैं, रिक्शे भी चल रहे हैं, स्कूटर रिक्शे भी चल रहे हैं, बैलगाड़ी भी चल रही है और लेटेस्ट मर्सिडीज भी चल रही हैं। अब मैं यह तो नहीं कहता कि उन+++ गरीब रिक्शेवालों को यहां से हटा दीजियेगा। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जो ठेले वाले और हाथ के ठेले वाले हैं उनको सड़क पर चलने की अनुमति नहीं हो। यह तो बहुत अन्याय होगा और सारी की सारी हमारी रोजगार व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। परन्तु यदि हम कोई एक व्यवस्था करें, किसको इंसेन्टिव देना है, किस को डिसइंसेन्टिव देना है, किस चीज के तरीके को दूसरे तरीके के अन्दर कितनी जल्दी माइग्रेट करने का है तो इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था कहे, इनडायरेक्ट तरीके से चीज बदल जाती है। सभापति महोदया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इंडोनेशिया समृद्धशाली और हमसे ज्यादा एडवांस्ड कण्ट्री नहीं है, वहां पर यह स्कूटर रिक्शा और रिक्शा चलते हैं परन्तु उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है कि मैन रोड़ पर केवल मात्र फास्ट ट्रैफिक चलेगा और साइड रोड़ पर कोई कार नहीं जा सकती, जो फीड करती है मैन रोड़ को उस पर कारों को जाने की इजाजत नहीं है। वहां पर स्कूटर रिक्शा चलेंगे, हाथ के जो साइकिल रिक्शा है वह चलेंगे और उसी के तरीके से वहां साइकिल और स्कूटर रिक्शा भी डवलप कर रहे हैं, उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैन रोड़ पर जिन कारों को सौ की रफ्तार से निकलना है वह भी निकल कर जा रही हैं। उन्होंने एक व्यवस्था कर दी है, उसके अन्दर किसी का कोई रोजगार में अन्तर नहीं आया। कभी इसके बारे में यातायात कमिशनर साहब, यातायात मंत्रीजी सोचते नहीं कि हम कौनसी व्यवस्था किसी प्रकार से करें जिस व्यवस्था के अन्तर्गत किस चीज को इंसेन्टिव मिले, किस चीज को डिसइंसेन्टिव मिले या ट्रैफिक की कैसी व्यवस्था को जिस व्यवस्था से हम दोनों तरीके के लोगों को आगे बढ़ा सकें।

सभापति महोदया, अक्सर मुझे तीन-चार दिन में इस नेशनल हाईवे पर जाना पड़ता है। मैं देखता हूं कि किसी एक ट्रक वाले ने सड़क पर ट्रक खड़ा कर दिया उसका कोई पहिया पंक्चर हो गया या कुछ और खराबी हो गयी, अब उधर से आने

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त)

वाली बसें या ट्रक हैं वह पहले इधर जाना चाहते हैं और इधर वाले उधर जाना चाहते हैं, इस प्रकार पचास इधर और पचास उधर बसें और ट्रक खड़े हो जाते हैं और ऐसी दुर्व्यवस्था हो जाती है कि दो-दो घण्टे तक इन्तजार करना पड़ता है। एक घण्टे तक शाहपुरा पहुंचने में लगता हो तो दो घण्टे तक रास्ते में खड़े हो जाएं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यातायात विभाग ने इस चीज को अपने दिमाग में डाला ही नहीं हैं कि यह भी दिक्कत है। अभी-अभी मैंने सुना है कि इनके पास इन्होंने क्रेनें भी खरीद ली हैं परन्तु वह किसी न किसी पुलिस थाने की शोभा बढ़ा रही हैं या कहीं और जगह शोभा बढ़ा रही हैं। यदि ऐसी व्यवस्था हो, एडवांस्ड कण्ट्री जो होते है वह केवल मात्र अर्थव्यवस्था से ही एडवांस्ड नहीं होते हैं बल्कि मानसिकता से एडवांस्ड होते हैं। बहुत सारे एडवांस्ड कण्ट्रीज के अन्दर आप देखेंगे, मान लीजिये, इस प्रकार से ट्रक खड़ा हो गया तो क्रेन पहुंचेगी और उठाया उसका सर और नीचे डाल देगी, नहीं सोचेगी उसके बारे में। क्योंकि दो घण्टे तक इतने ट्रक इधर जाना और उधर जाना, इसमें लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है।

सभापति महोदया, इसी प्रकार देखियेगा कि नेशनल हाईवे पर जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। न कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग की चलती है, न कोई यातायात विभाग की चलती है, न कोई पुलिस विभाग की चलती है। मन में आये जो गांव का आदमी एक बना देता है तो फिर दूसरा घर वाला कहता है कि यह तो स्टेटस सिम्बल हो गया, मेरे घर के सामने भी होना चाहिए। थानागाजी में जहां किसी जमाने में एक स्पीड ब्रेकर हुआ करता था, आज 43 हैं और पता नहीं यह किस प्रकार से ग्रोथ होती चली जाएगी। नेशनल हाईवे पर कोई आदमी स्पीड ब्रेकर बना नहीं सकता जब तक भारत सरकार से अनुमति नहीं ले लेता परन्तु कुछ इस तरह की चीज हो गयी, जो अधिकारी वर्ग है वह समझते हैं कि एक तरीके से अराजकता जितनी बढ़ती है तो कोई बात नहीं बढ़ते रहने दीजिये अराजकता। उनके दिमाग के अन्दर इसके बारे में सोच ही नहीं होता। जैसा शुरू-शुरू में मैंने कहा था कि कर इकट्ठे करने की बात है या कोई और बात है, दूसरी रुटीन की चीज है इन चीजों के अन्दर हम बिलकुल भी दिमाग नहीं लगाते। सभापति महोदया, जब तक हम कुछ चीजों के अन्दर बहुत ज्यादा सख्त नहीं होंगे, काम नहीं चलेगा। एक खलासी आदमी ड्राइवर बन गया, ट्रक को धक्का देते-देते वह ट्रक ड्राइवर बन गया और जाने कहां से लाइसेंस, सही या फर्जी लाया और ट्रक चला रहा है और उसका जो बैक ग्राउण्ड है उस के आधार पर वह शराब पीकर भी चला रहा है और रोजाना आदमियों को मार रहा है। देशभर के अन्दर जितने लॉ एण्ड आर्डर की खराबी की वजह से मर्डर होते हैं उससे 20 टाइम आदमी सड़क पर मर जाते हैं। हम सोचते ही नहीं हैं कितने आदमी मर जाते हैं। आप सारी की सारी वार्षिक

(श्री रमाकान्त)

रिपोर्ट देखियेगा राजस्थान की, उसके अन्दर आपको पता लगेगा कि तीन-तीन, चार-चार हजार आदमी सड़क पर दुर्व्यवस्था के कारण मर जाते हैं। क्यों नहीं सोचते कि ट्रक ड्राइवर मैट्रिक तो जरूर होना चाहिए? यह कानून क्यों नहीं बनाया जाता कि मैट्रिक होना चाहिए? इसमें कानून बनाने में कौन-सी तकलीफ की बात है? मैं यह नहीं कहता कि जो आज चला रहे हैं उनको कह दिया जाए कि आप कल से नहीं चला पायेंगे। यह नहीं हो सकता परन्तु आज जो लाइसेंस लेने आयें उनके लिए क्यों नहीं हो सकता कि वह मैट्रिक पास होना चाहिए? आज जो लाइसेंस लेने आए उनके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके पास। जितने भी आधुनिक देश हैं वहां पर यह कर रखा है। वहां पर हो नहीं सकता कि जिसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं हो वह ट्रक या कोई और चीज चला ले।

कल-परसों कुछ प्रश्न के सिलसिले में बात चल रही थी और पर्यावरण मंत्रीजी कह रहे थे कि टैम्पो से काफी सारी गैस निकलती, मैं क्या करूं? आज किसी भी देश के अन्दर चले जाइयेगा, विकसित नहीं विकासशील देश के अन्दर चले जाइयेगा, छोटा-सा यंत्र आता है उस यंत्र से उसकी गैस को उसके अन्दर डाल लिया जाता है तो उसमें कौन-सी तरह की गैस है इसका पता चल जाता है। कार्बन मोनोआक्साइड गैस ऐसी है कि एक सी.सी. यदि हवा में हो तो 800 आदमी तत्काल मर सकते हैं। और यह जितने टैम्पो चल रहे हैं, टैम्पो ही नहीं जितने भी टू-स्ट्रोक्स इन्जन होते हैं, दो तरह के इन्जन होते हैं एक फोर स्ट्रोक्स और एक टू-स्ट्रोक्स, जितने टू-स्ट्रोक्स इन्जन होते हैं सारे ही कार्बन मोनोआक्साइड बाहर निकालते हैं। अब जब फिटनेस देते हैं तो जो फिटनेस देने वाले हैं यातायात विभाग वाले उनके पास गैस एनेलाइजर इक्विपमेंट क्यों नहीं है? लाखों-करोड़ों का नहीं आता वह बहुत सस्ता इक्विपमेंट है, यहीं फैब्रिकेट किया जा सकता है। उस इक्विपमेंट को लेकर क्यों नहीं देखते कि इसके अन्दर कार्बन मोनोआक्साइड है? विष बाकायदा सरकारी तरीके से इजाजत के आधार पर लोगों को दिया जा रहा है और लोग-बाग मरते चले जा रहे हैं। इसके बारे में यही आवश्यकता है कि हमारी इच्छा-शक्ति हो कि क्या हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

एक बात और कह कर मैं यातायात के बारे में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज गांव के अन्दर बस जा रही है और वहां पर बस स्टेण्ड बन रहे हैं। मर्जी की बात है कहीं पर भी बस के आपरेटर साहब हैं, ड्राइवर हैं वह जहां खड़ी करना चाहें वहां कर देते हैं। और वह कहां खड़ी करेगा? जहां कि बाजार होगा, लोगबाग ज्यादा इकट्ठे हो रहे होंगे। नहीं होंगे तो उस जगह बाजार लग जाएगा किसी बस स्टेण्ड के बनते ही और वहीं पर फिर प्राइवेट बसें भी खड़ी होंगी और उसके साथ ही जीपें जो चलती हैं वैध और अवैध, वह भी वहीं खड़ी होंगी। कभी यातायात विभाग यह नहीं सोचता कि हमको इस प्रकार का एक बस स्टेण्ड बनाना चाहिए या बस स्टेण्ड बनना चाहिए जिससे कि लोग वहां मरें नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास रिपोर्ट नहीं आती

(श्री रमाकान्त)

है, कम से कम मैं अपने क्षेत्र की बात बता सकता हूं कि हर साल के अन्दर बस स्टेण्ड पर 10 एक्सीडेंट हो जाते हैं। किसी का हाथ गायब हो जाता है, कोई मर जाता है। कोई कहने वाला ही नहीं है कि यह बस स्टेण्डों की व्यवस्था होनी चाहिए, बस स्टेण्ड किस जगह पर होना चाहिए। यदि आप इन बस स्टेण्डों को और इन हाइवे और इन सब चीजों को नहीं देखेंगे तो जैसा मैंने निवेदन किया था कि हम प्रिमिटिव तरीके से चलते रहेंगे और हमारी अर्थ-व्यवस्था भी सारी की सारी प्रिमिटिव हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, सिंचाई के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं जब से राजस्थान बना है, सिंचाई के बारे में चल रही हैं। चलनी चाहिए, अच्छी योजनाएं हैं। वे योजनाएं इसलिए शुरू की गयी थीं कि कुछ इस प्रकार का सिंचाई में असन्तुलन था। मैं उन योजनाओं का नाम नहीं लेना चाहता, राजस्थान के बहुत बड़े भू-भाग के लिए वे योजनाएं हैं। परन्तु हम जो पूर्वी राजस्थान के लोग हैं उन योजनाओं के कारण से हमें इतना कष्ट हुआ है कि हमारे यहां पर सिंचाई की ओर से सन् 47 के बाद से एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। जो अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि उस समय जो खर्च हो गया, आज की स्थिति यह है, सिंचाई मंत्रीजी नोट कर लें, कि वहां सिंचाई के अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के ऊपर जितना टोटल खर्च है, जितना टोटल बजट है वह सारा का सारा वहां के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह पर दिया जा रहा है। क्या जरूरत है अब इसकी? खतम कर दीजिये सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय को। उस पर आप 15-20-25 लाख रुपया खर्च करें और केवल मात्र उनको दे दें और हमारे यहां पर न कोई एनीकट बने, न कोई बांध बने, न कोई कैनाल की रिपेयर हो, न कोई पुरानी कैनाल ठीक हुई और कुछ भी नहीं हुआ तो इस राजस्थान की गरीब जनता को इस मार से दबाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी। मैं कल, माननीय सभापति महोदया, मलाना गांव के अन्दर था। मंगलासर बहुत बड़ा बांध राजा जयसिंहजी के टाइम में बना था, मंगलसिंहजी के टाइम में काम शुरू हुआ था। इतना बड़ा बांध है उसके अन्दर 43 फीट पानी भर जाता है। साल में कुल मिलाकर 4 फीट काम में आता है, 38 फीट तो फिर भी भरा ही रहता है। अब उससे जो नहर निकली है, 50-60 वर्ष पहले, कच्ची नहर निकल रही है, नतीजा यह है कि वह 4 फीट जो पानी जाता है उस जमीन में, सारी की सारी वहां की जमीन में वाटर लागिंग करके जो अच्छी उत्पादक जमीन थी सब बरबाद कर दी। दूसरी जगह की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में ख्याल रहता है। मैं फिर नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां पर वाटर लागिंग हो रहा है। वहां यह हुआ है क्योंकि वहां पर एक प्रकार का लाबीईंग का काम चलता है। वे गरीब और वे सारे के सारे जितने लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं। एक भी दूसरी जाति का वहां पर बेनिफिशयरी नहीं है। उन लोगों के मकान उस नहर की वजह से गिरने जा रहे हैं, क्रेक्स आयी हुई पड़ी हैं। गांव के अन्दर नहर जा

(श्री रमाकान्त)

रही है, और उनके जो खेत हैं वे सारे के सारे वाटरलाग्ड हैं। उस नहर की मरम्मत नहीं हो सकती ? वह नहर पक्की नहीं कर सकते ? कोई भी इस बारे में ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से बरखेड़ी बांध की बात है। गोकुडू गांव है वहां पर भी केवल मात्र अनुसूचित जाति का मोहल्ला है उसके बीच से वह नहर जा रही है। कच्ची नहर है, कच्चे ही कच्चे मकान हैं उनके। सो नहीं सकते उन मकानों में।

मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा होती है, अलवर की भारी उपेक्षा होती है। जमना के पानी की बातचीत चल रही है। वर्ल्ड बैंक से स्कीम बना रहे हैं कि किस तरीके से हम भरतपुर और धौलपुर में पीने का पानी लेंगे। अलवर ने क्या बिगाड़ा है इस सरकार का, मेरी समझ में नहीं आता। पुरानी सरकार 48 साल से थी। अलवर के लिए जमना का पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए ? और फिर जमना के बारे में बात यह कही जाती है, बड़ी हंसी आ रही थी मुझे आज इस बात को सवेरे सुनकर जब मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि साहब फ्लो वाटर से हमको हिस्सा नहीं मिलेगा और हमको डैम से हिस्सा मिलेगा। हमको फ्लो वाटर से मिले या डैम से मिले प्रश्न इस बात का नहीं है। डैम बनता रहेगा जिस वक्त बनेगा। हमारा जो हिस्सा है वह हमको देना चाहिए। मिलेगा तो वह डैम बनेगा जब मे या मौजूद हैं दो डैम उन्हीं से मिलेगा। फ्लो में से हम निकालकर लाने वाले नहीं हैं। परन्तु यह बात निश्चित हो गयी कि 1.119 जब हमको मिलेगा तो हम उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। जब एक दफा दस्तखत हो जाएंगे, आज के दो वर्ष बाद में व्यवस्था के बारे में सोचेंगे तब 10 वर्ष के बाद में व्यवस्था होगी। आपको पानी मिलेगा, आपको पता है कहां से मिलेगा, वह फ्लो से मिलेगा या डैम से मिलेगा, जहां से भी मिलेगा, आप अपनी कैनाल क्यों नहीं खोल रहे हैं ? आप पम्पों के टेण्डर क्यों नहीं काल करते ? पर अलवर में पीने के पानी की भारी समस्या है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आज राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की कोई समस्या नहीं है। कुओं में पानी नहीं है, कुएं सारे के सारे सूख गये हैं। एक गांव के अन्दर 50-50 कुएं सूखे पड़े हुए हैं, सारे के सारे। रामगढ़ से लेकर थानागाजी तक पीने के पानी की प्याऊ नहीं है। जमना कैनाल से पानी मिल सकता है। जब सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, स्कीम बनायें, प्रोजेक्ट बनायें, टेण्डर काल करें, नहर खोदने का काम शुरू करें, वहां पर जो पम्प लगाने का काम है वह शुरू करें।

मैं देख रहा हूं कि आप घण्टी बजाने की बात सोच रही हैं इसलिए मैं थोड़ी-सी एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं उसके बाद मैं अपनी बात खतम करना चाहूंगा।

यह जो एक्टिंग सिंचाई मंत्रीजी हैं, ये कायदे से सिंचाई मंत्रीजी थे 1992 में और मैंने निवेदन किया था कि मैं तीन वर्ष से परेशान हो रहा हूं, मेरे यहां पर यह जो 4-5 छोटे-छोटे बांध हैं- समरा, लालपुरा, नाडू, आमका तोलावास, दुहार इन सब के बारे में मैंने इनके कार्यालय के अन्दर बहुत दफा हाजिरी दी है और यहां पर भी मैंने प्रश्न पूछा और यहां पर मुझे बड़ा प्यारा

(श्री रमाकान्त)

जवाब दिया गया था कि बस जल्दी ही बजट में कर रहे हैं कुछ न कुछ और बजट में कर कराकर आपका बांध बंधवा लिया जाएगा। अभी दुबारा हमें मौका मिला है एक्टिंग करने का और एक्टिंग क्या, इस समय भी बिलकुल फुलफ्लेश्ड सिंचाई मंत्री हैं, माननीय मंत्रीजी, आप लोगों का राज पिछली बार ढाई वर्ष रहा और अब एक वर्ष शुरू हो गया है, कब तक तड़पते रहेंगे हमारे अलवर के लोग ? आप कुछ सोचेंगे ही नहीं ? एक भी बांध नहीं बनवा कर देंगे और आप सारा का सारा रुपया दूसरी जगह खर्च करते रहेंगे ? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इन सब बातों को नहीं टाला जाय। मैं सिंचाई विभाग के सचिव महोदय से भी मिल लिया हूं, मैं सिंचाई के इंजीनियर साहब हैं उनसे बात कर चुका हूं। क्या बात है ? कोई तरीका नहीं है। हमारे लोग प्यासे मर रहे हैं। हमारे किसान हैं उनके लिए पानी नहीं मिलता है। हमारे लिए सारे के सारे कुओं का पानी सूख रहा है और हम वहां छोटे-छोटे 5-5, 10-10 लाख के, 15 लाख के बांध बनाना चाहते हैं और सांप बनकर सारे के सारे राजस्थान के बजट पर बैठे हुए हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अलवर के सारे के सारे जो लोग हैं, सारे विधायक महोदय से भी मैं कह रहा हूं कि हम बटेंगे नहीं कांग्रेस या बी.जे.पी. के मामले में, अलवर और पूर्वी राजस्थान के मामले में, सब एक स्वर से आप से निवेदन करेंगे कि सिंचाई की पूरी व्यवस्था कीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या–46, सिंचाई पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के भू-भाग पर, राजस्थान की इस प्यारी धरती पर जो किसानों के खेतों में हम हरियाली देखते हैं और जो बड़े-बड़े बांध, बड़े-बड़े कैनाल, बड़ी-बड़ी लिफ्ट योजनाएं बनी हुई हैं ये सारी कांग्रेस की ही देन है बाकी किसी भी पार्टी की देन नहीं है। कांग्रेस के लोग जब-जब भी सत्ता में रहे हैं....

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैंने लगवा ही दिया साहब, इतना क्यों असत्य बोलते हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह भी कांग्रेस की ही देन है। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : जब-जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है तो अपने हौंसले से, अपनी बुद्धि से काफी योजनाएं बनायी हैं और वे ही योजनाएं आज तक चल रही हैं। मैं मेरी तरफ से स्पष्ट बात सामने रखना चाहता हूं। जो कमजोरियां हैं, सरकार की जो अच्छाइयां हैं उसका मापदण्ड कहां है ? यह सिर्फ उसका मापदण्ड क्षेत्र में होता है, ग्राम में होता है। अगर सरकार अच्छी योजनाएं देगी सिंचाई की तो गांव के लोग बिलकुल उसका अहसास करेंगे और सरकार अगर काम नहीं देगी, तालाब नहीं बनवायेगी, एनीकट नहीं बनेंगे, सड़क, नाले नहीं बनते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वहां सरकार की कमजोरी महसूस होगी, निन्दा होगी। इसलिए आप भी इसी तरह से बड़ी योजना बनाकर क्षेत्रों

(श्री शंकरलाल अहारी)

में विकास देखना चाहते हैं तो आपकी भी वाहवाही हो सकती है और मैं भी यह कह सकता हूं कि वास्तव में बी.जे.पी. की सरकार अच्छा काम कर रही है।

मैं उस ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जहां मेरा क्षेत्र है, डूंगरपुर जिला है। डूंगरपुर जिला पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है। वहां सिंचाई के काम करने के काफी सोर्सेज हैं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो बांध पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाये थे वे ही हैं। आप जब-जब भी अपने शासन में आये तो उस आदिवासी क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है। जहां-जहां पर भी योजनाएं ली हैं सिंचाई की वहां नान-ट्राइबल्स का आदमी जुड़ता है और ट्राइबल को किसी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा से नहीं जोड़ा गया है। मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां अमरपुरा परियोजना काफी लम्बे समय से है। जब-जब भी अकाल का समय आया तो आपने राहत कार्यों में प्रारम्भ तो कराया है उसको। माननीय मंत्री जी, यह अमरपुरा और मेवाड़ा जो परियोजना है इससे पूरा का पूरा आदिवासी क्षेत्र लाभ लेता है, आदिवासी क्षेत्र को पूरी सुविधा सिंचाई की मिलती है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इन योजनाओं को हाथ में नहीं लिया। अब आप चाहते हो कि आदिवासी का विकास हो, आदिवासी की प्रगति हो, आदिवासी उन्नति पर आवे, आदिवासी की आर्थिक पोजीशन सुधरे परन्तु जहां आदिवासी बिलोंग कर रहा है उस स्थान की योजनाएं आज अधरझूल में पड़ी हुई हैं। तो यह तो हमारा एक दुर्भाग्य है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस योजना को हाथ में लेवें और इस योजना को हाथ में लेकर काम प्रारम्भ करावे। अमरपुरा परियोजना के पानी से 1601 हैक्टेयर में सिंचाई होगी। इतनी लम्बी-चौड़ी परियोजना है। उसकी लागत करीब 12 करोड़ के लगभग है। मेवाड़ा परियोजना है उसकी 8 करोड़ की लागत है उससे भी पूरा आदिवासी क्षेत्र ही लाभ लेगा।

मैं माननीय मंत्री जी को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको थोड़ा-सा पढ़कर सुनाना चाहता था, "राज्य में जर्मन सहायता से लघु सिंचाई परियोजना के प्रथम चरण का कार्य प्रगति पर है। इनके दिसम्बर, 1994, तक पूरा होने की सम्भावना है। राज्य सरकार ने लगभग 55 करोड़ की लागत की लघु सिंचाई परियोजना के द्वितीय चरण की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जर्मन सहायता हेतु भेजी है।" तो मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना हमारे डूंगरपुर की इसमें जोड़ी है? अगर इसमें सम्मिलित नहीं की गई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जोड़ी जाए और जर्मन एड दिलाई जाए और वहां का जो अभाव महसूस करते हैं उसकी पूर्ति की जाए।

दूसरा मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे कुछ ऐसे तालाब हैं जो कि पंचायत समितियों के अण्डर में आते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि पंचायत समितियों के जो तालाब हैं वह बड़े बड़े हैं जिनसे

(श्री शंकरलाल अहारी)

50 एकड़ से भी ज्यादा में सिंचाई हो सकती है, ऐसे तालाबों को सिंचाई विभाग में लेना चाहिए और सिंचाई विभाग में लेकर सिंचाई की सुविधा हम लोगों को ज्यादा से मुहैया करवायी जानी चाहिए। जैसे कि भवंरिया तालाब है, बड़लीवाला तालाब है, चाड़ोली वाला तालाब है, कालियाधरा तालाब है और डट्टीवाला तालाब है, इनसे 100 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सिंचाई विभाग के माध्यम से इनको अपने अण्डर में लेकर कार्य करावें तो अधिक से अधिक वहां जो आदिवासी कृषक हैं, हम लोगों को लाभ मिल सकता है। कुछ ऐसे तालाब हैं जिनका सर्वे हो चुका है विभाग के माध्यम से और समय-समय पर और जब-जब भी अकाल पड़े तो उसमें काम भी करवाया है। तो मैं यह चाहता हूं कि ऐसे तालाबों को भी आप अपने हाथ में लेवें और यह अकाल का समय है, माननीय मंत्री जी, अकाल के समय में तो आप कई काम करवा सकते हैं। ताकि उसकी जो कास्ट आ रही है उसमें भी हम लाभ ले सकते हैं। जैसे बलूनिया तालाब है, अनपुरा तालाब है। बोरखाभाटडा है, वारन्दा है। इसी प्रकार से कुछ पूर्व में सर्वेशुदा एनीकट्स हैं उनको भी हमें फैमिन में सिंचाई विभाग के माध्यम से लेना चाहिए और यह सर्वे सिंचाई विभाग के माध्यम से ही किया गया है। जैसे बाणासिम्बल है, मोरडूंगरा है, भूराखाल है, जाफरा है, ससख की नाल है, इस प्रकार का जो पहले एनीकट्स का सर्वे किया था, उनको भी इसमें लेना चाहिए। यह भुखमरी का समय है, अकाल का समय है, ज्यादा रोजी से जोड़ने के लिए एक ही तरीका है कि इस प्रकार के जो सर्वेशुदा कार्य हैं जिसमें कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, वह हाथ में लेने चाहिए।

माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे भी मौके हैं, ऐसे भी स्थान हैं जहां कि नये तालाब भी बनवाए जा सकते हैं। और अगर यह नये तालाब बन जाते हैं तो हमारे जो किसान हैं वह काफी सिंचाई से जुड़ जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रातागांटा, खुरजीगर का नाका, पेड़सा की नाल कूंडी का दरा, कुंणिया का बेरा, बेड़ा वाला नाका आदि, इस प्रकार से जो हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, आपने घण्टी तो बजा दी पर एक महत्वपूर्ण बात मेरी रह गयी है और मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्होंने....

श्री सभापति : घण्टी की कोई परवाह तो करता नहीं है।

श्री शंकरलाल अहारी : डूंगरपुर जिले में सन् 1987-88 में सरकार के द्वारा माही कैनाल का कार्य प्रारम्भ करवाया। माही कैनाल एक ऐसी कैनाल है डूंगरपुर जिले में, जो तीनों पंचायत समितियों को जोड़ती है। सीमलवाड़ा, सागवाड़ा और आसपुर, इन तीनों पंचायत समितियों को जोड़ती है और तीनों पंचायत समितियों के बीच में से होकर आती है। उस पर

(श्री शंकरलाल अहारी)

काफी पूर्व में फैमिन में भी काम हुआ हैं, विभाग के माध्यम से भी काम हुआ है और योजना में भी शामिल है। उसकी लागत कम से कम 150 करोड़ है। माननीय मंत्री जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और यह पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह हमारे जीवन की रेखा है। यह माही नदी से जो कैनाल निकाल रहे हैं यह एक हमारी जीवन की रेखा है और यह एक यूं भी कह सकते हैं कि हमारी भाग्य की रेखा है। अगर यह आप हाथ में काम ले लो तो आपकी तो वाहवाही-वाहवाही है और सिंचाईके हिसाब से हमारी आर्थिक पोजीशन सुधर सकती है। अभी अगर यह प्रारंभ करा देते हो तो, माननीय सिंचाई मंत्री जी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपके हाथों से ही हम तो उद्घाटन करा दें।

(14.50)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : यह तो आज-आज के ही हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : तो मैं माननीय यातायात मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा पूर्व से 1985 से....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। बात समाप्त करें अपनी।

श्री शंकरलाल अहारी : 1985 से हम बराबर मांग करते हुए आ रहे हैं, कुछ ऐसे गांव हैं, हमारी मांग जेनुइन है, हम आपको कोई ऐसा शब्द उपयोग नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे, हमारी मांग जो जेनुइन है- वह पूरी कर दें बस। हमारी तो यह मांग है कि डूंगरपुर से जो मोड़ामली बस जाती है उसको नियमित किया जाए। कभी आती है और कभी नहीं आती है। दूसरा डूंगरपुर से मोड़ामली....

श्री रोहिताश्व : डूंगरपुर से ?

श्री शंकरलाल अहारी : डूंगरपुर से मोड़ामली और दूसरा डूंगरपुर से मालचौकी वाया नवागांव।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। पत्र लिख देना इनको।

श्री शंकरलाल अहारी : आप सड़कें जुड़वा दीजिये....

श्री सभापति : आपको सुनने में गलती हो जाएगी, आप पत्र लिख देना इनको।

श्री शंकरलाल अहारी : आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री समर्थ लाल जी।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आज सदन के अन्दर मांग संख्या 46 और 26 के बारे में चर्चा चल रही है,....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री समर्थलाल मीणा (राजगढ़) : आजादी के बाद आज तक का यदि हम सिंचाई विभाग का लेखा-जोखा देखें तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे राजस्थान के अन्दर किसी भी सरकार ने इस

(श्री समर्थलाल मीणा)

सिंचाई के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। सभापति महोदय, अलवर के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट के जमाने के अन्दर, राजाओं के राज के जमाने के अन्दर सिंचाई के जो साधन बने हुए हैं उनके अलावा आजादी के 47 वर्षों बाद भी अलवर जिले के अन्दर उस प्रकार का कोई भी सिंचाई का बांध नहीं बना है। केवल अलवर के अन्दर 4–5 बांध हैं और वह स्टेट के जमाने के बने हुए हैं। उसके बाद में कोई छोटे-मोटे बांध बन गये हैं, कोई 10 लाख का तो कोई 5 लाख का लेकिन कोई बड़ा बांध बना हो जिससे कोई ज्यादा फायदा उस इलाके के लोगों को हुआ हो ऐसा नजर नहीं आता है। इसी प्रकार से वहां नहरें नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हवा के बाद पानी की आवश्यकता हर मनुष्य को पड़ती है। गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को भी पड़ती है, शहर में रहने वाले व्यक्ति को भी पड़ती है। पीने के बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पानी की आवश्यकता हमारे गांवों में आज परेशानी का विषय बना हुआ है। इस परेशानी के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे राजस्थान के अन्दर अलवर से लेकर धौलपुर तक और आगे कोटा, बून्दी, झालावाड़ तक, कोटा के अन्दर तो खैर एक बड़ा प्रोजेक्ट है उससे गांवों को लाभ होता है लेकिन उसके अलावा इन इलाकों के अन्दर राजस्थान की सरकार ने अब तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।

आज यमुना के पानी की बात है। उस पानी का उपयोग भी अलवर, भरतपुर के अन्दर होना चाहिए। जो हमारा हिस्सा है उस हिस्से को हमको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए यह मैं राजस्थान की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इसके अलावा पुराने बांध जितने भी बने हुए हैं उन बांधों की नहरें बनी हुई हैं। जो नहरें बनी हुई होनी चाहिए बांधों का पानी जहां से निकल कर जाता है खेतों में, उनके अन्दर थोड़ा बहुत कच्चा एरिया बना हुआ है, पक्की नहरों का एकदम से अभाव है। यदि किसी बांध के अन्दर दो हजार एकड़ तक सिंचाई का पानी है तो वह दो हजार एकड़ तक सिंचाई का पानी एक हजार एकड़ के अन्दर ही काम आता है और एक हजार एकड़ जो सिंचाई का पानी है वह कैनाल न होने की वजह से सारा बरबाद हो जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी पुराने बांध हैं उनमें कैनाल बननी चाहिए। इसके अलावा नये बांधों की योजना भी लिया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा बांध बनाने की योजनाओं के साथ-साथ नहरों का प्रावधान भी रखा जाना चाहिए जिससे कि उस पानी का समुचित उपयोग हो सके।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, हमारे अलवर जिले के अन्दर राजगढ़ तहसील, जहां से मैं आता हूं, ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया के अन्दर 3–4 छोटी योजनाएं हैं–दीगोता, दानपुर-बहादुरपुर, महदावल। यह तीनों योजनाएं पिछले कई वर्षों से बनी हुई विभाग के अन्दर इधर से उधर घूम रही हैं, फाइलें इधर से उधर घूम रही हैं। सिंचाई मंत्री जी, अब सरकार हमारी है और इन फाइलों को इधर से उधर न घुमा कर

(श्री समर्थलाल मीणा)

इन पर मंजूरी दी जानी चाहिए और नये बांधों का निर्माण करना चाहिए।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने पहाड़ी जिले हैं उन पहाड़ी जिलों के अन्दर बरसात का पानी आता है और वह बह कर निकल जाता है। हर जिलों का मास्टर प्लान बनना चाहिए और जिस जिले में जितनी बरसात हो उस पानी का उपयोग उस जिले के अन्दर अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। वहां छोटे-छोटे बांध और एनीकट्स बनाये जाने चाहिए और इस प्रकार से पानी की व्यवस्था हमको करनी चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि कुछ छोटे-छोटे बांध जो बेकार पड़े हुए हैं, जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है उनकी जानकारी करते हैं कि यह बांध किस विभाग के हैं तो सिंचाई विभाग कहता है कि हमारे नहीं हैं, पंचायत वाले कहते हैं कि हमारे नहीं है। इसका सर्वे होना चाहिए और जो बांध ऐसे पड़े हुए हैं उनको सिंचाई विभाग को सम्भला कर यदि ठीक किया एक तो उनके द्वारा सिंचाई हो सकती है।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यातायात मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने अलवर जिले के अन्दर तीन बस डिपो सदन के अन्दर बाकायदा मंजूर किये थे कई वर्षों में किए थे। बहरोड, तिजारा और राजगढ़। तिजारा तो चालू हो गया, क्योंकि तत्कालीन मंत्रीजी वहां के थे इसलिए चालू हो गया। राजगढ़ के अन्दर जो बस डिपो के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, राजगढ़ के अन्दर जो बस स्टेण्ड बना हुआ है, नगरपालिका ने करीब 15 लाख रुपये की लागत से उस बस स्टेण्ड को बनाया है और जहां तक मेरी जानकारी है राजगढ़ सब डिविजन हैडक्वार्टर के हिसाब से उस प्रकार का बस डिपो राजस्थान में कहीं भी नहीं मिल सकता। तो यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, कि वह ट्राइबल एरिया है, सब डिविजन हैडक्वार्टर है, वहां पर बस डिपो अबकी बार निश्चित रूप से हो, अबकी बार ही नहीं बल्कि मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप आज ही उसकी घोषणा करें जिससे वहां की जनता में एक प्रकार की प्रसन्नता का आभास प्रकट हो।

इसके अलावा कुछ नयी बसें भी आपको चलानी चाहिए। सड़के बन गयीं परन्तु आज सड़कें बसों की वजह से सूनी पड़ी हैं। जैसे बाचाड़ी से बारह छिलोड़ी, रेणी से पहले जयपुर भी बस आती थी, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, ट्राइबल एरिया है और सब तहसील है और रेणी से दिल्ली भी बस चला करती थी परन्तु आज न जयपुर बस आती है और न ही दिल्ली बस जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इसके अलावा एक निवेदन मैं करना चाहता हूं अवैध वाहन के बारे में। इन अवैध वाहनों की मारा मारी की वजह से जैसे तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रोडवेज के अन्दर आपने लाभ अर्जित किया है और, और भी लाभ हो सकता है रोडवेज के अन्दर यदि इन अवैध वाहनों

(श्री समर्थलाल मीणा)

को आप रोकेंगे तो। इन अवैध वाहनों की मारा-मारी की वजह से बहुत से एक्सीडेण्टस् होते हैं। वे सब आजाद होकर चलते हैं। किसी रास्ते को नहीं देखते हैं और यदि उनको पुलिस का सिपाही दिख जाता है तो वे स्पीड बढ़ा लेते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वाले लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं और आपके विभाग के लोग भी मिले हुए हैं इन अवैध वाहनों के मालिकों से। इन अवैध वाहनों के जो मालिक हैं वे बड़े प्रभावशाली लोग हैं। उन प्रभावशाली लोगों पर आप अपना प्रभाव जमा पायेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय बाबूलालजी वर्मा।

श्री शान्तिलाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पहले था। शायद दूसरे नम्बर पर मेरा नाम था....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : एक उधर से और फिर एक उधर से, यह दो उधर से कैसे आ गये ? अभी बी. जे. पी. के बोल रहे थे अब इधर से बोलें।

श्री सभापति : मैंने इधर देखा, माननीय चन्दनमलजी थे नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं दूसरे हैं।

श्री सभापति : आप बिराजिये। थोड़ी गलती हो गयी, आप बिराजें। अब आप इस पर इन्सिस्ट करें तो मैं उनको बैठा दूं वरना वह बोल जाएं उसके बाद में बोल लेना।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले इधर से बुलायें। यह क्या परम्परा है ?

श्री सभापति : कोई बात नहीं, परम्परा तो मेन्टेन करता हूं। माननीय हरिसिंहजी (महुआ)।

(15.00)

(व्यवधान)....इनको बात कहने दीजिये। **No problem.**

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आजादी से पूर्व हमारे राजस्थान में जो सिंचाई की क्षमता थी वह कुल मिलाकर चार लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि थी और इसके अलावा हमने 56 वृहद् और बहुउद्देशीय, मध्यम दर्जे की योजनाएं और एक हजार 538 लघु सिंचाई योजना बनाकर हमारी सिंचाई क्षमता को 24.06 लाख हैक्टेयर तक पहुंचाया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यह जो क्षमता हमने क्रियेट की है, आजादी के बाद में इसमें पूर्वी राजस्थान के पांच जिले, विशेषकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर और धौलपुर हैं। इसमें क्या मिला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक भरतपुर का सवाल है, भरतपुर जाने वाली वहां की दोनों नदियों बाणगंगा और गम्भीर नदी पर वहां के तत्कालीन महाराजा एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पानी को कण्ट्रोल करते हुए एक के बाद दूसरा और

(श्री हरिसिंह)

दूसरे के बाद तीसरा डेम बनाते हुए ले गये और उस पानी का लास्ट तक मैक्जियम यूटिलाइजेशन करने की उन्होंने कोशिश की।

जहां तक अलवर का सवाल है। अलवर स्टेट में वहां के राजा ने जयसमन्द और दूसरे-दूसरे जो बांध बनाये हैं आजादी के बाद में, मुझे तो कोई याद हैं नहीं, आप ज्यादा वाकिफ हो, आप जानते हो। कोई छोटी मोटी तीन लघु सिंचाई योजनाएं अभी जवाहर रोजगार योजना के तहत बनायी हैं।

जहां तक सवाई माधोपुर का प्रश्न है। गांव-गांव में छोटे-छोटे काश्त के पेटे के तालाब जरूर उस समय तत्कालीन राजा ने बनवाये हैं। जमुवा-रामगढ़ का बंधा जरूर था और जमुवा-रामगढ़ बंधे से सिंचाई की नहरें दौसा तक आज भी खिची हुई है। यह इस बात का साक्षी है, सबूत है कि जमुवा-रामगढ़ के बंधे से सिंचाई दौसा के क्षेत्र तक होती थी लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि किसान के खेत का पानी काट दिया। जयपुर की प्यासी जनता के लिए सरकार 40 वर्षों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी और किसान के खेत का पानी काटकर जयपुर की प्यासी जनता को पिलाने के लिए डायवर्ट कर दिया गया। किसान की परवाह नहीं की, जबकि पीने के पानी के यहां दूसरे सोर्सेज हो सकते थे, अल्टरनेट सोर्सेज हो सकते थे। उन जमुवा-रामगढ़ बंधे के नीचे जहां उसका जल ग्रहण होता है। अंडर ग्राउंड होता है। उसके नीचे बड़े-बड़े ट्यूबवैल बनाते तो वह चार्ज भी होते रहते। उन ट्यूबवैल्स के पानी को जयपुर में लाते। जयपुर में जल महल तालाब जो बना है, उसके नीचे यह ट्यूबवैल लगाते और उस ट्यूबवेल के पानी को यहां लाते तो बात कुछ समझ में आती। इसी प्रकार से अलवर में जयसमन्द का पानी भी अलवर की जनता के लिए ले जा रहे हैं। वहां भी किसान के खेत का पानी काट दिया गया है। भरतपुर में बंध बारेठे का पानी जो किसान के खेत में मिल रहा था, दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले तीन वर्ष से वह भी भरतपुर में ले जा रहे हैं और भरतपुर की प्यासी जनता के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी तो सरकार को बहुत पहले यह व्यवस्था यमुना जल से करनी चाहिए थी। बहुत पहले सरकार को प्लान करना चाहिए था कि धौलपुर और करौली एरिया से होकर जो हमारा चम्बल का पानी वेस्ट जा रहा है उस पानी को हम कण्ट्रोल करें। अगर किसान के खेत तक हम उसको नहीं पहुंचा सके तो कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो इन तीन, चार जिलों में करते। यमुना जल पर यहां जब भी सेशन होता है, विधान सभा होती है, पिछले तीस वर्ष से तो लगातार यमुना जल के बंटवारे की बात चल रही है और वह बंटवारा तय तो हो जाता है लेकिन अभी तक सरकार का कोई निश्चित यह प्रोग्राम नहीं है कि वह योजना क्या है? किस ढंग से पानी लायेंगे? कोई डेम बनायेंगे? फ्लो वाटर को कैसे कण्ट्रोल करेंगे? अभी तक कोई नक्शा सरकार के पास नहीं है। मैं आपसे एक और निवेदन करूं कि राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास योजना चल रही है, मरू-

(श्री हरिसिंह)

स्थल विकास योजना चल रही है, इन तीनों योजनाओं से राजस्थान के इन पांचों जिलों में तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब ले देकर हमारे पास एक स्कीम रह जाती है जवाहर रोजगार योजना। उसमें भी हमारी स्थिति यह है कि इन पांचों जिलों में जो इन्होंने बजट अलोकेशन किया है, 1993–94 में, वह मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं जवाहर रोजगार योजना का। अलवर को दिया है एक करोड़ 35 लाख, भरतपुर को दिया है एक करोड़ 11 लाख, दौसा को दिया है 83 हजार, जयपुर को दिया है एक करोड़ 19 लाख, धौलपुर को दिया है 50 हजार, सवाई माधोपुर को दिया है एक करोड़ 43 लाख, यह आपके चीफ इंजीनियर को बजट जा रहा है। जो सौ करोड़ रुपये का बजट राजस्थान के चीफ इंजीनियर को दिया है वह इन पांचों जिलों का चार करोड़ रुपये मात्र का हिस्सा इन्होंने तय किया है। अब सबसे बड़ा संकट आज यह हो गया कि पूर्वी राजस्थान के इन पांच जिलों में पहले सिंचाई का जो सबसे बेहतरीन साधन था, वह कुआ था। पिछले दस साल से वर्षा हुई नहीं और कुएं सूख गये। आज वहां का किसान एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। पापूलेशन का घनत्व पहले से ही वहां राजस्थान के शेष एरिया से ज्यादा है। लैण्ड होल्डिंग किसान की आठ और पांच बीघा तक रह गयी है। अब उसको आठ बीघा और पांच बीघा के साथ-साथ पानी नहीं मिलता है तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गयी और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान में अगर कोई कमाई का क्षेत्र है, अगर कोई इनकम का सोर्स राजस्थान गवर्नमेंट का है तो राजस्थान के ये पांच जिले हैं और खर्च करने का अगर कोई स्थान है तो वह दूसरे जिले हैं। आपके माध्यम से मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर पूर्वी राजस्थान के इन पांचों जिलों के साथ यही सौतेला बर्ताव होता रहा तो निश्चित रूप से वह समय दूर नहीं है जब पूर्वी राजस्थान से आवाज उठेगी कि राजस्थान के दो हिस्से कर दिये जाएं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अगर यही सौतेला बर्ताव होता रहा तो यह आवाज उठेगी। मैं आपसे सही कह रहा हूं। सिंचाई के मामले में जितना सौतेला व्यवहार आपने पूर्वी राजस्थान के पांच जिलों के साथ किया है, वह असहनीय है, वेदनादायक है, कष्टदायक है, पीड़ादायक है। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि राजस्थान सरकार अब भी नहीं चेती तो यह बगावत का झण्डा हमारे हाथ में हम उठायेंगे, हम इसकी भी परवाह नहीं करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि भरतपुर के लिए गुड़गांव केनाल का पानी पांच सौ क्यूसेक तय है, वह भी आज तक नहीं दिला पाये और बाढ़ के नाम पर करोड़ों रुपये भरतपुर को देकर बरबाद कर रहे हैं। जिसका कोई अता-पता नहीं है। यह पैसा जाता कहा है। आपने ले देकर के एक पांचना डेम प्रपोज किया और वह भी भरतपुर की गम्भीर नदी का पानी, बाढ़ का जो पानी था, उसको कण्ट्रोल करने के लिए दिया। उस डेम पर 8 करोड़ रुपये खर्च करने की

(श्री हरिसिंह)

योजना है और उससे सिंचाई क्षमता कितनी बढ़ेगी ? सात सौ हैक्टेयर श्रोनली और उस बांध पर जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हुआ है। पिछले दस, ग्यारह, बारह साल से तो बराबर काम चल रहा है, आज तक उसका वेस्ट वेयर तक नहीं बना पाये। उसकी नहरें तक नहीं बन पायी हैं। नहरें तो तब बनेंगी जब पानी रुकेगा और जिस प्रकार भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसका कोई ठिकाना नहीं है। पूर्वी राजस्थान के चम्बल के पानी को कण्ट्रोल करने के लिए 1988–89 में वहां सर्वे हुआ इंदिरा लिफ्ट इर्रिगेशन केनाल के नाम से। जिसकी सिंचाई क्षमता चार लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित करने की है। लेकिन सरकार की इच्छा नहीं है कि उससे सवाई माधोपुर, भरतपुर का बयाना सब डिवीजन और सवाई माधोपुर की नादौती गंगापुर, हिण्डौन, टोडाभीम और महुआ तहसील को लाभ हो जाएं। सरकार का मन नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारा नेतृत्व नहीं है। ले देकर के एक बार नेतृत्व की ओर हमारे पहाड़िया जी बढ़े और आंख मलते-मलते जब सवेरा हुआ तब तक वह कुर्सी छोड़कर जा चुके थे। आज भी जहां कैबिनेट में पूर्वी राजस्थान का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और अगर प्रतिनिधित्व है तो उनकी औकात अपने क्षेत्र में काम निकलवाने से ज्यादा नहीं है। गाड़ी घोड़ों से ज्यादा नहीं है। सभापति महोदय, आपसे दूसरा अनुरोध करना चाह रहा हूं। बाणगंगा का पानी जा रहा है। मेरे क्षेत्र में ही टुडियाना के दो पहाड़ों के बीच में होकर बाणगंगा निकल रही है। उसका कम्पलीट सर्वे तो रखा है। उससे वैर और महुआ तहसील को पानी देने जा रहे थे। आज तक सरकार का यह मन नहीं है कि हम केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए इन योजनाओं को भिजवा दें। मंजूर हो गयी तो दूसरी बात है और मंजूर ना हो वह दूसरी बात है। लेकिन सरकार की इच्छा, शक्ति नहीं है, मन नहीं है। पूर्वी राजस्थान को कमाई का एक क्षेत्र बना लिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सरकार से दुर्भाग्य की बात यह है कि सिंचाई मंत्रीजी नहीं है। अब एक ऐसे मंत्री के सामने भाषण पढ़ रहा हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिनसे आज शाम के बाद कल पूछेंगे तो कहेंगे यह कोई जिम्मेदारी नहीं है और नोट करके अगर भेज देंगे तो माननीय भाटीजी इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इनका लिखा हुआ उनको समझ में ही नहीं आयेगा वह पढ़ ही नहीं पायेंगे....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय मैं....

श्री सभापति : बिराजिए आप बिराजिए उन्हें समाप्त करने दीजिए। बिराजिए कोई आवश्यक नहीं है कि हर बार बीच में बोलें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसलिए कह रहा हूं (व्यवधान) जब आते ही नहीं हैं।....

श्री सभापति : इस आब्जर्वेशन की आवश्यकता बिलकुल नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर जगह इनको बैठा दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : इनका शोषण किया जाता है (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ)। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट आपसे चाहता हूं, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्रीजी आपने हाई-वे पर पुलिस लगा रखी है, हाइ-वे कन्ट्रोल दस्ता। मेरी समझ में तो यह आया कि उसका लक्ष्य, हाइ-वे पर अगर कोई अपराध करके भागता है मुलजिम तो उसको पकड़ने का है लेकिन आपके हाइ-वे के दस्ते अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं करते वे बिहार, यू. पी. कलकत्ता और दूसरे प्रान्तों से जो ट्रक आ रहे हैं, उनको लाइन में खड़ा करके उनसे चौथ वसूली कर रहे हैं और प्रान्त की इज्जत को बेच रहे हैं। इससे पूरे राजस्थान की बदनामी हो रही है। आप कण्ट्रोल करिये।....

श्रीमती तारा भण्डारी : वह पुरानी आदत एक साथ कैसे जाएगी ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सभापति महोदय थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा, मंत्रीजी यहां हैं, अभी दौसा नया जिला बना है और वहां रोड़वेज का कोई डिपो नहीं है। मैंने जब बात की तो मेरी समझ में शायद उनकी जेब में पैसे नहीं हैं लेकिन एक अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है कि जयपुर के जवाहर नगर डिपो को स्थानान्तरण करके वह दौसा भेज सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 और 12 पर चर्चा चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिला सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ रहा है, इसके परिणामस्वरूप अभी तक झालावाड़ जिले में हजारों बीघा जमीन असिंचित पड़ी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई के स्रोत काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, पानी की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी जो पानी उपलब्ध है उसका उपयोग सिंचाई के किसी काम में नहीं किया जा रहा है। सिंचाई विभाग इस पानी को काम में लेने के लिए किसी प्रकार की योजनाएं बनाने में प्राथमिकता नहीं रखता है। परिणामस्वरूप जो पूरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई होनी चाहिए थी, जो कृषि उत्पादन होना चाहिए था, वह हो नहीं पाता है। अभी भी यदि डग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो पानी विद्यमान है, उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग किया जाए तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां अभी जो उत्पादन पैदा हो रहा है उससे चार गुना ज्यादा उत्पादन पैदा हो सकता है।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि कई प्रकार की योजनाएं डग विधान सभा क्षेत्र के लिए बनी,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सिंचाई योजना प्रस्तावित की गयी और स्वीकृति के लिए मुख्य अभियन्ता, जयपुर को भेजी गयी लेकिन अभी तक दो तीन साल से उन योजनाओं पर विचार विमर्श ही चल रहा है। झालावाड़ जब जाकर मैं बात करता हूं तो अधिकांशतः यही पाता हूं कि छोटी मोटी योजनाओं पर विभाग कोई गौर नहीं फरमाता है। डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, इस पर थोड़ा ध्यान दें कि जितने लिफ्ट इरिगेशन का सोर्स मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में है, 15-20 तो ऐसे सोर्सेज हैं कि उसमें कभी पानी टूटता ही नहीं है। सौ किलोमीटर की जो बेल्ट है मेरे डग विधान सभा क्षेत्र की एक तरफ तो पूरी चम्बल से घिरी हुई है और एक तरफ पार्वती नदी से। यदि इन नदियों से पानी लेकर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की जाए तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उससे पूरे विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सिंचाई विभाग में जाकर मैंने पूछा कि आप जब यहां इतना पानी देते हैं तो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्यों नहीं लागू करते हो तो लिफ्ट इरिगेशन के लिए विभाग कहता है कि यहां विद्युत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र के लगभग आधे गांव अभी तक इलेक्ट्रिफाइड घोषित नहीं किये गये हैं। इसका यह तो मतलब नहीं है कि वहां जो पानी है उसको काम में नहीं लाया जाए। सिंचाई विभाग मात्र यह बात कहकर दूर हो जाए कि विद्युत नहीं होने के कारण उस पर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम लागू नहीं की जाएगी। मैं यह गारण्टी के साथ कहता हूं कि उस गांव के ऊपर से बिजली गुजर रही है। गांव से आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर की दूरी पर विद्युत की लाइन जा रही है तो उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए क्यों नहीं करते हैं? लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं उन क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं लागू करते हैं? आज आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें पानी के अपार सोर्सेज हैं ऐसे गांव, परापीपली, खेजड़िया, शिमली, शिहमला, मजनपुर, अरानिया, मगसी, रामपुरा, गुराड़िया इसर, देवरिया कलां; ये ऐसे गांव हैं जो या तो चम्बल के पास हैं या सामने पार्वती नदी के आसपास बसे हुए हैं। यदि बहुत कम क़ीमत पर विद्युत ख़र्च करके इनमें लिफ्ट इरिगेशन योजना लागू की जाए तो पूरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जो जमीन असिंचित पड़ी हुई है उसका उपयोग करके अधिक से अधिक कृषि उत्पादन किया जा सकता है।

एक चीज मैं आपके माध्यम से....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और कहना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में पीपलाद सिंचाई योजना 1693 लाख रुपये की प्रस्तावित की गयी थी। दो-तीन साल से यही सुना जा रहा है कि वह 1693 लाख रुपये की परियोजना कभी इधर कभी उधर और वर्तमान में अभी मैंने पता किया तो टैक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास

(श्री बाबूलाल वर्मा)

में वह योजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं। तीन साल पहले वह योजना 1693 लाख रुपये की बनती है और यदि उसके स्वीकृत होने में पांच साल लगते हैं तो इसकी कीमत क्या होगी ? ऐसी योजना के बारे में मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण योजना है जिससे कि पूरा झालावाड़ जिला, झालावाड़ जिले के अधिकांश विधान सभा क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे इसलिए ऐसी योजनाओं को शीघ्रातीशीघ्र स्वीकृति दिलायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा यातायात के बारे में एक-दो बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि डग विधान सभा क्षेत्र में उनेहर नागेश्वर, पार्श्वनाथ का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। पूरे भारत देश से, विदेशों के लगभग तीन लाख यात्री प्रतिवर्ष वहां दर्शन हेतु आते हैं उन यात्रियों के लिए जयपुर से कोई सीधा साधन नहीं हैं। जहां तीन लाख यात्री पूरे देश विदेश से हर साल दर्शन के लिए आते हैं वहां से चौमेला होते हुए जयपुर के लिए सीधी बस चलायी जाए तो निश्चित रूप से वहां आने वाले यात्रियों को फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, एक मिनट का समय और लूंगा, झालावाड़ जिले की डग विधान सभा क्षेत्र में झालावाड़ से चौमेला कुछ बसें चलती हैं, वहां रोड़वेज की बसों के आगे आगे अवैध बसें चलती हैं परिणामस्वरूप क्या होता है कि रोड़वेज की बसें तो तीन-तीन घण्टे तक बस स्टेण्ड पर खड़ी रहती हैं और प्राइवेट बसें अपनी सवारियां भरकर चलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यातायात मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोड़वेज की बसें चलाने के लिए समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री बनवारी लाल शर्मा।

सूचना-प्राप्ति प्रश्न

गैट एवं डंकल प्रस्ताव पर सर्वोच्च न्यायालय में जाने हेतु राज्य सरकार का दृष्टिकोण

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : पाइंट आफ इन्फार्मेशन। सभापति महोदय, मैं सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार यह बताये कि विधान सभा के चलते हुए क्या सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय इस बात का ले लिया कि जनरल एग्रीमेण्ट आन ट्रेड एण्ड टैरिफ और डंकल प्रपोजल्स पर सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जा रही है ?

श्री विष्णु मोदी : क्या सरकार केन्द्र से जिस चीज का सम्बन्ध है....

श्री सभापति : आप इन्फार्मेशन की बात कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे है ?

श्री विष्णु मोदी : प्रश्न ही पूछ रहे हैं आपके माध्यम से। बयान दिलाइये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : जानकारी मिली है इस बात की कि सरकार सदन को बाइ-पास करने जा रही है।

श्री सभापति : तो आपने जानकारी दे दी, अब बिराजिये ।

श्री विष्णु मोदी : जहां केन्द्र सरकार से उसका सम्बन्ध हो, केन्द्र और राज्यों का विवाद हो, सदन जब चल रहा हो तो आप उसमें....(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या तरीका है ? आप तीन एक साथ बोल रहे हैं । एक-एक करके बोलिये, सबकी बात सदन सुनेगा ।.... (व्यवधान)....कौन साहब बोलना चाहते हैं तीनों में से ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जब राज्यपाल का प्रथम अभिभाषण हुआ था, इसी सरकार ने कहा था.... (व्यवधान)....हां, एक ही बोल रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपकी राय की जरूरत नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : आपकी राय की जरूरत नहीं है, चतुर्वेदी साहब । कैसे क्या करना है, आपसे पूछकर नहीं करेंगे हम ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति जी, सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो प्रथम अभिभाषण हुआ था उसमें, चतुर्वेदी जी हैं नहीं, लिखा हुआ था कि केन्द्र सरकार ने डंकल प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी । कितनी गलत बात है ? मैंने उस चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है । जो सरकार इतनी इल-इन्फार्म्ड है, जो सरकार सदन के चलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाना चाहती है, ऐसी स्थिति में जहा भारत की लोक सभा में इस महीने के आखिर में डंकल प्रपोजल्स पर चर्चा, होगी उस सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डंकल प्रपोजल्स पर, गैट पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा रही है ?

श्री विष्णु मोदी : जा रही है तो किन-किन मुद्दों पर जा रही है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तरफ राज्य सरकार केन्द्र सरकार से मांग करती है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकारों को कान्फिडेंस में लिया जाए । सदन कार्यरत है, अधिवेशन चल रहा है सदन का, यहां बगैर कोई चर्चा कराये सरकार यह फैसला कर लेती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ।

श्री सभापति : अब आप बिराजें । कृपया मेरी भी सुन लें ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार कहती है कि राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी.... (व्यवधान)....सिस्टम फेल हो जाएगा, किसानों का नुकसान होगा....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके ही दूसरे सदस्य बोल रहे हैं और आप बीच में बोल रहे हैं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इन सब बातों की चर्चा करने से सरकार क्यों डर रही है ? क्यों डरकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है ? अगर सरकार की नीयत साफ है तो डंकल पर और गैट पर यहां चर्चा करानी चाहिए ।

श्री सभापति : अब आप बिराजिये तो सही ।....(व्यवधान) I request you kindly to sit down. Let him Finish.

श्री विष्णु मोदी : किस तरह से आप यह समझते हैं कि राजस्थान के किसानों का या राजस्थान के नागरिकों का अहित होगा ? उसको बगैर क्लैरिफाई किये हुए, बगैर सदन को बताये हुए यह किस तरह की बात है ?

श्री सभापति : मोदी जी, यह तरीका नहीं है । इस समय आपने केवल मात्र कहा था कि इन्फार्मेशन के लिए बोल रहे हैं ।....(व्यवधान).... बिराजिये तो सही ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपका भी फेवरिट सब्जैट है....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : नदी जल बंटवारे के बारे में हम आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गये और आज....

श्री सभापति : मेरा पैट सब्जैक्ट होने से काम नहीं चलेगा....(व्यवधान)....कृपया धारीवाल जी, आप बिराजिये । मोदी जी, बिराजिये आप ।....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : हमारे फैडरल स्ट्रक्चर पर आप अंगुली उठा रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन । काइण्डली सिट डाउन ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस समझौते पर दुनिया के 117 सदस्य दस्तखत करने वाले हैं और जिससे कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार पर जबरदस्त असर पड़ेगा, इस सदन में बगैर चर्चा के सीधे सुप्रीम कोर्ट....

श्री सभापति : कृपया बिराजें ।....(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : ....राजस्थान सरकार का नहीं चलने दिया जाएगा, बगैर चर्चा के इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाने दिया जाएगा ।

श्री सभापति : कृपया बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, निश्चित रूप से गैट और डंकल प्रपोजल्स पर चर्चा आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं । लोक सभा में इस महीने के आखिर में दो दिन डंकल प्रपोजल्स पर चर्चा होगी । एक मुद्दा उठाया गया कि जब से....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इस विषय पर भाषण दे रहे हैं । आप बोलेंगे पर एक मिनट मेरी भी तो सुन लीजिये आप । क्या मेरी नहीं सुन सकेंगे आप एक मिनट को ?

श्री जगदीप धनखड़ : बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक मिनट तो बोलने दीजिये ।

श्री सभापति : अच्छा, बोलिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : पहले मुख्य मंत्री जी ने सदन को कान्फिडेंस में लिये बिना प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी कि राज्यों से आप विचार-विमर्श करो । भूल गये, जब प्रधान मंत्री जी ने सभी राजनैतिक दलों से डंकल प्रपोजल्स और गैट पर विचार-विमर्श किया तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया ।

(श्री जगदीप धनखड़)

किसानों के प्रति आपके+++किसानों का असली हित आप में है ही नहीं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप विराजिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब विराजिये आप।....(व्यवधान) ....क्या बात हुई यह?

श्री जगदीप धनखड़ : आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं?

श्री सभापति : आप कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं यह?....(व्यवधान).... आप विद्वान आदमी हैं। कोई तरीका नहीं है यह, विराजिये।....(व्यवधान)....माननीय बनवारी लाल जी।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिये।.... (व्यवधान)

श्री सभापति : रिकार्ड नहीं होगा, इनका जो बोल रहे हैं रिकार्ड नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : ××× (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। उचित नहीं है। आप जानते हैं, प्रक्रिया में इस समय मांगों पर विचार चल रहा है। आपने इन्फार्मेशन दे दी समाप्त हो गया। विनम्र निवेदन है, बीयर कीजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : अब आप विराजिये, सुन ली सरकार ने।....(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री सभापति : हां, महत्वपूर्ण बात सुन ली सरकार ने। अब आप बोलने दीजिये आपके सदस्य को।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : यह सब बात महत्वपूर्ण है, पहले डिमाण्ड पर बहस हो रही है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री सभापति : आप विराजें तो मैं बोलू?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : एक मिनट, सभापति महोदय। जिस प्रकार की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं यह सत्य नहीं है। कोर्ट में जाएंगे उसके पहले निश्चित रूप से इस विषय को विधान सभा में लाएंगे, चर्चा करेंगे तभी जाएंगे। असत्य सूचना नहीं दें।

श्री सभापति : माननीय बनवारी लाल जी।....(व्यवधान) अब आप विराजें, बोल दिया इन्होंने।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : तारीख

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

8 की जनसत्ता का पत्र है, अखबार की फोटो स्टेट है यह....

श्री सभापति : माननीय धारीवाल जी, जो मंत्री जी बोले वह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : उसमें राजस्थान सरकार के लिए साफ लिखा गया है कि 22 तारीख को....

श्री सभापति : माननीय धारीवाल जी, मुझे अफसोस होता है आपकी बात पर कि जो सरकार बोल रही है उस पर विश्वास नहीं है और कागज पर विश्वास कर रहे हैं, एक अखबार पर विश्वास कर रहे हैं। आप जैसे सदस्य इस तरह की बातें बोलते हैं? सरकार ने बयान दे दिया उसके बाद फिर आप कागज लेकर खड़े हो गये।

माननीय बनवारी लाल जी।

मांग संख्या 46 एवं 12 पर विचार

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय सभापति जी, आज मांग संख्या 46 सिंचाई एवं मांग संख्या 12–यातायात पर विचार-विमर्श हो रहा है। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ अपने विचार प्रकट किये तो सिंचाई विभाग में हम पूर्वी राजस्थान के साथ जो उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है उस पर भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करके बताया। वास्तव में बात सही भी है कि सिंचाई के मामले में पूर्वी राजस्थान के साथ में जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है यह एक चिन्ता का विषय है। उसमें भी खास तौर से धौलपुर जिले के बारे में तो शायद सिंचाई विभाग यह महसूस करता है कि धौलपुर जिला आपके राजस्थान का अंग नहीं है। जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, तब स्थिति यह है। आप अन्दाजा लगाइये, जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत जो लघु सिंचाई के कार्य हुए थे वे पूरे राजस्थान में 510 कार्य स्वीकृत हुए थे 1993–94 में। जिसमें अलवर में 4, भरतपुर में 1, दौसा के लिए 3, जयपुर के लिए 4, सवाई माधोपुर के लिए 11 और धौलपुर का उसमें कहीं नाम नहीं है। अब इससे ज्यादा और पक्षपात, इससे ज्यादा और सौतेला व्यवहार क्या होगा?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह+++ बात है। ....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्री रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे ही कारण सवाई माधोपुर के पानी का पूरा एक्सप्लायटेशन होकर उपयोग हुआ था 1978 और 1980 के बीच में। बता देंगे, यूं क्या करते हो?

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : छबड़ा में क्या हुआ था, तीन बार चुनाव लड़ लिये? छबड़ा में क्या हुआ था, यह बताइये आप।

श्री सभापति : आपके माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण का प्रभाव समाप्त हो जाएगा आप बीच-बीच में बोलेंगे तो।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री बनवारीलाल शर्मा : सभापति महोदय, दूसरा उदाहरण निवेदन करना चाहता हूं कि 1993–94 में चीफ इन्जीनियर को जो योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया था, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया था, उसमें से अलवर में 135 लाख, भरतपुर में 111 लाख, दौसा में 83 लाख और धौलपुर में मात्र 50 लाख। आप अन्दाजा लगाइये, 100 करोड़ में से धौलपुर जिले में सिर्फ 50 लाख रुपये दिये गये, इससे ज्यादा और सौतेला व्यवहार आपका क्या हो सकता है ? यह तो हमें अन्दाजा है कि आप हमारे कोई नये कार्य तो खोलेंगे नहीं, नये बन्धे और तालाब तो बनायेंगे नहीं पर मेहरबानी करके स्टेट के टाइम में जो तालाब बने हुए हैं उनको तो कम से कम मरम्मत करके उन से तो सिंचाई करा दीजिये। माननीय सिंचाई मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर जिले में ओडेला नाम का एक ताल है जो स्टेट के समय का बना हुआ है। सन् 1984 से वह टूटा पड़ा हुआ है। विभाग में काफी लिखा-पढ़ी कर ली, 9 लाख रु. उसके लिए मंजूर भी किये गये, विभाग ने दो लाख रुपये खर्च भी किये लेकिन उसके बाद उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है ? इसकी आप गहराई में जाइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दबाव में आकर, उस बन्धे जैसी चीज का काम रोक दिया गया है जो कि बहुत से गरीबों की सिंचाई का साधन था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आखिर कारण क्या है कि उस बन्धे को नहीं बनाया गया। हो सकता है कि विभाग आपको यह जानकारी दे कि इसमें कोर्ट से स्टे है। मैं निश्चित तौर पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विभाग यह जानकारी देता है तो बिलकुल गलत देता है। कोर्ट का बहाना है, कोई कोर्ट से स्टे नहीं है लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण उस बन्धे की दीवार को नहीं बनाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके सिंचाई के कार्य में राजनैतिकता नहीं लायी जाए।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि स्टेट के टाइम का ही उर्मिला सागर ताल है जिस पर आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। उससे करीब 3 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है लेकिन उसकी नहर वही जर्जर अवस्था में है, वही टूटी हुई है। अगर विभाग सतर्कता बरते, उस पर लाइनिंग का काम करे, उसको पक्का कर देता है तो निश्चित तौर पर उससे कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, इरिगेशन ज्यादा होगी। मेरा निवेदन है कि आप उसके सोर्स के लिए तालाब और नाले के पानी को रोक कर जहां नाले का पानी उस तालाब में आता है वह तो आप रोकिये और कोई नाला डाइवर्ट करिये या बिलकुल पास में चम्बल नदी लगती है उसके पानी को लिफ्ट करके उस तालाब में........

श्री कैलाश मेघवाल : चम्बल से लिफ्ट योजना बन रही है।

श्री बनवारी लाल शर्मा : वह भी तो अलग है। वह चम्बल नदी की योजना कब बनेगी, बन तो रही है। मांग हम कर रहे हैं कि आज चम्बल लिफ्ट योजना जो बहुत दिनों से पेंडिंग है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, जो बात कही है उसका औचित्य क्या हुआ। आपके पास मंत्रालय तो है नहीं। आप इतना नोन सीरियसली इस बात को लेकर....

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, आप कई बार यह प्रश्न उठा चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इस बिन्दु पर चर्चा हो चुकी है।

श्री सभापति : आप इतने वरिष्ठ होने के बावजूद भी इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, बता दिया गया है आपको कि जोइंटली/सेवरली रेस्पोंसिबिलिटी होती है पूरे मंत्रि-मण्डल की इसलिए यह बोले, कोई बोले एक ही बात है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, यह तो मैं समझता हूं कि सिंक एण्ड स्विम टुगेदर है....

श्री सभापति : कितनी दफा बता दिया गया है आपको।

श्री विष्णु मोदी : कुल मिलाकर मैं बात जो पूछना चाह रहा हूं....

श्री सभापति : बिराजिये। कोई अर्थ नहीं, बीच में व्यवधान डाल कर के.... (व्यवधान)....

श्री बनवारी लाल शर्मा : आज शाम तक सिंचाई मंत्री हैं, आज तो कम से कम जवाब दे देंगे लेकिन विभाग के अधिकारियों का इसमें क्या दोष है।

तीसरा, मेरा निवेदन है कि पार्वती बांध है, जो कि कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है। उससे करीब 35 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, अब की बार उसमें अधिकारियों की लापरवाही से आज फसलें नष्ट हो गयीं, फसलें सूख गयीं। विभाग मीटिंग करता है, अभी एक मीटिंग हुई उसमें अधिकारियों ने कृषकों से यह कह दिया कि पानी हमारे पास खूब अवेलेबल है और निश्चित तौर पर हम आपको बांध से पानी देंगे, लेकिन विभाग की अकर्मण्यता के कारण आज टेल एण्ड के जो भी गांव हैं वे सिंचाई से वंचित रह रहे हैं, फसलें सूख गयीं। वे कलक्टर के यहां धरना दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से ऐसे असक्षम कर्मचारियों को वहां लगा दिया जाता है, ए.ईएन. ऐसा असक्षम है जिसको आपने लगा दिया, उसका कोई तालमेल बैठता नहीं है। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि विभाग के अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वे कहते हैं क्या करें हमारे पास में लेबर के लिए पैसा ही नहीं है, मंजूरी नहीं है, हम कहां से लेबर लायें। आखिर नहर टूट जाती है। नहर टूट जाने पर उनकी मरम्मत के लिए जे.ईएन., ए. ईएन., एक्स. ईएन. के पास लेबर आप दे नहीं रहे हैं तो आखिर वे नहरें कैसे ठीक होंगी ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके नहरें टूटती हैं, अगर कोई तोड़ता है, कोई जनता का आदमी तोड़ता है, उसके खिलाफ कार्यवाही करें। आज आपके पास कोर्ट केस में पैरवी करने के लिए कर्मचारी नहीं, जिस तरह से यू.पी. में अलग से इरिगेशन मजिस्ट्रेट कायम किया हुआ है, पानी की जहां परेशानी है, पानी वेस्ट जाता है, पानी को तोड़कर के वेस्ट किया जाता है वहां आप इरिगेशन का अलग

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

से मजिस्ट्रेट कायम कीजिये जिससे कि सख्ती से उनके साथ पेश आया जा सके।

चौथा, मेरा निवेदन है, सभापति महोदय, बहुत दिनों से हमारे जिले में सैकण्ड पार्वती की मांग चली आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वास्तव में जो पार्वती नदी में पानी बहता जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, आगे यमुना में वह मिल जाता है। सैकण्ड पार्वती की मांग चल रही है अगर आप उस योजना को लागू कर देते हैं तो निश्चित तौर पर धौलपुर के जो अनइर्रिगेटेड एरिया है उनको लाभ मिलेगा।

इसके अलावा मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा यातायात मंत्रीजी से कि आज नयी बसों के लिए लोग मांग करते हैं। जो आपकी निगम की बसें चल रही हैं उनसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, फिर उनको बन्द किया जाय तो मेरी समझ में आता है लेकिन सिर्फ आपके अधिकारी अवैध वाहन वालों से मिलकर के उसको बन्द कर देते हैं, मेरे ख्याल में यह बड़ी +++ की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके जो आज तक कई शिकायतें आयी हैं कि आपके अधिकारी, डिपो मैनेजर हैं वे अवैध वाहन वालों से, प्राइवेट बस वालों से मिलकर, हो सकता है कि निगम को ज्यादा लाभ हो जाए, मगर आपके पास शिकायतें आयी हैं, मैंने भी पत्र द्वारा निवेदन किया था कि आप उनकी जांच कराइये लेकिन आपने आज तक उनकी जांच नहीं करवायी है। क्यों नहीं आप ऐसे अधिकारी के खिलाफ जांच कराते हैं? अगर वह चार्जेज गलत है तो निश्चित तौर पर आप उन्हें इनाम दीजिये लेकिन वास्तव में अगर वे चार्जेज सही हैं तो आपमें हिम्मत होनी चाहिए कि आप उनके खिलाफ कार्यवाही करें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जो निगम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो हजारों रुपये महीने तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं?

मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिहजी जब लीडर आफ अपोजिशन थे तब धौलपुर के बारे में वह खुद भी चिन्तित थे लेकिन फारचुनेटली या अनफारचुनेटली वे वहां से विधायक भी रह लिये और मुख्य मंत्री भी रह लिये, लेकिन जब वे यहां बैठते थे तब तो बड़ी गर्जना करते थे और मांग करते थे लेकिन जब राज उनके हाथ में आ गया तब कुछ नहीं करते। मैं एक बात की आपसे जानकारी चाहता हूं कि जितनी भी राजस्थान की स्कीम्स हैं चाहे कोई लिफ्ट स्कीम है, राज में आने के बाद क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं सदन में जब आप पहले मुख्य मंत्री थे तो आपने कहा था कि धौलपुर की लिफ्ट योजना विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में आपने क्या किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी जब यहां थे तब तो धौलपुर के बारे में बहुत चिन्तित थे, आपकी सरकार है और आप वहां से विधायक भी रह चुके हैं फिर भी कोई काम नहीं करवाया। कम से कम

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

जो तालाब स्टेट के टाइम के बने हुए थे उनको भी नहीं सुधारा, उनकी भी मरम्मत नहीं करवायी। मैं पुनः आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी आप जन-भावनाओं का ध्यान रखिये, धौलपुर की तरफ ध्यान दीजिये और सौतेला व्यवहार मत करिये तथा जो भी काम अधूरे पड़े हैं उनको तुरन्त पूरा करवाइये।

इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरा नाम आया जब मैं उपस्थित थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आप बार-बार बुला रहे हैं और जो निष्पक्ष आपके सामने रहते हैं उनको आपने बुलाया नहीं अभी तक। राज जिनके भरोसे बना है उनकी तरफ ध्यान नहीं है। कल भी देख लिया, परसों भी देख लिया, हमेशा....

श्री सभापति : आपका अभी आ रहा हैं आप विराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा सवाल नहीं है हमारे सब साथियों का सवाल है।

श्री सभापति : कितने हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत है, 10-12 हैं, सभापति महोदय....(व्यवधान)

श्री सभापति : एक के बाद एक चल रहा है तो कहां से दिक्कत आ गयी ?....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप एक इधर से, एक उधर से बुलाने के बाद एक हमको बुलवाइये।

श्री सभापति : अब आप बिराजें, बात समझ में आ गयी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि एक इधर से बोले हैं, एक उधर से बोले हैं, दो एक तरफ से बोले, ऐसा नहीं हुआ है। अब जो लिस्ट आयी है मेरे पास सचेतकों की उसके हिसाब से चल रहा हूं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, यह आसन से व्यवस्था पहले हुई थी।

श्री सभापति : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, सदन में वैसे ही महिलाओं की संख्या कम है और फिर हमारा नाम ओवर-लुक करके उधर से बुलवाते हैं।

श्री सभापति : ध्यान रखा जाएगा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से बूंदी जिले की ओर ले जाना चाहूंगा। बूंदी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 5 लाख 81 हजार हैक्टेयर है जो राज्य का 1.69 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य के पूरे क्षेत्रफल का कृषि योग्य क्षेत्रफल लगभग 50 प्रतिशत है जबकि बूंदी जिले की कुल भूमि का 65 प्रतिशत है। राज्य की सतही जल सम्पदा 15.86 एम.सी.एफ. है जबकि अकेले बूंदी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

जिले की सतही जल सम्पदा 2.383 एम. सी.एफ. है, यह राजस्थान की कुल सतही जल सम्पदा का 15 पर्सेण्ट है। इससे स्पष्ट है कि बूंदी जिला भौगोलिक दृष्टि से राज्य के अपने क्षेत्रफल के रेश्यो में 13.31 पर्सेण्ट अधिक सतही जल ड्रेन करता है। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में बांधों के माध्यम से 8.19 एम.सी.एफ. जल संग्रहण किया हुआ है उसमें बून्दी जिले का शेयर मात्र 0.21 एम.सी.एफ. अर्थात् 2 5 पर्सेण्ट है। पूरे राज्य का सतही जल का जहां 51 पर्सेण्ट संग्रहण किया गया है वहीं बून्दी जिले में ड्रेन होने, सतही जल का मात्र 9 पर्सेण्ट ही संग्रहण किया गया है। इस प्रकार से पानी उपलब्ध होते हुए भी बून्दी जिले की सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में उपेक्षा बरती जाती है। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि बून्दी जिले से राज्य का 15 पर्सेण्ट जल संग्रहण होता है। इसके विपरीत सिंचाई के कार्यों पर वर्ष 1993-94 में राज्य में कुल खर्च की गयी 10,900 लाख रुपये की राशि में से जिले में मात्र 92 लाख रुपये की राशि खर्च की गयी जो मात्र 0.84 पर्सेण्ट है। वर्ष 1994-95 में इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके निम्न कारण हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बून्दी जिले में एक बड़ा बांध है जो लगभग 100 वर्ष पुराना है। इसकी भराव क्षमता 1024 मिलियन घन फीट है, 3056 हैक्टेयर भूमि में पानी जाना चाहिए। वर्तमान में केवल 1500 एकड़ भूमि में पानी पहुंचता है और तीसरा पानी तो पहुंचता ही नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके विभाग द्वारा डेम सेफ्टी पैनल का गठन किया गया था और बून्दी में भी 1988 के बाद कई बार इसका निरीक्षण किया जा चुका है, परन्तु अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। यह निर्णय क्यों नहीं हुआ? कब होगा? इसके बारे में सिंचाई मंत्रीजी मैं जानना चाहूंगा। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि यह बांध कब टूटे? राष्ट्रीय राज मार्ग इसमें अवरुद्ध हो जाएगा हजारों लोग बेघर-बार हो जाएंगे। यह बांध टूटने वाला है, बड़ा जीर्ण-शीर्ण हो गया है। वहां पर तालेड़ा बीच में पड़ता है इसलिए या तो नया बनाया जाए या इसके लिए पैसा अधिक दिया जाए ताकि इसकी मरम्मत हो सके। इस वर्ष 1330 लाख रुपये प्रस्तावित हैं। बून्दी में कम से कम 100 लाख रुपये इस बांध के लिये स्वीकृत किये जाएं जिससे जमीन सिंचित हो सकेगी।

इसी प्रकार से गैरदा बांध जिसे लताड़ियां के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में 1975 के अन्दर योजना बनी 10 करोड़ 36 लाख रुपये की, इसमें 43 गांव आते हैं और 9225 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी।

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिये। दो मिनट और दीजिये। आज इसकी लागत लगभग 37-38 करोड़ की हो गयी है और यह आज भी केन्द्रीय जल आयोग के पास पड़ी हुई है। क्यों नहीं हमारे एक अधिकारी को वहां पर बैठा दिया जाए ताकि जितनी भी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बांधों की योजनाएं केन्द्रीय जल आयोग के पास पड़ी हुई हैं उनकी स्वीकृति दिलवाये। जिनसे जहां, राजस्थान की भूमि सिंचित होगी उससे राजस्थान को ही नहीं सारे हिन्दुस्तान को लाभ होगा। इसलिए इन बांधों को स्वीकृत करवाया जाए।

इसी प्रकार से एक छोटा बांध है, बरखू बांध। उसकी पहले स्वीकृति हो गयी थी लेकिन उसको रोक दिया गया। उस बांध के कार्य को तत्काल शुरू करवाया जाना चाहिए। इसी प्रकार पलका के पुल के नीचे मरम्मत की जानी चाहिए, वह टूट सकता है, टूटने के कगार पर है। इसी प्रकार राजपुरा की नदी पर एनीकट बने, करौंधी का टैंक, भैंरू की पुल जहां मिट्टी भरी हुई है, उसकी सफाई हो। भीमरथ बांध एक और है हमारे यहां पर, इस बांध की क्षमता 332 मिलियन घन फीट है यहां पानी का लीकेज 62 मिलियन घन फीट हो जाता है जो लगभग 600 एकड़ भूमि सिंचित कर सकता है इसकी क्षमता बढ़ायी जाए, बांध बनाया जाए तो लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च होगा और वर्तमान में इसकी सिंचाई क्षमता 2500 एकड़ है। इसी प्रकार मेज नदी है (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) सभापति महोदय, दो मिनट बोलूंगा मैं।

श्री सभापति : दो मिनट बहुत हो गये साहब। आप बिराजिये साहब।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेज नदी के बारे में निवेदन करके रोडवेज पर आ रहा हूं। मेज नदी पर पूर्व में भी सर्वे किया गया है। वहां पर पानी बेकार जा रहा है उसका सर्वे करवा कर पहले बी.बी.सी., ब्रान्च कैनाल के नाम से, जब श्री ललितजी सिंचाई मंत्री थे तो इन्होंने उसका सर्वे करवाया था, उस पर बांध बनाया जाना चाहिए।

मैं यातायात मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर से कोटा के बीच में रेल चालू हो गयी है इसलिए जो बसें कोटा से बून्दी आती है, कोटा से जयपुर आती है और जयपुर से कोटा जाती है वह बसें अधिकतर खाली जाती है, उन बसों को बून्दी में रोका जाना चाहिए। उससे राज्य सरकार को लाभ होगा और गाड़ियां खाली नहीं आयेंगी, जनता को फायदा होगा। इसके साथ जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें....(व्यवधान) ..

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री मोदी जी, अपनी सीट पर बैठें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उनमें 200 गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें कण्डक्टर्स नहीं चल रहे हैं और कण्डक्टर्स नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियां होती हैं, टिकटों की चोरी करते हैं इसलिए उनमें कण्डक्टर्स की व्यवस्था की जाए।

बून्दी के बस स्टेण्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी का जो बस स्टैण्ड वर्तमान में जिस जगह पर है वह ऐसी जगह पर जहां बड़ी अव्यवस्था है इसलिए उस बस स्टैण्ड को बून्दी के बाहर लंका गेट पर बनाया जाए। इसी प्रकार से

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

बून्दी से ढाबी बस चलायी जाए। आज बून्दी से कोटा पहले जाना पड़ता है और कोटा से ढाबी जाना पड़ता है जो 85 किलोमीटर दूर है। अगर ढाबी से सीधी बून्दी गाड़ी आएगी तो उससे बून्दी आगार को लाभ होगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में मानी जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी प्रवाहित होकर अन्य इलाकों में, चाहे प्रदेश के अन्दर, चाहे प्रदेश के बाहर जाता है। उसके लिए राजस्थान की सरकार ने आज तक कोई योजना अथवा कोई मास्टर प्लान नहीं बना रखा है जिसके आधार पर यह निश्चित लगे कि इन-इन वर्षों में इस प्रकार की योजनाएं हाथ में ली जाएंगी। जहां एक ओर राजस्थान निर्माण के पहले 4 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी पर आजादी के बाद पंच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से करीब 24 लाख हैक्टेयर से कुछ अधिक सिंचाई होने लगी है उसके लिए चाहे इन्दिरा गांधी नहर लें, माही लें, चम्बल लें और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लें, राजस्थान का यह बड़ा हिस्सा इनके अन्तर्गत आता है। मगर राजस्थान में अनेक नदी-नाले ऐसे हैं जिनसे कई लघु सिंचाई योजनाएं बन सकती हैं। इसके लिए राजस्थान की सरकार ने पिछले वर्ष के आंकड़े देखे होंगे, पहले के आंकड़े भी देखे होंगे, लघु सिंचाई योजनाओं की ओर राजस्थान की सरकार बहुत गम्भीर नहीं है। आप और हम इस बात का आश्चर्य प्रकट करेंगे कि 10 वर्ष पहले लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की जाती हैं वह 10 वर्ष में पूरी नहीं होती है और इसके बाद दूसरी योजनाएं हाथ में ले ली जाती हैं, इस कारण एक भी योजना समय पर पूर्ण नहीं होने से बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है इससे राजस्थान का बहुत नुकसान हो रहा है।

मैं उदाहरण के तौर पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1993-94 को ले लीजिये, 2811 लाख का आपने प्रोविजन लघु सिंचाई में किया वहां 1409.97 लाख रुपये यूटिलाइज किये और 9800 हैक्टेयर जमीन का आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके विरुद्ध 1415 हैक्टेयर में सिंचाई की क्षमता सृजित हो सकी। मैं समझता हूं कि आपकी इस ओर गम्भीरता है, इस ओर आपका ध्यान जाएगा। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सिंचाई का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें, आपने जो प्रावधान कभी भी रखें हैं, बाढ़ नियन्त्रण में 490 लाख रुपया रखा, वहां 240.61 लाख रुपया कुल मिलाकर यूटिलाइज किया। माननीय सिंचाई मंत्री जी जो सिंचाई विभाग को देख रहे हैं आज के दिन, वे शाहपुरा से आते हैं। शाहपुरा, जहाजपुर और कोटड़ी तहसील में पिछली जुलाई में एक दिन इतना कहर ढह गया, इतनी भयंकर बरसात हुई जिसमें अनेकों तालाब और एनीकट्स टूट गये। उसके बाद सरकार ने छोटे-मोटे रिपेयर के काम करवा दिये; उससे काम चलने वाला नहीं है। बड़े-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बड़े एनीकट्स पर जहां 15-15 लाख रुपया लगा हुआ था, उसमें आपने 25-50 हजार रोकने में लगा दिये, उससे काम चलेगा नहीं। कई एनीकट्स टूटकर दूर तक उनका पत्थर और मैटेरियल चला गया, इस तरह की योजनाओं पर भी सरकार आज पूरा ध्यान नहीं दे रही है। थोड़ी-बहुत राशि जो स्वीकृत की गयी है उससे आपका काम पूरा होने वाला नहीं है।

इसी तरह कई मामलों में निवेदन करना चाहता हूं, सिंचाई के लिए आपने जो भी बजट प्रावधान जब भी रखा, वह कभी पूरा खर्च नहीं किया गया। सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संधारण और रख-रखाव के मामले में सिंचाई विभाग बिलकुल नगण्य है। इनके बजट में जितना पैसा है, एक प्रश्न के जवाब में मैंने पूछा था, अधिकांश पैसा केवल तनख्वाह और मस्टररोल पर जो लोग लगाये जाते हैं, उन पर पूरा खर्च हो जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि बरसात में संधारण के अभाव में तालाब और एनीकट्स टूट जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता चाहता हूं कि संधारण का बजट अलग हो और प्रशासनिक और तनख्वाह का बजट अलग हो ताकि यह पता लग सके कि इतना-इतना पैसा अमुक-अमुक काम पर खर्च किया जाएगा। राजस्थान में 342.24 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल है जिसमें 256.90 लाख हैक्टेयर में कृषि होती है, वहां पर 158.6 लाख एकड़ फीट पानी सतही होते हुए भी उसका पूरा यूटिलाइजेशन यह राज्य सरकार नहीं कर रही है। मेरा सुझाव के तौर पर निवेदन है कि चाहे जे.आर.वाई. हो, चाहे अकाल हो, चाहे दूसरे प्रकार की योजनाएं हों, मैं समझता हूं, सब योजनाओं के माध्यम से लघु सिंचाई के कार्यक्रम को व्यापक बनाकर योजनाबद्ध तरीके से सरकार पूरा करें, यह बहुत आवश्यक है।

मैं इसी के साथ इस बात का सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार के कारण जनता क्यों भुगते, आज बीसलपुर में इंटरसेप्ट के नाम पर, कैचमेंट के नाम पर चाहे भीलवाड़ा जिला हो, चाहे चित्तौड़गढ़ जिला हो, चाहे टौंक जिले का कुछ पार्ट हो, वहां के एनीकट्स, तालाब जो अधूरे बने हुए हैं, कहीं सर्वे में पड़े हुए हैं, कई योजनाएं अलग-अलग जगह लम्बित पड़ी हुई हैं, आज उन पर तलवार लटका दी गयी। आपको आज यह बात याद क्यों आयी? आपने उनको 5 साल पहले प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हैं, आपने रुपया खर्च किया है, तब आपको ये बातें याद नहीं आयीं और सरकार की मंशा नहीं है कि लघु सिंचाई योजनाएं पूरी हों, तो नयी बात अभी कहीं लिखित में भी नहीं कर रखी है, कोई नीतिगत प्रश्न नहीं है, ऐसा कुछ तय किया हुआ नहीं है, पर सब जगह नोट लगा दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा कि ये तो बीसलपुर प्रोजेक्ट के इंटरसेप्ट में या कैचमेंट में आता है, मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा अन्याय होगा उस जिले की जनता के लिए चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो। जहां इस तरह के एनीकट्स नहीं बनेंगे वहां कुओं का जल स्तर नीचे चला जायेगा, तालाब में पानी नहीं पहुंचेगा और जो खेतों का सिस्टम परम्परागत बना हुआ है उसको यदि आपने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एनीकट्स नहीं बनाकर किया है, एनीकट्स टूट गये, तालाब टूट गये, उनका पुनरुद्धार वापस नहीं करेंगे तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा ।

माननीय सभापति महोदय, और तो और पहले भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर में सब डिवीजन सर्वे का था....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आज पूरे भीलवाड़ा जिले में सर्वे का सब डिवीजन नहीं हैं, इसलिये सरकार के पास इतनी योजनाएं लम्बित हैं, उनका सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, इस आधार पर योजनाएं नहीं बनती हैं और जो बनेगी तो उनकी कीमत जहां लाखों में है, वे करोड़ों में हो जाएगी । हमारे क्षेत्र में सकल वृक्ष सिंचाई योजना है, जो 60-65 लाख की थी, आज करोड़ों की हो गयी, उस पर 50 लाख रु. खर्च हो गया । उसके बाद अभी तक सरकार उसको पूरा नहीं करना चाहती । कभी जर्मनी एड के नाम पर, कभी किसी नाम पर योजना को झुलाया जाता है । यह कितना बडा घोर अन्याय है । हमारे क्षेत्र में एस.सी., एस.टी. के लोग, गरीब लोग रहते हैं, इनका जीवन-यापन खेती पर निर्भर है । अब उस इलाके की जनता के लिए सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का सरकार ने कार्यक्रम नहीं बनाया, उसका बहुत बड़ा नुकसान इन लोगों को होने वाला है ।

अकाल के नाम पर हमारी योजनाओं को, अकाल राहत के मंत्री कहते हैं, सरकार कहती है, अधूरे सिंचाई योजनाओं के काम, अकाल राहत के अधूरे काम सब लिये जा सकते हैं । भीलवाड़ा जिले के अधिकारियों से जब-जब बातचीत करते हैं, वे कहते हैं कि 50 लाख की योजना है, 30 लाख की योजना है और अगर इस पर 15 लाख का काम हो गया, तो 15 लाख रु० का अकाल में हम काम नहीं कर पायेंगे और उसके बाद विभाग के पास पैसा नहीं होगा तो वे योजना कैसे हाथ में ली जाएगी । इस तरह की बातें सामने आती हैं तो मैं समझता हूं, इस तरह की योजनाओं को सरकार हाथ में लेने में प्राथमिकता दें, यह बहुत ही आवश्यक है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी....

श्री सभापति : समय नहीं है । रात के 12 बजेंगे । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार को और सिंचाई मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे 2-3 सुझाव आप खास तौर से देखें । 1990-91 में आपकी सरकार ने उस समय हमारे क्षेत्र में वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जिन योजनाओं को दी थी और उसके कुछ दिनों बाद उन्हें बन्द कर दिया । यह कहाकि हम इसको विभाग के बजट में ले रहे हैं, इसलिए पहले शायद जे.आर.वाई. और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की स्वीकृति टेलीग्राफिकली हमारे पास आयी थी, आज वे सब योजनाएं अधर में लटक रही हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई योजना तो सामने लायें कि किस प्रकार आप इन योजनाओं को पूरा करना चाहते हैं, बाकी हमारे क्षेत्र की जनता इस बात को कभी बरदाश्त नहीं करेगी कि बीसलपुर में इंटरसेप्ट के नाम

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पर, उस क्षेत्र में जो एनीकट, तालाब, अधूरी योजनाएं हैं इनको आप हाथ में नहीं लें, मैं समझता हूं, आप मामले को गम्भीरता से लेकर....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी ट्रांसपोर्ट की बात और करूंगा। अभी तो एक ही मामला निपटा है।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, समय हो गया। कृपया क्षमा करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दोनों पर डिमाण्ड है।

श्री सभापति : ठीक है, दोनों पर दी है परन्तु आपने करीब-करीब 13 मिनट ले लिये हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। यातायात का जहां तक मामला है, राजस्थान में अनेक ऐसे गांव हैं जो यातायात के साधनों से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा, आपके जो बस रूट्स हैं उनके आस-पास बड़े-बड़े गांव हैं, उनको किसी न किसी बस रूट से जोड़ने के बारे में कोई नीति बनाये और उसके आधार पर उन गांवों को सुविधा सुलभ करायें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को खाली डामर के रूट को छोड़कर, जो गिट्टी रोड बनी हुई है, कहीं अच्छे फेयर-वेदर रोड बने हुए हैं वहां तक भी पहुंचा कर जो बड़े-बड़े गांव जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी आप व्यवस्था करेंगे, मैं ऐसी आशा करके चलता हूं।

मैं, इसी के साथ हमारे क्षेत्र के कई सुझाव आपको दे चुका हूं। देवली से दिल्ली एक बस चलती है....

श्री सभापति : पत्र लिख देना। कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : पत्र तो लिख दिया कई बार, यहां पर कहना पड़ेगा मुझे।

श्री सभापति : समय का अनुशासन रखें। इस प्रकार से सब अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर खतम नहीं होगा।....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा था, इतने में तो समाप्त कर देता मैं, देवली से दिल्ली बस चलती है, देवली से जहाजपुर 19 किलोमीटर है, वहां जाकर बस पड़ी रहती है, उसको वहां पहुंचाने में क्या तकलीफ हो रही है, पूरा इलाका जुड़ जायेगा। हमारा अजमेर से भी पूरा इलाका जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): हो रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो मैं कह रहा था, हो रहा है इसीलिए सुझाव दे रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय, उधर के लोगों का अजमेर से काफी सम्बन्ध पड़ता है। वहां से बस सेवा कोई उपलब्ध नहीं है, भीलवाड़ा से जहाजपुर होते हुए रात को जयपुर के लिए कोटड़ी वगैरह 2-3 तहसील जोड़ती है, उस बस सेवा की मांग है। मैं मंत्री महोदय को सब कुछ लिखकर दे चुका हूं और मैं आशा करता हूं, उस इलाके की जनता को यह सुविधा देंगे।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एस.आर.टी. बहुत लगी हुई है इससे राजस्थान की बसें नहीं चल पा रही है, उसकी भी अन्य स्टेटों से तुलना करके उस के आधार पर व्यवस्था करेंगे तो लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय हरिनारायण बैरवा।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, आज की चर्चा का विषय मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र ज्यादातर किसानों का है और आय के दूसरे साधन कुछ भी नहीं है वहां पर। एक कहावत है "मोहे सुन-सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी" यह मेरे विधान सभा क्षेत्र पर लागू होता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र चम्बल और बनास नदी से घिरा हुआ है। क्षेत्र के मध्य में गालव नदी बहती है, फिर भी सिंचाई के साधनों का अभाव है। कुछ स्थानों पर मिनी लिफ्ट चालू की गयी। जो डीजल के इंजिनों से है। यदि जहां-जहां डीजल के इंजिन लगे हुए हैं वहां पर बिजली पहुंचायी जाए और सर्वे करवा कर इन तीनों नदियों के ऊपर मिनी लिफ्ट योजना लागू की जाए जिससे क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सकें। दो सिंचाई योजनाएं पहले से लागू है, एक पीपल्दा जलोत्थान सिंचाई योजना और दूसरी, पीपलेट जलोत्थान सिंचाई योजना। तहसील खण्डार के 32 गांवों से 15,196.45 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, इससे लाभान्वित होने वालों में अनुसूचित जाति के 26.88 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के 15 प्रतिशत किसान हैं। यह योजना तकनीकी दृष्टि से आक्षेपरहित है। पीपलेट जलोत्थान सिंचाई योजना से तहसील के 34 गांवों की 23,930 एकड़ भूमि सिंचित होगी जिसमें 7.31 प्रतिशत एस.टी. तथा 26.62 प्रतिशत एस.सी. के किसान हैं। उक्त दोनों योजनाएं 1981 एवं 1982 में क्रमशः केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है और....

(16.00)

जो पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा चुकी हैं जिसमें पीपल्दा जलोत्थान योजना हेतु राज्य द्वारा बजट स्वीकृति के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने निर्देश दिये हैं जो इस बजट में सम्मिलित की जानी थी उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों योजनाओं को बजट में सम्मिलित किया जाए जिससे वहां की सिंचाई की समस्या दूर हो सके।

इसके अलावा मानसरोवर और देवपुरा बांध के स्तर की क्षमता बढ़ायी जाए। मानसरोवर बांध के लिए कुसालीपुरा का जो नाला है उसकी चार मीटर तक की खुदाई करके मानसरोवर बांध छोड़ा जाए जिससे वहां का जल स्तर बढ़ सके। इसी प्रकार देवपुरा बांध का जल स्तर बढ़ाने के लिये भी वहां का जो ओधल है उसको 2.5 फीट ऊंचा किया जाये तथा जितनी भी नहरें हैं उनको टेल तक पहुंचाया जाए तथा इनके माइनरों की खुदाई की जाए। जितने भी छोटे तालाब हैं और एनीकट टूटे पड़े हैं इनको दुबारा बनवाया जाए

(श्री हरिनारायण बैरवा)

तथा छोटे तालाबों को और खुदवाया जाए। गलाई सागर का सीपेज रोका जाए। गलाई सागर में इतना सीपेज है कि एक नहर के बराबर पानी रात और दिन बहता है। यदि इसका सीपेज रोक दिया गया तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसी प्रकार पांचोलस बांध जो टूटा हुआ है इसकी रिपेयर कराई जाए तो किसानों को लाभ होगा। टापुर बांध मिट्टी से भर गया है इसकी खुदाई की जाये।

बिजली के कनेक्शनों के अन्दर कुछ मापदण्ड इस प्रकार के अपना रखे हैं कि अनुसूचित जाति की सन् 1993 तक की फाइलें निपटा दी जाएंगी और अनुसूचित जन जाति की 1984 तक की निपटा दी जाएगी। अन्य जातियों की फाइलें जो उससे पहले की हैं निपटा दी जाएंगी। अनुसूचित जाति के पास तो पहले ही जमीन नहीं है। 1992 तक की उनकी फाइलें निपटायी जाएंगी तो क्या होगा। इसलिये अन्य जातियों की फाइलें भी जल्दी से जल्दी निपटायी जाये। जहां विकलांगों को प्राथमिकता दी गयी उनकी फाइलें भी पेंडिग में पड़ी हुई हैं उनको भी निपटाया जाए ताकि उनके कुओं के ऊपर कनेक्शन मिल सके और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके।

मैं माननीय यातायात मंत्री जी का ध्यान भी मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी प्राइवेट बसें जो कच्चे रूट में चलती हैं वे कच्चे रूट पर न ले जाकर पक्की सड़कों पर चलायी जाती हैं। इन बसों की हालत ऐसी हो रही है कि कहीं सीटें नहीं हैं, शीशे नहीं हैं, खिड़कियां नहीं हैं फिर भी इनको चलाया जाता है। उनका वश नहीं है नहीं तो वे बिना टायर-ट्यूब के भी बसों को चला लें। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इन बसों को रोड पर चलाने से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को घाटा होता है। जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को मिलाने के लिये प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाई जाए और जयपुर व टोंक से जो बसें सवाई माधोपुर आकर खड़ी होती हैं उनको खण्डार और फलौदी तक पहुंचाया जाए। सिवाड़, चौथ का बरवाड़ा और भगवतगढ़ के लिये रोडवेज की बसें लगवायी जाएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि शहर के अन्दर जो बसें खड़ी होती हैं उनको सवाईमाधोपुर शहर में खड़ी न करके जो भरावण्डा, फलौदी, खंडार और पाली से आने वाली बसें हैं उनका बस स्टेण्ड चकचेंदपुरा में बनाया जाए। जयपुर, टोंक, भगवतगढ़, लालसोट, हिण्डौन, गंगापुर, करौली जो बसें जाती हैं उनका बस स्टेण्ड गोपालपुरा बनाया जाए। आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बार-बार यहां पर यह

(श्री भीखा भाई)

कहा जाता है कि राजस्थान का विकास करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया'। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको पिछले दशकों में ले जाना चाहूंगा पिछले दशकों में एक महापुरुष, राजस्थान का नेता, राजस्थान का निर्माता सुखाड़िया जी के वक्त की बात मैं कह रहा हूं, सन् 1952 से लेकर 1977 तक निरन्तर जब कांग्रेस का शासन रहा, मैं उस काल के अन्दर ले जाना चाहता हूं। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों में, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो या सिंचाई का क्षेत्र हो। कोई भी क्षेत्र हो उनमें सभी में विकास हुआ है।

अभी महुआ से आने वाले माननीय सदस्य और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको बताया कि 4 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होती थी और आज 24 लाख हैक्टेयर की सिंचाई होती है। आपने अपने बजट भाषण में भी बताया कि 19 प्रतिशत सिंचाई की क्षमता है। आज क्षमता को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है, यह मैं कहना चाहता हूं और इसके बारे में बताना चाहता था कि आज जितनी योजनाएं हैं चाहे वह माही की योजना हो, चाहे वो चम्बल की योजना हो, चाहे राजस्थान कैनाल की योजना हो, चाहे वो जाखम की योजना हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस के राज में हुई हैं। उस समय सुखाड़िया जी मुख्य मंत्री थे, रामकिशोर जी व्यास सिंचाई मंत्री थे, भोगीलाल जी पण्ड्या सिंचाई मंत्री थे, भीखाभाई और रामप्रसाद लड्ढा भी सिंचाई मंत्री थे और इनके वक्त में जो काम हुए हैं वे मैं समझता हूं कभी नहीं हो सकते।

मैं आपको कह सकता हूं कि माही का जब शिलान्यास श्री मोरारजी देसाई ने किया था, राजस्थान कैनाल को प्रारम्भ करने से पहले उसका शिलान्यास श्री गोविन्दबल्लभ पंत ने किया था और जवाहर सागर जिसको कोटा बैराज कहते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं और हमारे सिंचाई मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि गांधी सागर का पहला चरण है और ये सारे जितने भी काम हैं, चम्बल के जितने चरण हुए, सारे जिलों को डवलप करने का काम कांग्रेस ने किया।

माही को बनाने का काम, जाखम में फेजा बांध, नगालिया बांध, उनका पिकअप वीयर का काम भी कांग्रेस ने किया। हर काम में चाहे वो गंभीरी चित्तौड़ की हो, चाहे वो उरई हो, चाहे भीलवाड़ा की बेजा हो, चाहे वो सोनेरी हो, चाहे खारी हो इनका काम कांग्रेस ने किया है। आप इनका आधुनिकीकरण कर रहे हैं। अगर बेस ही नहीं होता तो आप क्या कर लेते? लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, शिक्षा की क्षमता को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया। स्थायी रूप से कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये काम किये हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या को

(श्री भीखा भाई)

बताना चाहूंगा कि वहां पर जो काम हुये, पश्चिमी बैराज का काम हमने किया, लबाना का काम हमने कराया, चम्बल के चारों बांध हैं, कोटा बैराज का उद्‌घाटन पं. जवाहर लाल नेहरू ने किया और मैं यह निवेदन करना चाहता था कि क्षमताओं को बढ़ाने का श्रेय राजस्थान के जो पूर्व मुख्य मंत्री जी रहे हैं, खासकर सुखाड़िया साहब उनको जाता है।

अब मैं दूसरी बातें अगर कहूं तो बहुत लम्बा समय लगेगा, आप इजाजत भी नहीं देंगे और मैं बीमार भी हूं। मैं बोलता भी नहीं हूं। मैं सब जिलेवार योजनाएं बता सकता हूं, मेरे पास जिलेवार लिखी हुई हैं। सिरोही की मैंने आपको कही, धौलपुर में पार्वती का बांध हमने शुरू किया। उसके बाद में झालावाड़ की पांचों बातें बता दी। उसके बाद में बून्दी, बून्दी में भीमलाज, अभी बोल रहे थे गेदरा, उसका काम भी हमने शुरू किया। जहांपुर में बांगली का काम भी हमने शुरू किया। चित्तौड़गढ़ से उरई, गंभीरी जिनकी आप बात कर रहे हैं और पश्चिमी बनास, पूर्वी बनास ये सारी चीजें हमने बनायीं। और सबसे बड़ी बात बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जो योजनाएं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : सन् 1975 के पहले की बातें हैं ना ये।

श्री भीखा भाई : मैं तो यह कह रहा हूं यह 70 की बात है, सैकन्ड और थर्ड प्लान, 60 से लेकर 70 के पहले....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं थोड़ा ज्ञानवर्द्धन करना चाह रहा था।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपके समक्ष के बाहर है, आपका जन्म ही नहीं हुआ था तब की बात बता रहे हैं यह, आप उनकी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब आप यह मानते हैं कि 70 के बाद कांग्रेस के लोगों ने काम नहीं किया। यही हुआ। आपने यह कहा है कि सन् 62 से लेकर 70 के बीच....(व्यवधान)

श्री भीखा भाई : मैंने यह कहा है कि आपने कुछ नहीं किया।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका जन्म नहीं था तब तो यह बांध बन गये थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : साइलेन्स प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री परसादीलाल मीणा : यह पैदा नहीं हुए थे उस टाइम....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये परसादीलाल जी। माननीय भीखा भाई बोल रहे हैं, कृपया बिराजिये....(व्यवधान) ....बिराजिये।

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय, मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। यह तो आम आदमी जानता है, हिन्दुस्तान के लोग जानते हैं कि हिन्दुस्तान का विकास, स्वतन्त्रता के बाद से लेकर हिन्दुस्तान का इतिहास किसने बनाया है, भूगोल को किसने बदला है। तो केवल कांग्रेस ने

(श्री भीखा भाई)

बदला है यह भूगोल और इसीलिये यह बातें कह रहा था और अनर्गल साबित होगी, ठीक है आपने भी किया होगा काम, आप भी करो, आप ज्यादा करो, क्यों नहीं करते, कम्पीटीशन में आ जाइये, मैं चैलेंज करता हूं कि आप कम्पीटीशन में आ जाइये हमारा मुकाबला करिये, हमने जो कुछ किया है उसको आप कर सकते है तो आपका....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बैठ जाओ। यह क्या मतलब हुआ, बार-बार खड़े हो जाते हैं....(व्यवधान)

श्री भीखा भाई : सभापति महोदय, मैं ज्यादा चर्चा में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं:...

श्री फूलचन्द मीणा : आप संतुष्ट हैं क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह+++ कहां से बोल रही है।

श्री भीखा भाई : यह सारी बातें मैंने इसलिए कही कि जो इन्दिरा गांधी कैनाल हैं उस कैनाल का शिलान्यास किसने करवाया था ? माही कैनाल का काम किसने शुरू करवाया था ? गांधी सागर का काम कैसे शुरू हुआ ? चम्बल की चारों योजनाएं किसने की ? यह सारा उस समय किया है। अब यह ठीक है, छोटे-मोटे काम होते रहे हैं, होते रहेंगे, करते रहो आप भी और कहो जोर से। करने की ताकत रखते हो और ईमानदारी नहीं है तो मत करो।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान कैनाल का फायदा यही उठा रहे हैं सबसे ज्यादा, यह पूरी की पूरी राजस्थान कैनाल है।

श्री भीखा भाई : तो मैं यही निवेदन कर रहा था। अब मैं मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र की बात कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माही योजना जो बांसवाड़ा में बनी है उस माही योजना से एक नहर निकाली गई थी नरवाली होकर, जगपुरा होकर और जगपुरा आकर वह रूक गई। इसका कारण यह है कि जो माही का बजट है वह पर्याप्त नहीं होने के कारण से यह काम नहीं हो सकता और हमारे डूंगरपुर में जो नहर आयी है जिसको बांई नहर कहते हैं, साबा, बांई नहर तीन पंचायत समितियों में बहती है, सागवाड़ा, आसपुर और चिमनवाड़ा। 126 किलोमीटर लम्बी है और अभी पता लगा है कि 200 करोड़ की योजना है लेकिन 1987 से लेकर आज तक उस पर काम नहीं हुआ। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ? मैंने अभी कहा है, इस साल के बजट में भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए मैंने अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन किया है हाथ जोड़ कर कि महाराज, आप कुछ तो करो और कुछ करके दिखाओ। अकाल में तो आपने शुरू किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी और सिंचाई मंत्री जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को पृथक योजना के रूप में लें क्योंकि उसको प्लानिंग कमीशन के पास नहीं भेजा और उसको एग्जामिन तक नहीं किया। मैं यह कहता हूं कि उसका ब्लू प्रिंट भी तक इनके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भीखा भाई)

पास नहीं आया होगा। ठीक है अधिकारियों के पास रहा हो, अधिकारियों ने अधिकारी के लेवल पर, बांसवाड़ा के लेवल पर उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा लेकिन जो अप्रूवल उसका होता है राज्य सरकार के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा या जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, अभी तक हुआ नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, जो भाग्य रेखा है डूंगरपुर की, खास तौर पर तीन-चार तहसीलों की और आदिवासियों की, उस रेखा को आप उज्ज्वल करके रखिये, उस रेखा को खींचिये और खींच कर यह देखिये कि आप कुछ कर सकते हैं, तब मालूम पड़ेगा कि आपकी क्षमता कहां पर है।

दूसरी बात मैं निवेदन यह करना चाहता था कि डूंगरपुर जिले की दो योजनाओं के बारे में हमारे माननीय सदस्य श्री शंकरलाल जी ने कहा था, ओडियागोड़ा और अमरपुरा। वह आज लगभग पच्चीस साल से सैण्टर और स्टेट के बीच में चल रही है। They are footballed from here to there. To and fro इसलिए अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन योजनाओं के बारे में जो भी निर्णय लेना हो, उसमें एक आठ करोड़ की बनायी थी, दूसरी बारह करोड़ की बनायी लेकिन उस पर कम से कम जैसा भी है, जैसी स्थिति है–amending, amended form or in any form, it should be approved. यही मेरा निवेदन है।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता था वह यह है कि मेरे क्षेत्र में हमने शुरू में जितने बांध बन सकते थे वह बना दिये। हमने मागिया बहेड़ा बना दिया, लोडीसर बनाया, दूसरे बनाये, भेकारा का बनाया, उसके बाद घाटा सेवरिया बनाया, परन्तु उसको अब पुराना जमाना हो गया, कितना समय हो गया, मरम्मत तक नहीं होती। उसमें इतना सीपेज है, उस सीपेज का तो आप मुकाबला कर नहीं सकते, पूरे के पूरे तालाब भर गये हैं। खेतों में सैंकड़ों किसानों की सैंकड़ों बीघा. जमीन खतम हो गयी। ऐसी स्थिति में उनकी रिपेयर के लिए जो काम करना चाहिए, उनके पास पैसा नहीं है। अभी जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था और मैं भी कहता हूं कि एक तो बात यह है कि इरिगेशन विभाग के पास पैसा नहीं है। दूसरी बात मैं एक और भी कह रहा हूं, मैंने सुना है कि सिंचाई विभाग अपने कुछ अधिकारियों को सरप्लस करना चाहता है। जबकि एक तरफ यह है कि उनका बैकलाग पड़ा हुआ है, चालीस से, पैंतालीस साल से एस.टी. का बैकलाग है. तो ऐसी स्थिति में सरप्लस स्टाफ की बात है, एस. सी. और एस.टी. के आदमी को नहीं हटाया जाना चाहिए और उसको सरप्लस नहीं करना चाहिए।

चौथी बात यह कह रहा था कि भेकारा की एक बहुत पुरानी योजना है लेकिन वह खतम हो गयी और नहरें टूट गयी हैं। उस को ठीक, रिमोडिफाई करने का सवाल था, उसका कोई माडिफिकेशन पिछले दिनों में हुआ नहीं है, तो मैं माननीय मंत्रीजी, श्री भाटी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बांध को देखें और कभी तशरीफ भी लायें उधर। गलियाकोट एक अच्छा

(श्री भीखा भाई)

स्थान है, अन्तरराष्ट्रीय स्थान है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप तशरीफ लायें और वहां की स्थिति को देखें ताकि वहां काम अच्छा हो सके। और जो छोटी-मोटी कई योजनाएं हैं मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता। माननीय यातायात मंत्रीजी से मुझे कुछ कहना हैं। तो वह मैं समझता हूं उनको लिखकर भेज दूंगा।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): पड़ौसी हूं मैं तो आपका।

श्री भीखा भाई : हां, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात सुनी लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, ट्रेजरी बैंचेज से यह निवेदन करता हूं– **Severally and collectively, they should do all these important works and they should show that how can they surpass the achievements of the Congress.**

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री चुन्नीलाल गरासिया। नहीं-नहीं, आपके धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा हूं, आप तैयारी कीजिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं हमारे वयोवृद्ध आदिवासी नेता आदरणीय भीखाभाई की बात को आगे बढ़ाते हुए सिंचाई विषय पर बोलना चाहूंगा। अभी श्री भीखा भाई ने काफी पिछले समय में कांग्रेस ने जो काम किये आदिवासियों के लिए, उनकी चर्चा की और मैं डिनाई भी नहीं करता हूं। लेकिन कुछ प्रश्न उनके लिए छोड़ता हूं, सदन के लिए छोड़ता हूं। आज राजस्थान का यह दक्षिणी अंचल, दीपावली के बाद आदिवासी अपने सिर पर आटे और लकड़ी की गठरियां बांधकर गुजरात की ओर पलायन क्यों करता है? आज उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति आर.ए.एस. और आर.पी.एस. क्यों नहीं बना? आज उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति आई.ए.एस. क्यों नहीं बना?

श्री भीमसेन चौधरी : विधायक बन गये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : वह तो मजबूरी है इसलिए हम नौकरी छोड़ कर आये हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाये।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री भी बन गये।

श्री शांतिलाल चपलोत : यह हमारा सौभाग्य है, अभी आपको थोड़ी देर है। परसादीलाल जी, समय है आपको अभी।

श्री परसादीलाल मीणा : उनको भी बनाओ, आप भी बनो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इसके पीछे केवल यही मकसद था इसके पीछे जो त्रुटियां रही है या मन की भावना रही है कि आदिवासी अगर पढ़-लिख गया तो कांग्रेस को छोड़ देगा, आदिवासी अगर पढ़-लिख गया तो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जायेगा, आदिवासी अगर पढ़-लिख गया तो अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए संघर्ष करेगा। इसलिये जब तक वह अनपढ़ रहे तब तक कांग्रेस को माई-बाप समझेगा,

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कांग्रेस को भगवान समझेगा। कांग्रेस ने आदिवासियों के दिमाग में एक भूत बनाये रखा है कि आपको हमने आजादी दिलायी, हमने अंग्रेजों या राजपूतों से देश को छुड़ाया....

श्री शंकरलाल अहारी : हमने जन्म ही कांग्रेस में लिया है श्रीमन्।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : लेकिन मैं सदन को यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में कांग्रेस ने इतने लम्बे समय में जो योजनाएं बनायी उन योजनाओं को उस क्षेत्र को देखकर नहीं बनायी। इस कारण से वहां आदिवासी भूखा है, नंगा है, अशिक्षित है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां की अगर महिलाओं का प्रतिशत देखे आप शिक्षा में, तो शायद वन पर्सेन्ट से भी कम मिलेगा। जहां शिक्षा का दावा करते हैं, जहां सिचाई का दावा करते हैं....

एक माननीय सदस्य : माही योजना किसने बनायी ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : जहां कहते हैं कि आदिवासी का उत्थान हमने किया, मैं समझता हूं कि हमारे सामने वाले भाई अगर वहां आदिवासी क्षेत्र में आये तो उनको अहसास होगा कि वास्तव में आज आदिवासी सौ साल पीछे हैं।

श्री शंकरलाल अहारी : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय शंकरजी, आपका पड़ौसी गुजरात अगर नहीं होता तो शायद आपके आदिवासियों की क्या हालत होती इसकी आप स्वयं कल्पना करें। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन को गुमराह नहीं करें, क्योंकि जिस परिवार से उठ कर आये हैं, जिस समाज से उठकर आये हैं, उसकी वास्तविक तस्वीर यहां रखनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं सिचाई पर बोलना चाह रहा था। यह आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए वहां अगर योजना बनायेंगे तो आने वाले समय में वहां पर जो आदिवासी समाज है, उसको अधिक के अधिक सिचाई से लाभ दे पायेंगे जिससे उसके पास जो छोटी-छोटी जमीन है उसे सिंचित करके अपना आर्थिक उत्थान कर पायेगा, आर्थिक स्तर ऊपर उठा पायेगा। अगर आदिवासी का आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा और जैसे कि सदन की, सबकी भावना है कि वह शिक्षा में आगे बढ़े, गरीबी दूर हो तो इसके लिए हमारा एक ही मन, सरकार की भावना होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र को देखते हुए वहां की योजना बने, लघु योजनाएं बनायें, लघु बांध बनें, लघु सिचाई योजनाओं द्वारा वह सिंचित किया जाए, कुओं के द्वारा वहां के आदिवासियों को सिचाई का लाभ दिया जाए, यही मेरी सरकार को सलाह है।

सभापति महोदय, वहां दो बड़े बांध बने हैं। माही बजाज परियोजना, जिसने वास्तव में बांसवाड़ा को हरा भरा किया है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा सौ प्रतिशत हरा भरा नहीं हुआ, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दो पंचायत समितियां ऐसी हैं, जो आज भी सूखी हैं और वहां केवल खरीफ की फसल के

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अलावा कुछ नहीं मिलता है तो इस बांध का उपयोग पूरे जिले को मिले। मैं चाहूंगा कि जो दो पंचायत समितियां उपेक्षित रही हैं, उनके लिए कुछ अलग से योजनाएं बनाये, लिफ्ट के द्वारा उस पानी का उपयोग उस क्षेत्र में हो ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाइयों को उस बड़े बांध का लाभ मिले, यह भी में सरकार से आह्वान करना चाहूंगा।

सोम–कमला और अम्बा बांध यह भी आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़े बांध बने हैं, इन बांधों से भी आदिवासी क्षेत्रों को लाभ मिला है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको सतह से ऊंचा होने के कारण इस चीज का लाभ नहीं मिलता है। वहां भी अगर सरकार लिफ्ट के द्वारा पानी देगी तो वहां का आदिवासी भाई जो सिंचाई से वंचित है, उसको लाभ मिलेगा, यह भी मैं सरकार को सलाह देना चाहूंगा।

माही और कडाना का वाटर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में बहुत है। बांध बनने के बाद पूर्व सरकारों के शायद मन-मस्तिष्क में नहीं आया कि इस पानी का उपयोग कैसे करें या हो सकता है कि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके उसके पानी को लिफ्ट के द्वारा वहां पहुंचा कर आदिवासी भाइयों को लाभ दिया, वह पूरा नहीं हुआ लेकिन जितना दिया है मैं विश्वास के साथ सदन को बताना चाहता हूं कि जिस बेल्ट को लिफ्ट के द्वारा सिंचाई के लिए पानी दिया है वहां का आदिवासी भाई गुजरात इस समय नहीं गया, क्योंकि उस लिफ्ट के द्वारा उसने अपनी जमीन पर मेहनत की और वह 12 महीने खा सके इतना अनाज पैदा हुआ और पहली बार अहसास किया कि वास्तव में इस पानी का उपयोग सरकार ने हमारे लिए किया है। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और जो सिंचाई योजनाएं अधूरी हैं, कुछ सरकार द्वारा भेजी हुई है भारत सरकार को, एस. सी. के अन्तर्गत, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यह योजनाएं, जो भारत सरकार को भेजी गयी हैं, उन योजनाओं को अतिशीघ्र स्वीकृत कराये, ताकि उस क्षेत्र के पानी का अधिक से अधिक लाभ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल सके। यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से, सरकार से आग्रह करना चाहूंगा।

उदयपुर, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां एक बांध है, जिसको मानसी-वाकल कहते हैं, उसको पेयजल योजना में लिया गया है, लेकिन उसका दोहरा लाभ है, उस लाभ को अगर सरकार पूरा करती है तो उस मानसीवाकल से न केवल उदयपुर की पेयजल समस्या हल होगी बल्कि उसके साथ-साथ उदयपुर की जो झीलें हैं फतेहसागर, पिछोला और उदयसागर नाम का बड़ा बांध है, बहुत वर्षों से बना हुआ है, लेकिन खाली रहता है और खाली रहने के कारण उसका जो सोर्स है, वह बांध है, मानसीवाकल अगर बन जाता है तो उसका पानी जो गुजरात चला जाता है, उस पानी को रोककर हम हमारे क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल दोनों समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बांध से दोहरा

(180)

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

लाभ हमारे प्रदेश को मिल सकता है और इस समय गुजरात में इस पर कोई योजना नहीं है, इसलिए अतिशीघ्र ही ध्यान दे तो इसका लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा।

मैं सिंचाई के साथ परिवहन के बारे में बताना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा पहाड़ी क्षेत्र है। गुजरात की सीमा लगती है, नेशनल हाइ-वे नम्बर 8 उदयपुर, डूंगरपुर होता हुआ गुजरात के अहमदाबाद होकर के बम्बई जाता है। आज उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में गाड़ियों की जितनी संख्या है, शायद मैं समझता हूं कि जयपुर और दिल्ली के बीच में है उतनी ही है, लेकिन इस रोड़ की चौड़ाई कम होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। परिवहन और सार्वजनिक निर्माण विभाग दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन परिवहन को सीधा फंस करना पड़ता है। अगर इस रोड को आने वाले समय में जल्दी फोर लेन नहीं बनाया गया तो आज जो दुर्घटनाएं हो रही है उससे कई गुना अधिक दुर्घटनाएं इस रोड़ पर होंगी। इसलिए मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप और सार्वजनिक निर्माण मंत्री मिल करके नेशनल हाइ-वे नम्बर 8 का पैसा भारत सरकार से लेकर इसको फोर लेन बनायें। साथ-ही-साथ मंत्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में आपका डिवीजनल कार्यालय है, वहां पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्षों से बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उनका अगर क्षेत्र बदलेंगे तो वहां जो भ्रष्टाचार है, उसके पीछे जो इन्टरेस्ट जुड़ गये हैं, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ गिरावट आयेगी, कमी आयेगी। मेरे क्षेत्र में जितनी भी प्राइवेट बसें नेशनल परमिट से चलती हैं, उन रूटों पर नहीं चलती हैं, कही 10 परमिट दें, तो केवल दो गाड़ियां चलती हैं, कहीं पर पांच परमिट दें तो एक गाड़ी चलती है। यह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वेस्टेड इण्टरेस्ट इस कारण से है कि वहां के अधिकारियों से उनकी मिली भगत है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर प्राइवेट बसों का जिस रूट का परमिट है, वह उसी रूट पर चलें। साथ ही साथ जयपुर की तरह उदयपुर के 50 किलोमीटर के एरिया को सरकारी बसों द्वारा जोड़ा जाए, ताकि वहां 40 और 50 किलोमीटर के अन्दर जो व्यक्ति, जो आदिवासी भाई शहर में मजदूरी के लिए आता है, वह कम रेट में, कम पैसा देकर शहर में आ सके जो आदिवासी भाई प्राइवेट बसों में लटकता हुआ आता है यदि सरकारी बसें चलेंगी तो सुविधा से आयेगा, अपनी जान का जोखिम लेकर नहीं आयेगा। इसलिए मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में 40–50 किलोमीटर के रेडियस में सरकारी बसें, सिटी बसों की सुविधा दिलायी जाए। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद दे रहे हैं, सभापति महोदय आपको।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : एक मिनट और दे दो।

श्री सभापति : अच्छा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : सभापति महोदय, परिवहन विभाग में एक प्रणाली है, जिसमें कि दलाल द्वारा ही परमिट बनता है, सीधा नहीं बनता है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने अपने विभाग में इस दलाली प्रथा को समाप्त कर देंगे तो; क्योंकि सरकार की आंखों के सामने यह भ्रष्टाचार होता है अगर यह प्रथा खतम कर देंगे तो आपके लिए एक नया इतिहास बनेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री परसादीलाल मीणा।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, मेरा नम्बर दूसरा था।

श्री सभापति : आपका नम्बर 38 वां है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका मंत्री बनने में भी नाम कट गया और बोलने में भी कट गया।

श्री शांतिलाल चपलोत : टाइप में तो नम्बर दो पर ही था।

श्री सभापति : पहले का मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे सामने 38 वां है।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 46 पर चर्चा करूं, उससे पहले माननीय सिंचाई मंत्री, जो आज यहां मांग पारित होने तक सिंचाई मंत्री हैं, उनका ध्यान श्री भैरोंसिंह जी ने 17 जुलाई, 1989 को सिंचाई विभाग की मांग पर जो बहुत रचनात्मक सुझाव दिये थे, मैं भी उस समय हाउस का मेम्बर था और वे सुझाव सिंचाई विभाग की आंखें खोलने वाले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में दो प्रकार की सिंचाई व्यवस्थाएं हैं। एक लिफ्ट जिसमें कुए शामिल हैं और दूसरा फ्लो वाटर। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जहां अरबों रुपया हमने खर्च किया है वहां चाहे राजस्थान कैनाल का पानी हो, चाहे गंग कैनाल का पानी हो, चाहे चम्बल की नहरें हों, चाहे माही डेम से सिंचाई होती हो, सब कुछ मिलाकर आज तक बाइस लाख हैक्टर में हमने फ्लो वाटर से सिंचाई की है। साढ़े बाइस लाख भी हो सकती है, तेइस लाख भी हो सकती है लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस हैक्टेयर सिंचाई में सरकार का पैसा नहीं लगा, काश्तकार कुआं खोदता है, काश्तकार बिजली का कनेक्शन लेता है, बैल से सिंचाई करता है या दूसरे साधनों से करता है। एक तरफ सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ है और किसानों ने बाइस लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर दी और दूसरी तरफ सरकार ने अरबों रुपया खर्च कर दिया और केवल बाइस-तेइस लाख हैक्टेयर में ही सिंचाई हुई है। इसका अन्दाज लगा लीजिये कि हम कितना रुपया किस क्षेत्र में खर्च करना चाहते हैं, किसको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं।

सिंचाई मंत्रीजी आज वह हालत नहीं है। यह आज से पांच वर्ष पहले की बात है। गंग कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल बनायी हो, माही बनायी हो, जो भी आपने सिंचाई के काम किये हैं, आपने पूर्वी राजस्थान की हमेशा उपेक्षा की है। सिंचाई

(श्री परसादीलाल मीणा)

विभाग का सोच यह रहा है कि वहां कुओं से सिंचाई होती है, परन्तु मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज कुओं का जो जल स्तर है; आज हमारे पूर्वी राजस्थान के पांच-छह जिलों की जो हालत हो रही है जैसा कि हरिसिंह जी ने बताया वह शत-प्रतिशत सही है। आज कुओं का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि हम डीजल इंजिन से सिंचाई नहीं कर सकते हैं। किसानों को पूरे कनेक्शन नहीं मिलते हैं, पानी आज कुओं में नहीं है। हम आज गेहूं की फसल करना चाहें, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किसानों की खेती की सिंचाई जरूर होती है पर वह अपने मवेशियों को चारा चराने के लिए कहीं बाहर से खरीद कर लायेगा, क्योंकि सारे सरसों की फसल करने लग गये। वहां हालात इतने खतरनाक हो गये कि क्या बताऊं, आज वहां पर पानी की एक बूंद रोकने का हमने कोई सर्वे नहीं कराया। हमारा सारा पानी बहकर बाहर जा रहा है। जो छोटे-छोटे तालाब थे उनका भी सरकार ने जिम्मा हटा दिया, आज उनकी कोई मरम्मत नहीं होती। सारे तालाब टूट गये। आज एनीकटों पर आपने रोक लगा दी। हमारे इलाके में माही या ऐसी कोई बड़ी दूसरी योजना तो बन नहीं सकती, लघु योजनाएं भी, आपने हमें जो प्रगति पत्र दिया है, आप बता सकते हैं सिंचाई मंत्री जी, तीन योजनाएं दौसा जिले की केवल श्री हरिदेव जी जोशी जब मुख्य मंत्री थे उस समय मन्जूर हुई थी बाकी आजादी के बाद आपने दौसा जिले में एक भी रुपया सिंचाई के मद में खर्च नहीं किया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमने जो सर्वे कराये एनीकट्स के, हमने अकाल राहत में जो काम कराये और आपको एक बात और बता दूं, लालसोट में सहायक अभियन्ता सिंचाई का कार्यालय भी 1985 में खुला है। कोई जे. ई. एन. नहीं था, कोई ए. ई. एन. नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मुख्य मंत्री जी हमारे वहां पधारे थे तब हमने मोरेल को भी दिखाया, दूसरे एनीकट्स से जो नाले बहकर जा रहे थे उनको, भी दिखाया उन्होंने चिन्ता व्यक्त की थी कि यह सारा पानी बहकर चला जाएगा तो किसानों की क्या हालत होगी।

आपने एनीकट बनाने पर रोक लगा दी है। हमने दो-चार योजनाओं का सर्वे कराया था लेकिन उन सर्वे की कापियों का पता नहीं। मेरे को ताज्जुब हो रहा था, आप उस दिन जवाब दे रहे थे कि उसका कोई सर्वे नहीं हुआ। यह आपकी किताब है और विधान सभा में आपके सिंचाई मंत्री जी ने कहा था अगर आप कहो तो पढ़कर सुनाऊं, उस सन्दर्भ में है, 15 मार्च, 1989 को सिंचाई मंत्री जी ने जवाब दिया था लालसोट कस्बे में कुओं का जल स्तर क्या आम जनता लालसोट के समीप पहाड़ी के बीच नायला कुआ के पास बांध बनाकर कस्बे के सभी ग्रामों, कुओं के जल स्तर को ठीक करने के लिए मांग करती आ रही है? आपने कहा है जी हां, पानी एक कुए में नहीं है। वहां सारी जमीन खाली पड़ी है, पानी रुकता नहीं है। लालसोट के किसान आज उस जमीन पर एक रुपये की खेती नहीं कर सकते। दूसरा सवाल था, क्या सरकार आगामी वित्त वर्ष में लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत

(श्री परसादीलाल मीणा)

लालसोट में उक्त स्थान पर बांध बनाकर किसानों को सिंचाई का लाभ देना चाहती है ? आपने उसमें कहा था स्थल निरीक्षण के आधार पर एनीकट का निर्माण ही सम्भव है जिससे प्रत्यक्ष रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, पर मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे उस दिन बड़ा गुस्सा आया, अध्यक्ष जी ने भी मेरे को प्रश्न आपसे नहीं करने दिया, आखिर इस डिपार्टमेंट का क्या होगा जिसमें मैंने 77 लाख की योजना बनाकर सिंचाई विभाग में भिजवायी थी ? आज उसकी फाइल का जब हम सवाल करें, यह कहें कि वह विचाराधीन है और उसका सर्वे हुआ है, आप दो अक्षर की बात पढ़ते हैं जी नहीं, जी नहीं। इन बातों से सिंचाई मंत्री जी काम नहीं चलेगा।

आज पूर्वी राजस्थान का जिस तरह पश्चिमी राजस्थान शोषण कर रहा है यह आपकी किताब बता रही है....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय मैं, डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य से उसी रोज कहा था कि वह मुझे थोड़ी बहुत जानकारी दे दें।

श्री परसादीलाल मीणा : यह किताब दे दूं।

श्री कैलाश मेघवाल : सर्वे करने की कोई बात इसमें नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप खुद मान रहे हैं ना सर्वे करने की, वापस पढ़ देता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : हुआ नहीं, आपने कहा कि हो गया, मैं जानकारी दूंगा यह कापी दूंगा। वह आप नहीं लाये।

श्री परसादीलाल मीणा : किताब में देख लीजिये ना आप, आपने उसको बांध नहीं मानकर यह कहा कि एनीकट बनने की सम्भावनाएं हैं, हमने सर्वे कराया है, बिलकुल यह लिखा है। आप किताब पढ़ लें। बांध बनाओ, एनीकट बनाओ, आपकी मर्जी आये जो बनाओ पर मैं कहता हूं बनाओ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य एनीकट और बांध में बहुत बड़ा अन्तर है। जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, एनीकट की तो सम्भावनाएं कई स्थानों पर हो सकती है, किन्तु यह बात विचार करनी पड़ेगी कि एनीकट बनाते समय क्या वह किसी बांध के क्रास सेक्शन में तो नहीं आता। इसलिये एनीकट को बांध से कम्पेयर मत करिये।

श्री परसादीलाल मीणा : सिंचाई मंत्री जी, मैं समझता हूं कुओं का जल स्तर बढ़ाने के लिये हमारे इलाके में आपने देखा है ऐसी कोई बड़ी नदियां नहीं, ऐसा कोई भी बड़ा स्रोत नहीं जहां पर आप कोई वृहद् सिंचाई योजनाएं बनायें। सारा पानी बहकर निकल जाता है इसलिए हमारे वहां पर छोटे-छोटे बांध बनायें तालाबों को ठीक करायें, एनीकट बनवायें तभी हमारा जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वह ऊपर आ सकता है। यह जो किताब आपने हमको दी है इस किताब में अगर हम देखें कि 1992-93 में किस किसको बजट

(श्री परसादीलाल मीणा)

आबंटन किया गया तो हमारा कहीं नाम नहीं है। कौन-कौनसी योजनाएं पूरी हुई पिछले साल में, दौसा जिले का कहीं नाम नहीं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर का भी कहीं कोई नाम नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं आखिर आप हमको कब तक उपेक्षित रखेंगे? हमारे सिंचाई के कुए जब सूख जाएंगे, हमारे किसान जब महरूम हो जाएंगे, क्या आप तब तक हमको इन्तजार करवायेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी जो हमारे एनीकट बने थे हमने यह सोच कर एनीकट बनाये थे कि अगर आपको कभी समय मिले और आपके पास यह विभाग रहे या आपके कोई अधिकारी आपका कहना मानते हो, मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, हमारे लालसोट में एक दीवां की कलां गांव है वहां के सारे कुओं का पानी सूख गया था। हमने वहां पर 1987-88 में एक एनीकट बनाया, जिन कुओं में एक बूंद पानी नहीं था आज उनमें 20-20, 25-25 फीट पानी है। आखिर हमारा पानी रूकेगा नहीं, हम अगर जल को रोकेंगे नहीं वहां की वहां, तो यह बरसात की जो कमी आ रही है उससे हम कैसे आगे बढ़ पायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मोरेल बांध को, जिससे हमारे इलाके की और सवाई माधोपुर की सिंचाई होती है आपने या आपके विभागीय अधिकारियों ने कभी देखा हो, उसका जो केचमेंट एरिया था आपने उसके ऊपर दो बांध बना दिये। पिछले तीन साल से वह बांध बिलकुल नहीं भर रहा है। आपने कानोता परियोजना, खारली परियोजना जो ऊपर मन्जूर की है, आप एनीकट के ऊपर तो रोक लगा देते हैं कि कहीं यह बांध के केचमेंट एरिया में तो नहीं है। पर आपने इन अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने मोरेल का पानी रोककर कानोता बांध बना दिया, जिन्होंने मोरेल का पानी रोककर खारली बांध बना दिया, आपने कैसे इसकी स्वीकृति दे दी? ....(व्यवधान) आपने जब मोरेल बांध पर करोड़ों, अरबों रुपये लगा दिये, विश्व योजना के लिये उसको दिया है, उसकी स्पिल-वे आप बढ़ा रहे हैं, उसकी सिंचाई क्षमता बढ़ा रहे हैं उस बांध में, आपने जब कभी भी केचमेंट एरिया में दो बांध बना दिये, क्या आपके अधिकारियों ने इसका कभी सर्वे किया? सारा पानी ढूंढ नदी का मोरेल बांध में जाता है। सारा पानी बस्सी के आगे नदी है हमारे लालसोट की, सारा पानी लालसोट इलाके का, बस्सी इलाके का वहां जाता है। आज वह बांध नहीं बनेगा तो वहां के किसान जिनको कमाण्ड घोषित कर रखा है वह किस तरह अपनी सिंचाई करेंगे। वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

सभापति महोदय, आज 1981 के बाद कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब किसानों को अपनी फसल के लिए दो पानी मिले हों, या तो उनकी प्रथम सिंचाई हुई है या उन्होंने पलाव किया है। आज उस कमाण्ड का वह पूरा लगान दे रहे हैं, पूरा सब कुछ कर रहे हैं पर इनको पानी बिलकुल अपर्याप्त मिल रहा है। जिसके कारण आज किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। इसको आप सोचिये, आज करोड़ों, अरबों रुपया हर साल उसमें लगा रहे हैं आप और उसकी पानी की जो आवक थी, जल

(श्री परसादीलाल मीणा)

अधिग्रहण क्षेत्र था उसको तो आपने रोक दिया, आप कहां से पानी लायेंगे ? यह आंख मींचकर जो अधिकारी कार्यवाही करते हैं, आप उन अधिकारियों को कहिये, यदि मोरेल बांध के केचमेंट एरिया में यह बांध बने हों तो मेहरबानी करके खारली तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है आप उसको रूकवा दें नहीं तो मोरेल परियोजना एक बड़ी परियोजना है जिससे सवाई माधोपुर और लालसोट क्षेत्र के किसानों की सिंचाई होती है वह महरूम रह जाएंगे, उनको पानी की सुविधा नही मिलेगी।

मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने इस वर्ष अपने बजट भाषण में कहा है और राज्यपाल महोदय से कहलवाया है कि हम तालाबों की मरम्मत करेंगे, छोटे तालाबों को गांव वालों को सुपुर्द करेंगे। मैं समझता हूं कि आपने तालाबों की मरम्मत के लिए तो पैसा नहीं रखा, गांव के तालाब, आज सवाई माधोपुर में डेढ़ सौ, दो सौ ऐसे तालाब है जहां एक-एक तालाब से हजारों बीघा भूमि सिंचित होती है और वह सब तालाब टूटे पड़े हैं, उन तालाबों में एक बूंद पानी नहीं रूकता है। पानी नहीं रूकता है तो वहां के किसान कैसे खेती करेंगे ? आप सबसे बड़ा कार्यक्रम यदि हमारे क्षेत्र में देते हैं सभापति महोदय, तालाबों की मरम्मत और एनीकट के कार्य करवायें जिससे हमें यह लगे कि हमको सिंचाई की सुविधायें मिल रही हैं। जब किसान अपने कुओं से, निजी स्रोतों से आपकी अरबों-करोड़ों रुपये की योजनाओं के बराबर सिंचाई कर रहे हैं तेईस लाख हैक्टेयर में सिंचाई अपने निजी साधनों से कर रहे हैं आप उनको क्या सुविधाएं देना चाहते हैं ? उनके लिए एनीकट बनाकर उनके कुओं का जल स्तर नहीं बढ़ाना चाहते या तालाबों से जो सिंचाई परम्परागत होती आ रही है, क्या उन तालाबों की मरम्मत नहीं करवाना चाहते? पर इस किताब में कहीं भी हमारे पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए इन्होंने एक भी काम नहीं दिया है, सभापति महोदय, आप स्वंय भी महसूस करते होंगे ऐसा कोई तालाब, जमुवारामगढ़ वाला बांध था, दौसा और बस्सी के किसानों की हजारों-लाखों बीघा जमीन की सिंचाई होती थी उससे भी जयपुर शहर को पानी देंगे। जयपुर शहर का कोई एम.एल.ए. यह कह दे कि उधर के एनीकट तुड़वाने हैं, तो मुख्य मंत्री जी एक मिनट में आर्डर कर देंगे कि सारे तुड़वा दो, सारे राजस्थान के एनीकट बनाना बन्द कर दो। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिये। किसान क्या खायेंगे ? कैसे अपनी खेती को करेंगे। सारे राजस्थान में एनीकट बन्द कर दिये। आज हमारे अकाल राहत में एनीकट बनाने के लिये स्वीकृतियां जारी करवाई थी, एक भी एनीकट सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने चालू नहीं किया। 21 फरवरी को मीटिंग में गये, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारी स्पेशल मीटिंग बुलाकर यह कह दिया कि राजस्थान में कोई एनीकट नहीं बनेगा। कलक्टर के सामने, मैं वहां मीटिंग में था, श्री हरिसिंह जी महुआ थे सारे विधायक थे। कोई एनीकट का काम नहीं होगा। क्या मंत्री जी यह कहने की हैसियत रखते हैं कि जो अधूरे एनीकट के काम, जो अकाल राहत में आपके विभाग ने कराये थे क्या आप उनको चालू करवा

(श्री परसादीलाल मीणा)

देंगे ? हैसियत है आपकी कहने की ? क्योंकि मुख्य मंत्री जी का आर्डर है। आपकी हैसियत है कि जिन एनीकट्स के काम सिंचाई विभाग ने अधूरे छोड़ दिये, क्या आप उनको अकाल राहत में पूरे करवायेंगे ? आपके अधिकारी मेहरबानी करके इसलिए उन कामों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, क्योंकि अकाल राहत के कार्यों में 60 और 40 का रेश्यो है। उनको खाने के लिये सीमेंट नहीं मिलता है, उनको खाने के लिये कमीशन नहीं मिलता है, वह आनाकानी करते हैं, काना-फूसी करते हैं और मुख्य मंत्री जी को गुमराह करके लाखों रुपये एक एक एनीकट में पांच-पांच और दस-दस लाख लगे हैं, आज वह प्लिथ लेवल पर पड़े हैं। कोई कहां पड़ा है, हजारों, करोड़ों रुपया हमने खर्च कर दिया और आप कहते हैं कि हम नहीं बनायेंगे। आखिर किसानों की खेती कैसे होगी ? हमारे यहां देख लो कौन सी बड़ी नदी है, बाणगंगा है, आपने उसको कहां रोका है। बाणगंगा का जो पानी जाता है उसको तो पीने के लिये दे दिया। सारे किसान भूखे मरे, सारे किसान कहां जाएं मगर सरकार को पूर्वी राजस्थान की धेले मात्र भी चिन्ता नहीं है मेहरबानी करके, पूर्वी राजस्थान का किसान अगर आन्दोलित हो गया, अगर उसके खाने के लिये अनाज पैदा नहीं हुआ, बिजली के कनेक्शन उनको नहीं मिले, दूसरी बातें नहीं हुई तो सरकार को यहां से ऐसा भगायेंगे जो याद रखोगे कि यह पूर्वी राजस्थान के किसान हैं और अब हम यह स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जब हमारे इलाके में एक्स. ई.एन. आफिस है, एस.ई.एन. आफिस है, एडीशनल चीफ का आफिस है, ए. ई. एन. है, जे.ईएन. बैठे हैं, वहां उनके पास काम नहीं है बेकार ही में बैठे हैं। उनका क्यों बोझ बढ़ा रखा है ? उन सबको हटाकर दूसरी जगह लगा दीजिये। क्योंकि आप हमको काम नहीं दे रहे हैं। क्यों दौसा में एक्स. ईएन., ए. ईएन. के आफिस खोल रखे हैं ? एस. ई. का आफिस क्यों खोल रखा है आप उनको हटा दीजिये। हम स्वागत करेंगे आपका। कम से कम आपका पैसा तो बचेगा, कम से कम नान प्लान एक्सपेण्डीचर हो रहा है उसमें तो कमी आयेगी। एक कोड़ी का काम नहीं है ? एक कोड़ी का उनको काम अलाट नहीं करते। जवाहर रोजगार योजना में भी पचासों, सैकड़ों स्कीमें इन्होंने करवाई है। दौसा जिले की एक भी स्कीम बता दें तो आप कहे वो मैं करने को तैयार हूं। एक स्कीम नहीं, एक काम नहीं, इस तरह कहां तक चलेगा ? इस तरह कहां तक हमारी सुनवाई नहीं होगी ? आखिर सरकार में, सारी जनता की भागीदारी है। हम कहां तक महरूम रहेंगे ? हमारे एनीकट अधूरे छोड़ दिये, तालाबों की मरम्मत नहीं करवा रहे हैं, सरकार एक कोड़ी नहीं दे रही हैं और कह रही है, यह बजट भाषण था मैं आपको पढ़कर सुनाऊं क्या इच्छा व्यक्त की है। "विद्यमान तालाबों के बेहतर संधारण तथा सुधार से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया जायेगा" यह इनके बजट भाषण में है। बताइये, सभापति महोदय, हम क्या करें ? हमारे यहां एक काम नहीं पूरे जिले में, पूरे इलाके में काम नहीं, जो एनीकट हमने 1987-88 में अकाल राहत में बनाये थे उनमें से एक भी एनीकट

(श्री परसादीलाल मीणा)

इन्होंने चालू नहीं किया है। मैं सिचाई मन्त्री जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जवाब दें, या तो यह कह दें कि एनीकटों के काम नहीं होंगे, अधूरे रह गये, या यह कह दें कि यह काम शुरू होंगे। अगर दोनों में से एक बात नहीं कही, कोई तो जनता में कहते हैं कि सिंचाई मन्त्री भाटी जी अकाल राहत की मीटिंग के दिन कह गये कि हम काम करायेंगे, सारे काम करायेंगे। भाटीजी का पता नहीं, डिपार्टमेंट के मंत्री का पता नहीं। हम किसको कहें? सिंचाई मंत्रीजी दो घंटे बाद फ्री अपने काम से, आखिर यह हालत क्यों है? जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसका हित किसानों से है और किसानों की रोटी से है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं गरीब की रोटी के लिए और गरीब के लिए हमारी सरकार काम करेगी। क्या काम कर रहे हैं? आपने पेयजल का बजट देख लिया, सभापति महोदय, आपने स्वयं ने बजट देखा होगा, यह कह रहे हैं गांव के लिए 62 प्रतिशत खर्चा करेंगे। यह सिर्फ इनकी कहने की बात है और करने की बात दूसरी है। करने की बात वही करेंगे जो इनके शहर के मन्त्री श्री भंवरलाल जी शर्मा कहेंगे कि हैण्ड पम्प कहां-कहां खोदने हैं। गांव में क्या जरूरत है। वहां कांग्रेस को वोट देते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सब हवामहल क्षेत्र में खोदने हैं। हमको कोई जरूरत नहीं है, नौ सौ हैण्ड पम्प किये हैं तीन हजार एम. एल. एज. ने कह कर बढ़वाये हैं। पानी की व्यवस्था गांवों में नहीं होगी। जो हमारे सार्वजनिक कुए में उनमें एक में भी पानी नहीं है, 90-95 प्रतिशत कुए सूख गये हैं सभापति महोदय, एक भी कुए में, आप सर्वे करवा कर देख लीजिये एक भी कुए में पानी नहीं है। लोग अपना ट्यूबवैल कहते हैं, डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट डीजल इंजन चल नहीं सकते हैं कैसी भी मोटर लगाकर, कनेक्शन के लिये उनको 20-20 30-30 हजार रुपये रिश्वत के देने पड़ते हैं फिर भी उनको कनेक्शन नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सिंचाई के लिए बिजली विभाग भी जुड़ा हुआ है। सरकार यदि राहत देना चाहती है अगर अगली बार भी हमारे इस किताब में नाम नहीं आया, हमारे इलाके में कोई योजनाएं सरकार ने मंजूर नहीं की तो मेरा निवेदन है मंत्री जी कि हमारे दौसा जिले के, पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों की ऐसी योजनाएं हैं, जो चाहे छोटी हो, आप मेहरबानी करके उनके सर्वे के लिए तो कम से कम अपने अधिकारियों को निर्देश दीजिये कि कहां-कहां पर ऐसी योजनाएं बनायी जा सकती हैं जिनसे कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, जिनसे किसानों को फायदा होगा। अगर आप यह आदेश देते हैं और सर्वे कराया जाता है तो पूर्वी राजस्थान में हजार-पांच सौ योजनाएं ऐसी बन सकती है जो किसान के हित में हो, जो किसान की मददगार हो जिनसे किसान के कुओं का पानी बढ़ता हो। आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की जब से मांग पर, चर्चा शुरू हुई है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान विधान सभा में

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चला। अभी माननीय भीखा भाई यहां नहीं है लेकिन उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की बात शुरू की। उन्होंने सिरोही का भी नाम लिया तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले 45 वर्षों में कौनसी योजना या कौनसा बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र कांग्रेस ने सिरोही में बनाया। माननीय मदेरणा साहब मुझे.... (व्यवधान)....लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं, सभापति महोदय, 45 वर्षों में सिरोही जिले में कोई ऐसी बड़ी योजना नहीं बनायी गयी। और तो और कांग्रेस के राज में हमारे पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय श्री जोशीजी और हमारे श्री भीखा भाई जी पर आदिवासियों और क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी थी कोई बड़ा बांध है क्या? (व्यवधान).... स्वरूपगंज में कोई बड़ा बांध है क्या? अभी तो पक्ष और विपक्ष के सभी लोग कह रहे थे कि हमारे यहां कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि चालीस साल में सिंचाई विभाग का पैसा गया कहां। सभापति महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया आदरणीय श्री भीखा भाई जी कह रहे थे हमने आदिवासियों के लिये यह किया, वह किया। न तो आदिवासी वर्ग का कोई विकास हुआ, और न आदिवासी क्षेत्र का विकास हुआ। और तो और माही और कडाणा योजना में 5600 परिवारों की भूमि डूब में आने से बेघरबार हो गये, उनकी रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं हुई, उनको पुनर्स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं की और उनको मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं हुई।

सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान की बात करते-करते मैं आपका ध्यान पश्चिमी राजस्थान की ओर भी ले जाना चाहती हूं। पश्चिमी राजस्थान में पहले तो कभी कमी नहीं रही लेकिन वनों के कटाव से और जल संग्रहण की कोई योजना नहीं बनने से आज हमारे प्रान्त में, हमारे क्षेत्र में निरन्तर सूखे की स्थिति बनी हुई है। पूरे सिरोही जिले में, जो कि अरावली की पर्वत मालाओं से आच्छादित है, न तो वन रहे, न पानी ही आता है और न ही कोई बड़ी योजना वहां प्रारम्भ की गयी। सभापति महोदय, एक योजना पिछली भाजपा सरकार ने वहां शुरू की थी सूकड़ी इनन्डेशन के नाम से, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को भी, सिंचाई मंत्रीजी चले गये....(व्यवधान) खड़े हैं-खड़े हैं, देख लिया मैंने, हां सही है, इन्क्वायरी मेरी भी कर के आयें, मेरे यहां सूकड़ी इनन्डेशन योजना प्रारम्भ की थी उसमें मिट्टी डालने के, कण्टूर बनाने के तो 60 लाख रुपये खर्च किये गये लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दो वर्ष से वह योजना ठण्डे बस्ते में है। न उस योजना की डिजाइन पास हो रही है और न ही उस योजना के लिए टेण्डर किये गये। रोज ही डिजाइन और टेण्डर की लोटा-फेरी में दो वर्ष निकाल दिये, लेकिन अधिकारियों की उस योजना को पूरी करने की कोई रुचि नहीं है।

सभापति महोदय, कमेरी बांध 1990 में टूटा था, लाखों रुपये खर्च हुए, सरकार ने एक जांच कमेटी बनायी, जांच भी हो गयी दोषी कोई नहीं है। दोषी कहां से होगा? जिन लोगों ने इस बांध को बनाया, भ्रष्टाचार किया उन्हीं से इसकी जांच करवायी गयी इसलिए दोषी कोई नहीं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जितनी भी हमारी अधूरी योजनाएं हैं या जितने भी हमारे अकाल राहत कार्यों में शुरू किये गये छोटे-छोटे बांध हैं, जैसे कमेरी बांध की आपको बात कही जो चार वर्ष से टूटा पड़ा है उसके फीडर पर काम हो रहा है लेकिन कमेरी बांध की उस पाल को जोड़ने का कोई काम नहीं किया जा रहा है।

दूसरा, कैलाशनगर बांध जो कि अकाल राहत में शुरू किया था आज दिन तक अधूरा है। नूंद बांध अतिवृष्टि से टूट गया था उसको भी ठीक करने की कोई योजना नहीं चल रही है। करोड़ी बांध बरलूट, जो अकाल राहत में शुरू किया था आज अधूरा पड़ा है। जावाल बांध की योजना सिंचाई विभाग के विचाराधीन है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग को और सरकार को यही कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा बड़ी योजनाएं नहीं बन सकतीं लेकिन जैसी भी छोटी-छोटी योजनाएं बन सकती हैं, जल संग्रहण क्षेत्र ढूंढकर के, कुछ एनीकटों का निर्माण किया जाए जिससे कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और जितने भी अधूरे बांध हैं उनको पूरा करने की योजना बनायी जाए, उन कामों को शुरू किया जाए। अकाल राहत कार्य में शुरू तो कर देंगे लेकिन वर्षों तक उनका पता नहीं चलता। आज शिवगंज तहसील दिनों-दिन मरुस्थल में परिवर्तित होती जा रही है, क्योंकि कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया और खोदते हैं तो कुए कोलेप्स हो रहे हैं लेकित वहां पर पानी के लिए पानी का संग्रहण हो ऐसी कोई योजना नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने नहरों का पानी टेल-एण्ड तक देने की योजना बनायी है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन जो नहरें पहले से टूटी-फूटी हैं, मेरे यहां अणगोर बांध की नहरें टूटी हुई हैं, ओला बांध की नहरें टूटी हुई हैं, कचरे भरे हुए हैं, उनकी मरम्मत की भी व्यवस्था की जाये। जीरावल बांध रेवदर का पिछले दो वर्षों से लबालब भरा हुआ है लेकिन नहरें नहीं हैं इसलिए पानी नहीं दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं यह बड़े खेदपूर्वक कहना चाहती हूं कि सिंचाई मंत्रीजी के अधिशाषी अभियन्ता के खेत तक पक्की सीमेंटेड नहर जा सकती है जबकि वह कमाण्ड क्षेत्र में नहीं है लेकिन गरीब किसान को पानी देने के लिये नहरों की मरम्मत भी नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जो भी बांध जहां बनें वहां डूब क्षेत्र में आने वाले लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। मेरे यहां पर चड़वाल बांध के लोग आज भी मारे-मारे फिर रहे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला, ओड़ा बांध के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। कुछ लोगों ने अपना मुआवजा सरेण्डर करके खातेदारी के हक मांगे उनका आज दिन तक फैसला नहीं हुआ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को यह कहना चाहती हूं कि हमारा क्षेत्र जो दिनों-दिन उजड़ रहा है, काश्तकार का एक मात्र अवलम्बन सिंचाई है, बरसात का कोई भरोसा नहीं लेकिन जब आती है तब पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सारा पानी बह कर

(190)

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चला जाता है। सिरोही जिले का 9421 एम.सी.एफ.टी. पानी व्यर्थ बह कर गुजरात में चला जाता है। सभापति महोदय, राजस्थान की बहबूदी के लिये जब तक एक-एक बूंद पानी का संग्रहण करके उसका हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक राजस्थान में खुशहाली आना सम्भव नहीं है। इसलिये मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में जहां-जहां एनीकट की गुंजाइश है, मीरपुर, पोलरगढ़, पीपल की कालण्डरी, नवारा, आल्पा, तेल्पी खेड़ा, ढोवाला, मोचल आदि, इन स्थानों का जो पानी है वह पानी जाकर गांवों का नुकसान करता है और लोगों के खेत तोड़ता है, यहां अगर छोटे-छोटे एनीकट बना दें तो कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और लोगों के खेत नहीं टूटेंगे।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, एक बात और कहूंगी। मेरे यहां गोडाणा बांध है....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या--46 सिंचाई और मांग संख्या--12, अन्य कर पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृति)

मांग संख्या 46 एवं 12 पर वाद-विवाद समाप्त होने और मांग पारित हो जाने तक समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 46 एवं 12 पर विचार

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरे शिवगंज क्षेत्र में....

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आज की तारीख में ?

श्री सभापति : आज की तारीख में।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरे शिवगंज तहसील में गोडाणा बांध में जल संग्रहण क्षेत्र तो बड़ा है लेकिन बांध की जो दीवारें हैं वह छोटी हैं, इसलिए सारा पानी वह कर लोगों के खेतों का नुकसान करता है। मेरा एक सुझाव है कि गोडाणा बांध की दीवारें और ओटा को ऊंचा करके उस बांध की क्षमता बढ़ायी जाए।

सभापति महोदय, आज यातायात मंत्री जी भी विराजमान हैं, इनकी मांगों को भी हमें मंजूर करना है अतः मैं मंत्रीजी को एक-दो सुझाव देना चाहूंगी। वैसे यातायात मंत्रीजी ने भरोसा तो बहुत बड़ा दिया था पर कार्यवाही हुई नहीं। सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा की स्थिति है, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगी कि डाक्टर जाना नहीं चाहते, अध्यापक जाना नहीं चाहते, और तो और रोडवेज की बसें भी जाना नहीं चाहती। जिन गांवों में पक्की डामर रोड बन गयी और आवागमन के दो-दो डामर के रास्ते बन गये लेकिन रोडवेज के चालक और परिचालक वहां पर बसें

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नहीं ले जाते और हम लोग उन पर दबाव डालते हैं तो एक दिन बस शुरू करते हैं दूसरे दिन बंद कर देते हैं। बहाने बनाते हैं कि यात्री भार नहीं मिलता, यात्री भार कहां से मिलेगा ? सभापति महोदय, बसों के आगे-आगे टैक्सियां चलती हैं लबालब भरी हुई, इनको यह रोक नहीं सकते और जिसका गला घोटा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक किसान का, एक गरीब का, एक अनपढ़ का, उसको बसों में बैठने की सुविधा नहीं मिलती है।

श्री रामनारायण (नैनवां) : सरकार किसकी है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : आपकी सरकार जो बुरी आदतें डाल गयी हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया अपनी बात समाप्त करें, वाद-विवाद में नहीं पड़ें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं अपनी बात कहूंगी, समाप्त कैसे करूंगी।

श्री सभापति : हां, आप अपनी बात कह कर समाप्त कीजिये न। उधर वाद-विवाद में मत पड़िये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पूरे हाउस में अब तक सभी माननीय सदस्य बोलते रहे और हमारी बारी आती है....

श्री सभापति : मैं यही तो कह रहा हूं आप तो अपनी बात कहते चली जाइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरी बात इतनी है, सभापति महोदय....

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय सभापति महोदय, जब महिला बोलती है तब आप....(व्यवधान)....

श्री सभापति : समझ गया आपकी बात, बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, मेरे गांव पाड़ीव में 13 बसें जाती थीं और 13 आती थीं। अभी वर्तमान में जो भी अधिकारी हैं उन्होंने वहां की बसें कर्टल कर दीं। जब से मैं जाती हूं, चार साल से इस समस्या को भोग रही हूं। गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर आते हैं, उन बसों को चालू करने के लिए पक्का डामर रोड बना हुआ है, बसें वहां नहीं जाएंगी। मंडवाड़ा गांव में दो-दो डामर रोड बन गयी....

श्री सभापति : कृपया, प्रतिपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी जनता इन कम्प्यूटर्स और इन बस वालों की अंधेरगर्दी भुगत रही है, आप अभी यह कह रहीं थीं कि यह आदत कर दी, आपकी सरकार थी, तो आपकी सरकार तीन साल से है इन बस वालों की आदत किसने खराब की है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : श्रीमान्, मैं वही बात तो कह रही हूं।

(17.00)

यही बात तो कह रही हूं कि इनकी जो आदतें पड़ी हुई हैं वह सुधारी जाएं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : तोता रट लगाये हुए बैठी हो लेकिन यह बताइये कि इनकी आदतें खराब किसने की ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं यही बात निवेदन कर रही थी ।

श्री परसराम मदेरणा : तीन साल से आपकी सरकार है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप क्या मक्खियां मार रहे थे ? क्या कर रहे थे आप ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मक्खियां मारी हो, चाहे नहीं मारी हो लेकिन इन आदतों को बदलने में टाइम तो लगेगा ।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : आपकी आखिर 40 साल की आदत तो सुधरते से ही सुधरेगी ।

श्री सभापति : किशनारामजी, आप बिराजिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय का मैं आदर करती हूं, उनकी बात बहुत वाजिब है लेकिन 40 साल तक जो रूढ़ि पड़ गयी है, भ्रष्टाचार की आदतें पड़ गयी हैं उनको बदलने में समय लगेगा । मैं यह पूछना चाहती हूं जिन गांवों में दो-दो रोड बन गये वहां पर बस क्यों नहीं जाएगी ? और एक बात और है, यह जो टैक्सियां चलती हैं वे रोडवेज की बसों के आगे चलती है, प्राइवेट रूट पर नहीं जाती हैं । आज प्राइवेट रूट के लोग कहते हैं कि हमारे यहां रोडवेज की बसें चलाइये । मैंने पूछा कि क्यों भाई ? तो कहते हैं, रोडवेज की बस होगी तो टैक्सियां भी आएगीं । प्राइवेट रूट पर टैक्सी नहीं आती क्योंकि प्राइवेट रूट का जो आपरेटर होता है वह इन टैक्सी वालों को मार-मार कर भगा देता है । यह भी तथ्य है और मैं इस तथ्य की जानकारी इस हाउस में अपनी मजबूरी से देना चाहती हूं । मेरी ये जो शिकायतें हैं । इससे न तो राजस्थान रोडवेज के अधिकारी कर्मचारी अनभिज्ञ हैं, न मंत्रीजी अनभिज्ञ हैं । पांच पेज का प्रतिवेदन मंत्रीजी को भी दिया । कई बार मैंने राजस्थान रोडवेज आगार के चक्कर काटे, अधिकारियों से मिली । शिवगंज नगर का बस स्टेण्ड बदल दिया प्रशासन ने । वहां की जनता ने आन्दोलन किया । आन्दोलन को समझौते पर समाप्त कराया कि रात्रि बसें शिवगंज नगर में आयेंगी । उसके बाद रोडवेज विभाग बार-बार आर्डर भी पास करता है लेकिन शिवगंज नगर में बसें नहीं जातीं । क्यों नहीं जाती, उसकी कार्यवाही कोई करने को तैयार नहीं । सभापति महोदय, यह सत्य है कि टैक्सी वालों और रोडवेज के अधिकारियों, कर्मचारियों की मिलीभगत है और इस मिलीभगत के कारण रोडवेज की बसों को नुकसान हो रहा है ।

सभापति महोदय, एक दिन मैं स्वयं बस में यात्रा कर रही थी । सामने से टैक्सी भरकर जैसे ही टैक्सी वाला चला, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी तेज भगाकर तू इससे आगे कर । बस को जब हमने आगे करवाया, पिंडवाड़ा से लगाकर सिरोही तक पूरी बस वह भरते हुए सिरोही आयी ।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

लेकिन जान बूझकर टैक्सी वाला आगे चला, रोडवेज की बस वाले पीछे चलें ताकि इनका हफ्ता चलता रहे, क्योंकि मजबूर हैं हमारे यातायात मंत्रीजी ? इनके पास ट्रांसपोर्ट भी है और इनके पास रोडवेज भी है, दोनों के अधिकारी इनके पास हैं, दोनों तरफ से आदेश ये कर सकते हैं। इनको इस विभाग में समुचित आदेश करके सुधार लाना चाहिए। जब भी हम रोडवेज के अधिकारियों से बात करते हैं, वह सतर्कता समिति की मीटिंग में बैठे हुए कलक्टर के सामने कहते हैं, हम हैल्पलेस हैं, हम क्या करें, हमारा डी. टी. ओ. नहीं मानता। तो डी. टी. ओ. भी माननीय....

श्री परसराम मदेरणा : आप परिवहन मंत्रीजी के सामने भी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सामने भी हैल्पलेस रहेंगी, बहिनजी। कारण यह है कि 20 साल कांग्रेस में थे, इनकी आदत जो खराब हो गयी है। अपने उधर मारवाड़ी में कहावत है कि

"नीम न मीठा होय
सींचो भलैं ही गुड़ घीव सूं,
जारां पड्या सुभाव
जासी जीव सूं,"

तो ये 20 साल कांग्रेस में थे, इनकी आदत खराब हो गयी है, आप इनसे जो राहत चाहती हो वह कैसे मिलेगी ? आदत खराब तो कांग्रेस वालों की हो गयी है। कांग्रेस से उधर आये हैं तो इनकी आदत जल्दी सुधार जाए इसमें तो कम से कम 10 साल तो लगेंगे।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रशंसा करती हूं नेता महोदय की कि इन्होंने निम्बोली की कड़वी जात को पहचान कर अपने को ठीक करने का प्रयास किया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, इनको सन्तुष्ट तो माननीय शेखावत साहब कर देंगे इनसे नहीं होंगी तो लेकिन 10 साल बाद में तो किसी काम को करने लायक ही नहीं रहेंगे। अगर 20 साल से आदत बिगड़ी हो 10 साल में क्या सुधर जाएगी। बुढ़ापे में सुधरती नहीं आदत।

श्री सभापति : माननीय शांति धारीवाल।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं नहीं, मैं बोल रही हूं।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : तो मैं क्या करूं ?

श्री सभापति : नहीं, आप कृपया समाप्त कीजिए, आपको बहुत टाइम हो गया है। आप अनुशासन नहीं रखेंगी तो कौन रखेगा यहां पर पूरे सदन के अन्दर ?

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, अगर प्रतिपक्ष के नेता कोई सुझाव देते हैं, कांग्रेस की पड़ी हुई आदतों से सदन को अवगत कराना चाहते हैं तो मैं कैसे रोक सकती हूं।

सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही

(श्रीमती तारा भण्डारी)

निवेदन है कि रोडवेज में जो अनुबन्धित बसें चलती हैं, जरा हमारे मंत्रीजी उनकी चैकिंग तो करें। परसों रात को मुझे इमरजेंसी में सिरोही जाना पड़ा। मेरे यहां पर एक काश्तकार की ढाई सौ से अधिक भेड़ें मर गयीं इसलिए मुझे रात को 12 बजे भागकर जाना पड़ा। मुझे तो बस मिली वह फालना आगार की थी, उसका नम्बर चाहें तो माननीय मंत्रीजी को मैं दे दूंगी, उस बस के सारे शीशे खड़खड़ कर रहे थे, सीटें फटी हुई थी और बर जाते उसके दोनों पहिये बर्स्ट हो गये। बैठ गये जंगल में, ठंड लगी, सर्दी लगी। तीन बसें बदलकर मैं सिरोही पहुंची हूं। इन अनुबंधित बसों की भी जांच तो की जाए कि यात्री सेवा सुविधा उनमें दी जा रही है या मात्र अनुबंध के सहारे चल रही हैं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मेरी ओर से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय श्री शांतिकुमार धारीवाल (अनुपस्थित) माननीय श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांग संख्या 46 पर बहस चल रही है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह पानी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र का पानी बहकर दूसरी जगह चला जाता है। आप न तो छोटे-छोटे बांध बनाना चाहते हैं, न आप बड़े बांध बनाना चाहते हैं। अभी फिर बात आयेगी कि पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सब जगह ही ध्यान रखियें, सब लोगों को इसकी सुविधा दीजिए और इस तरफ कोई विशेष कदम उठाइयें। सीकर जिले के अन्दर मेरा क्षेत्र नीमकाथाना, दांतारामगढ़ का कुछ क्षेत्र, खण्डेला का कुछ क्षेत्र, तीन जगह हमारी कांस्टीट्यूएंसी में पहाड़ी क्षेत्र है जहां पानी बहकर आता है, उसको आप जगह-जगह रोक करके पानी की व्यवस्था करिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां से एक काटली नदी का पानी जाता है और यह जाकर चूरू जिले में उन टीलों में रम जाता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मंत्री महोदय, जरा ध्यान से नोट करेंगे कि यह जोधपुरा सुनारी के पास इस पानी को रोकें। घाट का बांध के नाम से यह जगह मशहूर है, यहां इस पानी को रोकें तो पूरे मेरे क्षेत्र में, पूरे खेतड़ी के विधान सभा क्षेत्र में और खण्डेला क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां अकाल राहत में दो-तीन बांधों पर लाखों रुपया खर्च हुआ लेकिन आज भी उसी स्थिति में पड़े हैं। वह सारा पैसा सरकार का बरबाद हो गया। जब आपने इतना पैसा उसमें खर्च कर दिया तो अब आप उस पैसे को लगाकर आगे उनको पूरा कराइये। मेरे यहां इसके अन्दर फतेहपुरा बांध है, झालरा बांध है और नानगवास बांध है। ये तीन बांध अकाल राहत में बने थे और आज भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं। तो

(श्री मोहनलाल मोदी)

आखिर सरकार की क्या योजना है? यह पैसा सरकार का एक दफा खर्च होता है। जो अधूरे काम रहते हैं उनको क्या पूरा कराने की योजना नहीं है? मैं चाहता हूं कि पूरा ध्यान से देखकर इस काम को पूरा करायें।

दरीबा है मेरे यहां, उसमें टपकेश्वर बांध है, हसामपुर के पास एक एनीकट बन सकता है। कालाकोटा ग्राम पंचायत टोडा का एक गांव है, वहां वर्षों से बांध बना हुआ था, इतना पानी इकट्ठा होता था कि वहां के लोगों के कुओं का जल स्तर बढ़ता था और काफी आराम था लेकिन उस बांध को टूटे हुए दो-तीन साल हो गये आज तक किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो बांध टूट गये उनको आप दुबारा बंधाने की कृपा कीजिये ताकि लोगों को उससे राहत मिले। मेरा क्षेत्र-पहाड़ी क्षेत्र है। बरसात का पानी, हरियाणा में चला जाता है राजस्थान का पानी, हरियाणा में चला जाए और आप देखते रहें। कल बात हुई थी कि पानी आएगा कहां से? पानी को आप रोक ही नहीं पाते हैं। पानी जो बारिश से आता है, आपमें क्षमता नहीं है कि उस पानी को रोककर हम अपने क्षेत्र में काम ले सकें। मेरे यहां एक प्रीतमपुरी है, वह विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में है, वहां 500 एकड़ में पानी इकट्ठा होता है लेकिन वह पानी बेकार जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसका आप सर्वे करायें। भूडोली का बांध है जिसमें पानी कम आता है, उसके अन्दर उस पानी को पहुंचाया जाए तो इस पर भी आप ध्यान दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस क्षेत्र में पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। आप यदि छोटे-छोटे एनीकेट बनायेंगे तो उनसे वह पानी रुकेगा, कुओं का जल स्तर बढ़ेगा और पानी पीने के काम भी काम में आएगा। आप कैचमेंट एरिया की बात करते हैं, मेरे यहां बहुत ज्यादा बांध नहीं बने हुए हैं और जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी अगर आप एनीकट बनायेंगे तो उसका बांध के पानी पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वह बहकर ओवर फ्लो में चला जाता है। वह पानी उन एनीकटों में रुकेगा।

मैं थोड़ा-सा यातायात मंत्रीजी का भी ध्यान दिला देना चाहता हूं। आप यह कह रहे हैं कि रोडवेज नफे में है, लाभ में है। लाभ में तो पहले भी आयी थी और अब भी है। लेकिन यह आप समझिये कि यह लाभ आपको यह जो लम्बी रूट की बसें हैं वह दे रही हैं। आप इस बात पर ध्यान दीजिये कि यह छोटे रूट की जो लोकल बसें चलती हैं, यह खाली चलती हैं और आप इनको बन्द कर दें। अभी जैसे एक बात माननीय सदस्या ने कही है कि आगे-आगे टैक्सी चलती है, आगे-आगे प्राइवेट बसें चलती हैं, वह प्राइवेट बसें जिनके पास परमिट नहीं हैं और रोडवेज की बसें खाली चलती हैं। महीना उनका बंधा हुआ है। महीना देते हैं और चलाते हैं, बड़े ठाठ के साथ। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आखिर यह क्या व्यवस्था है? आप लोगों को सुविधा जब ही देंगे, आपने यह तो बात मान ली कि आपका रोडवेज फ़ायदे में है, लाभ में है लेकिन उस लाभ को भी लीजिये ना जो आपकी वजह से, इनकी बदइन्तजामी

(श्री मोहनलाल मोदी)

की वजह से जा रहा है। उस लाभ को भी लीजिये। बहुत से एरिया हैं ऐसे मेरे यहां। एक तो टटेरा से जयपुर तक के लिए आप रायपुर जागीर होते हुए बस चलायें, एक मेरे नीमकाथाना से चौधरी का नांगल वाया दलपतपुरा बस चालू करें तो इससे लोगों को लाभ मिलेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छोटे रूट की बसें हैं इनको आप शटल के रूप में चलाइये। पहले यह बसें चलती थीं छोटे-छोटे रूट की, जैसे खेतड़ी से नीमकाथाना, फिर ये वापस चली गयीं। तो इस तरह से आप इनको शटल के रूप में चलायें तो लोगों को इन्तजार नहीं करना पड़े। आज यह टैक्सियां क्यों चल रही हैं? टैक्सियां इसलिए चल रही हैं कि लोग बहुत जल्दी जाना चाहते हैं और आपकी बस एक दफा आ गयी, फिर दो घण्टे तक उसका आने का भरोसा नहीं है। इसलिए आप इनको शटल के रूप में चला दीजिये। जैसे शाहपुरा से नीमकाथाना के लिए दो-तीन-चार बसों को बस इधर-उधर करते रहिये ताकि इससे यह दिक्कत मिटे और आपके रोडवेज को लाभ मिले, लोगों को लाभ मिले।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं तो इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप से काफी उम्मीद है रोडवेज में सुधार करने की लेकिन इसमें थोड़ा विशेष ही ध्यान आपको देना पड़ेगा ड्राइवरों का, कण्डक्टर्स का। यानि यह बहुत बड़ी दिक्कतें हैं इसमें। मैं भी कई वर्ष तक डायरेक्टर रहा हूं इसलिए मुझे विशेष तौर से इसकी जानकारी है। जब में डायरेक्टर था उस वक्त भी यह लाभ में आयी थी। आप विशेष रूप से इनकी चैकिंग करवाइये। कण्डक्टर्स टिकट नहीं काटते हैं। छोटी जगह में जहां भी हैं, मैं आपको बताऊं कि कहीं भी टिकट नहीं काटते। कोई आदमी जबरदस्ती कहे कि हमको टिकट दीजिये तो उसके खिलाफ मुकद्मा दर्ज करा दें कि यह हमारे से झगड़ा कर रहा था, हमारा यह नुकसान कर दिया। उसको पुलिस के अन्दर फंसा दें। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप इस बात की व्यवस्था करिये कि इस तरह के गलत मुकदमें उन मुसाफिरों पर न लगायें। इसको भी आप चैक करवाइये।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री चुन्नीलाल धाकड़।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिंचाई की मांग की ओर माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे बेगूं क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे बेगूं क्षेत्र में जो सिंचाई की आज आवश्यकता है उस पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। बेगूं क्षेत्र में जमीन अच्छी है, किसान मेहनती हैं, खाद उनके खेत में है और अगर जमीन में पानी नहीं है, सिंचाई नहीं हो पाती तो सारा बेकार है, काश्तकार का जीना दूभर है। इसलिए सबसे पहली मुख्य आवश्यकता काश्तकार की पानी की है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को भरसक प्रयत्न करके जहां-जहां भी पानी के साधन

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

हैं, जहां-जहां भी नदियां सरजीवण हैं, 12 महीने जिनमें पानी रहता है, ऐसी नदियों पर छोटे-छोटे एनीकट बनाकर और लिफ्टें लगाकर उन काश्तकारों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए तो उनके इलाकों की बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। कुछ छोटे बांध जो पहली ही बरसात में भर जाते हैं, ऐसे बांधों की क्षमता थोड़ी और बढ़ा दी जाए तो भी काश्तकारों को सुविधा मिल सकती है। इस तरह का एक बांध भैंसरोड़-गढ़ पंचायत समिति में आदिवासी क्षेत्र में मंडेसरा है, वह हो सकता है। एक अधूरा नाला भूंजर का नाला है, करेना का है, इसी तरह से साकड़ का नाला है, मेनाली का बांध है, ये मेरे क्षेत्र में मुख्य रूप से पानी के सोर्सेज हैं। इसी तरह से जिन पर छोटे एनीकट बनाकर लिफ्ट लगाई जासकती हैं, वे है राणा प्रताप सागर के डूब के किनारे आने वाली फलकू नदी, खोह नदी पतलोई नदी। अगर इन पर एनीकट बनाकर लिफ्ट लगा दी जाए तो उनकी खेती की सिंचाई भी हो सकेगी और उन डूब के लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। यह समस्या उन गांवों की तो कम से कम हल हो ही जाएगी।

इसी तरह से जहां नहरें हैं उन नहरों से अगर सुव्यवस्थित रूप से पानी दिया जाए तो दो पिलाई के बजाय तीन पिलाई काश्तकार को मिल सकती है। एक रेनी और दो पिलाई मिल सकती है। लेकिन उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होने से कई जगह नहरें उबकतीं, छलकती हुई जाती हैं। कई जगह पक्की नहीं हैं, टूटी-फूटी हैं उनकी मरम्मत नहीं है। कई दिनों से सफाई नहीं होने की वजह से पानी का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और खालों नालियों में बह-बहकर बर्बाद हो जाता है।

श्री जुबेर खान : इधर आ जाओ, सफाई करा देंगे।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : ये ज्यादा शान मत बताओ। ये आपके किये कर्म हैं जो अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। हमें तो अभी तीन दिन हुए हैं आये हुए। यह हमारे माथे नहीं हैं आपके भी....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : जहां पर टैक्नीकल फिजिबलिटी है, आप 15 साल तक शीर्षासन करो तो यह सरकार उनको पूरा नहीं करा सकती। उन पर टोटल खर्चा आएगा वह 10 हजार करोड़ रुपये आएगा रूरल एरिया में पानी के ऊपर पूरा, पोटेबल पानी देना चाहते हो तो। कल मैंने आंकड़ा दिया, परसों आंकड़ा दिया था सात हजार करोड़। अरबन एरिया की पूरी रिआर्गेनाइज एण्ड आगूमेंटेशन करने के बाद में दो हजार करोड़। वित्तीय साधन हैं कम। चौमूं वाले माननीय सदस्य बहुत चिन्ता में हैं और चिन्ता करते-करते और कुछ होने वाला नहीं है, शीर्षासन की प्रैक्टिस शुरू कर दो।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने....

श्री परसराम मदेरणा : साधनों की कमी हमेशा रही है। आपके सामने भी निरन्तर रहेगी। यह आकड़ों का जाल 11,500 करोड़ रुपये है। यह एक्सीलरेट हो गया, जब प्राइसेस में एस्कलेशन होता

(श्री परसराम मदेरणा)

है तो कुल मानो कि रीयलिटी में और कान्स्ट्रेन्ट प्राइसेस में क्या पोजीशन है। उसका फिजीकल टार्गेट जब अचीव करोगे तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने माफ कर दी। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, आप आगे से शुरू करो न नया चेप्टर। हम आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं अगर राजस्थान के अन्दर लोगों को पानी मिले। उनके कुएं, उनकी जमीन, गरीब की जमीन सिंचित हो, इसमें कहां दो ओपिनियन हैं ? दो राय नहीं हैं। अगर हम गलती कर रहे थे तो गलती को सुधारना चाहिए। अब आप तो सुधारकर एकदम गेलोपिंग स्पीड से चलो। अगर हम कछुए की चाल से चल रहे थे, उस धनराशि का सदुपयोग नहीं हो रहा था, कुकर्म कर दिये, वह पाप कर दिये यह तो गिल्टी कांशंस है।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : आप यह कह रहे हैं कि 15 साल तक भी नहीं कर सकते। आप मौका दीजिये, पांच साल में इसमें सुधार पायेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : मैं यह कह रहा था कि नहरों की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान देंगे तो हम पानी का पूरा उपयोग कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में ओराई बांध और बस्सी बांध हैं। इन बांधों की नहरों के किनारे-किनारे जो खेत पड़ते हैं, काश्तकारों को उम्मीद यह थी कि हमारे यहां नहर आने से खेत हरे-भरे होंगे लेकिन वे सीपेज के कारण से खेत को बो नहीं सकते। इसलिए नहरों को पक्का कराया जाए, यह बहुत आवश्यक है।

मैं माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। जिन पंचायत हैडक्वार्टस पर डामर रोड बनी हुई है वहां पर लोग यह उम्मीद करते हैं कि हमारे यहां भी बस आये और हम भी बस में बैठे। कई गांव ऐसे बचे हुए हैं जहां पर यह सुविधा नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां स्टेट रोडवेज की बसें चालू की जाएं। माण्डलगढ़ से देवली जो राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, इसको भी राष्ट्रीयकृत किया जाए ताकि वहां पर भी सरकारी बसें दिन में चलें। आज की तारीख में इतना रश होते हुए भी इस रूट पर एक भी रोड़वेज की बस नहीं है, केवल रात्रि में एक बस चलती है।

जयपुर के अन्दर जहां सिटी बसें चलती हैं यह कहां पर रूकेंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। दो आदमी जहां खड़े हैं और ड्राइवर की मर्जी आवे तो ले लें, बाकी यात्री प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरा इस बारे में सुझाव है कि जहां-जहां इसका स्टेण्ड हो, खंभे पर बस का नम्बर डाला जाए और वह बस वहां पर रुके, सवारियों को लें, छोड़ें इससे यात्रियों को सुविधा होगी।

(श्री चुन्नीलाल धाकड)

एक सवाल और आया कि कण्डक्टर टिकट नहीं काटते। मेरा यह सुझाव है कि जितनी जिम्मेदारी कण्डक्टर की है उतनी ही बैठने वाले यात्री की भी है। अगर यात्री को भी हम उतना ही जिम्मेदार मानें कि वह भी टिकट लेना उचित समझें तो उससे हमारे राज्य की आय बढ़ेगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यातायात मंत्रीजी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और मुबारकवाद भी देना चाहता हूं कि राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में, सरकार इस साल अनुदान बन्द कर रही है और वह उसको निरन्तर आगे बढ़ायेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं उनका ध्यान विशेष रूप से जो अनधिकृत जीपें चलती हैं उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इनकी जो स्थिति है, मैं समझता हूं यह समस्या तो भारी है, किस प्रकार रोक पायेंगे, लेकिन इस समस्या के बारे में कोई न कोई उपाय करना होगा? अगर आप उनको परमिट ही कर दें तो आपको टैक्स भी मिलेगा और जो भारी सवारियां भरी रहती हैं और आये दिन एक्सीडेण्ट्स होते हैं, उनसे शायद कुछ निजात मिलेगी तो इस पर यह अपना ध्यान देंगे। इसके साथ मैं इनका ध्यान जो ध्वनि और हवा का प्रदूषण हो रहा है उस ओर दिलाना चाहता हूं कि उसके लिये किस तरह से कोई उपाय हों। यातायात विभाग प्रदूषण कर रहा हो यह तो मैं नहीं मानता लेकिन यह भारी समस्या है। इससे भी किसी तरह से निजात पायी जाए। इस दिशा में, मैं समझता हूं, अभी तक कोई कार्य हो नहीं रहा है। उसमें शुरूआत तो हम कर ही सकते हैं। कोई भी शहर हो, बड़े शहरों में जहां थ्री व्हीलर चलते हैं, मैं समझता हूं कि आपका विभाग भी इस बात से वाकिफ होगा और आप स्वयं भी वाकिफ होंगे कि वह मीटर से या जितना मन आये, ले लेते हैं। तो उसमें कोई रास्ता निकालना चाहिये। हम शतुरमुर्ग की जैसे आंख बन्द करके गर्दन मिट्टी में दबा कर बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दुबई का एक इंस्टांस सुनाना चाहता हूं। हम लोग दो कारों में दुबई में एक जगह वहां से करीब 70 किलोमीटर दूर जा रहे थे। तो आगे वाली गाड़ी से पीछे वाली गाड़ी नजर नहीं आई तो हम रुके, 5-7 मिनट इन्तजार करने के बाद वापस मुड़ कर जब उधर से डायरेक्शन में गये तो देखा कि उस गाड़ी के व्हील में आग लग गई। कुल मिलाकर हमें उस गाड़ी के पास पहुंचने में 8 या 9 मिनट का समय लगा होगा लेकिन उस दौरान ऊपर हैलीकाप्टर था, फायर ब्रिगेड थी और एम्बुलेंस की गाड़ी हम पहुंचे उसके साथ-साथ पहुंच गयी। आज जिस तरह से वाहन हो गये, जिस तरह से हमारे हाई-वे पर एक्सीडेण्ट्स हो रहे हैं, आपने कुछ मोबाइल डिस्पेन्सरीज की व्यवस्था की है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक सैटेलाइट हमारे पास उपलब्ध है...

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : यह सूचना किसने दी है ?

श्री विष्णु मोदी : सेटलाइट से They were controlling the traffic by satellite.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : सेटेलाइट से कण्ट्रोल करने से पहले गांवों में पानी पहुंचाया जाना चाहिए ।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, पानी भी जरूरी है और आदमी का जीवन भी जरूरी है । चलिये, मेरा सुझाव है माननीय घनश्याम जी को पसन्द नहीं आया तो अभी जो 500–700 लोग मरते होंगे 1000–1200–2000 मर जायेंगे । जनसंख्या की आप वैसे कमी नहीं कर पायेंगे तो इस तरह से करना चाहते हैं । मेरा एक सुझाव है कि इसके ऊपर सेटेलाइट से नहीं हो तो टेलीफोन की सुविधा बढ़ने जा रही है, हाई-वे पर जिस तरह से एक्सीडेण्टस् होते हैं उन पर किसी तरह की मोनीटरिंग हो । जिस से तरह ट्रेफिक हैवडेजर्ड चलता है उस पर कुछ विभाग द्वारा किया जायेगा तो मैं समझता हूं यह उचित कदम होगा ।

मासनीय सभापति महोदय, जहां तक सिंचाई का सवाल है, सबसे पहले तो मैं इन्दिरा गांधी कैनाल पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूंगा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में क्या, दुनिया में ताज महल को एक वण्डर कहते हैं लेकिन मैं समझता हूं इन्दिरा गांधी कैनाल उस ताज महल से भी बड़ा वन्डर है और जहां छह महीने आंधियां चलती हैं, जिस वातावरण में आधे घण्टे से ज्यादा आदमी खड़े नहीं रह सकते उस जगह रेगिस्तान में, जैसलमेर और बाड़मेर के उन रेतीले टीबों में हिमालय का पानी, मानसरोवर का पानी लाने के लिए जो मैन मैड नहर बनायी जा रही है वह कितना कठिन काम है, मैं समझता हूं उन सभी लोगों को, मेरी भावना है कि यह सदन धन्यवाद दे कि वह इतना जटिल काम करने में लगे हुए हैं ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में मैं इस बात की ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम मैन मैड वन्डर तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेट हम किस डायरेक्शन में पहुंच रहे हैं । एक तरफ नहर से पानी देते हैं, दूसरी तरफ हम खालें बनाकर ड्रेन वाटर से जहां सीपेज होता है उसको निकालने की बात करते हैं । मैं समझता हूं कि जहां हमारे इन्जीनियर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो वहां इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम एक हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं और पूरी करने में आगे दो हजार करोड़ रुपये और खर्च होंगे, यह इतना पानी क्या हम इस बात के लिए लेकर आ रहे हैं कि उससे उलटा नुकसान हो और उससे जितना फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिले । मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इतनी दूर से जो पानी आ रहा है और जिस जगह आ रहा है उसमें हमें आज से ही इसकी प्रयोरिटीज बनानी

(श्री विष्णु मोदी)

चाहिये। आज ड्रिंकिग वाटर के लिए 1500 क्यूसेक पानी रिजर्व है 18500 क्यूसेक में से। इतना पानी आज हम ड्रिंकिग वाटर में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं ? इसके साथ-साथ में जहां-जहां भी इस तरह की नहर का पानी है, विशेषकर इजरायल में उन्होंने इसी तरह का काम किया है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जहां एक्सटेन्सिव पानी की जरूरत होती है। वह इरिगेशन में यूज नहीं कर डिसैलाइन कर रहे हैं। आज वहां पर जो मैन प्रायोरिटी है, जो डिसैलाइन वाटर करके वह ले जाते हैं उसकी ड्रिंकिग वाटर उसकी प्रायोरिटी है। मिल्क के लिए उसकी प्रायोरिटी है एनीमल हसबेण्ड्री। उसकी प्रायोरिटी है इण्डस्ट्री और उसकी प्रायोरिटी है हार्टिकल्चर। आज हम उस पानी को अगर गेहूं की फसल लेने में लगा देंगे तो जहां-जहां से इन्दिरा गांधी कैनाल जा रही है, वहां सारे क्षेत्र में उस रेत के नीचे जिप्सम है। तो जितनी हम एक्सटेन्सिव खेती उसमें करेंगे उतना एक्सटेन्सिव पानी हम देंगे। उतना ही हम वहां सोइल कन्जेर्वेशन का लाभ नहीं उठा पायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी कैनाल एरिया का जो कमाण्ड एरिया हम बनाना चाहते हैं, जिस कमाण्ड एरिया में यह काम आने वाला है, उसमें कम से कम अभी इस बात की निश्चित तौर पर यह गारण्टी हो जानी चाहिये कि हम वहां पर क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं और किस तरह का प्रोड्यूस करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बहुत नीतिगत बात भी करने के लिए कहना चाहता हूं। आज जहां फ्लो वाटर से फसल हो रही है, आज जहां लिफ्ट इरिगेशन से फसल हो रही है, आज जो किसान बिजली से अपनी फसल बना रहे हैं, आज जो किसान डीजल इंजिन से अपनी फसल उगा रहा है, आज जो किसान बैलों से अपनी खेती करने जा रहा है, आज उसकी कास्ट में कितनी पेरिटी है। आज अगर तीन हजार करोड़ रुपया हमारा इन्दिरा गांधी कैनाल पर खर्च हो जायेगा तो क्या हम उसके मेन्टीनेन्स और जो हमने कैपीटल इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि और लोग वंचित रह गये हैं, क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह इस तरह की रेट्स करे कि उससे मेन्टीनेन्स का खर्च तो निकले ही लेकिन इसके साथ-साथ जो कैपीकल इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका भी कोई रिटर्न मिले। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने गरीब को गणेश माना है। गरीब तो वह आदमी है कि आज जहां किसी तरह का डवलपमेंट पहुंचा ही नहीं है और वह डवलपमेंट पहुंच भी नहीं पायेगा। साधन की बात कि हमारे साधन सीमित है, हर रोज इस सदन में होती है और साधन सीमित ही रहेंगे। लेकिन उन साधनों का हम किस तरह ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूं कि यह नीतिगत निर्णय है कि हम जो भी डवलपमेंट एक्टिविटीज में पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे जिनको लाभ मिल रहा है तो वह अपने दायित्व से बच नहीं सकते। कोई भी सरकार जब तक इस दायित्व से कतराती रहेगी कि जहां डवलपमेंट हुआ है, जहां जो सुविधा मिली है उससे कुछ पैसा वसूल करके जहां सुविधा नहीं मिल पायी है वहां खर्च नहीं करें तो मैं नहीं समझता हूं कि

(202)

(श्री विष्णु मोदी)

हम कोई विकास की गंगा बहा सकेंगे या विकास की रफ्तार ज्यादा तेज कर सकेंगे।

सभापति महोदय, हमेशा यहां हैडवर्क्स के बारे में चर्चा होती आई है कि हैडवर्क्स का कण्ट्रोल हमारे पास नहीं है और हैडवर्क्स का कण्ट्रोल नहीं है तो इससे जो परिस्थिति बनती हैं, मैं समझता हूं कि यह सरकार गैट और डंकेल जैसी बातों पर तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करती है लेकिन हमारे इंटरस्टेट मैटर्स के जो डिफरेंसेज हैं, उनके बारे में पता नहीं क्यों इस बात में संकोच रखती है। मुख्य मन्त्री जी जब भी कोई बात केन्द्रीय सरकार की होती है तो बड़े जोर-शोर से अपनी सारी जिम्मेदारी उस पर डालने पर रहते हैं लेकिन जब कुछ करने की बात होती है तो पता नहीं क्यों उनको संकोच हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, पुष्कर में सिंचाई विभाग द्वारा गोविन्दगढ़ बांध का निर्माण कराया जा रहा है। मैं नहीं समझ पाया कि इतना सा काम जो कि बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिये था उसके ऊपर कोई गति नहीं है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गोविन्दगढ़ के बांध को आप जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे तो वहां के आसपास के इलाके और पुष्कर, जहां गुलाब की खेती भी कम होती जा रही हैं, में भी जल स्तर बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके जैसे गुलाब उग चुके हैं वहां।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री अमरा राम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, यह विडम्बना है कि बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में कभी अनावृष्टि है तो कभी अतिवृष्टि। खास तौर से मेरे बालोतरा सब डिवीजन में लूणी नदी के किनारे जहां हर तीन साल, चार साल में अतिवृष्टि होने के कारण भयंकर बाढ़ आती है और इससे लूणी नदी के जो किनारे हैं वह कटते जाते है, किसानों के खेत कटते जाते हैं और इसके पास में बसने वाले जो गांव हैं उनको बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बालोतरा शहर के आस-पास जो भी कुएं, कीमती जमीन हैं वह भी बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती हैं। सन् 1979 में बाढ़ आई थी उसके बाद 1992 में बाढ़ आई और इस बाढ़ के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। हैलीकोप्टरों से लोगों को खाना पहुंचाया गया। नावों से दूसरे गांवों में जाने का सम्पर्क किया गया। सन् 1979 में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ से बचने के लिए सरकार ने लूणी नदी की तटबन्दी करवायी लेकिन फिर बाढ़ आने के कारण कहीं-कहीं वह तटबन्दी टूट भी गयी है और कई जगह नयी तटबन्दी बनानी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो तटबन्दी के कार्य अधूरे हैं उनको बहुत शीघ्र ही हाथ में लिया जाये। आज हमारा गोलसोड़ा गांव बिलकुल ही लूणी नदी के किनारे कटते-कटते सिर्फ दो सौ फीट की दूरी पर रह गया है। यदि उसकी तटबन्दी नहीं करवायी गयी और यदि थोड़ा भी पानी लूणी नदी में आ गया तो वह सारा गांव नष्ट हो जायेगा। हमारे बड़कोट का जो एनीकट है, उसको बंधाना और बालोतरा के अन्दर शाकरणावेरा

(श्री अमराराम चौधरी)

में जो हमारे बहुत ही कीमती कुएं हैं उनकी तटबन्दी कराना बहुत जरूरी है। बिट्जा है, बिडाकुआ है, कानोना है, सरणा है, इनमें कुछ कार्य जरूर हुए हैं लेकिन जो कार्य अधूरे हैं, कुछ नये प्रारम्भ करने हैं वह यदि अभी शुरू नहीं किये जाएंगे चाहे वे अकाल राहत के तहत हो या इरिगेशन विभाग का फण्ड है उससे, तो आने वाले समय में जहां कहीं पेचिंग का कार्य रह गया है, आपने खाली दो-तीन लाख रुपये लगा दिये हैं, रेत से, आपने, पाल बांध दी, है उसको यदि आप पेचिंग नहीं करेंगे, तो हमारी सरकार का बहुत पैसा नष्ट हो जायेगा और इस नदी के किनारे पर बसने वालों को भी नुकसान होगा।

दूसरा, मेरा कटौती प्रस्ताव है इन्दिरा नहर का सर्वे कराने के बारे में। इन्दिरा नहर के एक नाचना से पोकरण, पलसूण और उत्तरलाई तक जो लीग नदी है, हमारी बहुत पुरानी नदी, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, वहां पहले सर्वे सरसरी तौर पर करवाया गया था और वहां पर बड़े-बड़े टीले भी नहीं है जिसके कारण पानी को लिफ्ट करने में बहुत कठिनाई हो। मेरा निवेदन यही है कि बालोतरा सब डिवीजन में निकट भविष्य में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और उसका मुख्य कारण है पाल्यूशन। वाटर पाल्यूशन का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। करोड़ों रुपये ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए इकट्ठे हो गये हैं लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट कितने ही लगाये जाओ आप, पीने का जब तक शुद्ध पानी नहीं मिलेगा तब तक वहां की जनता अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगी। मेरा यह भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी नाचना से पलसूण होती हुई हीरों की ढाणी, शणतरा और दूधवा तक इसका सर्वे कराया जाए ताकि भविष्य में इसका प्लान बनाकर यह पानी वहां से लाया जाए।

मैं धन्यवाद देता हूं कि गडरा तक इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी भेज रहे हैं। लेकिन आपके बजट में अभी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। यह कार्य भी बहुत जल्दी प्रारम्भ होना चाहिये।

सागरमल गोपा का काम आप करवा रहे हैं यह टुकड़ों में करवाया जाए। एक बहुत बड़ा काम एक ठेकेदार को दे देंगे और वह समय पर आपका काम पूरा नहीं कर सकेगा तो वह काम टुकड़ों में होना चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यदि हमें इन्दिरा गांधी नहर से शीघ्र पानी नहीं दे सके तो, एक समस्या मेरे सामने यह पैदा हो गयी अभी कि जोधपुर में जोधरी नदी जो पचपदरा तक चलती थी पहले, जहां नमक पैदा होता था, आज जोधरी नदी का पानी मुल्तान पहुंचा, उस जोधरी नदी के अन्दर बासनी औद्योगिक क्षेत्र से रंगीन और कास्टिक पानी पिछले हमारे जिले के डोडी गांव में आ गया था, डोडी गांव के अन्दर पीने के पानी का स्रोत दो-चार सरकारी कुए हैं और उसमें अफेक्ट करने लग जाएगा, तो हमारे लिए पीने का पानी उस गांव में नहीं रहेगा और कोई नजदीक में वहां अन्य कुएं भी नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जोधरी नदी के अन्दर कास्टिक का रंगीन पानी आयेगा तो जवाई नहर से पाइप के द्वारा जल्दी से जल्दी आप डोडी

(श्री अमराराम चौधरी)

को आपका पानी दे, वहां आस-पास गांव को आप दें। वरना तनावड़े की किसानों के खेतों की क्या हालत हो गयी, क्या हालत हो गयी सेलावास के लोगों की, पेड़ों को आप देखिये, डामर रोड के सहारे जो नया बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र बना है, सारे नीम सूख गये हैं, जहां-जहां वह पानी बह कर गया। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि डोडी के लिए जवाई नहर का पानी शीघ्र दिया जाए यदि आपको जोधरी नदी के अन्दर जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र का रंगीन और कास्टिक का पानी बहाना है तो।

इसके अलावा मेरा निवेदन यातायात मंत्री जी से है कि हमारे यहां कई ऐसे स्थान हैं, जसोल जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): बासनी का पानी, जोधरी तो यहां सेलावास में....

श्री अमराराम चौधरी : ऐसा है कि जोधरी नहर चल रही है, जोधपुर में आ रही है, जवाई का पानी हमें पाइप से वहां दे दो। आपके जोधपुर के अन्दर इन्दिरा कैनाल आ गयी है इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। मैं नहर में डाल कर नहीं, मैं तो पाइप से ही मांग रहा हूं, एक-दो गांव के लिये, जहां आपका पानी पहुंच रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे को जानकारी कम थी, सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव काफी वेटी है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विपक्ष के नेता महोदय, पाइप से ही मांग रहे हैं इसलिए दे दो आप।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन एक सौ दो साल के बाद, यह जोधरी नदी वह नहीं है जो ट्रिब्यूटरी है लूणी की। यह जोधरी अलग ही है।

श्री अमराराम चौधरी : यह जोधरी सेलावास और बासनी के बीच में पुलिया के नीचे होकर चलती है।

श्री परसराम मदेरणा : सेलावास बाद में आती है यह। इसका उद्गम ही भोपालगढ़ कांस्टीट्यूएंसी से है। यह नांदियों के पहाड़ों से रवाना होकर के 30 मील से होकर के और फिर इधर घूमती हुई जाजीवाल के पास से होकर मुड़कर के झालामन, सेलावास होकर के और भांडु को क्रास करके और यह आगे जाती है।

श्री अमराराम चौधरी : डोडी से और पचपदरा तक जाती है और फिर लूणी में गिरती है।

श्री परसराम मदेरणा : यह जोधरी नदी तो गायब हो गयी थी, 1979 में 102 साल के बाद आयी है। उसके बाद में इसमें पानी अभी दो साल पहले और भी आ गया लेकिन 1979 में तो पचपदरा साल्ट तक चली गयी थी लेकिन इस वक्त यह आगे जाकर समाप्त हो गयी डोडी के पास में।

श्री अमराराम चौधरी : डोडी में मिल गयी फिर।

श्री परसराम मदेरणा : डोडी में तो मिल गयी लेकिन वह जो छोटी कैनाल आ

(श्री परसराम मदेरणा)

रही है 40 क्यूसेक की, जोधपुर में पीने के पानी की, वह पानी अगर जोधरी में डाल दिया गया तो वह दो-तीन किलोमीटर में सूख जाएगा।

श्री अमराराम चौधरी : वह पूरा का पूरा पानी नहीं डालना है, जब आपका इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल का पानी जोधपुर में आ चुका है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जोधरी में आप कास्टिक का पानी डाल रहे हैं जिससे जो हमारे कुएं डोडी में बने हैं उनमें असर हो रहा है इसीलिए आप कह रहे हो 40 क्यूसेक पानी आ रहा है तो उसमें से हमें आप 10 इंच की या 12 इंच की पाइप लाइन डोडी गांव तक दे दीजिये ताकि हमारे कुएं तो खराब न हों। या बंद कर दीजिये जोधरी में पानी....

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान कैनाल के आने के बाद में पूरा भी आपको मिल सकता है।

श्री अमराराम चौधरी : पूरा मिले तो और भी अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अभी नहीं मिलेगा और....

श्री अमराराम चौधरी : लेकिन स्थिति तो अब पैदा होने जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्दिरा गांधी कैनाल से जोधपुर के पानी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो जायेगी तो फिर यह जोधरी में डाला जा सकता है।

श्री अमराराम चौधरी : यह सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि आप....

श्री परसराम मदेरणा : निवेदन तो करो, यह तो सही कह रहे हो आप।

श्री अमराराम चौधरी : यह सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपके पास कोई आल्टरनेटिव नहीं है तो इन्दिरा गांधी कैनाल से जोधपुर से हमें पानी दो। लेकिन कहीं से भी हमें पीने का शुद्ध पानी देना पड़ेगा यही मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम चौधरी : अब मैं यातायात के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि जो जसोल के अन्दर हमारे रोडवेज की बसें चल रही थीं, बालोतरा से जसोल जो कि एक किलोमीटर या दो किलोमीटर दूर है वहां से बाड़मेर से बसें जाया करती थीं, अब वह बसें डायरेक्ट ही बालोतरा से जाती हैं। बीच में जसोल आता है। तो दो किलोमीटर जाकर के वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने सारी नॉन स्टॉप बसें कर दी हैं जोधपुर की। तो हमारे जोधपुर से बाड़मेर के बीच में जितने भी गांव आते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाये तो वह समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि हाथ खड़ा करे तो नॉन स्टॉप बसें तो रुकती नहीं हैं। इसलिए आप साधारण बसों का एक टाइम 9 बजे, 12 बजे और शाम को 5 बजे करके प्रारम्भ कर दें तो साधारण बसों से वहां आस-पास के गांव वालों को सुविधा होगी। वरना सारे दिन नॉन स्टाप

(श्री अमराराम चौधरी)

बसें चलती रहती हैं इससे ग्रामीण लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, वैसे राजस्थान में मेरा झालावाड़ जिला विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है और झालावाड़ जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र यदि कोई माना जाता है तो मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र माना जाता है। शायद इसका यही कारण रहा हो कि मेरे क्षेत्र से आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी का एम.एल.ए. चुन कर नहीं आया। पहली बार मेरे क्षेत्र में समझदारी आयी और वहां के लोगों ने समझा कि हमारा विकास क्यों अवरुद्ध पड़ा हुआ है। इसका मात्र कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी का एम.एल.ए. चुन कर नहीं भेजते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एम.एल.ए. चुन कर दिया। मेरे क्षेत्रवासियों को हमारी सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। माननीय शेखावत साहब एवं सिंचाई मंत्री महोदय का मैं और मेरा सम्पूर्ण क्षेत्र बहुत-बहुत आभारी है, मेरे क्षेत्र ने जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एम.एल.ए. दिया तो शेखावत साहब ने भी पूर्ण सम्मान मेरे क्षेत्र को दिया, इनाम स्वरूप मेरे क्षेत्र में एक मध्यम सिंचाई योजना इसी वर्ष स्वीकृत करके दी। इसके लिए मैं माननीय शेखावत साहब का बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक बहुत पुरानी लघु सिंचाई योजना कार्यरत है जिसमें एक छोटी सी नहर निकली हुई है। पूरे पिड़ावा क्षेत्र में एक ही छोटा सा बांध है, वह बांध भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वह नहर बहुत टूटी-फूटी हालत में हो चुकी है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सांवतखेड़ा बांध एक और नहर की योजना बनायें और उस पुरानी जीर्ण-शीर्ण नहर का पुनर्निर्माण करवायें। मेरे क्षेत्र में एक आहू नदी बहती है जो हमारे दो विधान सभा क्षेत्र की सीमाओं को बांटती है। एक तरफ मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र है, दूसरी तरफ डग विधान सभा क्षेत्र आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि इस आहू नदी के ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट इरिगेशन के रूप में छोटे-छोटे स्टाप डैम बना दिये जाएं, उसकी साइड मैं बताता हूं यह एक सिरपोई बन सकता है, पुरा गेनाला बन सकता है, सुनेल बन सकता है, आरोलिया बन सकता है जिससे मेरे और डग विधान सभा क्षेत्र की, दो विधान सभा क्षेत्रों की काफी भूमि सिंचित हो सकती है।

इसी तरह पिड़ावा में एक नाले जैसी ही नदी बहती है उसमें भी यदि हम एक स्टाप डैम टाइप लिफ्ट इरिगेशन की योजना बनायें तो पिड़ावा के आस-पास के किसानों को काफी राहत मिल सकती है। इसी तरह से भिविछड़ नदी है जो कि छोटी नदी है। वहां सलोतिया और जोनपुरा में ऐसी सम्भावना है जहां स्टाप डैम बन सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में दो बहुत बड़े तालाब हैं, यदि उनकी

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

मरम्मत करा दी जाए तो उनमें भी काफी बड़ा भू-भाग सिंचित हो सकता हैं। शेरपुर से अभी भी किसान सिंचाई करते हैं लेकिन बहुत अधिक लीकेज होने की वजह से ज्यादा समय तक इसका लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सेमलीखाम भी बहुत बड़ा तालाब है, यदि उसकी मरम्मत करा दी जाए, उसको विकसित कर दिया जाए तो काफी जमीन सिंचित हो सकती है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : झालावाड़ जिले में आपके भीमसागर और छापी, ये दो मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं, ये तो पूरी हो चुकी हैं। कौन सी नयी योजना दी है आपने ?

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : जिले की बात नहीं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं।

श्री भीमसेन चौधरी : कौनसी मंजूर की है ? कौनसी योजना है, नाम क्या है योजना का ?

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : सांवतखेड़ा बांध है जो काफी पुराना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की जमीन काफी उपजाऊ है। यदि सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से किसान प्रगति करेंगे और हमारे प्रदेश को खाद्यान्न के रूप में काफी मात्रा में कृषि उपज दे सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, यातायात मंत्री महोदय से भी मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं। मेरे जिले में सारे मार्ग लगभग राष्ट्रीयकृत हैं उसके बावजूद भी काफी संख्या में प्राइवेट वाहन वहां चलते हैं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर चलने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों में इतनी अव्यवस्था है कि 5-5 6-6 घण्टे तक यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, बसें समय पर नहीं आती हैं और इसकी वजह से प्राइवेट बसों की तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उन पर सख्ती से पाबन्दी लगाई जाए और जो रास्ते रोडवेज के लिए उपयुक्त नहीं हों उनके लिए प्राइवेट बसों को ही अधिकृत कर दिया जाए ताकि यात्रियों को दुविधा की स्थिति में नहीं रहना पड़े।

मैं मंत्री महोदय से एक और निवेदन करूंगा, वैसे लिखित में भी मैंने आपको दे दिया है, सुनेल से झालावाड़, कोटा से पिड़ावा, जयपुर से पिड़ावा बसें चला करती थीं लेकिन अभी उनको बन्द कर दिया गया है अतः मंत्री महोदय ध्यान दें और उन बसों को पुनः चलाया जाए। एक नयी बस और चलायें, भवानी मण्डी से इन्दौर चलती है उसको बढ़ाकर भवानी मण्डी-बुडानपुर तक किया जाए क्योंकि मेरे सुनेल में बोहरा समाज के काफी लोग हैं, उनका बुडानपुर तीर्थस्थल है, अतः माननीय मंत्री महोदय मेरी छोटी सी मांग का ध्यान रखेंगे।

मुझे सदन में बोलने दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री महादेव सिंह।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की मांग संख्या 46 पर हाउस में चर्चा चल रही है उसमें मैं अपने आपको शरीक करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का विकास जिनके हाथों में है वह सारे ही राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के राज नेता इस 108 चौकों की छत के नीचे बैठे हुए हैं। यह मैंने इसलिए कहा है कि आठ और एक नौ होता है। नौ एक ऐसी संख्या है जिसको आप चाहे जितने से गुणा कर लो आखिरी एक अंक में वह नौ ही आएगा। और हमारे शास्त्रों के अन्दर नौ को ही शुभ माना है। और नौ हमारे ग्रह हैं। राजस्थान के कर्णधार, जो राज्य के वरिष्ठ अधिकारी हैं और राज्य के नेता हैं वह यहां बैठे हैं। जब राजस्थान का विकास इस छत के नीचे बैठे व्यक्तियों के कंधों पर है तो राजस्थान के साधनों को देखते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला का भी अगर वह विकास कर सकें तो करने की कृपा करें।

(17.55)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

मेरा निवेदन है कि कई वर्षों से राजस्थान नहर, जिसको हम इन्दिरा गांधी नहर कहते हैं, का काम चलता आ रहा है। यदि उस नहर का काम सही समय पर और आत्मचिन्तन करके किया जाता तो बहुत वर्षों पहले ही वह काम पूरा हो सकता था और हमारे राजस्थान के उन इलाकों, जहां पर साल में 6 महीने, 8 महीने आंधी से टीले बनते हैं, में सिंचाई का बहुत बड़ा साधन हो सकता था। लेकिन हमारी वह योजना जितनी की हमने पास की थी उससे हजार गुना पैसा खर्च करके भी आज हम नहीं बना सके।

सभापति महोदय, जवाहरलाल नेहरू नहर जो हरियाणा में बनी हुई है, हम उसका पानी लाना चाहते थे। उसका पानी चूरू, झुन्झुनू और सीकर तक आने को सम्भावना थी।

श्री सभापति : माननीय शीशराम ओला जी ने काफी कह दिया।

श्री महादेव सिंह : लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारे राज्य के उच्च अधिकारी सब मिल करके एक ऐसी नीति तय करें जिसके आधार पर हम राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा पानी दे सकें। मैं आंकड़े तो नहीं देना चाहता लेकिन आज राजस्थान की पूरी जमीन पर हम पानी देकर के सिंचाई कर सकते हैं....

श्री सभापति : आप आंकड़े देना चाहो तो दे सकते हो, माननीय सदस्य।

श्री महादेव सिंह : वह मेरे को जानकारी नहीं है, नहीं तो दे देता। आप यही कहलवाना चाहते हो कि मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सभापति : मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, यह कह रहा हूं मैं।

श्री महादेव सिंह : अब नहीं दूंगा फिर आप करेंगे। हमारे राजस्थान की जितनी भी जमीन काश्त के योग्य है अगर आप उसमें पानी की व्यवस्था कर सकते हैं

(श्री महादेव सिंह)

तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे हिन्दुस्तान में अमरीका से ज्यादा अनाज पैदा हो सकता है। हमारे राजनेताओं की और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग बैठा करके इसके बारे में चिन्तन करें और राजस्थान में भविष्य में पानी कैसे लाया जा सकता है उसके लिए चिन्तन करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी स्थिति तो उस सेठ की सी है, एक सेठ की मृत्यु हो गयी, मर जाने के बाद में यमराज ने कहा कि सेठ जी, आपके इतने धर्म हैं और इतने पाप हैं इसलिए आप इतने दिन नरक में रहोगे और इतने दिन स्वर्ग में। सेठ ने कहा कि न मुझे स्वर्ग में भेजो और न नरक में भेजो, इनके दोनों के बीच में एक दुकान दिलवा दो जिससे दोनों तरफ के ग्राहक आते रहें। सभापति महोदय, हम न सत्ता पक्ष में हैं, न प्रतिपक्ष में हैं, हम दोनों के बीच में हैं और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हैं क्योंकि हम निर्दलीय हैं। इसलिए सब मिल कर के अगर हमारा थोड़ा-थोड़ा भी विकास करें तो हमारा विकास हो सकता है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : आप तो बीच में हो लेकिन स्वर्ग में कौनसे हैं और नरक में कौनसे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा (टीडामीम) : सरकार ही निर्दलीयों की बनी हुई है।

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा। (अनुपस्थित) श्री मांगीलाल मेघवाल। (अनुपस्थित) श्री नारायण लाल।

श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा रही है। मैं जाखम बांध की नहरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जांखम बांध की बांयी मुख्य नहर के कुछ टेल एण्ड के गांवों पर पानी नहीं पहुंचता है जो है-खेड़ी, मांगरोल, गोठड़ा, बोरिया, पड़ाउवा, सुराजीखेड़ा, कोटड़ी, चरपोटिया, गुड़ाखेड़ा, समावटा, भागाडेरा, घोड़ालीया और हिरावास। इसका मुख्य कारण यह है कि नहर का जो निर्माण का काम हुआ, उस टाइम खाते की जमीन के अनुसार ही नहर का निर्माण हुआ। पानी आने पर काश्तकारों की जो पड़त जमीन थी, चरनोट बिलानाम जंगलात के जो हैड थे, क्षेत्रफल बढ़ गया हैड पर और टेल पर पानी नहीं पहुंचता है। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जीरो से बायीं मुख्य नहर की रेंजिंग की जाए ताकि टेल एण्ड के गांवों जो मैंने अभी निवेदन किये, में पानी पहुंच सके।

(18.00)

दूसरा, हमारे सोम कमला बांध से हाई लेवल नहर का झलारा, पायरा, कल्याण, भवराना, मातासूला, शेषपुर, जैताणा आदि ग्राम पंचायतों का सर्वे हो चुका है। सोम कमला की इन सर्वेशुदा नहरों पर काम चालू किया जाए, इससे क्षेत्र में पानी मिल सकता है।

हमारी नायब तहसील लसाड़िया जो हमेशा 12 पंचायतों में अकाल का सामना करती हुई आती है, उस एरिया में एक रावत बोर का बांध है, जिसका सर्वे हो

(श्री नारायण लाल)

चुका है। उस काम को स्वीकृत करके चालू किया जाए ताकि आदिवासी इलाके को, जो नायब तहसील लसाड़िया का है, पानी भी मिल जाए और उस एरिया में हरियाली हो सके।

जाखम परियोजना के खण्ड बांध एवं खण्ड नहर दोनों में पिछले सत्रों 1990-91, 92, 93 और 94 में नहर प्रणाली के निर्माण और बांध निर्माण की निविदाएं आमन्त्रित की गयीं। इसमें 30-40 प्रतिशत बी. एस. आर. रेट से नीचे की दरों पर कार्य ठेकेदारों को आवण्टित कर दिये जाते हैं लेकिन असल में निर्माण कार्यों में धूला टेका जाता है। सारी सीमेण्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बेच दी जाती है। कार्यों की क्वालिटी अत्यन्त ही खराब कर किसानों के खेत बरबाद कर दिये हैं। खेतों में पानी नहरों से निकल कर आ जाता है, क्योंकि सारा कार्य घटिया किस्म का है जिससे किसानों की जमीन ऊसर हो गयी है। पानी से किसान को खुशी होनी चाहिये थी लेकिन आज हालत यह है कि रोटी-रोटी को मोहताज हो गये हैं। अधिकारी एवं ठेकेदार घटिया निर्माण कर सरकार और किसानों का भारी नुकसान कर ऐशो-आराम कर रहे हैं। आज तक अधिकारीगण ठेकेदारों की भुगतान पंजिका, एम. बी., में बहुत अच्छा कार्य होना प्रमाणित करते हैं लेकिन केवल कमीशन लेकर ही ऐसे प्रमाण-पत्र जारी कर भुगतान करते हैं। इन दोनों ही खण्डों के निर्माण कार्यों की विशेष कमेटी द्वारा जांच कराकर रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से मुझे दिलायी जाए। नुकसान हुए किसानों की जमीन का मुआवजा इन अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूल करें या सरकार किसानों को हर्जाने के रूप में राहत दे अन्यथा आने वाले समय में गम्भीर स्थिति पैदा होगी, आदिवासी व अन्य किसानों द्वारा विद्रोह कर अशान्ति पैदा होने की सम्भावना है।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह। (अनुपस्थित)। श्री नसरू खां।

श्री नसरू (लक्ष्मणगढ़) : माननीय सभापति जी, मांग नम्बर 12 ट्रांसपोर्ट के बारे में बोल रहा हूं। केवल ट्रांसपोर्ट के बारे में अभी तक कोई नहीं बोला है।

श्री सभापति : आप सुनिये पहला भाषण है।

श्री नसरू : यह योजना वर्ष 1990-91 में शुरू की गयी, इसके अंतर्गत राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा वायु प्रदूषण पर नियन्त्रण रखने के लिए प्रदूषण मानीटरिंग स्मोक मीटर व अन्य उपकरण क्रय करके सड़कों पर वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नियन्त्रित किया जाना है। प्रदूषण की मशीन लायी गयी है उसमें सरकार ने 10 परिवहन निरीक्षण लगा रखे हैं, टैस्टिंग मशीन आपरेटर 22, ड्राइवर 17 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 18 लगे हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक मशीन के पीछे ?

श्री नसरू : एक मशीन नहीं, मशीन तो वहीं रखी हुई हैं। उनका कोई काम नहीं है अलावा ट्रक वालों को लूटने के। मशीन के बारे में तो यह स्थिति है, आज तक कोई चैकिंग नहीं हुई है। कहीं भी

(श्री नसरू)

कोई भी नहीं बता सकता है इस बारे में। प्रदेश की सड़कों पर जगह-जगह जो लगे हुए है ब्रेकर, इनसे क्या होता है कि कई दफा गाड़ियां तेजी से आती हैं तो ब्रेकर का ध्यान नहीं रहता है ड्राइवर को और ब्रेकर पर गाड़ी आगे से आगे ऊपर चढ़ जाती है। मैंने कई दफा रास्ते में देखा है कि गाड़ियों के एक्सीडेण्ट इस कारण हो जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वे स्पीड ब्रेकर नहीं हैं कार ब्रेकर हैं।

श्री नसरू : नेशनल हाई-वे पर, स्टेट-हाई-वे पर नीली जिप्सियां घूमती हैं। उनका काम क्या है ? अगर कोई एक्सीडेण्ट हो जाए तो गाड़ी को हटवाने का काम है। कोई डकैत मिल जाए, कोई चोरी करते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, लूटपाट मचाते हैं, उनका काम सिर्फ यह है। लेकिन उनका काम यह नहीं होकर, उनका काम सिर्फ गाड़ियों को लूटने का है।

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मन्त्री, यातायात) : यह गृह मन्त्री जी का काम है।

श्री नसरू : अब गृह मन्त्री जी देखें या आप देखो, मैं तो यहां बता रहा हूं एक-एक काम के लिए कि उनका कोई काम नहीं है।

श्री सभापति : कृपया सुनें, माननीय सदस्य पहला भाषण दे रहे हैं। उनको देने दें।

श्री नसरू : उनको कोई अधिकार नहीं है चालान करने का, गाड़ी की चैकिंग करने का, लेकिन वे लूट रहे हैं। हमारा यह जो स्टेट है इस पर गाड़ियां पूरे हिन्दुस्तान की आती हैं। ये मर्जी आती है जो रोक लेते हैं। ड्राइवर बाहर का होता है, वह डर की वजह से कि चलो, निमटे जैसे निमटे और जाओ आप।

पुलिस चैकिंग तुरन्त बन्द की जाए। पुलिस चैकिंग ट्रकों को नाजायज तंग करती है, इनको ऐसा कोई पावर नहीं होना चाहिये कि वे चालान करें। यातायात विभाग द्वारा वाहनों को चैक करने का काम आफिस समय में होना चाहिए। दिन में वहां लूटते हैं और रात को वहां लूटते हैं गाड़ी वालों को। पांच बजे तक आफिस चलता है उसके बाद ये जाते हैं वहां। क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उनको इसके बाद ओवरटाइम की तनख्वाह दी जाती है क्या ? उसके बाद जो रात को ड्यूटी देते हैं वह भी तो अलग है काम। जो चैकिंग है वह तो दस से पांच तक ही होनी चाहिये। उसके बाद किसी भी इंस्पेक्टर या आर. टी. ओ. को चैकिंग करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

गाड़ी हमारी बैरियर से एण्ट्री कराके चलती है, शाहजहांपुर से अहमदाबाद के लिए चलती है, उसके सारे कागजात चैक कर लिये गये तो अहमदाबाद तक राजस्थान के रास्ते में किसी भी अधिकारी को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, न वह चालान करे उस गाड़ी का। भ्रष्टाचार में कमी आएगी इस बात से। वे बारबार जो चैकिंग करते हैं इससे भ्रष्टाचार होगा।

प्रदेश में जब से ओवरलोड का जुर्माना

(श्री नसरू)

दो सौ रुपये से बढ़ाकर छह सौ रुपये किया गया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। 200 रुपये लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है। अगर गाड़ी वाला दो सौ रुपये नहीं देता है तो गाड़ी के कागजात मांगे जाते हैं और रौब देकर गाड़ी वालों को नाजायज परेशान करते हैं कि आपका चालान सख्त से सख्त होगा, काफी जुर्माना होगा। इस प्रकार दो सौ रुपये देने पर ड्राइवर मजबूर हो जाता है। राज्य के राजस्व को इकट्ठा नहीं कर अधिकारीगण भ्रष्टाचार की राशि से जीप भरकर ले जाते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : फिर भी ऐसी सरकार को समर्थन ?

श्री नसरू : इसलिए यह जुर्माना राशि कम की जाकर पूर्व की भांति दो सौ रुपये ही कर दी जाए, जिससे प्रदेश की हजारों गाड़ियां जो रोज ओवरलोड ढो रही हैं उनकी जुर्माना राशि लाखों रुपया इकट्ठा होकर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। लाखों रुपये रोज की गवर्नमेंट को इनकम होगी इससे। हजारों गाड़ी जाती हैं उससे गवर्नमेंट को इनकम होगी।

फिटनेस के जुर्माने में भारी वृद्धि की गयी है उसको कम किया जाए। टोकन प्रणाली को समाप्त किया जाए। रोड टैक्स आदि रसीद लेने के बादटोकन लेना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। टोकन का सिस्टम हरियाणा, दिल्ली, यू. पी., बिहार में नहीं है। वहां टैक्स की रसीद देखने के बाद गाड़ी को तुरन्त छोड़ दिया जाता है यदि उसका टैक्स जमा होता है तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा) : माननीय सदस्य नया वाला मांग पत्र पढ़ो, आप मांग पत्र पुराना वाला पढ़ रहे हैं।

श्री नसरू : राष्ट्रीय परमिट आज की तारीख से आगामी तारीख तक मिलना चाहिये। जैसा कि अन्य प्रान्तों में जिस तारीख पर इश्यू किया जाता है उसी तारीख से एक वर्ष तक का परमिट इश्यू किया जाता है। कानून में भी तारीख से तारीख तक का प्रावधान है। लेकिन अपने प्रदेश में यातायात विभाग इसे लागू नहीं कर रहा है। अतः इसे अन्य प्रान्तों की भांति तुरन्त लागू किया जावे।

राष्ट्रीय परमिट लेते वक्त आथोराइजेशन में प्रान्तों को बढ़ाने या कम करने पर 385 रुपये शुल्क लिया जा रहा है, उसे हटाया जावे क्योंकि अन्य किसी भी प्रान्तों में इस प्रकार की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। प्रान्त बिना शुल्क बढ़ाये एवं कम किये जाते हैं। राजस्थान में भी यह शुल्क खत्म किया जावे।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस पर जो दो साल की अवधि निर्धारित की गयी है यह अत्यधिक है। वाहनों की बढ़ोतरी को देखते हुए हैवी लाइसेंस विभाग द्वारा ट्राई लेने के बाद फिट होने पर तुरन्त दे देना चाहिए और इस नियम में एल. एम. वी. से एच. एम. वी. का दो साल बाद बनाने की प्रक्रिया समाप्त की जावे। अब क्या हो रहा है कि हैवी लाइसेंस के बारे में आपके नियम बन गये, डाक्टर साहब वहां पर बैठते नहीं हैं और डाक्टर का कोई

(श्री नसरू)

मतलब नहीं है। आर. टी. ओ में एक मोहर रखते हैं, ठप्पा रखते हैं और मोहर लगायी और डाक्टर साहब का सर्टिफिकेट लग गया। डाक्टर का कोई काम नहीं है। ट्रक की लाइसेंस फीस 50 रुपये की है उसकी रिश्वत दो हजार रुपये हैं। इसलिए डाक्टर से सर्टिफिकेट लेने का नियम है उसको समाप्त करना चाहिये और इन लाइसेंस के बारे में पहली वाली व्यवस्था की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छे सुझाव आ रहे हैं।

श्री नसरू : राज्य से डण्डा बैरियर तुरन्त हटाये जावें। राज्य में बहती प्रणाली समाप्त की जावे। इससे समय की काफी बचत होगी। छोटे-छोटे रास्तों में बैरियर लगा रखे हैं जिनका ट्रक वालों से कोई लेना-देना नहीं है। मर्जी आए वहां डण्डा बैरियर लगा रखे हैं, गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं। दस-दस मिनट तक उन्हें खड़ा होना पड़ता है तब वह आगे जाते हैं। इससे सड़कों पर वाहनों के रूकने से रास्ता जाम हो जाने से बचा जा सकता है। इस प्रकार के डण्डा चैक पोस्ट, बहती खत्म होनी चाहिए।

एक गाड़ी पर डबल ड्राइवर रखने का कानून के अधीन जुर्माना 500 रुपये गलत है, क्योंकि एक ओर ड्राइविंग लाइसेंस दो वर्ष की अवधि में बनाये जाने के कारण, गाड़ियों की वृद्धि को देखते हुए ड्राइवरों की भारी कमी आई है। इसलिए राष्ट्रीय परमिटधारी वाहन पर डबल ड्राइवर अनिवार्य नहीं होना चाहिये और यह कानून खत्म किया जावे।

अब आप देखिये कि गाड़ियां बहुत बेहिसाब बढ़ रही हैं, गाड़ियां तो रोजाना 200–400 बढ़ रही है और लाइसेंस 50 भी नहीं बन रहे हैं। लोग डुप्लिकेट लाइसेंस, फर्जी लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं और उनके बन रहे हैं। यह मजबूरी है।

श्री रोहिताश्व : इसीलिए चैकिंग होती है जिस चैकिंग को आप बन्द करवा रहे हैं।

श्री नसरू : यह चैकिंग नहीं हैं। लाइसेंस, 2 साल में बन रहे हैं और 2 साल में कोई गाड़ी आती है क्या ? (व्यवधान)

यातायात विभाग में भ्रष्टाचार खत्म किया जावे। विभाग में हर काम को कराने के लिए अत्यधिक सेवा शुल्क लेकर ही काम किया जाता है अन्यथा काम देरी से किया जाता है और ऊंचे दर पर सेवा शुल्क लेकर ही कागज दिए जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे एजेण्टों की राशि नियमित की गयी है वैसे ही हर काम के सेवा शुल्क की दर निश्चित कर लिस्ट विभाग में भेज दी जावे जैसा कि बोर्डों पर एजेण्टों की फीस, दर लिखी हुई है। इससे वाहन स्वामियों को आपके आदेशानुसार ही सेवा शुल्क देने का मौका मिलेगा और आपके कर्मचारियों को भी सुविधा और किसी प्रकार का भय नही होगा तथा काम की गति भी तेज होकर समय से होगी। इसमें क्या है कि वो कानून लगाते हैं। जिस प्रकार से एजेण्टों की रेट लिस्ट लगी हुई है उसी प्रकार से अधिकारियों की भी रेट फिक्स हो जाए। एक परमिशन बनाने के 45 रुपये लगते हैं

214

(श्री नसरू)

जबकि परमिशन के 90 रुपये लेते हैं। गवर्नमेंट की फीस कम है और रिश्वत ज्यादा है।

उदाहरण के रूप में एक ट्रक जो अलवर से गुजरात के लिए चलता है उसे रिश्वत का जयपुर में 200 रुपये, किशनगढ़ में 200 रुपये, अजमेर में 200 रुपये, ब्यावर में 200 रुपये, पाली में 200 रुपये, जोधपुर में 200 रुपये, जोधपुर आर.टी.ओ. अजमेर–आबूरोड़ पर ही नियमित चैकिंग 200 रुपये में करते हैं, सिरोही में 200 रुपये देने पड़ते हैं। विभाग के कर्मचारियों को अफसरों की छत्र-छाया में यह उपरोक्त राशि 1600 रुपये प्रति माह पड़ती है जो कि एक वर्ष में 17,000/– रुपये रिश्वत के बनते हैं। राजस्थान के कर्मचारी ड्यूटी पर होते हुए तनख्वाह सरकार से प्राप्त करते हैं और चैकिंग सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसों के लिए करते हैं। राज्य सरकार का टैक्स एक ट्रक पर प्रति वर्ष 6000/- रुपये हैं जिसमें सड़क की सुविधा और आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को 6000 रुपये एक गाड़ी वाला टैक्स देता है और रिश्वत के रूप में उसे इतनी जगहों पर 17 हजार रुपये देना पड़ता है।

श्री परसराम मदेरणा : यह डाकूमेंट पढ़ रहे हैं, यह डाकूमेंट क्या है ?

श्री सभापति : यह इनका पहला भाषण है।

श्री नसरू : ये इनके कोड वर्ड हैं। कोड वर्ड यह जयपुर का होगा, यह अजमेर का होगा, यह किशनगढ़ का होगा, यह आबू का होगा, यह सिरोही का होगा, यह सारे कोड वर्ड तारीख वाइज हैं, यह सारा डिटेलवाइज है....(व्यवधान)....यह डिटेल्ड वाइज कागज है इनके सारे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)....

श्रीमती तारा भण्डारी यह संहिता तो आप लोग बनाकर गये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौनसी यूनियन के अध्यक्ष हो, वह भी बता दो जरा।

श्री नसरू : ऐसा है, जो हमारी ट्रक यूनियन है इंटक वह हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी यूनियन है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रकों के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना शुरू किया और बड़े अच्छे उदाहरण दिये और वह इसके लिए भी तैयार हैं कि वह सदन की मेज पर इन कागजात को रखें और उसके लिए यह कहा जा रहा है सदन में और वह भी राज्य सरकार के मंत्री के द्वारा कि आप कौनसी यूनियन के सदस्य हैं ? यह जो मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसी यूनियन के अध्यक्ष हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा : वह पहले सदन के माननीय सदस्य हैं और जब सरकार का रिप्रजेन्टेशन किया है-तो क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है और क्या सरकार मानती है कि भ्रष्टाचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें गलत क्या है, ज्ञानवर्द्धन के लिए पूछ रहे हैं ? मैंने गलत क्या कहा ।

श्री रामनारायण मीणा : वह नाक से निकाला था, आप सुनिये तो सही । सरकार ने भ्रष्टचार नाक से निकलवा लिया........ (व्यवधान) इसलिए वह मैं नहीं कह रहा ।

श्री सभापति : आपका नम्बर आने वाला है । अभी । 6 बज गये हैं ।

श्री रामनारायण मीणा : सभापतिजी, 6 बज गये हैं तो मुझे अखबारों में छपने से मतलब नहीं है । मेरा निवेदन करना यह है कि आप आसन पर विराजमान है तो माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, नोट लेने के लिए और इसके बारे में कार्यवाही करने के लिए आप सरकार को तत्काल निर्देश दें ताकि नाक से निकलवायें, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार बच रहा है उसकी भी पूर्ति हो जाए । (व्यवधान)...वह भी निकल जाए ।

श्री नसरू : मुझे थोड़ा और बोलना है फिर मैं और नहीं बोल सकता.... (व्यवधान) ...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय । माननीय श्री रामनारायणजी यह व्यवस्था का प्रश्न तो आपका है नहीं, वह अपनी जानकारी (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : अगर सरकार चाहे तो इस बेरोजगारी के जमाने में सिर्फ रिश्वत की राशि पर.. (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, व्यवस्था का प्रश्न उन्होंने इसलिए उठाया है कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ऐसी कुछ चिट जिसमें कोड वर्ड में रिश्वत लेने का उस पर अंकित है मामला तो यह मैं समझता हूं कि असल में उनका मन्तव्य यह था कि आसन उनको सदन की मेज पर रखने की अनुमति दे ताकि आगे जाकर इसकी जांच की जा सके और प्रभारी मंत्री हैं उनके यह मामला ध्यान में आ जाए कि यह मामला किस तरह से कोड में चलता है । इसको डिसाइफर कीजिये आप और डिसाइफर करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़िये । इसलिए मैं समझता हूं कि आप इसको सदन में रखने की अनुमति दें ।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को ...

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप विराजें ।

श्री रोहिताश्व : अवगत कराना चाहता हूं कि यह मामला मेरी नोटिस में है और मेरे छापा मारने के बाद, पकड़ में आने के बाद माननीय सदस्य उठा रहे हैं । अगर यह माननीय सदस्य किसी यूनियन के अध्यक्ष हैं तो इन्होंने क्या कभी

(श्री रोहिताश्व)

किसी पुलिस में कोई केस रजिस्टर्ड करवाया अभी तक इस तरह का ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, बिराजिये । माननीय सदस्य, कृपया सुनिये ।

श्री नसरू : ऐसा है पुलिस ...

श्री अमराराम (धोद) : पुलिस तो ले रही है ।

श्री जुबेर खान : पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं ।

श्री नसरू : ऐसा है जी इस मामले में आपको पता भी नहीं लग सकता, श्री रोहिताश्वतजी । यह जो अधिकारीगण करते हैं उसका आपको पता भी नहीं लग सकता है ।

श्री रोहिताश्व : यह बिलकुल गलत बात है ।

श्री सभापति : आप क्यों उलझ रहे हैं ?

श्री रोहिताश्व : मैंने करीब 12–13 लोगों के खिलाफ ए. सी. डी. में केस रजिस्टर्ड करवा दिये अभी । आप तो यह बात करते हैं ।

श्री नसरू : ऐसा है कि आपने दर्ज करवाये उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है । उसके बाद की बात बता रहा हूं आपको ।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य सरकार का चिट्ठा आपके सामने रख रहे है, आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ?

श्री नसरू : सरकार ने ले रखी है लेकिन विभाग के ये कर्मचारी बदले में हमें क्या देते हैं ?

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, श्री नसरूजी आपने अपनी बात रख दी है और आप जो भी कोई चीज सदन के पटल पर रखना चाहें आपकी इच्छा से, किसी के कहने से नहीं तो आप हस्ताक्षर करके रख दें यहां, मंत्री महोदय जांच करवा लेंगे ।

श्री नसरू : वह तो मैंने रख रखी है । मैं तो उन्हीं को ही दूंगा । (व्यवधान) ऐसा है ...

श्री सभापति : हां उनको ही दे दो मंत्रीजी को, आपकी मर्जी है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, अभी मंत्रीजी फरमा रहे हैं हाउस के अन्दर, इन्होंने शिकायत क्यों नहीं की । किसी यूनियन के अध्यक्ष हैं, यूनियन के अध्यक्ष होते हुए ही तो इनको सब जानकारी है क्योंकि एक-एक ट्रक वाला इनको आकर बताता है यूनियन में कि ये रिश्वत ले रहे हैं । यह प्रश्न भी आया था कि चुंगी समाप्त की जानी चाहिए, जगह-जगह पर रोककर लोगों से पैसा भी लेते हैं और बरबाद भी होते हैं । अब आप यह कह रहे हैं कि आपने शिकायत नहीं की । आप तो मंत्री बनते नहीं, सदन में अगर चुनकर नहीं आते तो । ये इस सदन में अपनी बात नहीं कह सकते थे, अगर माननीय सदस्य नहीं होते । अध्यक्ष होने के नाते तो इनके पास में ज्यादा इन्फार्मेशन न कि मैम्बर

(श्री परसराम मदेरणा)

होने के नाते । यूनियन के अध्यक्ष होने के नाते इनके पास में जानकारी ज्यादा है ।

श्री सभापति : अनुभव सिद्ध हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : और जानकारी आपकी डिमाण्ड आते ही पहले दिन रख रहे हैं, आधा घण्टा इन्होंने डिले नहीं की है और आप इनको कह रहे हैं कि इन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की । पुलिस में शिकायत करके इनको अपना+++ कटाना था वहां पर ?

श्री रोहिताश्व : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि रूल्स में रिश्वत देने वाला भी और रिश्वत लेने वाला भी, दोनों दोषी हैं । जब ये यातायात से सम्बन्धित हैं तो रिश्वत क्यों देते हैं ? देने वाला भी दोषी है । (व्यवधान) ।

श्री नसरू : आज ट्रक वालों की हालत यह है कि इनका कोई माई-बाप नहीं होता है । ड्राइवर सारी रात पेड़ गिनता रहता है । जब ट्रक चलता है तो दिन-रात यही सोचता है कि कहीं आर. टी. ओ. की चैकिंग नहीं मिल जाए । आर. टी. ओ. तो आर. ए. एस. अफसर होता है लेकिन ट्रक वाले के लिए एक चपरासी भी अपने आपको आर. टी. ओ. कहता है । ट्रक ड्राइवर उसको आर. टी. ओ. कहता है । उसको यह पता नहीं कि आर. टी. ओ. क्या है । वह तो उसको ही आर. टी. ओ. कहता है ।

श्री सभापति : अनुभव सिद्ध बातें हैं, आप सुनिये ।

श्री नसरू : दिन-रात यही सोचता है कि आर. टी. ओ. की चैकिंग नहीं मिल जाए और वह चलते-चलते सामने से आने वाले ट्रक से, दूसरे ट्रक वाले से इशारे में पूछता है कि कहीं आगे चैकिंग तो नहीं है । अगर उसको पता लग जाए कि चैकिंग नहीं हो रही है तो वह रोटी खाना भी भूल जाता है और कोशिश करता है कि अगले शहर को भी जल्दी से पार कर लिया जाए वरना चैकिंग वाले यमदूत खड़े हो जाएंगे । ट्रक वाले की हालत यह है कि 5 लाख में नयी गाड़ी बनवाता है, 4 लाख रुपये तो कर्जा लेता है, एक लाख खुद का लगाता है, जिसमें वह अपने घर के जेवर और अपनी जमीन बेचता है या अपने निजी रिश्तेदारों से उधार लेकर ट्रक बनवाता है । आज उस ट्रक वाले की हालत देखी जाए तो बहुत से लोगों के पास घर में खाने को दाना नहीं होता है । उसके घर वाले सोचते हैं कि ट्रक हमारा आएगा तो किसी को कर्जा चुकायेंगे, खुदा नहीं करे, ट्रक कहीं दुर्घनाग्रस्त हो जाए । आपने देखें होंगे ट्रकों को रास्ते में, जगह-जगह पैर ऊपर हो रहे हैं और वे पड़े हैं और आदमी मर भी जाता है और घर वाले उसका इन्तजार देख रहे हैं । अगर आप यातायात विभाग के चपरासी की हालत देखेंगे तो ट्रक वाले से चपरासी की हालत कई गुना अच्छी होती है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि यातायात मंत्री बनने

+++, शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिसिंह)

के काबिल हैं। (व्यवधान) यह तो सिद्ध कर दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नसरू : ट्रक वाले के बच्चे गांवों में पाचवीं कक्षा तक पढ़ पाते हैं। जो ट्रक वाले शहर या कस्बे में रहते हैं उनके बच्चे अधिक से अधिक दसवीं तक पढ़ पाते हैं। आज एक लिपिक का लड़का भी इंगलिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है और अफसर लोगों के बच्चे बडे-बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं।

अब 12वां बिन्दु मेरा है, कोई भी पुराना वाहन दूसरे राज्यों से खरीदकर राजस्थान में लाया जाता है तो ऐसे वाहन पर चैक पोस्ट पर राजस्थान में 900 रुपये लिये जाते हैं। आज वह रसीद कटाता है और कल पास कराता है तो उसके 900 रुपये माफ नहीं होते हैं। उसके 900 रुपये भी गये। ये उसके 900 रुपये खतम होने चाहिए, उसमें एडजस्ट होने चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री नसरू : माननीय मुख्य मंत्रीजी को मेरी ओर से नये वाहनों पर सैल्स-टैक्स में की गयी कमी को एक अच्छा कदम मानते हुए धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसमे राज्य में बिक्री कर अधिक आने की सम्भावना है और दूसरे राज्यों से सालाना रोड टैक्स और सड़क कर में भी वृद्धि होगी। अब वाहन दूसरे प्रदेशों से नहीं आकर अपने प्रदेश में ही खरीदकर राज्य में पंजीयन होंगे जिससे भारी राजस्व प्राप्त होगा। किसानों के बारे में भी सोचा जावे। ट्रेक्टर के ऊपर भी बिक्रीकर कम कर दूसरे प्रदेशों की भांति करें जैसे सैल्स-टैक्स जो हरियाणा में है, आज अपने यहां ट्रेक्टर पर मुख्य मंत्रीजी ने टैक्स नहीं घटाया है....

श्री रामनारायण मीणा : किसान विरोधी हैं।

श्री नसरू : राज्य में। जिससे राज्य के किसानों पर भार कम पड़े।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें (व्यवधान) भाषण समाप्त करें।

श्री नसरू : एक-दो बातें और हैं।

श्री रोहिताश्व : फाइनेंस से सम्बन्धित मामला है।

श्री नसरू : ट्रांसपोर्ट के बारे में आज कोई बोला ही नहीं, मैं आज पहली दफा बोल रहा हूं, आप थोड़ी देर के लिए समय दें। यह तो बहुत बड़ा है।

श्री सभापति : आपको पूरा समय दिया है।

श्री नसरू : सभापति महोदय, जितना पैसा ट्रांसपोर्ट से आपके विभाग को सरकार को चलाने के लिए मिलता है, इतना किसी भी अन्य विभाग से नहीं मिल रहा है। इसके लिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किया हुआ है, सरकार एवं ट्रांसपोर्टर की एक कमेटी बनाई जाए जो आपस में बैठकर व्यवसाय की बहबूदी के लिए विचार करें। ट्रांसपोर्टर और सरकारी अधिकारियों की

(श्री नसरू)

एक कमेटी बनाई जाए, उसकी हर महीने मीटिंग हो तो इनको भी पता लग सके हर आदमी को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।

अब मैं मेरे क्षेत्र में बसों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। लक्ष्मणगढ़ से मालाखेड़ा होकर जयपुर गाड़ी चलती है वह अब बन्द है, उसको चलाया जाए। मेरा एक सुझाव और है। ड्राइवरों को समझाया जाए कि जो ड्राइवर गाड़ी या बस को बीच रोड़ में बन्द की और खड़ी कर देते हैं चाहे पीछे से गाड़ी आवे, वे साइड में खड़ी नहीं करते, यहां अपने अधिकारियों को बतावें कि इनको ड्राइविंग लाइसेन्स देते हुए यह समझाया जाए कि गाड़ी जब भी रोकें, रास्ते से साइड लेकर खड़ी करें, बीच में गाड़ी को खड़ी नहीं करें। अब मेरे ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री नसरू : सिंचाई विभाग के बारे में भी तो है।

श्री सभापति : अब आपने यातायात के बारे में इतना वर्णन कर दिया है....

श्री नसरू : यातायात के बारे में तो कोई बोला ही नहीं....

श्री जुबेर खान : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा समय और दिया जाए। ये तो पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति : मैंने पूरा समय दिया है माननीय सदस्य को।

श्री नसरू : मेरे क्षेत्र में दो बहुत बड़े बांध हैं, सिलीसेड और जयसमन्द। सिलीसेड का पानी अलवर में जाता था, सारे शहर के अन्दर। सारी जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली है, सिलीसेड का पानी ऐसे का ऐसे ही भरा रहता है। जयसमन्द का पानी 4 फीट इन्होंने एक प्रस्ताव लेकर रोक दिया है। अगर सिलीसेड के पानी को जयसमन्द में छोड़ा जाए तो उससे जमींदारों को काफी फायदा मिल सकता है। सिंचाई विभाग इस बारे में कुछ करे। मेरे क्षेत्र में 10-12 बांध हैं। पिछली 5 तारीख को लक्ष्मणगढ़ में मीटिंग हुई सारे अधिकारियों की तो मैंने पूछा कि हमारे क्षेत्र में कितने बांध हैं। तो सिंचाई विभाग के एक्स.इएन. को यह पता नहीं कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में बांध कितने हैं। मैंने उनसे पूछा कि 10 साल में आपने काम कितना कराया। वे, बोले, इसमें एक परात मिट्टी भी नहीं डली है। तो मैं चाहता हूं कि इन बांधों को बनवाया जाए। थोड़ा-थोड़ा खर्चा है इनमें। उससे काफी पानी रुकेगा, लोगों को पीने के लिए बहुत फायदा मिलेगा

आज मैं पहली दफा बोला हूं, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के बारे में आज विचार हो रहा है। सारे विश्व में जितना पानी है उसका 1.2 प्रतिशत पानी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

ही सिंचाई और पीने के काम में आता है। सारे हिन्दुस्तान में जितना पानी है उसका 1.1 प्रतिशत के आसपास राजस्थान में है। राजस्थान में हिन्दुस्तान का 11 प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई में है। सिंचाई का काम और पानी पर किसी का एकाधिकार नहीं है। कोई भी राज्य चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, कोई भी स्टेट यह क्लेम नहीं कर सकता कि उसका एकाधिकार पानी पर है। सन् 1977-78 के अन्दर माननीय मोरारजी देसाई के शासनकाल में एक "दस्तूर योजना" का प्रारूप बना था और उस दस्तूर योजना में यह कहा है कि सारे इंटरस्टेट वाटर को कनेक्ट किया जाए। नर्मदा का पानी भी राजस्थान में आये, सतलज का भी पानी आये, रावी का भी आये, व्यास का भी आये।

इस हिन्दुस्तान में जितनी बरसात होती है उतनी और कहीं-नहीं होती है, और इस हिन्दुस्तान में जितना अकाल पड़ता है उतना और कहीं नहीं पड़ता है, ऐसी विविधता है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र में हमेशा बाढ़ आती है, क्या उस पानी को हम राजस्थान तक नहीं ला सकते? सारे हिन्दुस्तान में इस तरह की योजना बनायी जानी चाहिए कि जहां-जहां पानी का ओवर फ्लो हो रहा है, बाढ़ आ रही है उस पानी का जहां पर असिंचित क्षेत्र है या जहां कम पानी के क्षेत्र हैं उस जगह डाइ-वर्शन किया जाएं। माननीय सभापति महोदय, यह तभी सम्भव है जब केन्द्र इस पर विचार करे। मैं इस विषय पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहूंगा किन्तु एक बात कहना चाहूंगा। नर्मदा के पानी की बात राजस्थान में चल रही है। नर्मदा के पानी का सीधा-सीधा उपयोग जालौर में हो सकता है किन्तु उदयपुर के लिए भी नर्मदा का पानी लाया जाना चाहिए। इसके पास मे कटिंग बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी और उस नर्मदा का पानी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी लाया जाना चाहिए।

उदयपुर की एक बहुत बड़ी महत्वा-कांक्षी योजना मानसी वाकल की थी। उस मानसी वाकल में....

श्री सभापति : यह कडाना से लेना चाहते हैं या कहां से लेना चाहते हैं नर्मदा का?

श्री शांतिलाल चपलोत : यह तो कडाना से ही आया। पानी तो जहां से आएगा वहां से ही आएगा। माननीय सभापति महोदय, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आ सकता है।

मानसी वाकल का जो पानी है वह सारा गुजरात में जा रहा है। माननीय सुखाड़ियाजी के समय में देवास की योजना बनी थी। देवास फर्स्ट का पानी उदयपुर पहुंचा और जब सैकण्ड योजना बनने की बात आयी तो उस समय वह योजना इस-लिए धराशायी हो गयी कि कुछ मलवा उस टनल का वहां आ गिरा और उसके बाद वह योजना नहीं चली। आज तक मानसी वाकल का पानी उदयपुर नहीं पहुंच पाया। कब तक मानसी वाकल का पानी उदयपुर में नहीं पहुंचेगा? इसके लिए सरकार ने अबकी बार इस बजट में मानसी वाकल की मद में, मैं समझता हूं, कोई खास धनराशि नहीं रखी है। माननीय

(श्री शांतिलाल चपलोत)

सभापति महोदय, उदयपुर एक सरसब्ज इलाका था किन्तु आज चारों तरफ नंगी पहाड़ियां हैं और प्रिजर्वेशन का, वाटर रिटेंशन का कोई सोर्स उसके पास नहीं है। सारा का सारा पानी पहाड़ी क्षेत्र में जाने की वजह से बहकर चला जाता है। आज उदयपुर झीलों की नगरी कहलाने को तरसता है। उदयपुर के 10 किलोमीटर में आपको पोखर से पानी पीते हुए लोग मिल जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अतिशीघ्र

(18.32)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

योजना बना कर, अतिशीघ्र उस कार्य को पूर्ण करके चाहे वह हिन्दुस्तान जिंक करे, चाहे सिंचाई विभाग करे, उदयपुर में मानसी वाकल का पानी पहुंचाया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में यदि मानसी वाकल का पानी आ गया तो हिन्दुस्तान भर में जितनी रेवेन्यू पर्यटन से होती है उसमें इजाफा हो जाएगा। उदयपुर पर्यटन स्थल है और काफी विदेशी वहां आते हैं, विदेशी मुद्रा वहां आती है। यदि मानसी वाकल का पानी उदयपुर में बराबर रहा, पिछोला में दिया, फतेहसागर में दिया तो बोटिंग का कार्यक्रम हो सकता है दूसरे तरीके के कार्यक्रम बढ़ाये जा सकते हैं और सिंचाई के साधन भी इससे बढ़ाये जा सकते हैं। इससे पर्यटन में बहुत बड़ा विकास उदयपुर के माध्यम से हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मानसी वाकल का पानी उदयसागर में आएगा और उदयसागर का पानी मावली और बल्लभनगर तहसीलों में ले जाया जा सकता है। फतहसागर और फतहसागर से उदयसागर में डाल कर नाहरमगरा, खेमली और डबोक के आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक टांटोल बांध है जो नाथद्वारा में पड़ता है। टांटोल बांध का जहां उद्गम है, मावली के क्षेत्रों का या दूसरे क्षेत्रों का पानी उस टांटोल बांध में जा रहा है परन्तु टांटोल बांध का एक बूंद पानी भी मावली तहसील में नहीं आ रहा है। टांटोल बांध की डिस्ट्रीब्यूटरी से बागोलिया तालाब में पानी चला जायेगा। बागोलिया जो दो करोड़ रुपये की लागत का तालाब है, सरकार ने बनाया है किन्तु बिलकुल खाली रहता है। खाली रहने से आज की तारीख में मावली में पेयजल का संकट है। मावली प्रोपर में 6-6 दिन में पेयजल मिल रहा है इसलिए वहां बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। यदि वहां बागोलिया में हमने बांध से पानी डाल दिया और खरताना में डाल दिया तो समस्या हल हो सकती है। खरताना एक करोड़ की लागत का बांध बना हुआ है किन्तु खाली है। इसलिए खाली है क्योंकि टांटोल का पानी वहां नहीं डाला जाता। टांटोल का पानी दूर-दूर तक यहां देवली तक लाने का एक कार्यक्रम बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, खरताना के साथ-साथ धांसा जो एक बहुत बड़ा तालाब है, आज से हजारों साल पहले का बना हुआ है किन्तु उसमें पानी नहीं आने से धांसा में पीने के पानी की बहुत भारी

(श्री शांतिलाल चपलोत)

समस्या रहती है। 30 साल पहले उदयपुर जिले में ऐसी स्थिति आ गयी कि वहां टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ा। इसलिए मैं चाहूंगा कि घांसा में भी पानी डाला जाए।

इसके साथ-साथ बड़गांव बांध है। मावली तहसील की सारी जमीन उसको बनाने में गयी। यह कैसी विडम्बना है कि हमारी तहसील की जमीन गयी, मुआवजा उनको पूरा मिला नहीं लेकिन वहां एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बल्लभनगर में पानी नहीं। पूरा पानी चित्तौड़ की तरफ जा रहा है और वहां के लोगों, जो कि कैचमें एरिया के हैं, को किसी प्रकार का पानी नहरों से सप्लाई नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़गांव

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

की नहरें उदयखेड़ा, मनाखेड़ा, इंटाली में पहुंचायी जाएं ताकि वहां की भूमि को सरसब्ज किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा नम्बर दूसरा था, परन्तु आते-आते छब्बीसवां हो गया और ऐसे ही रोलिंग होती रही तो मैं समझता हूं 162वें नम्बर पर आ जाएगा। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब समाप्त कीजिये। दूसरा नम्बर होने से कम समय लेते क्या आप ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, डूंडिया बांध के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना यहां विभाग के पास आयी हुई है। एक करोड़ 10 लाख की एक योजना है। इससे 8 से 10 हजार बीघा की सिंचाई हो सकती है। बीसलपुर उस डूंडिया बांध से कम से कम 275 किलोमीटर दूर है परन्तु कैचमेंट एरिया के नाम पर, बीसलपुर के नाम पर इस योजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी गयी है और तीन वर्ष से वह योजना लम्बित पड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ माताजी का खेड़ा फीडर के लिए बार-बार शांतिलाल जी जो राजसमन्द से विधायक हैं वे भी उठा रहे हैं और मैं भी इस बात को निरन्तर उठा रहा हूं। राजसमन्द में रेलमगरा तहसील का जल स्तर इसलिए गिर गया है कि हिन्दुस्तान जिंक मनमाने तरीके से दोहन कर रहा है खनिज का। हिन्दुस्तान जिंक के कारण से वहां के काश्तकार बरबादी के कगार पर पहुंच गये हैं। यहां तो उनको रोजगार नहीं मिला और खेती से भी उजड़ गये हैं। इसलिए उस हिन्दुस्तान जिंक दरीबा के पास से माताजी का खेड़ा फीडर है की जो योजना एक करोड़ के आस-पास की है यदि उस पर पैसा खर्च कर दिया जाए और नहरों का काम कराया जाए, नहरें पक्की की जाएं, तो मैं समझता हूं वहां भी 5-7 हजार बीघा जमीन में सिंचाई हो सकती है और हिन्दुस्तान जिंक से उन लोगों को जो तकलीफ होती है उससे भी रिलीफ मिलेगी।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं समस्याओं के बारे में बात कर रहा हूं और मैं इधर-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उधर की बातें करने का आदी नहीं हूं। मैंने ठीक 6 बजकर 32 मिनट पर बोलना प्रारम्भ किया है।

माननीय सभापति महोदय, मातृकुण्डिया बांध है वहां सारा पानी रेलमगरा तहसील से जाता है और बांध में जो सारी जमीन आयी है वह रेलमगरा तहसील के मातृकुण्डिया स्थान की आयी है और उसका पानी सीधा भीलवाड़ा ले जाया जा रहा है। वहां के लोगों को किसी प्रकार की सिंचाई की सुविधा नहीं है। वहां के लोगों को आज तक मुआवजा भी नहीं मिला। वहां के लोगों को आये दिन पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। उसके भी कई प्रकरण राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। यदि इसमें लिफ्ट इर्रिगेशन का काम कराया जाए तो कौलपुरा, जवासिया, धूलखेड़ा और मातृकुण्डिया के लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो पायेगी। टांटोल से एक बात हमेशा आती है और बड़ा भारी संघर्ष कई बार हो जाता है, सारी की सारी काश्तकारों की आबादी है, बनास नदी का पानी टांटोल पर रोक दिया गया। अब जब रोक दिया गया, मेरा यह कहना है और वहां की जनता का यह कहना है कि जब पहली बरसात आती है तो उस टांटोल बांध का पानी उस नहर में या उस नदी में छोड़ा जाए। उसको बांध कर रखा नहीं जाए, उसको एक बार छोड़ा जाए जिससे सारी नदी में पानी का प्रचलन हो जायेगा, बहना हो जायेगा तो जो आस-पास के कुंएं हैं उनमें वाटर लेवल बढ़ जायेगा। पछमता, हनोतिया, जवासिया, कुंडिया इन सब में यदि पानी आया तो वहां के कुओं में चार्ज बढ़ जायेगा।

सभापति महोदय, मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहना चाहता पर एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। जो बांध, जो तालाब स्टेट के जमाने के बने हुए हैं, चार-पांच सौ साल पुराने बने हुए हैं, ऐसे तालाबों की मरम्मत करायी जानी चाहिए। वह तालाब चाहे उस समय के बने होंगे पर आज भी सिंचाई के लिए बहुत उपयुक्त तालाब हैं। ऐसे कई तालाब हमारे क्षेत्र में हैं। उनकी मरम्मत का यदि कोई पैसा दे दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां काफी अधिक सुविधा हो जायेगी वरना इस उदयपुर जिले, राजसमन्द जिले, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा सूखा इलाका उदयपुर के मावली और वल्लभनगर का इलाका है पानी के लिहाज से। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो पुराने तालाब हैं उनकी मरम्मत के लिए पैसा दिया जाए। वहां नहरें खुदवाने के लिए इस समय अकाल में कुछ पैसा देकर इस काम को पूरा किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मानसी वाकल की एक महत्वाकांक्षी योजना है और माननीय सिंचाई मंत्रीजी भी वहीं के हैं, उन्होंने वहां का दूध पीया है, वहीं खेले-कूदे हैं पर मुझे लगता है कि हमारे यहां के आने वाले सब लोग हमारे क्षेत्र को भूलते जा रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि उसमें थोड़ा पैसा लगायें। हिन्दुस्तान जिंक के जरिये या और किसी जरिये सरकार पर फोर्स डालकर पैसा दिलाया जाए और मानसी वाकल की महत्वपूर्ण योजना को पूरा किया जाए।

आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री जगतारसिंह कंग : सभापति महोदय, आप हमें बता दें कि हमारा नम्बर कहां है। पांचवें नम्बर पर हमारा नाम भेजा गया है।

श्री सभापति : यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, आपको अपने सचेतक महोदय से पूछना चाहिए कि नाम है या नहीं है। मैं सब को बताने लगूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। खैर, मैं लिखकर बता दूंगा आपको। माननीय श्री रामनारायण जी।

श्री जगतारसिंह कंग : पांचवें नम्बर पर भेजा है सचेतक महोदय ने तो।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनका नाम भेजा है अब तक नहीं आया जगतारसिंहजी का भी।

श्री रामनारायण : सभापति महोदय, जो आब्जेक्शनेबल बात है....

श्री जगतारसिंह कंग : नाम भेजा हुआ है आपके पास में तो पढ़िये हमारा। आप बता सकते हैं, पांच नम्बर पर भेजा हुआ है।

श्री सभापति : मेरे पास इस लिस्ट में नाम नहीं है आपका।

श्री जगतारसिंह कंग : एडीशनल लिस्ट जो आपको भेजी है....

श्री सभापति : भिजवाई होगी पर मेरे पास नहीं है। अगर होगी तो मैं अभी एड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। श्री रामनारायण जी।

श्री जगतारसिंह कंग : आपके पास हमने चिट भिजवाई है।

श्री सभापति : आपने तो भिजवाई है पर मैं बोलता हूं जो मेरे पास यहां लिखा हुआ होता है उसके हिसाब से।

श्री जगतारसिंह कंग : हमारे जो माननीय उप सचेतक हैं उन्होंने भिजवाई है आपके पास।

श्री सभापति : बता देंगे। बिराजिये। माननीय श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति जी, सिंचाई के बारे में काफी बातें हो रही थीं। सिंचाई मंत्रीजी बहुत दत्त चित्त होकर सुन भी रहे हैं। सिंचाई मंत्री जी की क्षमता कितनी है यह तो वह जानें, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सिंचाई के मामले में काफी कुछ करने की गुंजाइश है। क्या राजस्थान सिंचाई विभाग को इतना ध्यान है कि कितने बांध राजस्थान में अधूरे हैं। मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं, ऐसे बहुत से बांध हैं जिनका समय-समय पर सर्वेक्षण नहीं किया जाता या जिनके बारे में सोचा नहीं जाता। इनकी सूची में नहीं है। एक बांध है इसधारी, उसके नीचे का पूरा स्ट्रक्चर का काम हो चुका है। मैंने नवीं विधान सभा में पूछा था यह सोच कर कि सरकार को शायद इस बात की जानकारी होगी, कितने दिनों में करना चाहते हैं इस काम को और ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि भीतरी ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन मुझे काफी दुःख है इस बात का, मंत्रीजी उस समय सिंचाई मंत्री थे इनके द्वारा इस बात

(श्री रामनारायण)

का जवाब आया, इनको इस बात की तिथि याद नहीं थी कि उसका काम कब प्रारम्भ किया गया। इसी तरह से सिसोला बांध के बारे में मुझे जानकारी मिली। इसलिए, सिचाई मंत्रीजी, इर्रेस्पेक्टिव टू एरियाज, आप कृपया इस बात को देखें, देख सकते हैं तो कि राजस्थान में अभी कितने बांध हैं जो अकाल राहत में शुरू किये गये हैं, जे. आर. वाई. में शुरू किये गये हैं या किसी दूसरी योजना में शुरू किये गये हैं। उसके मुताबिक आप इस बात का सर्वे कराइये। माननीय सदस्य साहिबान ने अपनी मांग में भी इस बात को रखा है कि प्राथमिकता छोटे बांधों को दी जाए। यह सही है कि आपके सोर्सेज कम होंगे, योजना का आकार आपने काफी बड़ा बनाने की बात की है लेकिन सिंचाई के लिए आप इतना कुछ कर पायेंगे, सदन के माननीय सदस्यों को इस बात में शंका है। छोटे-छोटे बांध आप कितने बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं, सिचाई मंत्री जी, आपने कहा था और वादा किया था, आप चाहें तो लिख लें, एक बांका का नया गांव है रतनगंज तहसील नैनवां में बूंदी जिले में, बांका के नये गांव बांध का सारा काम हो चुका है, केवल पक्का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी है और कैनाल खोदी जानी बाकी है। दुःख इस बात का है कि उसके बारे में भी सोचा नहीं गया। आपके पास शायद प्रपोजल्स नहीं पहुंचे होंगे, मैंने लड़-झगड़ कर नीचे आपके अधिकारियों से कहा जरूर है, शायद बन जाएंगे, आने वाले होंगे, आप कृपया उस बांध को बनवायें। उसकी लागत मुश्किल से 50-60 लाख से ज्यादा नहीं आयेगी। क्षेत्र के कितने ही गांवों को सिचाई देगा। ऐसे बांधों की आप स्वीकृति दें। मैं आपसे इस बारे में इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जलस्तर काफी गहरा चला जा रहा है।

यहां हमने मांग उठायी कि एनीकट आप बनाइये। एनीकट आप बनायेंगे कैसे? आपके अधिकारी कहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट एनीकट बनाने वाला नहीं है। इसके साथ ही आपके डिपार्टमेंट के पास पूरे अधिकारी नहीं हैं। आपके पास कितने ए.ईएन. की पोस्ट खाली हैं? क्या जितने जे.ईएन. हैं उनको पूरा काम दिया हुआ है? क्या आपने ऐसा नहीं सोचा था कि जे.ईएन. के कुछ पद समाप्त करके ए.ईएन. का प्रमोशन दे दिया जाए और उनको ए. ईएन. बना दिया जाए। आप एक ए.ईएन. का ट्रांसफर करते हैं, छह महीने तक वह रिलीव नहीं होता। वह इसलिये रिलीव नहीं होता कि वहां दूसरे की आप पोस्टिंग नहीं कर पाते। मैं इसलिये आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस स्तर के अधिकारी आपके वास्तव में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं उनकी आप पूरी पोस्टें भरिये। यह सही है ललितकिशोर जी की कमेटी ने आपको कुछ भी राय दी हो, आप कितनी ही मितव्ययता की बात करते हो लेकिन जनता की कास्ट पर, राज्य के विकास की अनदेखी करके ऐसा काम नहीं करियेगा।

यहां सदन में आज-कल कुछ भाई-भतीजावाद वाली बात भी हो रही है। मैं देख रहा हूं, सभापतिजी, कुछ कारणों से राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि हम बड़े बांधों में जो मेजर

(श्री रामनारायण)

प्रोजेक्ट्स हैं उनके कैचमेंट एरिया में अधूरे सिंचाई बांध पूरे करें, अधूरे एनीकट पूरे करें। यह आपके घर का मसला हो सकता है। कृपया इस बारे में नीति बनाइये। बीसलपुर का मामला सदन में आया, एक कमेटी बना दी सरकार ने। लागत है ऐसी सरकार के ऊपर जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में इतना सोचकर कोई सदन में बोल क्या गया, एक कमेटी बना दी किसी के दबाव में आ करके। कमेटी क्या बनायी ? आप करना क्या चाहते हैं उस बीसलपुर के मामले में ? आपको ध्यान है, सभापतिजी, बीसलपुर योजना का 43-44 का सर्वे था स्टेट टाइम का। आज आपने एक किताब वितरित की है, उसमें आप कह रहे हैं कि केन्द्रीय जल आयोग को 91 में भेजा है। किसकी गलती है ? क्या आप पुरानी बातों को करना चाहते हैं ? 84 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा था। यह सही है कि आपने उसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात की। हम सिंचाई की बात कर रहे हैं। एक बात यहां आयी थी कि सरकार किसान विरोधी है। उसका मुख्य कारण है ट्रेक्टर्स के ऊपर जो टैक्स था वह हमने कम नहीं किया। आपने बीसलपुर के 360 गांवों को काटा है, दूसरी योजना को आप अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। आपने पिछले टाइम में कितने बांध बनाये ? मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया सिंचाई की योजना जो बनी हुई हैं, पुरानी कांग्रेस के टाइम की हैं या जो भी हैं, उन सब योजनाओं के स्वरूप को नहीं बिगाड़े, गांवों के किसानों के हितों की अनदेखी नहीं करें।

आपने ईसरदा के बारे में भी काफी लम्बा चौड़ा कहा। आपने ईसरदा बांध का डिटेल सर्वे करवाया, वह केन्द्रीय जल आयोग को भेजा क्या ? वह आपके द्वारा बनाया जाना है। ईसरदा बांध का उपयोग किसलिये करेंगे, आज उस क्षेत्र के लोग हमसे पूछते रहते हैं, जानकारी चाहते हैं। वह लोग जानना चाहते हैं, हमारा ईसरदा बांध बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ईसरदा बांध से जयपुर को पानी दिया जायेगा ? इन्दिरा गांधी लिफ्ट योजना की आप बात करते हैं, क्या आपने उसका सर्वे करवा लिया है ? रावतभाटा में जो पन बिजली योजना आप बना रहे हैं, उसका सर्वे कब हुआ था ? आपको ध्यान है शायद 84 में उसका सर्वे हुआ था। 40 मेगावाट की योजना है। आप वहां क्यों नहीं डैम बनाने की बात कर रहे हैं। आपके सामने क्या दिक्कत आ रही है ? दिक्कत आ रही है तो आप हाथाजोड़ी कीजिये हम लोगों से, हम आपकी पूरी करवायेंगे।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, आपकी कुछ योजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं। चम्बल की योजना आप हाथ में लीजिये। एक वह आपके मुख्य मंत्रीजी हैं 'सो काल्ड' चतुर्वेदीजी नहीं हैं, चतुर्वेदीजी ने एक बात कही थी कि हमने चम्बल बेसिन की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर जो पानी है उसके उपयोग की बात की है। चम्बल बेसिन रिपोर्ट के आधार पर जो आपके पास पानी उपलब्ध है उस पानी का आपने कहां, क्या उपयोग किया है ? यह विचार आपके सामने आया था, इस बारे में सर्वे हुआ है कि जयपुर को चम्बल से पानी दिया जाए। यदि जयपुर को अपर कैनाल से पानी दिया जाता है, सभापति जी, राजस्थान

(श्री रामनारायण)

के हित में होगा, राजस्थान की राजधानी के हित में होगा। बीच के क्षेत्रों को आप पानी दे सकते हैं उस तरह जिस तरह बीकानेर को देते आये हैं। पीने का पानी है, कृपया आप इस मामले को देखें और इसमें कुछ करने की कोशिश करें जितना हमारा वेस्ट होकर जा रहा है, क्योंकि चम्बल के नीचे इटावा के पास बांध बन गया या शायद बनने वाला होगा।

एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आपने कोटा में प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्थान खोल रखा है, ऐसे संस्थान के माध्यम से आप मिस यूज कर रहे हों पैसों का। मेरा जहां तक ख्याल है, मैं भी कुछ समय से जन-प्रतिनिधि हूं, कोटा डिवीजन हमारा मुख्यालय है, वहां पर आपकी राजस्थान सरकार ने प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्थान खोल रखा है उसने क्या हमें कुछ सिखाया? कितने काश्तकारों को ट्रेनिंग दी?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कितने आफिसरों को उसके बारे में जानकारी दी और उसके आधार पर आपने क्या किया? चम्बल प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्थान से मैं इतना सा समझता हूं कि आप चम्बल में जिस तरह का काम कर रहे हैं, जो लाईनें डाल रहे हैं सीड़ा के अन्तर्गत विदेशी कर्ज लेकर के उनसे जितना फायदा हो रहा है? कनाड़ा की मिट्टी कैसी है, यहां की मिट्टी कैसी है, क्या आपने इसके बारे में जानकारी की? यह सारी बातें आपको देखनी हैं। इसलिये कृपया आप बड़े एनीकट बनाने के लिए आपके विभाग को इन्स्ट्रक्ट करें। कुछ जगहों पर बड़े एनीकट बनाने की बात करें ताकि जल सतह को बढ़ाया जा सके।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, रोहिताश्व जी नाराज नहीं हो जाएं उनके बारे में मैं इतना कहूंगा, आपका रोडवेज का प्रबन्ध तो शायद ठीक चल रहा होगा लेकिन इतना जरूर है कि....

श्री सभापति : वह बिलकुल नाराज नहीं होंगे, आप नहीं बोलेंगे तो।

श्री रामनारायण : आपने जितनी भी बसें अनुबन्धित कर रखी हैं, सारी अटाला गाड़ियां हैं, खराब हो चुकी हैं। आपका रोडवेज लाभ में चल रहा है, कृपया पुरानी गाड़ियां, जो भी आपकी अनुबन्धित हैं, उसको आप बड़े से बड़े अधिकारी, जो रोडवेज के हैं, जो भी निष्पक्ष अधिकारी लगाये हुए हैं, आपके पास कोई जगह नहीं थी इसलिये आपने वहां लगा दिया क्योंकि छोटे तबके के लोगों को आप बड़ी जगह तो बैठाना नहीं चाहते, इधर-उधर आप कर देते हो, दुःखदायी है, +++ की बात है सरकार के लिए लेकिन आप कृपया उन लोगों से कहियेगा कि उन गाड़ियों का चैकअप करवायें। चैकअप करवायें जितनी गाड़ियां आपकी अनुबन्धित हैं। खराब हालत में हैं उनको चैंज करा कर नयी गाड़ियां खरीदने के लिए आप मुख्य मन्त्री जी से कहें, वह पैसा उपलब्ध करायें। नयी गाड़ियां खरीदें।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण)

दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि चूंकि आप मन्त्री हैं, हमारा सौभाग्य है कि आप वहां बैठ कर भी मन्त्री हैं, इसलिये आपके विभाग के ऊपर जो चार्ज लग रहा है चौथ वसूली का, वह गृह मन्त्री जी तो कर नहीं पायेंगे, भैरोंसिंह जी ने कह भी दिया कि छोटे तबके का बना करके राजस्थान की जनता को बता दिया, लेकिन छोटे तबके के लिए आज दिन तक ऐसा कोई काम किया हो, मेरे को तो दिखता नहीं है, आगे कितना कर पायेंगे मुझे तो पता भी नहीं है कृपया आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी गति बढ़ाएं और यदि आप जरूरत समझें, इस सदन से भी कोई राय लेना चाहो तो ले सकते हैं और उसमें कुछ करने की कोशिश करें ताकि उधर उस बैंचेज में बैठने वाले सोचें कि कांग्रेस के माइंड के, आइडियोलाजी के आदमी हमेशा ज्यादा ईमानदार हैं और अच्छे वर्कर हैं।

इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री महावीर भगोरा : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी है।

श्री सभापति : आप अनुपस्थित थे, आप बिराजें। अब आखिर में आयेगा। सब बराबर हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्दर कुछ गांव ऐसे हैं जो इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की प्रथम स्टेज की योजना में शामिल हैं परन्तु इन गांवों में पानी पीने के लिए नहीं है। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, उन गांवों में नियम, कानून, कायदे और सीलिंग सीमा वहीं लागू है जो कमाण्ड क्षेत्र में है। तो एक तरफ तो उन लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला और दूसरी तरफ उस क्षेत्र के अन्दर सीलिंग सीमा, अलाटमेंट वगैरह की प्रक्रिया सारी वह की वह है जो सिंचित एरिया में है वही उस इलाके में भी है, तो मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन है, कुछेक गांवों का मैं नाम बता देना चाहता हूं, जैसे सोमासर, ऐटा, जाटसर, रतासर, राइयावाली, कालूसर, भूसाइसर, पारिदसर, ठकराणा और पीपरेण, यहां पर, सभापति महोदय, स्कीम भी बनी हुई है, बहुत पहले से स्कीम बनी हुई है और वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल के अन्दर एक योजना ऐटा स्कीम के नाम से बनायी थी, वह इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड ने किसी कारणवश, ज्यादा महंगी बताकर खारिज कर दी। पहले सर्वे हुआ था उसके मुताबिक नया सर्वे किये बगैर ही उस स्कीम को महंगा होना बताया।

सभापति महोदय, इसके अलावा माखरा नहर की चार-पांच माइनर की टेल पड़ती है, जैसे एस. सी. आर. माइनर एल. जी. डब्ल्यू माइनर, डी. बी. एन. माइनर, एल. के. एस., एम. ओ. डी. यह पांच माइनर की यहां टेल है, जहां, सभापति महोदय, पानी पीने के लिए नहीं पहुंचता है। सूरतगढ़ बांध से एक माइनर निकाल

(श्री रामप्रताप कासनियां)

कर इस टेल से हजारों एकड़ जमीन को पानी देना प्रस्तावित था; यह स्कीम पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनायी थी, 60 लाख की स्कीम है, यह स्कीम भी इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड में जाकर के खारिज हो गयी। यह स्कीम कोई ज्यादा महंगी नहीं थी और हजारों एकड़ जमीन है। सभापति महोदय, सरकार का काम सिर्फ यह है कि एक तो सिंचाई एरिया बढ़ना चाहिये, दूसरी अनाज की पैदावार बढ़नी चाहिये। तो, सभापति महोदय, मेरा यह सिंचाई मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है, एक तो प्रथम चरण का जो रकबा है,

(19.00)

जो सिंचाई योग्य है उसमें कम खर्चे से नहर निकाली जा सकती है, पानी कम खर्च होगा।

दूसरा, द्वितीय और तृतीय चरण में जितना अनाज दो मुरब्बा में पैदा होगा उतना अनाज प्रथम स्टेज की जमीन के एक बीघा में ही इतना अनाज पैदा हो जायेगा द्वितीय और तृतीय चरण की जो भूमि है वह पशुधन के चारे के लिए है। मेरा कोई यह विवाद नहीं है कि वहां नहर नहीं निकाली जाए। पर जब तक आपके पास अच्छी किस्म की जमीन पड़ी है, अच्छी पैदावार देने वाली जमीन पड़ी है तो प्रथम प्रायोरिटी उसको दी जानी चाहिये। जिससे देश को अनाज ज्यादा मिलेगा, सिंचाई विभाग के सिंचाई के टार्गेट ज्यादा बढ़ेंगे और स्कीम सस्ती भी होगी द्वितीय और तृतीय चरण से।

इसके अलावा सभापति महोदय, इन दिनों चाहे गंगानगर जिला हो, चाहे बीकानेर जिला हो, पचास प्रतिशत फसल तो नष्ट हो चुकी है पानी के अभाव में। गंगानगर और बीकानेर जिले में थोड़ी बहुत फसल बची है तो वह गेहूं की फसल है। अगर गेहूं की फसल को अब 15 दिन तक लगातार पानी नहीं दिया तो किसान बरबाद हो जाएगा। कम से कम सरकार इतनी बात का ध्यान जरूर रखे कि किसान को बचाना है तो चाहे भाखड़ा है, चाहे गंग कैनाल है, चाहे राजस्थान कैनाल है, हो सके तो जैसे अप्रेल में उनको लास्ट में कोई सिंचाई के लिये पानी देना है तो अप्रेल लास्ट में न देकर अभी इन्हीं दिनों में लगातार दो बारियां दे दी जाएं तो गेहूं की फसल को बचाया जा सकता है। नहीं तो, किसान का पूरा खर्चा लग गया, खाद, बीज, पेस्टीसाइड लगान वगैरह जो लगने हैं वह सारे के सारे लग चुके हैं, किसान बरबाद हो जाएगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे यहां पानी की चोरी करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। साइफन के जरिए पानी की चोरी होती है। और करते कौन हैं? बड़े-बड़े किसान, उनकी तरफ कोई अधिकारी अंगुली नहीं उठाता है। असल में तो कनिष्ठ अभियन्ता ए. ईएन. वगैरह से मिलकर ही वह साइफन लगाते हैं। इसमें मेरा यह निवेदन है कि कोई जरूरी नहीं कि सारा काम एक साल में ही पूरा हो, जहां यह आउट लेट लगे हैं वहां पर चारदीवारी बना दी जाए तो कम से कम पचास प्रतिशत पानी की चोरी इससे कम हो जायेगी। दूसरा, टेल के ऊपर चाहे भाखड़ा है, चाहे राजस्थान कैनाल है, पानी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

नहीं पहुंचता है। सभापति महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये भी कुछ न कुछ होना चाहिये।

सिंचाई मंत्रीजी को एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि रंग महल गांव के पास एक स्केप बन रहा है, ढाई-तीन करोड़ रुपये उसकी लागत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले कार्यकाल में उस स्केप को बनाने के लिये ढाई-तीन करोड़ रुपये मंजूर किये थे और वह टेण्डर ब्रिज कार्पोरेशन को दिया गया था। इसमें समय लगभग 15 महीने का था। सभापति महोदय, तीन वर्ष होने को हो गये अभी तक वह स्केप अधूरा पड़ा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान तो काम ही बन्द कर दिया, अभी थोड़ा बहुत चल रहा है पर वह कोई गति नहीं है। बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। जब बजट है, सब कुछ है, सारा कुछ होते हुये भी इस स्केप का काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है। सिंचाई विभाग नये-नये प्रपोजल बना रहा है कि डिस्प्रेशन नम्बर 12 से मानकसर माइनर को जोड़ा जाएगा। एक तरफ तो सरकार सेम से बचने के लिये उपाय कर रही है और दूसरी तरफ डिप्रेशनों में पानी भर-कर मानकसर माइनर को भी चलाना चाहती है। एक साथ दो बातें नहीं चलेंगी। स्केप जो बनाया जा रहा है उसका परपज यह है कि कई बार जब घग्घर नदी में पानी नहीं आता है तो अनूपगढ़ तक चावल की फसल काश्त की जाती है, उस स्केप के जरिए। एक तो यह डिप्रेशनों का पानी खाली होगा और दूसरे चावल की फसल के लिए किसानों को पानी मिलेगा नाली बैड में। इन डिप्रेशनों में पानी स्टोर रखने से सैकड़ों गांव सेम की चपेट से तबाह हो गये।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बजट के अन्दर पांच करोड़ रुपये सेम की समस्या के समाधान हेतु रखे हैं। मैं सिंचाई मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि पांच करोड़ रुपये जो हैं, भैरुसरी गांव से लेकर मानकथड़ी गांव तक सेम नाला बनाकर पानी लिफ्ट करके नहर और डिप्रे-शनों में डालने का प्रावधान था परन्तु, सभापति महोदय, मुझे यह खतरा है कि उस पैसे को जगह-जगह बांटकर कुछ मस्ता-वाली हैड पर खर्च कर देंगे, कुछ लूणकरण-सर पर कर देंगे, कुछ हमारे इलाके में कर देंगे। मेरा यह निवेदन है कि वह पांच करोड़ रुपया जिन गांवों में सबसे भयंकर सेम की समस्या है, गांव मानकथली से लेकर भैरुसरी तक सेम नाला बनाया जाए और पानी लिफ्ट करके डिप्रेशनों में या नहर में डाला जाए। इसके सिवाय सेम की समस्या का कोई दूसरा समाधान हो ही नहीं सकता।

सभापति महोदय, मैं एक बात और सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई विभाग के अन्दर जितने भी आउट-लेट लगे हुए हैं। इनके अन्दर किसान की भारी लूट होती है जिस तरह से गांवों में चक में मोगा बड़ा करने के नाम से चन्दा इकट्ठा करते हैं। व्यवस्था कोई अबकी नहीं है, बहुत पुरानी देन है। यह इन दिनों में कुछ कम तो हुई है परन्तु किसान से पैसा बटोरकर मोगे का साइज बड़ा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

किया जाता है। इसके अलावा, मेंटीनेंस के नाम से जितना भी पैसा सरकार देती है उसमें से पचास प्रतिशत पैसा भी खर्च हुआ हो तो मौके पर जाकर, सिंचाई मंत्री महोदय, आप जांच करवालें। चाहे राजस्थान कैनाल हो, चाहे सूरतगढ़ ब्रांच हो, चाहे अनूपगढ़ शाखा हो, चाहे कोई सी भी नहर हो, मेंटीनेंस का पचास प्रतिशत पैसा ठेकेदार और इन्जीनियरों की जेब में जाता है।

इसके अलावा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में माननीय कृषि मन्त्री और सी. ए. डी. मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, सी. ए डी में अबकी बार प्रथम स्टेज के अन्दर बजट खर्च करने का जो प्रावधान रखा है उसके लिए। जो पुराने समय में नहर बनी थी वह कागजों में ही पक्की है। जगह-जगह टूटी पड़ी है। खाले भी टूटे पड़े हैं और कुछ खाले तो बनने से वंचित रहे हैं....

श्री सभापति : समाप्त कीजिये। समय बहुत हो गया, औरों को भी बोलना है। अन्य सदस्यों का ध्यान रखिये। सभी के पास महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बहुत समय हो गया।

श्री रामप्रताप कासनियां : दो ही मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मुख्य अभियन्ता, उत्तरी खण्ड, हनुमानगढ़ की तरफ से इन दिनों में किसानों को नोटिस दिये जा रहे हैं। जिस किसान के लिफ्ट से पानी लगता है उसकी बारी काटने के नोटिस दिये जा रहे हैं। यह बात मैं मानता हूं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर जिस काश्तकार के 1975 में लिफ्ट से पानी लग गया उसको पानी देने का नियम है और भाखड़ा क्षेत्र में 1976 तक जिस काश्तकार के पानी लग गया उस काश्तकार को पानी देने का नियम है। परन्तु इस नोटिस की आड़ में ए.ईएन. और जे.ईएन. वगैरह किसानों को परेशान कर रहे हैं। उनसे पैसा बटोर रहे हैं कि अगर आपने हमें कुछ नहीं दिया तो हम आपकी जमीन नीची दिखा देंगे, ऊंची दिखा देंगे। सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक और आदेश निकाला था कि जो फ्लो कमाण्ड से जमीन सिंचित होने वाली है उस काश्तकार को पानी दिया जाए। तो उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि किसानों ने दरख्वास्त एक्स. ईएन. आफिस में दी और अब मुख्य अभियन्ता, हनुमानगढ़ ने एक आदेश दिया कि सारा का सारा सर्वे करके एक साथ फाइल मेरे पास ले आओ और फिर इन लोगों को अप्रेल माह में पानी दे दिया जायेगा। यह तो सही है, मैं सहमत हूं, इससे कुछ तो लूट कम होगी। परन्तु लेवल करने के अन्दर जो काश्तकार सहायक अभियन्ता वगैरह को पैसे नहीं देते उनकी जमीन तो यह लेवल में दस फीट ऊंची, दस फीट नीची दिखा देते हैं कि यह पानी लगने के लायक ही नहीं है। जो काश्तकार पैसे दे देते हैं उनकी जमीन चाहे फ्लो कमाण्ड में नहीं हो फिर भी वह लेवल के हिसाब से फ्लो कमाण्ड दिखा देंगे। अब यह काफी लम्बा चौड़ा एरिया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह

(श्री सभापति)

तो दो दिन में भी समाप्त नहीं हो सकेगा।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। मैं यातायात के सम्बन्ध में मैं माननीय यातायात मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि गंगानगर जिला हो, चाहे भरतपुर जिला हो, पोलोविक्ट्री के इर्द-गिर्द मैंने खुद मेरी आंखों से पढ़ा है बोर्ड लगे हुए हैं। जयपुर से गंगानगर, जयपुर से भरतपुर, जयपुर से अलवर, बड़े-बड़े लम्बे रूटों पर प्राइवेट बसें चलती हैं। उन पर कई बार टैक्स भी लगाये जाते हैं, छापे पड़ते हैं। यह, यातायात मंत्री महोदय, आप दिखवा लीजियेगा कि एक हफ्ते में या एक महीने में किसी एक बस के ऊपर टैक्स, पैनल्टी, जुर्माना लगाया हो तो दो बार लगा देंगे। अगर इन बसों को रोकना है तो आप जयपुर से ही मत चलने दो। उनके स्थान परमानेन्ट है। पोलोविक्ट्री से चलती हैं, जो बस गंगानगर से चलती हैं। उसका स्थायी स्थान है। तो मेरा कहना है कि जितने अवैध वाहन चलते हैं उनका स्थायी स्थान है, क्यों नहीं उनको चलते वक्त ही रोक दिया जाए। इससे परिवहन विभाग में आय बढ़ेगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, सिचाई, इन्दिरा गांधी नहर पर अपने विचार रखूंगा। इन्दिरा गांधी नहर एक बहुत बड़ी योजना है और इस नहर के कारण रेगिस्तान का कायापलट हुआ है। रेगिस्तान के रहने वाले निवासियों की पेयजल की समस्या का, अकाल की समस्या का समाधान करने में इस नहर की वजह से सहयोग मिला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। इस नहर की सिल्ट क्लीरेंस के बारे में। मैन कैनाल की सिल्ट का क्लीयरेंस अभी प्रापर नहीं हो रहा है। इसके लिये विभाग के पास मशीनें हैं। विभाग को इन मशीनों का उपयोग करके मैन कैनाल की सिल्ट और बीड़ का क्लीयरेंस करना चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। उन डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्लीयरेंस करना चाहिए। इसके बारे में विभाग को सतर्क रहना चाहिये। कृषक समाज इस बात के लिए इच्छुक है, वह स्वयं नहर से सिल्ट क्लीयरेंस में सहयोग देना चाहते हैं। इसलिये जो किसान इच्छुक हैं उनको पहले काम मिलना चाहिए।

इसके अलावा लिफ्ट कैनाल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। 1968 में माननीय सुखाड़िया साहब ने अकाल सहायता के रूप में इस नहर का काम शुरू किया था। उस समय बड़ा भयंकर अकाल था राजस्थान में और बीकानेर जिले में। मेरे कहने से सुखाड़िया साहब ने इस नहर को अकाल राहत कार्य के रूप में मंजूर किया और उसका काम हुआ और दूसरे साल में भी अकाल पड़ गया था, तो दो वर्षों में इस नहर का अर्थ वर्क का काम 151 किलोमीटर में जगह-जगह कैम्प खुला कर किया गया था। मैं समझता हूं इस नहर के लिए अब बहुत सा काम ऐसा है जो लेफ्ट ओवर काम है। एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो बना कर

(श्री भीमसेन चौधरी)

दिया है नवीनीकरण का इसके अलावा कुछ एरियाज का कार्य इस लिफ्ट कैनाल में रह गया जो बहाव से सिंचाई की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि मेघना डिस्ट्रीब्यूटरीज, का काम, खारी माइनर का काम, बावनवाली माइनर का काम जो लेफ्ट ओवर काम में शामिल नहीं है, जो सिंचाई के लिये लिए जा सकते हैं उन कामों को इस साल अकाल का टाइम है, अकाल राहत कार्य के रूप में शुरू किया जाना चाहिए जिससे अकाल का भी हल हो और वह काम भी हो सकता है।

सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल 644 किलोमीटर लम्बाई में है इसमें ट्रांजिट लॉसेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इवेपोरेशन से। सेम की समस्या सीपेज से हो रही है। इसके बारे में ट्रांजिट लासेज जो इतने ज्यादा हैं; ऐसा कहा जाता है 45 प्रतिशत पानी का इवेपोरेशन से, सीपेज से और अन्य कारणों से लॉस होता है। इन लॉसेज को कम करके अधिक क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी लिया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जैसा पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अनकमाण्ड भूमि को कमाण्ड करने करने के बारे में जो अभी विभाग ने आदेश दिये हैं, हमारे लिफ्ट कैनाल से जो प्रस्ताव एक्स. ईएन. ने बना कर एस. ई. को भेजे थे अनमाण्ड से कमाण्ड भूमि में करने के, उनको उन्होंने वापस भेज दिया है। इससे किसानों में बड़ा असन्तोष है। इसके बारे में विचार करके जो प्रस्ताव एक्स. ईएन. ने भेजे हैं उनको तुरन्त मंजूर करने की आवश्यकता है ताकि किसान को जो असन्तोष है वह दूर किया जा सके।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, गजनेर लिफ्ट का काम है। तत्काल ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर इस नहर का काम सम्पूर्ण किया जाए ताकि इस अकाल से पीड़ित इलाके में उनको राहत मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शम्भूदयाल बड़गूजर।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई विभाग पर और परिवहन विभाग पर चर्चा हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। राज्य सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा है बहुत सी अधूरी योजनाओं को पूर्ण करने का, कई मध्यम वर्गीय योजनाओं को हाथ में लिया है उसी के साथ कच्ची नहरों को पक्का करने का भी प्रावधान है। निश्चित रूप से राजस्थान की बहबूदी के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन माननीय सदस्यों के जो विचार अधिकांश आये सदन में, वह यह हैं कि ज्यादा बड़े बंधों के निर्माण कार्य सभी क्षेत्रों में नहीं लिये जा सकते इसलिए जो एनीकट पर लगी रोक है उसको तुरन्त हटाया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छोटे-छोटे एनीकट बनने से कई ग्राम पंचा-

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

यतों को काफी लाभ होता है जहां कुएं सूख गये हैं, हैण्डपम्प सूख गये हैं। जलस्तर कम होने से यह बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन एनीकटों पर चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये और कहीं-कहीं, आठ-आठ, दस-दस लाख रुपया लग गया है, अपूर्ण हैं और जहां कहीं नये एनीकट बनाने से कुओं का जलस्तर बढ़ सकता है, किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सकता है, पीने का पानी सुलभ हो सकता है ऐसी स्थिति में इस एनीकट पर लगायी रोक को, मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी, तुरन्त हटाया जाना चाहिये।

इसके साथ आपके माध्यम से, सभापति महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अम्बापुरा बांध, जो दो वर्ष पूर्व टूट गया था, की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है, पुराने सिंचाई मंत्रीजी भी मेघवाल साहब थे और आज सरकार में सिंचाई मंत्री के रूप में भी मेघवाल साहब बिराजमान हैं। जब मेघवाल साहब सिंचाई मंत्री बने थे तो आपके मुख से यह निकलता था कि मेघवाल आया मेघा लाया। मेघा जरूर लाये मेघवाल साहब लेकिन उस मेघा से मेरे विधान सभा क्षेत्र का अम्बापुरा बांध जो उसी समय नवनिर्मित हुआ था, बांध पूरा होते ही पहली बरसात में इस तरह से छलनी हुआ, माननीय मेघवाल साहब ने देखा कि 16 जगह से वह बांध टूटा। मैं मेघवाल साहब का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की सुध ली, स्वयं दो बार मौके पर गये। मुख्य मंत्री महोदय भी गये उस समय उससे पूर्व जो सरकारों का प्रावधान था बाढ़ राहत देने का उसको दुगुना आपने दिया और वहां किसानों के बीच में आपने एक ऐसा विश्वास जगाया कि इस बांध को बनाने में जिन अभियंताओं ने लापरवाही बरती है उनको मैं तुरन्त निलम्बित करूंगा। मौके पर जो अभियंता कार्यरत थे उनको तो आपने वादे के मुताबिक निलम्बित किया। उसमें एक ए. ईएन., एक्स. ईएन. और एस. ई. को आपने निलम्बित किया। मुझे नहीं मालूम उनका क्या दोष था। लेकिन आपने विश्वास दिया था सदन में कि इस बांध के निर्माण में जो भी अभियंता कार्यरत थे मैं उनकी जांच कराऊंगा और दोषी पाये गये तो तत्काल निलम्बित करूंगा। जांच आपने आरम्भ करवायी। मुझे आज दो साल में पता नहीं लग पाया कि उस जांच में किन-किन अभियंताओं को दोषी पाया गया। राज्य सरकार का 70 लाख रुपये का बजट जो उस बांध को दिया गया था उस सरकारी कोष का किस तरीके से दुरुपयोग किया है।....

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बड़े-बूढ़ों ने जो पुराने जमाने में नाड़ी, बांध और छोटे-छोटे तालाब बंधवाये थे वह तो उस बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए लेकिन जो नया बांध बन कर तैयार हुआ है 70 लाख के बजट से, वह पहली ही बरसात में किस तरह से 16 जगह से छलनी हो गया यह गौरतलब बात है। सभापति महोदय, दो साल बीत गये और उस बांध की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है कि कौन-कौन से अभियन्ता इस जांच में दोषी पाये गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज मेघवाल साहब

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

सिंचाई मंत्री के रूप में सदन में इस बात को नोट करें कि इस जांच में इतना विलम्ब किस तरीके से हुआ और क्या वह दोषी अभियन्ताओं को आज ही सदन में घोषणा करेंगे कि निलम्बित किया जाता है। ताकि पूरे प्रदेश में कार्यरत सिंचाई अभियन्ताओं को एक सबक मिले कि किस प्रकार किसानों के, गरीबों के, राज्य सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय, उस समय किसानों के बीच में आपने आश्वासन दिया था, आज आपके उस विश्वास को लेकर किसान बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आयी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा सहायता विभाग के पास भी काफी राशि है, मेहरबानी करके आप अपने दिये गये वादों को पूरा करने की आज अपनी कलम से विधान सभा में घोषणा करें कि अम्बापुरा बांध का पुनर्निर्माण किया जायेगा।

इसी के साथ, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में गोरदा बांध है, पिछले शासन काल में आपने उसकी रेजिंग के लिये 15 लाख रुपये मंजूर किये थे, मार्च तक उसका उपयोग करना था लेकिन अधिकारियों ने उस पैसे का मार्च तक उपयोग नहीं किया और वह पैसा लेप्स हो गया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गोरदा बांध की रेजिंग का कार्य जो उस समय नहीं हो सका उसको पुनः स्वीकृति कर करायें। इस तरह से, सभापति महोदय, मेरे यहां लसांड़िया बांध है, अभी जर्मन से टीम आयी थी, सर्वे भी किया है, उसकी रेजिंग का कार्य प्रस्तावित है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध की रेजिंग का कार्य भी आप आज ही प्रस्तावों में लें। सिंचाई विभाग के दो वर्ष पूर्व की बाढ़ से केकड़ी और भिनाय क्षेत्र के काफी बांध और तालाब टूटे हैं। अतिवृष्टि से अजमेर जिले में सबसे ज्यादा नुकसान यदि तालाब और बांध का कहीं हुआ है तो केकड़ी और भिनाय में हुआ है लेकिन उनकी मरम्मत के लिये अभी कोई कार्यवाही चालू नहीं की गयी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक अप्रेल से टूटे हुए बांध और तालाबों की मरम्मत के कार्य चालू करने की घोषणा करें ताकि अगली बरसात से पहले वह पूर्ण हो सकें। इसके साथ ही मैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

निवेदन करूंगा कि जो ऐसे छोटे-छोटे बंधे और तालाब हैं, छोटी-छोटी राशि से उन्हें हाथ में लिया जाए। इससे कई पंचायत मुख्यालयों के किसानों को लाभ हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय परिवहन मंत्री महोदय से एक निवेदन करूंगा कि पिछले शासन काल में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने केकड़ी में सब-डिपो खोलने के लिये परिवहन विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा था और जिला प्रशासन ने सब-डिपो के लिये भूमि आवंटित कर दी थी, भूमि आरक्षित है समय रहते हुए आप राशि जमा करके अपने विभाग में उस भूमि को ले लें, बेहतर यह होगा। अजमेर डिपो का भी भार कम होगा। यहां जयपुर से जवाहर नगर डिपो की काफी बसें जाती हैं, सैकड़ों बसों का वहां विश्राम स्थल है। केकड़ी से शाहपुरा, भीलवाड़ा

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

श्रौर सांवलियाजी तक इधर अजमेर से कोटा तक श्रौर आगे तक बसों का यह एक सेण्टर प्लेस है। अजमेर श्रौर जयपुर के डिपो का भार कम होगा सब-डिपो खुलने से। शहर में जो बस स्टेण्ड है, बहुत ही कम जगह है, लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ती है, सब-डिपो के साथ ही वहां बस स्टेण्ड का प्रावधान करें तो आपकी बहुत-बहुत कृपा होगी।

सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भीमराज भाटी।

श्री जगतारसिंह : सभापति महोदय, कोई हम को बता दो।

श्री सभापति : आपका नाम अवश्य है परन्तु लिस्ट में जो पहले लिखा हुआ है उसके बाद में ऐड किया हुआ है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : थोड़ा-सा आगे पीछे कर दीजिये, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मुझे कोई एतराज नहीं, आगे-पीछे करने में क्या फर्क पड़ेगा परन्तु किसी का नाम पीछे किया जायेगा तब आगे होगा।

श्री जगतारसिंह : माननीय सभापति महोदय, आप कृपा कर दो हमारे पर।

श्री सभापति : नहीं, मुझे कृपा करने में क्या एतराज है, मेरे लिये तो सब बराबर हैं, किसी का नाम जहां लिखा हुआ है वह काटना पड़ेगा श्रौर आपका एड करना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : जगतारसिंह जी का पहले नाम दिया था क्योंकि इन्दिरा गांधी नहर के बारे में आप बोलना चाहते हैं श्रौर वहां के रहने वाले हैं।

श्री सभापति : आपने नाम दिया था परन्तु जो सचेतक महोदय ने नाम दिये हैं उसके बाद नाम दिया था। इन नामों के समाप्त होने के बाद आपका नाम आयेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : सचेतक महोदय के भी दस्तखत हैं इस पर्ची के ऊपर जो आपका नाम दिलवाया था।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप नाम बोल दो, कौन-कौन से नाम रहे हैं।

श्री सभापति : ऐसा कायदा नहीं है, बिराजिये। माननीय श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, जब से इस प्राकृतिक आपदाओं के विषय पर चर्चा होनी शुरू हुई है, इस पक्ष से एनीकट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है श्रौर उस पक्ष से भी एनीकट के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन अकाल राहत मंत्री एक 24-2-94 का सक्यूंलर दिखा कर हम सबको पता नहीं किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जब सदन के दोनों पक्षों की एक ही राय है कि एनीकट बनने चाहिए तो फिर इसके बारे में क्यों एम्बिग्यूटी रखी जा रही है श्रौर क्यों नहीं सरकार एक निर्णय लेकर इरिगेशन

(श्री भीमराज भाटी)

महकमे के तहत एनीकट बनाने का निर्माण करे। ईरिगेशन महकमे के थ्रू एनीकट बनाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईरिगेशन डिपार्टमेंट का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वह कम से कम सोइल कंजर्वेशन के क्वालिटी आफ वर्क से बेहतर है। इसलिए एनीकट बनाने के बारे में सरकार को तुरन्त गम्भीरता से विचार करके एकदम क्लियर-कट इंस्ट्रेक्शंस डिस्टिक लेबल पर दे देने चाहिए जिससे कम से कम किसानों को जो फायदा मिलने की बात है वह मिल सके।

दूसरी बात मैं यातायात विभाग के भ्रष्टाचार को लिगलाइज करने के बारे में करना चाहूंगा। यातायात विभाग में जो भी भ्रष्टाचार है या जिस तरह की भी बातें की जाती हैं, मेरे ख्याल से जब भी कोई बस खरीदता है तो या कोई अपनी दुकान लगाता है या फैक्ट्री लगाता है एक सरटेन ब्रेक इवन पाइण्ट होता है, उस ब्रेक इवन पाइण्ट में कोई होटल भी लगाता है तो उसकी आक्यूपेन्सी रेट के ऊपर उसकी प्रोफिटिबिलिटी का निर्णय आता है। तो मेरा ऐसा विचार है कि रोडवेज की बसों में 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर टिकट इश्यू हो जाए, 50 से अबव जितने भी टिकट रोडवेज में इश्यू हों उस पर्टिकूलर बस में, उसकी जो रेवेन्यू मिलती है रोडवेज महकमे को, उस रेवेन्यू में से पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत बस के ड्राइवर या कंडक्टर को उसी दिन कैश का हिसाब कर के दे देना चाहिए। उससे आपको यह फायदा होगा कि 50 प्रतिशत तक तो आपकी रोडवेज की बस में टिकट कटेंगे ही कटेंगे और उससे ज्यादा काटने में ड्राइवर को और कंडक्टर को दोनों को खुशी होगी कि आज हम को पचास रुपये मिलने वाले हैं, सौ रुपये मिलने वाले हैं। 50 प्रतिशत तो आपकी बस नो लॉस नो प्राफिट में या मामूली प्राफिट में आ जायेगी और 50 प्रतिशत से ऊपर बस के टिकट काटने की उन दोनों की मंशा रहेगी। उसका पांच या दस प्रतिशत इंसेन्टिक के रूप में उन लोगों को हाथोंहाथ उसी दिन अकाउण्ट करके दे दिया जाना चाहिए। तो यह आपकी टिकट लैस ट्रेवल की और चैंकिग की, फ्लाइंग स्क्वायड की जो बात है वह खतम हो जायेगी।

दूसरा मेरा एक और निवेदन है। यातायात मंत्रीजी, आर.टी.ओ. ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है वह किसी भी आदमी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय मंत्री महोदय स्वयं भी जानते हैं क्योंकि यह भी छोटे स्तर से बढ़ कर आज मंत्री बने हैं। तो इनको भी पता है कि आर टी.ओ. ऑफिस में कितना भ्रष्टाचार है। आर.टी.ओ. ऑफिस में भ्रष्टाचार मिटाने का एक ही तरीका है कि आपकी लाइसेंस रिन्यूअल की, परमिट रिन्यूअल की, एप्लीकेशन की, पर शीट पैसेन्जर टैक्स की जो भी रेट है उसको मेहरबानी करके आप बढ़ा दीजिये। लेकिन आप इन कागजों के डिस्पोजल की एक टाइम बाउण्ड डेट डिसाइड कर दीजिये कि अगर आज एप्लीकेशन पुटअप हुई तो इसका 48 घण्टे में डिसीजन हो जायेगा। परमिट की एप्लीकेशन पुटअप हुई और परमिट का चालान पेश कर दिया गया उस चालान की फीस बढ़ा दीजिये और उसमें पर्टिकूलर आवर्स मेन्शन कर दीजिये कि इतने घण्टे में आपको परमिट मिल जायेगा, इतने घण्टे में आपको रिन्यूअल मिल

(श्री भीमराज भाटी)

जायेगा। 48 घण्टे, 72 घण्टे, 96 घण्टे, चार दिन, पांच दिन, छह दिन और सात दिन **Whatever it is.** टाइम बाउण्ड उसमें कर दीजिये ताकि किसी भी आदमी को यह पता रहे कि मैंने आज एप्लीकेशन लगायी है और मेरा चार दिन में या तो रिजेक्ट हो जायेगा या एक्सेप्ट होकर वापस आ जायेगा। जब रोडवेज की बसें इतना प्राफिट नहीं देतीं है और प्राइवेट बस ऑपरेटर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो क्यों नहीं उस फीस को बढ़ा कर सरकार की रेवेन्यू बढ़ायी जाए। जब हम लोग सेण्ट्रल गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने में नहीं हिचकिचाते हैं तो कम से कम सेण्ट्रल गवर्नमेंट की सरटेन टाइम बाउण्ड जो पालिसी है उसको तो अपने को एप्रीशियेट करना चाहिए और जो अच्छी बात है उसको फालो करने में हमें तकलीफ की क्या बात है।

दूसरा, मैं माननीय यातायात मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे इलाके में एक बहुत बड़ा सेण्टर था, 20–25 हजार की पापूलेशन की जगह थी वहां रोडवेज की बसें नहीं रुकती थीं, इन्होंने वहां रुकवाने का आदेश कर दिया। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पाली जिला मुख्यालय है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सौभाग्यशाली है कि उस पाली जिले का माननीय मुख्य मंत्रीजी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जब पाली से जो छोटे जिले हैं, उनके मुख्यालय पर डिपो है, सिरोही में डिपो है, जालौर में डिपो है और पाली में डिपो के लिये गवर्नमेंट ने जमीन आलरेडी ले रखी है, उस जमीन में चारदीवारी आलरेडी बना रखी है, फिर वहां क्यों नहीं उस बस डिपो की शुरूआत करने की या बस डिपो बनवाने की मंजूरी देने का सरकार निर्णय ले लेती?

अब मैं सिंचाई विभाग की बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 24 गांव ऐसे हैं जिनमें जल प्रदूषण की वजह से कुएं, जमीनें सारी खराब हो चुकी हैं। जल प्रदूषण से ही सारी जमीनें खराब हुई हैं। वहां पर कुएं भी खराब हो गये हैं और कुओं में भी नीला-पीला पानी आता है। जब जोधपुर को पानी दिया जा रहा है इन्दिरा गांधी कैनाल से और आने वाले 6 महीने में या अगर ज्यादा टाइम लगा तो साल भर में जोधपुर को पीने का पानी मुहैया करा दिया जायेगा तो जवाई बांध से जो पानी दिया जा रहा है मौजूदा स्थिति में, पिछले कई सालों से जल प्रदूषण से जमीनें खराब हुई हैं, उस जवाई बांध का पानी उस जल प्रदूषण से खराब हुए इलाके, जो रेगिस्तानी इलाका है को, रोही पंचायत समिति के गांवों को दिलवाया जाए।

हमारे यहां, जैसा मैं एनीकट की बात कर रहा था, ट्रेडिशनल सोर्सेज भी हैं। पानी स्टोरेज के जो पुराने तालाब वगैरह हैं उन तालाबों में एक बहुत बड़ा तालाब है मांडावास गांव का। उस मांडावास तालाब की एक पाल बनी हुई थी। वह पाल दो-तीन साल पहले जो बाढ़ आयी थी उसमें टूट गयी थी। उस पाल को अगर सिंचाई विभाग वाले ठीक करा दें, वह सिंचाई महकमे का ही तालाब है, तो कम से कम 4 हजार, 5 हजार बीघा कृषि भूमि सिंचित हो सकती है और उस सिंचाई से सरकार को भी फायदा होगा और किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा।

(श्री भीमराज भाटी)

दूसरा, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान सरकार ने 75 लाख रुपये लगाकर एक नरेड़ा बांध बना रखा है। 75 लाख रुपया लगने के बाद पिछले 3, 4 5 सालों में, 8 सालों में उस बांध के ऊपर एक नया पैसा भी नहीं लगा है। मामूली पैसे उस बांध के लिये चाहिए। 75 लाख रुपये सरकार के 8 साल पहले से लगे हुए हैं और एक छोटे से टुकड़े को जोड़ना है। उस टुकड़े को जोड़ दिया जाए तो पाली जिले की, आगे जालौर जिले की, बाड़मेर जिले तक की कई हजारों बीघा जमीन उससे सिंचित हो सकती है। इसी तरह से हमारे उस रेगिस्तानी इलाके में सरकार ने 20-22 लाख रुपये खर्च कर रखे हैं। एक वायस का बांध है उस वायस के बांध पर भी थोड़ा-सा पैसा खर्च करने की जरूरत है। उस थोड़े से

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

पैसे को खर्च करने से वायस का बांध कामयाब हो सकता है। उससे किसानों की जमीन जो उस प्रदूषण वाले इलाके में आती है उस जमीन की सिंचाई का भी फायदा होगा।

एक बात और है। आपने घण्टी बजा दी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां से जंवाई बांध से जोधपुर तक की जवाई नहर बनी हुई है, हेमावास की नहर बनी हुई है, सरदार समन्द की नहरें बनी हुई हैं, खारड़ा बांध में खारड़ा की नहरें बनी हुई हैं लेकिन इन नहरों के रखरखाव के ऊपर, मेन्टीनेंस के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। जब सरकार की मंशा है कि टेल पर पानी पहुंचाया जाए तो ये जितनी भी नहरें बनी हुई हैं उनके रखरखाव की तरफ भी सरकार को उतनी ही तन्मयता से ध्यान देना चाहिए। उन नहरों की अगर रिपेयर हो तो आपका पानी बचेगा, आपका जो वाटर लॉसेज अननेसेसरी होता है, जो साइड के हमारे किसानों की जमीनों को खराब करता है उन जमीनों की खराबी भी बचेगी और जो टेल पर आप पानी पहुंचाना चाहते हैं वह भी पहुंचेगा। उनकी लाइनिंग कराइये मेहरबानी करके। लाइनिंग नहीं कर सकते तो कम से कम उन नहरों में सिल्ट वगैरह और कचरा वगैरह सब भरा हुआ पड़ा है और झाड़ियां वगैरह उस पर गिरी हुई पड़ी हैं उन झाड़ियों को हटवाइये। नहरों की मेन्टीनेंस और रिपेयर पर पीरियोडिकल ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि एक साल कर दिया और फिर 5 साल काम ही नहीं लिया। इन नहरों की रिपेयर पर भी सरकार द्वारा टाइमली ध्यान दिया जाना चाहिए।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालाल (अनुपस्थित)। श्री जगतार सिंह। (व्यवधान) यहां मेरे पास तो हीरालाल लिखा हुआ है। अब मैंने दूसरा नाम बोल दिया।

श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर) : माननीय सभापतिजी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी आर्थिक समीक्षा में सिंचाई को एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा मानते हुए अपने बजट भाषण में दर्शाया कि इसकी कितनी इम्पार्टेंस है। आज सिंचाई

(श्री जगतार सिंह)

बहुत कम हो रही है। जो हमारा सिस्टम है, बहुत पुराना है। आपका यह जो सिंचाई का निष्पादन आय-व्ययक दिया गया है इसमें गंगनहर के बारे में लिखा गया है, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व की योजना और राजस्थान बनने से पहले जो हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में गंग-कैनाल, बीकानेर कैनाल के नाम से जानी जाने वाली नहर, जिसके बारे में यहां पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, आज इस अवस्था में है कि इलाके की फसलें पानी नहीं मिलने की वजह से बरबाद हो रही हैं। राजस्थान के सिस्टम जो जितने भी हमारी नहरों के हैं, भाखड़ा, राजस्थान कैनाल या जिसको इन्दिरा कैनाल कहते हैं, राजस्थान सरकार का बहुत कम पैसा इस प्रोजेक्ट में लगता है। यह इरिगेशन का ऐसा प्रोजेक्ट है जो हर बार आपको करोड़ों मन अनाज देता है, टैक्स के रूप में पैसा देता है और इससे हमें अबियाना हासिल होता है। जो हम इरिगेशन चार्ज लेते हैं वह भी एक प्रोफिट इसके खर्चे के पेरेलल में है। हमारा सिस्टम आज बिलकुल डेमेज हो चुका है।

गंग नहर पंजाब में करीब 80 मील के करीब पड़ती है और 1927 की बनी हुई हैं। उसकी स्थिति यह हो चुकी है कि पानी के लॉसेज 27 सौ क्यूसेक की कैनाल में 5 सौ से लेकर 6 सौ क्यूसेक तक हो रहे हैं और इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी पानी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आज स्थिति यहां तक पहुंच की है कि पंजाब वालों ने गंग कैनाल की 45 बुर्जी तक पानी का डाइवर्शन दिया और जो ईस्टर्न कैनाल के साथ उनकी कम्बाइंड कैनाल हमारी बन चुकी है, पानी के डाइवर्शन की वजह से गंग कैनाल 15 दिन तक पानी 6सौ या 700 क्यूसेक ही आ सकता है। तो इस तरह से जो हमारा शुरू का पोर्शन है गंगकैनाल का, वह बिलकुल ही खतम हो चुका है। इसके बारे में कई बार बातचीत हुई, आंदोलन भी चले और सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाया गया कि हम गंग कैनाल की रिपेयर करवायेंगे। उसके लिए हमने लिंक कैनाल भी बना दी, राजस्थान कैनाल से गंग कैनाल को जोड़ दिया गया। मगर उस लिंक कैनाल को चालू करने के लिए आन्दोलन हुये तो आश्वासन दिये गये और उसमें सिर्फ एक बार या दो बार पानी ट्रायल तौर पर चला। अभी तक उसका किसी तरह का कोई यूज नहीं हो रहा है। जैसाकि गंग कैनाल की स्थिति है, गंग कैनाल में पानी की इतनी कमी है कि हमारी जितनी भी रबी की फसल है वह सारी बरबादी हो चुकी है और यहां तक गंग कैनाल के पानी का हश्र है, माननीय सभापति जी, 22–22 दिन के बाद पानी आता है। गांवो में पीने के पानी के स्टोर नहीं हैं जिसकी वजह से पीने के पानी की एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। जमीन के नीचे पानी बिलकुल खारा है। तो मानवीय दृष्टि से भी गंग कैनाल की रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है। गंग कैनाल की हमारी 80 मील पंजाब में हैं। जब भी हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई, जब भी माननीय इरिगेशन मिनिस्टर से हम मिले तो उन्होंने हमें एक बात का आश्वासन दिलाया कि हम गंग कैनाल के लिए वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा लाने की स्कीम बना रहे हैं ताकि हम उस काम को हाथ

(श्री जगतार सिंह)

में ले सकें। मगर मैं समझता हूं कि वह स्कीम भी अभी तक कागजों में ही पड़ी है। उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और न ही उस पर विचार किया गया है।

इसी प्रकार गंग कैनाल की जो वितरिकायें हैं छोटी-छोटी, जो रेतीले एरिया में से जाती है अगर उन वितरिकाओं को भी पक्का किया जाए और पक्का भी दूसरे हैड में से पैसा लेकर कर सकते हैं जैसे डी. आर. डी. ए. का, जवाहर रोजगार योजना का पैसा है उससे हमारे जो पानी के लासेज हैं वे भी बचेंगे और जो हम सिंचाई का एरिया बढ़ाना चाहते हैं उससे हमारा एरिया भी बढ़ेगा। किसानों की हालत जो गंग कैनाल में है, दिन-प्रतिदिन राजस्थान कैनाल में पानी सीपेज की वजह से, जैसा हमारे भाई कासनियां जी ने कहा, उधर परेशानी पैदा कर रहा है वैसे ही गंग कैनाल सिस्टम में पानी की कमी परेशान कर रही है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहते हैं कि बजट देखने के बाद हमें तो कहीं कोई मिला नहीं कि गंग कैनाल के बारे मे आपने कितना पैसा दिया, उस पैसे को आपने किस प्रकार से खर्च करना है। यह तो हमें इस बजट में मिला नहीं। जो सिंचाई हैड में सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण के तहत रखा गया 5 करोड़ 60 लाख रुपया है, उसमें भी यही लिखा गया है कि अगले वर्ष बाढ़ नियन्त्रण कार्य हेतु 5 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है और सिंचाई में लिखा है, आगामी वर्ष में आधुनिकीकरण का कार्य चरणबद्ध रूप से हाथ में लिया गया है। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मेजा, गम्भीरी, जयसमन्द, गंग नहर लिंक चैनल की कच्ची नहरों को पक्का करने के लिये कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अगर आप एक योजना को छोड़कर दूसरी लें तो उचित नहीं है और वह भी उस योजना को छोड़कर जिसमें बहुत कम पैसे से इरिगेशन का एरिया बढ़ाया जा सकता है, आमदनी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। जबकि दूसरी जगह के प्रोजेक्ट्स पर हैक्टेयर दस-पन्द्रह-बीस हजार रुपया खर्चा आता है और यहां मैं समझता हूं कि 300 या 400 रुपये पर हैक्टेयर के खर्चे से ही कैनाल को दुबारा मरम्मत किया जा सकता है और जो पानी हमारा आज वेस्ट हो रहा है, जिसका हमें कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है उस नुकसान से भी बचा जा सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब में पौंग डेम बना उसकी एवज में राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि हमने पौंग डेम के विस्थापितों को दी। आज उस पौंग डेम का फायदा हमें बहुत कम पहुंच रहा है। जैसाकि कि पिछले दो-तीन सालों से हो रहा है, जब बरसात होती है पौंग डेम के कैचमेंट एरिया में पानी आता है तो पंजाब के इंजीनियर्स पानी को बिना वजह रिलीज कर देते हैं जिससे उस पौंग डेम के पानी का लेवल बड़ा नीचे चला जाता है। मैं समझता हूं, सरकार की तरफ से कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि यह पंजाब के इंजीनियर्स की टेक्निकल गलती की वजह से होता है या किस डर की वजह से होता है। क्योंकि पौंग डैम बनाने के बाद और उसके कैचमेंट एरिया में पानी आने के बाद वह यह समझते हैं कि राजस्थान को जितना पानी उसके हिस्से

(श्री जगतार सिंह)

का चाहिये उतना मिल सकता है। आज जिस प्रकार राजस्थान कैनाल में पानी की कमी है, गंग कैनाल में पानी की कमी है और भाखड़ा सिस्टम में भी पानी की कमी पैदा की जाती है क्योंकि पंजाब के हाथ में रेगूलेशन है तो वह पानी को इस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं कि कभी तो बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं और कभी बहुत कम पानी हमें देते हैं, मैं समझता हूं यह जो पौंग डेम में हमारा पानी स्टोर किया जाता है उस पानी को वह गलत तरीके से रिलीज करके और हमें एक जो प्राब्लम पैदा करते हैं इसके बारे में हमें पंजाब के इन्जीनियर्स से बात करनी चाहिये और अपना विरोध जताना चाहिये ताकि इस तरह से हमारा जो नुकसान किया जा रहा है हर बार फसल का, उस नुकसान से हम बच सकें।

इसी के साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल एरिया में जो खाले पक्के बनाने का काम चल रहा है इसमें डी. आर. डी. ए. का पैसा, जवाहर रोजगार योजना का पैसा 70–30 के प्रपोर्शनल में यूज हुआ है, गंगानगर जिला ऐसा है जिसमें सारा पैसा आपके भेजा हुआ यूटिलाइज किया है, मैं समझता हूं कि आज भी वहां मांग है उस पैसे की। और जो भी खाले पक्के बन रहे हैं वह व्यक्तिगत नहीं हैं, इससे हमारी पानी की भी बचत होती है, इर्रिगेशन की इन्टेन्सिटी बढ़ती है, पानी ज्यादा एरिया में लगता है। तो मैं समझता हूं कि गंगानगर से खाले बनाने के लिये भी और पैसे यहां से भिजवाये जाएं। ताकि लोगों का जो 30 प्रतिशत शेयर है, आज वहां के लोग देने को तैयार है, और दूसरे जिले देने को तैयार नहीं हैं, वह पैसा वहां यूटिलाइज हो जाये।

इसी के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के किसानों की कुछ प्राब्लम्स भी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जैसे सिंचाई विभाग वालों ने वहां छः साल के लिये बारी बांधने का किया। तो, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांवों में रेतीली जमीन है, हरिजन और छोटे काश्तकार रहते हैं। और उनकी जमीनें टेलएण्ड पर हैं गावों में; अगर उनका पानी वहां परमानेंट कर दिया जायेगा तो वह लोग अपने खेतों में पैदावार नहीं कर सकेंगे, उनको एवज् में कोई दूसरा आदमी ठेके पर लेगा नहीं जिससे कि उनको परेशानी और काफी....

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिये कृपया।

श्री जगतार सिंह : माननीय सभापति महोदय, अभी दो मिनट तो हमें देंगे।

श्री सभापति : समय हो गया।

श्री जगतार सिंह : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छः साला बारी का प्रावधान किया गया है यह कानूनी तौर पर बिलकुल गलत है और किसानों को इससे बड़ी परेशानी है। इस तरह का सिस्टम थोपा नहीं जाए। जहां लोग चाहते हैं वहां उनको छः साल की बारी दे दी जाए, जहां लोग नहीं चाहते वहां उनको नहीं दी जाए।

(श्री जगतार सिंह)

: इसी प्रकार मैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से गंगानगर जिले के बारे में माननीय यातायात मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि गंगानगर जिले में जयपुर से गंगानगर जाने के लिए जो डीलक्स बसेज हैं वह बिलकुल पुरानी और खटारा हैं। गंगानगर से दिल्ली जाने के लिए डीलक्स बस बन्द कर दी गई है। गंगानगर से अजमेर जाने के लिए डीलक्स बस का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। दो-तीन-चार बार इसके लिए लिखकर भी दिया गया। माननीय सभापति जी,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

हमारे यहां पदमपुर, और राजसिंहपुर में बस स्टेण्ड भी नहीं है। तो इस तरह की अव्यवस्था है। फिर गंगानगर से सभी तरफ प्राइवेट बसें चलती हैं, वह बसें 10–10, 11-11 बसें सवारियों से भर कर आती हैं और हमारी रोडवेज की बसें खाली चलती हैं। जब रोडवेज मुनाफे में है और रोडवेज वाले प्राइवेट बसों से 20 से 30 रुपया पर सवारी अधिक चार्ज करते हैं जो कि....

श्री सभापति : धन्यवाद, अब समाप्त कीजिए।

श्री जगतारसिंह : बिलकुल गैर कानूनी और गलत है। तो हम चाहते हैं कि कुछ बसें प्राइवेट चलाई जाएं कुछ बसें सरकारी चलायी जाएं ताकि काम्पीटिशन हो। खासकर केसरीसिंहपुर के बारे में मैं निवेदन करूं, उस रूट पर साढ़े छः रुपया पर किलोमीटर आपकी बसेज का है कि आमदनी आनी चाहिए और हमारे यहां 18 से लेकर 20 रुपये तक पर किलोमीटर बस इनकम दे रही हैं...

श्री सभापति : माननीय श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री जगतारसिंह : और भी बसों में न तो दरवाजे हैं, न बसों में शीशे हैं। तो इस तरह की जो अव्यवस्था है उसको रोका जाए। धन्यवाद। जय-हिन्द।

श्री सभापति : ठीक हो जाएगी।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति जी, मैं पहले यातायात के सम्बन्ध में दो बात कहना चाहूंगा। यातायात मंत्री जी ने दौरे किये चैकिंग की और अखबारों में काफी चीजें आई थीं। कुछ करप्शन रोकने के प्रति आपने ध्यान दिया और कुछ भय पैदा हुआ, आप बधाई के पात्र हैं। रोडवेज का मुनाफा भी इन्होंने किया लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो वह कर दें तो अच्छा है। आपके परमिट दिये जाते हैं प्राइवेट रूट्स पर। एक आदमी जब परमिट ले लेता है विभिन्न नामों से पांच ले लेता है और उस पर बस प्लाई करती हैं एक या दो। सवारियां ऊपर-नीचे चलती हैं जब नयी बस वाला, नया रूट लेने वाला एप्लाई करता है तो एक शब्द है 'स्कोप'। नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से चलकर ऊपर तक यह आता है कि 'स्कोप नहीं है'। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज जहां भी आप बस लगा दो, सवारियों की कमी नहीं है। लेकिन उनकी सांठ-गांठ है, प्राइवेट आपरेटर्स के कारण से वह दूसरे आदमी की बस लगाने नहीं देते हैं। जितनी बसों को उस रूट पर परमिट मिल चुके हैं वह सब प्लाई करें तो भी ठीक है

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन वह बस प्लाई नहीं करती । इसलिए माननीय यातायात मन्त्री जी कुछ कर सकें तो अच्छा है ।

दूसरा परमिट देने में कंजूसी क्यों करते हैं । एक हजार दुकानें जयपुर में हैं, 50 आदमी और दुकान खोलना चाहते हैं तो उनकी चिन्ता हमको नहीं है लेकिन इस ट्रांसपोर्ट में यह कहा जाता है कि दो और आदमियों को परमिट दे देंगे तो पुराने वालों का क्या होगा, इन नये वालों की आमदनी नहीं रहेगी, वह कमाकर कैसे खायेंगे । वह कैसे कमाकर खायेंगे उसकी चिन्ता आप मत करो, उनको डूबने दो । जो जान-बूझकर डूबना चाहता है परमिट लेकर उसकी चिन्ता आप क्यों करते हो ? जो लोग जितना परमिट लेना चाहते हैं, उदारता से उनको परमिट दीजिये, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी और लोगों को सहूलियत रहेगी ।

मैं इतना ही यातायात के सम्बन्ध में निवेदन करके अब सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा । सिंचाई में एक बहुत बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ है । जहां मेजर सिंचाई प्रोग्राम्स हैं, मीडियम हैं वहां दिक्कत नहीं है लेकिन जो माइनर प्रोजेक्ट हैं वहां इरिगेशन आता है, सोयूल कन्जर्वेशन आता है, दोनों विभागों के बीच में कोई तालमेल नहीं है । इरिगेशन के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि यह सोयूल कन्जर्वेशन का काम है, सोयूल कन्जर्वेशन वालों से कहते हैं । यह कहते हैं कि यह तो इरिगेशन का काम है और वह इसलिए है कि एक सरटेन लिमिट है । दो लाख, पांच लाख है उससे ऊपर इरिगेशन में जायेगा और उससे नीचे सोयूल कन्जर्वेशन में जायेगा । तो जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे तब तक क्या पता लगेगा कि यह प्रोजेक्ट सोयूल कन्जर्वेशन का है या इरिगेशन का है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर्वे का काम है वह इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने हाथ में लें । उनके पास काम्पीटेण्ट स्टाफ है, इंजीनियर्स हैं । सर्वे होने के बाद यह पता लगे कि इसकी लागत इतनी आयेगी उस लेवल का काम सोयूल कन्जर्वेशन ले सकता है । लेकिन सर्वे नहीं हो उसके पहले ही आप कह दो कि सोयूल कन्जर्वेशन के पास जायेगा ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय इरिगेशन मंत्रीजी से कि इस प्रकार की एक पालिसी बनायें कि सर्वे का काम वह अपने हाथ में लें और बाकी एक्जीक्यूशन का काम है वह विभिन्न जगह हो सकता है ।

माननीय सभापतिजी, पिछले दिनों अकाल के बारे में, पानी के बारे में समस्या आयी । ऐसे कुछ इलाके हैं जहां जगह-जगह छोटे-छोटे बांध बनाकर यदि हम पानी को रोकना चाहें तो वाटर लेवल ऊंचा आ सकता है । मैं मेरे जिले के लिए कहता हूं । हमारे जिले का आधा भाग जो पहाड़ी है, नाले बहते हैं वह बह कर पानी फालतू चला जाता है । यदि उसमें सर्वे करवा कर जगह-जगह आप एनीकट बना दो, छोटे बांध बना दो तो कुओं में पानी आएगा और पीने के पानी की समस्या हल होगी और उससे आपके इरिगेशन प्रोजेक्टस भी आएंगे ।

मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एक खऊ गांव है, वहां पर देवी का

(श्री शिवनाथ सिंह)

मन्दिर भी हैं, सब कुछ हैं, चतुर्वेदीजी के पास होता तो मेरे ख्याल से हाथों हाथ ही अनाउंस कर देते कि देवी का मन्दिर है, काम तो हो ही जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले, चार बार से वहां के लोगों ने अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल नहीं किया इस प्रोटेस्ट के लिए कि हमारा बांध बनने लायक है और बनाना चाहिए। लेकिन सरकार बना नहीं रही है और पिछले चार इलेक्शन्स में, पार्लियामेंट हो या असेम्बली हो, उन लोगों ने प्रोटेस्ट के रूप में अपना वोट नहीं डाला। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका सर्वे हो चुका है, कोई बाधा नहीं है इसलिए सरकार को इसको ठीक समझ कर बांध बनाने का काम करना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि यह बड़ी वाजिब चीज है और इस चीज को, गांव वालों की भावनाओं को देखते हुए, इलाके को फायदा देखते हुए इस खेऊ गांव के बांध के निर्माण का काम आप अपने हाथ में लेंगे तो ठीक रहेगा। इसी तरह से एक काटली नदी है। कॉपर प्रोजेक्ट वहां से कुएं खुदवा कर पानी लेता है और गांव के आस-पास के लोगों की यह समस्या है कि वाटर लेवल नीचे चला गया, खेती के काम में उनको बाधा आती है। यहां भी याचिकाएं पेश हुईं, क्वेश्चन आये और सब तरह से, जितने भी हमारे पास तरीके हो सकते हैं उन सब तरह से इस समस्या को उठाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ा नहीं 4-6 फीट ऊंचा भी यदि आप वहां ठोकर बांध देते हैं तो सोइल वाटर बढ़ेगा और कॉपर प्रोजेक्ट को भी इसमें फायदा रहेगा। कॉपर प्रोजेक्ट वाले इस बात के लिए तैयार हैं और जहां तक मेरी जानकारी है वह फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हैं कि रुपया हम दे देंगे और इसका एक्जीक्यूशन इरिगेशन डिपार्टमेंट कर दें। तो सोइल वाटर वहां का बढ़ेगा और उनके कुओं को भी फायदा होगा, हमारे काश्तकारों को भी फायदा होगा।

माननीय सभापतिजी, बहुत छोटे-छोटे बांध हमारे यहां उदयपुरवाटी जो एक पंचायत समिति क्षेत्र है उसमें हैं। उनका सर्वे हो चुका है। न हुआ भी हो लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां भी इस प्रकार की सम्भावनाएं हों, सर्वे करवा कर अपने पास रखें। आज फेमिन के काम हो रहे हैं। फेमिन के काम इसलिए वहां नहीं खोल रहे हैं कि हमारे पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट नहीं है कि वहां पर कितना खर्चा लगेगा। हम जब कमेटी में बैठते हैं, रुपया मंजूर करने की बात करते हैं तो समस्या यह सामने आती है। और यह समस्या इसलिए बढ़ गयी कि हमारे जिले में इरिगेशन का कोई खास जिम्मेदार अफसर का आफिस नहीं है। हमको सीकर जाना पड़ता है। सीकर वाले हमारे कमेटी की मीटिंग में नहीं आते। इसलिए आप मेहरबानी कर सीकर जिले को तो रखिये लेकिन झुन्झुनूं जिले में इरिगेशन का एक जिम्मेदार अफसर का आफिस वहां खोल दें तो अच्छा रहेगा ताकि वहां पर इतने जो साधन हैं या इतनी जो सम्भावनाएं हैं उससे लोगों को फायदा होगा और आपके इरिगेशन का भी उसमें ठीक रहेगा।

246

(श्री शिवनाथ सिंह)

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र रावत।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई और यातायात की चर्चा हो रही है, उस चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करता हूं। राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान की 80 प्रतिशत जनता गांवों के अन्दर निवास करती है और गांव के अन्दर किसान लोग रहते हैं। वह काश्तकार आदमी हैं और जो आज चर्चा का विषय है वह है सिंचाई और इसका सीधा सम्बन्ध किसानों से है। किसान की हालत दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। उसकी वजह है। इस दस साल के अन्दर धीरे-धीरे बरसात कम होने के कारण से या समय पर बरसात नहीं होने के कारण से किसानों की फसल जो होनी चाहिये या किसानों को जो उसका मूल्य मिलना चाहिये वह उसको नहीं मिलता। सरकार का दायित्व है, सरकार का यह कर्तव्य है कि किसान को प्रोत्साहित करें और उसकी जो फसल है उसमें पानी किसी भी तरह से सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाये। लेकिन जितना बजट इस मद में खर्च करना चाहिए इतना नहीं कर रही है।

मैं मेरे क्षेत्र के बारे में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में बुचारा बांध है और वह बड़ा बांध है। पहले वह बहुत गहरा था, बहुत मीलों के अन्दर था पर धीरे-धीरे उसकी हालत यह हो गयी। चारों तरफ से उसमें इतनी मिट्टी आ गयी कि वह भर गया है और पानी की क्षमता उसकी बिलकुल कम हो गयी है। मेरा यह निवेदन है कि जो पहले 10 गांवों की कम से कम एक हजार बीघा जमीन को सिंचाई करता था और कम से कम 10 गांवों की पिलाई के लिए काम करता था उसका आज खाली दो या तीन गांवों के काम पानी आता है। मेरा यह निवेदन है कि उस बांध को खुदवाया जाये और जो मिट्टी बाहर से आ गयी है उनको वहां से हटाया जाये अकाल राहत कार्य के तहत, जिससे मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है।

दूसरा इसी में मेरा एक निवेदन और कहना है कि इसके अन्दर नहर बनी हुई थीं बहुत लम्बी चौड़ी आगे तक पावटा गांव तक बनी हुई थीं, पाथेड़ी गांव तक बनी हुई थीं। वह सारी नहर खराब हो गयी हैं। उसमें पानी कभी जाता ही नहीं है। दस साल से उन नहरों में पानी नहीं गया। वह नहर खराब हो गयी है। वह कच्ची है, वह पुरानी नहर हो गयी हैं। मेरा निवेदन है कि उन नहरों को दुबारा से पक्की बनायी जाएं और चालू करवाया जाए।

तीसरा मेरा निवेदन इसमें और था कि जो बुचारा बांध है उसके चारों तरफ एक पर्वतीय क्षेत्र और आता है वहां भी एक दूसरा बांध और हो सकता है। मेरा क्षेत्र कोटपूतली पर्वतों के नजदीक है। ज्यों ही बरसात होती है तो बरसात के अन्दर पानी बहकर दूसरे इलाके के अन्दर चला जाता है और जो पानी काम में आना चाहिये वह

(श्री रामचन्द्र रावत)

पानी काम आता नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि कम से कम तहसील कोटपूतली के अन्दर कम से कम दस बांध बांधे जा सकते हैं मैं नाम बताना चाहूंगा, रूवाड़ा, रूपतरा, भैंसलाना और कई ऐसे गांव है जहां बांध बांधे जा सकते हैं, एनीकट बनाये जा सकते हैं। वहां पर एनीकट और बांध बांधने से जल स्तर ऊंचा हो जायेगा और जल स्तर ऊंचा होने से किसान अपने कुए के अन्दर से पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं उनका काम चल सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से मेरे क्षेत्र के अन्दर ज्यादा से ज्यादा एनीकट बनाये जायें, तालाब बनाये जायें और जो नहर खराब पड़ी हुई हैं, उनको ठीक करवाया जाये।

चौथा, मेरा निवेदन है कि प्रत्येक गांव में या प्रत्येक पंचायत में....

(20.00)

पहले सेन्टर की एक योजना चली थी पाताल तोड़ कुओं की। इतनी बड़ी स्कीम चली थी कि प्रत्येक गांव के अन्दर पाताल तोड़ कुआ बनवाया जाए और उस पाताल तोड़ कुए से पूरा का पूरा गांव, उस गांव की जितनी जमीन है। वह सिंचाई के काम आ जाए। मगर वह स्कीम ज्यादा नहीं चल सकी। दो-चार कुए हमारी तहसील में बने थे मगर वह इतनी लागत के आये कि बाकी के कोई लोग बना नहीं सके। मेरा निवेदन है कि सरकार बड़ी योजना तो हमको दे नहीं सकती और जो यह छोटी लघु सिंचाई योजनाएं हैं, पाताल तोड़ कुए बनाने की, एक-एक गांव में एक-एक कुआ ऐसा बनाये कि पूरा गांव उसी कुएं से सिंचाई करे। दूसरा मेरा निवेदन है, एक बनाड़ी बांध बनाया है अकाल राहत के तहत दो साल पहले। सभापति महोदय, बांध तो बन गया है मगर उस बांध के अन्दर एक भी नहर कोई खोली नहीं गयी है, नहर बनायी ही नहीं है। ऐसे बांधों से क्या फायदा होगा? सरकार का बहुत सारा पैसा उसमें लग गया है मगर नहर नहीं बनी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस बनाड़ी बांध में नहर बनायी जाए। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में एक छीतोली बांध और है, वह भी बहुत पुराना है और उसके अन्दर भी पानी की क्षमता कम हो गयी है। नहर जो बनी हुई थी वहां तक पानी पहुंचता ही नहीं है। उसको भी गहरा करवाया जाये। अगर गहरा नहीं होता है तो उसको थोड़ा-सा मेग लगाकर ऊंचा करवाया जाये। यह मेरा निवेदन सिंचाई विभाग से है।

यातायात के बारे में भी, सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा। मंत्री जी मेरी तरफ ध्यान देंगे, मेरे क्षेत्र के बिलकुल नजदीक के हैं और मैं भी उनके क्षेत्र का हूं। कोटपूतली कस्बे से होकर राष्ट्रीय मार्ग जाता है। उस राष्ट्रीय मार्ग पर इतना अंधाधुंध बढ़ता हुआ आवागमन है, इतना दबाव हो गया है कि दुनिया भर के ट्रक जाते हैं, दुनिया भर की बसें जाती हैं और दुनिया भर का प्रदूषण फैलता रहता है। कोटपूतली कस्बे के अन्दर एक चौराहा सा है, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां रुकावट के लिए ट्रैफिक पुलिस और बढ़ायी जाए और एक गोल चक्कर इस तरह का बनवाया जाए ताकि दिन-रात जो एक्सीडेण्ट होते हैं उनमें कमी आ सके। इतना आवागमन होता है।

(श्री रामचन्द्र रावत)

कोटपूतली शहर के अन्दर कि दो चार एक्सीडेण्ट रोज हो जाते हैं। दिन को हो जाते हैं, रात को हो जाते हैं, सुबह होते हैं, शाम को हो जाते हैं। तो एक ऐसा गोल चक्कर वहां रुकावट के लिए बनाया जाये और ट्रेफिक पुलिस को तैनात किया जाए, उसकी संख्या बढ़ायी जाए।

मेरा एक निवेदन और है इस यातायात के सम्बन्ध में ही कि हरियाणा बोर्डर से लेकर वाया चिमनपुरा, रायसिंहपुरा, नारेड़ा होकर कोटपूतली से राजस्थान रोडवेज को जोड़ा जाए। उस साइड में कम से कम बीसों गांव ऐसे हैं जो इस राजस्थान रोडवेज से जुड़ जायेंगे। वहां पर पक्की सड़क डामर की बनी हुई है। वहां आज तक राजस्थान रोडवेज की एक भी बस नहीं चली है। नारेड़ा से लेकर वाया टोरड़ा, द्वारपुरा होकर के पुरुषोत्तमपुरा से हो करके पावटा तक पहुंचायी जाए। यह भी डामर की सड़क है। उधर से यह राजस्थान रोडवेज जायेगी तो बहुत बड़ी....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आमदनी होगी। कम से कम तीस गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, राजस्थान रोडवेज से जुड़ जायेंगे। एक आंतेला गांव है, इस गांव के अन्दर पहले राजस्थान रोडवेज की बस जाती थी, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस गांव को भी राजस्थान रोडवेज सेवा से जोड़ा जाये। कोटपूतली से जो भी बस आंतेला गांव होकर जयपुर के लिए आये।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रावत : आप तो बातों में तल्लीन थे। मैंने बता दी वह सारी की सारी। मैं तो लिखकर दे दूंगा आपको।

श्री सभापति : कृपया शुरू कीजिये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : सभापति महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि सिंचाई व्यवस्था का व्यापक विस्तार किया जाये जिससे राजस्थान हरा-भरा हो सके और किसानों के खेतों में पानी की व्यवस्था हो सके। इसलिए सिंचाई योजनाओं पर पुनः विचार करके नये सिरे से सिंचाई व्यवस्था के बारे में सोचना होगा जिससे क्षेत्रीय सन्तुलन बन सके। मेरे नागौर जिले में भूमिगत पानी गहरा होता जा रहा है, चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में एनीकट व बांध बनाये जाएं। नागौर जिले में इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट द्वारा पीने के पानी की योजना कई वर्षों से खटाई में पड़ी हुई है। इसका सर्वे भी हो चुका है। मेरी मांग है कि इन्दिरा गांधी नहर का पानी नागौर जिले में देने के लिए स्वीकृत करायें जिससे नागौर जिले के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके तथा सभी के पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। मेरे क्षेत्र परबतसर को पहाड़ियों ने घेर रखा है और पानी की भयंकर समस्या है। वहां पर 50 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है। इसलिए आवश्यकतानुसार बांध व एनीकट

(श्री राकेश मेघवाल)

बनाकर इस क्षेत्र की जनता को राहत दिलायें।

मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री का ध्यान नागौर जिले की ओर आकर्षित कर रहा हूं। नागौर जिले में करीब-करीब 90 प्रतिशत पंचायत मुख्यालयों पर सड़क बनी हुई है और वहां अभी तक बस सेवायें 50 प्रतिशत भी नहीं चल रही हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नागौर जिले में जो भी पक्की सड़क बनी हुई है उन पंचायत मुख्यालयों पर बस सेवा आरम्भ की जाकर आम जनता को राहत दिलायी जाये। परबतसर से मकराना के लिए आज करीब साल, डेढ़ साल हो गये, रेल बन्द हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक-डेढ़ साल से जहां आने-जाने के लिए रेल बन्द हो गयी और निगम की कोई बसें नहीं चलें, यह मेरे क्षेत्र की जनता के साथ कितना घोर अन्याय है। मैंने इससे पूर्व भी मंत्री महोदय को इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सूचित किया था। उसके बाद भी समय-समय पर हर चार दिन, दस रोज में सूचित करता हूं लेकिन मंत्रीजी ने इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया। एक ही बात कहते हैं एक अप्रेल, एक अप्रेल। वह एक अप्रेल भी आ जायेगी.....

अनेक माननीय सदस्य : फर्स्ट अप्रेल है। अप्रेल फूल बना रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : नहीं, हमारी सरकार कभी भी अप्रेल फूल नहीं मनाती है। कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो हमारे मंत्रीजी ने कहा, वह वादा जरूर पूरा होगा लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। मैं मंत्रीजी को याद दिलाता हूं कि एक अप्रेल आने वाली है, अपने वादे को याद रखियेगा।

एक माननीय सदस्य : एक अप्रेल की तो छुट्टी है।

श्री राकेश मेघवाल : छुट्टी बस सेवा में नहीं है। बस चलने में कोई छुट्टी नहीं है। बसें रात-दिन चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई छुट्टी नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी का काम करना मुख्य लक्ष्य है। छुट्टियां तो सिर्फ प्रतिपक्ष में होती हैं। आज भी अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं जबकि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आधे नजर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी हो चुकी है इसलिए। सभापति महोदय, परबतसर से मकराना वाया बिदियाद होते हुए जायेगी यह रोडवेज। यह ऐसा नहीं हो कि इसको परबतसर से मकराना जो पहले रेल रही है उसी रूट पर वापस शुरू कर दें। यह परबतसर औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद होते हुए मकराना जायेगी दूसरी बस। परबतसर से बिदियाद होते हुए जयपुर से कम से कम चार-पांच बसें शुरू की जाएंगी तब जाकर जनता को राहत मिलेगी। खाली यह नहीं हो कि सरकार एक बस शुरू कर दे और अपना वादा पूरा हो गया मान ले। कम से कम चार-पांच बसें शुरू होंगी तब जाकर जनता को राहत मिलेगी क्योंकि मकराना औद्योगिक क्षेत्र है और आज भारत में विश्व विख्यात मार्बल की मण्डी है। इसलिए नागौर जिले के ही नहीं बल्कि अजमेर, जयपुर से भी वहां लोग मार्बल खरीदने, काम करने, अपने डायमण्ड सेल करने के

(श्री राकेश मेघवाल)

लिए जाते हैं। यह रूट अगर मकराना से मंगलाना, मंगलाना से परबतसर जायें तो 40 किलोमीटर पड़ता है और परबतसर से सीधा बिदियाद होकर 20 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए सरकार का भी बहुत फायदा है, ईंधन बचेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सड़क तो बना ही दी।

श्री राकेश मेघवाल : सड़क तो हमारे माननीय मंत्री महोदय, ललितजी पूर्व में बना चुके हैं और वह टूट गयी है। माननीय मंत्री महोदय जी, सड़क तो आपने पूर्व में बनायी थी लेकिन वह सड़क टूट गयी है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसको अब चौड़ा किया जाए। मैं आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आपको अपना वादा याद तो है। बी.जे.पी. की सरकार में देखिये, कथनी और करनी में आज कोई अन्तर नहीं है। आज मंत्री महोदय को मैं बार-बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सड़क याद तो रखी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय यातायात मंत्रीजी को एक और मुख्य बात बताना चाहता हूं। मकराना से नागौर ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलती हैं, बसें चलती हैं लेकिन जैसा अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि आगे बसें चल रही हैं प्राईवेट, आगे टैक्सियां चल रही हैं, वही हाल नागौर और मकराना वाले रूटों का है। आपकी मिलीभगत से आगे प्राइवेट बसें चलती हैं, पीछे निगम की बसें चलती हैं, आगे टैक्सी चलती है, पीछे निगम की बसें चलती हैं, इसलिए सरकार को इस रूट पर भयंकर नुकसान होता है, काफी हानि होती है। हालांकि हमने एक-दो बार चैकिंग करवायी लेकिन वह पर्याप्त नहीं है इसलिए आप इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा बसें चलाकर चैकिंग की व्यवस्था करवायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, नागौर जिला मुख्यालय है और कुछ बसें ही चलती हैं। वहां हजारों आदमी रोज आते-जाते रहते हैं इसलिए इस नागौर जिले के जिला मुख्यालय पर गौर कीजिए, "ना" को हटा दीजिये। मंत्री महोदय, एक मुख्य बात है, जिस गांव में मैं रहता हूं उस गांव बोरावड़ में रोडवेज बस स्टेण्ड नहीं है। माननीय मंत्रीजी, यह बहुत ही सोचने-समझने का पाइण्ट है और इस पर गौर भी करना है। क्योंकि उसी गांव का मैं रहने वाला हूं, इसलिए गौर कीजिये। आगे सड़क दो किलोमीटर की दो महीने से पास नहीं हुई है, सरकार की कोई कमी नहीं है पास करने में, लेकिन, मंत्रीजी, हमारे ग्राम सेवक की वजह से वह सड़क आज तक नहीं बन पा रही है।

अनेक माननीय सदस्य : + + +

श्री राकेश मेघवाल : + + + की जरूरत नहीं है। पैसा सरकार आते ही पास कर दिया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(251)

(श्री राकेश मेघवाल)

माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान बोरावड़ बस स्टेण्ड की ओर आकर्षित करता हूं। यह बस स्टेण्ड कागजों में कई बार बन गया। माननीय मंत्रीजी, यह बहुत ही जरूरी पॉइण्ट है इसलिये इस पर आप गौर फरमायें कि बोरावड़ में बस स्टेण्ड या बस डिपो खुलवाया जाए और इस पर आप मुझसे बाद में भी सम्पर्क करके जवाब दीजिये, चैकिंग करवाइये कि जमीन उपयुक्त है या नहीं।

श्री सभापति : धन्यवाद। समाप्त कीजिये बात।

श्री राकेश मेघवाल : एक मिनट। माननीय मंत्री महोदय जी से एक निवेदन करता हूं कि परबतसर से डेगाना एक सड़क बनी हुई है काफी अरसे से, यह माननीय मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी को भी ध्यान है कि पक्की सड़क उन्होंने बनवायी है।

श्री जुबेर खान : कांग्रेस के टाइम में बनी है।

श्री राकेश मेघवाल : कांग्रेस के टाइम में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। लेकिन यह एक दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार होते हुए भी आज तक परबतसर-डेगाना बस नहीं चली। इस बात के लिये मैं माननीय मंत्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सड़क जब मंत्री महोदय बना देते हैं, तो बस क्यों नहीं चला सकते हैं। इस बात पर आपको गौर करना है। यह सड़क परबतसर से डेगाना, परबतसर से अजमेर, और अजमेर से डेगाना पक्की बनी हुई है। पुष्कर राज जो आज हिन्दुस्तान का तीर्थ स्थान है वहां से डेगाना पक्की सड़क बनी हुई है। इन सड़कों को, माननीय मंत्रीजी अतिशीघ्र निगम की बसों से जोड़ा जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद, माननीय सदस्य। डा. जितेन्द्र सिंह।

एक माननीय सदस्य : पहली बार बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, बोलने दें।

श्री सभापति :.... (व्यवधान) फिर से रिपीट कर रहे हैं वह।

श्री राकेश मेघवाल : एक मिनट। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने एक अप्रेल से सभी रूटों पर बस सेवाएं प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया है और मैं मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि कथनी और करनी में आप कोई अन्तर नहीं रखेंगे और न है। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मेरा नाम....(व्यवधान)

श्री सभापति : इनमें नाम है आपका। मैं अभी यह पढ़ रहा हूं। (व्यवधान) जो बोलना चाहेंगे, सबका नाम है।

श्री परसादीलाल मीणा : ऐसा थोड़े ही होता है, सभापति महोदय ?

श्री सभापति : मैं सूची से बोल रहा हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : मेरा पहले नाम है, (व्यवधान) बाद में जाकर आप

(श्री हीरालाल विश्नोई)

समय में बहुत कटौती कर देते हैं और कटौती करने के कारण हम बहुत-सी बातें कह नहीं पाते हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सूची दी थी, नयी कहां से बन गयी। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। मेरा निवेदन सुनिये। दोनों सचेतक देते हैं उसके मुताबिक यह सूची बन जाती है। आप बीच-बीच में जो दूसरे नाम देते हैं वह नाम आखिर के अन्दर जोड़ दिये जाते हैं। या कहीं कोई सदस्य गैर हाजिर होता है वहां जोड़ दिया जाता है। आपका नाम नहीं है मेरे पास।

(20.18)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री परसादीलाल मीणा : हीरालाल मीणा की जगह हीरालाल विश्नोई हैं वह।

श्री अध्यक्ष : जगतारसिंह जी बोल गये उनकी जगह। (व्यवधान) उनकी जगह जगतारसिंह जी बोल गये।

श्री हीरालाल विश्नोई : साहब, वह तो उनकी जगह बोले हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसी में बोले हैं। (व्यवधान) नहीं, उसी में बोले हैं वह।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं-नहीं, उनकी जगह थोड़े ही बोले हैं साहब वह।

श्री अध्यक्ष : खैर, चलिये। आपको बोलना है न, तो आप बैठिये आराम से।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में अति महत्वपूर्ण सिंचाई और परिवहन के विषय में कटौती प्रस्ताव के ऊपर विचार-विमर्श हो रहा है। महोदय, मैं सबसे पहले सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। महोदय, सिंचाई का बहुत बड़ा अहम रोल है राजस्थान जैसे प्रदेश में, जो कि अकाल की चपेट में आया हुआ है। सिंचाई के अच्छे माध्यम भी उस अकाल से छुटकारा दिला सकते हैं। महोदय, बहुत बड़ी जो पुरानी योजनाएं थीं, कार्यान्वित नहीं हो सकीं। हालैण्ड की तरह की जो योजनाएं थीं, कार्यान्वित नहीं हो सकीं जिस तरह से उनकी आपस में सूखे प्रदेशों को बाढ़ के क्षेत्रों से जोड़ने की योजनाएं थीं, वह कार्यान्वित नहीं हो सकीं। लेकिन जो प्रदेश का अपना पानी है, मेरी गुजारिश है सिंचाई के जो मंत्रीजी हैं उनसे कि प्रदेश के पानी को कृपया बाहर न जाने दें प्रदेश से और जो मुख्य-मुख्य जिले हैं, उन जिलों की जो मुख्य-मुख्य नदियां हैं, उन पर बांध बनाये जाएं। उदाहरण के तौर पर जैसे बाणगंगा नदी है या जो भी हैं, तो जिलेवाइज उन स्थानीय नदियों के ऊपर बांध बनाये जाएं।

जहां तक एनीकट्स का मामला है, पानी को रीचार्ज करने का एकमात्र साधन है एनीकट। एनीकट से ही वाटर चार्जिंग होगा। पानी का बजट बनाया जाए और उस बजट का तहसील और जिला स्तर पर एक नियन्त्रण रखा जाए तभी जाकर यह व्यवस्था ठीक हो सकती है।

महोदय, ये तो रहीं लम्बी योजनाएं। अब मैं सीधा अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं। रजवाड़ों के टाइम पर मेरे क्षेत्र

(डा. जितेन्द्र सिंह)

खेतड़ी के ठिकाने में 12 बांध थे। बड़े दुःख की बात है कि आजादी के बाद घटते-घटते छह रह गये। छह बांधों में सिल्ट डिपाजिट हो गया। मैं सिंचाई मंत्रीजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो महत्वपूर्ण बांध आज से सैकड़ों साल पहले ठिकाने के तत्कालीन हिंज हाइनेस ने बनवाये थे उनकी सिल्ट निकाली जाए क्योंकि वही मुख्य कारण था कि खेतड़ी में पानी का टेवल नार्मल रहता था। एक बांध का नाम है गणगौर बांध। इस तरह के 5-6 बांध और हैं, जिन पर अब जमीन अलाट होकर खेतियां हो रही हैं। यह अजीब मंजर है कि बांध गायब हो गये और जो बचे थे उनमें अलाटमेण्ट हो रहा है।

महोदय, मेरा क्षेत्र हरियाणा की बार्डर पर लगा हुआ है। वहां पर बसाई नदी है जहां पर तत्कालीन हमारे मंत्रीजी, ओलो जी ने बांध बनाया था मेरे क्षेत्र में। बहुत अच्छा काम किया क्योंकि क्षेत्र के ही मंत्री थे। उससे लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि बसाई नदी के ऊपर हजारों बीघा जमीन को हरियाणा के स्थानीय लोगों ने बूथ कैप्चर की तरह कैप्चर कर रखा है। 1988 में मैं विधायक था तब मैंने निवेदन किया था कि आपकी जमीन दूसरे स्टेट वाले खुलेआम हड़प रहे हैं, वह आपकी नदी की जमीन है आप उस पर गौर करिये, उसको अपने कब्जे में लीजिये। वे बढ़ते-बढ़ते राजस्थान की सीमा में बहुत अन्दर घुस आये हैं।

महोदय, मेरे क्षेत्र में काटली नदी है जो सीकर और झुन्झुनू की एक अति महत्वपूर्ण नदी है। क्षेत्र में जल स्तर घट रहा है, उस काटली नदी के घाट पर बांध बनाने की अगर योजना हो जाए तो हजारों लाखों बीघा जमीन उससे सिंचित हो सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को गम्भीरता से लेते हुए काटली नदी पर सेवर घाट के ऊपर बांध बनाने की योजना बनायी जाए और उपयुक्त समझें, उसके अनुसार करें। कुछ एनीकट टूट गये हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा। एक है उसमें से सिल्लाटी जो टूट गया। हजारों बीघा जमीन पदेवा गांव तक खराब हो गयी। महज कुछ हजार रुपये ही इसको ठीक होने में लगेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

महोदय, सिंचाई की तो यही मुख्य-मुख्य मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी से सम्बन्धित बातें हैं, अब मैं थोड़ा-सा यातायात के बारे में कहना चाहूंगा। महोदय, बड़े हाइ-वे पर तो आपकी बड़ी खूबसूरत बसें जाती हैं, लक्जरी कोच जाते हैं। लेकिन दुःख की बात है, हजारों मजदूर गांव से चल कर खेतड़ी आते हैं, एक छोटा-सा विषय ऐसा हो रहा है, छोटे से 20 किलोमीटर के रूट को उन्होंने ऐसा कर रखा है जैसे लन्दन-रोम-पेरिस के लिये हवाई जहाज जा रहे हों, उसके लिये सोचना पड़ रहा हो। तांतीजा से खेतड़ी आने वाले कापर प्रोजेक्ट के मजदूर हैं लेकिन एक प्राइवेट बस आपरेटर ने वहां दादागिरी कर रखी है। उसने प्रभावित कर रखा है अधिकारियों को, उस बस को बड़ी मुश्किल से निवेदन करके चलवाया था, प्राइवेट बस आपरेटर ने अधिकारियों को प्रभावित करके उस बस को घाटे का रूट बना दिया। छह महीने से लोग पैदल आ रहे हैं, प्राइवेट बस

2534

(डा. जितेन्द्र सिंह)

में बैठने को तैयार नहीं हैं। उस गांव वालों ने व्रत ले रखा है इस बात का। अफसोस है कि इस छोटे से रूट के लिये किसी को फुरसत नहीं सोचने की। मैं निवेदन करूंगा कि खेतड़ी-तातीजा बस को पुनः प्रारम्भ किया जाए जिसका बस परमिट रोडवेज के पास है। हजारों यात्री खेतड़ी से मथुरा भी जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि खेतड़ी, नीमकाथाना, मंत्री महोदय का स्थान अलवर और वहां से डीग और मथुरा की बस शुरू करवायी जाए।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात कह कर अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। महोदय, मैंने इस हाइ-वे पर सफेद कफन में लिपटी हुई दर्जनों लाशों को देखा है। प्राइवेट बस जा रही हैं जिनकी स्पीड की कोई लिमिट नहीं। मैंने सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एक परिवार के बारह लोगों की लाशें देखी हैं। क्या इन जीपों को रोका नहीं जा सकता? या इनको परमिट दे दीजिये या इनकी स्पीड मेण्टेन कर दीजिये। आज यह आम बात हैं। यह मानवता की बात है। मैं इन लाशों को नही देख सकता। कोई भी विधायक नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते। लेकिन क्या हम इन मूक आंखों से लाशों को इसी तरह देखते रहें? इस बात की गहराई तक, मंत्री जी, जाना है, यह मानवता की बात है। मैं उन हजारों जीप वालों के पेट पर लात नहीं मारना चाहता लेकिन इसका कोई सालयूशन निकालें, इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री भगराज चौधरी : हमारा भी नाम है क्या?

श्री अध्यक्ष : स्थिति यह है कि ओरिजिनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, लेकिन अभी एक-दो.... (व्यवधान) सुन तो लीजिये आप।

श्री रामस्वरूप : उप सचेतक बनने का मतलब यह नहीं कि नीचे ही नीचे कर दो।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनोगे नहीं? यह लिस्ट है कांग्रेस की और बी.जे.पी. की। ओरिजिनल लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन अब मेरे पास जो स्लिप्स आयी हैं उनमें भगराज जी का नाम भी है, हीरालाल इन्दौरा का नाम है, जो आपने लिखा है। एक रामचन्द्र जी रावत का नाम है। एक जगह तो लिख दिया जितेन्द्र सिंह को बुलाओ, एक जगह लिख दिया हीरालाल मीणा की जगह हीरालाल विश्नोई को बुलाओ। ये दो स्लिप हैं आपके हाथ की। शैलेन्द्र जोशी की जगह आपने चेंज किया है उदयलाल आंजना। कन्हैयालाल पाटीदार और फिर मुल्क राज का नाम इन्होंने जोड़ा है बाद में। फिर चन्दनमल जी बैद की जगह शीशरामजी ओला का नाम भी जोड़ा है। भगराज जी का नाम दो-दो बार लिखा है। रामस्वरूप जी ने लिखा है कि भगराज जी और मेरा नाम लिस्ट में अभी तक आया नहीं है। लिस्ट में है नहीं एक्चुअली। पर मैं आज सबको बुलवा दूंगा। भंवरसिंह जी का भी नाम इसमें नहीं था, इन्होंने लिख कर भेजा है।

श्री भगराज चौधरी : I have not spoken even for once.

श्री अध्यक्ष : आप कहो तो लिस्ट पढ़ कर सुना दूं जो मेरे पास है ? शान्ति से बिराजे रहिये, जो बैठा रहेगा उसको बोलने का मौका मिलेगा । जो चला जाएगा उसका नहीं आएगा । आपका भी है, आपका तो नाम लिस्ट में है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : कुल कितने नाम हैं बचे हुए ?

श्री अध्यक्ष : सात नाम तो मेरे पास इसमें हैं और यह बाकी लिस्ट मैंने बतायी 10 की....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सत्रह नाम हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिसका नम्बर था, वह सब आ गया है ।

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम छोड़ कर दूसरे को बुला दिया आपने ।

श्री अध्यक्ष : खैर, आप शुरू कीजिये । आप चिन्ता मत करिये, सब बुला लूंगा । टाइम कम लीजिये ।

श्री अर्जुनवास मदान (लाडपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, देश की आजादी के बाद जब विभिन्न प्रान्तों का निर्माण हुआ और फिर जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मेरे इस राजस्थान का निर्माण हुआ तब से लेकर काफी समय तक, मैं यहां तक कह सकता हूं कि 1955-56 तक, इस प्रान्त की स्थिति ऐसी थी कि केवल मात्र गंगनहर थी इस पूरे प्रांत में । केवल किसान भगवान इन्द्र का सहारा लेकर आकाश की तरफ झांकता हुआ केवल मात्र यही याचना करता था, प्रार्थना करता था, अर्चना करता था, अभ्यर्थना करता था, हे मेरे भगवान इन्द्र । मेरी धरती की प्यास बुझा । उसकी नजर एक चातक की तरह बिलकुल आसमान की तरफ रहती थी । वह सोचता था कि कभी मेरी धरती पर पानी की थोड़ी सी बूंदे गिरें और वह प्यास बुझे । किन्तु आज़ादी के बाद जितनी भी योजनाएं हमने बनायीं, आज निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि प्रान्त में काफी कुछ इस दिशा में प्रगति हुई है ।

महोदय, यह आप स्वीकार करेंगे कि व्यक्ति हो चाहे परिवार हो, समाज हो देश हो, जैसा वातावरण होता है उसी प्रकार का उसको आचरण करना पड़ता है । आज समूचे देश के एग्रीकल्चर का 10 प्रतिशत भाग तो मेरे राजस्थान में है, पर पानी की उपलब्धता की ओर जब मैं निहारता हूं तो केवल एक प्रतिशत पानी इस धरती को मिलता है । एक प्रतिशत पानी का भी जितना सदुपयोग हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिये, हम कर रहे हैं । जैसा मैंने निवेदन किया, गंग नहर के अलावा कोई नहर 1955-56 में नहीं थी, आज आप देखेंगे तो चाहे माही परियोजना हो, बीसलपुर परियोजना हो, सिद्धमुख परियोजना हो या चम्बल की वृहत् परियोजना हो, चाहे वे बहुद्देश्यीय योजनाएं हों, लघु सिंचाई योजनाएं हों या मध्यम सिंचाई योजनाएं हों, 88 परियोजनाओं के माध्यम से इस प्रान्त को हम सिंचित कर रहे हैं । अभी अभी मेरे एक प्रतिपक्षी सज्जन कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया । मेरे पास ज्यादा आंकड़े तो नहीं हैं उपलब्ध, लेकिन जितने भी मैं बटोर पाया,

(श्री अर्जुन दास मदान)

1990 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, पहले जनता पार्टी के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में, 1990 से लेकर आज 1994 तक के आंकड़ों की तरफ मेरे प्रतिपक्ष के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 1990–91 में 64.96 करोड़ रुपये की राशि सिंचाई के लिए रखी गयी, जिसमें से 62.57 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 23343 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया। इसी तरह से 1991–92 में 81.35 प्रतिशत के स्थान पर 82.39 प्रतिशत खर्चा हुआ और 23298 हैक्टेयर भूमि की प्यास बुझाने की व्यवस्था की गयी। 92–93 में 97.70 प्रतिशत योजना कार्यान्वित की गयी उसकी एवज में 97.63 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 12042 हैक्टेयर भूमि की योजना बनायी गयी। इसी तरह से 93–94 में भी 149.70 प्रतिशत, अभी जो 94–95 है उसमें 234.60 प्रतिशत और ऐसी कल्पना है कि 10.800 हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इन्दिरा गांधी नहर की ओर भी निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि आज सारा सदन उन 5350 श्रमिकों के प्रति ऋणी है, उनका आभार प्रकट करना चाहिये जो दिन-रात परिश्रम करने के उपरान्त आज उस नहर को बना रहे हैं। साढ़े सत्तरह लाख हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी जब अपनी पूरी क्षमता में काम करेगी। तो निश्चित रूप से इस प्रान्त का एक नया इतिहास बनेगा। आज इस मरुभूमि पर, टीलों पर यदि आप दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि क्या कभी यहां पर खेती हो सकती थी। ऐसी कल्पना करता था समाज। लेकिन आज इन छः जिलों में चाहे जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, गंगानगर हो, गंगानगर में निश्चित रूप से उपलब्धता है किन्तु इन छह जिलों के लिए वरदान होगा। खेती निश्चित रूप से भगवान की कृपा से, मैं ऐसी कल्पना करता हूं, मान्यवर, लहलहायेगी और जो किसान का बालक कभी अपनी रोटी के लिए मोहताज होता था, दाने-दाने के लिए तरसता था वह अपने जीवन की ऐसी स्थिति में आयेगा, मैं कहता हूं कि खेती जब लहलहायेगी तो उसमें अलगोजे बजायेगा और शायद उसकी बहन या उसकी पत्नी इन खलिहानों के भीतर....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जोधपुर में अलगोजे कौन से साल में बजने शुरू हो जायेंगे ?

श्री अर्जुनदास मदान : जोधपुर में कब बनना चालू हो जाएगी ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी नहर नहीं है, लिफ्ट शायद आ जाए....

श्री अर्जुनदास मदान : मैने वही निवेदन किया कि जब पूरी क्षमता में काम होगा। साढ़े सतरह लाख हैक्टेयर भूमि तब सिंचित होगी जब यह योजना पूरी बनेगी, मैने यही निवेदन किया था।

श्री परसराम मदेरणा : अलगोजे तो भेड़ चराने वाले भी बजाते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे समझे ही नहीं हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : तो मैं यह

(श्री अर्जुन दास मदान)

निवेदन कर रहा था, मान्यवर, कि बीकानेर में पानी उपलब्ध नहीं था, 151 किलोमीटर लम्बी नहर लेकर और 60 मीटर की ऊंचाई पर पानी को लेकर चार जगह पर अपलिफ्ट किया गया। यहीं पर इन्दिरा गांधी नहर के किनारे 36 साल तक सपने संजोये और सबसे पहले देश के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय पन्त जी ने इसका शिलान्यास किया और माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी इस योजना पर पधारे। उसके उपरान्त आज यह टोटल योजना, आप कल्पना करिये, 649 किलोमीटर लम्बाई के अन्तर्गत है जिसमें 204 किलोमीटर तो इन्दिरा गांधी फीडर की लम्बाई है, उसके बाद 445 किलोमीटर नहर है। इसकी ब्रांचें हैं उनकी मैं नहीं कह रहा हूं जो कि हजारों कि. मी. की संख्या में हैं। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप चाहे किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए कोई भी योजना बना रहे हो, जो यहां पर काम कर रहे हैं वह बधाई के पात्र हैं और जैसा पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये थे, मैं यह मानता हूं, यह सारा सदन उन श्रमिकों के प्रति, उस सरकार के प्रति, उन विचारकों के प्रति, जिन्होंने इस योजना को कार्यान्वित किया और जिन्होंने इस योजना को लागू किया, निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र मानता है। मैं तो उन मजदूरों को बधाई देता हूं,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो सुबह शाम काम करके इस कार्य को बढ़ा रहे हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं थोड़ा-सा ध्यान अपने क्षेत्र की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मन्त्री जी चले गये यहां से, आज मेरी दो पंचायतों....

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं गया है, टायलेट गये हैं, मंत्री जी भूखे ही हैं।

श्री अर्जुन दास मदान : कहां विराज रहें हैं, नजर नहीं आ रहे हैं मुझे।

श्री अध्यक्ष : वे टायलेट गये हैं, दूसरे मंत्री जी को कह कर गये हैं।

श्री अर्जुन दास मदान : मान्यवर, दो पंचायतों के बीच के 8-10 गांव ऐसे हैं मेरे क्षेत्र में, आप चाहे चम्बल की दायीं मुख्य नहर ले लें, चाहे आप अलनिया बैराज की नहर को देख लें स्थिति यह है कि 10 गांव ऐसे हैं जो प्यासे हैं। आज उनको पानी की उपलब्धता नहीं है। कुल 10-12 गांव हैं उसके बारे में वहां के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को भी निवेदन कर चुका हूं, यहां के प्रभावी मंत्रीजी को भी अपना पत्र दे चुका और मैं निश्चित कह सकता हूं कि उन 10-12 गांवों की प्यास बुझाने के लिए कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। तो मुझे भरत जी महाराज का वह दोहा याद आता है, "मांगऊ भीख छोड़ निज धर्मों, आत कहे न करे तू कर्मों। मान्यवर, एक क्षत्रिय होने के नाते उसका काम नहीं था किसी से भीख मांगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दान देना लेना उसका धर्म है; दान उसका धर्म नहीं था किन्तु जब आदमी आहत हो जाता है, दुःखी हो जाता है, व्याधियां सताती हैं

(श्री अर्जुन दास मदान)

तो निश्चित रूपसे वह ऐसा कुकर्म भी करना प्रारम्भ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिये। मैंने अपना ध्यान सब तरफ से आकर्षित करने के बाद आज यह आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : मैं सब से कह दूंगा, कोई कुकर्म नहीं करें। बिराजिये। श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री अर्जुन दास मदान : नहीं, कुकर्म तो करना ही पड़ेगा, मान्यवर। कुकर्म का मतलब मेरा यह है कि जो पार्टी मुझे निर्देश नहीं देगी, पार्टी की मर्यादाओं में बंधा हुआ मैं इन्सान हूं किन्तु मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना जायेगा तो मैं निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री अर्जुन दास मदान : नहीं साहब, एक मिनट के लिए मैं आपको निवेदन करके ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, 8 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं, 7 मिनट मैक्सिमम है।

श्री अर्जुन दास मदान : साहब, मेरा निवेदन है, मैं तो भगवान के यहां से ही सब से आखिरी में आया था।

श्री अध्यक्ष : अभी बहुत बैठे हैं।

श्री अर्जुन दास मदान : मेरा निवेदन सुन लो, साहब। मेरे भाई-बहिनों में सबसे आखिरी में भगवान के यहां से आया था।

श्री अध्यक्ष : अभी 18 माननीय सदस्य हैं, आप आखिरी में कैसे हैं? आप तो बीच में आ गये। बिराजिये प्लीज। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और कल आपको और भी टाइम दे दूंगा। आज नहीं।

श्री अर्जुन दास मदान : मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई, एवं मांग संख्या 12-यातायात पर सुबह से जो सदन में चर्चा चल रही है इस चर्चा में मैं अपने आपको शरीक करता हुआ मेरे जिले जालौर की तहसील सांचौर की समस्या के बारे में मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जवाई बांध जो पूर्व राजा-महाराजाओं के टाइम में बना था, उससे पानी सिर्फ जालौर जिले के लिए देना था। मान्यवर, यह पानी जालौर जिले में न देकर जोधपुर और पाली में डाइवर्ट कर दिया। इसके अलावा हमारा अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया उससे कुओं का पानी काफी नीचे चला गया। बाकी मेरे जिले में सूकड़ी नदी, लूणी नदी में पानी का भयंकर अभाव है। मेरा आधे से अधिक एरिया उस नदी के अण्डर में आता है। उस नदी में कम से कम 40–50 एनीकट, बांध बंधे हुए थे, पिछले 90 की बाढ़ में वह पूरे के पूरे एनीकट, बांध टूट गये। मान्यवर, पहले दो टाइम 91–92 में भी बाढ़ आई मगर उस बाढ़ का उस एरिये को बिलकुल फायदा नहीं हुआ और न कोई गवर्नमेण्ट ने स्कीम बनाई। मान्यवर,

(श्री हीरालाल विश्नोई)

पिछली सरकार के टाइम में हमारे मंत्री महोदय, जो इरिगेशन मंत्री थे, उस एरिये से काफी सम्बन्धित थे तो भी उन्होंने उस एरिये में बिलकुल ध्यान न देकर एक भी एनीकट, बांध नहीं बांधा। एनीकट, बांध नहीं बंधने के कारण जो भी नदी का पानी आया वह पूरा का पूरा रनकच्छ में चला गया और उस एरिये को कोई फायदा नहीं हुआ और अण्डर ग्राउण्ड वाटर लेवल एकदम नीचे चला गया।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान हमारे जिले के बारे में दिलाना चाहूंगा। मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों में से कई इन्दिरा गांधी प्रोजेक्ट के बारे में बोले, कई अलग-अलग प्रोजेक्ट के बारे में बोले मगर नर्मदा प्रोजेक्ट, जो कि जालौर के अन्दर ही आता है, के लिए किसी ने आज दिन तक सदन के अन्दर नहीं कहा। हमारे जो मंत्री महोदय हैं पिछली टाइम में भी यह सम्बन्धित मंत्री रहते हुए दिल्ली में भी कई बार मीटिंगें हुईं मगर आज दिन तक कुछ नहीं कहा। कई अखबारों के माध्यम से यह मालूम जरूर पड़ा कि मध्य प्रदेश में यह समझौता हुआ, महाराष्ट्र में यह समझौता हुआ, गुजरात में यह समझौता हुआ मगर राजस्थान का आज तक कोई भी नाम नहीं आया कि राजस्थान के बारे में....

श्री शीशराम ओला : उसमें हिस्सा है और आपके हिस्से के 89 में पैसे भी जमा हो गये थे।

श्री हीरालाल विश्नोई : 89 में हुए थे, मान्यवर, उसके बाद में आज दिन तक कोई फैसला नहीं आया और अब 10 करोड़ का बजट दिया है। बजट देने के पहले ही 2.5 करोड़ रुपया खर्च बता दिया। अभी तक नर्मदा के बारे में 10 करोड़ का बजट दिया है और बजट के साथ 2.5 करोड़ का खर्च बता रहे हैं। मान्यवर, अभी तो स्कीम ही चालू नहीं हुई तो 2.5 करोड़ का खर्चा कहाँ से हो गया ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस बजट में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा ? इस प्लान को राजस्थान के प्रोजेक्ट में लेकर कब तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा, वह सदन को आश्वासन दिलायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, मेरे एरिया में यातायात की कुछ समस्या है उसके बारे में यातायात मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे एरिया में प्राइवेट बसों का इतना जाल बिछा है कि वहां सरकारी बस देखने को नहीं मिलती। एक वहां का ठेकेदार था वह एक पाड़ा लेकर आया था आज से 10–20 साल पहले और उसके पास आज 125 बसें चलती हैं।

श्री रोहिताश्व : तरक्की की है उसने।

श्री हीरालाल विश्नोई : तरक्की उसने की मगर सरकार ने क्या किया ? मान्यवर, वहां 50–50, 100–100 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनी हुई हैं मगर एक भी बस वहां से नहीं चलती है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि सांचौर से भीनमाल वाया करड़ा होकर 45 किलोमीटर पड़ती है

(श्री हीरालाल विश्नोई)

मगर वहां नहीं है। सांचौर से झाब कस्बा जो बहुत बड़ा कस्बा है, वहां भी सरकारी बस नहीं चलती। सांचौर से चितलवाना बहुत बड़ा कस्बा है लेकिन वहां भी सरकारी बस नहीं चलती है। सांचौर से बेड़िया, हडेचा कोई बस नहीं चलती है। वहां से सीधा गुजरात का सम्बन्ध है। गुजरात की वहां कम से कम 40–50 बसें आती हैं परन्तु यहां से गुजरात में एक-दो बसें जाती हैं। मान्यवर, मैंने जो गांव बताये हैं उन गांवों का सीधा गुजरात से भी सम्पर्क कर दिया जाय। हमारा राजधानी से भी कोई सम्पर्क नहीं है। आज दिन तक सांचौर से राजधानी जयपुर के लिये सीधी बस सेवा नहीं है। इसलिये मैं यातायात मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां बस चालू करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके अलावा वहां एक बस अड्डा खोलें, यह भी बहुत जरूरी है।

आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगैर किसी भूमिका के अपनी बात शुरू करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो भूमिका ही रह जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमने तय किया है कि टेल तक पानी पहुंचे। यह सबसे बड़ी समस्या है कि जो सिंचाई के बांध बने हुये हैं इनकी नहरों के धोरे पक्के नहीं होने से शुरू में किसान अपने खेत में पानी ले लेते हैं, नीचे तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो इस पर ध्यान देकर नहरों के धोरे पक्के करायें। मेरे क्षेत्र में कई बांध ऐसे हैं जिनकी मुख्य माइनर भी पक्की नहीं है। तो उन धोरों को पक्का करायेंगे तो सिंचाई भी ज्यादा होगी और अन्त तक पानी पहुंचेगा, अन्तिम छोर के खेत तक पानी पहुंचेगा।

दूसरी बात यह है; बीसलपुर योजना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो रोक लगा रखी है उससे हमारे क्षेत्र के किसानों की रोजी-रोटी छिन रही है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र की भैरुदय योजना जो इस कारण से बार-बार एस.ई. के लेवल पर या असिस्टेंट चीफ के लेवल पर लौटा दी जाती है, उस योजना को बनवाकर कम से कम जयपुर तक वो पहुंचायें। उस पर सरकार को जो निर्णय लेना हो लें परन्तु योजना तो जयपुर तक पहुंचे, यह मेरा निवेदन है।

तीसरी बात, मेरे क्षेत्र में मंडोर बांध है जो बिजौलिया के लिये पेयजल का एकमात्र स्रोत है। वहां पर कई ट्यूब वैल खुदवाये गये उनकी क्षमता आधी रह गयी, बहुत से ट्यूब वैल खतम हो गये। उस बांध को यदि दो फीट और ऊंचा उठा दिया जाय तो पीने के पानी की बिजौलिया की समस्या हल हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पीने के पानी के लिए

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

इस बांध को ऊंचा उठाया जाए। इसके अलावा बांदरमुता, पटियाल और अनुवासा बांध हैं इनको यदि रेज कर दिया जाए तो काफी जमीन वहां सिंचित हो सकती है। हमारे माथुर साहब ने हमारी बहिन जी के नाम पर वहां एक बांध बनाया, सुशीला सागर, उसको भी यदि ऊंचा कर दें तो हमारी बहिन जी का नाम भी रोशन होगा और क्षेत्र के लोगों को भी खेती के लिये पानी मिलेगा।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन और है। बनास पर आपने रोक कर रखी है। हमारे उस क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन बहुत होती है परन्तु बनास का पानी खतम होने की वजह से इस वर्ष तो यह स्थिति हुई कि वे गेहूं की फसल में भी पानी नहीं पिला सके। तो छोटे-छोटे एनीकट बनाकर लिफ्ट इरिगेशन के लिए पानी स्टोरेज के लिए अनुमति दें। वे लिफ्टें जो चल रही हैं, नई स्वीकृति न दें तो भी जो लिफ्टें चल रही हैं वे आराम से चलें और उनकी जमीन सिंचित हो।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने जो सामुदायिक सिंचाई योजना बनायी है, 5–7 खेत वाले मिलकर ट्यूब वैल खुदवाते हैं परन्तु वह योजना हमारे क्षेत्र में लागू नहीं है। यदि 10 खेत वाले मिलकर एक ट्यूब वैल खुदवायें तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे और उन ट्यूब वैल का बीमा करे तो काफी कुछ समस्या सिंचाई की हल हो सकती है। अतः इस ओर भी ध्यान दें।

मैंने परिवहन मंत्री जी को मेरे क्षेत्र में 5–10 बसों के लिये बताया। वहां दो जगह बसें चला दी हैं बाकी के लिये और ध्यान देंगे और बसें चलायेंगे।

ज्यादा न कहते हुए आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़। (अनुपस्थित)

श्री मगराज चौधरी (आहोर) : मैं बोल लूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, उनकी जगह आप बोलें।

श्री मगराज चौधरी : मैं समय सीमा का ख्याल करूंगा परन्तु आप मुझे समय सीमा में न बांधें **because I am speaking for the first time.**

श्री अध्यक्ष : **You are a very senior Member. This is not a maiden speech.**

श्री मगराज चौधरी : **May be like that, but still I must get time.** अध्यक्ष महोदय, बिना भूमिका बनाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से हमें आजादी मिली है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मगराज जी, आप अंग्रेजी में ही बोलें।

श्री मगराज चौधरी : अंग्रेजी आप समझ नहीं पायेंगे, मैं तो बोल लूंगा।

राजस्थान बनने के बाद में और हमारे देश को आजादी मिलने के बाद में करीब 40–45 साल का अरसा बीता है इसमें

(श्री भगराज चौधरी)

राजस्थान में हमने करीबन दो हजार करोड़ रुपये सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किये हैं। इसमें से करीब 50 पर्सेन्ट हिस्सा, करीब एक हजार करोड़ रुपया इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर खर्च किया है और शेष एक हजार करोड़ रुपये सारे राजस्थान की दूसरी परियोजनाएं हैं, मध्यम लघु और वृहद योजनाओं पर खर्च किया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे राजस्थान में खेती का जो कुल रकबा है उसमें से 11 पर्सेण्ट रकबा ही सिंचित क्षेत्र के रूप में बदल पाये हैं। यह हमारी उपलब्धि है। राजस्थान के लिए सिंचाई कितनी महत्वपूर्ण है और सिंचाई के साधन डवलप करना कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में आप सभी जानते हैं। यहां पानी महंगा है और खून सस्ता है, आम तौर पर यह बात कही जाती है। बार-बार जो अकाल पड़ते हैं उसका एक मात्र इलाज मेरे विचार से यही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधन डवलप करने चाहिये, चाहे वे नहरों के जरिये हों, चाहे तालाबों के जरिये हों, चाहे योजनाओं के जरिये हों और चाहे जो जल धरती में है, ट्यूबवैल के द्वारा, कुओं के निर्माण के जरिये सभी प्रकार के साधनों का एक्सप्लायटेशन करके हमें सिंचाई के साधन डवलप करने चाहिए तभी कहीं जाकर हम खेती को एक लाभकारी स्थायी धंधा बना पायेंगे। वरना तो मुझे निवेदन करना पड़ता है कि आज खेती का धंधा घाटे का धंधा रह गया है और अकाल पड़ने पर हमारे प्रान्त की स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से और चरमरा जाती है।

आज हिन्दुस्तान की परकेपिटा इनकम है उसके मुकाबले में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय आज भी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे 85 पर्सेन्ट लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और 10 साल में 7 साल, 8 साल ऐसे निकलते हैं जब हमें अकाल का मुंह देखना पड़ता है और दो साल जब अकाल नहीं पड़ते तब अनाज अगर पैदा हो भी जाता है तो प्राइसेस अनाज की नीचे आ जाती है जिससे कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति वही की वही रह जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो हजार करोड़ की राशि खर्च करने के बावजूद भी 11 पर्सेन्ट धरती पर सरकारी साधनों से सिंचाई करा पाये हैं, तो यह है हमारी उपलब्धि, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और एक-एक बूंद का हमें उपयोग करना चाहिए। पांच पर्सेन्ट रकबा और हमने वृद्धि की है पर वह सरकारी साधनों से नहीं है। उसमें किसानों ने अपने खुद के ट्यूबवैल बनाये हैं, कुएं बनाये हैं और अपने खुद के साधनों से सिंचाई के रकबे में विकास किया है। फिर भी कुल मिलाकर के खेती का रकबा 15-16 पर्सेन्ट बनता है जो बहुत ही कम है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारे जो पश्चिमी जिला है राजस्थान के, उनकी स्थिति तो और भी दयनीय है। जालौर जिला, जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होना तो दूर की बात है, पीने के पानी के लिए भी हमें 5–5, 7–7, 10–10 मील से लाना पड़ता है और जो क्षेत्रीय जल परियोजनाएं सरकार द्वारा बनायी गयी है, वह भी 25–25, 30–30 किलोमीटर से आती हैं और बराबर पानी हमको नहीं मिलता है। तो मैं

(श्री मगराज चौधरी)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई क्षेत्र का विकास तो होना चाहिये, इन्दिरा गांधी परियोजना पूरी होनी चाहिये, दूसरी जो योजनाएं हाथ में ली हुई हैं वह भी पूरी होनी चाहियें मगर मेहरबानी करके सामाजिक न्याय तो हमें भी दीजिये। झुन्झुनूं में, नागौर में, सीकर में, जालौर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में जहां बिलकुल पैसा सिंचाई के साधनों को डवलप करने के लिए सरकार ने खर्च नहीं किया है वहां किसी न किसी प्रकार से हमें भी लाभ दीजिये। अगर वहां सिंचाई के साधन डवलप नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, दूसरी तरफ लगाने के लिए पैसा दिया जाना चाहिये जिससे कम से कम एक क्षेत्र में अगर हम पीछे रहते हैं तो दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले। इस प्रकार का दृष्टिकोण सरकार का होना चाहिये।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जिन्हें आम तौर से हमने सूखा सम्भावित क्षेत्र मानकर डी. डी. पी. के तहत शामिल कर रखा है और जिसके लिए सारी की सारी राशि केन्द्रीय सरकार से हमको मिलती है मगर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस पैसे का उपयोग भी हम लोग बराबर कर नहीं पाये हैं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा लेकिन पिछले एक-दो साल के आंकड़े दूंगा, खास करके पिछले साल के। बाड़मेर जिले में 50 लाख रुपया हमें दिया गया था इसमें से हमने केवल 5 लाख रुपये खर्च किये हैं। जहां 2541 हैक्टेयर सिंचित रकबा हमको डवलप करना था उसके अगेन्स्ट हम करीबन 190 हैक्टेयर डवलप कर पाये हैं। इसी प्रकार से बीकानेर में 37 लाख रुपये दिये गये थे, एक भी पैसा हमने खर्च नहीं किया बाद में। जहां तक जैसलमेर का सवाल है, 32 लाख रुपये दिये गये थे, 4 लाख रुपये हमने खर्च दिये जो कुल आवंटित राशि का 13 पर्सेण्ट बनता है। बीकानेर में जीरो पर्सेण्ट खर्च किया, बाड़मेर में 10 पर्सेण्ट खर्च किया है, जालौर में 83 लाख रुपया दिया था उसके अगेन्स्ट हमने 48 लाख रुपये खर्च करके करीब 35 पर्सेण्ट राशि का उपयोग किया है। यह आंकड़े मैं संक्षेप में दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास सिंचाई के साधन कम हैं, वित्तीय साधन कम हैं, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो राशि हमें दी जाती है उसका उपयोग हम क्यों नहीं कर पा सकते हैं, क्या कारण हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम स्थानीय लेवल पर एनीकट्स के रूप में, खडीन के रूप में करिये और कोई न कोई तरीका निकालिये जो कि सम्भव हो सकता है। मगर उस राशि का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं यह बहुत ही दुःख की बात है।

मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य योजना मद से जो पैसा अलाट करते हैं सिंचाई के साधन विकसित करने के लिये, उस पैसे का उपयोग भी बराबर नहीं कर पाते हैं। 1992-93 में करीब 97 करोड़ रुपये अलाट किये गये थे उस साल तो हमने फिर भी करीबन-करीबन पूरी राशि खर्च कर दी थी और करीबन 12 हजार हैक्टेयर रकबा हमने सिंचित क्षेत्र में डवलप किया था। 1993-94 में हमारी स्थिति, मैं यूं

(श्री मगराज चौधरी)

कहूं कि यह साल जो चल रहा है इस वर्ष में हमारी प्रोग्रेस बहुत ही हल्की है। 150 करोड़ रुपया अलाट किया था उसके अगेन्स्ट में हमने 86 करोड़ रुपया खर्च किया है और जहां तक सिंचित क्षेत्र के रकबे के विकास का प्रश्न है, हमने केवल 4 हजार हैक्टेयर रकबा डवलप किया है। हमारी यह प्रोग्रेस बहुत ही कम है। इस साल हमने करीबन 235 करोड़ रुपये सिंचाई के लिये रखे हैं, अब आने वाला समय बतायेगा कि इस पैसे का कितना उपयोग कर पाते हैं और क्या हमारी वास्तविक उपलब्धि होती है। पैसा खर्च करना अलग बात है और भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना दूसरी बात है। मुझे कहना नहीं चाहिये, आज हमारा लागत खर्चा बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण है। पैसे का दुरुपयोग करना, समय पर काम पूरा नहीं कराना, बहुत सा ठेकेदारी प्रथा से करवाना जिससे 20–25 पर्सेन्ट पैसा तो ठेकेदार ले लेता है, 15-20 पर्सेन्ट पैसा दूसरी प्रकार से चला जाता है और कुल मिलाकर जो राशि हम खर्च करते हैं, चाहे खर्च करना भले ही बता दें किसी साल के अन्दर मगर उसका लाभ भौतिक दृष्टि से हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक बहुत बड़ी हमारी मजबूरी नहीं हो तब तक मेहरबानी करके कोई भी सरकारी कार्य चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा किया जाता हो, चाहे सिंचाई के साधन डवलप करने के बारे में किया जाता हो, ठेकेदारी प्रथा के द्वारा नहीं करवायें तो अच्छी बात है। जब से हमने ठेकेदारी प्रथा चालू की है तब से हमारे राजस्थान के अन्दर दिन दूना और रात चौगुना भ्रष्टाचार फैल गया है, क्योंकि घर बैठे मुझे कमीशन मिल जाता है, घर बैठे दूसरों को कमीशन मिल जाता है, घर बैठे दूसरी बातें भी होती रहती हैं। यह जो बुराई पैदा हुई है इसके ऊपर, अध्यक्ष महोदय, कभी न कभी रोक लगेगी, या नहीं लगेगी यह मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं। ठेकेदारी प्रथा क्यों चालू कर रहे हैं? जब एक ओर हम यह कह रहे हैं कि हमारे यहां अकाल पड़ते रहते हैं, करोड़ों लोग बेकार बैठे रहते हैं, दोनों हाथ खाली रहते हैं, काम उनको मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति के अन्दर जब हजारों-लाखों-करोड़ों आदमी धंधे के लिए तरसते रहते हैं तब उन लोगों को आप डायरेक्टली महकमे की मार्फत क्यों नहीं लगाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? जब ठेकेदार लगा सकता है तब फिर सरकार को खुद को अपनी ओर से, अपनी एजेन्सी के द्वारा लगाने में क्या दिक्कत होती है? जब तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं हो, मेरे ख्याल से, मैं समझता हूं कि ठेकेदारी प्रथा हमको बन्द करनी चाहिये। खैर! जैसी भी स्थिति है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ हमारे जिले की समस्याएं हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, पश्चिमी राजस्थान में जो जिले मैंने बताये हैं उनके लिए सबसे बड़ा बांध है जवाईबांध। जवाईबांध जागीरदारी समय में, रियासती समय में बनाया गया था उससे बड़ा नुकसान हुआ जालौर जिले को। जवाई बांध की नदी जहां इसको टेप किया गया है, रोका गया है वहां से 20–25 किलोमीटर के बाद में जालौर डिस्ट्रिक्ट की बोर्डर शुरु हो जाती है और इस बांध के बनने के बाद में जालौर जिले के हजारों

(श्री भगराज चौधरी)

कुएं जो नदी के दोनों साइड पड़ते हैं, वह सूख गये। यह नदी करीबन 250 किलोमीटर जालौर जिले के अन्दर बहती हुई आगे जाकर लूणी नदी में मिलकर कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बांध के बनने से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो जालौर जिले को हुआ है। अब जो नुकसान होना था वह तो हो गया पर अब जब लिफ्ट सिंचाई योजना के जरिये जोधपुर शहर में पानी आने वाला है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सारा जो बचा हुआ पानी है, मेहरबानी करके आप जालौर जिले को दीजिये जिससे कि जालौर जिले की सूखी धरती, प्यासी धरती को पानी मिल सके। क्योंकि नदी हमारी है, हमारी धरती में से बहती है और आपको मालूम है, आप तो कानूनविज्ञ हैं, नदी के बारे में हमारे अप हैण्ड राइट्स भी हैं। तो हमारे अप हैण्ड राइट्स हैं ऐसी स्थिति में उन राइट्स को आप कब तक हमसे छीनते रहेंगे? यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए जो भी पानी बचे, जोधपुर शहर में पानी आने के बाद लिफ्ट सिंचाई नहर का, वह पानी पाली में नहीं दीजिये। पाली में और भी बांध बहुत हैं, सरदार समन्द बांध भी है, हेमावास बांध भी है, इसका पानी मिल रहा है और कई छोटे-छोटे बंधे हैं। यह पानी आप बचाकर मेहरबानी करके जालौर जिले को दीजिये। जालौर जिले को देने के बाद अगर पानी कहीं आगे बढ़ सकता हो तो बाड़मेर जिले की जो सिवाना तहसील है जो नजदीक का इलाका पड़ता है, वह सूखा इलाका है, सूखी धरती उसमें आप पानी दीजिये, हमें आपत्ति नहीं होगी।

इसके अलावा जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : मैं घण्टी कब तक नहीं बजाऊं?

श्री भगराज चौधरी : जो नहरें बन गई हैं और जो गांव हैं कमाण्ड क्षेत्र में अभी तक पक्की नहीं बनी हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिये, 15 मिनट हो गये हैं। अब घण्टी बजाऊंगा नहीं मैं, आप जल्दी कर लीजिये।

श्री भगराज चौधरी : नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं। जालौर जिले में करीब 32-33 गांव हैं वह जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में पड़ते हैं। दुर्भाग्य से बांध बहुत समय पहले बन गया था पर जालौर जिले की नहर और खालें अभी तक कच्चे हैं उसका सीधा असर यह होता है कि जो पानी हमारे यहां आता है वह टेल एण्ड तक नहीं पहुंच पाता है और पानी का रिसाव भी होता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके शत प्रतिशत पानी का खेती में उपयोग करने के लिए आप इन सारे नालों को पक्का कर दीजिये जिससे कम से कम यह तो न्याय मिले कि जो भी साधन आपने डवलप किये हैं उनके जरिये हमको पूरा का पूरा पानी मिल सके। इसलिए जो भी खालें-नहरें कच्ची हैं उनको आप पक्का कर दीजिये।

इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। दूसरा बांध जालौर जिले में है वह बांकली बांध है जो आहोर तहसील में आया हुआ है। बांकली बांध की स्थिति भी यही है। उसके भी कमाण्ड क्षेत्र

(श्री मगराज चौधरी)

में 5-7 गांव पड़ते हैं, वहां पर भी नहरें और खालें कच्चे हैं, बांध बहुत पहले बनाया गया था, उसके कारण से पानी परकोलेशन के जरिये बहुत बेकार जाता है और सिंचाई क्षमता पूरी डवलप नहीं हो पाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस बांध के नीचे कमाण्ड क्षेत्र में जो नहरें और खालें हैं उनको मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके, आप पक्का करवा दीजिये और जिनका निर्माण नहीं हुआ है, अभी खालें अधूरे हैं नहरें अधूरी हैं उनको बनाकर, निर्माण कार्य करके उनको पूरा कर दीजिये। यह मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है।

एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा। बांखली बांध में मिट्टी काफी जमा हो गयी है, करीब 3-4 फीट, इससे इसकी भराव क्षमता घट गयी है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 20-25 साल के बाद में भराव क्षमता बनाये रखने के लिये इस बांध को ऊंचा करना भी जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांखली बांध की भराव क्षमता बराबर बनाये रखने के लिए तीन फीट उसकी पाल को ऊंचा लिया जाए।

(21.00)

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। जैसा नर्मदा का हवाला दिया गया, जालौर जिले में लूणी, जैतपुरा और बनास नदी हैं। बनास सिरोही में है, जैतपुरा जालौर में है और लूणी भी मैं समझता हूं कि अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हुई जोधपुर में से होती हुई आखिर में बाड़मेर और जालौर जिले में आती है। करीब 150 किलोमीटर लूणी नदी जालौर में बहती है और आगे जवाई, लूणी, सूकड़ी, बांडी खारी ये पांचों नदियां जालौर जिले में दो-तीन स्थानों पर जाकर मिल जाती है। यह सारा का सारा पानी जब भी बाढ़ आती है तो बहुत बड़ी मात्रा में बहकर गुजरात के रण आफ कच्छ में गिर जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि टेक्निकल दृष्टिकोण से इस बात को एक्जामिन करना चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में पानी बाढ़ आने से गुजरात में चला जाता है, रण आफ कच्छ में गिर जाता है तो क्यों नहीं चार-पांच स्थानों पर बड़े-बड़े अर्दर्न डेम्स बनाये जाएं जिससे कि उस पानी का उपयोग हो सके। कहने को कह सकते हैं अधिकारीगण कि वहां पर कोई बड़ी रोक्स नहीं हैं, फलां बात नहीं मगर अर्दर्न डेम्स का, बराबर ढंग से पीचिंग किया जाए और एक जगह बड़ा बांध नहीं बनाकर पांच-सात जगह आब्स्टेकल पैदा करके पाले बनाकर उस पानी को तेज गति से, तेज़ वेग से बहकर गुजरात में जाने से रोक सकते हैं, पानी का फैलाव कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा क्षेत्र में पानी फैल सके, उसका हम को लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री मगराज चौधरी : अब मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। जगदीपजी धनखड़ साहब ने आपके लिये बहुत त्याग किया है।

श्री मगराज चौधरी : I am finishing my speech.

जहां तक यातायात विभाग से सम्बन्धित मामला है, मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री भगराज चौधरी)

कि जयपुर में कई अरसे से आने का काम पड़ रहा है, जब तक कांग्रेस का राज था, श्री व्हीलर, टैम्पो बराबर मीटर प्रणाली से चलते थे, दिल्ली जैसे महंगे शहर के अन्दर मीटर प्रणाली से जब टैम्पो चल सकते हैं तो 7-8 सालों से क्या दिक्कत हो गयी, जयपुर में टैम्पो मीटर प्रणाली से क्यों नहीं चल रहे हैं? हर यात्री-का शोषण कर रहे हैं। बारगेनिंग करनी पड़ती है और बारगेनिंग करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूं, विधायक नगर से यहां आने में 25-30 रुपये देने पड़ते हैं। मीटर प्रणाली के आधार पर हम आएंगे तो मुश्किल से 10 रुपये देकर आएंगे। तो मेहरबानी करके इसको चैक करिये, विभाग की कोई मिलीभगत है इसमें या और कोई बात है। एक बार मैंने पूछ भी लिया आज से 10 दिन पहले, मुझे वहां से स्टेशन जाना था, उसने 20-25 रुपये मांगे, मैंने कहा कि क्या बात है, मीटर क्यों नहीं चलाते हो? तो उसने कहा साहब, मीटर कैसे चलावें, हमें बहुत बड़ी राशि हमारी यूनियन के माध्यम से आगे देनी पड़ती है। अब आगे कहां देनी पड़ती है.... (व्यवधान)....नहीं, हमारे राज में बराबर चलते थे, जब से भाजपा का राज बना, जब से आपका राज बना 4 साल पहले, आपने कुछ नहीं किया इस विषय में। कांग्रेस के राज में व्यवस्था बराबर ठीक थी मगर उसके बाद में व्यवस्था गड़बड़ा गयी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, सारे अधिकारीगण जयपुर में मेहरबानी करके यातायात व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद, एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : आप भले ही काउंट कर लें। मैं सिर्फ पर्यावरण पर आता हूं, और वह भी शोर और वायु प्रदूषण, यातायात के सम्बन्ध में। इसके लिये इलेक्ट्रिक हॉर्न रखने के ऐसी सजा तजबीज की जाए कि इतना निश्चित हो जाए कि हॉर्न यूज नहीं करें। दूसरा, वायु प्रदूषण के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। कमिश्नर के जहां हैडक्वार्टर हैं, डी.टी.ओ. को इस बात के लिये इसमें रखा जाए कि वह वायु प्रदूषण चैक करे और उसके बाद ही फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। इतना ही निवेदन है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामनारायण डूडी। (व्यवधान) आ रहा है, सबका नाम आ रहा है।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, सारी कविताएं बेकार हो जाएंगी बनायी हुई।

श्री अध्यक्ष : कविताएं बनायी हुई हैं?

एक माननीय सदस्य : निर्दलीयों की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लें, अब ये एक-एक मिनट में समाप्त कर रहे हैं।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिंचाई

(श्री रामनारायण डूडी)

के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं जोधपुर के भोपालगढ़ से आता हूं, जहां पर कोई बड़ा बांध नहीं है, न वृहद् योजना है, न लघु सिंचाई योजना है। हमारे यहां सिंचाई लिफ्ट से होती है, कुओं के माध्यम से और ट्यूब वैल्स के माध्यम से। पानी जो रिचार्ज होता है रिचार्ज में छोटे-छोटे बंधे बने हुए हैं, छोटे-छोटे एनीकट्स बने हुए हैं और कई सालों से कई अधूरे पड़े हुए हैं। किसी का वेस्ट वेयर बना हुआ है, किसी का अर्थवर्क इनकम्प्लीट है। किसी का अर्थवर्क कम्प्लीट है तो वेस्ट वेयर इनकम्प्लीट है। इस प्रकार के जो काफी बांध, एनीकट्स, खडीन हैं उनको पूरा कराया जाए, उनके वेस्ट वेयर को बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर जिले में एडीशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट है और जोधपुर में इस पोस्ट के बाद जो स्थिति है, जो पैसा दिया जाता है, वह पैसा योजनागत तरीके में खर्च नहीं हो रहा है। आपने करीबन 200 लाख रुपये दिये और उसमें से केवल 90 लाख रुपये खर्च हुए। सारी की सारी योजनाएं छोटे एनीकट्स, छोटे बांध जो जे.आर.वाई. के अन्तर्गत 30–31 सैंक्शन किये हुए हैं उनमें से 11 अधूरे पड़े हुए हैं। जो छोटे-मोटे सर्वे हो चुके हैं, जिनको स्टार्ट करना है, वे स्टार्ट नहीं हो हो रहे हैं। 2–3 सालों से किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। जिस एरिया में डिस्चार्ज हो रहा है लिफ्ट इर्रिगेशन के माध्यम से, रिचार्ज का कोई काम ही नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बिलाड़ा क्षेत्र के अन्दर अच्छे से अच्छे एनीकट जब मैं था तो हमने बनाये, आज उनको आप देखिये, पोटेंशल बढ़ा है, वाटर लेवल बढ़ा है और इनडायरेक्ट बेनीफिट मिला है वह बहुत ज्यादा मिला है।

तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं, जवाई कैनाल का जो कमाण्ड एरिया है, जोधपुर के लिये पिछली बार करीबन 3500 एम.सी.एफ.टी. पानी रिजर्व रखा गया और यूज में लिया गया केवल 2000 एम.सी.एफ.टी. पानी, यानी 1500 एम.सी. एफ.टी. पानी यूं का यूं पड़ा रहा, काश्तकारों को पानी नहीं दिया गया, वहां 50 हजार हैक्टेयर से ज्यादा जमीन में बुआई होती। इस बार इन्होंने 4400 एम. सी. एफ.टी. पानी रिजर्व रखा है। आपके नहर की जो क्षमता है, महीने के अन्दर 800 एम.सी.एफ.टी. पानी उससे डिस्चार्ज होता है जो जोधपुर पहुंचता है। तो बीच के अन्दर मैं निवेदन करना चाहता हूं, न तो इर्रिगेशन वाले उनको ठीक करवाते हैं, न पी.एच.ई.डी. वाले करवाते हैं। जवाई से निकलकर सांडेराव तक, आप देखिये, बहुत ही ज्यादा वाटर लागिंग हो रही है। जगह-जगह से नहर टूटी हुई है, फूटी हुई है, इसकी रिपेयर नहीं हो रही है। काश्तकारों के खून-पसीने का जो पानी है उसको बरबाद कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करना चाहता हूं इन्दिरा गांधी नहर पर जैसा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा, 40 साल में क्या किया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, 40 साल के अन्दर कांग्रेस पार्टी ने वह आधारभूत ढांचा तैयार किया है जो आज तीर्थस्थल है। आपने देखी होगी जवाहर सागर योजना, गांधी बैराज देखा

(श्री रामनारायण डूडी)

होगा, आपने राणा प्रताप सागर देखा होगा। उन जगहों पर जाकर अन्दर से देखिये, आज जितनी भी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, इन्दिरा गांधी कैनाल के,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मरुस्थल में काम करने वाले मजदूर, काम करने वाले ए.ईएन., काम करने वाले इंजीनियर्स और जो भी तकनीकी आदमी वहां काम करते हैं, किस वातावरण में रहते हैं वे लोग। आंधियों में आधी मिट्टी खाकर मजदूरों ने उस नहर को बनाया है। आज जिस प्रकार से हरा-भरा कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उस नहर परियोजना को धन आबंटित करके शीघ्र पूरा कराया जाए ताकि लाखों लोगों का भाग्य जुड़ जाए।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री महावीर भगोरा।

श्री रामनारायण डूडी : दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपकी मोटरें चालू हो जायेंगी, नाम लिखा देना आप।

श्री रामनारायण डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं। रोडवेज के अन्दर गाड़ियां नहीं हैं। जो लोग प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, रोडवेज का किराया जोधपुर का 92 रुपये लगता है और प्राइवेट गाड़ी का किराया जोधपुर जाते हैं तो 60 रुपये लेते हैं। आपकी न तो गाड़ी ठीक है, न कोई व्यवस्था ठीक है। या तो डीलक्स गाड़ियां हैं प्राइवेट वालों की, उनको चालू कर दें या इनका किराया कम कर दें। किराया इतना वसूल करने के बाद भी निगम घाटे में चल रहा है। आज इनका डिपार्टमेंट नफे में आया है तब से इन्होंने अनुबंधित गाड़ियां ली हैं। रोडवेज के स्टैण्ड्स की हालत यह है कि गन्दगी के ढेर ही ढेर लगे हुए हैं। कम से कम उनकी सफाई तो करवा दें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आपका पाइंट हो गया। श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 46 के संदर्भ में उदयपुर सम्भाग और उदयपुर जिले के संदर्भ में यहां चर्चा में अपनी बात रखना चाहता हूं। उदयपुर सम्भाग पहाड़ी क्षेत्र है और वहां के जो आदिवासी हैं वह अपनी छोटी-छोटी खेतियां पहाड़ी ढलानों पर करते आये हैं। उस क्षेत्र में बड़े बांध उपयोगी साबित नहीं हुए हैं। उन बांधों ने आदिवासियों को विस्थापित ज्यादा किया है, पुनर्वासित कम किया है। तो यह बात मैं यहां कहते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में छोटे और लघु बांधों का प्रपोजल तैयार किया जाए और विशेष रूप से जो एनीकट बनाने की मांग यहां सभी सदस्यों की ओर से की गयी है उनके पुनर्निर्माण की स्वीकृति हेतु सरकार पुनर्विचार करे। एक तो मेरा निवेदन यह है।

दूसरा यह है कि उस क्षेत्र में जो छोटे डेम बने हुए हैं उन डेम्स से स्थानीय किसान प्रभावित हुए हैं। विशेष रूप से मैं कोटड़ा क्षेत्र की बात करता हूं, कोटड़ा क्षेत्र में शही डेम और कालीबोर डेम जो बने हैं उससे

(श्री महावीर भगोरा)

पाली, जोधपुर और सिरोही को पानी पीने और सिंचाई के लिये जा रहा है जबकि हमारे वहां के किसान पानी की बूंद-बूंद के लिये तरस रहे हैं। तो कोई ऐसी योजना बनायी जाए जिससे उन लोगों को भी फायदा मिले। मेरे क्षेत्र में दो-तीन योजनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर आर.एल.ई.जी.पी., एन.आर.ई.पी. या डी.पी.ए.पी. में काफी पैसा खर्च किया है, दस से लेकर तीस लाख तक की राशि खर्च की है। उनके निर्माण के लिये डिपार्टमेंट टोकन बजट का कोई प्रावधान करे ताकि उन योजनाओं को स्वीकृति मिल सके और कार्य प्रारम्भ हो सके।

एक मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहां दस-बारह महीने तक नदी-नालों में पानी बहता है, उस पानी को रोकें। जिस तरह से वहां का अनपढ़ आदिवासी किसान अपने खेत में एक से चार किलोमीटर तक नाली बना कर पानी ले जाता है उन नदी-नालों से, उन किसानों से राय करके या उनसे प्रेरणा लेकर सिंचाई विभाग वहां पानी को रोके और उनकी नालियों को पक्का करे ताकि वह अपने स्वयं के पैरों पर खड़े हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 12 पर भी निवेदन करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र का कोटड़ा तहसील मुख्यालय है। उस कोटड़ा तहसील मुख्यालय से दिन में दो बजे के बाद उपखण्ड मुख्यालय या जिला मुख्यालय तक कोई भी बस नहीं चलती है जिससे वहां के आवासी अपने कार्य के लिये सीधे वंचित हैं।

श्री अध्यक्ष : आप गांवों के नाम लिख देना बस के, मंत्रीजी विचार कर लेंगे।

श्री महावीर भगोरा : नहीं, कुछ और निवेदन है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : हो गया। नैक्स्ट, श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव नम्बर दो, झुन्झुनूं जिले में सिंचाई हेतु यमुना नदी का जल लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये मैं कोई भाषण नहीं दूंगा लेकिन 1973 में मैंने यह मामला उठाया था तो तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी ने जवाब दिया था, "रामनारायणजी ने भी जिक्र किया था कि हमारे यहां गंगा फ्लड्स का पानी लाने की स्कीम थी, ऐसा लगता है कि वह स्कीम ड्राप हो गयी है। वह स्कीम ड्राप नहीं हुई है। उसमें एक कारण अपना है कि राज्य में कोई भी बांध नहीं है, यानि एक चम्बल नदी अपने राजस्थान में बहती है जिसे पेरीनियल कह सकते हैं किसी हद तक, उसका बांध भी मध्य प्रदेश में है, जो गांधी सागर है। दो सौ मील तक बोर्डर में लाने में दूसरे इलाके में चलना पड़ता है। तो राजस्थान में ऐसी कोई पानी की योजना नहीं जो आसानी से लाई जा सके। इसलिये हमें भी बहुत सी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि कावेरी का पानी वे ले जाएंगे और गंग कैनाल का पानी वे ले जाएंगे। हमने उनसे कहा कि जैसे भरतपुर, आगरा, मथुरा के इलाके से जो पानी फ्लड्स का यमुना के जरिये गंगा में जाता है उसका अलीगढ़ के पास बैराज लगाकर हरियाणा और राजस्थान में लिफ्ट इरिगेशन की सुविधा दी

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाए और इस बात को वे मान चुके हैं और अब जितनी गंग कंट्रोल फ्लड्स की मीटिंग होती हैं उसमें वे हमें भी इन्वाइट करते हैं और वे हमारा हक नहीं मानते तो वे हमें बुलाते ही नहीं। इसलिये यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें वह हकदार नहीं मानते हैं। हमारा पूरा हक है लेकिन लिफ्ट इरिगेशन में कितना खर्चा होगा इसका सर्वे करवायें, कई जगह करवा चुके हैं, नक्शे बनवा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जब कभी हरियाणा को पानी मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। झुन्झुनूं का जिक्र आ गया। अब वहां लिफ्ट स्कीम बनायी है। तीन-चार बाकी स्कीम्स हैं जो बन कर पानी लगना शुरू हो गया उनके इलाके में। उसके लिये हरियाणा ने फैसला किया है कि जितने पानी की स्कीम बन चुकी है धीरे-धीरे हमारी जमीन पर इस पानी से इरिगेशन होती जायेगी। बड़ी स्कीम जवाहर के नाम से है वह बाकी है। उसमें हमने शुरू से कहा है, हमारा हिस्सा उसमें होना चाहिए। तीन सौ क्यूसेक पानी अपने को देने को तय किया है जिससे झुन्झुनूं इलाके में करीब डेढ़ लाख एकड़ जमीन इरिगेशन में आयेगी। वह अब जल्दी शुरू करने वाले हैं।"

केदारनाथ जी बीच में बोल गये, झुन्झुनूं में शावर्स आ जाएंगे। रामचन्द्र चौधरी ने कहा कि वह जल्दी आ जाएंगे क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा तीन साल लग सकते हैं। दिनेशरायजी डांगी ने कहा कि गंगा का पानी कितने जिलों में जायेगा। रामचन्द्रजी चौधरी ने जवाब दिया कि झुन्झुनूं, सीकर और कुछ हिस्से में चूरू और नागौर के। गुमानमलजी लोढ़ा ने कहा कि बाड़मेर भी, जोधपुर भी। एक माननीय सदस्य ने कहा, बीकानेर भी। रामचन्द्रजी चौधरी ने कहा, बीकानेर राजस्थान लिफ्ट इरिगेशन आ रही है, नौखा की तरफ से दूसरी लिफ्ट इरिगेशन आ रही है। रामनारायण चौधरी ने कहा कि डेढ़ लाख एकड़ बता रहे हैं आप गंगा का पानी। तो रामचन्द्रजी चौधरी ने कहा कि वह दूसरी है, जवाहर लिफ्ट स्कीम है। हरियाणा की स्कीम शुरू कर रहे हैं जिसका तीन सौ क्यूसेक पानी वह हमें देंगे लुहारू से। तो रामनारायण चौधरी ने कहा कि नहीं। दिनेशरायजी डांगी ने कहा कि गंगा का पानी आयेगा तो आप भागीरथ हो जाएंगे। केदारजी ने कहा कि यू.एन.ओ. की टीम आ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : यह प्रोसिडिंग्स है, पढ़ लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : तो, मान्यवर, रामचन्द्रजी तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने यह प्रोग्रेस....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गागर में सागर भर दिया आपने।

श्री रामनारायण चौधरी : पढ़ने की बात नहीं है। तो यह उसका रेफरेंस है जो मैंने कट मोशन दिया है। अब जमुना का और गंगा फ्लड का वाटर, तो वह जो एक-डेढ़ लाख एकड़ की झुन्झुनूं की सिंचाई करने का उन्होंने दिया वह तो हरियाणा का अलग दूसरी स्कीम का है और रामचन्द्र जी चौधरी ने उस वक्त जवाब दिया था

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर और सीकर, झुन्झुनूं और नागौर का कुछ हिस्सा, 40 हजार क्यूसेक पानी फ्लड का देने का था।

तो, मंत्री महोदय, आप सिंचाई मंत्री भी रहे हैं, मेरा इन्टरेस्ट यही है, ज्यादा भाषण नहीं है कि झुन्झुनूं, सीकर और चूरू के बारे में यह जो उस समय आपके प्रिडिसेसर सदस्य रामचन्द्रजी साहब ने कहा, इसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या स्थिति है, यह फ्लड वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी कल यू पी. के चीफ मिनिस्टर माननीय मुलायम सिंह जी आये थे और जैसा कि अखबारों में छपा है, मुख्य मंत्रीजी से बात हुई है कि उनकी जो पहले रुकावट थी वह रुकावट वह कह रहे हैं कि हट गयी, हमारा तो राजस्थान से समझौता हो गया। तो राजस्थान और यू.पी. एक हुए और उसके बाद सिर्फ हरियाणा बचता है तो हरियाणा तो पहले ही तीन सौ क्यूसेक देने के लिये तैयार था। तो मंत्रीजी इस मामले में बतायें कि हमारे इन जिलों सीकर, झुन्झुनूं, नागौर और चूरू में क्या संभावनाएं हैं। कुछ संभावना है या नहीं? यही मैं आपसे जानना चाहता हूं। इसमें मेरा ही नहीं, सीकर का भी इन्टरेस्ट है, नागौर का भी है, चूरू का भी है। हमारा सबका इन्टरेस्ट है इसमें और यह सब डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इसमें जैसा कि दिनेशरायजी डांगी ने कहा कि यह पानी आ जायेगा तो आप भागीरथ हो जाएंगे, अगर यह पानी इन जिलों में हो जायेगा तो सचमुच में ही यह भागीरथ का काम होगा।

यही बात, अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिनारायण बैरवा (अनुपस्थित)। श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सम्माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में सुव्यवस्थित सिंचाई व्यवस्था का एक विशेष स्थान है। कृषि और उद्योग दोनों इस पर आधारित हैं। सिंचाई के मामले में साइन्टिफिक तरीके से सरकार विचार करे। इस प्रकार की भावना जो आज सिंचाई मंत्री का कार्य देख रहे हैं, पर जो विधिवत रूप से सिंचाई मंत्रालय भी सम्भाल रहे थे, उन्होंने 16 मार्च, 1992 को इस सदन में कही, मेरा यह इशारा मेघवालजी की तरफ है, जिन्होंने राजस्थान के इरिगेशन पोटेंशल को सही तरीके से एक्सप्लायट करने की दिशा में सिंचाई का एक मास्टर प्लान बनाने की बात की थी। मैं समझता हूं कि यह सरकार इस मामले में निश्चित रूप से आगे कदम बढ़ायेगी।

मान्यवर, समय को देखते हुए मैं तीन-चार बातों की ओर आपको इशारा करूंगा। पहला, तालाब विकास के लिये सरकार को निश्चित रूप से अलग दृष्टिकोण रखना चाहिए, कोई इलाका ऐसा नहीं है जिसमें तालाब और एनीकट की शिकायत नहीं हो। मेरा सुझाव है कि यदि तालाब और एनीकट के विकास को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कार्य करेगी तो निश्चित रूप से उस इलाके में सिंचाई की बात आगे बढ़ेगी जहां सिंचाई के और साधन नहीं हैं। तालाब और एनीकट विकास बोर्ड का गठन किया जाए यह मेरा सरकार के समक्ष एक सुझाव है। इससे अधिकतर इलाकों में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकेगा और

(श्री जगदीप धनखड़)

काफी लोगों को राहत मिल पायेगी। वर्तमान स्थिति में देखा गया है कि जगह-जगह तालाब बने हुए हैं, उन तालाबों की मरम्मत नहीं हो रही है। किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अराई हल्के में 90 से ज्यादा तालाब क्षतिग्रस्त हुए। मैंने यहां प्रश्न पूछा, जवाब आया, पर यह नहीं कहा गया कि उसकी मरम्मत हो गयी है। यदि इस प्रकार का कोई सुपरवाइजरी बोर्ड बने जो पूरे राजस्थान में इस चीज को बढ़ावा दे और मरम्मत का ख्याल रहे तो मैं समझता हूं कि सिंचाई के मामले में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी।

मान्यवर, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सिगला बांध और कडाला बांध की समस्या काफी विकट है। किसानों को काफी परेशानी में डाल रखा है। एक के बाद एक कान्ट्रेक्टर आ रहे हैं पर काम पूरा नहीं किया जा रहा है। मैं उस इलाके में गया, मैंने लोगों से बात की, सण्डे था, अधिकारियों को भी बुलाया, उन्होंने कहा कि जयपुर से हमें पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहां भी मैंने अधिकारियों से बात की। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, जब करीब 30 से ज्यादा गांवों का हित उससे जुड़ा हुआ है, उस इलाके की विकास की काफी समस्याएं उससे जुड़ी हुई हैं तो क्यों सरकार उस ओर अनदेखी कर रही है? क्यों सरकार उस मामले के अन्दर पूरा ध्यान नहीं दे रही है? कडाला बांध के मामले में एक मौके पर सरकार ने कहा कि हमें विश्व के किसी देश से सहायता मिल रही है। फिर कहा, सहायता के मामले के अन्दर विचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें।

मान्यवर, जब भी मुख्य मंत्रीजी सत्ता सम्भालते हैं, बातें बहुत ऊंची करते हैं, विकास की तो इतनी जबरदस्त बातें करते हैं, जिसका हवाला बार बार हम यहां दे चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सिंचाई के मामले में सबसे अहम् मुद्दा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। उन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिजोलूशन के लिए सरकार कदम उठाये और उनकी मानीटरिंग के लिए मेरा सुझाव है कि इस सदन की एक समिति बनायी जाए। यह इतना अहम् मुद्दा है, यदि सदन की एक समिति बनेगी, पीरियोडिकल मानीटरिंग उसकी होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान का हित सुरक्षित रहेगा।

मान्यवर, मैं दो सुझाव यातायात मंत्री जी को भी मेरे इलाके के विकास के लिए दूंगा। किशनगढ़ का स्थान राजस्थान में मार्बल उद्योग बस्ती के रूप में उभर रहा है। आस-पास के कई गांवों के लोग मजदूरी करने के लिए किशनगढ़ आते हैं। पर लगता है कि राजस्थान के यातायात विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। मेरी मंत्रीजी से काफी आशाएं हैं, मेरा विश्वास है कि मंत्रीजी इस ओर पूरा ध्यान देंगे और जहां औद्योगिक बस्ती है, जैसे किशनगढ़ है, आस-पास के जितने भी गांव लगते हों, वहां के मजदूरों को सहायतापूर्वक उस इलाके में पहुंचाया जा सके, इस बात की जांच करवा कर वहां यह व्यवस्था करवायेंगे।

(श्री जगदीप धनखड़)

मान्यवर, कल मैं किशनगढ़ गया था, स्वतन्त्रता सेनानियों का एक सम्मेलन था। बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार पता नहीं क्यों उनके प्रति कंजूसी कर रही है? सबके मन में आक्रोश था। उन्होंने कहा, जब हम राजस्थान की 'सम्मान पेंशन' का कागज उत्तर-प्रदेश में दिखाते हैं तो उत्तर-प्रदेश वाले अपनी रोडवेज में स्वतन्त्रता सेनानी के साथ एक व्यक्ति को और परमिट करते हैं, राजस्थान रोडवेज भी अपने कर्मचारियों के मामले में यह सहूलियत दे रही है कि उनके साथ कोई कम्पेनियन जा सके। मान्यवर, स्वतन्त्रता सेनानियों की सेवा को देखते हुए, उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए मैं समझता हूं कि यातायात मंत्री भी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की यह सेवा उनको देने की घोषणा निश्चित रूप से यहां करेंगे।

समय को देखते हुए, मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

एक माननीय सदस्य : बोल गये।

श्री अध्यक्ष : बोल गये। श्री हीरालाल इन्दौरा। आ रहा है। इनकी कविताओं का रस तो आपको मिलेगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की चर्चा पर आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की सबसे पुरानी नहर, गंग कैनाल, जिसने गंगानगर क्षेत्र का तो विकास किया ही और वहां खुशहाली भी आयी, राजस्थान को आज तक रेवेन्यू भी दिया। लम्बी आयु को देखते हुए पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने यह महसूस किया कि गंग कैनाल का जो हिस्सा पंजाब में आता है वह टूट गया है और गंग कैनाल की जो कैपेसिटी है पानी की, वह लेने में असमर्थ है। तो पिछली कांग्रेस (इ) सरकार ने, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय शिवचरण माथुर के नेतृत्व में गंगानगर जाकर यह निर्णय लिया कि इस पुरानी नहर की मरम्मत होनी चाहिए, जिससे कि यहां का खुशहाल किसान उजाड़ नहीं हो और यह तय किया कि जब इस नहर की मरम्मत हो तो उस पानी का उपयोग रुके नहीं और दूसरे सिस्टम से पानी गंगानगर में ला करके गंग कैनाल के इलाकों को सिंचित और विकसित किया जाए। इसके लिये लिंक चैनल के नाम से एक योजना बनायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसद यही था कि गंग कैनाल की मरम्मत हो और जो गंग कैनाल का एरिया है वह उजड़े नहीं और पानी का उपयोग हो, पानी इस क्षेत्र में आये। उसके लिए 27 करोड़ रुपये खर्च करके नहर का निर्माण किया गया। अध्यक्ष महोदय, 27 करोड़ रुपया खर्च हो गया और खर्च होने के बाद में लिंक कैनाल बनकर पूरी हो गयी, राजस्थान कैनाल पर उसका हैड बनने वाला था वह बन गया और टैस्ट के तौर पर एक दिन वहां पानी भी छोड़ दिया गया। लेकिन तकलीफ इस बात की है, जो मक-

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सद था राजस्थान सरकार का या पिछली कांग्रेस सरकार का कि इस नहर की जो पुरानी नहर है, उसको बीकानेर नहर भी कहते हैं, महाराजा गंगासिंहजी ने 1927 में बनवायी उसका जीर्णोद्धार हो, मुख्य मंत्री जी ने इस नहर के बारे में थोड़ा-सा भी चिन्तन अपने भाषण में नहीं किया।

मैं एक बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पांच करोड़ साठ लाख रुपये भेजा, गम्भीरी और जयसमन्द नहरों का पक्का निर्माण करने के लिए रखे। उसमें हमारी गंग कैनाल की नहरों को पक्का करने का भी प्रावधान रखा उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी को लेकिन तकलीफ इस बात की है, और इससे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे, राजस्थान की इस गंग कैनाल के इतिहास में 68 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि गंगानगर की यह गंग कैनाल अपने हिस्से का पानी नहीं ले पायी है। आज जो शासन में बैठने वाले हैं, अभी जो राज में हैं उन्होंने पहले 1977 में राज किया है तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी और कांग्रेस ने भी राज किया तब भी ऐसी आफत नहीं आयी थी। आज हालत यह है कि फसल उगने को तैयार है और 2750 क्यूसेक की नहर में सिर्फ 800 क्यूसेक पानी ही चल रहा है यह गंग कैनाल के इतिहास में पहला अवसर है। टंकिया जल रही हैं, जो उपजाऊ जमीन थी वह सूखी पड़ी है और राजस्थान का सिंचाई विभाग सोया पड़ा है। उसको गंग कैनाल जो पांच-दस इलाके के किसानों की खुशहाली का एकमात्र साधन है और राजस्थान को सबसे बड़ी रेवेन्यू देती है उसका ज़रा-सा भी ख्याल नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मकसद यह था कि गंग-कैनाल की लिंक चैनल बना करके उसका पानी डाइवर्ट करके गंग कैनाल के क्षेत्र में लिया जाए और जो पुरानी बीकानेर नहर है उसकी मरम्मत का काम हाथ में लिया जाए, परन्तु इस दफा उसके बारे में कहीं कोई प्रोविजन नहीं रखा है। ना कोई बजट रखा है, ना कोई सहायता राशि रखी गयी है। तो एक साल और आगे चला गया। 27 करोड़ रुपया लगा हुआ एक साल के लिए वेस्ट चला गया। अच्छा होता यह जो 27 करोड़ रुपया लगा है उस लिंक चैनल का उपयोग होता और पुरानी गंग कैनाल, बीकानेर की मरम्मत का काम सुचारु रूप से होता। वह नहीं हुआ, इस बात की गंगानगर के किसानों को बहुत तकलीफ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल में पहले पानी हुसैने वाले हैड से लिया जाता था। सीमावर्ती क्षेत्र में आने की वजह से यह पानी हरीके पत्तन से फिरोजपुर फीडर से लिया गया। बारह लाख रुपया पंजाब सरकार को दे दिया गया और पानी जीरो हैड से 45 आर डी. तक लाकर के गंग कैनाल में डाला गया। अध्यक्ष महोदय जीरो आर. डी. से 45 आर. डी. के बीच में यह हालत है कि वहां दूब खड़ी है, ढूंढे खड़े हैं, सिल्ट पड़ी है और उसकी वजह से जो हमें पानी का हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता है। अच्छा होता कि पानी देने से पहले सिंचाई विभाग के कर्मचारी और मन्त्रीगण इस पर सोचते कि

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

वास्तव में जीरो हैड से 45 ग्रार. डी. तक लेने की क्षमता उस नहर की है या नहीं। लेकिन बगैर सोचे समझे पानी छोड़ दिया गया ग्रौर आज हालत यह है कि 2750 क्यूसेक की नहर में 800 क्यूसेक पानी चल रहा है। ग्रध्यक्ष महोदय, बहुत चिन्ता है, यह राजस्थान की रेवेन्यू का सवाल है, राजस्थान के क्षेत्र के विकास का सवाल है, ग्रौर राजस्थान के उस क्षेत्र, जो लोग कहते हैं खुशहाल क्षेत्र है, का सवाल है। मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस नहर की मरम्मत का काम सरकार को हाथ में लेना चाहिए।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापने बहुत अच्छा पाइंट रखा है, ग्रब समाप्त करिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कभी-कभी ही बोलता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : जब मौका मिलता है सभी बोलते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ग्रन्याय तो हमारे साथ हो रहा है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप नेताग्रों में हैं इसलिए ग्रापका नम्बर तो लास्ट में ग्राना चाहिए। उप मुख्य सचेतक हैं ग्राप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : ग्रध्यक्ष महोदय, एक भागसर 'डी' माइनर है। जब कच्ची थी वह कभी नहीं टूटी, 2600 क्यूसेक की नहर है, और पक्की होने के बाद में 18-19 बार वह नहर टूट चुकी है। लेकिन विभाग का ध्यान कभी इस ग्रोर नहीं गया कि कच्ची थी तब नहर नहीं टूटी ग्रौर पक्की होने के बाद 18-19 बार टूट गयी।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट ग्रौर ग्रापके लूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिये। बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : दूसरा मेरा निवेदन यह था गंग कैनाल एरिया में बहुत-सी बी. एस. एफ. ग्रौर सी. ग्रार. पी. की कालोनियां बन गयीं। कुछ एरिया ग्राबादी में ग्रा गया ग्रौर उसका जो इरिगेशन का पानी बच गया उस पानी का दुरुपयोग हो रहा है। कर्मचारी ग्रपनी मिलीभगत से वह पानी कहां किस किसान को देते हैं यह कुछ मालूम नहीं। मेरा निवेदन है कि जो पानी सी. ग्रार. पी. या बी. एस. एफ. कालोनी में चला गया या ग्राबादी क्षेत्र में जो जमीन ग्रा गयी उसका पानी बच गया वह पानी या तो ग्रनकमाण्ड के किसानों को दिया जाए या फिर जो किसान काश्त करते हैं उन्हीं में बराबर बांट दिया जाए।

ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन ग्रौर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नहर है 'ए' माइनर। वह लगभग 17 किलोमीटर लम्बी है ग्रौर 15 से 25 किलोमीटर तक उसमें पानी ग्राता है ग्रौर तीन किलोमीटर बाजार के ग्रन्दर से, गंगानगर शहर के ग्रन्दर से निकलती है। गंगानगर शहर में उस नहर के किनारे-किनारे व्यापारियों ने ग्रौर शहर के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहां होटल बने हुए हैं। वहां गन्दगी डालते हैं, वाटर लासेज होता है। तो, ग्रध्यक्ष

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

महोदय, उस कैनाल में जो पानी आता है, वाटर लासेज इतने हो जाते हैं कि किसान जो 10 'ए' तक के हैं उनको पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस माइनर को शहर से बाहर निकाला जाए और निकलाने में जो लैण्ड लेने में मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को, उसके लिये जो आपकी कीमती जमीन है शहर की, उसको बेच कर के उसका पैसा लगा कर के किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाए ताकि यह नहर बाहर से निकल जाए और जो लासेज ऑफ वाटर हो रहा है शहर में, पानी से गन्दगी होती है वह नहीं हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी निवेदन था टेल के नाम से, कि टेल में पानी नहीं पहुंचता है। टेल में रहने वाले किसानों के मोगे ऊंचे हैं, नीचे हैं। इस पिछले तीन साल में, कांग्रेस के राज में नहीं, लगभग 800 बार मोगे ऊंचे-नीचे किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, करे कोई और भरे कोई। किया इन्होंने और पिछले चुनाव में हम गये तो गांवों में लोगों ने हमें घेर लिया कि हमारा मोगा 6 इंच ऊपर हो गया, हमारा मोगा 3 इंच ऊपर हो गया। तो मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में एक जांच कमेठी बिठाकर जो किसानों के हिस्से का पानी है, जो मोगे खराब हुए, उन आउटलैट्स को दुरुस्त करके बराबर का हिस्सा किसानों को बांटा जाए ताकि किसानों का रोष समाप्त हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द मीणा। (अनुपस्थित) श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 12 और मांग संख्या 46, यातायात और सिंचाई पर चर्चा चल रही है, उस चर्चा में मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि टूट जाये।

श्री अध्यक्ष : आप कल ही अपने उप मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दीजिये, पहले बुलाऊंगा आपको। आपके सचेतक तो बोलते ही नहीं हैं।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र मकराना की समस्या के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। इससे पहले, अध्यक्ष महोदय, मेरी स्वयं की एक छोटी सी समस्या दो दिनों में और पैदा हो गई है, वह है मेरे खुद के अनजान की वजह से। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं अभी इस सदन में इतना अनजान हूं कि मुझे पता नहीं लगता कि मेरा नम्बर बोलने में कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। जबकि कुछ माननीय सदस्यों को यह पता रहता है अच्छी तरह से क्योंकि जब तीन दफा बोलने में नम्बर आता है तो बोलने से कुछ देर पहले आते हैं और बोलकर चले जाते हैं, मैं सिर्फ दर्शक की तरह बैठा-बैठा देखता रहता हूं। इसका मतलब यह कौनसी नयी पद्धति है या जानकारी है जिसको मैं भी हासिल करूं।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी चिट भिजवा दिया करो।

श्री रूपाराम : अध्यक्ष महोदय, अब

(श्री रूपाराम)

मैं मकराना की सिंचाई की समस्या के ऊपर निवेदन करूंगा। क्योंकि कल से अखबार वाले भी नाराज हो गये, आपके ध्यान है मेरे अनजान की वजह से 4–5 छक्के और चौके लग गये, उन्होंने कहा धोखे में हराया तो मैं बराबर देखता आ रहा हूं कि अखबार वालों की तरफ मेरी नजर बराबर रहती है। मैं आंखों ही आंखों में गिड़गिड़ाया, मन्नत मांगी। कुल मिला करके एक बैठा है। तो उधर से नाराजगी। उन्होंने कहा कि नाराजगी के बाद में तो हम बुराई भी नहीं करेंगे आपकी क्योंकि उसमें हमारी स्याही घिसती है।

श्री अध्यक्ष : यह न्यूज एजेन्सी वाले हैं सबको भेजेंगे, आप चिन्ता मत करो।

श्री रूपाराम : सिंचाई के ऊपर मैं निवेदन करूंगा। मकराना में न तो कोई बन्धे हैं, न कोई नहर है। कृषि प्रधान हमारा देश, हमारा राज्य होने के नाते मैं तो आपसे यही कहूंगा किसानों को जो कुओं के लिये, सिंचाई के लिये बिजली दी जाती है उस व्यवस्था को इस तरह से तय करें जैसे इण्डस्ट्रीज में आज अर्जी देते हैं बिजली के लिए और कुछ दिनों बाद में कनेक्शन मिल जाता है। तो ठीक इसी तरह कृषि में, किसान के कुओ पर अर्जी भेजते ही अगर एक महीने के अन्दर-अन्दर बिजली मिल जाती है तो सिंचाई में किसान काफी हद तक अपने आपको आत्म निर्भर कर लेंगे।

उसके बाद में मैं मकराना की यातायात की समस्या पर कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मकराना में डेढ़ लाख मजदूर रोज जीविकोपार्जन के लिये आते हैं। उसमें से एक लाख के लगभग तो मकराना व उसकी चार–पांच किलोमीटर की परिधि के अन्दर से आते हैं। पचास हजार मजदूर बाहर से डैली सवेरे-शाम अपनी जीविका कमाने के लिये मकराना आते हैं। उनके आने-जाने के लिये जो यातायात के साधन हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि यह समस्या उनकी वजह से पैदा हुई है। मैं तो यह कह रहा हूं कि इस समस्या का आज तक समाधान ही नहीं हुआ। वह यह है कि पचास हजार आदमी जो आते-जाते हैं वह लगभग 150 गांवों से आते हैं। उनके आने-जाने केलिये जो साधन हैं, वह है ट्रैक्टर या सिंगल टायर के छोटी बोडी वाले ट्रक या फिर बसें जो प्राइवेट चलती हैं। उनके परमिट और वैध वाली बात तो छोड़ दीजिये। परमिट भी नहीं हैं और वैध भी नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि उन बसों को, ट्रकों को या ट्रेक्टरों को कानून को मद्दे नजर रखते हुए बन्द करवाऊं या फिर लोगों से नाराजगी लूं या फिर चलने दूं जो नाजायज हैं। और कभी न कभी बड़ी दुर्घटना होगी और फिर आएगी, दुर्घटना के बाद इतनों को मरणोपरान्त राहत दी गयी। क्यों न इसके पहले कुछ राहत दे दी जाये। आप देखोगे तो बस को पहचानने में तकलीफ होती है। मैं या कभी किसी सदस्य को जाने का मौका मिले तो बसकुल मिला कर तीन या चार पर्सेण्ट दिखती हैं बाकी बस का हाल मधुमक्खियां या टांटियों के छत्ते जैसा लगता

(श्री रूपाराम)

है । चार तो टायर दिखते हैं आगे का कुछ हिस्सा दिखता है बाकी चारों तरफ आदमी लिपटे रहते हैं । कुल मिला कर रिकार्ड बना रहे हैं । तीन सौ, साढ़े तीन सौ आदमियों तक छोटी बसों में बैठा लेते हैं । एक यह समस्या है कि मकराना से जो कच्ची सड़कें हैं वहां पर तो यातायात मंत्री के पास में कोई इलाज नहीं दिखता है मुझे, फिर भी अगर सिंगल टायर की बसें चलना चाहें, माननीय अध्यक्ष महोदय, पचास हजार आदमियों के भविष्य का सवाल है इसमें यातायात के साधन बढ़ जाएं तो काफी मजदूर और आते-जाते रहेंगे और आपको इस एरिया में अकाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि मकराना एक मार्बल की बड़ी मंडी है । तो जहां पर सड़कें नहीं हैं वहां की तो नहीं पर मकराना से खाटू होते हुए नागौर सड़क है, मकराना से इण्डस्ट्रियल एरिया होते हुए परबतसर किशनगढ़ तक पक्की सड़क है, मकराना से मंगलाना, परबतसर, रूपनगढ़ होते हुए मरवा नारायणा से जयपुर तक पक्की सड़क है, मकराना से कुचामन होते हुए डीडवाना व सीकर सड़क है, सड़कें जहां नहीं हैं वहां तो समस्या देर से सुलझे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं जहां सड़कें हैं वहां तो कम से कम बसों का पर्याप्त...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : आप तो कविता सुना दो । करवा देंगे ।

श्री रूपाराम : कविता नहीं है । यह भी मेरी शुभ कामना है और इसमें सुझाव भी हैं । 'यातायात के विभाग में सदा सदा ही आय बढ़े, मकराना के लोगों की कुछ तो समस्या आज घटे । यह हमारी आदत नहीं है कि बार-बार समस्या रखें, हे मृत्यु लोक के यातायात प्रभु, चाहो तो मकराना में मेरी भी साख बढ़े । या तो मंत्री जी कुछ हां कह दो, या फिर आप आज बिलकुल ही नटें ।

इसी आशा के साथ में, या तो मंत्रीजी, आप छोटी-मोटी घोषणा, चाहे बस डिपो बनवाओ....

श्री अध्यक्ष : 'नहीं तो कह दीजिये, नहीं तो आपकी साख घटे । हो जायेगा मामला पूरा, आपकी कविता पूरी हो गयी ।

श्री रूपाराम : ईश्वर करे हमारी मकराना की समस्या घटे और आपकी साख बढ़े । इसी आशा के साथ में आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 और 12 पर चर्चा करते हुये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरा क्षेत्र फागी क्षेत्र है जो जयपुर जिले के पास में ही है और वहां पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है । मेरे क्षेत्र में 80 प्रतिशत काश्तकार हैं, श्रमिक हैं, किसान भाई हैं जो खेती और मजदूरी करते हैं । खेती मुख्य धन्धा है, पशुपालन मुख्य धन्धा है, जो सिंचाई पर ही आधारित है । मैं कहना चाहूंगा कि फागी क्षेत्र का 70 प्रतिशत पानी खारा है जो पीने के

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसके लिये, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस समस्या का जो स्थायी समाधान है वह यह है कि पानी का स्टोरेज करना और स्टोरेज आप एनीकट्स और बांध के द्वारा कर सकते हैं। जिससे पीने का पानी उपलब्ध हो सके और सिंचाई के काम भी आ सके किसानों के और जानवरों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो सके। मेरे क्षेत्र में कुछ एनीकट्स बने हुये हैं जो अपूर्ण है, अभी पूरी तरह से बने हुये नहीं हैं। मैं आपको अर्ज करूं, लदाना, चित्तौड़ा, मासी एनीकट मंडोर एनीकट, मंडावरी एनीकट और छापरी एनीकट यह सभी अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो सोर्सेज हैं वह सब लिमिटेड हैं। विधि की विडम्बना भी ऐसी रही कि गत 5–7 साल से बरसात का पानी भी नहीं आया, स्टोरेज भी नहीं हुआ, क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती गयी और पीने के पानी के भी आज लाले पड़ रहे हैं। लोग दो-दो, तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर से पानी लेकर आते हैं और बड़ी मुश्किल से पीने का पानी उपलब्ध होता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन एनीकट्स को आप जल्दी ही पूरा करवा दें। नये एनीकट के लिये मेरा प्रस्ताव है कि रामचन्द्रपुरा एक जगह है जहां से फागी क्षेत्र के लिये, माधोराजपुरा के लिये पानी की सप्लाई होती है वहां कुओं का लेवल नीचे चला गया है, अगर वहां एक एनीकट बना दिया जाये तो पानी का लेवल ऊंचा आ जायेगा जिससे माधोराजपुरा में और फागी दोनों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसी तरह से हाथीभाटा एनीकट और झाना एनीकट है वह भी बना दिये जाएं तो वहां की जनता को पानी सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकेगा। खारे पानी की जगह पानी का लेवल ऊंचा आने पर मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह एनीकट बनवाये जाये जिससे कि जनता को राहत मिले।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, मोटरों का लिखवा देना।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : एक मिनट। छापरवाड़ा बांध है जो दूदू में बना हुआ है। उसमें फागी क्षेत्र के लिये 27 प्रतिशत पानी सुरक्षित रखा गया है परन्तु पिछले पांच–सात साल से कभी भी वह पानी हमें उपलब्ध नहीं हो पाता है। चूंकि तीस और पैंतीस किलोमीटर की कच्ची नहर है, मैं चाहता हूं कि चाहे एक साथ नहीं बने परन्तु धीरे-धीरे उसका पक्का निर्माण किया जाये जिससे पानी वेस्ट नहीं जाये और फागी क्षेत्र को उसका पानी पहुंचाया जाये। पीने का पानी नहीं तो कम से कम जानवरों के लिये तो पानी उपलब्ध हो सके, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

यातायात मंत्री के लिये....

श्री अध्यक्ष : यातायात के लिये लिखा देना कहां-कहां गाड़ियां चलवानी हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल आंजना।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव मांग

(श्री उदयलाल आंजना)

संख्या 46 पर भाग लेते हुये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के बाड़ी मानसरोवर बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महीने भर पूर्व ही राजस्थान मंत्रिमण्डल के पांच-छह सदस्य वहां पधारे थे जो यहां भी विराजमान हैं, उन्होंने बाड़ी बांध की साइड भी देखी थी और मौका भी देखा था। उसका किसी वजह से काम रोक दिया था। उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि उसको जल्दी शुरू करा देंगे। साथ ही गांव वालों की यह भी मांग थी कि उसकी गति थोड़ी बढ़ायी जाए क्योंकि बांध का शिलान्यास 1989 में हुआ था और तब से काम चल रहा है लेकिन अभी समाप्ति पर नहीं आया है। उस दिन मंत्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया था कि पांच मीटर पानी का भराव इस साल किया जाएगा। तो जिस गति से यह काम चल रहा है उससे मुझे नहीं लगता कि यह इस साल भराव किया जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस बांध की गति को बढ़ाया जाए और इस साल पानी रोक दिया जाए तो जो सरकार का पांच साल से इस पर खर्चा हुआ है उसका लाभ निश्चित ही इस क्षेत्र को मिल जाएगा।

इसके साथ ही मैं दूसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में करीब 15 जलोत्थान योजनायें लागू हैं और 15 पर ही, उन सभी पर आखिर में फसल को पानी नहीं मिलता है जिससे फसलें काश्तकारों की सूख जाती हैं, उनका बीज का, खाद का पैसा, मेहनत सब बेकार जाती है। इसलिए निवेदन है कि उन जलोत्थान योजनाओं पर मूविंग एनीकट जाएं, पोर्टेबल एनीकट बनाये जाएं ताकि आखिरी बरसात के समय या जब सिंचाई शुरू हो उस समय उन एनीकट को वापस लगा दिया जाए तो उससे निश्चित ही क्षेत्र को फायदा होगा और जो जलोत्थान योजना के लिए सरकार ने इतना खर्चा किया है उससे आदिवासी लाभान्वित हो पायेंगे।

साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गम्भीरी डेम है उसकी नहरों में सीपेज बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा पानी व्यर्थ जाता है, पचास प्रतिशत पानी का भी सही उपयोग नहीं होता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन नहरों के दुरुस्तीकरण का कार्य हाथों में लेकर उस पानी का समुचित लाभ लिया जाए ताकि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे हमारे क्षेत्र में और कोई विकास का काम हो या नहीं हो, चाहे रोड़ के काम इस साल के लिए बन्द कर दिये जायें लेकिन उससे पहले छोटे-छोटे बांध के कार्य हाथ में लिए जाएं तो निश्चित रूप से हर साल पड़ने वाले अकाल से भी राहत मिलेगी और पेयजल की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति भी ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा एनीकट और बांध बन सकते हैं। तो इसके सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे करवा कर कनड़ा घाटा एरिया में भावलिया बांध है उसका सर्वे करा कर बांध बना लिया जाए। पीलखेड़ी में एक ऐसी व्यवस्था है कि वहां भागदरी बांध का

(श्री उदयलाल आंजना)

निर्माण हो सकता है । इन्दिरा गांधी परियोजना की स्वीकृति 30 लाख की पूर्व में हुई थी लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं होने की वजह से वह पेंडिंग रह गयी है, वापस स्वीकृति देकर काम को शुरू किया जाएगा तो निश्चित ही हर साल पड़ने वाले अकाल से और पानी की समस्या से हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी 21.5.91 को वहां पधारे थे उस समय घमोरा में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने घोषणा की थी, वहां काश्तकार भी काफी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मांग की थी कि हमारे पंडारिया डेम का निर्माण जल्दी शुरू किया जाए और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं सर्वे करा कर इस काम को जल्दी शुरू करवा दूंगा। पंडारिया डेम बन जाता है तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र को बहुत ज्यादा फ़ायदा होगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा तो बड़ी सादड़ी क्षेत्र को होना है जो उस बांध के कमाण्ड एरिया में आएगा। तो निश्चित रूप से पंडारिया डेम का सर्वे करा कर उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए ।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद । श्री कन्हैया लाल मीणा ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मेरा 13वां था और अब आखिर में नम्बर आया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत संक्षिप्त में बोलना, ज्यादा बोलने की आदत है आप में । देखिये, असली भाषण अब होने वाला है इनको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, आज परिवहन और सिचाई की मांगों पर माननीय सदस्यों ने विचार रखे, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। जैसा महुआ और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस प्रकार पूर्वी राजस्थान की ओर 40 साल में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और सिचाई की कोई भी ऐसी परियोजना आज पूर्वी राजस्थान में बनी हुई नहीं हैं, यह सारा एरिया जयपुर जिला, दौसा और सवाई-माधोपुर डार्क जोन से ग्रसित है, आज उसी की देन है । मैं विधान सभा क्षेत्र बस्सी की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस क्षेत्र में काणोता बांध 1986 में स्वीकृत हुआ था और इस परियोजना के ऊपर करीब एक करोड़ साठ लाख रुपये का खर्चा हो चुका है लेकिन एक करोड़ साठ लाख खर्च होने के बाद आज भी अधूरा पड़ा हुआ है । इसी तरह से खारली बांध है वह भी पूर्व में स्वीकृत हुआ और अब तक उस पर करीब 50 लाख रुपया खर्च हो चुका लेकिन वह भी अब तक अधूरा पड़ा हुआ है और उसमें पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । खारली बांध में आज तक सीमेंट का काम भी नहीं हुआ । पिछली बार भी सदन में यही मामला आया था कि सीमेन्ट उसके नाम से उठाई गयी और वह सीमेण्ट चोरी के नाम से बता दी गयी, ट्रकों में भर कर वह सीमेण्ट चोरी चली गयी ।

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

इसी प्रकार से काणोता बांध पर भी जो माल वहां गया है, ट्रेक्टर 1986 में वहां के नाम से खरीदे गये वह नये ट्रेक्टर वहां की वहां खड़े हैं, वहीं रोलर पड़े हुए हैं। इसी तरह से लाखों रुपये के पाइप वहां खरीदे थे और आज वहां चौथा हिस्सा भी पाइप का नहीं मिलेगा, सारे पाइप वहां से गायब हो गये हैं। मासी की बजरी के बिल दिखाये जाते हैं जबकि लोकल वहीं से बजरी उठायी जाती है। घटिया किस्म का मैटीरियल इस बांध में लगाया जा रहा है। अब तक इस बांध को पूरा नहीं करने से इस एरिया को नुकसान हो रहा है। सारे इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, जहां के काश्तकारों को इस काणोता बांध के बनने से फायदा होना चाहिये था आज उनके कुओं के अन्दर पानी सूख गया है। अकाल की इस विभीषिका के अन्दर उनके कुओं में अगर पानी होता तो आज काश्तकार कुछ खेती कर सकते थे। वह आज अपने ट्रेक्टर लेकर सारे लोग शहर के अन्दर चले गये। कहने को तो राजस्थान की राजधानी के जिले में रहते हैं लेकिन वहां पर उनकी हालत देखी जाए तो आज बाड़मेर और जैसलमेर से भी बदतर स्थिति है उन किसानों की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि काणोता बांध के साथ खारली बांध है, इन दोनों बांधों को तो प्राथमिकता के आधार पर इसी वर्ष रुकवा कर यहां की जो पेय-जल समस्या है, उसका निपटारा किया जाए। यहां के पानी को रोकने से, चाहे एनीकट बनें, चाहे यह दोनों बांध बनें, किसी भी मध्यम सिचाई योजना को कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में धोपड़, टेटड़ा, जटवाड़ा, मटेरी, फालियावास, पीपलावाई, श्यामपुरा, ठीकरे मीणान, तेलाला, रामरखपुरा बांध, लालगढ़, टोडा-वाटा बंध, सामरिया तुंगा, नैवंद भूरतल के पास जो भी बांध हैं इनमें कम से कम-पांच लाख के एनीकट बने हुए हैं और 16 लाख रुपये तक प्रत्येक बंध में खर्चा हुआ पड़ा है। फालियावास और पीपलाबाई बांध जो हैं, माननीय मंत्री महोदय मेघवाल साहब को भी रात को दो बजे आकर लोगों ने जगाया था और उस समय आपने रुकवाया भी था इस फालियावास बंध के लिये और पेपरों में भी काफी लम्बा-चौड़ा आया था लेकिन तब से लेकर अब तक इस बांध पर कोई खर्चा नहीं किया गया और आज वहां के गांव सूखे के सूखे पड़े हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि फालिया-वास और पीपलाबाई बांध का कार्य तुरन्त आदेश देकर चालू करवाया जाए जिससे काश्तकारों को राहत मिल सके।

इसी प्रकार से मैं आप से बाड़राजपुरा गांव के लिए निवेदन करूंगा जिसमें पंचायत समिति चाकसू, पंचायत समिति बस्सी के गांवों को फायदा होगा। बाड़राजपुरा में पहले 1981 के अन्दर बाढ़ आने से सैकड़ों परिवारों की जानें चली गयी थीं, सारे गांव बेघरबार हो गये थे उस जगह सर्वे करवा कर नदी रोक कर एक बांध का निर्माण कराया जाए ताकि वहां पर आज काश्त-कारों को पीने के पानी के लिए और कुओं

284

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

में सिंचाई के लिए जो परेशानी आ रही है वह दूर हो सके। इसलिए इसका सर्वे करवा कर इस कार्य को पूरा करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। आगरा रोड पर जो बंधा राजा-महाराजाओं के समय से बना हुआ था करोड़ों रुपयों की लागत से बना हुआ था। सिंचाई विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसकी इतनी बड़ी पाल है उसको तोड़ कर के मिट्टी को ले जा रहे हैं, पत्थरों को ले जा रहे हैं। आगरा रोड पर खो-नागोरियान गांव है उसके पास में वह बंधा है। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि आगरा रोड खानियां के पास में यह जो पुराना बांध बना हुआ है उसकी पाल तोड़ी जा रही है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसको रुकवाया जाए और टूटी हुई पाल को दुबारा बनाया जाए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री मुल्कराज। अब आपका निवेदन हो गया, बिराजो आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसके साथ ही मैं परिवहन मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजो, कन्हैयालाल जी, बाकी बचा हुआ मंत्रीजी को बता देना आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, ट्रेक्टर ट्राली पर यहां पर टैक्स घटायेंगे....(व्यवधान) काश्तकार जो अकाल से ग्रसित थे....

श्री अध्यक्ष : अब आप उनको बोलने दीजिये। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप जिद करोगे। इसलिए आप बैठ जाओ।

श्री कन्हैयालाल मीणा : नहीं, कम से कम यह ट्रालियों का तो, अध्यक्ष महोदय, यहां....

श्री अध्यक्ष : हां, यह बता देना मंत्री जी को। आप तो बता सकते हो, वह नहीं बता पायेंगे। आप बैठिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो ट्रालियां लेकर यहां जयपुर में काम कर रहे हैं उनको पकड़ कर बंद कर दिया जाता है परिवहन विभाग के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : अब बन्द कर दीजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जो अकाल ग्रसित क्षेत्र से काश्तकार यहां आकर मजदूरी करते हैं तो कम से कम उन ट्रालियों को पकड़ कर....

श्री अध्यक्ष : श्री मुल्कराज। आप बैठिये।

श्री मुल्कराज (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई की डिमाण्ड पर बहस चल रही है, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपके मार्फत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(22.00)

मैं उस क्षेत्र से आया हूं जो पाकिस्तान

(श्री मुल्कराज)

बोर्डर के साथ 60-70 किलोमीटर के करीब लम्बा पड़ता है और गंग कैनाल की जो नहरें हैं, एफ. एफ. नहर, आर. बी. नहर, पी एस. नहर, एन. पी. नहर, एल. एम. पी. नहर इन सब नहरों की टेल, अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में जाकर के खतम होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज मेरे से पूर्व माननीय सरदार जगतार सिंह जी, माननीय इन्दौरा जी, माननीय कासनियां जी ने जो गंग कैनाल के बारे में खस्ता हालत आज रखी है, मैं उसके बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 1970 में एक दफा गंग कैनाल के पानी की ऐसी हालत हुई थी कि 1600 क्यूसेक पानी से 1700 क्यूसेक पानी वहां आया था वहां के गंगानगर के किसानों ने, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त ऐसा एजीटेशन किया था, राजस्थान के इतिहास में एक अकेले गंगानगर से जितने किसान यहां आकर जेलों में बन्द हुए थे उससे पहले हुए न उसके बाद हुए। आज माननीय इन्दौरा जी ने निवेदन किया है कि सात-आठ सौ क्यूसेक से लेकर हजार-ग्यारह सौ क्यूसेक पानी गंगानगर में आ रहा है। यह हमारे किसानों की कुछ खुशकिस्मती समझिये और सरकार की ओर जो हम चुन कर वहां से आये हैं उनकी कि ईश्वर ने इस दफा कुछ बारिश कर दी, जो थोड़ी फसलें बीजी गयी थीं, वह आज सरसों है वह पककर तैयार हो गयी है और कुछ गेहूं है वह, उसकी पूरी फसल जो पकनी चाहिए थी वह नहीं पक पा रही है, नहीं तो हमारा पता नहीं कितना खराब हाल होता, पता नहीं हमारी क्या स्थिति होती? इसलिए शायद इस सरकार ने इसकी गम्भीरता को देखा नहीं, यह नहीं सोचा कि गंग कैनाल की लिंक चैनल पर हमारा करोड़ों रुपया लगाया गया है उसको यूटिलाइज करके गंग कैनाल की मरम्मत की जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा है, माननीय सदस्यों ने, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, गंगानगर का किसान आज इस बात से बहुत दुःखी है। वहां का किसान उजड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय आप अन्दाजा लगाइये, 60 पर्सेन्ट इंटेंसिटी गंगानगर की है, यह आपके आंकड़े बता देंगे कि आज 30 पर्सेन्ट में भी बिजाई वहां की नहीं हुई क्योंकि जिस नहर का 27 सौ क्यूसेक पानी है, आज उसमें आठ-नौ सौ क्यूसेक पानी आ रहा है। एक-डेढ़ महीने के बाद किसान की फसल को पानी मिले तो उस फसल का क्या होगा, उस किसान का क्या होगा। मेरा आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि उसके ऊपर वहां का किसान पैसा देने के लिए तैयार है, अगर सरकार के पास वर्ल्ड बैंक से योजना बनाने में कुछ देरी है तो वहां के किसान जो हैं उनको सर्टिफिकेट दीजिये, वहां 7 हजार एकड़ को इरिगेट करता है वहां का किसान, आपको लोन के ऊपर पैसा देने के लिए तैयार है क्योंकि आने वाले समय में उसका नुकसान होने वाला है। अगर इसकी मरम्मत साल दो साल में नहीं की गयी तो वहां से किसान उजड़ जायेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप किसान से लोन ले सकते हैं और 7 हजार एकड़ पर करीब पांच हजार रुपया प्रति मुरब्बा भी आप रखें तो उस हिसाब से 20 करोड़ के करीब पड़ जाता है, मेरे अन्दाज में 40 या 35 करोड़ में उसकी मरम्मत हो जानी चाहिये।

(श्री मुल्कराज)

कुछ सरकार उसमें खर्च करे, और कुछ किसान से ले। सर्टिफिकेट लेकर आज वहां का किसान कर्जा देने के लिए तैयार है। वह यही चाहता है कि गंग कैनाल की जल्दी से जल्दी मरम्मत की जाए ताकि जो उसका नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति हो पायेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पहली दफा यहां बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फर्स्ट टाइम ?

श्री मुल्कराज : मैंने 1970 में इसी गंग कैनाल को लेकर अपनी मंत्रिपरिषद् से इस्तीफा दिया था और सात दिन की भूख हड़ताल पर गया था। मैं किसान के लिए कितना इस कैनाल के लिए चिन्तित हूं इससे आप अंदाजा लगा लें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। आज बोर्डर के ऊपर थोड़ी बहुत लाइनिंग की जा रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि 20 किलोमीटर तक जो किसान वहां बैठा है वह एक तो आपकी बोर्डर की रक्षा किये बैठा है और एक उसको पानी नहीं मिले। एक कुछ पानी की, जैसा कासनियां जी ने बताया था, बड़े-बड़े किसान चोरी कर लेते हैं। वह पाइप्स लगाते हैं और उसके अलावा कुछ लासेज होते हैं। वहां जो दस हिस्से पानी मिलना चाहिए, टेल वालों को, कभी आठ मिलता है, कभी सात हिस्सा मिलता है। इसलिए पक्की लाइनिंग्स कर दी जाएं तो उनको काफी राहत मिलेगी।

मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि रायसिंहनगर का क्षेत्र में गंग कैनाल में सबसे ज्यादा जमीन पड़ी है जो अनकमाण्ड में है, जो सर्वे में आ रही है। हमारे हनुमानगढ़ में, उनका नाम मैं नहीं जानता, जो चीफ इंजीनियर हैं, आप फरमा रहे हैं कि दिलीप सिंह जी हैं, उन्होंने किसानों के लिए जो वहां की जमीन सर्वे में आ रही थी उसके लिए एक छूट दी कि अगर आप अपने एरिया में अपनी तरफ से कुछ नहरें खुदवा सकते हो तो मैं उसको अलाउ करूंगा। तो एक तरफ गोमपुरा है, लखाहागम है, खाटा है वह बिलकुल बोर्डर के ऊपर हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों ने अपने खर्चे से नहर काफी लम्बी खुदवाली है और बाकी खोदने जा रहे हैं तो यहां के जो कर्मचारी हैं, आफिसर्स हैं अगर इस तरीके से किसानों को राहत दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरी तरफ यह हो रहा है, जो इन्दौरा साहब ने अभी कहा था। वहां के मोगे जो हैं हम इन्क्वायरी नहीं बैठाना चाहते, हम तो इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार आउटलेट्स जो लगाये हुए हैं उनका एक फिक्स टाइम कर दे कि यह दो साल के बाद, तीन साल के बाद उखाड़ा जाएगा। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती हो गयी है, ऊंची बहुत ज्यादा रह गयी है तो वह चीफ इन्जीनियर तक उसकी इजाजत दें। अब मर्जी से वहां के ए.ईएन., जे.ईएन. थोड़ी-सी रिपोर्ट तैयार करते हैं, अध्यक्ष महोदय, 30 हजार से लेकर 50 हजार तक एक आउटलेट की वहां नीलामी होती है। यह सारा पैसा गांवों से इकट्ठा होता है। आप

(श्री मुलकराज)

कहीं भी जाकर इसकी इन्क्वारी करवा सकते हैं कि किस तरीके से वहां के किसान को लूटा जा रहा है। इसलिए आप वहां यह तय कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का किसान इस तरीके से बहुत ही लूटा जा रहा है इसलिए इसमें टाइम बांध दीजिये कि इतने अरसे के बाद वहां का आउटलेट, मोगा उखाड़ा जाएगा।

दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारी टी.के. माइनर है। छोटी नहर है, 20 आउटलेट की है। अध्यक्ष महोदय, आप हैरान होंगे कि सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए 19 आउटलेट ऊंचे किये गये हैं। इसकी आप खुले-आम जांच करा सकते हैं। आज टी.के. माइनर का किसान रो रहा है।

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि गंग कैनाल की हालत बहुत खराब हो चुकी है इस पर आप वर्ल्ड बैंक से पैसा लीजिये, अगर वर्ल्ड बैंक से कुछ देरी होती है तो आप हमारे जमींदारों से पैसा, कर्जा लीजिए, हम आपको दिलवायेंगे और उसकी मरम्मत जल्दी कीजिये ताकि वहां का किसान उजड़ नहीं सके। लास्ट में एक निवेदन करना चाहता हूं कि बुड्ढा जोहड़, आगे राजस्थान कैनाल के ऊपर गंग कैनाल की जो जी.बी. माईनर नहर है उसका साईफन जोड़ा गया है। मेरे ख्याल में डेढ़ सौ, दो सौ क्यूसेक पानी की कैपेसिटी की वह नहर है। वहां से राजस्थान कैनाल को पानी दिया जाए। आज जो गंग कैनाल में बहुत कम पानी आ रहा है वह पानी बचाकर गंग कैनाल के सारे बाकी हिस्से में यूज किया जा सकता है। जो थोड़ी ऊंची अनकमाण्ड जमीन है वह ठीक हो सकती है। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

यातायात के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय कि मेरे से पहले एक माननीय सदस्य जो भीनमाल से आये हैं, एक क्वेश्चन उठाया था जो जयपुर के गरीब आदमियों के लिए बड़ा गम्भीर है। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार में क्या होता था। एक बहुत बड़ी समस्या है, यह जो थ्री व्हीलर हैं इनको आप मीटर से चलवाइये। बाकी सारे हिन्दुस्तान में मीटर से चलते हैं। आप उनको कितना देना चाहते हैं ? आप इतनी कृपा कर दीजिये, अगर हम किसी थ्री व्हीलर को लेते हैं तो वे पैसे अपनी मर्जी से लेते हैं। आप हैरान होंगे, अध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर से लेकर बस-स्टेण्ड तक मैंने दो दफा 50-50 रुपये दिये हैं। तो आप अन्दाजा लगाइये, किस तरीके से गरीबों को लूटते हैं। अगर उनको कहें मीटर से चलो तो वह हरेक आदमी के गले पड़ते हैं। उनको जो भी तय करना है आप मीटर से तय कर दीजिये। इतना कहता हुआ, हमारे कुछ सुझाव बसों के बारे में हैं, वह लिखकर भेज देंगे। मंत्री महोदय जी को लिखकर हम अपने इलाके की भेज देंगे....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री शीशराम ओला।

श्री मुलकराज : ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री शीशराम ओला (झुन्झुनू) : अध्यक्ष जी, आज मांग संख्या 12 और 46 पर हाउस में चर्चा हो रही है। मांग संख्या 12 पर यातायात के सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। यातायात राज्य का ठीक है और यातायात मंत्री सक्षम हैं अपने विभाग को सुचारु रूप से चलाने में।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान सिंचाई की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। झुन्झुनू जिले की धरती ने राष्ट्र की आजादी के लिए अनगिनत योद्धा दिये, देश की रक्षा के लिए बहुत अच्छे सैनिक दिये, राष्ट्र और विदेशों में औद्योगिक दृष्टि से बहुत अच्छे उद्योगपति दिये और बहुत अच्छी संख्या में बहुत अच्छे सक्षम कारीगर दिये जो राष्ट्र में ही नहीं बल्कि विदेशों में, खाड़ी देशों में, आदि-आदि स्थानों पर राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं अपने निर्माण कार्यों के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : महिलाएं भी वहां की बहुत सक्षम हैं। महिलाएं भी हैं, केवल पुरुष ही नहीं हैं।

श्री शीशराम ओला : महिलाएं हुई तब तो बच्चे उनके पैदा हुए, तभी तो यह बने और कहां से बन जाते बगैर महिला के ?

आज झुन्झुनू की भूमि बंजर होती जा रही है, सूखती जा रही है और पीने के पानी तक की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। 1967-68 में एक सर्वे हुआ था उसके तहत जवाहर लाल नेहरू कैनाल के माध्यम से दो हजार घन फीट पानी मिलने को था। मिस्टर सिंघल उस वक्त सुपरिटेण्डेण्ट इन्जीनियर होते थे फिर वह चीफ इंजीनियर, इर्रिगेशन बने उन्होंने इसका सर्वे किया था और जब माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री परसरामजी मदेरणा सिंचाई मंत्री थे तो इन्होंने झुन्झुनू में इर्रिगेशन का एक आफिस स्थापित किया था, पिछली साल से उसको हटा दिया गया है, यह दुःख की बात है। सीकर, झुन्झुनू न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सब प्रकार की कार्य विधि से जुड़े हुए हैं और एक राज्य के अधीन थे जयपुर रियासत में। हमारे सीकर में एक्स. ईएन. इर्रिगेशन का होता था और ए.ईएन. झुन्झुनू में, इस तरह से होता था। तो वह दो हजार घन फीट पानी जो मिलना था उसमें से झुन्झुनू से सीकर तक और चुरू को थोड़ा पानी मिलना था। सीकर, झुन्झुनू दोनों और चुरू भी हरियाणा से मिला हुआ है। हरियाणा के इस पार एक खेत है सीमा पर, वहां का व्यक्ति, वहां का किसान सिंचाई कर रहा है और राजस्थान का किसान जो इस ओर है जस्ट बिल्कुल मिला हुआ, वह या तो ईर्ष्या की भावना से ग्रसित है या हीन भावना से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में झुन्झुनू को कहीं से भी पानी देने की चर्चा नहीं की, न सीकर को देने की है, न चूरू को देने की है आज के बजट में, जो प्रस्तुत किया गया है जिस पर चर्चा हो रही है। यह जानकर बड़ा खेद हुआ कि कितने लम्बे समय से एक पेंडिंग मसला था और हमको तसल्ली थी कि कभी न कभी हमारा नम्बर आएगा उसकी चर्चा तक नहीं रखी गयी। हमारे पास दूसरा कोई जरिया नहीं है जिसके माध्यम से हमको कभी पानी मिल सकेगा। कुओं का पानी सूख गया। काटली नदी का एक स्रोत था उस पर जगह-जगह एनीकट और बांध बन जाने से जो कुएं वहां थे या पीने का पानी उपलब्ध होता था वह गहरा चला

(श्री शीशराम ओला)

गया, सूख गया और पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि घड़ी बहुत आगे जा रही है, एक तो जब कभी यमुना का पानी मिले तो यमुना के पानी से झुन्झुनू को, सीकर को, चूरू को वंचित न रखा जाए, उसका हिस्सा उसको भी मिले। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे लिए आप कल ले आएंगे। परन्तु जब भी आप जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा हिस्सा हमको मिले। एक घग्घर फ्लड का पानी जो हरियाणा से चलकर, चण्डीगढ़ के पास से चलकर पाकिस्तान जाता है, सारे राजस्थान के, गंगानगर के हिस्से को चीरता हुआ अनूपगढ़ के पास से पाकिस्तान में पानी जाता है उस पानी को रोककर सूरतगढ़ के पास में एक बहुत बड़ा बांध, बांध लिया जाए और वह पानी राजस्थान कैनाल में उसकी क्षमता के मुताबिक वहां से दे दिया जाए और गंगानगर-संगरिया के पास मिलता हुआ चुटाला गांव है उस गांव में राजस्थान कैनाल का तीन हजार घन फीट पानी का, ढाई हजार घन फीट पानी या जिस क्षमता का भी राजस्थान का इरिगेशन विभाग बांध बांधता है, उतनी ही क्षमता का पानी वहां पर दे दिया जाए हरियाणा को और हरियाणा का जो पानी है वह हमको हरियाणा जवाहर लाल नेहरू कैनाल में दे दे ताजेवाला हैड से। जवाहर लाल नेहरू कैनाल आयी है हमारे झुन्झुनूं जिले में यहां बिलकुल मिलकर खेतों में आ गयी है, वह पानी हमको मिल जाए तो हमारे यहां झुन्झुनूं में, सीकर में, चूरू में खेती की सिंचाई हो सकती है और पीने के पानी की समस्या है वह भी हल हो जाएगी, पानी का वाटर लेवल भी ऊंचा आ जाएगा और किसानों को सब्र भी आ जाएगा। यह मेरे कॉस्ट्रेक्टिव सुझाव आपको हैं।

मैं आपका और समय लेता लेकिन मेरे बड़े माननीय दोस्त बोलने वाले हैं इसलिए आज इतना सा सुझाव देकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप। (व्यवधान) आप सब लोगों को इनको दाद देनी चाहिए कि कितनी शांति से अन्त में बोलने पर भी नाराज नहीं हैं, (व्यवधान) हां, बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी : चरित्र प्रमाण-पत्र दे दिया।

श्री अध्यक्ष : अभी पूरी तौर से गंभीर हैं इसलिए आप गंभीरता से सुनियेगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, सरकार ने हमको पिछड़ा माना है लेकिन आज सदन में भी हमको सबसे पिछड़ा माना गया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वो तो आप उप मुख्य सचेतक हैं इसलिए पिछड़ गये।

श्री रामस्वरूप : सदन हो या सिंचाई का क्षेत्र हो, सब जगह ही हमको पिछड़ा माना है।

(290)

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्रतिपक्ष के नेता के बाद इनका नम्बर आता है ।

श्री अध्यक्ष : हां, यही तो बात है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन हो या सिंचाई का क्षेत्र हो सभी जगह अनुसूचित जनजाति के इलाकों को पिछड़ा माना गया है । मेरा जिला सवाईमाधोपुर अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है । मेरी सीट रिजर्व कांग्रेस (इ) की टोडा-भीम अनुसूचित जनजाति की है और उसी का परिणाम है आज मेरे सामने यह लाल किताब, यह भगवा किताब, यह बी.जे.पी. की किताब जो आपने मुझे दी है सिंचाई विभाग की, इस किताब के अन्दर शुरू में तो आपने क्या लिखा है, "जल ही जीवन है यह एक अटल सत्य है, वस्तुतः जल सृजन का आधार है । जल के बिना सृष्टि का क्रम ही नहीं चल सकता । जल की आवश्यकता न केवल प्राणी मात्र को ही होती है बल्कि वनस्पति के लिये भी जल का होना आवश्यक है । जल का प्रवाह संरचनात्मक है तथा जल को खेतों में प्रवाहित करने पर शस्य श्यामला हरियाली झूम उठती है ।" बहुत अच्छा लिखा है आपने इसकी भूमिका के अन्दर । लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देख लो, वर्ष 1992-93 में पूर्ण की गयी सिंचाई परियोजनाओं की सूची, मैं पेश कर रहा हूं सदन के सामने, जो इन्होंने बना कर के इस किताब में मुझे दी है, इस किताब को देख कर मेरे दिल में खून उबल आया, अब इतना बड़ा अन्याय मेरे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र सवाई माधोपुर के साथ, सारे जिलों का नम्बर इसके अन्दर है जिनको गिना सकता हूं, एक-एक जिले का नाम इसमें लिखा हुआ है लेकिन जिला सवाई माधोपुर का नाम कहीं भी इसके अन्दर नहीं है । 1992-93 के अन्दर एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुःख हमको और क्या होगा । यह गम्भीर मसला है, अनुसूचित जनजाति के साथ खुला अन्याय है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है । इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करते हुए हमारे जिले साथ, माननीय मंत्री महोदय, आपने जो अन्याय किया है इस बारे में कहना चाहूंगा कि आप भी अनुसूचित जाति के हैं और आपने यह विभाग ले लिया, केवल मात्र लालबत्ती से राजी हो गये, आपको लाल-बत्ती मिल गयी, बंगला मिल गया, टेलीफोन मिल गया और आप अपनी अनुसूचित जाति, जनजाति की रक्षा नहीं कर सके तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए । फिर क्या फायदा आपके बनने से जब आप हम लोगों को लाभ नहीं दे सकते । हमने सोचा था, हमारे एक मंत्री, सिंचाई मंत्री बने हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, आज हमको लाभ देंगे लेकिन जिला सवाईमाधोपुर का नाम नहीं लिख कर आपने एक कलंक लगा दिया । कलंक है यह हमारे इतिहास पर, हमारी आशाएं धूमिल हो गयीं ।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदया यहां अभी बैठी हुई हैं, आप भी जिला सवाईमाधोपुर से मंत्री बनी हैं, वहीं से आप जीत कर आयीं, इन बी.जे.पी. वालों का कोई अहसान नहीं आपके ऊपर, आप अपने बलबूते पर जीत कर आयी हो, निर्दलीय, क्यों इनसे इतनी दब रही हो, इसमें जिला सवाईमाधोपुर का नाम तक

(श्री रामस्वरूप)

नहीं आया और आप चुपचाप बैठी रहीं इससे बड़ी +++ की बात नहीं है हमारे लिए ।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, अब आप यह कहेंगे कि आपके जिला सवाईमाधोपुर में कोई योजना थी नहीं, किस को मन्जूर करते, क्या करते । मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल नदी पर मण्डराल के पास राहू घाट पर बिजली उत्पन्न करके चम्बल का पानी लिफ्ट के जरिये गंगापुर, नादौती, टोडाभीम, हिण्डौन, महुआ, बयाना में देने के लिए इस लिफ्ट कैनाल का सर्वे हो चुका है । सर्वे होने के बावजूद इसको न तो दिल्ली स्वीकृति के लिये भेजा गया और न आपने इस बारे में कुछ कार्यवाही की है । मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह योजना अभी बन गयी है, सब कार्य उसमें हो चुका है, इससे आपका और मेरा सारा क्षेत्र कवर होगा ।

दूसरा, मैं निवेदन करूं, दुरगती घटा बांध की भी सारी कानूनन कार्यवाही हो चुकी है उसके बावजूद भी आज तक इसकी मन्जूरी क्यों नहीं करायी गयी है, इसका पानी क्यों नहीं दिया गया जिससे हमारा पूरा क्षेत्र कवर होता ? इससे महुआ का एरिया भी कवर हो सकता है । यह दोनों योजनाएं विचाराधीन पड़ी हुई हैं । माननीय मंत्री महोदय, आप अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति का कल्याण कर जाओ । वक्त की बात है, ढाई साल है आपके भाग्य में तो । आपके भाग्य में तो ढाई साल लिखे हुए हैं । आपके भाग्य का छींका कैसे टूट गया पता नहीं अबकी बार ढाई साल भी पूरे होंगे या नहीं होंगे । इसलिये कर जाओ जो कुछ करना है, याद रखेगी दुनिया । माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदीजी यहां पर बिराजमान हैं, अब तो शायद चले गये, उन्होंने हमारे यहां एक पांचना बांध का उद्घाटन किया था । करौली के पास में मेरी सीमा पर लगता है, टोडाभीम के क्षेत्र के पास में । जिस समय उद्घाटन किया था मैं उसमें चला गया था, मेरे क्षेत्र की सारी दुनिया उसके अन्दर गयी थी कि यह बहुत बड़ा बांध बन रहा है । सारी दुनिया उस दिन वहां गयी थी और सबके सामने उन्होंने एक बात कही थी । माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदीजी, अभी यहां नहीं हैं, क्या कहा था उन्होंने उस समय ? एक बात थी टोडाभीम, नादौती सब को इस बांध से हरियाणा बना दूंगा । हरियाणा बना दूंगा, माननीय ललितकिशोर जी ने कहा था । यह बन गया हरियाणा नादौती, टोडाभीम ? आप एक बूंद पानी तक नहीं दे सके और मेरी सीमा पर बांध मेरी छाती पर बना कर रख रखा है । मेरी छाती पर बांध बना हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका पानी मुझे नहीं दिया जा रहा है, इससे बड़ा और क्या अन्याय होगा ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इनकी छाती का बांध जल्दी तुड़वाया जाए । मैंने कह दिया है, तोड़ देंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचना बांध

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री रामस्वरूप)

बिलकुल सीमा पर लगा हुआ है, उस गांव में से खेमला, कुंजला, रोसी, रायता, खेलड़ा, खेलड़ी तक आप इस नहर को और बढ़ा दीजिये। ज्यादा पैसा भी उसमें खर्च नहीं होगा। वहां नहर सीमा पर आ रही है पीलोता तक, पीलोता से आगे इस नहर को और बढ़ा दें, 10-12 किलोमीटर तक तो सारा पानी आ सकता है।

तीसरा, मेरा सुझाव यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पानी आवे। अभी भी पानी है पांचना बांध के अन्दर, अगर इसके पानी को मेरे यहां के जो 4-5 बांध हैं छोटे छोटे, कुंजला का है, रोसी का है, रेणावता का है, इन बांधों में डाल दिया जाए तो पीने की समस्या भी हल हो सकती है, मेरे कुओं का जल स्तर भी ऊपर आ जायेगा। उस बांध के अन्दर पानी बेकार पड़ा हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, उस पानी को आप नहर के जरिये इन बांधों के अन्दर डाल दें ताकि आपका पानी वहां जो स्टाक पड़ा हुआ है वह वहां आयेगा और उससे कुओं का जल स्तर बढ़ेगा, पीने का पानी भी बढ़ेगा और सिंचाई के काम भी आयेगा। वह दोनों काम आ सकता है। यह मेरा आपसे सुझाव है। वर्तमान में उसके अन्दर पानी है इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह मैंने मांगें रखी हैं। मेरी जो विचाराधीन योजनाएं हैं उनको तो पास करें और इसके साथ-साथ पांचना बांध का पानी टोडाभीम क्षेत्र, नादौती के आगे बढ़ा करके मेरे क्षेत्र को इससे सिंचित करें।

यातायात के बारे में मैं और निवेदन करना चहता हूं। माननीय यातायात मंत्री जी विराजमान हैं, ठीक है, आपने मेरे यहां बसें चला रखी हैं जैसी भी हालत है उनकी, अच्छे अफसर कुछ लगा कर मेरे यहां बसों में प्रगति हुई है और अच्छी बसें भी चली हैं, सवाईमाधोपुर भी बस जाने लग गयी है, मेरे क्षेत्र को भी जोड़ा गया है, इस बात के लिये धन्यवाद है। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं, मेहन्दीपुर बालाजी, टोडाभीम, नादौती में बस स्टेण्ड बन सकते हैं, जमीन देने का वादा करता हूं इस सदन के सामने, आपको निःशुल्क दूंगा जमीन वहां पर, बना दो बस स्टेण्ड। सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है जहां पर 40 बसें एक साथ जाती हैं और उस धार्मिक स्थान पर बस स्टेण्ड नहीं है। यात्री लोग बड़े परेशान होते हैं और दो-दो घंटों तक चक्का जाम हो जाता है। आप बस स्टेण्ड क्यों नहीं बनाते, आपको हम जमीन देने को तैयार हैं, आप पधारो कभी वहां पर मौका देखो जाकर, के, टोडाभीम को देखो, नादौती को देखो और मेरे मेहन्दीपुर बालाजी को आकर देखिये, आपको क्या दिक्कत आ रही है? हम जमीन निःशुल्क आपको दे रहे हैं, लाखों की जमीन निःशुल्क देने को हम तैयार हैं, आप बस स्टेण्ड की घोषणा करो। मुझे आज आशा है, इस सदन के अन्दर आप इस बात की जरूर घोषणा करेंगे।

चौथी बात मेरी यह है कि आपके यहां जितनी बसें चल रही हैं उनमें रात्रि में जितनी भी बसें चलती हैं उनके ड्राइवर शराब पीकर बसों को चलाते हैं। दो बार घटना मेरे साथ भी इस प्रकार की हो चुकी है। वहां रात्रि में रुक कर शराब पी दो बार और फिर गाड़ी को इस तरह दौड़ाया कि किसी भी यात्री की जान की परवाह

(श्री रामस्वरूप)

तक नहीं है । आप ऐसा नियम बना दें कि रोडवेज बसों के अन्दर रात्रि में चलने वाले ड्राइवर कम से कम शराब तो नहीं पीयें, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

एक माननीय सदस्य : मतलब दिन में पीयें ।

श्री रामस्वरूप : मैंने रात्रि में देखा है पीते, दिन का मुझे पता नहीं ।

पांचवां मेरा निवेदन है, आपने जो भी बसें मेहन्दीपुर बालाजी तक चला रखी हैं उससे तीन किलोमीटर हमारा गांव है । वह बस स्टाप करती हैं आपके मेहन्दीपुर बालाजी जाकर । वह हमारे गांव करें तो आपके एक माननीय सदस्य को बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है, वहां से बैठ कर हम सीधे आ सकते हैं । कोई दिक्कत नहीं है । बस आपकी मेहन्दीपुर बालाजी तक जा रही है, तीन किलोमीटर आपकी बस और आगे बढ़ जायेगी तो उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आ रही है । आपकी बसें जो शहरों में जाकर ठहरती हैं उनको गांव में ठहराओ । गांव के लोग आपको वोट देते है, 80 पर्सेण्ट जनता गांवों में रहती है, तो शहरों में ही क्यों ठहराते हो सारी बसों को ? गांवों के अन्दर उन सबके स्टापेज बना दो ताकि गांवों के लोग शहरों तक कम से कम बैठ कर आ तो जाएंगे, यह मेरा सुझाव है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपने आखिरी में मुझे समय दिया उसके लिये मैं धन्यवाद तो नहीं देना चाहता फिर भी धन्यवाद दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप धन्यवाद नहीं देंगे तो फिर मैं आपको बुलवाऊंगा भी नहीं । और किसी का कटमोशन बाकी रह गया हो तो बोल सकते हैं । सिंचाई मंत्रीजी ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की मांगों पर आज चर्चा हुई और करीब 130 या 131 कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये जिनको एडमिट किया गया और मेरे पास सभी कटौती प्रस्तावों के उत्तर तैयार हैं, मैं सभी माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि कल की तारीख में वह डाक में डाल दिये जाएंगे और सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब ठीक तरह से और प्रामाणिकता से एग्जास्टिव रूप से दिये गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : माइन्स के नहीं आये ।

श्री कैलाश मेघवाल : हो सकता है ।

कई माननीय सदस्य : हमारे पास तो आ गये ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहां की एक व्यवस्था है कि सारे कटौती प्रस्ताव एडमिटेड माने जाएंगे और उनका लिखित में जवाब दे दिया जायेगा । तो 131 कटौती प्रस्ताव थे जो 51 सदस्यों द्वारा दिये गये और यह संयोग की बात है कि 51 सदस्यों ने जिनके चाहे कटौती प्रस्ताव थे या नहीं थे, सिंचाई विभाग की मांगों पर वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कटौती प्रस्ताव के आधार पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

और आज जो चर्चा हुई है सदन में, उसके आधार पर राजस्थान का सिंचाई विभाग भविष्य के लिये अपनी नीति निर्धारण करने में दिशा-निर्देश प्राप्त करेगा। यह इसलिये आवश्यक था कि आखिर यहां बहस हुई। पानी के बारे में मैं विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं कि 1977 से लेकर आज तक मैं इस सदन में बैठता रहा हूं कुछ समय को छोड़कर, सभी सदस्यों की चिन्ता है और दिलचस्पी मन से थी, बड़ी गम्भीरता से उन्होंने लिया है और होना भी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यहां पर 1992–93 की जब मांगें पारित करायी गयी थीं तो उस समय भी मैं सिंचाई मंत्री था, 93–94 की मांगें तो दिल्ली मे आपने मंजूर करवायी हैं और 94–95 की मांगें जब मंजूर हो रही हैं तब भी मैं इस सदन में उपस्थित हूं। सदन में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्रिमंडलीय कार्य व्यवस्था में कई प्रमुख सिंचाई योजनाएं हैं उनको हम प्रमुखता से लेते हैं। मैंने 1992 में भी एक बात कही थी, क्योंकि आज यह बात कई तरह से उठी कि नये काम कितने कराये जा रहे हैं, उस समय मैंने एक स्पष्ट घोषणा की थी कि कई योजनाएं हाथ में ले ली गई हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उन योजनाओं में कम-कम हम पैसा दे पाते थे, कई योजनाएं ऐसी भी थीं जो दूसरे कार्यक्रमों में ले ली गयीं, वह सिंचाई विभाग में आ गयीं, तो उस समय मैंने एक नीति निर्धारित की थी कि नया काम कोई हाथ में नहीं लिया जाएगा जब तक यह योजना पूरी नहीं हो जाएं और जिसमें बहुत कम पैसा लगा था और आगे सिंचाई विभाग के द्वारा जिसको क्रियान्वित करना असम्भव हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, उसको भी छोड़ने का एक निर्णय लिया और मुझे खुशी है इस बात की कि धीरे-धीरे 1992 में मैंने आपके सामने प्रतिशत दिया था कि राजस्थान की धरती पर जो पानी गिरता है उस समय तक हम 44 पर्सेण्ट पानी को हारनेस करने की स्थिति में आये थे। आज मैं आपके सामने अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति के कारण कई माइनर प्रोजेक्ट पूरे हुए, कई मीडियम प्रोजेक्ट पूरे हुए और कई मेजर प्रोजेक्ट्स में भी सिंचाई का काम चालू किया है जो स्टोरेज वाटर था और आज की तारीख में हम राजस्थान की धरती पर गिरने वाले 52 पर्सेण्ट पानी को हारनेस करने में सफल हुए हैं। यह बात मैं आपके सामने इसीलिए रखता हूं कि यह हमारी आज तक की उपलब्धि है और इस उपलब्धि से हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि आज भी 48 प्रतिशत पानी बेकार जा रहा है।

यहां पर मास्टर इरिगेशन प्लान की बात की गयी। हम इस पृष्ठभूमि में बात करते हैं, प्रारम्भ में हमने पंचवर्षीय योजना को अपनाया, प्रतिपक्ष के नेता भी शुरू से सिंचाई मंत्री रहे हैं, इस बात से सहमत होंगे कि शुरू-शुरू में मास्टर प्लान जैसी कोई चीज थी नहीं, राजनैतिक दबाव थे, राजनैतिक तुष्टिकरण भी था और जहां जिस तरह की स्थितियां बनी, हमने सिंचाई विभाग के कार्य तो हाथ में लिए लेकिन सारे राजस्थान को एक मानकर और सारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान की जल की आवश्यकताओं को देखते हुए, जो पानी बरसता है उसको देखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कोई मास्टर प्लान बनाया हो, ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आज बैराठ से आने वाली माननीय सदस्या नहीं हैं, उन्होंने राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के उपयोग के लिए सबसे पहले सन् 1987 में मास्टर प्लान बनवाने का प्रस्ताव रखा और उसके आधार पर उन्होंने मास्टर प्लान 1987 में बनवाया भी। केवल एक तरह का जल जो सतही जल है, उस सतही जल के आधार पर उस समय उन्होंने जो अनुमान बनवाये, जो मास्टर प्लान बनवाया उसमें 15.86 मिलियन एकड़ फीट टोटल सतही जल आंका गया था जो बरसात से राजस्थान की धरती पर पड़ता है। इस मास्टर प्लान के अन्तर्गत 14 तो प्रमुख बेसिन आइडेण्टिफाई किये गये और 59 सब-बेसिन आइडेण्टिफाई किये गये और इन सबको बांटकर उन्होंने प्रत्येक बेसिन और उप बेसिन की पानी की उपलब्धता, उपयोग किये जा चुके पानी की मात्रा, उपयोग किये जाने योग्य शेष पानी की मात्रा, आदि के आंकड़े तैयार किये थे। इस मास्टर प्लान के अनुसार राज्य में अभी तक 790 योजनाएं सतही जल संसाधनों के विकास एवं उपयोग हेतु प्रस्तावित हैं। जिसमें से 5 वृहद्, 27 मध्यम, 88 लघु का सर्वेक्षण किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं तथा इनकी विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति हेतु जांच की जा रही है। 8 मध्यम, 32 लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जाकर परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं। 4 वृहद्, 5 मध्यम, 31 लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। यह मास्टर प्लान उन्होंने तैयार किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस मास्टर प्लान में केवल सतही पानी लिया गया था। राजस्थान में सतही जल हमको मिलता है, ग्राउण्ड वाटर भी हमको मिलता है और अन्तरराज्यीय समझौतों के आधार पर कुछ नदियों का पानी हमको मिल रहा है, कुछ नदियों का पानी मिलने की सम्भावना है। यह मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस मास्टर प्लान को अधूरा मानकर राजस्थान की सरकार ने एक निर्णय लिया है और राजस्थान की सरकार इस निर्णय को लागू करने जा रही है। राजस्थान राज्य के सम्पूर्ण जल संसाधनों के विकास की योजना बनाये जाने का एक प्रस्ताव हमने लिया है। जितना भी जल जिस तरह से भी उपलब्ध है, चाहे वह अन्तरराज्यीय समझौतों से हो, चाहे ग्राउण्ड वाटर से हो, चाहे बरसात से हो, राजस्थान को जो जल अभी मिल रहा है और जो सम्भावित है उसके आधार पर हमने एक मास्टर प्लान बनाने की योजना तैयार की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसमें सब तरह के आंकड़े इकट्ठे किये जायेंगे। उसमें पांच-छह हमने प्रस्ताव रखें हैं जो मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें और सदस्यों के सुझाव भी आएंगे लिखित में भी और आगे भी और उससे इस मास्टर प्लान को बनाने में हमें सहयोग मिलेगा। पहला है, मौसम व जल विज्ञान से सम्बन्धित सभी उपलब्ध आंकड़ों को एकत्रित कर उनका अध्ययन

(श्री कैलाश मेघवाल)

करना। राज्य के सभी उपलब्ध जल स्रोतों का आकलन व साथ ही विभिन्न जल उपयोग के क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अध्ययन। राज्य में जल के उपयोग के लिए एक समर्पित मास्टर प्लान बनाया जाना, जिसमें सभी क्षेत्रों की आवश्यकता व उपलब्धता के विस्तृत अध्ययन के आधार पर जल आवंटन नीति निश्चित करना व विकास परियोजनाएं प्रस्तावित करना व उनकी प्राथमिकताएं निश्चित करना। चौथा, राज्य में उपलब्ध सीमित जल का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु उपाय सुझाना। पांचवा, उपरोक्त अध्ययन के आधार पर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय जल नीति के सन्दर्भ में राज्य जल नीति तैयार करना और छठा है राज्य के अभियन्ताओं को जल विकास की योजना व नीति निर्धारण के कार्य में उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। यह एक मास्टर प्लान राजस्थान की सरकार ने हाथ में लिया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह छह बिन्दु हमने रखे हैं और यह मास्टर प्लान हम 2045 को ध्यान में रखकर, आज जब 1994 में खड़े हैं उसके बाद 2045 के अनुमानों के आधार पर हर दृष्टि से और उस समय तक हम किस तरह से यह योजनाएं बना सकेंगे, किस तरह इनको क्रियान्वित कर सकेंगे, कितना पैसा हम लगा सकेंगे और कितना पानी हम काम में ले सकेंगे, 2045 ईस्वी को ध्यान में रख कर बना रहे हैं। मैं आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों से, विशेषकर इसमें जो विशेष जानकारी और विशेषज्ञता रखते हैं, भूतपूर्व सिचाई मंत्री भी रह चुके हैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह अधिक से अधिक एग्जास्टिव बन सके इसके लिए वह अपने उपयोगी सुझाव देकर के हमको लाभान्वित करें।

मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि मैं एक आंकड़ा लाया हूं, और आंकड़ा इसलिए लाया हूं कि पिछले दिनों चर्चा में प्रतिपक्ष के नेता ने एक बात कही थी कि योजनाएं सही समय पर पूरी हुईं और उसी लागत में पूरी हुईं जो कि अनुमानित थी। उस रोज भी मैंने उनसे असहमति व्यक्त की थी और आज भी मैं इसलिए असहमति व्यक्त करना चाहता हूं कि जो एक बार-बार बात उठती है कि नये काम क्या चालू किये, नये काम कब चालू करोगे, कैसे चालू कर लोगे, यह सारी स्थिति उठती है, तो मैंने जैसा प्रारम्भ में बताया कि हमारी कई योजनाएं आज भी ऐसी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वृहद् योजनाएं हैं जिनको बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, अनुमानित लागत में पूरा हो जाना चाहिये था वह लगातार खिंचती चली जा रही है और लागत भी बढ़ती चली जा रही है। यहां मैं यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि समय बढ़ने में और लागत बढ़ने में उनके स्कोप में परिवर्तन भी एक कारण है। समय-समय पर सारी योजना का रिवीजन किया जाकर के ज्यादा से ज्यादा धरती हम सिचाई के अन्दर ला सकें यह भी एक कारण रहा है। लेकिन कोई योजना पूरी नहीं हुई। आज भी हमारी कई योजनाएं ऐसी है; जैसे 1991–92 में सोम-कमला पूरा होना चाहिए वह अब भी चल

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहा है आगे भी चलता रहेगा, सावन-भादो भी 84-85 में पूरा होना चाहिये था वह भी आगे चल रहा है, बिलास योजना में 1983 में पूरी होनी चाहिये थी वह आगे चल रही है, पांचना 1982-83 में पूरा होता वह अब भी चल रहा है। छापी परवन लिफ्ट, हरिशचन्द्र सागर यह सारी योजनाएं जो हैं, इसमें से हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस साल....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): सिंचाई मन्त्री जी, मैंने सिर्फ एक जाखम की बात कही थी, बाकी तो स्लिपेजेज है टार्गेट जो डेट थी उसमें। मैंने कब कहा था कि यह सब योजनाएं अनुमानित और जो टार्गेट डेट थी उसमें पूरी हो गई है। I didn' t tell this. आप मुझे कोट कर रहे हैं कि मैंने यह बात कही....और कोट करके उसी प्रश्न को आप रखना चाहते हैं आप रखिये, क्योंकि आप अपने आपको कोट कर रहे हैं इतना लम्बा कि 2045 और पांच साल, यह पचास वर्ष आगे का, मास्टर प्लान बना कर के। 50 साल में आप पूरा कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, आपकी और मेरी सन्तान होगी वह जाकर मालूम करेगी कि यह जो आप कह रहे हो, इसको पूरा करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शायद उस रोज की चर्चा याद है, प्रतिपक्ष के नेता ने एक बात कही थी कि योजनाएं समय पर और लागत में पूरी हुईं और जब मैंने एक सवाल किया था कि कौनसी योजना, तो जाखम का नाम बताया था उससे मैंने उसी समय असहमति व्यक्त की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता को इस योजना का स्वागत करना चाहिये। राज्य एक संस्था है, चाहे इधर बैठकर आप उसको चलायें, चाहे इधर बैठकर हम चलायें, राजस्थान की जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के आधार पर पार्टियां शासन में आती रहेंगी लेकिन राज्य संस्था एक निरन्तरता लिए हुये है। और अगर ऐसा आधारभूत डाकूमेंट तैयार होता है चाहे हम कार्यान्वित करें, चाहे आप कार्यान्वित करें। जैसा मैंने स्पष्ट स्वीकार किया और माननीय कमलाजी को मैंने धन्यवाद किया कि 1977 में पहली बार उन्होंने एक आधारभूत ढांचा, इरिगेशन का मास्टर प्लान बनाने की एक मन में सोची और बनाया लेकिन उसमें केवल सतही जल लिया था इसलिए हमने इसको एग्जास्टिव करने के लिए किया है अब उसमें कोई भी आये। 2045 तक आप रहेंगे या मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा लेकिन अपने वारिस तो रहेंगे कोई न कोई, जो यहां करेंगे या माननीय अध्यक्ष जी द्वारा बनाये जाने वाले नए भवन में चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान के सिंचाई विभाग को आगे बढ़ाने का काम तो चलता रहेगा। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : आपका वारिस कौन है, नाम बताओ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह बाद में बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : जो सरफेस वाटर है इसका 52 प्रतिशत यूटिलाइज करने की योजनाएं चल रही हैं, 48

(298)

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रतिशत अभी तक यूटिलाइज नहीं कर सके हो आप । तो पहले आप इसको यूटिलाइज कर लीजिये । इसको नहीं करके अन्तर्राष्ट्रीय नदियों का पानी और नीचे वाला पानी और सब मिलाकर के मास्टर प्लान । आप जो है, मैं आपसे कह रहा हूं कि बुआजी तो नागा फिरे और भतीजी ने वेस पावे । पहले इनको ही आप पूरा क्यों नहीं कर देते हो ? इसको आप नहीं करके और तमाम चीज यह बता रहे हैं । पानी तो कल-परसों, अध्यक्ष महोदय, सेटर डे को यहां पर चर्चा हुई थी कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर, जो है बहुत कम रह गया है उसको निकालने के लिए ट्यूबवैल आप क्यों खुदाओ, लोगों के दो लाख, ढाई लाख कुएं चल रहे है जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहते हैं वही दे दीजिये उनको । वह तो लोग पानी ले रहे हैं अपने आप ही । आप डार्क जोन और ग्रीन जोन एरिया है, यह रिमार्क कर रहे हैं । किन्तु अन्दर वाला पानी कहां है ? पानी तो अन्दर चाहिए । "रहिमन पानी राखिए" वह है कि नहीं है ? नहीं तो 2045, 2045 कुछ नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : "रहिमन पानी राखिए", वह पानी आप भी रख रहे हैं और मैं भी रख रहा हूं और उसी पानी के आधार पर अपन यहां बैठे हैं और वह पानी रखने वाले यहां कई माननीय सदस्य हैं उस पानी के आधार पर तो अपने कार्यवाही करेंगे । लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता की एक बात से सहमत नहीं हूं । क्योंकि अण्डर ग्राउण्ट वाटर भी हमको हारनेस तो करना है । लेकिन कितना उसमें से काम आना चाहिए, कितना नहीं काम आना चाहिए, वह ग्राफ किस लेवल पर जा रहा है....

श्री परसराम मदेरणा : सतही पानी जो निश्चित है, इम्पाउण्ड कर सकते हैं आप उसमें फिर जो है आप अण्डर ग्राउण्ड पानी को भी उसके साथ ओवर ड्रिलिंग करके और इंटीग्रेटेड उसकी कोई योजना आप बनायेंगे, मैं यह समझता हूं कि नीचे पानी है कहां राजस्थान में ? कई जिलों में तो कड़वा पानी है । कड़वा पानी नहीं है तो पीने के पानी के लिए इतनी आवश्यकता है कि वह भी आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है । यह तो चिन्ता का विषय है । उसके साथ ही जितने भी काश्तकार, किसान हैं वह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अपना कुआं खोदने के अन्दर । सरकार भी मदद कर रही है । कई योजनाएं अपनी भी चल रही हैं, इसमें अपन लोगों की मदद कर रहे हैं वैल्स को बोरिंग करने के लिए, डीपन करने के लिए और खुद द्वारा ओपन वैल खुदाने के लिए भी । तो इसमें तो चांसेज, पानी आपको मिलने वाला बहुत कम हैं ही ।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम मिलता है या ज्यादा मिलता है लेकिन आकलन तो उसका होना चाहिए और यह इसलिए आवश्यक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे अभी माननीय शीशरामजी ओला कह रहे थे, माननीय रामनारायण जी चौधरी एक बात कह रहे थे कि झुन्झुनूं में, सीकर में, चूरू में यहां पानी कहां से आएगा । और यह अगर सफल हो जाता है आप सबके सहयोग से और राजस्थान की जनता के भाग्य से तो हमको डुप्लीकेशन भी नहीं होगा कई जगह ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता इस बात से सहमत होंगे कि कई जगह इस तरह के बांध बने हैं कि न तो एक पूरा बनता है न कोई दूसरा पूरा बनता है, न तीसरा पूरा बनता है वह अगर सर्वे करना चाहें तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, इतना ही कहकर मैंने उसको छोड़ा है कि कुछ राजनैतिक दबाव और कुछ राजनैतिक तुष्टिकरण के कारण ऐसा हुआ इसलिए मैं सोचता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे, कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, कितना मिलता है, कहां से मिलता है, कैसे मिलता है सारी बातें एक बार साफ हो जाएं तो हमको अपनी योजनाएं बनाने में और हमारा जो निवेश है, जो हम पैसा लगा रहे हैं, आगे के लिए हमको गाइडलाइंस मिलेंगी। क्योंकि अब हम इस स्थिति में आ गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 1993-94 में दो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट हो जाएंगे, जो इतने मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे हरिशचन्द्र सागर और भीम सागर है। और 1994–95 में एक मीडियम और 27 माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हम पूरे करा लेंगे। पुराना बैंकलॉग चलता आ रहा है लम्बे समय से उसको अब हम पूरा करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम बना रहे हैं। जैसे अभी 93-94 में 68 लघु सिंचाई योजनायें चल रही हैं उन 68 लघु सिंचाई योजनाओं में से 25 योजनायें इस 31 मार्च, 1994 तक पूरी हो जानी हैं। अब वह थोड़ा बहुत बाकी रहेगा, सारा पैसा लग रहा है। अब हम पहली बार नयी लघु सिंचाई योजनाएं ले रहे हैं और उन नयी लघु सिंचाई योजनाओं में छह करोड़ का तो हमने प्रावधान रखा है। अब यह सही हो सकता है कि यह प्रावधान कम हो लेकिन उसके लिए 114 योजनायें आइडेन्टिफाई की गयी हैं। उन 114 योजनाओं में से प्राथमिकता के आधार पर और क्षेत्र की मांग के आधार पर मैं सोचता हूं कि 30-35 लघु सिंचाई योजनायें हम ले सकेंगे और उनका भी हम अगले साल कार्यान्वियन करेंगे।

इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मीडियम योजनायें भी स्वीकार हो गयी हैं। हमने 16 मध्यम सिंचाई योजनायें प्रस्तावित कर रखी हैं। अध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्था को जानते हैं, आज-कल सी. डबल्यू. सी. और उनकी टेक्निकल कमेटी और उनकी सारी गाइडेन्स इन मध्यम योजनाओं में लेनी पड़ती हैं। 16 ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव हमारे पास हैं, छह हमने सी. डबल्यू. सी. के टेक्निकल एक्जामिनेशन के लिए भेज रखी हैं। उसमें से अगले साल, 1994–95 में दो योजनाएं, एक तो चोवली है और एक पेथली है, यह दोनों चम्बल बेसिन में उन्होंने स्वीकार की हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने अगले साल के लिए रुपये एक-एक करोड़, कुल दो करोड़ का प्रावधान रखा है और हमारी यह भी कोशिश है कि दूसरी योजना भी मंजूर हों और उनको हम आगे चलायें तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि और दूसरी योजनायें कई हैं। आज अकाल राहत कार्य हम चला रहे हैं वहां भी कई योजनायें हैं छोटी-छोटी। लेकिन वह सारा एकजाई नक्शा अभी बना नहीं और एकजाई नक्शा इसलिए नहीं बना कि हमारे सिंचाई के जो तालाब ...

श्री परसराम मदेरणा : आप कह रहे हैं माइनर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार है लेकिन आप सबको नहीं ले सकते, कुछ को लेने जा रहे हैं। अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट तैयार हैं आपके पास में **Is it not a draft master plan in itself** ? मास्टर प्लान को किस तरह से परिभाषित करेंगे ? **How do you define the master plan** ? आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी आज अर्थाभाव के कारण उन प्रोजेक्ट्स को नहीं ले सकते, कुछ को लेने जा रहे हैं, छह करोड़ का प्रावधान रखा है।

इसमें दो मीडियम भी ले रहे हैं बाकी माइनर ले रहे हैं। आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो बहुत हैं पर मेरी यह समझ में नहीं आया कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर कितना है, सरफेस वाटर कितना है और इन्टरस्टेट रिवर्स से हमें कितना पानी मिलने वाला है। फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट और अण्डर-ग्राउण्ड वाटर बोर्ड का अमला आपने काहे के लिए खड़ा किया है ? इनको सब मालूम है। पूरा आकलन है, सब असेसमेंट है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सब मालूम है लेकिन उसको कन्सोलीडेट करना है और कन्सोलीडेट करने के साथ ही मैं यह निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है....

श्री परसराम मदेरणा : कई सेमीनार हो चुकी हैं इसके ऊपर।

श्री कैलाश मेघवाल : सारी योजनायें तैयार नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आज से 20 साल पहले इस इरिगेशन डिपार्टमेंट को मालूम है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर कितना है और इनकी इन्टर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स हो चुकी है। जिस समय यह नेशनल पालिसी बन रही थी वह बन नहीं सकी कई कारणों से। उसमें भी कई व्यवधान आ गये। क्यों आये आप खुद जानते हैं। अलग-अलग स्टेट अपने-अपने सैल्फ इन्टरेस्ट में फंस गयी। अब आप नेशनल वाटर पालिसी का राज्य की वाटर पालिसी के साथ में समन्वय बैठायेंगे। वहां तो पालिसी है ही नहीं। आपकी पालिसी सीधी है कि आपके पास प्रोजेक्ट्स बड़े हैं, आप स्वीकृत करो इनको और चालू करो।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह नहीं मानता कि जितने प्रोजेक्ट्स बने हैं या जितना सर्वे चल रहा है यह अपने आप में पूर्ण है। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। कई सर्वे भी चल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसमें कोई विवाद नहीं है। जो आप कह रहे हैं, वही यह कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इसमें थोड़ा-सा भेद है, फर्क है, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने जो कहा है कि आपका मास्टर प्लान तो यह बना पड़ा है, मैं उससे असहमति व्यक्त करता हूं कि मास्टर प्लान नहीं बना पड़ा है। यह तो कहीं राजनैतिक मांग होती है, कहीं जैनुइन मांग होती है, कहीं कुछ दबाव होता है उसके आधार पर सर्वे चालू हो जाता है। उसमें सर्वे के आधार पर कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार भी हो जाते हैं। उसमें प्राथमिकता के आधार पर भी हो जाते हैं। लेकिन सारे राजस्थान को एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

मानकर सभी सर्वे हो चुका हो, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सर्वे का प्रोसेस चल रहा है और यह एग्जास्टिव इसलिए मैं नहीं मानता कि कई जगह के वाटर पोटेन्शल को हमने हारनेश करने की तैयारी करनी है और इसलिए यह चल रहा है प्रोसेस। लेकिन सारे एक साथ बंद करके 2045 तक की एक फेस आउट योजना सरकार बना ले और हमारे रिसोर्सेस जिस तरह के हैं उन रिसोर्सेस के आधार पर उसे फेसआउट करें तो वह अपने को एक दिशा-निर्देश दे....

श्री परसराम मदेरणा : पालिटिकल दबाव को रेसिस्ट कर दीजिये आप। वह माननीय सदस्य आ रहे है, आदिवासी क्षेत्र में आप कम से कम पालिटिकल दबाव में नहीं आयें तो माइनर इरिगेशन की जो योजनायें आप लेने जा रहे हैं 29 या 28 उसमें से एक उनका तो आना चाहिए तो पालिटिकल दबाव में आयेंगे नहीं आप।

श्री रामस्वरूप : आज ही घोषणा करो।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य माननीय प्रतिपक्ष के नेता से जरा पूरी तरह से सिफारिश करवायें और उसकी फिजिबिलिटी मैं जानता हूं। आप तो कर देंगे लेकिन वह सिफारिश करते हैं या नहीं क्योंकि उनको सारी असलियत मालूम है। अगर वह ईमानदारी से सिफारिश कर देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको स्वीकार करने में सरकार को क्या एतराज होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां अन्तर राज्यीय विवाद हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एनीकट्स के बारे में यहां स्पष्ट घोषणा हो चुकी है कि पुराने एनीकट्स जो अधूरे हैं उनको पूरा करने में किसी तरह का एतराज नहीं है। नये एनीकट्स एक शर्त के साथ हैं कि जहां बड़े बांध बने हैं उनके कैचमेंट एरिया को वह किसी तरह से प्रभावित करते हैं या उसकी भराव क्षमता में उससे किसी तरह का विरोध पैदा होता है तो उनके बारे में निश्चित रूप से सबको इस बात से सहमति होगी कि वहां ऐसे एनीकट्स नहीं बनाये जाएं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में एक स्पष्ट नीति है और यह नीति इसलिए है कि कई जगह बने बनाये एनीकट्स टूटते देखे हैं और इसलिए तोड़ने पड़े कि मुख्य बांध की भराव क्षमता में असर पड़ा है। किसी कारण से बन गया हो। उनको तोड़ा नहीं है तो ऊंचे भी नहीं किये और आड़े-टेढे भी करने पड़े हैं। तो मैं इस मामले में किसी दबाव में नहीं बल्कि सरकार स्पष्ट एक घोषणा करना चाहती है कि जो हमारे बड़े बांध बनाये गये हैं और बन रहे हैं उनके कैचमेंट को किसी भी तरह से यदि कोई एनीकट प्रभावित करता है तो उसकी स्वीकृति तो राज्य सरकार नहीं देगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब सिंचाई मंत्री जी ने घोषणा की थी, देवीसिंह जी भाटी यहां पर विराजमान थे उस समय उन्होंने सदन को बताया था कि केबिनेट सब-कमेटी बनी हुई है और बीसलपुर परियोजना के सम्बन्ध में समटोटो उसको पूरा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

दुबारा एग्जामिन करके उसके बाद में निर्णय लिया गया है। क्या सरकार का यह निर्णय सब-कमेटी के गठन के बाद का है या, माननीय मंत्री जी, जनरल पालिसी जो आज तक फालो की जा रही है वह है। केबिनेट सब-कमेटी का गठन है उसके बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो मास्टर प्लान के बारे में फरमाया था, मैं जो समझ सका हूं उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि लीनियर प्लानिंग बेसिन और सब-बेसिन का जिस प्रकार से होता है वह नहीं हुआ इसलिए माननीय मंत्री जी उसकी घोषणा नहीं कर पा रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री मण्डलीय उपसमिति बनी है वह उप-समिति बनी है बीसलपुर प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में। बीसलपुर प्रोजेक्ट सिंचाई का और पी. एच. ई. डी. का पीने के पानी का मिश्रित है या ईसरदा पर जो नयी मांग उठ रही है वहां किस तरह की नहरें बनें और उसमें एनीकट का भी मसला बीसलपुर से सम्बन्धित है। वह उप-समिति सारी सिंचाई की योजनाओं के बारे में निर्णय के लिए नहीं है। बीसलपुर से जितने मसले सम्बन्धित हैं, मुआवजे के भी, उनके बारे में वह उप-समिति निर्णय लेगी। उस समिति का मैं भी सदस्य हूं, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं, पंचायत राज मंत्री भी सदस्य हैं और हमारे सिंचाई मंत्री भी हैं। उसमें पी. एच. ई. डी. मंत्री भी हैं। तो वह बीसलपुर के विशेष सन्दर्भ में कमेटी बनी है उसकी टर्म्स आफ रेफरेन्स बिलकुल अलग हैं। राजस्थान के बारे में उस समिति को निर्णय लेने के टर्म्स आफ रेफरेन्स नहीं हैं।....(व्यवधान)....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूरा भाषण करने दो। बीच में इन्टरप्शन नहीं।

श्री महावीर भगोरा : बाकी क्षेत्रों के लिए तो यह निर्देश जारी करेंगे ? यह स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आपकी जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं हैं तो वह कर दीजिये बाकी जो लोगों ने छोटे मोटे रखे हैं उनका जवाब दे दीजिये।

श्री महावीर भगोरा : जो सरक्यूलर जिले में गया है उस सरक्यूलर के अन्दर नयी स्कीम लेने के लिए बिलकुल मना कर दिया है डिपार्टमेन्ट ने।

श्री परसराम मदेरणा : आप एनीकट की बात कर रहे थे अभी। अभी किसी भी बांध के कैचमेंट एरिया में इन्टरसेप्शन नहीं हो ताकि फ्लो वाटर का इम्पाउण्डमेंट जितना भी आप सोच रहे थे वह हो सके लेकिन बड़े एनीकट बनाकर तोड़ने की बात जो है, क्यों तोड़ते हो ? छोटे बनाओ। बड़े एनीकट बनते ही क्यों हैं ? बहुत छोटे एनीकट बनाओ और ज्यादा रेज मत कीजिये ताकि नीचे पानी का स्तर कुओं में बढ़ेगा और उससे पानी की समस्या का समाधान होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने एक सवाल रखा है....

श्री परसराम मदेरणा : और आप खुद चाहते हैं। किसी कारण से, यह पहले भी

(श्री परसराम मदेरणा)

मैं दो-तीन बार आपको उदाहरण दे चुका हूं तिलोनिया और रायपुर का कि आपने बंधे बना दिये, परिणाम यह हुआ कि आगे का एरिया पूरा का पूरा सूख गया। इसलिए आपका पानी फ्लो करना चाहिए उन रिवरलेट्स में उसके लिये एनीकट बहुत जरूरी हैं। इसलिए आप छोटे बनायें। उनकी हाइट मत बढ़ाइये ज्यादा। छोटी हाइट रखिये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तकनीकी विषय है और एक-एक बूंद उपयोग में आये यह हमारा सबका एक लक्ष्य है। उसमें छोटे बनाने का जैसा आपका सुझाव आया है, आप भी सहमत होंगे कि जितनी लागत हम लगाते हैं कास्ट बेनीफिट रेशयो देखते हैं और बड़े बांध बने हैं उसके हिसाब से सारी वितरिकाएं बनी हैं। उसमें बाधा आये छोटे एनीकट बनाने से तो वह आप भी नहीं चाहेंगे। और हम भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर....

(23.00)

सर्वे से इस तरह की टैक्निकल रिपोर्ट आती है कि बहुत दूर उसके कैचमेण्ट बनाने से बांध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस बारे में सरकार विचार करेगी। उसमें कोई गैर वाजिब न तो यह होगा और न आपकी राय गैरवाजिब है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरदार सरोवर परियोजना की मुख्य नहर से राजस्थान में 1997–98 तक पानी उपलब्ध हो सकेगा बोर्डर के ऊपर। जिससे अभी सांचौर, जिला जालौर के 76 गांवों को और गुडामालानी के 7 गांवों को पानी मिलेगा। आपके भी सात गांव हैं इसमें।

श्री शान्तिलाल चपलोत : जरूरी थोड़े ही है कि गुडामालानी से ही लड़ेंगे इलेक्शन।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो अब आप जानें।

1.35 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा और 124 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष 1993–94 में इस पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें साढ़े नौ करोड़ कास्ट में दे दिये और 50 लाख का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, सर्वे शुरू किया गया है। इस साल 30 करोड़ का प्रावधान है। इसको हम इस तरह फेज आउट करना चाहते हैं कि जब बोर्डर पर हमको पानी मिले उस समय राजस्थान के इस क्षेत्र में जो गांव हैं वहां सिचाई का ढांचा तैयार होना शुरू हो जाये और यह पानी व्यर्थ न जाये और पानी उधर से आते ही हम यहां पानी का उपयोग कर सकें। इस दिशा में हम इसको प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जमना वाटर्स के बारे में कहा गया। मैं सोचता हूं कि जमना वाटर्स के बारे में पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है इसी सैशन में। जमना वाटर्स के बारे में यह स्थिति है कि 1.119 बी.सी.एम. पानी तो हमारा तय है लेकिन इसको मिलने में जिस तरह की बाधाएं खड़ी हो रही हैं उन बाधाओं को

(श्री कैलाश मेघवाल)

हटाने के लिये सब स्तर पर हम कोशिश कर रहे हैं।

यहां रावी-व्यास के मामले में चर्चा आयी। मैं आपसे निवेदन करूं कि दशमलव छह मिलियन एकड़ फीट पानी जो 1984 में पंजाब को काम में लेने के लिये हमने अधिकृत कर दिया था, केन्द्र सरकार ने निर्देश दे दिये हैं कि राजस्थान ने पानी काम में लेने की अपनी पोटेंशल क्रियेट कर ली है तो यह पानी रेस्टोर कर दिया जाये।

गंगा फ्लड वाटर्स के बारे में टेक्निकल कमेटी के सामने मुद्दा अभी विचाराधीन है क्योंकि गंगा फ्लड वाटर्स की कितनी अवेलेबिलिटी है और क्वाण्टम आफ दी वाटर क्या है, ये दो बातें लगातार लम्बे समय से तय नहीं हो पा रही है। एक बार मैं भी उस मीटिंग में था, उसमें मुख्य मंत्रीजी भी थे। आज की तारीख में उसकी स्टेज यह है कि टेक्निकल कमेटी बनी है उस टेक्निकल कमेटी को यह तय करना है कि आखिर सरप्लस फ्लड वाटर है कितना। वह वाटर हमारे काम में आएगा। उसमें 12 बिलियन एकड़ फीट पानी टैण्टेटिव हमने मांगा है। हमारी मांग का औचित्य-अनौचित्य, जब तक सरप्लस फ्लड वाटर की क्वाण्टम और अवेलेबिलिटी तय नहीं हो पाएगी, अभी चर्चा में है। इस तरह जो हमारे अन्तर राज्यीय मसले हैं उनमें हम लगातार प्रयत्नशील हैं कि उनका जल्दी से जल्दी हल हो और राजस्थान को अपनी पात्रता, अपने अधिकार के आधार पर पानी मिले जिससे हम पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या दूर कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि यह पर्याप्त है क्योंकि सारी चर्चा हो चुकी है। जितनी भी चर्चाएं दूसरी हुई, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कटमोशन का जवाब देने के साथ ही आज सिंचाई विभाग की जो चर्चा सवेरे से अभी तक हुई है उस चर्चा की प्रतिलिपि लेकर सिंचाई विभाग के कार्य को बढ़ाने में हम मदद लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि मांग को स्वीकार किया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : अभी सिंचाई मंत्री जी ने कहा कि जो पोटेंशल हमारा है दशमलव छह मिलियन एकड़ फीट का, वह अब क्रियेट हो गया है और भारत सरकार ने आदेश दे दिये हैं। किसको दिये हैं आदेश ? कब दिये, कौनसी तारीख को ? यह निर्णय किस स्टेज पर हुआ है ?

श्री कैलाश मेघवाल : The following draft decision was conveyed by the Government of India for consideration in this regard; "As work on this Indira Gandhi Nahar Project is now well advanced, Rajasthan's share of 0 6 MAF temporarily made available to Punjab out of its share of 8.6 MAF will be restored." यह गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कन्वे किया है।

मांग संख्या 46 एवं 12
का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46–सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,62,19,76,000 (आठ अरब बासठ करोड़ उन्नीस लाख छिहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय मंत्री जी। पास करा दें ?

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12–अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,19,71,00 (सत्रह करोड़ उन्नीस लाख इकत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 23.07 बजे मंगलवार 22 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 449 के आदेशों की प्रति

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प. 1(18)वन/90 जयपुर, दिनांक 27 अप्रेल, 1991

परिपत्र

आदिवासियों की कमजोर, आर्थिक व सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या हल करने के लिए राज्यादेश क्रमांक प. 5(9)प्र.सु.–3/91 दिनांक 24–1–91 द्वारा गठित समिति के सुझावों को, परीक्षणोपरान्त राज्य सरकार उक्त सुझावों को स्वीकार करते हुए वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण के नियमन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करती है :—

(1) दिनांक 1–7–1980 से पूर्व इन वन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमन

आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, का नियमन वन (संरक्षण अधिनियम, 1980) के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकेगा :—

(1) अतिक्रमी भूमिहीन हो और आदिवासी क्षेत्र का हो।

(2) अतिक्रमण 1–7–1980 से पूर्व का हो।

(3) अतिक्रमी आदेश प्रसारित होने की तिथि तक मौके पर काबिज हो तथा अतिक्रमित वन भूमि अतिक्रमी के निरन्तर कब्जे में रहा हो।

(4) अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत कार्यवाही दिनांक 1–7–1980 से पूर्व प्रारम्भ की गई हो।

उपरोक्त निर्णय की पालना के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

(1) अतिक्रमण 1–7–1980 से पूर्व का है, इस आशय की पुष्टि एफ.आई.आर वन विभाग के अन्य अभिलेखों से होती हो।

(2) ऐसे मामले जिसकी पुष्टि अभिलेखों से नहीं हो सके लेकिन अतिक्रमी इस आशय का आवेदन/दावा पेश करें कि उसका अतिक्रमण 1–7–1980 से पूर्व का है तो उस अवस्था में मौखिक साक्ष्य के आधार पर नियमन किया जा सकेगा, जबकि उस भूमि पर स्थाई सुधार का कार्य जैसे कुआं, भवन या पक्के खोले, खेतबन्दी, भूमि सुधार

आदि का कार्य 1980 से पूर्व करवाया गया हो अथवा सहकारी समिति से ऐसे निर्माण अथवा बीज व खाद के लिए ऋण लिया हो।

सम्बन्धित प्रकरण 1-7-1980 से पूर्व का है या नहीं की जांच के लिए तहसील स्तर पर एक समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

1. क्षेत्रीय विधायक
2. प्रधान
3. सहायक व संरक्षण कन्वीनर
4. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी
6. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच।

उक्त समिति का कोरम तीन सदस्यों की उपस्थिति के बाद पूर्ण माना जावेगा। लेकिन इनमें से कम से कम एक प्रतिनिधि वन एवं राजस्व विभाग तथा एक जन प्रतिनिधि होना आवश्यक होगा।

(3) नियमन किये जाने वाले समस्त प्रकरणों की जिलेवार सूची बनाकर उक्त कमेटी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित करेंगे। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला कलक्टर एवं वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजेंगे।

(4) उक्त प्रस्तावों के साथ नियमानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव संलग्न किये जावे। इस प्रयोजन हेतु भूमि उपनिवेशन आयुक्त द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी।

(5) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को किया जावेगा।

(6) सघन वन क्षेत्रों के मध्य स्थित अथवा इधर-उधर छितरे हुए अतिक्रमणों को वन सीमा के पास स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि वन सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन ऐसे स्थानान्तरणों में निर्णय सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक वन संरक्षक की एक समिति द्वारा मौका देखने के पश्चात ही लिया जावेगा।

(7) अतिक्रमण को नियमित करने के लिए डि-नोटिफाई करने वाले क्षेत्र को "डिमोर्केट कर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह बनाये जावे।

(8) नियमन की कार्यवाही दिनांक 31-7-91 से पूर्व सम्पूर्ण की जावे।

(9) वन भूमि पर 1-7-80 के पश्चात के अतिक्रमणों को किसी भी अवस्था में

नियमन नहीं किया जावेगा तथा ऐसे अतिक्रमियों को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उन्हें वन भूमि से बेदखल किया जावे ।

(2) विस्थापितों द्वारा अतिक्रमण की गई वन भूमि का नियमन

सिंचाई बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के विस्थापितों ने जिस वन भूमि पर 1–1–89 से पूर्व अतिक्रमण कर रखा को, उसका नियमन भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात किया जा सकेगा ।

इस निर्णय की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

(क) नियमन की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा 10 बीघा होगी, लेकिन वर्तमान में काबिज क्षेत्र से ज्यादा नहीं होगी ।

(ख) यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्व में कुछ भूमि कब्जे में है तो उतनी भूमि 10 बीघा में से कम करते हुए अवशेष भूमि का ही नियमन किया जावेगा ।

(ग) ऐसे समस्त प्रकरणों का संयुक्त सर्वेक्षण सम्बन्धित तहसीलदार व क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अतिक्रमी विस्थापित है तथा उसके पास कुल कितनी भूमि कब्जे में है उक्त अधिकारी अपनी संयुक्त रिपोर्ट सम्बन्धित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रस्तुत करेंगे ।

(घ) उक्त रिपोर्ट के आधार पर मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक, वन (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर व वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित करें । प्रधान मुख्य वन संरक्षक उक्तानुसार प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे ।

(च) उक्त प्रस्तावों के साथ नियमानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के प्रस्ताव संलग्न किये जावे । इस प्रयोजन हेतु भूमि उपनिवेशन आयुक्त द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में वन विभाग को उपलब्ध करायी जावेगी ।

(छ) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धनराशि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा वन विभाग को किया जावेगा ।

(ज) सघन वन क्षेत्रों के मध्य स्थित अथवा इधर-उधर छितरे हुए अतिक्रमणों को वन सीमा के पास स्थानान्तरित किया जावेगा ताकि वन सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े । लेकिन ऐसे स्थानान्तरणों में निर्णय सम्बन्धित उप खण्ड अधि-

कारी एवं सहायक वन संरक्षक की एक समिति द्वारा मौका देखने के पश्चात ही लिया जावेगा।

(झ) नियमन की कार्यवाही दिनांक 31–7–1991 तक पूर्ण की जावेगी।

आज्ञा से,
ह०
(एन. एन. तनखां)
उप शासन सचिव, वन

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

संख्या एफ 6(10)राज/ग्रुप–4/77 जयपुर, दिनांक 23 अप्रेल, 1977

परिपत्र

समस्त जिलाधीश

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय चक चारागाह वन भूमि गैर मुमकिन तथा आबादी भूमि पर 1–7–75 तक आवास गृह या बाडे बनाकर किये गये सभी अतिक्रमणों का नियमन इन्हीं निबन्धनों, शर्तों और निबन्धनों पर किया जाय, जो 18–2–55 से 31–12–70 तक किये गये अतिक्रमणों के नियमन पर लागू होते हैं। और जो इस विभाग के परिपत्र संख्या प 6(17)राज/ख(71 दिनांक 3-7-71 में उल्लेखित है।

ह०
विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 6(7)राज/4/77/6 जयपुर, दिनांक 1-4-91

आदेश

राज्य सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि राजकीय भूमि का आवंटन भूमिहीन को किया जावे। इसी संदर्भ में राजकीय कृषि भूमि पर भूमिहीनों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को नियमन हेतु विचार किया जाता रहा तथा भूमिहीन व्यक्तियों के अतिक्रमणों को नियमित किया जाता रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक प. 3(50)राज/ख/64 दिनांक 5–10–68 के द्वारा यह निर्देश दिये थे कि राजस्थान

310

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 से सम्बन्धित अतिक्रमणों को जिनमें अतिक्रमित राजकीय भूमि पर कब्जा दिनांक 31–12–66 तक था निर्धारित शर्तों पर नियमित कर दिया जाय।

तत्पश्चात विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(20)राज/ख/71 दिनांक 13–4–71 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 1 जनवरी, 1971 तक भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों को निम्न शर्तों पर नियमित किया जाये :—

1– नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू-राजस्व वसूल किया जायेगा। तथा यदि 1 जनवरी, 1986 के बाद के अतिक्रमणों को नियमन के सम्बन्ध में कोई शास्ति या प्रीमियम वसूल किया गया है तो वह राशि अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण की अवधि के लिये देय भू-राजस्व तथा आगे देय भू-राजस्व के पेटे समायोजित की जावेगी।

2– व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमें नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 15 बीघा से अधिक न हो।

3– अतिक्रमित भूमि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उप खण्ड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हो। विभागीय परिपत्र प 6(7)राज/4/77 दि. 14–4–77 के द्वारा यह निर्देश दिये गये कि सिवाय चक भूमि पर दिनांक 1–7–75 तक कृषि प्रयोजनार्थ किये गये अतिक्रमणों को नियमित कर दिया जाय तथा नियमन की शर्तें वही होंगी जो परिपत्र दिनांक 13–4–71 में उल्लेखित थी। यह आदेश गैर मुमकिन मगरा और पड़त पर भी लागू था।

भूमिहीन अतिक्रमियों को नियमन करने के उद्देश्य से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम, 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा आदेश देती है कि राजकीय सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को जो दिनांक 15 जुलाई, 1984 या इससे पूर्व से किये गये हैं, को कृषि प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों पर नियमित कर दिया जाय जो कि आदेश क्रमांक प. 6(20)राज/ख/71 दिनांक 13–4–71 एवं प. 6(7)राज/4/77 दि. 14–4–77 में निहित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ

भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में दी गयी भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा, अर्थात

नियम–4 इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए अनुपलब्ध भूमि

इन नियमों के अधीन कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन के लिए निम्नलिखित श्रेणी की भूमियां उपलब्ध नहीं होंगी, अर्थात —

(I) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां।

(II) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमांकित भूमियां।

(III) राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिये आरक्षित भूमियां।,

(IV) किसी ग्राम की आबादी के समीप अथवा साथ लगी हुई छोटे बाड़ों या खलिहानों के लिये आरक्षित भूमियां।

(V) भूमियां जो—

(क) पांच लाख या इससे अधिक की जन संख्या वाले नगर के पांच मील के व्यास में,

(ख) दो लाख या इससे अधिक किन्तु पांच लाख से कम जन संख्या वाले किसी कस्बे के एक मील के व्यास में,

(ग) एक लाख या इससे अधिक किन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले किसी कस्बे के एक मील के व्यास में,

(घ) किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में,

(ङ) किसी रेलवे की हदबन्दी से एक सौ गज की दूरी के भीतर, या

(च) किसी राजपथ अथवा पक्की या कंकरीट सड़क के मध्य से दोनों ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां।

(VI) राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 के अधीन, लवण क्षेत्रों के रूप में घोषित भूमियां, अथवा

(VII) भूमि आवंटन के किन्हीं विशेष नियमों के अधीन, आवंटन हेतु आरक्षित भूमियां।

आज्ञा से,

ह०

(रामवीर सिंह भंवर)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक : प.6(7)राज/4/77/राज–6/12 जयपुर, दिनांक 1–4–91

अधिसूचना

राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(7)राज/4/77/20 दिनांक 29-1-83 द्वारा गैर मुमकिन भूमि पर सिर्फ कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 1-7-78 से पूर्व तक किये गये अतिक्रमणों को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 एवं अधिसूचना क्रमांक प. 6(7)राज/4/77 दिनांक 14-4-77 में उल्लेखित निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये यह अधिसूचना जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर तथा चूरू जिलों में लागू नहीं होगी। परन्तु इन जिलों के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभान्वितों को नियमन का लाभ दिया जा सकेगा तथा अन्य मामलों में एक हैक्टर तक।

गैर मुमकिन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के प्रयोजन से राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजकीय गैर मुमकिन भूमि पर भूमिहीन कृषकों द्वारा किये गये सिर्फ प्रयोजनार्थ अतिक्रमणों को जो कि दि 15-7-84 या उसके पूर्व के हों उन्हीं निबन्धनों एवं शर्तों पर नियमित कर दिया जावे जो कि आदेश प. 6(7)राज/4/77/6 दिनांक 1–4–91 में निहित है।

आज्ञा से,
ह०
(रामवीर सिंह भंवर)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–2

परिशिष्ट "अ",

तारांकित प्रश्न संख्या 452 का विवरण
एवं आदेशों की प्रति

मॉडल अनुसार अनुदान की दरें निम्न प्रकार हैं :—

क्र.सं.	फव्वारा मॉडल (हैक्टेयर)	अनुदान/श्रेणी कृषक
1.	0.5	3500/– (लघु/सीमान्त)
2.	1.0	4500/– (लघु/सीमान्त)
3.	1.5 से 4.0	7000/– (अजा./अजजा./लघु/सीमान्त)
		5000/– (सामान्य एवं बड़े कृषक)

परिशिष्ट "ब"

कृषि (ग्रुप–2) विभाग
(मोनिटरिंग सेल)

क्रमांक : प. 4(27)कृषि–2/एमसी/90 जयपुर, दिनांक 15-5-91

निदेशक,
कृषि विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय :– जल आयोजना (बजट) योजना की प्रशासनिक संशोधित स्वीकृति।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक एफ 42(2)बी/90/1520 दिनांक 13.2.91 एवं पत्र क्रमांक एफ 42(2)बी/90/12–14 दिनांक 3.4.91

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों एवं इस विभाग द्वारा जारी सम संख्यक प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 10.8.90 में निर्देशानुसार वर्ष 1991–92 से निम्नानुसार संशोधित अनुदान इस योजनान्तर्गत दिये जाने की राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

314

1– फव्वारा सिंचाई पद्धति :–

(अ)	सामान्य कृषक को फ्लेट रेट पर अनुदान	5000/– मात्र प्रति इकाई
(ब)	अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषक को फ्लेट रेट पर अनुदान	7000/– मात्र प्रति इकाई

2– पक्की नाली निर्माण :–

प्रत्येक कुएं पर पक्की नाली के निर्माण हेतु सामान्य कृषक को 1200/– तक का अनुदान तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त तथा लघु जोत के कृषकों को 1800/– रुपये तक का अनुदान 100 मीटर तक की पक्की नाली बनाने या धरती के नीचे पाइप दबाने के लिए दिया जावेगा।

3– सामुदायिक ट्यूबवैल कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों द्वारा मिल कर सामुदायिक ट्यूब वैल के लिए सामान्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा 25000/– रुपये तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 33.5 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम राशि 30000/– रु. तक दी जायेगी। इस योजना में कम भूमि वाले गरीब कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस कार्यक्रम में सामुदायिक रूप से कुआ खोदने वालों को भी शामिल किया जायेगा और उन्हें 25 प्रतिशत अनुदान के आधार पर अधिकतम 7000/– रु. तक की सहायता दी जायेगी। लघु एवं सीमान्त कृषकों या अनुसूचित जाति, जनजाति, कृषकों के लिए यह राशि 9000/– रु. देय होगी। कम से कम तीन व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से कुआ खोदने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जायेगी।

4– पानी के कुशलतम प्रबन्ध के लिए कृषकों को एक दिन का प्रशिक्षण :–

पानी के कुशलतम प्रबंध के लिए किसानों को एक दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु आने वाले किसानों पर प्रशिक्षण के लिए अधिकतम 45.00 रु. ही खर्च किये जायेंगे, जिसमें प्रशिक्षण के लिए आने जाने पर खर्च की अधिकतम राशि 30.00 रु. तथा 15.00 रु. खाने व स्टेशनरी पर खर्च किये जायेंगे। इसके फलस्वरूप पहले से दुगने कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाय।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की अन्तर्विभागीय सहमति संख्या 2273, दिनांक 1.5.91 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,
ह०
कृषि उत्पादन सचिव

(315)

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–1 मोनिटरिंग) विभाग

क्रमांक : प. 4(11)कृषि–1/एमसी/89–पार्ट जयपुर, दि. 4.2.94

निदेशक,
कृषि विभाग,
राज० जयपुर।

विषय :– 0.5 है. एवं 1.0 है. क्षेत्र के स्प्रिंकलर सेट के मॉडलों पर अनुदान प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र क्रमांक प. /नि.कृ./ग्रुप–18/93–94/2582, दिनांक 24.9.93 के क्रम में विभिन्न मॉडलों के स्प्रिंकलर सेट्स के उपयोग पर विभिन्न श्रेणियों के कृषकों को फ्लेट रेट पर प्रति इकाई अनुदान देने हेतु निम्नानुसार राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

मॉडल	एच.डी.पी.ई.	अल्यूमिनियम	अनुदान राशि (रुपये)
1. 0.5 है.	7150	—	3500/–
2. 1.0 है.	9900	14550	4500/–

भवदीय,
ह०
(बी. एम. शर्मा)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या–457 की प्रतियां

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांक : प. 6 (21)/राज.–4/83/5 जयपुर, दिनांक : 2 फरवरी, 1983

समस्त जिलाधीश

विषय:— चरागाह भूमियों पर लगातार एवं निर्बाधित पुराने अतिक्रमणों का नियमन ।

उपरोक्त विषय से संदर्भित इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सं. प. 6 (20) राज./ख/71 दिनांक 2 जुलाई, 1971 की प्रतिलिपि संलग्न है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी, 1970 से पूर्व से अतिक्रमण कर लगातार तथा निर्बाधित रूप से, घोषित चरागाह भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं, तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते हैं, उन व्यक्तियों के कब्जे निम्नवर्णित प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर दिये जावें :—

शर्तें :

1. इस विभाग के परिपत्र संख्या 6 (20) राज./ख/71 दिनांक 2 जुलाई, 1971 में दर्शायी गयी शर्तें, इस परिवर्तन के साथ कि अतिक्रमी का कब्जा, सन् 1966 से, पूर्व से नहीं होकर, 1 जनवरी, 1970 से पूर्व से लगातार तथा निर्बाधित रुप से चला आ रहा है ।

2. अतिक्रमणी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 में अंकित परिभाषा अनुसार भूमिहीन कृषक हैं ।

3. विचाराधीन नियमन का समर्थन सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने, बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, किया है ।

4. तहसील भू–आवंटन सलाहकार समिति विचाराधीन मामले के नियमन के पक्ष में है ।

प्रक्रिया :

जिन मामलों में उपरोक्त शर्तों की पूर्ति होती हो, उन में सम्बन्धित भूमि को चरागाह से निकाल कर सवाई चक दर्ज कर दिया जाय, और तत्पश्चात् उक्त नियमों

317

के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के कब्जे नियमित करने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित कर दिये जायं।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये आदेश इस विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (9) राज./ग्रुप–/4/76 दिनांक 21.4.1976 में वर्णित मरूस्थलीय जिलों पर लागू नहीं होंगे।

(आनन्द मोहन लाल)
राजस्व सचिव

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 8.11.77 नियमन पत्रावली रामनाथ S/o हीरा चमार सा० डेलपुरा।

पत्रावली संख्या
50/नियमन/77

आदेश दिनांक
8.11.77

एड. कमेटी मु. समीधी
8.11.77

हस्बराय कमेटी नं. 15/6½ चरागाह से बिला बारानी (3) में परिवर्तित कर सं. 2022 से कब्जा होने से नियमित की जाती है।

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 458 की सूची

क्र.सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	कार्यरत समितियों की संख्या	चयनित व्यवस्थापकों की संख्या
1	2	3	4
1	अजमेर	158	111
2.	अलवर	309	219
3.	बांसवाड़ा	88	56
5.	बाड़मेर	224	204
5.	भरतपुर	347	246
6.	भीलवाड़ा	202	143
7.	बीकानेर	158	110
8.	बून्दी	122	94
9.	चित्तौड़गढ़	202	144
10.	चूरू	176	143
11.	डूंगरपुर	51	39
12.	जयपुर	364	297
13.	जैसलमेर	76	51
14.	जालौर	157	126
15.	झालावाड़	151	136
16.	झुन्झुनूं	161	117
17.	जोधपुर	207	168
18.	कोटा	281	245
19.	नागौर	284	232
20.	पाली	217	190

(319)

1	2	3	4
21.	सवाईमाधोपुर	268	193
22	सीकर	171	172
23.	सिरोही	63	47
24.	श्री गंगानगर	485	338
25.	टोंक	165	154
26.	उदयपुर	204	151
	योग :	5292	4126

परिशिष्ट–5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

तहसील रामगढ़ (अलवर) को आवंटित केरोसिन

462. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1993–94 में तहसील रामगढ़ (अलवर) में कुल कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल राशन से उपलब्ध करवाया गया तथा जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कितना आवंटित किया गया ?

(2) तहसील रामगढ़ (अलवर) में वर्ष 1993–94 में कुल कितने राशन कार्ड वितरित किये गये हैं ?

(3) सरकार प्रति राशन कार्ड कितना तेल उपलब्ध करवाती है तथा तहसील रामगढ़ में प्रति राशन कार्ड पर कितना मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में तहसील रामगढ़ (अलवर) को 766 किलो लीटर मिट्टी का तेल राशन से उपलब्ध करवाया गया। जिला आपूर्ति विभाग द्वारा भी रामगढ़ तहसील को 766 किलो लीटर मिट्टी का तेल ही आवंटित किया गया था।

(2) तहसील रामगढ़ (अलवर) में वर्ष 1993–94 में 28318 राशन कार्ड वितरित किये गये हैं।

(3) राज्य सरकार केरोसीन का जिलों को आवंटन मांग एवं भारत सरकार द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर करती है। राज्य सरकार के प्रति राशनकार्ड पर 5 से 10 लीटर तक केरोसीन वितरण करने के आदेश हैं। तहसील रामगढ़ के प्रति राशनकार्ड पर 5 लीटर प्रतिमाह मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जयपुर–खण्डेला बस सेवा

463. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर से खण्डेला (जिला सीकर) के लिए रात्रि बस सेवा है ? यदि हां तो कब-कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रात 10.00 बजे खेतड़ी डिपो की बस खण्डेला न जाकर खण्डेला मोड़ से ही निकलती है ? यदि हां, तो क्या इसे खण्डेला तक सर्विस करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर से खण्डेला के लिए किस किस डिपो की कितनी बसें कब-कब चलती हैं ? क्या खेतड़ी डिपो की समस्त बसें खण्डेला तक जाती हैं यदि नहीं, तो क्यों व कब तक इनकी सेवा खण्डेला तक

(श्री महादेवसिंह)

कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो किन कारणोंवश ?

उत्तर

(1) जी हां जयपुर से खण्डेला के लिए एक बस सेवा जयपुर से सायंकाल 5.30 बजे प्रस्थान लेकर खण्डेला रात्रि में 8.15 बजे पहुंचती है तथा दूसरी बस सेवा जयपुर से सायंकाल 6.30 बजे प्रस्थान लेकर खण्डेला रात्रि में 9.15 बजे पहुंचती है ।

(2) जी हां । उक्त बस सेवा को जयपुर से खण्डेला के लिये पर्याप्त सीधा यात्रीभार उपलब्ध नहीं होता अतः इसका संचालन जयपुर से खेतड़ी-सिंघाना के लिये सीधे हीं खण्डेला मोड होकर किया जा रहा है । यदि इस बस सेवा को खण्डेला ग्राम होकर चलाया जाता है तो खण्डेला ग्राम तक जाने एवं आने में 7 कि. मी. अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी और सीधे यात्रियों को 3/– रु. किराया अधिक देना पड़ेगा जिससे इस सेवा को उपलब्ध हो रहे सीधे यात्रीभार में गिरावट आयेगी ।

(3) जयपुर से खण्डेला के लिए खेतड़ी आगार की एक बस सेवा उपलब्ध है जो जयपुर से 17.30 बजे प्रस्थान लेकर 20.15 बजे खण्डेला पहुंचती है इसके अतिरिक्त खण्डेला होकर झुन्झुनू आगार की 9 बस सेवायें और संचालित है जिनकी मार्गवार समय सारिणी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	मार्ग का नाम	जयपुर से प्रस्थान समय
1.	जयपुर-झुन्झुनू वाया खण्डेला	06.30
		08.00
		10.30
		13.15
		14.30
		15.15
		16.15
	दुर्गापुरा से	13.30
		18.30

खेतड़ी आगार की शेष वाहनें खण्डेला मोड होते हुये संचालित की जा रही है । इन बसों को खण्डेला ग्राम होकर संचालित किये जाने से वर्तमान में उपलब्ध हो रहे सीधे यात्रीभार में गिरावट आना सम्भव है । अतः इन बसों को वाया खण्डेला होकर संचालित किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है ।

तहसील गंगापुर के हैण्डपम्प्स

464. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर तहसील के कौन-कौन से ग्रामों में कितने-कितने हैण्डपम्प लगे हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर हैण्डपम्प बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत भी नहीं हो सकती ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों के स्थान

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

पर नये हैण्डपम्प लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां तो तब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि रख-रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण 70% हैण्डपम्प खराब पड़े रहते हैं ? यदि हां, तो उनके रख-रखाव के संबंध में सरकार क्या कारगर उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित तहसील के 124 ग्रामों में जनवरी 1994 तक स्थापित 604 हैण्ड-पम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) स्थापित कुल 604 हैण्डपम्पों में से 155 हैण्डपम्प परित्यक्त हो चुके हैं। इनके स्थान पर नये हैण्डपम्प, धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार लगाये जा सकेंगे।

(3) हैण्डपम्पों का संधारण वर्तमान में पंचायत समितियों के अधीन है तथा समय-समय पर विशेष हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाये जाकर समस्त मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को विभाग द्वारा भी ठीक किया जाता है परित्यक्त हैण्डपम्पों के अतिरिक्त लगभग 100 हैण्डपम्प वर्तमान में अस्थाई रूप से खराब है जिन्हें चालू अभियान के दौरान ठीक किया जा रहा है।

तहसील—गंगापुर में 31 जनवरी 94 तक लगे हुए हैण्डपम्पों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	स्थापित कुल हैण्डपम्प
1	2	3	4
1.	नया गांव	1	4
2.	केमरीखुर्द	2	2
3.	बाढ रायल	3	3
4.	रेडायल कुर्क	4	3
5.	रेडायल गूर्जर	5	13
6.	चक रेडायल गूर्जर	6	–
7.	चक रेडायल तुर्क	7	–
8.	खेडला जनेतपुर	8	3
9.	मोचा का पुरा	9	5
10.	मोहचा	10	9
11.	मालपुर	11	9

1	2	3	4
12.	खण्डीप	12	10
13.	सुन्दरपुर	13	3
14.	शिवाला	14	8
15.	बगलाई	15	7
16.	खेडली	16	7
17.	किशोरपुर	17	5
18.	पावटा	18	7
19.	फलवाडा	19	9
20.	मंडी	20	11
21.	मढ	21	6
22.	रायपुर	22	12
23.	कुसाय	23	11
24.	खेडला	24	9
25.	मीनाबड़ोदा	25	7
26.	बरोली	26	9
27.	बजीरपुर	27	14
28.	छागडा	28	2
29.	स्यारोली	29	5
30.	शेरपुर	30	3
31.	खरेरा	31	2
32.	पीलोदा	32	2
33.	महानन्दपुर	33	—
34.	खिज़रपुर	34	—
35.	कासीपुर	35	—
36.	कमलपुर	36	—
37.	रामसिंहपुरा	37	—
38.	उदईकलां	38	5

1	2	3	4
39.	उदई खुर्द	39	1
40.	डिबस्या	40	2
41.	बिनेगा	41	5
42.	छान	42	2
43.	बाढ छान	43	–
44.	सेवा	44	6
45.	जीवली	45	9
46.	दोब	46	3
47.	बेनीपुर	47	1
48.	टो क्सी	48	1
49.	जाट बड़ौदा	49	3
50.	बाढ़ छावा नं. 1	50	नये राजस्व गांव
51.	चक छावा	51	2
52.	बाढ चक छावा नं. 2	52	–
53.	छावा	53	6
54.	तेजपुर	54	5
55.	चू ली	55	9
56.	मूहं कलां	56	9
57.	मह खुर्द	57	3
58.	बाढ सालोदा	58	5
59.	खानपुर बड़ोदा	59	10
60.	सालोदा ग्रामीण	60	5
61.	मिर्जापुर	61	11
62.	बाढमहानन्दपुर	62	–
63.	मोहम्मदपुर	63	4
64.	ब्रहमवाद	64	3
65.	आर टोली	65	3

328

1	2	3	4
66.	दौलतपुर	66	3
67.	जीयापुर	67	1
68.	अलीगंज	68	नये राजस्व गांव
69.	अहमदपुर	69	8
70.	गांवड़ी खुर्द	70	2
71.	सहजपुर	71	1
72.	गावड़ी कलां	72	4
73.	खूटेला सलोना	73	8
74.	वाढ खूदला	74	गैर आबाद
75.	थली	75	3
76.	बाढबिचला	76	3
77.	बाढखुर्द	77	2
78.	जालोखरा	78	4
79.	बाढकलां	79	5
80.	हिंगोटिया	80	7
81.	फारसपुर	81	4
82.	मोतीपुर	82	5
83.	खिदरघया	83	8
84.	दुदुपुरा	84	5
85.	बामनबड़ोदा	85	8
86.	खुदस्या	86	1
87.	नौगांव	87	9
88.	अरनियां	88	6
89.	हबीबपुर	89	8
90.	सालरपुर	90	5
91.	सलेमपुर	91	9
92.	लालपुर	92	5

1	2	3	4
93.	ऊमरी	93	8
94.	ढाय	94	3
95.	बूचोलाई	95	10
96.	मीनापाड़ा	96	6
97.	मच्छीपुरा	97	9
98.	कूककटा खुर्द	98	5
99.	खमरगढ	99	11
100.	बाढ भावता	100	3
101.	भावता	101	1
102.	कुनक्टा कलां	102	9
103.	नन्दपुरा	103	2
104.	कडीबांवडी	104	1
105.	जेतपुर	105	8
106.	करीपट्टी	106	2
107.	करी झौंपड़ी	107	2
108.	तलावड़ा	108	13
109.	जयसिंहपुरा	109	2
110.	तीतोलाई	110	4
111.	बाढरामसर	111	4
112.	नारायणपुर	112	–
113.	टटवाडा	113	–
114.	रामसर	114	गैर आबादी
115.	बाढमिलकपुर	115	2
116.	मिलकपुर	116	2
117.	वीरापुर	117	नया राजस्व गांव
118.	खोलई	118	गैर आबाद
119.	बाढखोहरी	119	4

1	2	3	4
120.	कोटरी	120	2
121.	रायगढमरारा	121	7
122.	खेड़ाबाड़ रामगढ	122	4
123.	बाढगुआरी	123	2
124.	बाढ़टंटवाडा	124	—
		योग	604

उपखण्ड अधिकारी (पाली) का रिक्त पद

465. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पाली जिले में उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) का पद सृजित है ? यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त पड़ा है ? अब सरकार कौन-सी निश्चित तारीख तक इस पद पर सक्षम अधिकारी की नियुक्ति कर देगी ?

उत्तर

जी हां । दिनांक 23.8.93 से रिक्त है । इस पद को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक (सीकर) में अनियमितताएं

466. श्री नारायण सिंह (दातारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक में हुए घोटालों के खिलाफ कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । जांच रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई एवं धारा 74 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है । साथ ही श्री रंगलाल मीणा, तत्कालीन प्रबन्ध

(सहकारिता मंत्री)

संचालक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने बाबत् आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र तैयार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट अधिक मात्रा में होने से उनकी प्रतियां तैयार कराने में समय लगेगा। अतः वे तैयार होते ही प्रस्तुत कर दी जावेंगी।

(जांच रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पुलिस स्टेशन नीम का थाना में 1993 में दर्ज अभियोग

467. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस स्टेशन नीम का थाना में वर्ष 1993 में कुल कितने अपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये इनमें से कितने गंभीर प्रकृति के अपराध हैं एवं कितने साधारण प्रकृति के थे ?

(2) इन अपराधों में कितने मुकदमों का अभियोग पत्र दाखिल किया गया एवं कितने में अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया तथा कितने अनुसंधान में विचाराधीन हैं ? अनुसंधान में देरी के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इतनी संख्या के अपराध जिस पुलिस स्टेशन में पंजीकृत होते हैं उसमें उपनिरीक्षक के स्थान पर वृत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पुलिस स्टेशन पर वृत निरीक्षक का पद सृजित कर कब तक नियुक्ति करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) पुलिस स्टेशन नीम का थाना क्षेत्र में वर्ष 1992 के अनुपात में कितने अपराध बढ़े ? क्या इन अपराधों की बढ़ोतरी अधिकारीगण की कानून व्यवस्था की लापरवाही से हुई ? यदि हां, तो सरकार बढ़ते हुये अपराधों को रोकने के लिये इस क्षेत्र में क्या विशेष कानून व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पुलिस स्टेशन नीम का थाना में वर्ष 1993 में कुल 405 अभियोग पंजीबद्ध किये गये थे। इनमें 58 अभियोग गम्भीर प्रकृति एवं 347 अभियोग साधारण प्रकृति के थे।

(2) वर्ष 1993 में पंजिबद्ध 405 अपराधों में से 183 अभियोगों में चालान न्यायालय में पेश किये गये एवं 193 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन दिया गया तथा 29 अभियोग अनुसंधानाधीन हैं। थाने पर अन्वेषण अधिकारियों की कमी के कारण अभियोग अनुसंधानाधीन शेष रहे हैं।

(3) जी हां, वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र ही पुलिस निरीक्षक का एक पद सृजित कर इस थाने पर पुलिस निरीक्षक की नियुक्ति की जावेगी।

(4) पुलिस थाना नीम का थाना क्षेत्र में वर्ष 1992 की अपेक्षा वर्ष 1993 में 58 अभियोगों की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ो-

(गृह मंत्री)

तरी समाज में बढ़ती हुई आपराधिक मनोवृति एवं जनसंख्या के बढ़ते हुए घनत्व के कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है।

कृषि उपज मण्डी खैरथल का गौण यार्ड

468. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार पंचायत समिति कोटकासिम व मुण्डावर में खैरथल कृषि उपज मण्डी का गौण यार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है अलवर जिले के दोनों क्षेत्र ही गेहूं, दलहन व तिलहन के उत्पादन में अव्वल नम्बर पर हैं और विपणन की सुविधा न होने के कारण सारा उत्पादन पड़ौस में लगते क्षेत्र हरियाणा की मण्डी रेवाडी में चला जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस क्षेत्र में गेहूं, दलहन व तिलहन का अच्छा उत्पादन होता है। यह सही नहीं है कि विपणन की सुविधा नहीं होने के कारण सारा उत्पादन पड़ौस में लगते क्षेत्र हरियाणा की मण्डी रेवाड़ी में चला जाता है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के प्राथमिक विद्यालय

469. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अधीन कितनी प्राथमिक शालाएं हैं ? वर्तमान में उनमें स्वीकृत पद तथा वास्तविक रूप में कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं, जो अध्यापकों के अभाव में वर्तमान में बंद पडे है तथा रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) किशनगढ विधान सभा क्षेत्र के अधीन कुल 114 प्राथमिक शालायें हैं। पंचायत समितियों में स्वीकृत तथा कार्यरत अध्यापकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के अभाव में कोई विद्यालय बन्द नहीं है। पांच रिक्त पद नियुक्त अध्यापकों द्वारा कार्यभार सम्हालते ही भर जावेंगे।

भाग (1) से सम्बन्धित सूची

क्र. सं.	पं. स.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1.	किशनगढ़	96	220	215
2.	अराई	18	53	53
		114	273	268

नोट :– 5 रिक्त स्थानों हेतु नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। कार्यभार अभी तक नहीं सम्हाला है।

उपभोक्ता मंच, भीलवाड़ा

470. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा में उपभोक्ता मंच की स्थापना कब से की गयी है और इस मंच के लिये पूर्णकालिक अध्यक्ष कब से लगाया है ?

(2) क्या उक्त मंच के लिये आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या स्टाफ की व्यवस्था नहीं होने से उपभोक्ता मंच भीलवाड़ा में कोई कार्य नहीं हो रहा है, यदि हां, तो सरकार का कितना धन व्यर्थ खर्च हो रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मंच में कितने मुकदमें पेंडिग है और कितने-कितने अर्से से पेंडिग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। मंच द्वारा अन्तिम बार कौनसी तारीख को कौनसा मुकदमे का फैसला किया गया ?

(5) सरकार कब तक स्टाफ की पूर्ति कर विधिवत उक्त उपभोक्ता मंच का कार्य पूर्ण रूप से चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा के लिये उपभोक्ता मंच की स्थापना दिनांक 26-11-1990 को की गई थी। इस मंच के लिये पूर्णकालिक अध्यक्ष दिनांक 5-11-1993 से लगाया गया है।

(2 व 3) जिला मंच, भीलवाड़ा के पूर्णकालिक होने से पूर्व मंच का कार्य जिला एवं सेशन-न्यायालय के कर्मचारियों से अपने कार्य के अतिरिक्त संपादित कराया जा रहा था। पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के

(राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक)

साथ ही इस मंच हेतु निम्नलिखित पद स्वीकृत किये गये :–

1.	कार्यालय सहायक	एक
2.	शीघ्र लिपिक	एक
3.	कनिष्ठ लेखाकार	एक
4.	वरिष्ठ लिपिक	एक
5.	कनिष्ठ लिपिक	दो
6.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चार

किन्तु सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध होने के कारण एक ओर तो कार्मिक विभाग से विशेष अनुमति चाही गई है, साथ ही अन्य विभागों से अन्तर विभागीय स्थानान्तरण करने के लिए अध्यक्ष, जिला मंच को अधिकृत कर दिया गया है। अतः व्यर्थ धन खर्च होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) उपभोक्ता मंच में 235 मुकदमें पेंडिंग हैं। वांछित सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। मंच द्वारा अन्तिम बार दिनांक 5-11-93 को मुकदमा नम्बर 45/93 विश्वदीप भटनागर बनाम राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी का फैसला किया गया।

(5) प्रश्न के भाग (3) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर बस सेवा

471. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जयपुर शहर में 100 नयी सिटी बसें शुरू करने जा रही है ? यदि हां, तो यह बसें कब तक व किस-किस रूट पर चालू की जायेगी ?

(2) क्या सरकार अनीता कालोनी से ब्रह्मपुरी और अनीता कालोनी से जोरावरसिंह गेट वाया सांगानेरी गेट विधान सभा भी बस शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ब्रह्मपुरी से मालवीय नगर के लिये वर्तमान में चल रही बसों को डिसपेंसरी मोड़ से टर्न लेकर गांधी नगर गर्ल्स स्कूल, बजाज नगर एम. एल. ए. फ्लेट्स, टोंक फाटक होते हुये चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह बसें आगामी वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान निम्न मार्गों पर चलाये जाने की योजना है :–

क्र. सं.	मार्ग का नाम	बसों की संख्या
1.	जोरावर सिंह गेट (मांजी की छतरी) से सांगानेर हाऊसिंग बोर्ड वाया सुभाष चौक बड़ी चौपड़-सांगानेरी गेट-मोतीडूंगरी सर्किल - यूनिवर्सिटी - कानोडिया	7

332

(यातायात राज्य मंत्री)

कालेज-टोंक फाटक-दुर्गापुरा-सांगानेर थाना-बम्बाला ।

2. कोढ़ी अस्पताल से भांकरोटा वाया चूलगिरी-पुरानाघाट-ट्रांसपोर्ट नगर घाटगेट-सांगानेरीगेट-अजमेरीगेट-रामबाग सर्किल—हाईकोर्ट सर्किल बाईस गोदाम सर्किल-हवा सड़क-सोडाला-डी.सी.एम. । 9

3. मानसरोवर से झालाना डूंगरी संस्थान वाया अग्रवाल फार्म-दुर्गापुरा—मालवीय नगर । 3

4. हरमाड़ा से सांगानेर हाऊसिंग बोर्ड वाया रोड नं. 1 विद्याधर नगर. अम्बाबाड़ी—कलेक्ट्री—रेल्वे-स्टेशन अजमेर पुलिया—परिवहन निगम मुख्यालय—राजमहल—सहकार भवन—इमली फाटक टोंक फाटक-गोपालपुरा बाईपास—दुर्गापुरा-रेल्वे स्टेशन डालडा फैक्ट्री — सांगानेर थाना — बम्बाला । 7

5. विश्वकर्मा से झालाना डूंगरी संस्थान वाया मुरलीपुरा—विद्याधर नगर—अम्बाबाड़ी—पानीपेच चांदपोल—छोटी चौपड़—अजमेरी गेट—रामबाग सर्किल टोंक फाटक-गांधीनगर रेल्वे स्टेशन—बजाजनगर—एम.आर.ई.सी. । 6

6. रामगढ़ रोड बन्ध दरवाजा से विद्याधर नगर वाया लक्ष्मण डूंगरी—गंगापोल दरवाजा—चार दरवाजा—रामगंज चौपड़—बड़ी चौपड़—चांदपोल पीतल फैक्ट्री—शास्त्रीनगर सर्किल । 5

7. भांकरोटा से विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया वाया डी.सी.एम.—सोडाला शालीमार—रेलवे स्टेशन-राम मन्दिर—कलेक्ट्री—टी. बी. सेनेटोरियम—चौमूं पुलिया—ढेर के बालाजी—विश्वकर्मा रोड नं. 1 से 17 । 7

8. आमेर से जगतपुरा वाया बड़ी चौपड़—सांगानेरी गेट — मोती डूंगरी सर्किल—त्रिमूर्ति—यूनिवर्सिटी—जनता स्टोर—लालकोठी टोंक फाटक—दुर्गापुरा—सांगानेर थाना । 5

9. जलमहल के झालाना डूंगरी संस्थान वाया जोरावरसिंह गेट—सुभाष चौक—बड़ी चौपड़—सांगानेरी गेट—घाटगेट—ट्रान्सपोर्ट नगर बाई पास रोड—झालाना । 4

10. कुण्डा से कुण्डा (मुद्रिका सर्विस) वाया रामगढ़ मोड—माउन्ट रोड—सीकर हाउस—शास्त्री नगर सर्किल विद्याधर नगर—चौमूं रोड—झोटवाड़ा सर्किल—खातीपुरा—वैशालीनगर—क्वीन्स रोड-सोडाला न्यू सांगानेर रोड—गोपालपुरा मोड—जयपुरिया अस्पताल—जवाहर लाल नेहरू मार्ग—कानोडिया कालेज—बाईजी की कोठी—आर.टी.ओ. आफिस—सत्संाई कालेज-ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा—गलता दरवाजा—दिल्ली बाई पास रोड—बन्ध दरवाजा—रामगढ़ रोड—सडवा—कुण्डा । 4

(यातायात राज्य मंत्री)

11. सांगानेरी गेट से सांगानेर	12
12. ट्रांसपोर्ट नगर से मानसरोवर	8
13. सांगानेरी गेट से जगतपुरा	6
14. विद्याधर नगर से रेल्वे स्टेशन	6
15. ब्रह्मपुरी से बजाज नगर–अनिता कालोनी	4
16. जोरावरसिंह गेट से अनिता कालोनी	4
(स्पेयर–	3)
	100

(2) जी हां । वर्ष 1994–95 के दौरान बसों की उपलब्धता के अनुसार संचालित किये जाने की योजना है ।

(3) जी हां । नई सिटी बसें उपलब्ध होने पर इस मार्ग पर बसों की संख्या का पुनर्निर्धारण कर कुछ बसों को डिस्पेन्सरी मोड से गांधी नगर गर्ल्स स्कूल-बजाज नगर एम. एल. ए. फ्लेट्स-टोंक फाटक होते हुये चलाये जाने का विचार है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 472
(स्थगित)

बून्दी जिले में वनों के लिए आरक्षित भूमि

473. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में आमली लोइचा, गरड़दा, लाम्बाखोह, डाबी, धनेश्वर, खडीपुर, डोरा एवं लक्ष्मीपुरा पंचायतों में राजस्व एवं वनों के लिए आरक्षित भूमि है ? यदि हां, तो कितने-कितने क्षेत्रफल ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्व की भूमि पर खनिज विभाग द्वारा खानें आवंटित की जाती है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल को राजस्व से अलग करते हुए खानें एलोट की की गयी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि खानों का मलवा (खराब पत्थर) राजस्व, वन विभाग की भूमि पर डाला जाता है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल पर यह मलवा (खराब पत्थर व मिट्टी है) पड़ा हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्व भूमि में ही सड़कें व तालाब बने हैं ? यदि हां, तो दिनांक 25.2.1994 तक कितनी राजस्व एवं वन भूमि बचती है ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्व की (उपरोक्त पंचायतों में) भूमि पर खेती होती है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । सिवाय चक राजस्व भूमि एवं वन विभाग की भूमि का पंचायत बार विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी, हां । राजस्व भूमि के 2685.46 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनिज विभाग द्वारा खाने आवंटित की गई हैं ।

(3) जी, हां । राजस्व विभाग के अधिनस्थ सिवाय चक भूमि, चारागाह और निजी खातेदारों की कुल 7529.29 हैक्टेयर भूमि पर और वन विभाग को 1600 हैक्टेयर भूमि पर स्थान-स्थान पर खानों से निकला मलवा पड़ा है ।

334

(राजस्व मन्त्री)

(4) जी, हां। दिनांक 25.2.94 तक 4970 हैक्टेयर राजस्व भूमि और 46372 हैक्टेयर वन भूमि बचती है।

(5) जी, हां। पंचायत वार सूची–परिशिष्ट 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	नाम पंचायत	सिवायचक हैक्टेयर में	वन विभाग हैक्टेयर में
1.	डाबी	792	3060
2.	धनेश्वर	465	7503
3.	डोरा	2143	5328
4.	खाडीपुर	140	7530
5.	गरड़दा	158	11116
6.	लाम्बाखोह	520	2776
7.	आमली	84	40
8.	लक्ष्मीपुरा	647	4333
9.	लोइचा	62	4696
	योग :	5011	46382

ह०
जिला कलक्टर (भू.अ.)
बून्दी

परिशिष्ट 'ब'

क्र.सं.	नाम पंचायत	रकबा (हैक्टर में)
1	2	3
1.	डाबी	229
2.	धनेश्वर	125

338

1	2	3
3.	खाडीपुर	175
4.	डोरा	304
5.	लाम्बाखोह	98
6,	गरडदा	65
7.	आमली	195
8.	लक्ष्मीपुरा	44
9.	लोइचा	94
	योग :	1329

ह०
जिला कलक्टर (भू.अ.)
बून्दी

गुड़-खाण्डसारी उद्योग अरनोद

474. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में रायपुर ग्राम पंचायत समिति अरनोद में गुड़ खाण्डसारी उद्योग सहकारिता के क्षेत्र में स्थापित किया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस उद्योग की परिसम्पत्तियां क्या-क्या है, एवं उसके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है, और उसके विकास की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस समिति की परिसम्पत्तियां निम्न हैं:–

1. मशीनरी
2. तालाब
3. लिफ्ट इरिगेशन सम्बन्धी उपकरण
4. भूमि
5. गोदाम
6. कारखाना

समिति की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की व्यवस्था समिति द्वारा ही की जा रही है। मौजूदा परिस्थितियों में यह क्षेत्र अब गन्ना उत्पादन का नहीं रहा। गन्ना की पैदावार के अभाव में इस उद्योग के विकास की कोई सम्भावना नहीं है।

पुलिस चौकी बम्बोरी कलां (थाना मांगरोल) का भवन

475. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(1) बांरा जिले के पुलिस थाना मांगरोल की पुलिस चौकी बम्बोरी कलां के भवन पर क्या किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति ने किस आधार पर किया है ?

(2) क्या विभाग द्वारा चौकी हेतु नये भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आई तथा कितनी भूमि किस खसरा नं. से आवंटित करवाई गई ? विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पुलिस चौकी बम्बोरी कलां पूर्व में पुराने गढ़ बम्बोरी कलां में स्थित थी। यह भवन मलखानसिंह राजपूत के पूर्वजनों ने उपलब्ध कराया था। सन् 1992 में श्री मलखान सिंह ने पुलिस विभाग को आवंटित भूमि पर दो कमरे पुलिस चौकी हेतु बनवाकर दिये। तब पुलिस चौकी नये भवन में स्थानान्तरित की गई। पुराने गढ़ में स्थित चौकी को खाली किये जाने के बाद उस पर वर्तमान में श्री मलखान सिंह का कब्जा है।

(2) जी नहीं। पुलिस चौकी बम्बोरी कलां हेतु खसरा नं. 1989 में से तहसीलदार मांगरौल द्वारा 200 × 200 वर्ग फिट भूमि आवंटित की गई। इस भूमि पर श्री मलखान सिंह पुत्र श्री मोहनसिंह राजपूत निवासी बम्बोरी कलां द्वारा 10 × 10 फुट के दो कमरे लगभग 60 हजार रु. की राशि व्यय कर बनवाकर दिये गये हैं।

कृषि यंत्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि

476. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार द्वारा कृषि के यंत्रीकरण एवं उसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? योजना अवधि में इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही हैं एवं यंत्रीकरण के अन्तर्गत अधिक एकड़ भूमि लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

कृषि यंत्रीकरण एवं उसके उत्पादन वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादन के अन्तर्गत तिलहन विकास, दलहन विकास एवं विशेष खाद्यान्न कार्यक्रम आते हैं, जिनके अन्तर्गत मोल्ड बोर्ड हल, रिजर हल, सीड ड्रिल एवं अन्य यंत्र कृषकों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्ष 1993–94 में दिसम्बर अंत तक 12,874 यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराये गये हैं। कृषि यंत्र कम समय में ज्यादा कार्य करते हैं। इस कारण ज्यादा क्षेत्र जुताई के अन्तर्गत लाने की सम्भावना बढ़ जाती हैं। लघु ट्रेक्टर अनुदान योजना के अन्तर्गत छोटे ट्रेक्टरों द्वारा कृषि यंत्रीकरण बढ़ाने के लिए छोटे ट्रेक्टरों (18 पी. टी. ओ. एच. पी. से कम) के लिए लघु किसानों को प्रति ट्रेक्टर यूनिट रु. 30,000/– अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है, दिनांक 15.2.94 तक इस योजना में 28 कृषकों को रुपये 8.40 लाख का अनुदान वर्ष 1993-94 में उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार यंत्रीकरण के अन्तर्गत अधिक भूमि लाने के लिए कार्यवाही की गई है।

लूणकरणसर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

477. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरण सर) : क्या ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत दतौर, पूगल एवं अमरापुरा के अन्तर्गत कुल कितने ग्राम, ढाणियां या चक आवादियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्थानों पर कहां-कहां प्राथमिक शालायें स्वीकृत नहीं है ? सूचि सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे गांवों में "शिक्षा कर्मी योजना" कब तक स्वीकृत करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत दतौर, पूगल एवं अमरापुरा के अन्तर्गत ढाणियां या चक आबादियां हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में दर्शा दी गई है।

(3) जून, 1994 तक समाप्त होने वाले प्रथम चरण के पश्चात् द्वितीय चरण में बाह्य ऐजेन्सी सीडा (SIDA) से हुए समझौते के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में विस्तार के बजाय गुणात्मक सुधार पर अधिक जोर दिया जाना है। अतः शिक्षा कर्मी योजना उक्त गांवों में लागू करने का विचार नहीं है।

क्र.सं.	नाम पंचायत	राजस्व ग्राम/चक/ढाणी का नाम	कोड नं.	आबादी	शाला है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	दतौर	1. दतौर	26	2,620	हां
		2. 1 पीआरएम/पीरणवाली मय चक 2, 3 पीआरएम 8 आरएमएच	—	150	नहीं
		3. 18 बीएलडी/बकडा मय चक 91 से 21 बीएलडी	—	250	,,
		4. 7 पीआरएम/मावडिया मय चक 4, 5, 6, 8 पीआरएम	—	450	,,

1	2	3	4	5	6
		5. 12 केएचएम/जियावाली मय चक 10 के एचएम	—	300	नहीं
		6. 15 केएचएम मय चक 13, 14, 16, 20 केएचएम	—	280	,,
		7. 16 बीएलडी मय चक 14, 15, 16 ए-17, एबीएलडी	—	150	,,
		8. 5 केएचएम/डंडी मय चक 4, 6, 7 केएचएम	—	300	,,
		9. बल्लर/30 बीडी मय चक 29, 28, 29, बीएडी 19 एसएमडी 22, 23 केएलडी एमजीएमडब्ल्यू एम 22, 23 केएलडी	28	2,216	हां
		10. मय चक 22, 23, बीएलडी	—	267	नहीं
		11. 24 से 26 बीएलडी मय चक 25, 27 बीएलडी	—	466	,,
		12. 17 केएचएम मय चक 18, 19, 21, 21 केएचएम	—	587	,,
		13. 20 केएलडी, 21 केएलडी मय चक 1 से 21 केएलडी	—	600	,,
		14. आनन्दगढ़/1 डीडब्ल्यूडी मय चक 14 से 16, 18 19 डीडब्ल्यूडी	—	450	हां
		15. 6 एमडब्लूएम मय चक 4, 5 एचडब्लूएम 11, 12, 14 केएलडी	—	350	,,

(339)

1	2	3	4	5	6
		16. 8 केएलडी मय चक 6, 7 केएलडी व 3 एसडब्ल्यूडी	—	250	हां
		17. 16 केएलडी मय चक 13, 15, 17 से 19 केएलडी	—	750	नहीं
		18. गोगलगढ़ 29 केएलडी मय चक 40 केजेडी	—	600	हां
		19. 9 से 13 डीडब्ल्यूडी	—	400	"
		20. 2 केएलडी एम चक 1, 3 केएलडी 1, 2 एमटी एम 1 डब्ल्यूडी	—	600	"
		21. 4 केएलडी मय चक 5 केएलडी 3 से 5 एमटीएम	—	500	"
		22. 5 डीडब्ल्यूडी 1 एमडब्ल्यू एम मय चक 2 से 4, 5 से 8 डीडब्ल्यूडी 2 एमडब्ल्यूएम	—	700	"
		23. 33 केजेडी मय चक 32 केजेडी 1, 2 एसएच डब्ल्यूएम	—	250	"
		24. 36 केजेडी मय चक 34, 35, 37 38 केजेडी	—	150	नहीं
		25. 41, 42, 43 केजेडी	—	100	"
		26. 16, 17, 19, पीबी 1, 2 एनजीएम 18 बीबी	—	500	"
		27. अलादीन: 1 एलएम मय चक 2ए, 2 बीएलएम 1 बीजीएम 35 केवाईडी	—	1584	हां

1	2	3	4	5	6
		28. 3 बी याएम मय चक 1 2 ए2 बीबीवाई 6 पीजीएम 4 व 5 बीजीएम	—	560	हां
		29. 29 केजेडी गुलूवाली : 3 बीजीएम मय चक 2 बीजीएम	—	350	,,
		30. 22, 24 केजेडी	—	360	नहीं
		31. 1–2 जीडब्ल्यूएम मय चक 26 केजेडी	—	400	हां
		32. 28 केजेडी मय चक 30–31 केजेडी	—	350	,,
		33. 1 एचडब्ल्यूएम चक 2 एचडब्ल्यूएम 23 केजेडी	—	200	नहीं
		34. 34 केवाईडी मय चक 33–36 केवाईडी	—	650	हां
		35. 31 केवाईडी मय चक 30 से 32 केवाईडी 1 से 3 एमएसएम	—	1300	,,
		36. 1 एमएसएम 38-40 केवाईडी मय चक 37 से 44 केवाईडी एबी 1, 2ए 2बी पीबीएम	—	870	,,
		37. 25-केवाईडी मय 24, 26 केवाईडी 3 डब्ल्यूएम	—	940	,,
		38. 1, 2 केडब्ल्यूएम मय चक 34 बीडी 4 केडब्ल्यूएम	—	975	,,
		39. 28 बीडी मय चक 25-27 बीडी 1, 2 केवाईएम	—	1225	नहीं

341

1	2	3	4	5	6
		40. 14 बीडी मय चक 12, 13, 15 से 17 बीडी 1 बीएम	—	3660	हां
		41. 20 बीडी मय चक 18, 19, 21 से 23 बीडी	—	1570	,,
		42. 10 बीडी मय चक 8, 11, बीडी 23 से 27 केएनडी	—	1450	,,
		43. 8 केवाईडी मय चक 6-9 केवाईडी	—	1460	,,
		44. 6 बीडी मय चक 7-9 बीडी 2ए एम	—	1150	,,
		45. 5 केवाईडी मय चक 4 केवाईडी	—	650	,,
		46. 1 पीईएचएम 7 केवाईडी	—	880	नहीं
		47. चक 10 केवाईडी 2-3 केवाईडी	—	600	,,
		48. 17 केवाईडी मय चक 16-17 एबीसी 18 केवाईडी	—	1150	हां
		49. 12 केवाईडी मय चक 11, 14 केवाईडी	—	1180	,,
		50. 20 केवाईडी	—	400	नहीं
		51. 22 केवाईडी मय चक 19, 21 केवाईडी 5एबी पीएचएम	—	1250	हां
		52. 12 केवाईडी मय चक 16 केवाईडी, 2 पीएचएम	—	1050	,,

342

1	2	3	4	5	6
		53. 4-7 पीएचएम मय चक 3-6 पीएचएम 3, 6 एबी	—	1250	हां
		54. 6 केजेडी मय चक 2, 3 केजेडी एबी	—	850	,,
		55. बेरियावाली खाजेवाला चक 6 एबी, 8ए 8 बीकेडी 4	—	24737	,,
		56. केन्डल : 8 केवाईडी मय चक 8 से 11 केएलडी	—	560	,,
		57. 6 एजेएस मय चक 5 एजेएस	—	200	नहीं
		58. 5 केएलडी मय चक 4, 6 केएलडी एबी	—	530	हां
		59. 3 केएलडी	—	500	,,
		60. 2 बीआरडब्ल्यू मय चक 1 बीआर डब्ल्यूएम	—	440	,,
		61. रमजानवाला मय चक 1 एसडब्ल्यूएम 12, 13 केएलडी	—	430	,,
		62. 9 केजेडी मय चक 10, 11 केजेडी 12 केजेडी	—	200	,,
		63. माधो डिग्गी मय चक 13 केजेडी एबी 2, 2 एमडीएम	—	1580	,,
		64. नौसेरा : 15 केजेडी मय चक 14 एबी 16, 12 केजेडी	2	930	,,
		65. 3 पीडब्ल्यूएम मय चक 1, 2, 4 पीडब्ल्यूएम एबी	—	750	,,

1	2	3	4	5	6
		66. 1 केजेडी मय चक 4 केजेडी 23 केवाईडी एबी एबी	—	940	हां
		67. 28 केवाईडी मय चक 27, 29 केवाईडी	—	810	हां
		68. 7 एसएसएम मय चक 6, 8 से 11 एसएसएम	—	600	नहीं
		69. 19 केजेडी मय चक 18, 20 21 केजेडी	—	900	हां
		70. 14 पीबी मय चक 12, 13, 15 पीबी	—	400	नहीं
		71. 1 एसएसएम मय चक 2 से 5 एसएसएम सियासर चौगान	1	8954	हां
2.	पूगल	1. पूगल मय चक 7, 9 एमएम	19	3972	हां
		2. 7 एडी मय चक 6 एडी	—	267	हां
		3. 8 बीडी	—	200	हां
		4. 4 एमएम मय चक 3, 6, 5 एमएम	—	—	हां
		5. 13, 14 एडी	—	430	हां
		6. 8 एमएम मय चक 9, 10, 11 एडी 12 एडी	—	150	नहीं
		7. आडूरी/3 एडी मय चक 4, 5 एडी 1,2 केडब्लूएम	34	1587	हां
		8. 2 एडी मय चक 1 एडी	—	750	नहीं
		9. गोगलिया वाला मय चक 1, 2 एमएम	36	333	हां
		10. रमई, 1 एमएम	36	77	हां

1	2	3	4	5	6
		11. गोगलीवाला नई बादादी (15 श्रारडी).	—	250	नहीं
		12. गंगाजली: 11 केएचएम चक 11 बीएलडी 1,2 केएचएमएस	25	841	हां
		13. 2 केएचएम मय चक 3 केएचएम 12, 13बीएलडी	—	400	नहीं
		14. माडेवाली:6केडब्लूएम मय चक 7 केडब्लूएम	—	262	नहीं
		15. पीरसर 8 केडब्लूएस	23	362	हां
		16. कुम्हारवाला: 5 केडब्ल्यूएम मय चक्र 3 केब्ल्यूएम	—	750	हां
		17. पहलवान का बैरा	20	685	हां
		18. 5 बीएलडी मय चक्र 4 बीएलडी 8 से 10 व 11 एपीबी	—	600	नहीं
		19. राणीसर	7	1505	हां
		20. फलावाली	8	910	हां
		21. 6 डीबीएम मय चक्र 1,2,4 बीडीएम 6 से 10	—	250	हां
		22. 3 बीएलडी मय चक्र 1, 2 बीएलडी	—	200	नहीं
		23. 14 डीकेडी मय चक 12, 13 डीकेडी	—	800	नहीं
		24. 4 एसडब्ल्यूएम मय चक 3 से 5 एनजीएम	—	200	नहीं
		25. 1, 2 केडब्ल्यूडी एसएम एवं 1 से 3 एसडब्ल्यूएम	—	—	नहीं

1	2	3	4	5	6
		26.	2 डीएम मय चक 1, 3, 4 एडीएमपीबी	—	150	नहीं
		27.	5 पीबी मय चक 3, 4 पीबी	—	400	नहीं
		28.	2 पीबी मय चक 1 पीबी	—	500	नहीं
		29.	6 पीबी मय चक 1 बी	—	150	नहीं
		30.	रसूलसर डबेर	22	704	हां
		31.	मकेरी/3 एमकेएम मय चक 1, 2 एकेएम	33	263	हां
		32.	गणेशवाली मय 6, 7 आरएम	24	546	हां
		33.	रामडा मय नई आबादी 1 से 3 आरएस 1, 1 आर एम	32	380	हां
		34.	झुडकिया, 9 केएचएम मय चक 11 केएचएम	31	336	नहीं
		35.	5 एमकेएम मय चक 4, 6 से 9 एमकेएम	—	150	नहीं
		36.	4 आरएम मय चक 2, 3, 4 आरएम	—	150	नहीं
	अमरापुरा	1.	अमरापुरा मय चक 1 से 6 एपीएम 1, 2 सीएम 4 से 9 सीएम	42	4918	हां
		2.	भानीपुरा	43	928	हां
		3.	रामसर छोटा	44	430	हां
		4.	राईको की ढाणी/3सीएम	—	599	हां
		5.	डेलीतलाई/1 डीओ मय चक 1 डीएम	—	515	हां

1	2	3	4	5	6
		6. 2 डीग्रो	—	640	नहीं
		7. 2 डीएम/पार्वती मय चक 3, 4 डीएम	—	532	हां
		8. 1 एमएमडी मय चक 2 एमएमडी	—	360	नहीं
		9. 3 एसडी मय चक 4 एमएमडी	—	210	नहीं
		10. सम्मेवाला/5 से 7 एमएमडी	30	394	हां
		11. 10 एमएमडी मय चक 8, 12, 14 एसएमडी	—	250	हां
		12. ग्रमरेवाला	40	29	नहीं
		13. जोघासर (डंडी सथाराम)	41	3390	हां
		14. शिवनगर/3 बीडी मय चक 1, 2, 4 बीडी 1 बीएम	—	675	हां
		15. 6 बीडी/भुट्टो का कुग्राम मय चक 6, 5, 7, 8 बीडी	—	693	हां
		16. 3 बीएम/ग्राशापुरा मय चक 2, 4, 5 बीएम	—	856	हां
		17. 7 बीएम मय चक 6, 8, 9 10 बीएम	—	250	नहीं
		18. 1 ग्रारएम मय चक 2 से 5 आरएम 6, 8 सीडीवाई	—	250	हां
		19. 1 केएम मय चक 2केएम 3 केएम	—	661	नहीं

जयपुर शहर के आटो, रिक्शा मीटर

478. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विशेषतः जयपुर में "आटो रिक्शा मीटर से चलाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कई बार आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) क्या यह सही है, कि जयपुर के दूरस्थ कालोनीज में आने-जाने के लिए आटो रिक्शा वाले मनमाना किराया वसूलते हैं ? यदि हां, तो बिना मीटर चलाये आटो रिक्शा चलाने वाले कितने चालकों का विभाग ने चालान किया और कितनों का परमिट समाप्त किया ?

(3) क्या यह सही है यातायात पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने वाले जिन आटो रिक्शा चालकों का चालान करके परिवहन विभाग को भेजता है उन पर परिवहन विभाग उचित कार्यवाही नहीं करता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या परिवहन विभाग ने दिल्ली की तरह "क्यू" प्रणाली राजस्थान में शुरू करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था ? यदि हां, तो क्या और अब तक उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 74 सहपठित राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.9 के अन्तर्गत दिये गये प्रपत्र आर. एस. 5.11 में ऑटो रिक्शाओं को संविदा वाहन के परमिट जारी किये जाते हैं। इस अनुज्ञापत्र की अनिवार्य शर्तों में शर्त सं. (एन) व (के) के अनुसार ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने व निर्धारित किराया वसूल करने की बाध्यता है। अतः इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अलग से आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है फिर भी समय-समय पर विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को मासिक बैठकों में ऑटो रिक्शा मीटर से चलाये जाने एवं इसका उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं।

(2) मीटर के अनुसार किराया वसूल न करने अथवा मनमाना किराया वसूल करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 1993-94 में (जनवरी, 1994 तक) जयपुर शहर में ऐसे ऑटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध 893 चालान बनाये जाकर रुपये 1,34,000/- की जुर्माना राशि वसूल की गयी है। इस सम्बन्ध में 2 अनुज्ञापत्रों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 86 के तहत 15 दिन के लिये निलम्बित भी किया गया है।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है। यातायात पुलिस द्वारा परिवहन विभाग को ऐसे कोई चालान नहीं भिजवाये जाते।

(4) जी नहीं।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल योजना

479. श्री परसराम मदेरणा (गुढ़ा-मालानी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर शहर के लिये इन्दिरा गांधी नहर लिफ्ट कैनाल योजना कब शुरू हुई व उस समय उसकी स्वीकृत लागत क्या थी ?

(2) उक्त योजना कब-कब संशोधित की गयी व संशोधित लागत समय-समय पर क्या रही ?

(3) वित्तीय वर्ष 93–94 में इस योजना पर कितना प्रावधान किया गया व इस योजना पर क्या-क्या कार्य किये गये ? दिसम्बर, 1993 तक इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

(4) उक्त योजना पर लगने वाले पम्पों की क्या क्षमता है ? इस योजना के लिये कितने पम्पों के क्रय करने के आदेश किये गये हैं ? शेष पम्पों के क्रय करने के आदेश कब तक किये जावेंगे ?

(5) उक्त योजना के अधीन आपातकालीन योजना के अन्तर्गत पानी लाने का कार्य कब तक पूरा होगा ? शेष मुख्य योजना का बड़े पम्पों के द्वारा पानी लाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) उल्लेखित योजना पर अप्रैल 1984 से कार्य प्रारम्भ किया गया था तथा उस समय इस योजना की स्वीकृत राशि रुपये 38.50 करोड़ रुपये थी।

(2) योजना की प्रथम संशोधित स्वीकृति 6. 9. 90 को 103.14 करोड़ रु. की राशि हुई थी। योजना की द्वितीय संशोधित स्वीकृति 13. 8. 93 को 256.80 करोड़ रु. की राशि की गई, जिसमें पिछले वर्ष पूर्ण कराई गई अतिरिक्त 40 लाख गैलन प्रति-दिन पानी उपलब्ध कराने की आपातकालीन योजना के प्रावधान सम्मिलित थे।

(3) वित्तीय वर्ष 93–94 में उक्त योजना पर कुल 36.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से दिसम्बर 1993 तक लगभग 21.93 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 93–94 में दिसम्बर 1993 तक किये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. कैनाल लाइनिंग कार्य 7.68 किलोमीटर लम्बाई में पूरा किया गया।
2. पम्पिग स्टेशनों का निर्माण।
3. 1626 मिलीमीटर व्यास की एम. एस. पाइप लाइन 15.9 किलोमीटर दूरी में बिछाई गई।
4. आपातकालीन योजना के अन्तर्गत 10 अस्थाई पम्पिग स्टेशनों को पूर्ण किया जाकर चालू किया गया।
5. आपातकालीन योजना को चालू किया गया।
6. उक्त परियोजना के आठों मुख्य पम्पिग स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया।
7. नहर का रखरखाव जैसे नहर में मिट्टी निकालने आदि का कार्य किया गया।
8. संबंधित विविध कार्य किये गये।

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री)

(4) उक्त परियोजना के प्रथम चरण में आठों पम्प गृहों में लगने वाले पम्पों का विवरण निम्नानुसार हैं :—

पम्पगृह संख्या	पम्पों की क्षमता व संख्या (किलोवाट में)
1.	530×3
2.	430×3
3.	530×3
4.	350×3
5.	870×6
6.	870×3
7.	350×3
8.	400×3

उपरोक्तानुसार आठों पम्पगृहों पर 27 पम्पिग सेट लगाने का प्रावधान हैं। इनमें से प्रथम चारों पम्प गृहों पर लगने वाले 12 पम्पिग सेटों की आपूर्ति व लगाने हेतु आदेश 18.2.94 को जारी किये गये हैं। पम्पगृह 5 के पम्पिग सैटों के क्रय व लगाने हेतु निविदायें 6.4.94 को प्राप्त की जानी हैं। पम्प गृह 6, 7 व 8 के पम्पिग सैटों के लिए वित्तीय भाग की निविदायें 8.4.94 को प्राप्त की जानी है। पम्पिग स्टेशन 5, 6, 7 व 8 के कुल 15 पम्पिग सैटों की निविदाओं पर निर्णय होते ही, क्रयादेश जारी कर दिये जायेंगे।

(5) उक्त योजना के अधीन जनवरी 1992 में स्वीकृत आपातकालीन योजना को 22.10.93 को चालू कर दिया गया है। अतिरिक्त 40 लाख गैलन प्रतिदिन पानी लाने के लिए फरवरी, 94 में भी एक आपातकालीन योजना का द्वितीय चरण और किया है, जिसे वर्ष के अन्त तक पूरा किये जाने का प्रयास है। उक्त मुख्य योजना के बड़े पम्पों द्वारा जोधपुर तक पानी लाने का कार्य, दिसम्बर 96 तक पूर्ण होने की संभावना है।

ग्राम फुलाद की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

480. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के ग्राम फुलाद में पुराने खसरा नं. 291 व नये नम्बर 537 में गोचर भूमि दर्ज हैं व इसमें नाड़ी वगैरहा पशुओं के पानी पीने के लिए बनी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बर में रास्ता पुराना खसरा न. 532 का भी है और क्या उक्त गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गोचर व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नये खसरा नम्बर 537 में नाडी बनी हुई हैं, जो पशुओं के पानी पीने के काम नहीं आ रही हैं।

(2) जी नहीं। गोचर भूमि पर कोई

(राजस्व मंत्री)

अतिक्रमण नहीं हैं। अतः अतिक्रमण हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सहकारी समितियों का समामेलन

481. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विगत वर्षों में कतिपय सूत-मिलों, क्रय विक्रय समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का समामेलन किया जाकर "स्पिन फेड" बनाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन इकाइयों का ?

(2) क्या उक्त "स्पिन फेड" में इकाइयों के सदस्यों की संचालन में कोई भूमिका अथवा स्वतन्त्र अस्तित्व है ? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं हैं कि कतिपय सूत मिलों, क्रय-विक्रय समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों का समामेलन किया जाकर "स्पिनफैड" बनाया गया है। केवल चार सहकारी ईकाइयों–राज. को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा, गंगापुर कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. गंगापुर (भीलवाड़ा), गंगानगर को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ तथा गुलाबपुरा कॉटन जिनिंग प्रेसिंग सहकारी समिति लि. गुलाबपुरा का समामेलन स्पिनफैड में किया गया है।

(2) स्पिनफैड में समामेलित इकाइयों के नामिनल, सहयोगी तथा व्यक्तिगत सदस्यों की स्पिनफैड के संचालन में उपनियमानुसार कोई भूमिका नहीं हैं। अन्य समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य उप-नियमानुसार है।

महिला पुलिस थानों में वृद्धि

482. श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, उत्पीड़न को बढ़ने से रोकने हेतु महिला पुलिस थानों का निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन शहरों तथा जिलों में तथा कितनी-कितनी संख्या में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। रेन्ज मुख्यालयों यथा जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं उदयपुर में महिला पुलिस थाने कायम किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मगजीपुर-लिंक रोड पिड़ावा

483. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में मगजीपुर-लिंक रोड, कृषि उपज मंडी समिति भवानी मण्डी से स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो उस पर कब कार्य शुरू करवाया जा रहा है ? यदि स्वीकृत नहीं है, तो इस लिंक रोड हेतु अर्थ-वर्क किसके माध्यम से

351

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

हुआ ? अब तक दो वर्ष गुजर जाने के पश्चात् भी आगे कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

मगजीपुर-लिंक रोड जवाहर रोजगार योजना/अकाल जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जिसमें श्रमिक व्यय जवाहर रोजगार योजना/अकाल जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत एवं सामग्री व्यय सम्बन्धित मण्डी समिति के द्वारा अपनी वित्तिय स्थिति के अनुरूप वहन किया जाना था। वर्ष 90 एवं 91 में उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अनुसार श्रमिक व्यय मद में 5 किलोमीटर मिट्टी का निर्माण कार्य करवाया गया। इसके आगे धनराशि के अभाव में यह कार्य सम्पूर्ण नहीं हो सका है।

पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जन जाति के रिक्त पद

484. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति और जनजाति के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद ?

(2) क्या यह भी सही है कि रिक्त पदों को भरने की निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि नहीं, तो रिक्त रहने के क्या कारण हैं ? क्या निगम उक्त पदों को भरने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों का मानचित्र संलग्न है। (परिशिष्ट—1)

(2) यह सही नहीं है। निगम द्वारा कई बार रिक्त पदों को केवल अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रत्याशियों में से भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था, जिसके अनुसार केवल उप भण्डार निरीक्षक, संगणक एवं चालकों की भर्ती की गई है, किन्तु पद रिक्त रहने का मुख्य कारण यह है कि निर्धारित योग्यताधारी प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होते। वर्तमान में राज्य शासन के राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा दिनांक 1–2–92 से नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबंद समाप्त होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सम्भव होगी।

परिशिष्ट—1

विभिन्न पदों पर बैकलाग की स्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4
1.	उप प्रधान प्रबन्धक	1	—
2.	सहा. महा प्रबन्धक	1	—
3.	संभाग प्रबन्धक	1	—
4.	लेखाधिकारी	1	1
5.	कार्यव्यवस्थापक	1	—
6.	संभाग यान्त्रिक अभि.	1	—
7.	सहायक संभाग प्रबन्धक	6	4
8.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	1
9.	अगार प्रबन्धक	2	4
10.	सहायक लेखाधिकारी	6	4
11.	सहा. या. अभि.	3	2
12.	कार्यालय अधीक्षक	4	1
13.	प्रशासनिक अधिकारी	5	3
14.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1
15.	कार्यालय सहायक	—	3
16.	कनिष्ठ लिपिक	4	51
17.	निजी सहायक	4	3
18.	श्रम निरीक्षक	—	1
19.	प्रारूपकार ग्रेड-प्रथम	1	—
20.	शीघ्रलिपिक	4	3
21.	सहायक सांख्यिकी	—	1

1	2	3	4
22.	संगणक	4	6
23.	लेखाकार	12	9
24.	क. लेखाकार	18	30
25.	यातायात निरीक्षक	-	7
26.	सहायक या. निरीक्षक	-	12
27.	वरिष्ठ लिपिक	-	21
28.	उप भण्डार निरीक्षक	-	2
29.	परिचालक	-	-
30.	चालक	120	96
31.	मैकेनिक ग्रेड-2	67	120
32.	मैकेनिक ग्रेड-3	3	3

परिशिष्ट-6

तारांकित प्रश्न संख्या 450 का विवरण

उदयपुर सैण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की दिनांक 25.6.92 से 30.6.93 तक शाखावाईज ऋण वसूली सूचना।

(लाखों में)

क्र.सं.	नाम शाखा	ऋण वसूली
1.	भीम	38.01
2.	फतहनगर	85.63
3.	कांकरोली	93.19
4.	ऋषभदेव	66.96
5.	आमेट	31.87
6.	भीण्डर	78.60
7.	गिर्वा	86.44
8.	देवगढ़	47.78
9.	सलूम्बर	93,24
10.	नाथद्वारा	34.69
11.	रेलमगरा	93.19
12.	गोगुन्दा	70.53
	योग :	820.13

दी उदयपुर सैण्ट्रल को-आ. बैंक की दिनांक 25.6.93 से 10.4.93 तक शाखा-वाईज अल्पकालीन ऋण वितरण की सुचना

(लाखों में)

क्र.सं.	शाखा का नाम	वितरण राशि
1	2	3
1.	कांकरोली	14.05

355

1	2	3
2.	देवगढ़	12.28
3.	नाथद्वारा	7.21
4.	गिर्वा	21.20
5.	भीण्डर	19.04
6.	फतहनगर	12.61
7.	ऋषभदेव	10.75
8.	रेलमगरा	19.49
9.	आमेट	6.02
10.	भीम	5.28
11.	सलूम्बर	31.97
12.	गोगुन्दा	11.28
		171.18

परिशिष्ट–7

तारांकित प्रश्न संख्या 454 का विवरण

क्र.सं.	नाम सहकारी समिति/ अधिकृत विक्रेता	क्षेत्र	जब से कार्यरत है
1	2	3	4
1.	चन्द्रप्रकाश छाबड़ा	केकड़ी, वार्ड–1	जून, 92
2.	नोरतमल पवार	(1) ,, ,, 3	,,
		(2) लसाड़िया–II	मार्च, 93
		(3) खेजड़ी	अगस्त, 93
3.	होतचन्द जयरामदास	केकड़ी–वार्ड 4,5	मार्च, 77
4.	महिला प्राथ. सह. उप. भण्डार	,, 6,7	अगस्त, 77
5.	रामस्वरूप गंगाराम	(1) ,, ,, 8,10	मई, 86
		(2) कणोज	अगस्त, 93
6.	किशनचन्द छुट्टनदास	(1) केकड़ी, वार्ड–9,11	मई, 89
		(2) ,, ,, 12,13,15	अगस्त, 92
7.	रामगोपाल बालूराम	,, ,, 14,16	जुलाई, 86
8.	विजय वृहार सह. समिति	,, ,, 17,18	मार्च, 89
9.	गुमानमल जैन	(1) ,, ,, 19	अप्रेल, 85
		(2) ,, ,, 2	अक्टूबर, 93
10.	जी. एस. एस., फारकिया	भराई	दिसम्बर, 91
11.	जी. एस., कालेड़ा	कालेड़ा कृ. गो.	सितम्बर, 77
12.	,, ,, पारा	पारा	जून, 77
13.	भागचन्द भूरालाल	(1) सरसड़ी	नवम्बर, 83
		(2) मोलकिया–I	वर्ष, 1992
		(3) ,, II	जून, 92
14.	शुभूनाथ भूरानाथ	(1) कादेड़ा–I	जुलाई, 85
		(2) काचरिया	जनवरी, 91
15.	ताराचन्द रामगोपाल	कादेड़ा–II	अप्रेल, 84
16.	प्रहलाद श्रीकिशन शर्मा	(1) भीमड़ावास	अगस्त, 82

(357)

1	2	3	4
		(2) प्रान्हेड़ा	अगस्त, 87
17.	सहारा जी. एस. एस	सहारा	जुलाई, 77
18.	समीर मल जैन	(1) जुनिया–I	जुलाई, 85
		(2) ,, II	जून, 93
19,	मेवदा जी. एस. एस.	मेवदाकलां	अप्रेल, 89
20.	धुन्धरी जी. एस. एस.	(1) धुन्धरी	मई, 82
		(2) टाकांवास	अप्रेल, 93
21.	बद्रीलाल गोकलराम	सलारी	फरवरी, 83
22.	ज्ञानचन्द सिंघल	बघेरा–I	अप्रेल, 88
23.	शांतिलाल जैन	,, II	नवम्बर, 91
24.	बघेरा जी. एस. एस.	,, III	,, 93
25.	सुधाकर पारीक	(1) सावर–I	,, 90
		(2) मोटियाला,सावर–II	अप्रेल, 93
		(3) बिसून्दनी	मार्च, 91
26.	लक्ष्मीनाथ जी. एस. एस.	देवगांव	अक्टूबर, 77
27.	लक्ष्मीचन्द विजय (धुवालिया)	नसाड़िया–II	नवम्बर, 93
28.	पाड़लिया जी. एस. एस.	घटियाली	जून, 77
29.	ओमप्रकाश जैन	गुड़गांव	जुलाई, 89
30.	कुम्हारानन्द चौधरी	साकरिया	फरवरी, 90
31.	किशनलाल बलाई	(1) कुशायता	अप्रेल, 89
		(2) गोरदा–II	अगस्त, 89
32.	नोरतमल जैन	(1) गोरदा–I	फरवरी, 91
		(2) पीपलाज	अक्टूबर, 92
		(3) मेहरूकलां	अगस्त, 93
33.	मांगीलाल गूजर	आलोली	अगस्त, 89
34.	धर्मीचन्द जैन	चीतीवास	जून, 93
35.	बसन्तकुमार भैरूलाल	सरवाड़ा, वार्ड–1,2	जून, 83

1	2	3	4
36.	टोपनदास सेवकराम	सरवाडा वार्ड 3,4	जनवरी, 85
37.	पुरूषोतम डोड़िया	,, ,, 5,6	मार्च, 90
38.	गौतमचन्द जैन	,, ,, 7,8	जून, 89
39.	नन्दकिशोर पोरवाल	,, ,, 9,10	मई,89
40.	अजगरी जी. एस. एस.	(1) अजगरी-I	अगस्त, 92
		(2) रामपाली-II	,,
41.	जी. एस. एस. छापरी	भगवानपुरा	मार्च, 80
42.	,, सांपला	सापंला	मई, 80
43.	,, ,,	सूपा	मई, 80
44.	हंगामीलाल जैन	(1) बड़गांव	मई, 80
		(2) नागोला-I	मार्च, 89
45.	धीसालाल	कनईकलां	अक्टूबर, 87
46.	जी. एस. एस. केरोट	केरोट	जनवरी, 93
47.	गणपतलाल छगनलाल	पाड़लिया	जनवरी, 91
48.	गजराजसिंह	चौसाला बाजटा	जुलाई, 93
49.	लालचन्द थावरदास	बड़ला-II	अगस्त, 93

359

परिशिष्ट–8

तारांकित प्रश्न संख्या 456 का विवरण
स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य	राशि लाखों रु. में	करवाये गये कार्य का विवरण व कार्यावधि
1	2	3	4
1.	कुण्डली बांध पर 5 मी. व्यास एवं 15 मी. गहरे कुए का निर्माण कार्य मय पंपहाउस	1.00	कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। 1989-91
2.	कुआ नं. 1 के मरम्मत करवाना एवं गहरा कराने का कार्य	0.11	कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। 1989-91
3.	कुआ नं. 2 में होरीजेन्टल बोरिंग करवाने का कार्य	0.23	कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। 1989-91
4.	राईजिंग पाइप उपलब्ध करवाना जोड़ने एवं बिछाने का कार्य :–	8.24	
	(1) 200 मी. मी. व्यास की ए.सी. प्रेशर क्लास 10 की कण्डली बांध से सी. डब्ल्यू. आर. तक कुल लंबाई 3400 मीटर		पाइप लाइन लगा दी गई है, टेस्टिंग प्रगति पर है। 1991-94
	(2) 100 मी. मी. व्यास की ए.सी. प्रेशर पाइप लाइन नये प्रस्तावित कुए से नई प्रस्तावित राईजिंग लाईन तक लम्बाई 800 मीटर		पाइप लाइन लगा दी गई है। 1991-94
	(3) 100 मी. मी. व्यास की ए. सी. प्रेशर पाइप क्लास 10 कुआ नं. 5 से नये प्रस्तावित नई राईजिंग लाइन तक कुल लम्बाई 800 मीटर		पाइप लाइन लगा दी गई है। 1991-94
	(4) 100 मी. मी. व्यास की ए.सी. प्रेशर क्लास 10 पाइप लाइन कुआ		पाइप लाइन लगा दी गई है। 1991-94

1	2	3	4
	नं. 1 से पूर्व में डाली राईजिंग लाईन तक 300 मी. लम्बाई		
5.	(5) पंपसेट उपलब्ध करवाना एवं इन्स्टालेशन करवाने का कार्य	0.87	उपलब्ध करा चालू कर दिये गये, 1991-92
6.	विद्युत सम्बन्ध लेने का कार्य (1) विद्युत सम्बन्ध नये कुए पर (2) सी. डब्ल्यू. श्रार. पर विद्युत सम्बन्ध (3) कुश्रा नं. 1 पर विद्युत सम्बन्ध	0.85	विद्युत सम्बन्ध ले लिया गया। 1991-92
7.	वितरण लाइन में सुधार का कार्य	1.35	कार्य पूर्ण करा लिया गया। 1990-91
8.	नलकूप को फ्लश करवाना	0.10	कार्य पूर्ण करवा लिया। 1989-90
9.	भवन निर्माण कार्य :–		
	(1) कुश्रा नं. 2 पर स्वीच बोर्ड रूम का निर्माण कार्य	0.10	सभी कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं। 1991-92
	(2) एफ. टाइप क्वाटर का निर्माण कार्य	0.65	1992-93
	(3) जे-2 पाइप 1/2 सेट का निर्माण कार्य	0.35	1992-93
		13.85	
	(4) कन्टीजेन्सी कार्य	0.62	
		14.47	
	11 प्रतिशत प्रोरेटा चार्ज	1.59	
		16.06	
	कुल योग :	16.00	

361

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 651 का विवरण

कोटा नगर निगम के अन्दरूनी हिस्सों की सफाई व्यवस्था का विवरण

1. पुराने शहर के परकोटे के भीतर सफाई व्यवस्था हेतु दो मुख्य सफाई निरीक्षक श्री ईश्वर चन्द शर्मा, रामपुरा क्षेत्र एवं श्री बृजवासी गुप्ता चन्द्रघटा एवं बृजराजपुरा एवं श्रीपुरा क्षेत्र में लगाये हुये हैं। इसके अलावा 3 एस.आई.

   1. श्री रमेश गोयल, रामपुरा क्षेत्र
   2. श्री विनय जैन, चन्द्रघटा एव राधाविलास क्षेत्र
   3. श्री प्रहलाद सैक्टर-5 में सफाई निरीक्षक तैनात किये हुये हैं।

जमादार

सैक्टर-3 रामपुरा क्षेत्र में 5 जमादार कार्यरत हैं।

सैक्टर-4 चन्द्रघटा एवं रेतवाली राधाविलास क्षेत्र में 2 जमादार कार्यरत हैं।

सैक्टर-5 में श्रीपुरा, बृजराजपुरा, साबरमति, मौहल्ले में 5 जमादार नियुक्त हैं।

अन्दरूनी क्षेत्र में 475 सफाई कर्मचारी एवं 30 भिश्ती कार्यरत हैं।

कचरा उठाने के लिये एक लोडर एवं 2 डम्पर, 4 ट्रोलियां ट्रेक्टर एवं तीन आटो 2 विन्स करीब 40 व्हील बहरोज कचरा उठाने के लिये लगा रखी हैं। खुली नालियां प्रेशर टेंकर से साफ कराई जाती हैं और ढकी हुई नालियों के लिये सिवरेज कम जैटिंग कम सक्शन मशीन प्रयोग में लाई जा रही है।

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 657 की सूची

उपभोक्ता के कनेक्शन की सूची :—

पहली गली	नाम	पता
1.	श्री दलवीर सिंह	उम्मेदपुरा, रातानाड़ा
2.	श्रीमती भूरी बाई	,,
3.	श्री जीतमल	,,
4.	श्री भवान सिह	,,
5.	श्री खूबचन्द	,,
6.	श्री लाल	,,
7.	श्री मिठनलाल	,,
8.	श्री रामरतन	,,
दूसरी गली		
9.	श्री गोविन्दराम राठौड़	,,
10.	श्रीमती विमला	,,
11.	श्री गोविन्दराम सोसनीवाल	,,
12.	श्री रामसिंह दईया	,,
तीसरी गली		
13.	श्री जयनारायण	,,
14.	कंचन विला	,,
15.	श्री अमरसिंह यादव	,,
16.	श्री एम.एम. जैन	,,
17.	श्री शिवराम जागोड	,,
18.	श्री एस.पी. कौशिक	,,
19.	श्री रजनी कान्त	,,

363

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 661 की सूची

न्यू विद्याधर एवं निकटस्थ कालोनियों में स्थापित हैण्डपम्पों की सूची

क्र.सं.	हैण्डपम्पों का स्थान
1.	सेक्टर-8 विद्याधर नगर, गुर्जर बस्ती में।
2.	सेक्टर-8 विद्याधर नगर, "डी" ब्लाक में।
3.	सेक्टर-8 विद्याधर नगर, "बी" ब्लाक में।
4.	सेक्टर-8 विद्याधर नगर, राधागोविन्द मंदिर के पास में।
5.	सेक्टर-8 विद्याधर नगर, राजीव पार्क में।
6.	पापड वाले हनुमान जी का मंदिर में।
7.	सेक्टर-7 रानी जी की बावड़ी में।
8.	सेक्टर-7 रानी जी की बावड़ी में।
9.	सेक्टर-7 रानी जी की बावड़ी में।
10.	सेक्टर-2 मुरलीपुरा स्कूल के पास में।
11.	सेक्टर-5 श्मशान में।
12.	सेक्टर-10 श्मशान में।
13.	बापू कच्ची बस्ती, जे.डी.ए. कार्यालय के पास।
14.	बीड सरकारी कच्ची बस्ती जे.डी.ए. कार्यालय के पास में।
15.	बीड सरकारी कच्ची बस्ती, जे.डी.ए. कार्यालय के पास में। (स्कूल के पास)
16.	राजीव नगर, सेक्टर-3 के पास में।
17.	जे.पी. कालोनी, सेक्टर-4 के पास में।
18.	एल.एस. नगर, सेक्टर-3 स्कूल के पास में।

364

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 663 की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	खराब पाये गये हैण्डपम्प	सूखे हैण्डपम्प
1	2	3	4	5
1.	पालूकलां	74	2	1
2.	पालूखुर्द	73	1	—
3.	गिदानी	71	3	1
4.	खुडियाला	69	4	—
5.	बागेत	70	3	—
6.	गुड़ा सायपुरा	113	3	—
7.	कंकराला	116	1	—
8.	बासड़ा	79	2	—
9.	भोजपुरा	48	3	—
10.	सावरदा	404	8	3
11.	कचनार	403	1	1
12.	बिजोलाव	45	1	—
13.	नानन	40	2	—
14.	साली	4	4	—
15.	छीर	3	1	—
16.	सूरी	5	2	—
17.	साखून	23	12	1
18.	हद्दुपुरा	22	1	2
19.	माखां	7	4	1
20.	आदखा	3	2	1
21.	मोरड़ा	9	4	—
22.	नीमली	12	2	—
23.	बोकरावास	17	2	—
24.	जीरावता	18	2	—

365

1	2	3	4	5
25.	बिचून	19	2	1
26.	पातुरी	28	2	—
27.	पडासोली	37	4	—
28.	रहलाना	38	3	—
29.	केरिया बुजुर्ग	32	2	—
30.	महतगांव	32	2	—
31.	दूदू	46	12	—
32.	हरसौली	53	6	—
33.	गोपीपुरा	50	2	—
34.	रामनगर	49	1	—
35.	गागरडू	54	6	—
36.	गेगा	36	1	—
37.	ईटाखोई	58	5	—
38.	कचनारिया	61	1	1
39.	घोघोली	57	1	—
			कुल 120	कुल 13

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 664 का विवरण

उपखण्ड पिपलाई के अधीन योजनाओं हेतु वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 में आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	राशि का विवरण		
		1991–92	1992–93	1993–94
(क)	उपखण्ड हेतु आवंटित कुल राशि का विवरण	1885000.00	2723426.00	1877296.00
(ख)	योजनावार व्यय का विवरण			
1.	बामनवास	314602.00	459585.00	402541.00
2.	लीवाली बामनवास	180728.00	266078.00	192034.00
3.	बानोर शफीपुरा	652651.00	986193.00	661824.00
4.	लाडपुर नागर हेडा	202468.00	443204.00	296214.00
5.	कड़ी गावड़ी	97323.00	180138.00	55634.00
6.	अमावरा डूंगर पट्टी	47461.00	83819.00	46544.00
7.	फलवाडा	16997.00	57471.00	23185.00
8.	जीवद बन्जारी	27105.00	24341.00	12688.00
9.	बिछोछ	8360.00	15132.00	14500.00
10.	सितोड़	52601.00	110867.00	54304.00
11.	सुकार	55534.00	82010.00	33122.00
12.	खेडली	8288.00	14542.00	11109.00
13.	रिवाली	36120.00	27032.00	23030.00
14.	पिपलाई	23837.00	9382.00	6822.00
15.	बरनाला रामसिंहपुरा	16823.00	41051.00	27839.00
16.	किशनपुरा कुण्डली	7894.00	29292.00	16508.00
17.	हैण्डपम्प रिपेयरिंग	82520.00	106827.00	75937.00
18.	भांवरा	—	—	2100.00

367

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 678 की सूची

रां जिले में नियुक्त पुलिसकर्मी जिनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं एवं विभ

वर्तमान पद स्थापन 3	अभियोग सं. व दिनांक धारा व थाना 4	अभियोग में पुलिस की गई कार्यवाह 5
पुलिस लाइन बारां निलम्बित	35/91 दि. 16.8.91 धारा 307 ता. हि.	चालान
पुलिस लाइन बारां	8/93 दि. 17.1.93 धारा 307 ता. हि. थाना हरनावदा	चालान
पुलिस थाना शाहबाद	27/92 दि. 25.2.92 धारा 456, 354 ता. हि. थाना सीसवाली	चालान
पुलिस लाइन बारां	,, ,,	,,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला विशेष शाखा बारां	213/91 दि. 8.12.91 धारा 406, 498ए, 109 ता. हि. थाना सांगोद	,,
पुलिस लाइन बारां	5/85 दि. 13.1.85 धारा 147 148, 149, 323, 324 नैनवां	,,
,,	206/92 धारा 376 ता. हि.	,,
,,	36/89 दि. 18.4.89 धारा 147 452, 436, 323 ता. हि. डिग्गी	,,
थाना कोतवाली बारां	412/87 धारा 147, 148, 451 353 ता. हि. कोतवाली बारां	चालान

गीय जांच की गयी।

द्वारा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	विभागीय कार्यवाही की वर्तमान स्थिति
6	7
आरोप पत्र अन्तर्गत 16 सी.सी.ए.	जांच जारी है।
"	आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दो वेतन वृद्धि रोक कर दण्डित किया गया।
"	जांच न्यायालय के निर्णय तक स्थगित है।
"	
"	जांच जारी है।
"	"
"	"
"	"
"	"

369

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 681 की जांच रिपोर्ट

जांच रिपोर्ट तथ्य कार्यालय पुलिस अधीक्षक, उदयपुर

श्री ओंकार सिंह, नि. नगर वेदला, उदयपुर द्वारा अपने पिता केशू लाल के बाबत प्रेषित परिवाद की जांच पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा वृताधिकारी गिरवा उदयपुर से करवाई गई। जांच से यह पाया गया कि श्री केशू लाल आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर में कार्यरत थे। उनका स्थानान्तरण राजकीय आदेश क्रमांक 560–69 दिनांक 11-2-69 से उदयपुर से जोधपुर डिपो में हुआ था। इस आदेश को श्री केशू लाल ने तुरन्त निरस्त करवाया था। इसके पश्चात् उनका पुनः स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 1050-57 दिनांक 2-3-70 द्वारा जोधपुर डिपो के बजाय कोटा डिपो में हुआ था। सन् 1970 में श्री केशू लाल ने कोटा डिपो में ड्यूटी जोइन की। उसके पश्चात् दिनांक 18-4-70 को एक दिन आकस्मिक अवकाश लेकर गये थे। उसके बाद से आज दिन तक कोई पता नहीं है। कथन श्री ओंकार सिंह व श्री सोहन लाल के आधार पर घटना कोटा जिले में घटित होना पाया जाता है।

जांच रिपोर्ट तथ्य कार्यालय पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर, कोटा

श्री ओंकार सिंह, नि. नगर वेदला, उदयपुर के द्वारा अपने पिता केशूलाल के बाबत प्रेषित परिवाद की जांच पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर द्वारा विशेष अनुसंधान दल, कोटा द्वारा कराई गई। दौराने जांच श्री ओंकर सिंह, जो कि श्री केशू लाल के लड़के, ने बताया कि दिनांक 18-4-70 से केशूलाल कोटा डिपो से एक दिन की छुट्टी लेकर गये थे, जो आज तक नहीं लोटे। ओंकारसिंह श्री लाभ शंकर जोशी, आफिसर इंचार्ज, आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर पर शक करता था कि श्री लाभ शंकर जी ने मेरे पिता का स्थानान्तरण पहले जोधपुर किया, फिर कोटा किया। मेरे पिता को उन्होंने ही गायब करवाया है। श्री लादू राम, तत्कालीन निदेशक, आयुर्वेदिक विभाग, अजमेर ने अवगत करवाया कि श्री केशू लाल सितम्बर, 1969 से मार्च, 1970 के प्रथम सप्ताह तक कोटा डिपो में डेप्यूटेशन पर रहा। केशू लाल को रुपयों की आवश्यक होने पर मार्च के प्रथम सप्ताह में केशू लाल से वेतन अधिकार पत्र लेकर मार्च की एडवांस तनख्वाह दी थी। श्री सोहन लाल, जो कि केशू लाल के साथ आयुर्वेदिक रसायन शाला, उदयपुर में काम करता था, ने बताया था कि वह कैसे गायब हुआ,

कुछ पता नहीं है । श्री लाभ शंकर शर्मा, रिटा, सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग ने बताया कि केशू लाल ने कोटा में डेप्यूटेशन पर जाने को अपनी इच्छा से लिखित में दिया था । केशू लाल एक भक्त आदमी था । उसके गुम होने के वक्त उसकी काफी तलाश करवाई गई । तदोपरान्त कार्यालय द्वारा विभागीय कार्यवाही नियमानुसार कराई गई ।

जांच से केशू लाल का कोई पता नहीं चला । इस प्रकार के कोई सबूत भी नहीं मिले जिससे यह साबित होता कि केशू लाल के साथ कोई घटना घटित हुई हो, केशू लाल या तो कहीं मर गया हो या अपनी आदत के मुताबिक कहीं साधू बन गया हो ।. केशू लाल के पुत्र ओंकार सिंह का लाभ शंकर जी पर शक करना महज एक कल्पना है । जांच से, मामला काफी पुराना होने से केशू लाल का कोई पता नहीं चल पाया है ।

(371)

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 686 का विवरण

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प्रेषित—समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

क्रमांक: प. 6(7) राज /4/77/2 जयपुर, दिनांक : 22-2-91

विषय—चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जों को रोकने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों में प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किए गये हैं। चरागाह भूमि पर बढ़ते अतिक्रमणों को रोकने के सम्बन्ध में राजकीय कर्मचारियों को सम संख्यक परिपत्र दिनांक 7-7-77 द्वारा हिदायते दी गई थी कि चरागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकने में असफल रहेंगे उन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतः निदेशानुसार लेख हैं कि कलक्टर चहागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेश दे कि ऐसे अतिक्रमणों के मामलों में तत्काल बेदखली की कार्यवाही करें व चरागाह व अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की समय से रिपोर्ट की जाकर धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे तथा शीघ्र अतिक्रमण को बेदखल करने की कार्यवाही अमल में ली जावे।

इसके साथ निदेशानुसार दिसम्बर, 1990 तक कितने मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गयी तथा वर्तमान में कितने अतिक्रमण शेष हैं तथा उनको हटाने की कार्यवाही की गयी तथा की जा रही हैं इसकी सूचना अविलम्ब भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
ह०/
उप शासन सचिव

ग्राम भूखा में स्थित चरागाह भूमि पर जिन व्यक्तियों का संवत 2050 में खरीफ की फसल के रूप में अतिक्रमण था उन्हें नियमानुसार बेदखल कर दिया गया :–

क. सं.	नाम अतिक्रमी	ख. नं.	रकबा	निर्णय	कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	हीरा पुत्र पन्ना मीना			30.9.93	बेदखली
2.	केशु पुत्र गोपाल मीना			08.2.94	बेदखली
3.	सांवलिया, रामलाल मोती चिरंजी घनश्याम लल्लू पुत्र श्री रुग्गा नाथ			30.9.93	बेदखली
4.	शोफूल पुत्र सुखदेवा			30.9.93	बेदखली

373

परिशिष्ट-18

अता. प्रश्न संख्या 693 के परिपत्र की प्रति

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

प्रेषित :–

समस्त जिलाधीशगण।

क्रमांक : प06 (39) राज/4/85/1 जयपुर, दिनांक 22-1-87

–: परिपत्र :–

विषय :—तालाब पेटा भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।

राजस्थान भू-राजस्व (तालाब पेटा भूमि का काश्त प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1961 के अन्तर्गत तालाब पेटा की काश्त योग्य भूमि का आबंटन अस्थाई तौर पर किया जाता है। इस विभाग के परिपत्र संख्या 6(39) राज–4/85/7 दिनांक 13-1-86 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि जहां तक सम्भव हो इन नियमों के अन्तर्गत तालाब पेटा काश्त योग्य भूमि का आवंटन तीन वर्ष तक की अवधि के लिए ही किया जावे जिससे भूमि की काश्त निरन्तर जारी रहे।

राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें आबंटन की अवधि समाप्त होने पर एवं आगामी वर्षों में आबंटन में देर होने के दरमियान पूर्व में आबंटिती उक्त भूमि पर काश्त करता रहता है ऐसे अतिक्रमी मानकर उस पर शासित आरोपित कर दी जाती है।

उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आगामी वर्ष या अवधि में तालाब पेटा भूमि आवंटन में देरी होती है और पूर्व के वर्ष में जिन्हें भूमि आबंटित की गई थी उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ऐसी भूमि पर आवंटन की अवधि के बाद काश्त जारी रखी जाती है तो ऐसे काश्तकारों को अतिक्रमी मानकर बीच की ऐसी अवधि के लिए शास्ति आरोपित नहीं की जावे बल्कि सामान्य निर्धारित दर से नियमानुसार लगान वसूल किया जावे।

ह०

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूचना

केन्द्रीय सहकारी बैंकवार इमबेलेन्स की दिनांक 31 3 1993 की सूचना

क्र. सं.	नाम बैंक	राशि (लाखों में)
1	2	3
1.	अजमेर	287.84
2.	अलवर	339.28
3.	बांसवाड़ा	91·86
4.	बाड़मेर	47.73
5.	भरतपुर	371.87
6.	भीलवाड़ा	259.81
7.	बीकानेर	3.90
8.	बून्दी	169.78
9.	चित्तौड़गढ़	133·99
10	चूरू	21.30
11.	डूंगरपुर	43.66
12.	जयपुर	407.39
13.	जालोर	85 53
14.	झालावाड़	223.57
15.	झुन्झुनूं	46.72
16.	जोधपुर	31.93
17.	कोटा	389 89
18.	नागौर	52.66
19.	पाली	73.18
20.	सवाई माधोपुर	127 85
21.	सीकर	88.00
22.	सिरोही	111.66
23.	श्रीगंगानगर	111.50

1	2	3
24	टोंक	157.38
25.	उदयपुर	280.48
26.	जैसलमेर	6.15
	योग :	3964.91

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वर्षवार 90-91 से 92-93 तक की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर गबन/मिस एप्रोप्रियेशन की सूची

क्रमांक 1	नाम बैंक 2	गबन एवं मिस एप्रोप्रियेशन की राशि 3
1.	सीकर	70,855.00
2.	झुन्झुनू	1,38,010.00
3.	भीलवाड़ा	29,000.00
4.	कोटा	17,077.00
5.	झालावाड़	4,95,000.00
6.	बीकानेर	36,000.00
7.	जोधपुर	1,86,469.00
8.	जालोर	1,263,178.00
	योग	22,36,189.00

376

केन्द्रीय सहकारी बैंकों में वर्ष 90–91 से 92–93 तक के ग्राडिट ग्राक्षेप में धनराशि के इनवालमेन्ट की सूची

क्रमांक	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक	इनवालमेन्ट की राशि
1	2	3
1.	जयपुर	14338.00
2.	सीकर	91036.00
3.	झुन्झुनू	140745.00
4.	अजमेर	36212.00
5.	टोंक	19682 00
6.	भीलवाड़ा	412492.00
7.	नागौर	53475.00
8.	भरतपुर	54078.00
9.	ग्रलवर	153159.00
10.	सवाईमाधोपुर	41617.00
11.	कोटा	74590.00
12.	बून्दी	16268.00
13.	झालावाड़	505600.00
14.	बीकानेर	46880.00
15.	चूरू	37746.00
16.	श्रीगंगानगर	204475.00
17.	जोधपुर	1023895.00
18.	पाली	138495 00
19.	सिरोही	1839 00
20.	जालोर	1282778 00
21.	बाड़मेर	482.00
22.	चित्तौड़गढ़	12158 00
23.	उदयपुर	9355.00
24.	डूंगरपुर	1031579 00
25.	बांसवाड़ा	18459 00
	योग	5417433 00

377

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 704 का विवरण

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या : एफ 15(1) ग्राविप/पुनर्सीमा/91/1945 जयपुर, दि. 2 अगस्त, 91.

प्रेषित :–

समस्त जिला कलक्टर ।

विषय :– पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन ।

महोदय,

निर्देशानुसार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1) (ग्राविप/पुनर्सीमा/91/834 दिनांक 4 अप्रेल, 91 को अधिक्रमित करते हुए उपरोक्त विषय पर निम्न-लिखित रूप में निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

(1) पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन :

1. सन् 1981 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जन-संख्या सामान्यतः 2,000 से 5,000 तक की हो। परन्तु एकल ग्राम की पंचायत जिसमें ढाणियां आदि सम्मिलित नहीं हो, की जनसंख्या 5,000 से अधिक भी हो सकती है। इसी प्रकार एकल गांव जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो यदि उसकी ढाणियां 8 किलोमीटर के अन्दर की हो तो उन ढाणियों को उसी मुख्य गांव की पंचायत में शामिल करना उचित रहेगा जब तक की वे लोग किसी दूसरी पंचायत में शामिल होने के इच्छुक हों ।

2. पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सामान्यतया 8 किलोमीटर से अधिक नहीं हो ।

3. प्रत्येक पंचायत में वार्डों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जावे :–

पंचायतों की जनसंख्या (1981)	वार्डों की संख्या
1,000 तक	5
1,000 से 2,000 तक	6
2,000 से 3,000 तक	7

3,000 से 4,000 तक	8
4,000 से 5,000 तक	9
5,000 से 6,000 तक	10
6,000 से 7,000 तक	11
7,000 से 8,000 तक	12
8,000 से 9,000 तक	13
9,000 से 10,000 तक	14
10,000 से ऊपर	15

(2) कार्य विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :—

1. उपरोक्त प्रस्तावों के अनुसार परीक्षण करने के पश्चात जिला कलक्टर पंचायतों का जिस प्रकार से सीमांकन, पुनर्सीमांकन अथवा पुनर्गठन करना चाहते हैं उनका पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्तावों का प्रकाशन दिनांक 31. 8. 91 तक करवा देवें। यह प्रकाशन अन्तिम निर्धारित तिथि से पूर्व भी किया जा सकता है।

2. इन प्रस्तावों का प्रदर्शन जिला कलक्टर कार्यालय, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु किया जावे। जिन-जिन पंचायतों की वर्तमान सीमाओं में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो इस फेरबदल से प्रभावित सम्बन्धित पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर भी उनसे संबंधित प्रस्ताव का प्रकाशन करवाया जावे। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अन्य प्रचार माध्यमों से भी प्रस्तावों को प्रचारित कर सकते हैं।

3. प्रदर्शित प्रस्तावों में जन साधारण को स्पष्ट रूप से यह सूचना दी जानी चाहिये कि वे प्रस्तावों के संबंध में अपने एतराज जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार को दिनांक 15. 9. 91 तक पेश कर सकते हैं।

4. प्राप्त सुझावों एवं एतराजों पर विचार करके एवं यदि आवश्यक समझा जावे तो व्यक्तिगत सुनवाई करके जिला कलक्टर पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करके अपने प्रस्ताव दिनांक 15. 10. 91 तक निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज जो कि पंचायतों के प्रभारी अधिकारी हैं, को अवश्य ही भिजवा देवें। दिनांक 4. 4. 91 के पूर्वा देश के संदर्भ में जो एतराज अथवा सुझाव अब तक तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं उन पर भी विधिवत रूप से विचार करके अथवा सुनवाई करके जिला कलेक्टर उनका निपटारा करेंगे।

भवदीय,

(धर्मवीर)

निदेशक एवं शासन विशिष्ट सचिव

379

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 705 के आदेश की प्रति

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ 37( ) ग्राविप/प्रशा–2/94/1690–91 जयपुर, दिनांक 18. 3. 94

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव,
जिला परिषद, पाली।

विषय : श्री राजेन्द्र सिंह लखावत मृतक कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति देने बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक जिपपा/संस्था/92/2830 दिनांक 17. 10. 92

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत आपको विभागीय पत्र क्रमांक 294 दिनांक 22. 1. 93 के द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रित को अप्रशिक्षित अध्यापक के पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता हायर सैकेण्ड्री के स्थान पर सैकण्ड्री की जाकर श्री राजेन्द्र सिंह लखावत पुत्र स्व. श्री डूंगरसिंह ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को अप्रशिक्षित अध्यापक के पद पर नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये थे।

आप द्वारा श्री लखावत को अब तक अध्यापक के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है। कृपया विभागीय पत्र क्रमांक 294 दिनांक 22. 1. 64 के निर्देशों की पालना में श्री लखावत को नियमानुसार अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाये। साथ ही विभाग को यह भी अवगत कराया जाये कि श्री लखावत को अब तक किन कारणों से नियुक्ति नहीं दी गई। विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुये आप अपना स्पष्टीकरण निम्न हस्ताक्षरकर्ता को 7 दिन के अन्दर-अन्दर भिजवाने की व्यवस्था करें।

ह.
उप विकास आयुक्त (प्रशा–2)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानी (पाली) का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह.
उप विकास आयुक्त (प्रशा–2)
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 707 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	रिक्त पदों की सं.	मुख्यालय का स्थान	उसके अधीन ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5
1.	टोंक	2	1. रानोली (ग्राम पंचायत)	बगड़वा
			2. मेहन्दवास (ग्राम पंचायत)	डारडाहिन्द

जिला टोंक की पंचायत समितियों में व्यवस्थित ग्राम पंचायतों में कार्यरत सहायक सचिवों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कब से कार्यरत है
1	2	3	4
1.	अलीगढ़ (टोंक)	अलीगढ़	वर्ष 1985 से
2.	उनियारा	मोहनगढ़	दि. 19.5.91 से
3.	मालपुरा	धोली	दि, 1.12.85 से

परिशिष्ट-23

अतारांकित प्रश्न संख्या 712 का विवरण व सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर की गत तीन वर्षों का
आय व व्यय का विवरण

(आय का विवरण)

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष 90-91	वर्ष 91-92	वर्ष 92-93
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	17618.00	11712.00	8690.00
2.	मण्डी शुल्क	5610618.14	5671213.63	6411856.53
3.	जमाधन पर ब्याज	194852.70	266469.19	971718.25
4.	स्टेशनरी	7972.10	4857.00	17232.50
5.	विलम्ब शुल्क	43079.08	34876.48	33469.73
6.	भवन किराया	870264.50	1072102.37	1101188.40
7.	नर्सरी	6786.00	1923.00	3850.00
8.	विविध	1614.67	40579.78	13210.09
9.	जुर्माना एवं कैशकम्पाउन्ड	7548.58	18537.98	27764.02
10.	परियोजना ऋण	—	—	4000000.00
11.	वर्गीकरण प्रयोगशाला	6183.00	6935.00	1000.00
	योग :-	6766536.77	7429206.63	12589979.52

(व्यय विवरण)

1.	संस्थापन	1033174.00	1309769.00	1507168.90
2.	कार्यालय व्यय (आ०)	150978.08	170233.35	143135.35
3.	कार्यालय व्यय(अना०)	18355.00	—	—

382

1	2	3	4	5
4,	बोर्ड अंशदान	540035.30	613622.75	573829.00
5,	ऋण एवं अग्रिम	122650.00	158100.00	106850.00
6,	निर्माण	3200000.00	4180190.00	12436207.00
7,	मण्डी प्रांगण सुविधा	806298.03	963903.06	1077324.00
8,	भूमि क्रय	243617,00	—	—
	योग :–	6115107,41	7395818.16	15844514,25

कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर से प्राप्त प्रस्तावों की सूची, सड़कों की लम्बाई एवं उन पर होने वाला सम्भावित व्यय

(1) प्रस्ताव संख्या 167 दिनांक 19-3-91 की शेष प्रस्तावित सड़कें

नाम सड़क 1	दूरी कि०मी० 2	लागत लाखों में 3
1 सम्पर्क सड़क मोयो की पंचोली से थाउजी की बावड़ी	3 कि०मी०	9.00
2. सम्पर्क सड़क चासदा	2 कि०मी०	6.00
3. सम्पर्क सड़क एक्सटेन्शन प्रतापनगर से टीकली	4 कि०मी०	12.00
4. सम्पर्क सड़क सरडा से मदार	3 कि०मी०	9.00
5. सम्पर्क सड़क एक्सटेन्शन लोसिग से भूताला	2 कि०मी०	6.00
(2) प्रस्ताव संख्या 181 दिनांक 2-1-92 की प्रस्तावित सड़क		
1. सम्पर्क सड़क सापेटिया से ब्राह्मणों का गुडा	2 कि०मी०	7.90

1	2	3
(3) प्रस्ताव संख्या 232 दिनांक 12-7-93 की प्रस्तावित सड़कें		
1. एप्रोच रोड पाड़ला	1.50 कि॰मी॰	4.00
2. सिरोही कोटड़ा से मुख्य सड़क से स.स. नयागांव	5.00 कि॰मी॰	19.25
3. कोटड़ा खेड़ब्रम्भा रोड स.स. माहड़ी	1.00 कि॰मी॰	3.25
4. उदयपुर रतनपुर रोड से स.स. कानुकाड़ा	5.00 कि॰मी॰	16.25
5. उदयपुर से रतनपुर हाईवे 8 से स.स. सोमवर्ती का फला	4.00 कि॰मी॰	12.00
6. खान्दु लसाड़िया रोड से स.स अगड़	2.50 कि॰मी॰	8.13
योग :-	35.50 कि॰मी॰	113.66 लाख

परिशिष्ट-24

अतारांकित प्रश्न संख्या 714 की सूचना

राजस्थान सरकार

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को राजस्थान राज्य के लिये 24 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। इन 24 कृषि विज्ञान केन्द्र में से दौसा, बारां एवं राजसमन्द में कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होना बाकी है। शेष 21 कृषि विज्ञान केन्द्र अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आधारित कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि प्रदर्शनी, लेब टू लैण्ड एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन कर रहे हैं।

क्र.सं.	प्रस्ताव संख्या/दिनांक	प्रस्ताव राशि
1.	निल	67.79 लाख
2.	5/14-5-93	6.88 लाख
3.	9/3-8-93	142.19 लाख
4.	11/14-7-93	14.64 लाख
5.	20/1-12-93	23-15 लाख
6.	23/7-1-94	45.57 लाख
7.	22/7-1-94	5.24 लाख

386

विवरण

इस कार्य की निविदा 11.2.94 को प्राप्त की थी। निविदा स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, रा.रा. कृषि विपणन बोर्ड, श्रीगंगानगर को भेजी जा चुकी है।

दिनांक 17.2.94 को प्राप्त की गई थी जिसको सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, सूरतगढ़ को सहमति के लिये भेजा गया है।

" "

" "

तख्मीने बनाने हेतु सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया है।

" "

" "

" "

3877

परिशिष्ट-26

अतारांकित प्रश्न संख्या 716 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा की आय व्यय का विवरण

				(आय का विवरण) 93–94
क्र. सं.	नाम मद	वर्ष 1991–92	92–93	माह जनवरी, 94
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	8849.00	9163.50	4443.00
2.	मंण्डी शुल्क	23262451.97	33450745.00	32160514.26
3.	ब्याज से आय	1275053.15	4029696.00	1899419.81
4.	विलम्ब शुल्क	19363.07	10021.51	9044.70
5.	भवनों से आय	230206.98	413165.85	246289.35
6.	ठेके से आय	75711.00	101951.00	75901.00
7.	अन्य आय	125818.07	21092.80	64072.08
8.	फार्म पर्चो	—	29653.38	28377.08
	योग कुल आय :–	24997453.24	38065479.63	34488061.28

व्यय का विवरण

1.	मण्डी सुविधाएँ	703700.37	996655.45	1041942.19
2.	बोर्ड अंशदान	2116079.00	3416487.00	2908720.00
3.	भूमि क्रय	26500.00	4802319.00	—
4.	निर्माण पर व्यय (विपणन बोर्ड द्वारा)	10418586.00	11240151.00	7893377.00
5.	अन्य व्यय	2077409.27	3515472.18	2226662.00
	योग :–	15342274.64	23971084.63	140707त1,16

388

कृषि विपणन बोर्ड कोटा द्वारा निर्माण कार्यों पर जो व्यय किया गया है उसको विगत निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम योजना	वर्ष 1991-92	92–93	माह जनवरी, 94
1.	परियोजना मण्डी यार्ड	—	2388647.00	738511.00
2.	गैर परियोजना	780268.00	748791.00	2653511.00
3.	सुलभ शौचालय	—	593600.00	—
4.	नई व पुरानी स. सड़कों का निर्माण व मरम्मत	9638318.00	7509113.00	3961227.00
	योग :–	10418586.00	11240151.00	7353249.00

उपरोक्त दर्शायी गई परियोजना व गैर परियोजना का कार्य मुख्य मण्डी में व गौण मण्डी कैथून व सुल्तानपुर में हुआ है। तथा सम्पर्क सड़कों पर व्यय पंचायत समिति लाडपुरा व तहसील दिगोद क्षेत्र में हुआ है।

389

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 718 का विवरण

1. भीलवाड़ा जिले के तहसील जहाजपुर एवं शाहपुरा में जलग्रहण विकास एव भू-संरक्षण के तहत करवाये गये कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

तहसील	योजना	कार्य	व्यय की गई राशि (जनवरी, 94 तक)
1. शाहपुरा	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना	जलग्रहण क्षेत्र विकास	19.77 लाख रुपयों में
2. शाहपुरा	जवाहर रोजगार योजना	रहड़ सामाजिक वानिकी एवं चारागाह विकास	0.55 लाख रुपयों में
3. जहाजपुर	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना	जलग्रहण क्षेत्र विकास	10.14 लाख रुपयों में

समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के तहत शाहपुरा तहसील फालसा, सालरिया, भोजपुर, मोतीपुरा, मूड़ेता में जो भू-संरक्षण के कार्य चल रहे हैं उन पर जनवरी, 1994 तक 8.40 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

राष्ट्रीय जलग्रहण विकास योजना के अन्तर्गत भीलवाड़ा जिले के कोई अन्य क्षेत्र इस योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित नहीं है ।

समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के तहत वर्ष 1994–95 में भीलवाड़ा जिले के निम्न तहसील एवं गांव सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ।

शाहपुरा तहसील

ग्राम लूलास का कुछ भाग ग्राम गिरडिया एवं चलानियां का कुछ भाग ।

कोटड़ी तहसील

ग्राम सांकड़ा, हाजीवास, ओंकारपुरा, छापरैल, कोलीयास, रासेड़ा, फलासेड, बोरड़ा एवं आसोप के कुछ भाग लिया जाना प्रस्तावित है ।